राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बीसवां दिवस [संख्या : 8

सोमवार;

19 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : तगारामजी चौधरी ।

बाड़मेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

154. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय बाड़मेर के मुख्य चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं महिला चिकित्सकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : (1) जिला चिकित्सालय बाड़मरे में चिकत्सिकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मध्य रिक्त अवधि विवरण परिशिष्ट 'अ' में उपलब्ध है। सीधी भर्ती के चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा ।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जनगणना 2001 की जनसंख्या के क्रम में निर्धारित नोर्म के अनुसार पंचायत समिति बाड़मेर एवं बायतु में क्रमश : 8 एवं 15 उप केन्द्र कम हैं। आगामी वित्तीय वर्षों में राज्य योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विधान सभा क्षेत्र बाडमेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री तगाराम चौधरी : माननीय उध्यक्ष महोदय, मैंने अभी यही जानना चाहा कि बहुत लम्बे समय से बाड़मेर के मुख्य चिकित्सालय में अनकों पद रिक्त पड़े हैं और परिशिष्ट-अ और ब यह बताता है कि पद रिक्त हैं और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि मलेरिया कई वर्षो से घर किया हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए मुख्य चिकित्सालय के पदों को भरना बहुत ही आवश्यक है, अत: शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिये मेरा निवेदन है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि कई दिनों से महिला चिकित्सकों की अत्यन्त कमी रही है और महिला चिकित्सकों के बगैर तो जापा वगैरह या बच्चों के जन्म के बारे में महिलाओं को जो दिक्कत आती है वह बहुत ही आवश्यक बात है। मैं यही मांग करता हूं कि महिला चिकित्सक तो आप कहीं न कहीं से जल्दी भिजवावें।

तीसरा, मेरा निवेदन है उप स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी। आपने दर्शाया है कि वित्तीय प्रावधान होने पर लगाए जाएगे। उसमें मेरी मांग है कि अभी मागें पारित तो हुई नहीं, होना शेष है। उसमें बाड़मेर को प्राथमिकता दिलाकर उप स्वास्थ्य केन्द्र दिलाए जायें जिससे वहां की जनता को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों की भर्ती के लिये विभाग द्वारा आर.सी.एस.सी. को काफी पहले लिखा जा चुका है और 340 मेडिकल आफिसर्स और 14 डेंटल मेडिकल आफिसर के पद आर.पी.एस.सी. से भरे जाने की प्रक्रिया चालू है। इसके अलावा जिले में कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है उसमें 821 मेडिकल आफिसर्स को संविदा पर लेने के लिये अपने जिले की जरूरत के हिसाब से वह ले सकते है। उनको इस बात के लिये पहले से ही निर्देश दिये हुए है। जहां तक महिला चिकित्सक की बात है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में कोई पद महिला चिकित्सक के नाम से नहीं होता। चिकित्सक है अगर वह पुरूष है तो ठीक, महिला है तो ठीक। परन्तु मैं माननीय सदस्य की पीड़ा समझ रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : महिला चिकित्सक से मतलब गायनोकोलोजिस्ट से है तो वह सुविधा होनी चाहिये, बाड़मेर में हैड क्वार्टर है। (व्यवधान) यह मतलब है उनका।

डा. दिगम्बर सिंह : नहीं, यह मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह मतलब नहीं। उनका मतलब महिला चिकत्सक से है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में निश्चति रूप से अगर गायरोकोलो जिस्ट मेल है तो उसको ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको दिखाने में थोड़ा झिझकती है। तो महिला जो भी चाहे एम.बी.बी.एस. हो, उसको महिला चिकित्सक के नाम से आपका तात्पर्य है। महिला चिकित्सकों की निश्चित ही कमी है और बाड़मेर में वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग के पद की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही कोई महिला चिकित्सक, क्योंकि अगर मैं किसी महिला चिकित्सक के आदेश भी कर दूं तो सदन के सभी माननीय सदस्य भली-भांति परिचित हैं कि डाक्टर्स का केवल आदेश करने से, क्योंकि वह फिर आदेश की पालना ना करके और छुट्टी लेकर लम्बे समय तक बैठ जाएं, उसका कोई औचित्य नहीं है। परन्तु मैं अपनी तरफ सें आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी आपके यहां महिला चिकित्सक की पोस्टिंग मैं कर दूंगा। और एक बड़ी विडम्बना की बात है। बाड़मेर में गत सरकार ने छह ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र को पी.एच.सी.से अलग करके, सेपरेट करके उनको अलग कहीं अपनी सुविधा के हिसाब से शिफ्ट किया था। उससे भी बाड़मे में थोड़ी-सी परेशानी हुई है। निश्चित रूप से जिले में वहां की जनसंख्या के हिसाब से सब-सेंटर्स की

(डा. दिगम्बर सिंह)

कमी है। उप केन्द्रों की कमी है। अभी केन्द्र सरकार ने कुल 461 उप केन्द्र दिए हैं और वह है सन् 1991 की जनसंख्या के आधार पर और बाड़मेर में अभी सन् 2001 की जनसंख्या के हिसाब से सब-सेंटर की निश्चित रूप से वेकेन्सी है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के एरिये व भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए काफी प्रायोरिटी पर मैंने बाड़मेर को लिया है और चालू वर्ष में 164 लाख रुपये के निर्माण कार्य आपके बाड़मेर अस्पताल में कराने का भी प्रस्ताव रखा है जिससे निश्चित रूप से आपके जिले में सुविधा होगी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : बाड़मेर से संबंधित प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आप कांट्रेक्ट पर जो मेडिकल आफिसर लगा रहें हैं उनको आप आठ हजार रुपये प्रति माह दे रहे है जो बहुत कम है। उस वजह से डाक्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में कांट्रेक्ट पर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं है। अभी बाड़मेर में 14 तारीख को कांट्रेक्ट पर 21 डाक्टर्स लेने थे उसमें से 12 ही आये, बाकी आये नहीं। और वह भी जाइन करेंगे या नहीं करेंगे, मैं अभी नहीं कह सकता। आये जरूर थे। इसलिए आप आठ हजार रुपये से कुछ बढ़ाने का विचार रखते है ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे कि डाक्टर्स की सेवाएं उपलब्ध हो सके ? दूसरा, आपने अभी कहा कि पंचायत समिति हैड क्वार्टर या सी.एच.सी. के साथ ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र थे, उनको स्थानान्तरित करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। उससे तो जब एक ही जगह तो आप सारी सुविधाएं दे रहे है। बहुत सारे डाक्टर्स बैठे हैं उतने वहां पर पेशेंट नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी जगह जहां पेशेंटों को कोई देखने वाला नहीं है, बहुत इंटीरियर इलाका है, उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही थी, उनका वहां पर ट्रांसफर करके वहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिस के बारे में आप कह रहे हो कि पिछली बार 6 परिवार कल्याण केन्द्र स्थानान्तरित कर दिये गये। मैं समझता हूं यह अच्छा हुआ और आपको बुरा लगे, भले ही आप सारे ही कैंसिल कर दें लेकिन बाड़मेर जिले में...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछिए।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, मंत्रीजी ने अभी कहा कि जो 6 स्थानान्तरित किए हैं। न, आप क्या सोच रहे हैं आप उनको निरस्त करने का विचार रखते हैं या उनको वैसे ही रखना चाहते है ? आपको बुरा लगा है तो आप बता दें, अब आप क्या चाह रहें हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैंने कहा था उस सरकार में जनता की सुविधा के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी सुविधा से सैपरेशन और उनकी शिफ्टिंग का किया गया। मैं अभी इस मामले की जानकारी करवा रहा हूं, अगर जनता को इससे कुछ सुविधा है तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी खड़े है,बैंठें जब बोलियेगा आप।

डा. दिगम्बर सिंह : अगर जनता को सुविधा नहीं है तो निश्चित रूप से वापस जनता की सुविधा के हिसाब से इनका परिवर्तन किया जाएगा।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इनके आरोप बिलकुल निराधार है। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले सरकार ने जो भी कम किए वह सब अपनी सुविधा के लिए किए, जनता की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : ज्यादा काम ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : इस प्रकार का आप आरोप लगा रहे हो कि अपनी सुविधा के लिए, इसलिए आप उनको निरस्त कर दोगे। फिर तो आप पिछले 5 सालों में जो भी काम हुए है, चाहे स्कूलें खोली हों, चाहे परिवार कल्याण केन्द्र खोले हैं चाहे 190 एडीशलन ए.एन.एम. लगायी, उन सब को आप निरस्त कर दो सारी इस प्रकार से।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं केवल चिकित्सा विभाग की बात कर रहा हूं

श्री हेमाराम चौधरी : मंत्रीजी, आप यह जो आरोप लगा रहे हो न, आप तो अभी आये हो, पिछली बार विधान सभा में आपके जितने मैम्बर थे... (व्यवधान) आप एक मिनट सुनिये, पिछली बार विधान सभा में आपके जो भी सदस्य थे...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । (व्यवधान) आपको जो इंफोर्मेशन करनी थी, कीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके विधासन सभा में पिछली बार जितने भी सदस्य थे अगर वो कह दें कि मैंने अगर कोई भी मेरे हिसाब से काम किया और इनकी एक भी, एक भी बात नहीं सुनी है, इन्होंने जो भी काम कहा है, सब काम किया है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह मेडिकल डिमाण्ड पर बोल देना आप ।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके भंवरलालजी शर्मा के यहां एक हास्पिटल चल रहा था, जिसको अधिकारियों ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया...(व्यवधान) बहुत बड़ा घपला था, मैंने उसको खोल दिया और समिति के आदेश को निरस्त किया और आप इस प्रकार के आरोप लगा रहे हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूं, हमेशा जनता के हित को सर्वोपरी समझता हूं। आप इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगाते हो, आपको +++ आनी चाहिए। परिवार कल्याण केन्द्र के मामले हैं...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : +++ तो आपको आनी चाहिए जिस प्रकार से आपने... । (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : पिछले लगातार पांच सालों से...(व्यवधान)...उसको आपने अभी तत्काल कहां से हटा दिया है

डा. दिगम्बर सिंह : +++ आपको आनी चाहिए (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : जो सरकार इस तरह से भेदभाव, इस प्रकार की आप बात करते हो, आपको इस प्रकार की बात करने से पहले सोचना चाहिए ...(व्यवधान) आप तो अभी पहली बार चुन कर आये हो और दोबारा आप आना नहीं हो, इस प्रकार के आप काम करोगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय तगारामजी, स्थान ग्रहण करें।

डा. दिगम्बर सिंह : जनता की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा।

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

माननीय स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रीजी, पूर्व सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालकर आप मुक्त नहीं हो सकते। पूरी बात सुनिये आप पहले। अकेले बाड़मेर मुख्यालय पर आपके 25 डाक्टर्स की कमी है। 10 तो आपके कनिष्ठ विशेषज्ञ हैं और 15 चिकित्सा अधिकारी। इसलिए आप संविदा आधार पर नियुक्ति कर सकते हैं, कर सकते थे। उसे पूरा किया जाना चाहिए, प्रश्न यह है। आपको मौका दूंगी।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी बाड़मेर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल है उसमें 8 पद रिक्त है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने जिला चिकित्सालय, बाड़मेर में चिकित्सकों के स्वीकृत और रिक्त पद लिखे है। इसमें स्वीकृत पद लिखे हैं, रिक्त लिखे हैं। आपने रिक्त भी लिखे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी पोस्टिंग्स किये है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, वो यह है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आपको पूरी सूचना के साथ आना चाहिए था। फिर पूरी सूचना के साथ आते आप। आपने जो यहां पर दिया है उस हिसाब से 25 डाक्टर्स कम हैं। 25 डाक्टर्स की कमी है एक जिला मुख्यालय के ऊपर, कैसे काम चलेगा ?

डा.सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, यह तो गम्भीर मसला है, आपको सही सूचना नहीं दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर सही सूचना भी नहीं दी है, यह तो आप कम से कम करिये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपको सही सूचना के लिए तो कहना चाहिए। सही सूचना नहीं दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश दिये है उसकी पालना हो जायेगी, कोशिश करेंगे रिक्त पदों को भरने की। (व्यवधान) पदों को भरने के लिए मंत्रीजी ने कह दिया है। हम रिक्त पदों को भरने की कोशिश करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : यह आपकी सरकार को डूबोने की कोशिश कर रहे है। आपको सरकार को ध्यान रखना, यह डुबो कर जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

अंकित नहीं हो । अंकित नहीं हो।

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री जीतमल खांट : xxx

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल बाड़मेर का है और जगह का नहीं है। और जगह के बारे में आप नहीं कह सकते। गलत बात है। श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल बाड़मेर का है। गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री अम्राराम (धोद) : xxx

श्री जीतमल खांट : xxx

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल बाड़मेर का है।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : मैं कह चुकी हूं, उन्हें कह चुकी हूं 20 स्थान रिक्त है, पूरा करें। हो गयी बात खतम। श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : यह केवल बाड़मेर का प्रश्न है, आपके अलग-अलग ... (व्यवधान) ...गलत बात है। नो,नो,नो।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री जीतमल खांट : xxx (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : 20 पद रिक्त है... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री जीतमल खांट : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री अध्यक्ष : मिस्टर अशोक बैरवा, मिस्टर अशोक बैरवा, मिस्टर अशोक बैरवा, नाम से पुकार रही हूं आपको मैं, स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अशोक बैरवा : xxx

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से पुकार रही हूं।

आसन अपने आपको दुरूस्त कर रहा है, 25 नहीं 8 ही स्थान रिक्त है क्योंकि सन् जो दिए गए थे उसमें मुझे गलतफहमी हो गयी थी और अब बाड़मेर मुख्यालय पर 8 स्थान रिक्त है। माननीय मंत्रीजी, शीघ्र कोशिश कीजिएगा उन्हें भरने की।

श्री अमराराम (धोद) : कब तक भर देंगे, एक समय सीमा तो हो। आप कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में 13 ये अभी 8 हैं तो समय की मंत्री महोदय सीमा बता दें कि इतनी समय सीमा में कर दिए जायेंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, उसके बारे में मैंने कह दिया है कि पूर्व सरकार के ऊपर आप यह जिम्मेदारी डालकर के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। अब आप क्या चाहते हो ? यह कह चुकी हूं मै। फिर क्या कहना चाहते हो ?

श्री अमराराम (धोद) : मेरा निवेदन तो यह है कि समय सीमा बता दें मंत्रीजी महीने का, बीस दिन का, क्योंकि मलेरिया का सबसे बड़ा वहीं प्रकोप है बाड़मेर और जैसलमेर में।

श्री अध्यक्ष : संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है। आप कर लीजिएगा, आर.पी.एस.सी. से सलैक्शन नहीं होता है संविदा के आधार पर...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आई डोंट अलाऊ। नेक्स्ट क्वश्चन । अब मैं किसी को अलाऊ नहीं करूंगी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : आपकी इजाजत से मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इजाजत दी है।

पाली जिला के पर्यटन स्थल

155. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (पाली) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में कहां-कहां, कौन कौनसे पर्यटन स्थल है ?

(2) इन पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं अपलब्ध करवाई गई तथा यहां प्रतिवर्ष औसतन कितने देशी/विदेशी पर्यटक आते हैं ?

(3) क्या सरकार पर्यटकों की संख्या में वृद्धि एवं पर्यटन स्थलों की सुन्दरता बढ़ाने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती उषा पूनिया) : (1) रणकपुर स्थित जैन मन्दिर एवं सूर्य मन्दिर जिला पाली के प्रमुख पर्यटक स्थल है। पर्यटन महत्व के अन्य स्थल मीरां बाई की जन्मस्थली ग्राम कुड़की, नोडोल, मकर मंडी माता, परशुराम महादेव, मुच्छाला महादेव, जवाई बांध, नारलाई, हस्तिकुण्डी-हथूंडी एवं राजकीय बांगड़ पुरातत्व संग्रहालय, पाली है।

(श्रीमती उषा पूनिया)

(2) पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पाली, रणकपुर एवं बर में क्रमशः पनिहारिन व शिल्पी होटल एवं मोटर बार राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित कराए गए है।

इसके अतिरिक्त सूर्य मन्दिर रणकपुर, पाली के संरक्षण कार्य पर रुपए 2.00 लाख व मीरां की जन्म स्थली कुड़की गांव में रुपए 9.08 लाख के विकास कार्य कराए गए है।

चूंकि पाली जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल रणकपुर ही है, अतः पाली जिले में पर्यटक आगमन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा रणकपुर की ही पर्यटक सांख्यिकी एकत्रित की जाती है। गत चार वर्षो की रणकपुर की पर्यटक सांख्यिकी निम्नानुसार है :-

वर्ष	देशी	विदेशी
2000	56949	23816
2001	61535	24144
2002	244436	13296
2003	175811	10261
मई,04 तक	92916	7530
कुल योग	**631647**	**79047**

(3) पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, इस क्रम में पाली जिले के सुप्रसिद्ध रणकपुर जैन मन्दिरों को भी प्रचारित किया जाएगा। पाली जिले के पर्यटक स्थलों की सुन्दरता बढ़ाने हेतु इस वर्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने देखा होगा वर्षवार आपने सूची दी है। इसमें रणकपुर के विदेशी पर्यटकों में हर साल कमी आ रही है और देशी पर्यटकों में भी इस साल कमी आई और 2004 की पर्यटकों की संख्या देखी जाए तो मैं समझता हूं कि पिछले दो-तीन साल की सबसे ज्यादा संख्या पर्यटकों की 2004 में रही है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)
मेरा यही निवेदन है कि जैसे आपने सूर्य मन्दिर में दो लाख रुपए खर्च किए है इसी प्रकार रणकपुर में और आस पास के क्षेत्र में जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से जुड़ा हुआ है और सैंक्चुरी एरिया है, उसके पास में आपने यहां दाखिल किया है कि परशुराम महादेव मन्दिर भी है।

रणकपुर से परशुराम मन्दिर तक एक रोप-वे का अगर काम हो जाए तो मैं समझता हूं कि हजारों ट्यूरिस्ओं को और आप आकर्षित करोगे और इस क्षेत्र की जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग इसको देखने आऐगें।

एक हथूंडी का आपने इसमें दर्शाया है। हथूंडी, मैं समझता हूं उदयपुर से इसको जोड़ा जाए तो खाली चार किलोमीटर का एक रास्ता बीच में रह गया है वह अगर जुड़ जाए तो हजारों लोग उसको देख लें। तो यह भी एक अच्छा काम हो जाएगा। यह मेरा आपसे निवेदन है। इसमें मैं सदन में आपसे आश्वासन चाहता हूं।

श्रीमती उषा पूनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने देशी पर्यटकों की संख्या का यहां बताया है 2003 में देशी पर्यटक संख्या 17581 ! था और हमने जो इनको मई,2004 तक खाली देशी पर्यटकों की संख्या बताई है तो वह अभी पूरा अपने साल बाकी है तो इसमें गिरावट आने की कहीं पर भी कोई सम्भावना नहीं है। मैं उम्मीद करती हूं कि इससे भी ज्यादा पर्यटक आएंगे।

जहां तक रोप-वे का सवाल था, रोप वे हमारी गवर्नमेंट की उसमें कहीं नहीं आता है। इसके लिए आप अपने कलक्टर महोदय से प्राइवेटली आप उसकी वो ले सकते है और आप उनसे निवेदन करके अपने स्तर से उसके लिए परमिशन ले सकते है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रणकपुर में...

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस इलाके का हूं। मुझे एक सवाल तो पूछने दीजिए। एक भी पूरक प्रश्न ...

श्री अध्यक्ष : आप पाली के कहां, आप तो सिरोही के है। आप कहां पाली के हैं। आप तो सिरोही के हैं ?

श्री संयम लोढ़ा : बिलकुल एडज्वाइनिंग है मेरा, अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न आप अलाऊ कीजिए।

श्री अध्यक्ष : हां पूछिए आप ।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि रणकपूर प्रसिद्ध जैन मन्दिर की वजह से पर्यटन से भी जुड़ा हुआ है लेकिन वहां मांसाहर की गतिविधियां बढ़ने से सारे धर्मावलंबियों में भारी चिन्ता है। राज्य सरकार के माध्यम से पाली के जिला कलक्टर को एक प्रस्ताव भेजा गया रणकपुर को अहिंसा क्षेत्र घोषित करने के संबंध में और सादड़ी नगरपालिका एवं उस क्षेत्र की पंचायत समिति दोनों ने ही संकल्प का अनुमोदन किया कि उसको अहिंसा क्षेत्र घोषित किया जाए।

तो, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार रणकपुर क्षेत्र को अहिंसा क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है ? और दूसरा आंध्रप्रदेश में कई धार्मिक स्थानों को होली सिटी घोषित किया गया है। क्या सरकार रणकपुर,पुष्कर इस तरह के तीर्थो को राजस्थान में भी होली सिटी घोषित करने का विचार रखती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : होली सिटी तो है ही यह।

श्रीमती उषा पूनिया : यह आपके पहले प्रश्न का मैं उत्त्र देती हूं कि हमारे पास अभी तक कोई भी अगर ऐसी शिकायत आई, हमारे पास मांस वाले जो आप कह रहे है विक्रय कर रहे है, उसकी कोई शिकायतें मेरे पास नहीं आई हैं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव चल रहा है। राज्य सरकार पाली के जिला कलक्टर को भेज चुकी है।

श्रीमती उषा पूनिया : प्रस्ताव होगा तो हम इस पर अवश्य ...

श्री संयम लोढ़ा : पाली जिला कलक्टर को राज्य सरकार यह प्रस्ताव भेज चुकी है और नीचे नगरपालिका ...

श्रीमती उषा पूनिया : वह मेरे हाथ में आते ही सबसे पहले मैं उस प्रस्ताव को देखूंगी।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास आएगा तो सरकार विचार करेगी। (व्यवधान)

श्रीमती उषा पूनिया : वह मिलते ही मै उस पर विचार करूंगी ।

श्री संयम लोढ़ा : मैं यह कह रहा हूं कि जिला कलक्टर इस प्रस्ताव को अनुमोदन दे चुके हैं और आप कह रहे हो मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं करूंगी, आपको जानकारी ही नहीं है कि आपके विभाग में क्या हो रहा है।

श्रीमती उषा पूनिया : उस पर हम विचार कर रहे हैं यह बोले हैं हम आपसे। हम विचार कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : जब अनुमोदन कर चुके तो मंत्री से क्या चाह रहे हो आप। जब अनुमोदन ले गये तो फिर कलक्टर से आप ही कहो ना कि क्यों नहीं कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । मोहम्मद मोहिर आजाद ।

स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति

156. **मोहम्म्द माहिर आजाद** (नगर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन स्वीकृति के मामले लम्बित हैं ? यदि हां, तो किन-किन के व कब से ? सरकार लम्बित प्रकरणों का निपटारा कब तक करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी प्रकरण सुलझाने तथा स्वतंत्रता सेनानियों की याद को चिर स्थायी

(मोहम्म्द माहिर आजाद)
बनाने हेतु उनके नाम से संस्थाओं /मांर्गो का नामकरण करने सम्बन्धी समिति को भंग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अब सरकार इन समितियों का पुन: गठन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) जी हां। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन स्वीकृति के लम्बित मामलों की स्थिति निम्नानुसार है :- (विवरण संलग्न)

1.	बैठक दिनांक 7.5.02 एवं 3.2.2003 के लम्बित प्रकरण	10
2.	बैठक दिनांक 19.4.2001, 7.5.2002 एवं 3.2.2003 में अस्वीकृत प्रकरण जो पुनर्विचार हेतु लम्बित हैं।	28
3.	दिनांक 3.3.03 से 28.8.2003 तक प्राप्त नये प्रकरण	50
4.	दिनांक 28.8.2003 के पश्चात् प्राप्त नये प्रकरण	5
	योग	293

समिति का पुनर्गठन होने के पश्चात् निस्तारण करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है।

(विवरण विधान सभ पुस्तकालय में रखा गया)

मोहम्म्द माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो आपने जो प्रश्न का उत्त्र दिया है, यह अधूरा दिया है। आप मेरे प्रश्न के खण्ड दो को देखें। इसमें मैंने आपसे पूछा यह है कि क्या स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी प्रकरण सुलझाने तथा स्वतंत्रता सेनानियों की याद को चिर स्थायी बनाने के लिये

(मोहम्म्द माहिर आजाद)

उनके नाम से संस्थाओं/ मार्गों का नामकरण करने सम्बन्धी समिति को भंग कर दिया गया है ? आपने इसका जवाब कहीं नहीं दिया कि आपने भंग कर दिया गया है ? आपने इसका जवाब कहीं नहीं दिया कि आपने भंग कर दिया, या नहीं किया है,कब किया है ? देख लें अपना उत्त्र। कहां दिया है आपने ?

आप तो कह रहे है पुनर्गठन किया जा रहा है, जब भंग ही नहीं किया तो पुनर्गठन काहे का कर रहे हो ? यह जवाब इसमें आपने नहीं दिया है।

दूसरा, मैंने इसमें आपसे पूछा है कि अगर भंग कर दिया गया है और आप पुनर्गठन करने का इरादा रखते है तो पुनर्गठन कब तक कर दिया जाएगा ? आप तो कह रहे हो राज्य सरकार के पास पुनर्गठन किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा संवेदनशील मामला है कि जिन लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिये यातनाएं सहीं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंटेड क्वेश्चन, भाषण नहीं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सुन लो। सवाल ही पूछ रहा हूं। आपको टोकने की जरूरत नहीं है...(व्यवधान) यह क्या हुआ ? यह क्या हुआ ...

श्री कनकमल कटारा : आपके इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं...

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिये। मेरा सवाल ही पूरा नहीं हुआ। यह काहे के लिये परेशानी हो गयी ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक प्रश्न का जो अभी... (व्यवधान) हां, सवाल का उत्त्र दे रहा हूं। बता रहा हूं ना। एक सवाल पूछा है, मैं उसका कारण बात देता हूं ना।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे सवाल पूछने की इजाजत दें। मेरा सवाल यह है कि यह प्रकरण स्वतंत्रता सेनानियों के जिन्होंने इस मुल्क को

(मोहम्म्द माहिर आजाद)
आजादी दिलाने के लिये अंग्रेजों के दौर में इतनी यातनाएं सही और यह मामले आपके पास विचाराधीन है...(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये। हो क्या रहा है आपको। इतने गम्भीर मामले पर भी आप लोग संवेदनशील नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपके पास में 293 प्रकरण अभी लम्बित हैं इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका स्वर्गवास हो गया, जो स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन के लिये आपके पास चक्कर लगा रहे थे, जिनके मामले यहां लम्बित थे। कृपया यह बताएं कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनका प्रकरण लम्बित रहते हुए देहान्त हो गया, एक तो उनके नाम बताइये।

दूसरा, यह समिति आपने भंग की, कब की और क्यों की ? इस समिति का पुनर्गठन आप कब तक कर देंगे।

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा था कि समिति का गठान, समिति के गठन में जो पुरानी समिति बनी हुई थी उसमें दो स्वतंत्रता सेनानियों का निधन होने के कारण उस समिति का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया तक फाइल जा चुकी है, वह हो जाने के बाद आपकी जो वेदना है, सभी माननीय सदस्यों की भी यह चिन्ता है। जितना आप सोच रहे है, उस पर हम सभी विचार कर रहे है। आपने जो पूछा है उस आधार पर समिति गठित होने के तुरन्त बाद ही इस पर विचार कर लेंगे।

दूसरा, आपने पूछा था कितने प्रकरण अभी तक ऐसे बाकी हैं जिनका निस्तारण किया जाना शेष है...

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने दे दी लिस्ट। दुनिया से चले गये, पूछा ही नहीं आपने। दूनिया से चले गये तो पूछा ही नहीं आपने। पूछा ही नहीं है आपने।

श्री कनकमल कटारा : मृतक स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से राज्य के विभिन्न...

एक माननीय सदस्य : आपने मरवा दिया उनको तो ...

मोहम्मद माहिर आजाद : 293 में से कितनों का स्वर्गवास हो गया ...(व्यवधान)

मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। एक मिनट रूको तो सही, मुझे मालूमं है...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : जिलेबार लम्बित सूची मेरे पास उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : आपने दे दिया ना 293 । यह लिस्ट दे दिया ना । 293 लम्बित है, दे दिया ना।

श्री कनकमल कटारा : मृत स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रकरणों के नाम की सूची संलगन है। कुल 70 है और आप चाहो तो मैं नाम जिलेबार...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इनके नाम नहीं पूछा है। आप सदन को गुमराह मत कीजिये। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि जो 293 स्वतंत्रता सेनानियों के मामले आपके पास लम्बित है, इस पेडेंसी के दौरान कितने लोग उसमें से स्वर्ग सिधार गये, पहले तो आप उनकी सूची बताइये।

श्री कनकमल कटारा : यह पेंडिंग पूरे ... (व्यवधान) मैने अभी बताया कि कुल 70 प्रकरण लम्बित हैं...(व्यवधान)

डा.सी.पी.जोशी : 1947 से पेंडिंग हैं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं जानकारी दे सकता हूं, 99 से लम्बित हैं और जो स्वर्गवासी हो गये हैं, आपके जमाने में हो गये ...(व्यवधान) आपके जमाने में कोई कार्यवाही नहीं की।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप का काम प्रश्न का उत्त्र देना नहीं है। आप विराजिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : He was not supposed to reply those questions.

श्री हेमाराम चौधरी : मुख्य सचेतक हो लेकिन बार-बार खड़े होकर मंत्री का जवाब क्यों देते हो ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं दे सकता हूं। मुझे अधिकार प्राप्त है... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि समिति भंग की है, भंग नहीं की गयी है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अभी जो लम्बित प्रकरण हैं 293, उसकी सूची मेरे पास है तो मैं पूरी जिलेवाइज बता देता हूं...

मोहम्म्द माहिर आजाद : मेरे पास भी है। उनमें से कितने लोगों का स्वर्गवास हो गया, वह बताइये जिनका स्वर्गवास हो गया है।

श्री कनकमल कटारा : प्रकरण यह समिति गठित होगी, उसमें हम पता करके पूरा आपको बता देंगे क्या स्थिति है। अब स्थिति ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी बताइये ना, या मैं बताता हूं। माननीय अध्याक्ष महोदय इनके पास जानकारी नहीं हे तो मै बताता हूं...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : आज की स्थिति मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि प्रकरण है, लम्बित है, बैठक होगी और उसके बाद ही होगा ना। इससे पहले हम कैसे कर पायेंगे।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : अभी मंत्रीजी है, वह जवाब दे रहे है। जब मंत्री बन जाओ तब आप जवाब दे देना।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, जिनको सरकार बहुत सम्मान देना चाहती है, वह अपने प्रकरण के लिये ही चक्कर लगा रहे है, महीनों से समिति भंग पड़ी है और उसमें से कितने लोग स्वर्ग सिधार गये, आप उनकी सूची बता दें ।

श्री कनकमल कटारा : मेने अभी बताया कि दो महीने के अन्दर समिति गठित हो जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : समिति तो हो जाएगी ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : कांग्रेस राज के अन्दर जो समिति बनी थी उस समिति के अन्दर ...(व्यवधान) प्रमाण पत्र दिये थे। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रमाण पत्र दिया कांग्रेस की सरकार ने।

श्री मदन दिलावर : आपको ज्यादा चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है...(व्यवधान) आज तो ज्यादा चिन्ता करते हो। आपसे ज्यादा चिंतित है सरकार।

मोहम्मद माहिर आजाद : चिंतित होती तो आठ महीने से समिति भंग नहीं करती।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा जवाब तो दिलवाओं। मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है।

श्री सी.डी. देवल : एक मंत्री के पीछे चार-चार मंत्री खडे हो गये।

श्री हेमाराम चौधरी : सभी मंत्री खड़े हो गये ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके समय से लम्बित है ...(व्यवधान) स्वतंत्रता सैनानियों का मामला है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों की बात ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : लेकिन जब समिति बनेगी दो महीनों के अंदर ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : संसदीय मंत्री जवाब दें, नहीं तो सबको ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : दूसरे कैबीनेट के आदमी कैसे खड़े हो जाते हैं। बीच-बीच में सवाल-जवाब करते हैं। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ है ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, नहीं तो मैं बताऊं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मि. अशोक बैरवा, हर बात पर उठना आवश्यक नहीं है, कृपया स्थान ग्रहण कर लें, एक सेकण्ड, मैं कह दूं। उनके पास जितनी सूची थी, जितनी सूचना थी वह मंत्रीजी ने दे दी ... (व्यवधान) सुनिये, आप बात पूरी सुनिये। आप बीच में ना बोला करें। मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य आपने यह तो पूछा नहीं था कि यह कब भंग हुई। ना तो इसमें यह है कि समिति कब भंग हुई, ना तो आपने यह प्रश्न पूछा है।

मोहम्म्द माहिर आजाद : भंग हुई है यह तो पूछा है। इन्होंने इसमें भंग का ही जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, भंग का आपने नहीं पूछा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पढ़े प्रश्न ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैने पढ़ लिया। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : मैं कह रहा हूं कि दो स्वतंत्रता सेनानियों के निधन के कारण से समिति भंग हुई है और दो महीने के अंतराल में हम करवायेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्न पढ़ लिया है। (व्वधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, समिति को भंग कर दिया गया है

श्री कनकमल कटारा : आप ऐसा कैसे बोल रहे हो ? कितने मर गये हैं, यह भी नहीं पूछा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने भंग करने के बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्ष : आपने पुनर्गठन के बारे में पूछा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पढ़ लें। मैंने भंग करने के बारे में पूछा है। एक सेकण्ड पैराग्राफ़ में पढ़ता हूं, एक मिनट आप बिरजें, मै पढ़ता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका प्रश्न पढ़ रही हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां पढ़े।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका प्रश्न पढ़ रही हूं। क्या यह सही है कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन स्वीकृति के मामले लम्बित हैं, यदि हों तो कौन-कौन से पेंशन संबंधी (व्यवधान) हां, सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, दूसरा खण्ड पढ़े।

श्री अध्यक्ष : हां, दूसरा पढ़ लेती हूं। क्या यह सही है कि स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी प्रकरण सुलझाने तथा स्वतंत्रता सेनानियों की याद को चिरस्थायी बनाने हेतु उनके नाम से संस्थाओं, मार्गों का नामकरण करने संबंधी समिति को भंग कर दिया गया है।

मोहम्म्द माहिर आजाद : पूछा है ना, भंग कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नामकरण संबंधी, प्लीज हियर मी।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह एक ही होता है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज हियर मी, सुनिये ।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक ही होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे ना बोलें। जब मैं बोल रही हूं तो पूरी बात सुनिये । नामकरण संबंधी समिति के बारे में आपने पूछा है कि यदि हां तो क्या सरकार इन समितियों को पुनर्गठन करने का विचार रखती

(श्री अध्यक्ष)

है ? यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों ? लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन स्वीकृति किये जाने के बारे में जो समिति बनी हुई है वह समिति कब से काम नहीं कर रही है और कब भंग की गयी यह प्रश्न आपने नहीं पूछा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैडम, एक मिनट, अब आप बिराजें, अब सुनिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : मैडम ने बता दिया ना अब ।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या यह सही है कि पेंशन संबंधी ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है, इनके पास सूची नहीं है। मैं आपको बताता हूं झुंझुंनू के नूनवा के सूरजमल का स्वर्गवास हो गया, मेरे नगर के ...(व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर तो आपको भी बोलना चाहिए ...(व्यवधान) वह लोग परेशान होते रहे, उनकी पेंशन का क्या होगा, मंत्रीजी बताने के लिए तैयार ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता,प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में, सरकार बने हुए सात महीनों से ऊपर का समय हो गया और उसके बारे में जो कमेटियां बनी हुई थी, परमानेंट कमेटियां थी, एक्स ओफिसिओं, एक तरह से चेरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उसके बारे में निर्णय नहीं लेवें और सरकार ढ़ग से जवाब नहीं दें, मैं समझता हूं कि यह स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी, उनका अपमान है और यह अपमान कांग्रेस पार्टी सहन नहीं कर सकती है, इसलिए मैं और मेरा दल बर्हिगमन करता है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि यह सारे मामले कांग्रेस के जमाने से लम्बित हैं। उन्होंने उस समय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कोई विचार नहीं किया और आज जिस प्रकार का +++ व्यवहार यह कर रहे हैं, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए, यह निंदनीय है, मैं इसकी निन्दा करता हूं। राज्य सरकार इस बारे में बहुत सर्तक है और अपना फैसला तत्काल लेने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

भगोवा ग्राम (सीकर) की सम्पर्क सड़क

157. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम भगोवा, पंचायत समिति पिपराली को अब तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब उक्त ग्राम सड़क को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां, क्योंकि ग्राम भगौवा की जनसंख्या 2001 की अनुमानित जनगणना के अनुसार 431 है एवं वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 एवं अधिक जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण राज्य की अन्य किसी योजना में भी इस सड़क को किसी योजना में जोड़ा नहीं जा सका।

(2) जी हां। इस ग्राम को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क सकराय (2001 की अनुमानिक जनगणना के अनुसार जनसंख्या 931) में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यह सम्पर्क सड़क वन क्षेत्र में आती है। अत: वन विभाग की स्वीकृति के पश्चात् ही इस सड़क के प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जाना सम्भव हो सकेगा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि पांच साल पहले उनकी जनसंख्या 500 थी और अभी मैं वहां गयी, वोटों के दौरान तब उनकी संख्या 405 है तो पिछली सरकार ने उन पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। 50 साल से आज तक उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है, न वहां पानी है, न सड़क है। डिलीवरी के लिए वहां कोई सुविधा नहीं है। कंधे घर बैठाकर या चारपाई पर लेटाकर के उनको नीचे लाया जाता है और 13 किलोमीटर पर पहाड़ी दुर्गम मार्ग पर यह लोग बसे हुए है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने जो गलती की है वह अपनी सरकार नहीं करे। मुझे अपनी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं आप कृपया बताए।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आप वह गलती मत करना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्या ने जो मूल प्रश्न किया वह ग्राम भगोवा को सड़क से जोड़ने का किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 तक 500 तक के आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यह 500 की आबादी में आता नहीं परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जो सम्पर्क सड़क सिकराय पर इस सम्पर्क सड़क के 11.5 किलोमीटर पर यह भगोवा गांव भी आता है। इस सड़क के प्रस्ताव 4445 लाख के हमने प्रस्तावित कर रखे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में यह सड़क पात्रता रखती है। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क निर्माण में बीच में वन भूमि आती है और उस वन भूमि के लिए हमें अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक रहाता है। हमने इसके लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है और मैं माननीय सदस्य आपसे भी कहूंगा कि हमने जो आपने उप वन संरक्षक हैं उनको भी लिखा है और उसका रिमांइडर भी दिया है। यह जो सम्पर्क सड़क सिकराय है उसकी एन.ओ.सी. हमें वन विभाग से मिलते ही यह सड़क बन जायेगी तो आपका यह भगोवा गांव 11.5 किलोमीटर पर स्थिति है वह गांव स्वत: ही जुड़ जायेगा। मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करें ।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न कर रहा हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका क्या है ?

श्री हेमाराम चौधरी : मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया ... (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी वाक आउट कर गई है और आप बोल रहे है ? श्री मंगलाराम गोदारा ।

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर न करें। आप बहुत व्यवधान डाल रहे है। बिना बात के खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) पहले उनका जवाब आने दीजिए। बहादुरसिंहजी गोदारा के प्रश्न का उत्तर आने दीजिए। (व्यवधान)

पास बुक में दर्ज भूमि की किस्म व कीमत के आधार पर क्रेडिट कार्ड

158. **श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार किसान की भूमि की पास बुक को अधिकृत (अथोरिटेटिव डाक्यूमेंट) दस्तावेज मानने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार किसान की पास बुक में दर्ज भूमि की किस्म व कीमत के आधार पर किसान को क्रेडिट कार्ड जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : (1) जी हां। प्रकरण का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा राजस्व पास बुक के आधार पर भी कृषि भूमि धारक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्रीजी से मैं यह क्लेरीफिकेशन चाहूंगा कि यह आप कब तक कम्पलीट करवा देंगे और दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां काश्तकारों को जमीन की कीमत के हिसाब से कोई ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करती और केवल नाम मात्र का ऋण जारी करती है, नाममात्र के क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ काश्तकारों को पिछले अकाल की वजह से पैसे नहीं दिए गए, उन काश्तकारों के क्रेडिट कार्ड बने भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसानों की इस पास बुक को आथेरीटेटिव डाक्यूमेंट बनाया जाए। काश्तकार जब क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जाता है तो उनसे कई प्रकार के डाक्यूमेंट मांगे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए, प्रश्न।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : मेरा आपसे यही निवेदन है कि क्या आप यह सोचते हैं कि किसान को उसकी जमीन की कीमत के आधार पर, यदि उसकी जमीन की कीमत एक बीघा की 20 हजार है या 50 हजार है या 1 लाख है तो उसका 50 प्रतिशत तक क्रेडिट देने का इरादा रखते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी प्रश्न के संदर्भ में मंत्री महोदय से निवेदन है कि किसान की जमीन की कीमत तहसीलदार या कलक्टर आंकता है उसके मुताबिक बैंक ऋण नहीं दे रहे। 8 लाख की जमीन है अगर तो बैंक केवल 1500 रुपये बीघा के हिसाब से काश्तकार को क्रेडिट कार्ड बनाकर दे रहे हैं। अगर 10 बीघा जमीन है तो उसको 15 हजार रुपये भी वह नहीं दे रहे है। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय सरकार की ओर से कुछ डाइरेकशन देना चाहेंगे कि किसान को उसकी जमीन के मुताबिक जैसे 8 लाख रुपये की जमीन अगर तहसीलदार और कलक्टर ने तय कर दी तो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख या 50 हजार रुपए की क्रेडिट उसको मिलेगी ?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों...

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : एक सैकण्ड, इसी से रिलेटेड है यह। पिछले दिनों में जो क्रेडिट कार्ड बनाए गए, प्रति बीघा जो खाकी जमीन है, एक फसली जमीन है उसका 1200 और 1500 रुपए प्रति बीघा उनको लोन दिया जाता है और जो सिंचित जमीन है उसका 3000 रुपए दिया जाता है जबकि उनकी जमीन। बीघा पीवल, 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए की होती है और कुल मिलाकर 25-40 बीघा जमीन रखने के बाद 20 हजार रुपए आते हैं उसके हाथ में।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए, माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत : तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि बैंकों को इस प्रकार के इंसट्रक्शन जारी करें कि उनको ऋण मंजूर किया जाए। यह कृपा करें। यदि बैंकों को खाकी जमीन के, एक खाकी जमीन के 10 हजार रुपए और पीवल जमीन है, इससे कम से कम काश्तकारों की सारी समस्याएं मीट आउट हो जाए, उसे 15 हजार रुपए तक का लोन दिया जाए।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न कर्ता ने पूछा है कि पास बुक को अधिकृत दस्तावेज मानते हैं या नहीं ? राजस्थान पास बुक कृषि जोत अधिनियम, 1983 के अनुसार काश्तकार जो भूमिधारी है, उन भूमिधारियों की अपनी जितनी जमीन है उसकी पास बुक में प्रविष्टि कर दी जाए, इसी को आधार मानकर काश्तकार अपनी जमीन के सम्बन्ध में जितनी भूमि वह धारी है, वह बार-बार उसको देखना नहीं पड़े और जो चार साल से चौसाला वगैरह होता है उसके आधार पर यदि कोई प्रविष्टि छूट जाती है तो अपनी पास बुक के आधार पर वह बता सकता है कि यह मेरी जमीन है। इस आधार पर 1983 का जो कृषि जोत पास बुक का एक अधिकृत दस्तावेज है।

दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या इस दस्तावेज के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड यानी साख, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय,

(श्री रामनारायण डूडी)

जमीन की कीमत नहीं आंककर अभी जिस प्रकार के मामले चल रहे हैं वह फसल के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बांधा जाता है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : जमीन की कीमत आपने आंक रखी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : मैं निवेदन करना चाहूंगा हूं कि अभी ... (व्यवधान) ।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया : बैंक जमीन की कीमत अपनी मर्जी से तय कर रहे हैं। फसल उसमें नहीं है नियमों में, 50 हजार रुपए, लाख रुपए की फसल पैदा हो रही है उसकी भी 1500 रुपये की कीमत आंक रहे हैं वह (व्यवधान) ।

श्री हेमाराम चौधरी : मंत्रीजी के और चेयर के बीच में चीफ व्हिप घूम रहे हैं, यह नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है,

श्री अध्यक्ष : आपको क्या हो गया है माननीय सदस्य ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : चीफ व्हिप घूमते ही रहेंगे, ऐसे में नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है ? नियमों की और आपका ध्यान दिला रहा हूं।

श्री रामनारायण डूडी : गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्यजी, जरा आप बैठिए और आराम से किसान की बात को सुनिए। मेरा निवेदन यह है कि पास बुक देना और उसके आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाना, ये दो इश्यू हैं।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : कीमत क्या है ?

श्री रामनारायण डूडी : मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर आप उससे संतुष्ट न हो तो बाद में पूंछ लेना। जो आपकी बात आई है, भूमि की किस्म या भूमि के आधार पर उसका विश्लेषण, अभी जो फसली ऋण दिए जाते हैं उनमें नहीं होता है। केवल फसली ऋण इस आधार पर दिए जाते हैं कि तीन साल का

(श्री राम नारायण डूडी)

मार्केट का स्केल क्या है। जैसे बाजरा है, यदि तीन साल तक वह बाजरा बोता है और वह 10 हैक्टेयर जमीन बोता है तो ढ़ाई हजार रुपए या जो भी वहां स्केल है, उसके आधार पर, उसकी 25 हजार रुपए की क्रेडिट बांध दी जाती है और वह 25 हजार रुपए का चैक बुक दे देता है। जब वह फसल ऋण लेना चाहता है, वह बैंक में गया और अपना चैक काटा और वापस उसके बीच में, मैं निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दूसरा है।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया : माननीय मंत्री महोदय, आप इसकी पुनरीक्षण करवाएं, आप इसका पुनरीक्षण करवाएं कि जमीन की कीमत के हिसाब से काश्तकार को लाभ नहीं मिल रहा है और आपसे मेरा निवेदन यह है कि अगर फसल के हिसाब से करें तो उसका भी पुनरीक्षण करवा लो कि 5 लाख जमीन है तो मिनिमम उसे 50 हजार रुपए तो मिलने ही चाहिए।

श्री रामनारायण डूडी : मैं वहीं निवेदन करने जा रहा हूं। हमारी सरकार आने के बाद के अंदर ...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। इनका प्रश्न यह है कि जमीन की कीमत के हिसाब उनको ऋण मिलना चाहिये आपने रजिस्ट्री की कीमत तय कर रखी है, हर खेत की, हर गांव की, उसके हिसाब से लोन मिलना चाहिए। हम यह नहीं कहते ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह भूमि की किस्म पर निर्भर करता है। (व्यवधान) उस हिसाब से तय होता है। फसली भूमि अलग-अलग प्रकार की, लाइम जोन है, सेण्डी जोन है, फर्स्ट है, सैकण्ड है, उसके हिसाब से होता है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से आपकी

(श्री अशोक बैरवा)

सहकारी संस्थाएं, बैंक संस्थाएं, किसानों को खुले रूप से लूट रही है। क्या आपको इसकी जानकारी है ? क्या आप किसानों को ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : वह अलग से पूछा है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : लूट-खसोट तो वर्षो से होती आ रही है। यह लूट तो पहले से ही हो रही है। और यह लूट बंद होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : किसान को खुले रूप से लूटा जा रहा है, क्या आप इस लूट को बंद करने का विचार रखते हैं ? क्रेडिट कार्ड के नाम से सैंकड़ों चक्कर लगाने के बावजूद भी किसानों को कार्ड नहीं मिलते और मिलते हैं तो ...(व्यवधान) । आप इन क्रेडिट कार्ड को मनमर्जी से नहीं दें।

श्री रामनारायण डूडी : इस बारे में जानकारी मांगी गई है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : इस क्रेडिट कार्ड के नाम से सैकड़ों चक्कर लगाने के बावजूद भी किसानों को कार्ड नहीं देते और मिलते है तो मिलने पर वो जैसा चाहे करते हैं और अगर सेवा कर दें तो आपके किसान क्रेडिट कार्ड को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) श्रीमती वसुंधरा राजे।

(12.00 बजे)

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं

श्री रामनारायण विश्नोई, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या 141) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चंद कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं श्री रामनारायण विश्नोई, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-141) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रामनारायण विश्नोई, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या 141) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : विभाजन संख्या-141 है। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवललाल।

श्री सांवरलाल (सिंचाई मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रामनारायण विश्नोई, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या-141) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

डा. सी.पी. जोशी : प्रस्ताव में तो करेक्ट कराओं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, 141 ही है रामनारायण विश्नोई।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं करेक्ट करता हूं, 141 संशोधित करता हूं, क्षमा चाहता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : प्रस्ताव में तो करेक्ट कराओं 4 है या 141 है ?

श्री अध्यक्ष : 141 । श्री कनकमल कटारा ।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्रीमती वसंधरा राजे, विभाजन संख्या-155 ने प्रस्तुत किया है और जिसका अनुमोदन श्री गुलाब चंद कटारिया, विभाजन संख्या 35 ने किया है को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृति)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एकाध प्रस्ताव इधर से भी ले लिया जाता। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निष्पक्ष होते हैं, जब अध्यक्ष का चुनाव भी जैसे आपका हुआ है, कल्लाजी ने भी प्रस्ताव किया था, जब उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं बनाया तो चारों प्रस्ताव उधर से ही लेने जरूरी थे क्या ? एक प्रस्ताव इधर से भी ले लेते तो सर्तसम्मति से उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता।

श्री अध्यक्ष : सर्वसम्मति से किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इस गाड़ी को आप इकतरफा चलाना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता थे नहीं, बाहर गये हुए थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोई तर्क थोड़े ही होता है कि नहीं थे। यह इकतरफा गाड़ी चलाना चाहते हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको पता तो है नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस दिन पानी की मीटिंग भी थी, आपको याद है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नोमिनेशन का समय 4-5 दिन का होता है। (व्यवधान) तब तो यहीं थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नोमिनेशन का दिन केवल शनिवार था और आपकी सहमति से ही हुआ है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई सहमति नहीं ली गई ।

मोहम्मद माहिर आजाद : चुनाव इकतरफा है, यह चुनाव नहीं कर रहे हैं आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चलो, हमारे बहुमत से हुआ, यह समझ लो।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुमत से क्या हो गया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : सर्वसम्मति नहीं थी तो आप कोई प्रस्ताव लाते।

मोहम्मद माहिर आजाद : सर्वसम्मति का प्रस्ताव लाते आप। अध्यक्ष के चुनाव में बात की थी ।

एक माननीय सदस्य : अब निर्विरोध हो गया ।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष के बारे में ये बातें कहना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप आसन को भी बी.जे.पी. का बनाना चाहते हो क्या ? यह क्या तरीका है ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप नहीं चाहते कि चुनाव सर्वसम्मति से हो। आप नहीं चाहते रामनारायण जी विश्नोई सर्व सम्मति से उपाध्यक्ष होते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोई तरीका नहीं है। हमारा सहयोग नहीं लियां हम क्यों जाएंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात बता दी, अब स्थान ग्रहण करें। श्री रामनारायण विश्नोई, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या 141) राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये।

(तत्पश्चात् सदन की नेता श्रीमती वसुंधरा राजे, डा. बुलाकीदास कल्ला, नेता प्रतिपक्ष व अन्य माननीय सदस्यों ने श्री रामनारायण विश्नाई को उपाध्यक्ष के नियत स्थान पर बिठाया)

यह बधाई देने का काम बाद में कीजिएगा। पहले अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) यह गलत है इसलिए मैंने कहा कि अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। बधाई देने का काम बाद में होता है।

श्रीमती वसुंधरा राजे, नेता।

बधाई

श्रीरामनारायण विश्नोई के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज बधाई देना चाहती हूं अभी उपाध्यक्षजी का निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ। आदरणीय विश्नोईजी, जो आज डिप्टी स्पीकर के पद पर चुने गए हैं मेरी तरफ से मेरी पार्टी की तरफ से मैं बधाई देना चाहती हूं और मैं यह विश्वास करती हूं कि हाउस की

(श्रीमती वसुंधरा राजे)
जो परम्पराएं हैं वो आपके अंदर बिलकुल ही सुरक्षित रहेंगी। इतना कहकर मैं आपको फिर से बधाई देना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : नेता,प्रतिपक्ष।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण विश्नोई, जो फ्लौदी से चुनकर आये हैं उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्म्ति से उनका चुनाव होने पर अपनी और से और मेरे दल की और से उनको बधाई देता हूं। लेकिन आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं जिस तरह से आपके चुनाव के वक्त में सदन में जो सर्वसम्मति बनी थी चुनाव से पहले भी यदि वो ही सर्वसम्मति बनाते, हमने ग्रेस रखा कि हम कोई प्रस्ताव नहीं लाये और हम एक तरीके से ऐसे लोकतांत्रिक पद के लिए, जो हमारे सदन को चलाता है वहां किसी प्रकार का वाद-विवाद करना नहीं चाहते थे, विवाद खड़ा नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमारे दल ने ग्रेस रखा और उपाध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव नहीं होने दिया, लेकिन सदन के नेता को और जो बहुमत में हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो हमारा सर्वोच्च सदन है उनके आसन पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए सर्वसम्मति से चुनाव हो तो ज्यादा अच्छा हो। चूंकि यह सदन विद्याथी कार्यो का संचालन करता है, हमारे संविधान के भी तीन प्रमुख अंग है विधायी कार्य जिसमें लेजिस्लेटिव वर्क, संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीन प्रमुख अंग हैं हमारे संविधान के। विधायिका यहां कानून बनाने का काम करती है, कानून जिस समय बनता है उस समय आप जानते हैं सदन में क्या स्थिति रहती है इसलिए आपने एक दिन का प्रबोधन कार्यक्रम चलाया । मैं चाहता हूं विधायी कार्यो के लिए वक्तन -वक्तन ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन आप और उपाध्यक्ष महोदय मिलकर करायें ताकि लेजिस्लेटिव वर्क ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रदेश में हो। बहुत से ऐसे कानून हैं जिनका कोई रेलवेंस नहीं रह गया है उनको समाप्त करें। नये कानूनों की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए यह सदन ज्यादा से ज्यादा काम करे और एक्जीक्यूटिव के रूप में जो विधायक उसका एक्जीक्यूटिव पार्ट हैं, वे अपना एक्जीक्यूशन में और एक्जीक्यूटिव पद को निभाते हुए अच्छा काम करें इसके लिए उनको पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं आप दोनों मिलकर इस सदन के

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

गरिमामय संचालन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और सदन को प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार चलाते हुए सदन में हमेशा न्याय प्रदान करेंगे। मैं पुन: अपने दल की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं और इनको पुन:बधाई देता हूं, धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम ।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उपाध्यक्ष के रूप में माननीय रामनारायण जी विश्नोई को सर्व सम्मति से चुना गया है इसके लिए मैं उसको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं सदन की परम्पराओं के अनुसार चलाने में रामनारायण जी का काफी अनुभव है और इस सदन की गरिमाओं को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं पुन: उपाध्यक्ष चुने जाने के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : मैं मेरी पार्टी की ओर से माननीय रामनारायणजी विश्नोई साहब को उपाध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले दूसरी पार्टीज को बोल लेने दीजिए, फिर बोल लेना।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधान सभा के लिए श्री रामनारायणजी विश्नोई को उपाध्यक्ष सर्व सम्मति से बनाया गया है। मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय रामनारायण जी विश्नोई, जो इस सदन के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं, उनको वैसे तो पूरे सदन ने आपको बधाई दे दी है लेकिन मैं भी एक निर्दलीय की हैसियत से, और मेरे बहुत सारे साथी है, उन सब की भावनाएं मैं व्यक्त करना चाहता हूं, इस बात को कि आप जैसे सुलझे हुए व्यक्तित्व जब हमारे इस आसन पर बिराजेंगे तो निश्चित ही हम सब को

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

भी मार्गदर्शन और सीखने का मौका मिलेगा। और मैं सभी की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई और आपके चिरायु की कामना करते हुए धन्यवाद देता हूं।

श्री बाहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : माननीय अध्यक्ष माहेदय, मैं मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से श्री रामनारायण विश्नोई के निर्विरोध उपाध्यक्ष चुनने पर बधाई देता हूं और सदन में यह बहुत अच्छी परम्परा रही है। यह परम्परा आगे भी जारी रहे, मैं ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : और कोई दे रहे हैं बधाई ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र अवसर पर आप कहो तो दो निवेदन...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलो, छोड़ो। (व्यवधान) आप बधाई दे दो, साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे तो बधाई दे देने दीजिए। इतनी जल्दी ना करें, मुझे भी बधाई देने दो।

माननीय सदस्य, फलौदी से आने वाले माननीय रामनारायणजी विश्नोई जो तीसरी बार चुनकर सदन में आये है। ये केवल ऊर्जा मंत्री और कृषि मंत्री ही नहीं रहे बल्कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नई दिल्ली में एक अन्तरराष्ट्रीय पब्लिशिंग हाउस है जिसने इन्हें सर्वोच्च नागरिक के पुरस्कार से नवाजा है। ऐसे व्यक्ति सत्ता पक्ष का तो मैं इस बारे में धन्यवाद नहीं, लेकिन प्रतिपक्ष को यह अवश्य देना चाहूंगी कि सर्वसम्मति से जैसे अध्यक्ष का चुनाव किया था उसी प्रकार से आप लोगों ने सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को सर्वसम्मती से जो चुना है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और श्री राम नारायणजी से उपाध्यक्ष के रूप में मैं यह उम्मीद करती हूं कि वह इस सदन की गरिमा और परम्पराओं को बनाए रखेंगे, निष्पक्ष होकर इस आसन पर बैठेंगे और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही पक्षों को अपने व्यवहार से, अपनी व्यवस्थाओं से संतुष्ट करेंगे। इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं सदन की ओर से, अपनी ओर से उन्हें बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देती हूं।

श्री रामनारायण विश्नोई (माननीय उपाध्यक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं और हमारी सदन की नेता श्रीमती वसुंधरा राजे का, जिनके आर्शीवाद से और आप सब के सहयोग से मुझे निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने लगभग 40 साल के राजनीतिक सफर में मुझे यह कल्पना भी नहीं थी कि आज इस गरिमामय पद पर मुझे आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरा जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। मेरी शुरू से ही भावना रही है कि गांव व गरीब किसान व मजदूर की सेवा कर सकूं। यह कार्य मैंने बी.ए.,एल.एल.बी की परीक्षा में बीकानेर डूंगर कालेज से सफलता प्राप्त करके जोधपुर में सन् 1955 में वकालत का पेशा अपनाकर शुरू किया था जिसमें इसको सफलतापूर्वक मैंने हजारों गरीबों को न्यायालयों से न्याय दिलाया। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आन्दोलनों में भी भाग लिया। प्रदेश का विकास करने के लिए, गांवों का विकास आवश्यक है, गांव के गरीब लोगों के अदालतों में चल रहे मुकदामों में सच्चे व्यक्ति की निशुल्क सेवाएं करने में मदद की, भारतीय गणतंत्र में विधायिका के माध्यम से, किसानों, मजदूरों व व्यापारियों आदि को आवश्यक कानून बनाकर न्याय दिलाया जा सकता है और कार्यपालिका के माध्यम से ऐसे कानूनों का सही क्रियान्वयन किया जाना भी आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से राजनीति कार्यो में मैंने 1967 से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था व मुझे पूरा संतोष है कि इसमें अपने कर्तव्य की पालना सफलतापूर्वक कर सका हूं। मुझे इस बात का भी गर्व हैं कि मुझे अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बातये हुए मार्ग पर आपकी दी गई जिम्मेदारी पर निष्पक्षता से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर प्रदान करने का प्रयत्न करूंगा। मैं इस अवसर पर हमारे माननीय सदस्यों जिन्होंने मेरा समर्थन किया और प्रस्ताव किया उनका भी आभारी हूं, विपक्ष के नेता बी.डी. कल्ला का भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं भरोसा दिलाता हूं कि इस बात की पूरी चेष्टा करूंगा कि सदन निष्पक्षता से चले और मैं इस सदन की गरिमा जिसे देश में गौरव प्राप्त है, उस गरिमा को हम लोग कायम रखें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आप सब के सहयोग की कामना करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचाना प्राप्त हुई है :-

मोहम्मद माहिर आजाद एवं 13 अन्य सदस्यों की और से पंचायती राज संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को अकारण बर्खास्त करने के संबंध में।

उक्त प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। आप मांग पर चर्चा के समय इस विषय पर अपने विचार रख सकते हैं।

मांग पर चर्चा के समय इस विषय पर विशद रूप से अपने विचार प्रकट करने का आपको अवसर मिलेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : स्वायत्त शासन में कर लें।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन की नहीं है, पंचापयती राज की है, उसमें कर लीजिए और उसमें वह भी कर लीजिए।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री बहादुर सिंह गोदारा, सदस्य की और से कृषि महाविद्यालयों को अनुदान की राशि प्रदान करने के संबंध में।

2. श्री कान्ति प्रसाद मीणा, सदस्य की ओर से अलवर जिले में खनन कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करवाने के संबंध में।

3. श्री मांगी लाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की कतिपय सड़कों को पक्का कराये जाने के संबंध में।

4. श्री रिछपाल मिर्धा, सदस्य की ओर से जिला नागौर में सांसद विकास कोष की राशि का दुरूपयोग होने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के पद रिक्त होने के संबंध में।

6. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी के पंचायत मुख्यालय खटकड़ से गुजर रही सड़क की मरम्मत करवाने कें संबंध में।

7. श्री सी.डी. देवल, सदस्य की ओर से रायपुर तहसील में लूनी नदी पर बने हुए दीपावास बांध से नीचे के गांवों के सैंकड़ों काश्तकारों की फसल बरबाद होने के संबंध में।

8. श्री हेमराज मीणा, सदस्य की ओर से लोक जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत संचालित मुक्तांगन प्राथमिक विद्यालयों की शीघ्र शुरू करवाने के संबंध में।

9. डा. श्री गोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की पेयजल समस्या के संबंध में।

10. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची, सदस्य की ओर से वन भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने के संबंध में।

11. श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से श्री डूंगरपुर तहसील की सैल्स टैक्स संबंधी पत्रावलियां चूरू से बीकानेर स्थानान्तरण करने के संबंध में।

12. श्री बाबूलाल नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू के गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 19 जुलाई को पर्चियो जो निकली हैं वह निम्न प्रकार है:-

1. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सिंचाई संबंधी समस्याओं के बारे में।

2. श्री संयम लोढ़ा द्वारा शिवगंज अस्पताल में ताले लगने की नौबत के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री जयराम जाटव, विधान सभा क्षेत्र खैरथल में कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी के संबंध में।

4. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, जोधपुर के जलाशय के सुधार हेतु।

इन पर्चियों पर 295 के बाद दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव निरस्त किया है और आपने व्यवस्था दी है कि डिमाण्ड के ऊपर आपको बोलने का अवसर होगा लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं वह स्वायत्त शासन विभाग की डिमाण्ड तो रखी नहीं, स्थिति यह हो गई।

झालरापाटन, मांगरोल, बीदासर इतनी नगरपालिकाओं के चेयरमैन को अकारण...

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : गंगापुर, विजयनगर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनको सिर्फ इसलिए बर्खास्त किया जा रहा है, राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना के साथ कि वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जो चेयरमैन बर्खास्त किये गये हैं और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली उनको कुछ दिन के अन्दर बहाल कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। यह अंकित नहीं हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री अध्यक्ष : लोकतंत्र के बारे में मैं समझ ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय आपने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है। आप सदन की परम्पराओं को और पुराने निर्णयों को देख लें कि जब स्थगन प्रस्ताव आप रिजैक्ट करती हैं तो उसी दिन माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया जाता है। यदि आज वा डिमांड होती तों डिमांड के वक्त ये लोग बोल सकते थे। लेकिन मुझे जहां तक याद है, आज तक इस सदन में जितने भी निर्णय हुए हैं स्थगन प्रस्तावों को यदि आपने रिजैक्ट किया है तो उसी दिन माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया जाता है। और चूंकि यह इतने महत्वपूर्ण बिन्दु हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सरपंचों को, प्रधानों को, नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को एक ही कारण से बिना जांच किये हटाया जा रहा है यह उचित नहीं है। यह प्रजातंत्र का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय मिलता है, दो मिनट वो बोल लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां बोला हूं ? एक मिनट ही नहीं हुआ, आधा मिनट ही हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप इनको बोलने का मौका दे दीजिये। आज ही बोलने का मौका दीजिये, क्योंकि एडजोर्नमेंट मोशन में...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो परम्पराओं का ध्यानाकर्षित किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव पर जो पर्चियां सिस्टम लागू हुआ वह इसी कारण से लागू हुआ था। (व्यवधान) आसन की व्यवस्था को चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, let me complete first.

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको पता ही नहीं है कुछ।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको कुछ पता नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बोल लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट बिराज जाएं। स्थगन प्रस्ताव का मतलब यह है कि सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर उस चर्चा की जाए।

श्री अध्यक्ष : यह तो आसन जानता है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसके बाद में आपने इसको रिजैक्ट कर दिया और रिजैक्ट करने के बाद पंचायत की मांग आयेगी तब यह चर्चा करेंगे, यह तो उचित नहीं है। आज यदि पंचायत की मांग होती और आप बोलने का अवसर देते माननीय सदस्य को तो समझ में आता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके माननीय सदस्य को जिनका स्थगन प्रस्ताव रिजैक्ट किया है उनको कृपा करके बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट तो आप बोल लिये, दो मिनट वो भी बोल लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आधा मिनट बोला हूं। बीच में इंट्रप्शन हो गया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि परम्पराएं यह रही है कि जब भी आसन व्यवस्था देते हैं और स्थगन प्रस्ताव पर बीच में बहुत पहले यह व्यवस्थाएं थी कि जिनको रिजैक्ट करते थे उनको दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाती है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यही कर हरे है हम।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन क्योंकि स्थगन प्रस्ताव ऐसा विषय है कि तत्काल कोई कारण ऐसा उपस्थित हो गया जिसके कारण से सदन की कार्यवाही ...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तत्काल ही हुआ है, रोज कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मिनट सुनिये। कोई तत्काल ऐसी कार्यवाही जो सदन में उठाना बहुत आवश्यक है, सदन की कार्यवाही रोकना आवश्यक है ऐसा कोई विषय पैदा हो गया इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाए, यह उसका मतलब है। लेकिन इस प्रवृत्ति को कि कोई भी मामला हो, स्कूल का मामला है जिसको अन्य माध्यमों से उठाया जा सकता है उन माध्यमों का उपयोग नहीं करके और स्थगन प्रस्ताव का दुरूपयोग करने की जो चेष्टा की गई उसको हतोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया कि यह व्यवस्था की पर 50-50 स्थगन प्रस्ताव आ जाते थे ...

श्री रामनारायण चौधरी : अब यह व्यवस्था हो गई, आसन ने व्यवस्था दे दी । आसन की व्यवस्था हो गई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हो गई व्यवस्था। अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा बहुत पुरानी थी उस पर पुनर्विचार होकर यह व्यवस्था हो गई, आसन से व्यवस्था हो गई और अन्य प्रक्रियाओं से इस मामले को उठाया जा सकता है, इसका निर्णय भी अभी नहीं हो सकता जिस मामले का वो उठायेंगे तो या तो आप जानकारी के लिए भेज दें। यह मेरा निवेदन है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है जैसे सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक ने कहा, पहले पर्ची का सिस्टम नहीं था। जब तक पर्ची का सिस्टम नहीं था उस वक्त तक यह व्यवस्था थी कि स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट, पाँच मिनट के लिए बोलने का समय दिया जाता था। लेकिन जब से यह पर्ची चालू हुई तब से स्थगन प्रस्ताव को केवल पिछली विधान सभा में भी,पिछली विधान सभा में भी उल्लेख करके कि यह स्थगन प्रस्ताव आया है, मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं, यह कह करके छोड़ दिया गया और नहीं बोलते थे और पर्ची के माध्यम से ...

डा. बुलाकीदास कल्ला : रिजैक्ट करने वालों में बोलते थे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पर्ची के माध्यम से बोला जाता था। पर्ची के माध्यम से बोलना शुरू हुआ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पर्चियां, अलग थी मैडम। यह तो जीरो आवर की व्यवस्था थी ।

श्री अध्यक्ष : पहले तो पर्ची सिस्टम था ही नहीं। पर्ची सिस्टम तो भाभड़ाजी ने शुरू किया था। पहले था ही नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : रिजैक्ट होने वालों में बोलते थे।

श्री अध्यक्ष : कब बोलते थे ?

डा. सी.पी. जोशी : रिजैक्ट होने के बाद में बोलते थे। आप सदन का पिछला रिकार्ड देख लें रिजैक्ट करने के बाद में बोलते थे। आप पिछला रिकार्ड उठाकर देख लें। आपने पिछली बार भी अलाऊ किया है। (व्यवधान) दो मिनट बोलना अलाऊ कर रखा था पिछली बार भी।

श्री अमराराम (धोद) : रिजैक्ट होने के बाद दो मिनट के लिए बोलने के लिए अलाऊ किया जाता था।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो नियमों के साथ दिया जाता है। स्थगन प्रस्ताव था। जीरो आवर में कोई मामला उठा सकते है।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन यह नहीं है कि कोई भी प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन यह है कि स्थगन प्रस्ताव में जो व्यवस्था है वह यह है कि सरकार को जानकारी के लिए भेज दिया जाता है 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उसका जवाब आता है, उस पर माननीय अध्यक्ष विचार करती हैं, विचार करने के बाद उस पर यह होता है कि कुछ को तो सरकार के पास भेज दिया जाता है, यह तो आज ही आया है तो या तो सरकार की जानकारी के लिए भेज दें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव आज ही ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बोलने का मौका दिया जाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन की व्यवस्था का सम्मान हो, हम तो यह चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक की परम्पराएं यह रही है कि जानकारी के लिए भेजते हैं, जानकारी...

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मुख्य सचेतकजी ने जो बात कही है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बोलने की अनुमति देते रहे है।

श्री अध्यक्ष : आप एक बार बिराजिये। अमरारामजी, कुछ कह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक की व्यवस्था यह ही है कि स्थगन प्रस्ताव को आसन की और से सरकार को जानकारी के लिए भी भेज जाता है और अगर आसन समझता है कि जानकारी की जरूरत नहीं है तो रिजेक्ट भी किये हैं लेकिन स्वीकार तो शायद ही एक दफे का है जब स्वीकार हुआ है बाकी कभी भी स्थगन प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष : Once Only once, since 1952.

1952 से लेकर के आज तक केवल एक बार स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : एक बार स्वीकार हुआ बाकी स्वीकार नहीं हुआ है। यह परम्परा है उसको रिजैक्ट करने के बाद उसकी विषयवस्तु पर बोलने के लिए दो मिनट का समय आज तक देते रहे है। इसलिए आपकी व्यवस्थाओं को चैलेंज नहीं कर रहे हैं लकिन व्यवस्थाएं पिछले लम्बे समय से यह रही हैं कि रिजैक्ट करने के बाद विषयवस्तु पर बोलनें के दो मिनट का समय आज तक देते रहे हैं और पर्ची का तो...

श्री अध्यक्ष : मैं राज्य सरकार को भेज देती हूं और...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आज तो रिजैक्ट कर दिया। (व्यवधान) बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आपको सत्र खतम होने से पहले सरकार इस बारे में कुछ न कुछ कहेगी, आपको बतायेगी।

एक माननीय सदस्य : यह ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह इसलिए सवाल उठा था कि सरकारी मुख्य सचेतक जी... (व्यवधान) तो मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए था मगर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुकी, आसन ने व्यवस्था दे दी। सरकार सत्र की समाप्ति से पहले इस बारे में कुछ करेगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हो गया, हो गया। सरकार को गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब दिलवा दीजिये, ठीक है।

श्री अध्यक्ष : 295. श्री बहादुर सिंह गोदारा। जो लिखा है वो बोलें। अब आप क्यों बीच में बोलते हो।

नियम 295 के तहत प्राप्त प्रस्तावों का उल्लेख

कृषि महाविद्यालयों को अनुदान राशि

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे संगरिया शिक्षण संस्थान बहुत महत्वंपूर्ण शिक्षण संस्थान है और अजमेर शिक्षण संस्थान भी अपने क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा संस्था है, इन दोनों का अनुदान बंद कर दिया गया जिससे ये शिक्षण संस्थाएं बन्द होने के कगार पर पहुंच गई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन संस्थाओं की सहायता राशि फौरन उपलब्ध करवाई जाए वरना ये शिक्षण संस्थाए बन्द हो जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : आप बोल क्या रहे हो ? लिखा तो कुछ और है और बता कुछ और रहे हो।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : इससे सम्बन्धित यह मैंने आपको जिस्ट ही बताया है मेरी बात का।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अच्छी बात है। श्री कांतिप्रसाद मीणा। 295 का कायदा यह है कि आपको लाना चाहिए था और उसको पढ़ना चाहिए। विशेष उल्लेख का यही मतलब होता है। खैर, आपने अपनी बात कह दी, कोई बात नहीं। श्री कान्ती प्रसाद मीणा।

अलवर जिले में खनन कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति पत्र

श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचना देना चाहता हूं।

केन्द्र सरकार की 7.5.1992 की अधिसूचना के अन्तर्गत अलवर जिले में जमीन की पाँच किस्मों में खनन कार्य हेतु पर्यावरण पूर्वानुमति आवश्यक है।

अलवर जिले की थानागाजी तहसील के अन्तर्गत ग्राम झिरी व कलसी काला गुवाड़ा की लगभग 19 खानें पर्यावरण पूर्वानुमति स्वीकृति पत्र न मिलने के कारण नवम्बर,2003 में राज्य सरकार के आदेशों से बन्द कर दी गई है जो खनन क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

(1) वन भूमि में नहीं है, संरिस्का सरक्षित क्षेत्र में नहीं है तथा किसी भी न्यायालय में कोई विवाद लम्बित नहीं है।

पर्यावरण पूर्वानुमति हेतु अब तक निम्न कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है :-

1. खनन पट्टाधारियों ने ई.एम.पी. विधिवत प्रस्तुत की जिसे राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने दिनांक 7.11.1998 को स्वीकृति कर केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया है।

(श्री कान्ती प्रसाद मीणा)

2. केन्द्र सरकार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उक्त प्लान को 16.4.1999 को स्वीकार कर लिया है।

3. उप वन संरक्षक, अलवर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है।

4. लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधिकार राज्य सरकार को दिये जानें के कारण उक्त 16.4.1999 को कार्यवाही पर पर्यावरण स्वीकृत पत्र जारी नहीं हो सका है।

5. गत पाँच वर्षो से राजस्थान सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

महोदय, बिना कारण ही राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया गया जिसके कारण जनता में आक्रोश है। अत: पर्यावरण स्वीकृति पत्र तुरन्त जारी कराकर निस्तारण कराया जावे जिससे खनन कार्य पुन: शुरू हो सके एवं मजदूरों, खनन पट्टाधारियों को रोजगार के साथ-साथ सरकारी राजस्व भी प्राप्त होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया ।

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों को पक्का किए जाने

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सड़कें पक्की कराये जाने के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि आदिवासी अंचल गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़कें पक्की कराये जाने से एक जिले से दूसरे जिले में सीधा सम्पर्क हो जाएगा एवं एक तहसील से दूसरी तहसील को जोड़े जाने से काफी दूरी कम हो जाएगी अत: डामरीकरण कराया जाना आवश्यक है:-

1. सड़क कडेच से कोयलवाव (गोगुन्दा)

(श्री मांगीलाल गरासिया)

2. सड़क विसमापाबा से गोरिया (गोगुन्दा)

3. सड़क सायरा बोखाड़ा से कुर्रा गोरिया

4. सड़क तेजा का वास से भीमाणा (कोटड़ा)

5. सड़क बेरण से भीमणा (कोटड़ा)

6. सड़क मादड़ा से कूकड़ा घाटा मेरपुर

7. सड़क गायफल से रोयड़ा

8. मालका का चौराहा से भूतवड़ रावछ

9. सेनवाड़ा से झाड़ोल (फलासिया)

10.पलासमा से जरगाजी

इस तरह की महत्वपूर्ण सड़कों को निश्चित तौर से पक्की कराये जाने की वित्तीय व्यवस्था कर, माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए मेरा आपसे अनुरोध है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल मिर्धा।

नागौर में सांसद विकास कोष की राशि का दुरुपयोग

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत श्री शिवराज मुण्डेल, सदस्य, पंचायत समिति, रियां बड़ी जिला नागौर द्वारा विकास अधिकारी श्री भंवर लाल कड़वा को मिलीभगत से सांसद कोटे की राशि को अपने फार्म हाउस में लगाने तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में पेचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं...

मोहम्मद माहिर आजाद : पंचायती राज मंत्रीजी तो बदली में लगे हुए हैं, पंचायती राज मंत्रीजी सुनो।

श्री अमराराम (धोद) : वे तो बदली में लगे हुए हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं लग रहे हैं, नहीं लगे हुए हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : वे लग रहे हैं बदली में, स्थानान्तरण कर रहे हैं, देखो, वे सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सुन रहे है वे। (व्यवधान)

नागौर जिले की रियां बड़ी पंचायत समिति के सदस्य श्री शिवराज मुण्डेल तथा विकास अधिकारी श्री भंवर लाल कड़वां ने सांसद विकास कोष की लगभग एक लाख 80 हजार रूपये की राशि का दुरूपयोग कर अपने निजी फार्म हाउस में सड़क निर्माण कर लेने की शिकायत करने पर उपखण्ड अधिकारी ने जांच की जिसमें उपरोक्त दोनों अधिकारियों को अनियमितताओं का दोषी पाते हुए दिनांक 5 जुलाई, को जिला कलक्टर, नागौर को अपनी रिपोर्ट दे दी परन्तु उस पर कार्यवाही तुरन्त नहीं कर दोषियों को बचाया जा रहा है।

अत: मैं माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय व सदन का ध्यान आकर्षित कर उक्त दोनों दोषी लोगों को निलम्बित कर जांच रिपोर्ट की क्रियान्विति कर दुरूपयोग की गई एक लाख 80 हजार की राशि को शीघ्र वसूली करने हेतु मांग करता हूं।

पंचायती राज मंत्रीजी विराजमान हैं अध्यक्ष महोदय, कुछ दो शब्द कह दें जांच के लिए।

श्री कालूलाल गुर्जर 3 अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी 295 में जो आरोप लगाया है और जो वस्तुस्थिति रखी है, मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि इसमें पूरी जांच करा लूंगा और जो भी दोषी होंगे, उनको निश्चित रूप से सज़ा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल वर्मा।

इटावा (झालावाड़) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा कार्यवाही संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीन डाक्टरों के पद काफी लम्बे समय से रिक्त है। वर्तमान में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल तीन डाक्टर कार्यरत है, उनमें से भी एक-दो डाक्टर निरन्तर कैम्पों, न्यायालय में पेशियों, मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, देखिये, संसदीय कार्यमंत्रीजी नियमों की अवहेलना कर रहे है।

श्री अध्यक्ष : कौन कौन ?

मोहम्मद माहिर आजाद : संसदीय कार्यमत्रीजी वक्ता और आसन के बीच से गुजर रहे है। ये क्या करेंगे, उनको अनुशासन सिखाओ जरा कुछ। मेरे पास आ जाना शाम को, मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : यद्यपि मैंने देखा नहीं लेकिन माननीय सदस्य यदि एतराज कर रहे हैं तो आप भविष्य में ध्यान रखेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, ध्यान रखेंगे।

श्री प्रभुलाल वर्मा : इस प्रकार इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक समय में एक ही डाक्टर उपलब्ध मिलता है, जो पर्याप्त नहीं है। गौरतलब बिन्दु यह है कि इस हास्पिटल में विशेष डाक्टरों के सभी पद रिक्त है। इनमें सर्जन के पद पर पदस्थापित डाक्टर्स को भी कोटा जिला मुख्यालय पर प्रतिनियुक्ति की हुई है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रतिनियुक्ति को तत्काल निरस्त करे एवं इटावा अस्पताल में रिक्त विशेषज्ञ डाक्टर्स-सर्जरी एवं गायनिक के पदों पर नियुक्ति करवाने की व्यवस्था करे।

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र के रेफरल चिकित्सालय, मांगरोल (जिला बारां) में भी यह हालात है। इसमें एक विशेषज्ञ सर्जरी, एक पद गायनिक एवं एक पद चिकित्सा अधिकारी का, कुल तीन पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि डाक्टरों के अभाव में क्षेत्र की जनता को इलाज करवाने हेतु कोटा जाना पड़ता है जो 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। इससे आम जनता का समय व धन का नुकसान हो रहा है एवं गरीब व्यक्ति जो इलाज हेतु इतनी दूरी पर जाकर इलाज करवाने में असमर्थ हैं, स्थानीय प्राइवेट डाक्टर्स की ठगी का शिकार होते हैं ।

साथ ही समय पर सही उपचार नहीं मिल पाने के कारण शारीरिक पीड़ा सहने को मजबूर होना पड़ता है।

अत: मेरा निवेदन है कि रिक्त पड़े चिकित्सकों,विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों, के पदों पर अविलम्ब नियुक्ति करवाकर जनता को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

बूंदी पंचायत मुख्यालय खटकड़ से गुजर रही सड़क की मरम्मत

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

बून्दी से लाखेरी मुख्य सड़क एवं टोंक नगर नैनवां से केशवरायपाटन जाने वाले राज्यमार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय खटकड़ (जिला बूंदी) के बीच होकर निकल रही सड़क की स्थिति पिछले काफी समय से खराब है तथा पूरी तरह से खराब हो रही है। सड़क की स्थिति ठीक नहीं होने से गन्दगी फैलती है। तीन वर्ष से इस दो किलोमीटर के हिस्से पर डामर नहीं होने से खटकड़ सड़क के दोनों तरफ के दुकानदारों तथा आने जाने वालों को साधनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के कारण परेशान होना पड़ रहा है।

अत: अनुरोध है कि खटकड़ (बून्दी) के मध्य होकर निकल रही सड़क को खराब पड़े दो किलोमीटर हिस्से की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत की जाकर उस पर डामर किया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री सी.डी. देवल ।

दीपावास बांध (लूनी नदी) से काश्तकारों की फसल की बर्बादी

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : मैं विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के तहत रायपुर तहसील में लूनी नदी पर बने हुए दीपावास बांध से नीचे आठ पंचायतों और 18 गांवों के सैकड़ों काश्तकारों की खेती के बरबाद होने की समस्या के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

पाली जिले की रायपुर तहसील के ग्राम दीपावास में लूनी नदीपर 1968 में सिंचाई विभाग द्वारा बांध बनाया गया था। यह बांध सुण्डाई व सूकड़ी नदी के संगम पर बना है। इस बांध से केवल 2650 हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है जिसका लाभ केवल दो गांव के 2587 काश्तकारों को ही होता है। इस बांध के बन जाने से रायपुर लूनी नदी में पानी का बहाव बन्द हो गया है जिससे ग्राम कुशालपुरा, लीलाम्बा, बिचर्डी, करमावास मालियान, निम्बेड़ा कलां, आकेली, बागियाड़ा, बांसनी दधवाड़ियान, नोख,बासनी कवियान, रामपुरा कलां, मोहराकलां, झूंठा, बासिया, सिंगला, रायपुर तथा जैतारण विधान सभा क्षेत्र के चावण्डिया कलां, देवरिया, पाटवा, जागनवास, राजादण्ड,बिलाड़ा तहसील के बिलाड़ा व अन्य कुछ गांव तथा सोजत तहसील के इस नदी के किनारे पर बसे हुए गांवों का जलस्तर जहां पूर्व में 20-25 फुट था, वहां अब 200 फुट तक चला गया है, जिससे हजारों बीघा जमीन सिंचाई से महरूम रह रही है और हजारों काश्ताकार बेरोजगार हो गये है। उनकी आर्थिक स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है।

18.12.1991 को पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय श्री विजयसिंहजी ने उस बांध का निरीक्षण कर 3 गुना 3 के तीन गेट बांध में तीन फीट नीचे लगाने का आदेश दिया किन्तु रिट पिटीशन संख्या 2245/92 स्थगन ओदश के कारण कार्य रूक गया। दिनांक 25.7.1994 को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बैंच ने निम्न आदेश पारित किया...

श्री अध्यक्ष : 84 लिखा है आपने तो इसमें,94 नहीं लिखा।

श्री सी.डी. देवल : 94 ।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो 84 है।

श्री सी.डी. देवल : "It has been further stated by the side of the respondent that in case the system does not work, the gate shall not be opened. So the matter, therefore, has to be left to them and they shall keep watch so that those getting water do not suffer, simultaneously the water level in the well is not further reduced so that it affects the fields of other persons who have their own wells and in going down below, they will also suffer as they shall have no irrigation facility.

किन्तु सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। वे राज्य सरकार को गुमराह करते हरे। इस बांध से जो ओवरफ्लो से पानी निकलता है वह गत दस वर्षों में कभी दो-तीन दिन से ज्यादा नदी में नहीं रहा और मुख्य बांध से 5-6 किमी. से अधिक की दूरी में नदी में नहीं गया।

अत: मैं सरकार का ध्यान इस और आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि रायपुर तहसील, जैतारण तहसील, बिलाड़ा तहसील एवं सोजत तहसील के लगभग 20-25 हजार काश्ताकारो को नदी में पानी प्रवाहित न होने से बरबादी की और धकेला जा रहा है। कुछ लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए हजारों लोगों का नुकसान किया जा रहा है। अत: पूर्व सिंचाई मंत्रीजी द्वारा दिनांक 18.12.1991 को दिये गये आदेश और दिनांक 17.4.1992 को अतिरक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा जिस बांध पर 3 गुना 3 के तीन गेट लगाने का जो आदेश दिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी काश्तकारों को राहत पंहुचाने का आदेश दिया है उसी के अनुरूप बांध के ओरे पर तुरन्त 3 गुना 3 के तीन गेट लगाये जायें और यदि यह संभव नहीं हो तो इस ओटे को चार फीट नीचा कर दिया जाये ताकि हजारों काश्तकारों का भला हो सके। मैं राजस्थान के राजस्व मंत्रीजी, वन मंत्रीजी और मिनिस्टर इन मेंकिंग सुरेन्द्र गोयल से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनका क्षेत्र भी इसमें लगता है। इसलिए वह भी सरकार पद दबाव बनायें और इन काश्तकारें को राहत पहुंचायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

लोक जुम्बिश परियोजनान्तर्गत संचालित मुक्तांगन प्राथमिक विद्यालय

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत मुक्तांगन प्राथमिक विद्यालयों को शीघ्र शुरू करवाने के संबंध में मेरा

(श्री हेमराज मीणा)

प्रस्ताव के माध्चयम से निवेदन है कि बारां जिले की किशनगंज पंचायत समिति व उदयपुर जिले की कोटड़ा पंचायत समिति में कुछ गांवों में अक्टूबर,1998 तक कोई शिक्षण व्यवस्था नहीं थी तब लोक जुम्बिश परियोजना ने मुक्तांगन विद्यालय खोले जो आठ वर्षो से लागातार सुचारू रूप से चले रहे है। इन सभी मुक्तांगनों में मुक्तांगन प्राथमिक विद्यालय भवन बन चुके हैं। इन मुक्तांगनों में करीबन दो हजार बच्चे अध्ययनरत हैं परंतु जून,2004 को लोक जुम्बिश परियोजना बंद हो चुकी है, अब यह विद्यालय बंद है। किशनगंज पंचायत समिति में 15क्तांगन विद्यालय चल रहे है, वहां पर कोई दूसरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हैं जुलाई माह शुरू होने के बावजूद भी विद्यालय प्रारम्भ नहीं हुए है इन 15 गांवों के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है तथा 15 गांवों में कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है। लोक जुम्बिश परियोजना के अधिकारियों व कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में मर्ज किया गया है। यह मुक्तांगन अध्यापक भी लोक जुम्बिश परियोजना के अनुबंध पर आठ माह से काम कर रहे है। इन मुक्तांगन अध्यापकों को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर इनको पुन: रोजगारयुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने आठ वर्ष तक अल्प वेतनभोगी के रूप में विद्यालयों में शिक्षण का कार्य किया है। लोक जुम्बिश परियोजना के अधिकारियों द्वारा भी इनके साथ भेदभाव बरता गया है। इनको अनुभव का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जा रहा है। श्रीमान से निवेदन है कि विभाग को उचित आदेश प्रदान करने का श्रम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : नहीं। ध्यान आकर्षित आपने विशेष उल्लेख के जरिये कर दिया, ऐसे नहीं बोला जाता है।

श्री हेमराज मीणा : मेरे 15 विद्यालय है, वहां पर कोई सरकारी विद्यालय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने लिख दिया, विशेष उल्लेख का मतलब यही होता है कि सरकार के नोटिस में आपने यह बात ला दी, अब आप क्या बोलेंगे। श्री गोपाललाल बाहेती।

श्री हेमराज मीणा : इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी को आप निर्देश दें ताकि यह मेरे स्कूल चालू हों

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की पेयजल समस्या की और आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के तीन-चौथाई से अधिक गांव पेयजल की भीषण समस्या का सामना कर रहे है। गांवों में पीने का पानी चार-पांच किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है तथा स्थिति यह है कि महिलाओं को रात को जाग कर पानी के टैकरों का इन्तजार करना पड़ता है। टैंकर सप्लाई की स्थिति भी बहुत दयनीय है। टैकर जितनी संख्या में स्वीकृत हैं उससे कम और वो भी आधे भरे आते हैं जबकि पैसा पूरा दिया जाता है। टैकर सप्लाई में जितनी अनियमितता है वह तो पूरी चर्चा का विषय है। पर मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन पेयजल की उपलब्धता के लिए कर रहा हूं कि शहर के पास के गांवों से बीसलपुर लाइन जा रही है और ग्रामवासी पानी को तरसें, यह बहुत ही चिंतनीय बात है। इससे ग्रामीण बहुत उद्वेलित है। मेरा निवेदन है कि सरकार बीसलपुर की सेकण्ड फेज को तत्काल स्वीकृति प्रदान करे तथा उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये ताकि ग्रामवासी पानी पी सके। अध्यक्ष महोदय, कल आसन ने स्वयं ने फरमाया था कि पीने को पानी प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है अत: अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात की घोषणा करे कि कब तक बीसलपुर का पानी पेराफेरी गांव तथा जिले के अन्य गांवों में पहुंचायेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री अजमेर जिले के ही हैं, समस्या की गम्भीरता इनसे छिपी नहीं, अत: मेरा निवेदन है कि पूरे जिले के लिए आवश्यक प्रयास हो ताकि पानी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति पुष्कर के आस-पास के गांवों की तथा झील की है। अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो पवित्र पुष्कर सरोवर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा जहां झील में पानी निरंतर कम होता जा रहा है तथा मछलियां मर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार गम्भीर नहीं हो रही है और झील सूख रही है। सरकारी पूजा अर्चना के लिए जब माननीय वन मंत्री जब पुष्कर गये थे तब भी पुरोहित संघ व पुष्कर के नागरिकों ने आपसे निवेदन किया था। आशा है मंत्री महोदय ने सरकार में बात की होगी। अंत में मेरा निवेदन है कि जिस जिले के लिए मूलत: बीसलपुर योजना बनी उस जिले के गांवों में पानी प्राथमिकता से पहुंचाया जाये ताकि ग्रामवासी जो

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं, उससे मुक्ति मिले। साथ ही निवेदन है कि जिन महिलाओं पर पेयजल आन्दोलन को लेकर मुकदमें बनाये हैं, वे सरकार वापस ले, अपनी संवेदनशीलता का परियच दें। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

वन भूमि का आवासीय में परिवर्तन

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत वन भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन, जिसमें आबादी बस चुकी है, के बाबत मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र के पास वन विभाग की आबंटित भूमि जिसमें अब आबादी बस चुकी है, वहां पर बिजली-पानी की सुविधा उपलब्ध है, काफी जगह राजकीय विद्यालय, मंदिर, मस्जिद इत्यादि बन चुके है। आबादी क्षेत्र राजस्व रिकार्ड में आबादी भूमि में अमल दरामद न होने के कारण व कई जगह कस्टोडियन रकबों में भी आबादी बसी हुई है। अत: राजस्ब रिकार्ड में दर्ज न होने की वजह से उक्त आबादी भूमि में बसे लोगों को सरकार से सुविधा नहीं मिल पा रही है।

अत: अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि पूरे राजस्थान में यह गम्भीर समस्या है। यदि उक्त दोनों प्रकार की भूमि को जहां आबादी क्षेत्र हो, उसको परिवर्तन करके आबादी क्षेत्र घोषित किया जावे ताकि उस क्षेत्र में रह रहे नागरिकों को लाभ मिल सके उक्त राशि को आबादी क्षेत्र में परिवर्तित करने से सरकार व संबंधित पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगला राम गोदारा।

डूंगरगढ़ तहसील की सेल्स टैक्स सम्बन्धी पत्रावलियां चूरू से बीकानेर स्थानान्तरण

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मेरा निवेदन है

(श्री मंगलाराम गोदारा)

कि श्री डूंगरगढ़ तहसील को पूर्व सरकार द्वारा बीकानेर जिले में शामिल कर दिया था लेकिन उक्त तहसील का सेल्स टैक्स विभाग आज तक भी चूरू जिले में ही स्थापित है। उक्त विभाग में डूंगरगढ़ तहसील की करीब 250-300 फाइलें हैं तथा सीटीओ चूरू के अधीन करीब 100 फाइलें डूंगरगढ़ तहसील की है जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा सरकार का अनेकों बार ध्यान भी आकर्षित किया गया परन्तु आज दिन तक उक्त पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: मेरा आपसे विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षित कर निवेदन है कि उक्त तहसील की एसीटीओ एवं डब्लू.टी. सीटीओं की समस्त फाइलों को बीकानेर सीटीओं कार्यालय में स्थानांतरित करवाने की व्यवस्था फरमावें।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

दूदू विधान सभा क्षेत्र के गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का जयपुर जिले की दूदू विधान सभा के गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी होने की वजह से वहां की जनता को दूषित पानी के कारण फैल रहे रोगों की और ध्यान दिलाना चाहता हूं। जयपुर जिले की दूदू विधान सभा क्षेत्र के लगभग 200 गांवों में फ्लोराइड व खारे पानी की समस्या है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो भी पानी पेयजल योजनाओं एवं हैंडपम्प के माध्यम से पिलाया जा रहा है उसमें फ्लोराइड की मात्रा 4 पी.पी.एम.से 25 पी.पी.एम. व टी.डी.एस. की मात्र 2000 पी.पी.एम. से 15000 पी.पी.एम. तक विद्यमान है जबकि मानदण्डों के अनुसार स्वास्थ्य के लिए पीने योग्य पानी में फ्लोराइड 1.5 पी.पी.एम. व टी.डी.एस. 1500 वी.पी.एम. तक ही होना चाहिए। राज्य में लगातार अकाल के कारण जलस्तर नीचे जाता जा रहा है व प्रति वर्ष

(श्री बाबूलाल नागर)

फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है कई किलोमीटर तक शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ये ही समस्या दूदू के पास की तहसीलों फुलेरा, फागी, चाकसू, बस्सी, मालपुरा, टोडाराय सिंह व निवाई में भी विद्यमान है। कई मीलों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है।

मैं श्रीमान् की जानकारी में जाना चाहता हूं कि टोंक एवं जयपुर जिले की इन तहसीलों में फ्लोराइड व टी.डी.एस.की समस्या को देखते हुए पिछली अशोक गहलोतजी की सरकार ने एक महत्वाकांक्षी बीसलपुर दूदू पेयजल योजना स्वीकृत की थी जिसमें जयपुर जिले की दूदू, फुलेरा, फागी, चाकसू, बस्सी के 876 गांव व टोंक जिले की मालपुरा टोडारायसिंह, पीपलू, टोंक व निवाई के 540 गांव व नावां तहसील के 72 कुल 1488 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना था। उक्त योजना, वर्ष 2002 में 216.55 करोड रूपये की स्वीकृत की गयी थी उसकी तकनीकी स्वीकृति भी उसी वर्ष जारी कर निविदाएं अक्टुबर, 2002 में आमंत्रित की गई। इसी कार्य की पुन: निविदाएं मई, 2003 में आमंत्रित की गई जिन्हें सितम्बर माह में खोल भी दी गई, परन्तु नई सरकार ने आते ही उक्त निविदा को फाइल कर दिया। तब सेअब तक कार्य प्रारम्भ करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया है। उसको चालू करने का निर्णय पिछली कांग्रेस सरकार ने लिया था एवं इनके कार्य प्रारम्भ करने हेतु शिलान्यास भी श्री अशोक गहलोतजी द्वारा कर दिया गया था। उस समय कार्य पूर्ण करने की तिथि भी 2005-2006 रखी गई थी। लेकिन शिलान्यास के 8 माह बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने से लोगों में यह आशंका है कि कहीं उक्त योजना को ठण्डे बस्तें में तो नहीं डाल दिया गया है। उक्त योजना के चालू नहीं होने से क्षेत्र के लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता तथा रोष व्याप्त है। फ्लोराइड का पानी पीने से क्षेत्र में कूबडे व विकलांगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूदू की जनता में यह विचार चल रहा है कि नींद में सोयी हुई इस सरकार को जगाने के लिए क्षेत्र के समस्त कूबडे व्यक्तियों की जयपुर में एक रैली निकाल कर इस विभाग व सरकार की नींद उड़ाई जावे। उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों के समस्त विधायकों में चिन्ता व रोष व्याप्त है। अत: सरकार यह स्पष्ट करे कि उक्त योजना कब तक प्रारम्भ कर कब तक दूदू विधान सभा की जनता को शुद्ध पेयजल सुलभ करा दिया जावेगा। यहां यह भी

(श्री बाबूलाल नागर)

उल्लेखनीय है कि उक्त योजना की 70 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार की ए.आर.पी. मद से व्यय की जानी है उक्त राशि सरकार के पास उपलब्ध भी है। अत: कार्य प्रारम्भ न होने के कोई कारण नहीं है योजना में हो रही देरी से लागत में 50 से 100 करोड़ राशि बढ़ने की सम्भावना भी है।

अत: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे शीघ्र योजना के कार्य को प्रारम्भ कर क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करावें तथा सदन में उपस्थित मंत्री महोदय से यह भी आग्रह है कि इस योजना के कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अपने विचार भी बतायें।

अध्यक्ष महोदय, यह लगभग 8 विधान सभा क्षेत्रों का मामला है। फ्लोराइड का मामला है, मंत्री महोदय बिराजे हुए है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विशेष उल्लेख कर दिया आपने। आपने पढ़ दिया ।

श्री बाबूलाल नागर : सब काम हो चुके हैं टेण्डर हो गये। टेण्डर फाइल हो गये। मंत्री महोदय हैं। यह जनहित का मामला है पूर टौंक जिले...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र बेनीवाल अपनी पर्ची पर बोलेंगे। लेकिन पर्ची पर बोलने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बोलना चाहें, मंत्री महोदय, सिर्फ इतनी प्रार्थना है आपसे कूबड़े हो गये...।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलालजी नागर, सुनिये-सुनिये। आप रैली निकाल रहे हैं, रैली निकालिये उनकी कूबड़ों की। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि विशेष उल्लेख का मतलब यही होता है कि विशेष उल्लेख के जरिये सदस्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर दे और सरकार उस काग्नीजेंस ले।

श्री बाबूलाल नागर : आप बिलकुल सही फरमा रही है पर मंत्री महोदय बोलना चाहें तो।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। मैं तो गलत बोलूं सही बोलूं, पर आप विराज जाएं।

श्री बाबूलाल नागर : ...(व्यवधान) कुछ नहीं करना है मंत्री महोदय को खाली ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें। सरकार ने सुन लिया न। सरकार ने सुन लिया। यह बहुत गलत बात है।

श्री बाबूलाल नागर : ...(व्यवधान) आपको कुछ नहीं करना है इसी योजना पर दुबारा ...(व्यवधान) पर मेहरबानी करें दूदू बीसलपुर योजना का काम शुरू करवा दें। पूरे दूदू की जनता...

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, इन्होंने विशेष उल्लेख के जरिये अपनी बात कह दी। क्या तरीका है यह ?

श्री बाबूलाल नागर : 8 तहसीलों की जनता, अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा मामला है और हमारा जनहित का मामला है। सरकार बैठी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह क्या तरीका है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला :... (व्यवधान) सरकार इस पर उत्तर देना चाहें तो दे दें नहीं तो कोई बात नहीं है...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मंत्री महोदय को यही सोचकर मैंने प्रार्थना की है, मैंने हाथ जोड़ कर कहा है मंत्री महोदय। आप दो मिनट बिराजिये आ जाने दें। पूरे क्षेत्र में ...

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष। माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, तैयार हैं आप इन्हें इजाजत तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी के लिए कह रही हूं।

श्री बाबूलाल नागर : मंत्री महोदय, तैयार हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रही हूं। मै आपको जानकारी यह दे रही हूं कि विशेष उल्लेख का मतलब यह है कि आपने जो कुछ लिखा है वो सरकार के पास पहुंच जाता है और सरकार फिर उस पर उसी हिसाब से अपना एक्शन लेती है, कार्यवाही करती है और आपको सूचित करती है। इतना ही नहीं, एक्शन ही नहीं लेती, आपको सूचित भी करती है। इसलिए विशेष उल्लेख के जरिये अपनी बात समाप्त करने के बाद आपको कुछ और बोलने का अधिकार नहीं रहता।

श्री बाबूलाल नागर : आपका हुक्म सर माथे पर। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : चेयर इज ओन लेग्स। चेयर इज ओन लैग्स। आसन पैरों पर है।

श्री बाबूलाल नागर :... (व्यवधान) एक नहीं पूरे दो-तीन जिलों की जनता...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या कर रहे हैं आप तो लोक सभा में रह कर आये हैं। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आसन से अनुरोध कर रहा हूं इस सदन की मर्यादा को आसन को ...(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं सुनूंगी। आसन पांवों पर है। कुछ नहीं सुनूंगी।

(श्री अध्यक्ष)

I am not going to hear.

कुछ नहीं लिखना। कुछ अंकित नहीं हो।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गये। बोलना जरूरी नहीं है मंत्री का आपके 295 पर बोलना आवश्यक नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : हां, बोलना चाहें तो बोलें कोई आवश्यक नहीं कि बोलें।

श्री बाबुलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को सूचित करती हूं कि आज बहुत महत्वपूर्ण मांग है।

श्री बाबुलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर और माननीय मंत्री, आसन पांवों पर है।

श्री सांवर लाल : आपने कहा कि बोलना चाहें तो इसलिए।

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है पहले मेरी बात सुन लीजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं आप बाद में करियेगा निवेदन । मेरी बात सुनिये पहले। मैं सदन को यह सूचित करना चाहती हूं कि आज बहुत मांग के ऊपर सदन में विचार-विमर्श होगा और पर्ची के माध्यम से भी यह 295 की बात आपने कह दी। मंत्रीजी ने सुन ली और मंत्रीजी उसी हिसाब से आपको जवाब

(श्री अध्यक्ष)

भी देंगे, एक्शन भी उस पर लेंगे। मैं निवेदन करना चाहती हूं चार पर्चियां आयी हैं उन पर्चियों पर बोलने वालों से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वो 4-4 मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त कर दे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मांग है और जिस पर सदन में चर्चा होना बड़ा आवश्यक है इसलिए आप चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। माननीय श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं यह क्या तरीका है ? सदन में उठा दिया। अब आपको क्या कहना है बोलिये ? It is not to be ... (interruption)...

श्री बाबूलाल नागर : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री अध्यक्ष : आसन ने व्यवस्था दे दी यह। अब उसके बाद कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जवाब देने का। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल बोलें।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक बात रखना चाहता हूं कि गांव में तो पानी क्या ...

श्री अध्यक्ष : ये पानी बात कहां से आ गयी। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल पर्ची पर बोल रहे है।

श्री सुरेश मीणा : लेकिन इस विधान सभा में हमारे जो ड्राइवर हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको पानी की व्यवस्था करायी जाए ड्राइवरों के लिए। बाहर ड्राइवर बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं उनको पानी की व्यवस्था नहीं है इसलिए पानी की व्यवस्था करायी जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

लूणकरण क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विषयक

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जहां एक और तहसील लुणकरणसर तहसील बीकानेर में कंवरसेन लिफ्ट के द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जाता है वहीं दूसरी और तहसील खाजूवाला, तहसील पूगल एवं तहसील छत्तरगढ़ में अनुपगढ़ ब्रांच और पूगल ब्रांच द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से क्योंकि यह नहरें और उनके माइनर मिट्टी काटकर बनाये गये हैं यहां पर रेत हर समय आने के कारण यह नहरें अवरूद्ध रहती हैं और न सिर्फ सिंचाई बल्कि लोगों के पेयजल का भी एक मात्र स्रोत यह नहरें हैं और उनको पीने को पानी भी नहीं मिल पाता है। समय-समय पर इसके बारे में अनेकों बार किसानों के द्वारा धरने दिये गये, ज्ञापन दिये गये और मांग उठाई गई है लेकिन इसका आज दिन तक उचित समाधान नहीं हुआ है। मुख्य रूप से खाजूवाला और पूगल के इलाके के के.जे.डी. और के.वाई.डी. नहर के की टेल पर काश्तकार हर समय पानी की पीड़ा झेल रहे हैं और इसका समाधान नहीं किया जा रहा है। वहीं इससे अलग हटकर गत विधान सभा चुनाव के समय मुख्य नहर टूटने के कारण चक एक जी.एस.एम. के काश्तकार जो कि डूब में आ गये थे उनको भी सिंचाई की सुविधा से आज दिन तक वंचित होना पड़ रहा है जबकि राज्य सरकार को सत्ता में आये आज साढ़े सात माह से ज्यादा समय बीत चुका है। मेरा यह निवेदन है कि जहां एक और पानी की कमी के कारण गत दिनों एक आदेश जारी कर के कंवर सेन लिफ्ट के ऊपर मोर्गों का साइज जो कि छोटा किया गया था उसको पुन: बड़ा किया गया लेकिन उसके साथ साथ सात अन्य नहरों का भी निर्माण राज्य सरकार के 1995 में जारी आदेश के तहत किया गया था उनके उस साइज को भी क्या सरकार बड़ा करने का विचार रखती है इसकी जानकारी चाहता हूं।

(13.00 बजे)

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह नहर सिंचाई के साथ साथ पेयजल का भी एक मात्र स्रोत है। नहरी इलाके में पीड़ा झेल रहे किसानों जो कि पानी की कमी के कारण पलायन कर रहे है, लगातार उनका पलायन जारी है। सरकार इनके पलायन को रोकने के लिये इनको पानी उपलब्ध करायें, मैं यह आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री संयम लोढ़ा।

शिवगंज राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों की स्थिति

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष माहोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान शिवगंज के राजकीय चिकित्सालय की और आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, शिवगंज जोधपुर संभाग का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कस्बा है और इस वर्ष 2004 में अपनी स्थापना के डेढ़ सौ साल यह शहर पूरा कर रहा है। जंवाई नयी के किनारे बसा हुआ यह शहर जिसमें 100 से ज्यादा दवाइयों की दुकाने हैं और जोधपुर संभाग में जोधपुर के बाद दवाइयों की यह सबसे बड़ी मण्डी है और यहां जो राजकीय चिकित्सालय है जिसमें 6 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं। अध्यक्ष महोदय, सिरोही शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है। हमारे स्थानीय चिकित्सक हमेशा से बहुत कम संख्या में रहे है। पर पिछली बार जब मैं इस सदन का सदस्य था तो बहुत प्रयास कर के शिवगंज के जो 6 पद स्वीकृत हैं वह सारे पद मैंने भर दिये। 6 चिकित्सक शिवगंज के अस्पताल में काम कर रहे थे। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिवगंज के उस अस्पताल के तहत करीब डेढ़ लाख की आबादी लगती है। 97 हजार का आउट डोर शिवगंज के उस अस्पताल का हैं और एक हजार से ज्यादा सर्जरी शिवगंज के उस अस्पताल में होते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का यह राज क्या बदला मेंरे क्षेत्र की जनता का तकलीफ का पहाड़ टूट पड़ा। पता नहीं कौनसी कोप दृष्टि राज्य सरकार की शिवगंज क्षेत्र की जनता पर है मुझे समझ में नहीं आता। 6 चिकित्सकों में से इस सरकार ने 5 डाक्टर हटा दिये और एक डाक्टर बचा हुआ है। वह जब छुट्टी पर चला जाता है तो न तो वहां कोई आउट डोर देखने वाला। और सर्जरी का जब डाक्टर हटा दिया तो जो साल के एक हजार आपरेशन होते थे, सर्जरी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमारी गर्भवती बहनों को कोई देखने वाला नहीं है। गरीब औरत की जो हालत खराब शिवगंज शहर और आस पास के इलाके में हो रही है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जो पैसे वाले लोग हैं उनको तो निजी अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा मिल जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसा जमा हुआ अस्पताल जो राज्य सरकार की सुविधाओं के माध्यम से लोगों को लाभन्वित करता था, लाखों रूपये शिवगंज के दानदाताओं ने लगाकर वहां

(श्री संयम लोढ़ा)

पर अस्पताल बनवाया। एक सुंदर भवन का निर्माण किया है लेकिन आज वहां सुंदर भवन तो है आत्मा नहीं है। शिवगंज के अस्पताल को इस सरकार ने एक आत्मा विहिन भवन के रूप में बदल दिया है।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक सप्ताह पूर्व माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला कि आपने शिवगंज अस्पताल के 5 डाक्टर हटा दिये हैं और बदले में एक डाक्टर आपने लगाया है लेकिन वह भी जब दो दिन पहले लिस्ट जारी की उसमें उस डाक्टर अजय सिंह का भी ट्रांसफर शिवगंज किया हुआ कैंसिल कर के उसको वापस अजमेर कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह डाक्टर अपनी मर्जी से स्थानान्तरण करवा कर गये हैं या यों ही कर दिया।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल वाजिब बात पूछी है। दूसरे क्षेत्र के किसी माननीय सदस्य ने उन चिकित्सकों की मांग की, वह चिकित्सक जाना नहीं चाहते थे लेकिन अब जबरदस्ती उनको वहां से अपने वहां ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे है। तो न तो शिवगंज के अस्पताल को सुविधा प्राप्त हो रही है न जिन जगह पर लगाया गया है वहां सुविधा प्राप्त हो रही है। वह अस्पताल खाली पड़े हुए है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको राज दिया है, गांव और गरीब लोगों की सेवा करने के लिये दिया है। लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिये दिया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी इलाके के लोगों ने विरोधी पार्टी के आदमी को जिता दिया तो वहां से डाक्टरों से पूरा का पूरा हास्पिटल खाली कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि यहां पर चिकित्सा राज्य मंत्री विराजमान है। आप उन्हें निर्देश प्रदान करें कि वह शिवगंज के अस्पताल में जो डाक्टर हटाये गये हैं या तो उनको वापस लगाये अथवा दूसरे डाक्टर की नियुक्ति शिवगंज के अस्पताल में कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइए चिकित्सा मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर जवाब तो...

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और आप खुद समझती है। आप इस बात को भली भांति समझती हैं कि जिस क्षेत्र...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी तो यहां है नहीं जवाब किससे दिलवाउं।

श्री संयम लोढ़ा : जिस क्षेत्र के लोगों की यह हालत की जा रही है उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की क्या स्थिति होगी, आप भली भांति समझती हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई संवेदनशील सरकार होती है वह सदन में जो कुद कहा जाता है खास तौर से ऐसा जन समस्याओं के प्रति वह जरूर काग्नीजेंस लेना चाहिये।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सात दिन पहले चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया उसके बाद भी उन्होंने एक डाक्टर का ट्रांसफर, एक डाक्टर लगाया हुआ हटा दिया उसको वापस अजमेर लगा दिया। यह कितना संवेदलशील है आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, निश्चित तौर पर सरकार इसका काग्नीजेंस लेगी। श्री जयराम जाटव।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं आप कहलवा दीजिए कितने दिनों में कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा मंत्री जी कहां है ?

श्री संयम लोढ़ा : यह बैठे चिकित्सा राज्य मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्रीजी को आने दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर लोगों की बहुत खराब हालत है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयराम जाटव। माननीय सदस्य, पर्ची के ऊपर इस प्रकार से कभी भी आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते जवाब देने के लिये। (व्यवधान) यह आसन बाध्य नहीं कर सकता मंत्रीजी को जवाब देने के लिये। श्री जयराम जाटव।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के किसी मंत्री में कोई संवेदना नहीं है ? मैं तो इसके खिलाफ धरना देता हूं।

(माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष : आप बैठो। जरूर शौक से। यह आपकी मर्जी की बात है।

श्री भवानी जोशी (चिकित्सा राज्य मंत्री) : जिन लोगों की शिकायत थी उन्हीं डाक्टरों को हटाया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयराम जाटव।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : माननीय अध्यक्षजी, मैं सरकार का ध्यान शिक्षा कें संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा जो विषय है...

श्री अध्यक्ष : भरो, स्थान तो भरने चाहिये। पद तो रिक्त नहीं रहने चाहिये (व्यवधान) बात मान ली।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : उनको कहना चाहिये खाली पदों को मैं 5-7 दिन में भर दूंगा। माननीय सदस्य की चिंता बिलकुल ठीक थी। खाली पदों को तो भरने का आश्वासन देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक का तो सोचो।

श्री अध्यक्ष : पब्लिक का सोच कर ही तो मैंने कहा कि सरकार को काग्नीजेंस लेना चाहिये। (व्यवधान) राज्य मंत्री ने खड़े होकर कहा है।

ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों की स्थिति

श्री जयराम जाटव : माननीय अध्यक्षजी, मेरा विषय शिक्षा के संबंध में था। ग्रामीण अंचल में चाहे वह राजकीय प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे राजकीय माध्यमिक विद्यालय हो पूरे जिले का यह हाल है कि किसी भी विधान सभा क्षेत्र में बहुत दूरी की स्कूलों में जहां बच्चों की संख्या है उनके अनुपात में मास्टर कम जाते हैं और शहरों में मास्टरों की भरमार होती है। मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहां, जब सदन में एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने सारे सदन को यह विश्वास दिलाया था कि जो लम्बी दूरी के स्कूल हैं और जहां 25-25 वर्षों से शहरों में अध्यापक हैं उनका तुरन्त हम स्थानान्तरण कर देंगे। लेकिन अध्यापकों की कमी का जो मामला टकराएगा, उसमें हमारी सरकार चिन्तित है। लेकिन मेरा इस शिक्षा के सम्बन्ध में एक दूसरा प्रश्न और था। चूंकि राज्य सरकार का ध्यान निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को जो परमिशन देती है, सरकार विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति देती है, उसमें सारी सुविधा, सारे नियम, कानून-कायदे, राज्य सरकार उनको यह कहने के लिये बाध्य नहीं करती है। नियम कानून, कायदे में है लेकिन उन विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों को एडमिशन उस बतौर नहीं मिलते हैं जो सरकारी विश्वविद्यालयों में मिलते है। मैं इस बात को इसलिये कहना चाहता हूं कि गांव में, देहात में जो महा-विद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय है, उनमें बच्चों का, छात्र-छात्राओं का शिक्षा में वहां पहुंच नहीं पाते हैं, एडमिशन नहीं मिल पाता है और प्राइवेट में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं को शिक्षा से वंचित इसलिये रहना पड़ता है कि उनकी फीस बहुत ज्यादा अधिक है। जब हमारी सरकर उन प्राइवेट कालेजों के लिये, बी.एड. कॉलेजों के लिये, इंजीनियरिंग कालेजों के लिये मान्यता देती है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिये, उसी अनुपात में एडमिशन होना चाहिए। और उनकी जो फीस है वह भी कम कर देनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्र-छात्राओं के लिए चूंकि आज शिक्षा का जो मामला है, पूरी योग्यता में...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका तो अध्यापकों की कमी का मामला है, शिक्षा का नहीं है, अध्यापकों की कमी का मामला है।

श्री जयराम जाटव : माननीय अध्यक्षजी, मैंने शिक्षा लिखा था लेकिन शिक्षा के साथ-साथ यह जो अध्यापकों का मामला है वह तो मैंने क्रमशः दिया था। उस बिंदू पर मेरे क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगल सालिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूरू, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटन अहीर और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खानपुर मेवान, ये ऐसे ग्रामीण अंचलों में स्कूल हैं जहां 4-4, 5-5 मास्टर है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन ग्रामीण अंचल के स्कूलों में अध्यापकों की जो कमी है वह पूरी कर दी जाए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी, ध्यान दीजिए, अध्यापकों की कमी बता रहे है, आप बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्रीजी ... (व्यवधान) वह अध्यापकों की कमी बता रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, ध्यान रखिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने सुन लिया ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर में पीने के पानी की समस्या

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जयपुर के बाद जोधपुर दूसरे नंबर का शहर है। जोधपुर शहर के अन्दर पानी के कइ तालाब, कुएं बावडियां है। अध्यक्ष महोदय उनकी कोई रख-रखाव की व्यवस्था नहीं है। भगवान करे बरसात आ जाए और बरसात नहीं आई तो उनकी रख-रखाव व्यवस्था की जाए तो जोधपुर की जनता को पानी उपलब्ध हो सकेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बावडियों वगैरह के नाम बात दूं क्योंकि अपने अपने वक्तव्य में बोला था कि आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगी। मगर मेरे को आप थोड़ा समय दें तो मैं इस पर...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको 4 मिनट देती हूं, 4 मिनट में कह दें, 4 मिनट दे रही हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप मेरे को 10 मिनट दें।

श्री अध्यक्ष : 4 मिनट देती हूं आपको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के अन्दर राजा महाराजाओं के समय कुंए बावडियां व तालाबों का निर्माण हुआ था। बाईजी का तालाब, मगर आज वह कचरे से भरा हुआ है, गगर का पानी जा रहा है, उसके अन्दर कोई सुधार नहीं है। इसी प्रकार क्रिया का झालरा है वहां भी ऐसी स्थिति है। मगर उसका पानी उपयोग लेने के पूर्व उस पानी को टैस्ट करवाएं। जलदाय विभाग प्रयास करे तो मैं समझती हूं कि वहां के आस-पास क्षेत्र के निवासियों को पानी उपलब्ध हो सकता है। इसी प्रकार से रानीसर, पदमसर हैं। रानीसर तो पूर्व महाराजा श्री गजसिंहजी ने अच्छी तरह से सुधार लिया है और इस पानी का किले के अन्दर जाता है। पदमसागर है, वह श्रीमाली समाज को दिया हुआ है, मगर वहां पर जनता को पानी उपलब्ध हो सकता है, अगर उसका रख-रखाव जलदाय विभाग व जिला प्रशासन सुचारू रूप से करें। इस तरीके से गंगलाव तालाब है, कचरे से भरा हुआ है और तालाब के अन्दर भी मकानों का निर्माण हो गया है अभी भी मकान बना रहे हैं। इस प्रकरण में मैंने स्वयं ने तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा था क्योंकि वह संवेदनशील सरकार थी, जवाबदेह सरकार थी, मगर आज की तारीख तक भी मेरे पास उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, न उन्होंने कुछ किया। मैंने उनसे खूब रिक्वैस्ट की कि आप इस प्रकरण को देखिये। आप इसकी व्यवस्था करिये, जनता को पानी मिलेगा। उसके अन्दर पांच पानी की बेरियां है। इन बेरियों में से कचरा निकालकर सफाई करावें व पानी का प्रयोगशाला से टैस्ट करावें अच्छा पानी होगा तो जनता पानी का उपयोग कर सकेगी। मगर वह भी कुछ काम नहीं हुआ उन बेरियों के अन्दर और वह बेरियां ऐसी है, उसके अन्दर इतना अच्छा पानी निकलता है और वहां सारी व्यवस्था की हुई है, मगर उसका कुछ नहीं हो रहा है। वहां एन्क्रोचमेंट होते जा रहें है और उसके अन्दर मकान बनाये जा रहे है। पानी के अन्दर कुमेद डाल दिये है। पता ही नहीं लगता क्या हुआ। इस तरीके से फतहसागर है, रामानुज कोर्ट, वहां भी यही स्थिति है। लोग अन्दर कपड़े धो रहे हैं, गंदा पानी जा रहा है, दीवारें टूटी-फूटी हैं, इसी तरीके से गुलाबसागर है। यही स्थिति सबकी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे जलाशय कई हैं, एक-एक नाम गिनाऊं तो टाइम निकल जाएगा। मैं मंत्री महोदय को पत्र लिखकर उससे पूरा विवरण लिख दूंगी। इसी तरह से जालम बावड़ी है। जालम बावड़ी का पानी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

शहम में कुछ हिस्सों में उपलब्ध हो रहा है। भैरोंसिंहजी की सरकार में मैंने पाइप लाइन लगवायी थी जिससे उस क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इसी तरीके से तापी बावड़ी है, वह पाताल फोड़ बावड़ी है। उसका भी पानी सब जगह उपलब्ध हो रहा है, इसलिये मैं यह चाहती हूं कि जितने कुएं, बावडियां बैरे हैं उनको अगर सुरक्षित किया जाए और इनकी मरम्मत की जाए तो मैं समझती हूं कि जोधपुर की जनता को पानी सुचारू रूप से उपलब्ध हो सकता है।

इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि ए.डी.बी. की एक परियोजना है, ए.डी.बी. योजना के अन्तर्गत हो तालाब, कुएं, बावडियां सब ली हुई हैं जिसमें फतहसागर, गुलाबसागर पदमसर राणीसर ये सारे लिये हुए हैं, मगर यह योजना खटाई में पड़ गई है। ए.डी.बी. अपनी योजना से काम करे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मगर क्या मालूम टेण्डर करते हैं और कैंसिल करते है। कोई उसका अता-पता नहीं लग रहा है। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि जोधपुर की जनता को आप पानी उपलब्ध करवांए। 50 साल में कोई भी ऐसा बांध, तालाब या कुआं नहीं बनवाया या खुदवाया। यह जो खुदे हुए है उनकी अगर व्यवस्था हो जाए तो मैं समझती हूं कि आने वाले समय में भगवान करे बरसात आयें, नहीं आयी तो जोधपुर की जनता को इन जलाशयों कुओं से इसके माध्यम से पानी उपलब्ध हो सकता है। मैं यह निवेदन कर रही हूं । एक दूसरी बात मै भूल गयी, खास बात है। यहां जो तालाब, बावडियां है। फतहसागर, गुलाबसागर में पानी की नहरें आ रही है। नहरें/कचरे से ऐसी भरी हुई है, उनके अन्दर लोग पेशास कर देते है, लेट्रीन कर देते है। वह भी कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं यह चाहती हूं, स्वायत्तशासन मंत्रीजी भी यहां मौजूद है और जलदाय मंत्रीजी भी बैठे हैं, यह समस्या दोनों से सम्बन्धित है। अगर इसके अन्दर व्यवस्था करें तो मैं समझती हूं कि जोधपुर की जनता को पानी की सहूलियत होगी और ए.डी.वी. परियोजना में भी अगर आप कहेंगे तो इसका काम सुचारू रूप से हो जाएगा, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षजी, जनता के पानी का सवाल है और आप खुद चाहते हैं, हमारी मुख्य मंत्रीजी भी चाहती हैं इस पानी के लिये...

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्या खुद कह रही है कि मुख्य मंत्रीजी भी चाहती हैं और सरकार भी चाहती है और ये कुएं, बावडियां, जिनका पानी उपयोग में आ सकता है निश्चित रूप से सरकार उनकी मरम्मत की व्यवस्था करवाएगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : सत्ताधारी पक्ष के विधायक का तो आपने जवाब दिया और इधर से विधायक बोल रहे हैं तो आप चुपचाप क्यों बैठे रहे।

श्री सांवर लाल : यह तो सबके लिये है। वसुन्धराजी जब से मुख्य मंत्री बनी है, उनके एक ही तकलीफ है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सवाल यह नहीं है, सवाल सत्ताधारी पक्ष के विधायक का आप जवाब दे रहे है और विपक्ष के विधायक ने जो पानी का सवाल उठाया, सैकड़ों आदमी कूबड़े हो गये उसमें आपने जवाब नहीं दिया।

श्री रमेश खींची : जब नागर साहब यह सवाल उठा रहे थे तब कोई जवाब नहीं आया और जब खुंद की पार्टी के माननीय सदस्य उठाते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है, भेदभव नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं। (व्यवधान) आप बिराज जाएं, मैं यह कह रही हूं, पर्ची तो जोधपुर से सम्बन्धित थी, आप बीच में क्यों खड़े हो गये।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय भी मैं खड़ा हो रहा था, अध्यक्षजी की व्यवस्था हो गयी तो उसके बाद मैं बोल नहीं पाया। अध्यक्षजी की व्यवस्था सर्वोपरि है सदन में। तो आपके यहां भी पानी की समस्या है, हमारी सरकार आने के बाद जो योजना आपके टाइम में बनायी थी, बिना किसी वित्तीय व्यवस्था के, उसको वित्त-पोषित करके हम प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह पीने का पानी मिलें।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : Madam speaker, I am on a point of order Under. Article 256 of the Constitution.

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में कहां होता है पाइंट आफ आर्डर ? जीरो आवर में कहां होता है ?

डा. एन.एस. गुर्जर : Under Article 256 of the Constitution. जीरो आवर में हुए हैं। जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर रेज कैसे नहीं होता है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। यह है क्या ? पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जीरो आवर में कहां होता है ? अब कोई नयी परम्परा नहीं डालें। (व्यवधान)

डा. एन.एस.गुर्जर : कोई नयी परम्परा नहीं हो रही है। बिजनस ले रहे हैं न हाउस के सामने।

श्री अमराराम (धोद) : आएगा जब कर लेना तो।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, तो बिजनस आ रहा है तो उसी पर मेरा पाइंट आफ आर्डर रख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिजनस आ रहा है उससे पहले इतने उतावले क्यों हो रहे हो ? अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि नयी परम्परा नहीं डालें। बिजनस आये उसके बाद ही यह पाइंट आफ आर्डर रखें।

श्री अमराराम (धोद) ध्यानाकर्षण के बाद बिजनस आएगा।

डा. एन.एस.गुर्जर : वह पर्ची आ गयी न।

श्री अमराराम (धोद) : ध्यानाकर्षण आएगा उसके बाद।

डा. एन.एस.गुर्जर : पर्ची आ गयी, 295 आ गये, उसके बाद ही तो बोलूंगा मैं।

श्री अमराराम (धोद) : 131 आएगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरी प्रार्थना है कि नयी परम्परा नहीं डाली जाए।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, जीरो आवर के बाद जैसे ही काम शुरू होगा, विधायी कार्य या सदन की मेज पर रखे जाने वाले कोई, तब आप कुछ उठा सकते हैं पाइंट आफ आर्डर। इससे पहले कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है।

डा. एन. एस. गुर्जर : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सैनी कृषि मंत्री, आप प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड का 25 वां प्रतिवेदन (2002-03)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 2002-2003 सदन की मेज पर रखता हूं।

डा. एन.एस.गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन रखा जा रहा है। माननीय मंत्रीजी ने प्रतिवेदन रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप उनको रख तो लेने दीजिए। सदन की मेज पर, उसके बाद कुछ कहिएगा। उनको सदन की मेज पर तो रख लेने दो।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं दूसरे विषय में हूं। यह रखें उसके पहले एक पाइंट आफ आर्डर रेज करूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : तो रख दिया मैंने।

श्री अध्यक्ष : हां, इन्होंने तो रख दिया।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, आपने रख दिया तो ठीक है। इसको रखा हुआ मान लें। मेरा पाइंट आफ आर्डर सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सुनूंगी लेकिन एक समिति का प्रतिवेदन और उपस्थापित कर लेने दो। फिर सुनूंगी आपका पाइंट आफ आर्डर । श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

समिति का प्रतिवेदन प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का प्रतिवेदन (संख्या-1)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2004-2005 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

जिला बूंदी से संबंधित दो याचिकाओं का उपस्थापन

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं (1) जिला बूंदी स्थित झर महादेव सम्पर्क सड़क का डामरीकरण करवाये जाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं (2) जिला बूंदी के मोतीपुरा बांध की ऊचाई बढ़ाने एवं नहरों की मरम्मत करवाये जाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी ।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र अजमेर में पानी की समस्या के समाधान हेतु बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाने बाबत।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांवों एवं शहरों के क्षेत्र में विगत दस वर्षों से पेयजल की काफी गम्भीर समस्या है। समस्या के निदान हेतु जिला स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था का भी सर्वे हुआ है, जिसके अनुसार एक सर्वे बीसलपुर बांध से किशनगढ़ को निर्बाध रूप से पानी सप्लाई करवाया जाना था लेकिन वर्तमान में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप याचिका का उपस्थापन करेंगे, केवल याचिका का उपस्थापन कर दीजिए।

किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र से संबंधित दो याचिकाओं का उपस्थापन

श्री भागीरथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै (1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या का निराकरण हेतु बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका एवं (2) किशनगढ़, अजमेर स्थित सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय को अधिशाषी अभियंता कार्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् याचिका को उपस्थापित करता हूं।

राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय ज्योतिनगर, जयपुर में सुविधाओं विषयक

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, नवीन ज्योति नगर, जयपुर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने बाबत् चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम- 131 के अन्तर्गत राव राजेन्द्र सिंह ...(व्यवधान)...

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप परमिशन देंगे मुझे ?

श्री अध्यक्ष : परमिशन क्यों ? आप कोई पाइंट आफ आर्डर हो तो वह रेज कर सकते हैं। बाकी ऐसे क्या परमिशन दूंगी ?

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : हां, पाइंट आफ आर्डर रेज कर सकते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

प्राशासनिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक

डा. एन.एस.गुर्जर : धन्यवाद। मैं आर्टिकल 256,252,352,353,356, की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाने जा रहा हूं जो कि भारत के संविधान के फैडरल स्ट्रक्चर के और भारत के संविधान की मूल भवना के विपरीत कल कार्य हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कल 18 जुलाई को प्रधानमंत्रीजी ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा है और उस पत्र की कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

इसमें माननीय प्रधानमंत्रीजी ने मुख्य मंत्रियों से लिखा है। उसके यह एब्सट्रैक्ट, जो उन्होने प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजे हैं, मैं आपके सामने सदन में पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

श्री रामनारायण मीणा : यह पाइंट आफ आर्डर है क्या ?

डा. एन.एस. गुर्जर : Maintenance of law and order ...

आप सुनिये तो सही।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पाइंट आफ आर्डर है क्या ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनिये तो सही। पाइंट आफ आर्डर है, सुनिये न आप, बैठिये तो सही।

श्री रामनारायण मीणा : प्रधानमंत्रीजी, किस तरह की व्यवस्थाएं (व्यवधान)

डा. एन.एस.गुर्जर : आप पहले पाइंट आफ आर्डर तो सुनिये।

श्री रामनारायण मीणा : आप 294 पढ़ लीजिए।

डा.एन.एस.गुर्जर: पहले आप सुनिये कि पाइंट आफ आर्डर क्या है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था नहीं दे सकती जब तक कि मैं सुन नहीं लूं। सुनो तो सही।

डा. एन.एस.गुर्जर : आप बिना सुने कैसे...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप अपनी व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये । जब तक मैं सुन नहीं लूं, जब तक मैं औचित्य के प्रश्न पर क्या व्यवस्था दूंगी ? मैं सुनूं तो सही कि वे क्या बात कहना चाहते हैं। पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री रामनारायण मीणा : यह औचित्य के प्रश्न की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन के रिकार्ड में लाने की साजिश है। कम से कम आसन को ऐसी साजिश को रोकना चाहिए।

डा. एन.एस.गुर्जर : कौनसी साजिश है ?

श्री रामनारायण मीणा : और ऐसी साजिश नहीं हो और इस तरह की गलत बातें सदन में नहीं आनी चाहिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह कांस्टीट्यूशन का मामला है।

I can tell you.

श्री रामनारायण मीणा : पाइंट आफ आर्डर का मतलब क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : बिना सुने क्या व्यवस्था दूंगी ? वे खड़े हुए हैं तो बिना सुने मैं क्या व्यवस्था दूंगी ?

डा. एन.एस.गुर्जर : आप विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : प्रधानमंत्रीजी का नाम आया है। प्रधान मंत्रीजी के पद की बात आ रही है।

डा. एन.एस.गुर्जर : आप विराज जाइये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामनारायण मीणा : आप प्रधानमंत्रीजी के बारे में यहां डिस्कस करें तो वह पाइंट आफ आर्डर है क्या ?

डा. एन.एस. गुर्जर : आप पहले सुनिये तो सही न कि क्या है। आप विराज जाइये

श्री रामनारायण मीणा : मेरे को तो एक दिन ...(व्यवधान)

डा. एस.एन. गुर्जर : आप विराज जाइये। मैं अध्यक्ष महोदय से परमिशन लेकर बोल रहा हूं। आपके मैं इण्टर फेयर नहीं करता, जब आप बोलते हो तो।

श्री रामनारायण मीणा : विधायक महोदय, यह पाइंट आफ आर्डर ... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय सदस्य, आप बोलते हो तो मैं इण्टर फेयर नहीं करता। प्लीज..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रधानमंत्रीजी का जिक्र करना भी क्या ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं आसन से निवेदन कर रहा हूं कि आसन को ऐसी प्रवृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह मैं आर्टिकल का प्रोविजन देकर उठा रहा हूं।

"Maintenance of law and order is critical in providing an atmosphere conducive to economic, development, social and harmony. Challenges of law and order as well as development require stability of tenure of officials in key positions. Frequent transfers of public servants have debilitating impacts not only on their performance and morale but also on the whole process of governance. Administration also knows learning that to a large extent depends on the regularity of tenure. Therefore I urge you to ensure; 'Therefore I urge you to ensure', the stability of tenure to officials in key positions in order to ensure effective administration and proper delivery of public service. We need to redesign our public system to make officials accountable for delivery of public service by giving rights to the citizens as well as officials."

श्री अध्यक्ष : क्या आप प्रधानमंत्रीजी ने जो पत्र लिखा है, उसे पढ़ रहे हैं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : हां।

श्री अध्यक्ष : यह पत्र आप लाये कहां से ?

डा. एन.एस. गुर्जर : उसका एब्सट्रेक्ट जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ है एब्सट्रेक्ट प्रेस को, उसके एब्सट्रेक्ट को पढ़कर मैंने सुनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने स्टेट्स के मुख्य मंत्रियों को डाइरेक्शंस नहीं हैं, दिये हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्मन सिंह : यह डादरेक्शंन नहीं है, पहली बात तो यह है।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं-नहीं, आप पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। (Interruption) माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Whatever he says is absolutely incorrect and it is a misinterpretation of the letterax.

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हो ?

डा. एन.एस.गुर्जर : आप अपनी बात कह लेना पर मुझे Let me finish first.

श्री रामनारायण मीणा : बात कहने का सवाल नहीं है।

डा. एन.एस.गुर्जर : Let me finish. I am not yielding please.

श्री रामनारायण मीणा : उस पत्र के बारे में कोई यहां पर विवाद (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आप मेरी बात सुनिये । आप मुझे फिनिश करने दीजिऐ। I am just speaking. आप अपनी बात रख लेना मेरे बाद में।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बात वही है जो...

डा. एन.एस.गुर्जर : मेरे बाद आप अपनी बात रख देना जो आप बोलना चाहते हो। Why are you disturbing me ?

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बात... (व्यवधान) पहली बात तो अंग्रेजी में बोल रहे है। आप व्यवस्था दीजिए कि कम से कम अंग्रेजी की हिन्दी तो ट्रांसलेट तो करें। (व्यवधान)

डा. एन.एस.गुर्जर : हां, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, आप विराजिये। ट्रांसलेट कर रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा : आप हैड-फोन लगवाइये। यहां पर काफी मैम्बर्स हैं जो ...(व्यवधान)

डा. एन.एस.गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस पत्र के द्वारा ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : हम सुन नहीं पा रहे हैं, गांव के लोग हैं जो (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : इस पत्र द्वारा (व्यवधान) सुनों तो सही, मैं समझा रहा हूं, बैठ जाइये। इंग्लिश नहीं आती है तो बैठ जाइये आप।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आप आसन के द्वारा जो ...(व्यवधान)...

डा. एन.एस.गुर्जर : मैं समझा रहा हूं, आप विराज जाइये।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन में यह... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप इनको मत दीजिए डाइरेक्शन। यह आसन कहेगा कि कौन बैठेगा और कौन खड़ा होगा। आप नहीं कहेंगे। (व्यवधान)

डा. एन.एस.गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करता हूं लेकिन बारबार वे इण्टर फेयर कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं माननीय सदस्य से कि आप जब बोलते हैं तो मैं बीच में इण्टर फेयर नहीं करता हूं।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, यह बोलने का सवाल नहीं है। सदन किन्हीं परम्पराओं से चलता है। क्या इस तरह से प्रधानमंत्रीजी के लैटर पर डिस्कस हुआ है और क्या पाइंट आफ आर्डर में, ऐसा कल का लैटर है (व्यवधान) माननीय तिवाड़ी साहब, मैं आपकी विद्वता को समझता हूं, जानता हूं और पहचानता हूं और मैंने देखा है लेकिन कृपा करके आप ही बोल दीजिए। सरकार में आप...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं एल.एल.बी. हूं और यह एल.एल.एम हैं। मैं कहां और यह कहां ?

श्री रामनारायण मीणा : आपके सदस्य सदन का टाइम जाया करें (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सम्माननीय सदस्य हैं इसलिए वहां बैठे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : और संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप कृपा करके उनको भी सन्तुष्ट कर दीजिए ताकि कम से कम (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एल.एल.बी. बन गये है और एल.एल.एम. मंत्री नहीं बनें।

एल.एल.एम. तो मंत्री नहीं बनें और एल.एल.बी. मंत्री बन गये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें क्या हुआ ? मंत्रियों से बड़े बनाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सवाल तो यह है ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जो मेरी आपत्ति है, वह यह है कि इस तरह का पत्र लिखकर कि कौन अधिकारी कितने समय तक कहां लगेगा या नहीं लगेगा, यह कहकर जो कांस्टीट्यूशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो शक्तियां प्रदान की गयी है केन्द्र और राज्यों को, उसका यह सीधा-सीधा वायलेशन है और संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है और फैडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। सरकारिया कमीशन ने भी बार-बार अपने प्रतिवेदन में इस संबंध में आगाह किया है कि केन्द्र सरकार को, कि राज्यों के प्रशासनिक कार्यो में वह दखल नहीं दे। यह पत्र लिखकर मैं 256 ए चैप्टर सेकिण्ड आफ दी कांस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो स्टेट और सैंट्रल के बीच है, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो वह पढ़ दें जो उन्होंने यह डायरेक्शन दिये हैं कि सैंट्रल इस मामले के अंदर स्टेटस को किसी प्रकार से डायरेक्शंस नहीं देगा।

डा. एन.एस.गुर्जर : मैं वो कोट कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैडम स्पीकर, यह डायरेक्शंस नहीं हैं। मैं आपसे... (व्यवधान) कृपया आप डायरेक्शन वर्ड का.. I urge ... (interruption)

डा. एन.एस. गुर्जर : मै कांस्टीट्युशन का आर्टिकल कोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह खड़े हैं Let him read.

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका आसन कैसे मान लेगा कि डायरेक्शन दिये हैं। डायरेक्शन नहीं दिया है, अर्ज किया है। एडवाइजरी इन द नेचर है। इसमे क्या बुरा है ?

डा. एन.एस.गुर्जर : मैं कांस्टीयुशन का आर्टिकल ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम लोग नहीं कहते थे आपको कि फ्रिक्वंट ट्रांसफर नहीं होने चाहिये। (व्यवधान) एक एडवाइजरी है कि आपका डवलपमेंट वर्क हैम्पर करता है। भले ही एडवाइज का यहां गलत इन्टरप्रिटेशन करके हाउस को मिसलीड करना चाहते हैं। पहली बात तो यह कि आर्थेटिक लैटर की कापी नहीं है। (व्यवधान)

डा. एन.एस.गुर्जर : मुझे पूरा तो करने दीजिये । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, आप बहुत बोल लिये। अब एक मिनट रूक जाइये। आप एक मिनट रूकें । अब आप नियम से लाइये यहां पर।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह यहां का विषय ही नहीं।

डा. एन.एस.गुर्जर : कैसे नहीं है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहली बात यह कि इन्होंने इतना टाइम ले लिया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन होगा तो हमें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें। वह क्या कहना चाहते हैं एक बार आप विराज जाएं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे मेरी पुरी बात कह लेने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात हो जाने दें उसके बाद आप जो कहे वह सुन लेगे। मेरी पूरी बात हो जाने दें। (व्यवधान) कृपया मेरी पूरी बात हो जाने दें। आर्टिकल 256 के तहत राज्य क्या करेंगे, केन्द्र क्या करेगा इसमें एडमिनिस्ट्रेट रिलेशंस दे रखें हैं। उन्होंने कहा- "Obligation of States and the Union: The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose."

पार्लियामेंट में जो कानून बनाया गया और उसकी पालना उन राज्यों में की जा रही है जो लागू हुई है जिन राज्यों में, एक तो इस संबंध में केन्द्र सरकार डायरेक्शन दे सकती है। या, दुसरा ए 352 के तहत यदि इमरजेंसी लगा दी जाये और इमरजेंसी के बाद 353 का ए जो इफेक्ट क्या होगा, उसमें कहा है- " Notwithstanding anything in this Constitution the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to any State as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised."

हिन्दी में पढ़कर सुना देता हूं, माननीय सदस्य चाहते हैं। इस संविधान में इस बात के होते हुए भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। यह है आपातकाल की घोषणा का प्रभाव, उसमें तब डायरेक्शन दिया जा सकता है। और एक 356 के तहत अगर आपातकाल की घोषणा हो जाती है, जिसमें वहां की मशीनरी डिफेक्ट हो जाये, उस स्थिति में दे सकता है। बाहर से एग्रेशन हो जाये उस स्थति में केन्द्र डायरेक्शन दे सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय न तो

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इमरजेंसी लगायी गयी है, न कोई एग्रेशन है बाहर से, न कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है और न कोई इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। इसलिये माननीय या सारा का सारा 252,253 ए, 256,355,356, यह सब इन सबका उल्लंघन है। इसलिए राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है इस लैटर से। इससे कांस्टीट्यूशन के फैडरल स्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। संविधान की मूल भावना के विपरीत है और मैं मांग करता हूं, मै मांग कर रहा हूं कि सरकार को समय रहते, आज तो यह लैटर लिखा है, उन्होंने यह कहा है कि उन अफसरों के तबादले नहीं किये जायें या कितने समय तक रहेंगे, कितने समय तक नहीं रहेंगे। इस तरह का लैटर लिखा है। आगे वह कह सकते हैं कि आपको कैसे काम करना है और कैसे नहीं करना है। यह सीधे सीधे राजस्थान विधान सभा के अधिकारों पर, राज्य सरकार के अधिकारों पर कुठाराघात है। इसलिए इसको रोकने के लिये केन्द्र के दखल को रोकेने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिये। इसका विरोध करना चाहिये और सदन को भी पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करना चाहिये। राज्य सरकार के बीच हस्तक्षेप किया है (व्यवधान) प्रस्ताव पास करके राज्य विधान सभा की तरफ से केन्द्र सरकार को चेतावनी देनी चाहिये कि हमारे अधिकारों पर आप कुठाराघात नहीं कर सकते। हम स्वतन्त्र हैं। विधान सभा का स्वतंत्र चुनाव हुआ है और विधान सभा और राज्य सरकार निर्णय लेने में स्वतन्त्र है।

श्री अध्यक्ष : आपके अपना पाइंट आफ आर्डर रेज कर दिया। आप अपनी बात कह दें। (व्यवधान) हां, अब आप क्या कहना चाहते हैं। आप भी कहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि माननीय सदस्य ने जिस पत्र का हवाला दिया है इस बारे में अखबारों में आया था। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : प्रधानमंत्री कार्यालय से यह लैटर प्रेस को रिलीज हुआ है। माननीय मैं करेक्ट करना चाहता हूं with the permission of Madam Speaker..

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं वही तो कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट। प्रधानमंत्री कार्यालय से 18 तारीख को जो लैटर प्रेस को रिलीज हुआ है, अखबारों को ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं वहीं तो कह रहा हूं। आप सुनो तो सही।

श्री एन.एस. गुर्जर : मेरे पास वह लैटर एग्जैक्ट तो नहीं है। उसकी कापी है। उसमें से मैने पढ़कर सुनाया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुनो तो सही ना। इन्होंने कहा अख़बार में पड़ा। बड़ी अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं न।

श्री प्रद्यम्न सिंह : हां-हां वह अख़बार में आया है। उसमें मैं इनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अख़बार में आया है लेकिन वह तो कह रहे हैं कि मुझे तो प्रेस को जो उन्होंने दी...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न : हां, तो वही अख़बार में आया है। प्रेस रिलीज भी तो अख़बार में आई है। उसे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसे मैंने भी देखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो वही तो मैं अभी निवेदन कर रहास हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंनें देखा है।

डा. एन.एस.गुर्जर : मैंने भी पढ़ा है वह प्रधानमंत्री कार्यालय से इश्यू हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, मान रहे है।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सवाल यह है एक शब्द के ऊपर यह सारा मामला है। इसका इन्टरप्रिटेशन ही इनका बिलकुल गलत है और इस सदन का समय बरबाद किया है। यह समय बरबाद करने के बहुत दोषी हैं। इतने विद्वान सदस्य होते हुए जिनके पास एल.एल.एम. की डिग्री है It is an advise in nature. "I urge" "I request you." This is only a request. He has not given any direction. तो किस संविधान का उल्लंघन हुआ है ? कौनसे संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है ? यह सिर्फ एक राजनैतिक तौर पर देश के प्रधानमंत्रीजी को कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको मेलाइन करने की चेष्टा माननीय सदस्य कर रहे हैं, जो अनुचित है। प्रधान मंत्रीजी के गरिमामय पद को, जो आज दिन तक सारी कंट्रोवर्सियों से दूर हैं, सारा देश जिनका सम्मान करता है, उनके ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लगाना, मैं नाथूसिंह जी जैसे सदस्य से मुझे उम्मीद नहीं थी। एल.एल.एम, तिवाड़ी जी को तो इसी बात की तकलीफ है कि मैं एल.एल.बी. रह गया, ला मिनिस्टर बन गया। वह एल.एल.एम. होते हुइ भी लॉ मिनिस्टर नहीं बने। आप नहीं बनने वाले। आप कैसे ही इन्टरप्रिटेशन कर लीजिये। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इस पाइंट आफ आर्डर के अंदर कोई दम नहीं है। इस पांइट आफ आर्डर को आप खारिज करें और सदन की कार्यवाही आगे चलने दें। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर उस बिन्दु पर उठाये जाते हैं जो सदन में अभी चर्चा होने वाली है। अभी जो कार्य सूची है कार्य सूची के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आने वाला है, यहां पर यह चिट्ठी कहां से आ गयी एक तो वैसे ही इन्होने बिना वजह ही पाइंट आफ आर्डर उठाया। कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों का कहीं उल्लंघन हो रहा हो या हुआ हो या कहीं कोई तस तरह का मामला चल रहा है जो नियम विरुद्ध हो या नियम विरुद्ध प्रक्रिया चल रही हो तब पाइंट आफ आर्डर आता है। इसलिए यह पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट करें। दूसरा, यह कि जैसा हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय संदस्य ने बताया कि उन्होंने एक एडवाइजरी नेचर की चिट्ठी दी है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिये हैं और कोई भी देश का प्रधान मंत्री फैडरल स्ट्रक्चर में एडवाइजरी रोल कर सकता है और मैं तो यह कहता हूं कि डायरेक्शन दे सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नो।

अनेक माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कैडर स्टेट का है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे जितने भी आई.ए.एस. कैडर के लोग हैं वह हमारी भारत सरकार के गर्वनर होते है। आई.पी.एस. उनसे गर्वनर होते हैं। उनकेबारेमें समय समय पर, मैं डी.ओ.पी. मिनिस्टर रहा हूं इनकी सरकार के वक्त में प्रधानमंत्रीजी की, कार्मिक मंत्री की चिट्ठियां आती थीं कि आप एक कलेक्टर का ट्रांसफर दो साल पहले नहीं करें। आई.पी.एस. के ट्रांसफर दो साल से पहले नहीं करें। मैं बता सकता हूं कि कार्मिक विभाग में ऐसे पत्र आये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लाओ न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पेश करो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एडवाइजरी नेचर के पत्रों के बारें में इस प्रकार से किसी को मेलाइन करना उचित नहीं है। मेहरबानी करकेजो पाइंट आफ आर्डर डायरेक्शन के संबंध में माननीय सदस्य ने उठाया है, उसको रिजैक्ट करें।

डा. एन.एस.गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है नेहरूजी ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर तो कोई भी सदस्य किसी भी समय अठा सक़ता है।

एक माननीय सदस्य : विषय नहीं हो तो भी ?

डा. एन.एस. गुर्जर : आर्टिकल संविधान के तहत... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लेकिन इस प्रश्न के ऊपर, इस पाइंट आफ आर्डर के ऊपर मैं अपनी व्यवस्था कुछ समय बाद करीब आपको 4.00 बजे के आसपास दूंगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप फिर मुख्य मंत्रीजी से पत्र मंगवा लें पहले। प्रैस की कटिंग और प्रैसकी ब्रीफिंग के ऊपर नहीं आयेगा ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, प्रैस की कटिंग पर नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्रीजी के कार्यालय से जारी प्रैस रिलीज के आधार पर बोल रहा हूं। उन्होंने रिलीज किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वाइंट आफ इन्फोर्मेशन पाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

डा. एन.एस.गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, नेहरूजी ने भी उस समय इस तरह की चिट्ठियां लिखी थी, उसका विरोध हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

डा. एन.एस.गुर्जर : किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी राज्य के मुख्य मंत्रियों को इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखी। इसलिए मैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि यह चिट्ठी राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इसको रोका जाना चाहिए। यह परम्परा ठीक नहीं है, आगे के लिए स्वस्थ लोक तंत्र के लिए ठीक नहीं है और हमारे फैडरल स्ट्रैक्चर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इसको रोका जाना चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रधानमंत्री ने सिर्फ अर्ज किया है। इन्होंने खुद ने अभी बोला "अर्ज"...

श्री अध्यक्ष : राव राजेन्द्र सिंहजी, आप बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी : अब प्रधानमंत्रीजी मुख्य मंत्रियों को अर्ज भी नहीं कर सकते तो कल पंजाब के मुख्य मंत्री को प्रधानमंत्री ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : पहले पढ़ो इसको, पढ़ने का मामला है यह।

श्री अध्यक्ष : राव राजेन्द्र सिंहजी खेल कूद मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : आज मुख्य मंत्रियों को आप इतना आजाद करना चाहते हो, क्या इस देश को बांटना चाहते हो ? क्या हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री फैडरल स्ट्रैक्चर के अन्दर अर्ज भी नहीं कर सकते ?

डा. एन.एस.गुर्जर : पढ़ो पहले। पढ़ाई कर के आओ पहले।

श्री हेमाराम चौधरी : अर्ज भी नहीं कर सकता ? अर्ज के लिए इतनी आपत्ति हो रही है, तकलीफ हो रही है इनको तो फिर यह चाहते क्या हैं ?

डा. एन.एस.गुर्जर : पहले कांस्टिट्युशन पढ़ो । ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : शेर निकलेगा, आज तो यह खरगोश निकला है कल शेर निकल सकता है इस तरह से, इसका विरोध होना चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी : दूसरी तरफ अर्ज किया है सिर्फ, अर्ज तो कोई भी साधारण नागरिक भी अर्ज कर सकता है हाथ जोड़ कर।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने व्यवस्था दे दी। स्थान ग्रहण करने के लिए कह दिया।

श्री हेमाराम चौधरी : आपसे ऐसा अनुरोध है कि इस प्रकार का अर्ज परिवार कल्याण के मामले में ऊपर से पत्र आता है। यहां पर परिवार कल्याण मंत्रीजी के पास निवेदन करते हैं कि इस प्रकार से परिवार कल्याण राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, इसको लागू किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आप क्या कहना चाहते है ?

श्री हेमाराम चौधरी : केन्द्रीय मंत्रियों से यहां पर पत्र आता है मंत्रियों के पास कि यह योजनावं हैं, इस प्रकार से इनके क्रियान्विति की जाए।

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं करें। अंकित नहीं हो।

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

डा. एन.एस. गुर्जर : xxx

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य और गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, दोनों से में निवेदन करती हूं कि आपस में एक.-दूसरे सेबात नहीं करे, आप आसन को सम्बोधित करें। आसन की तरफ देख कर बात करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कुछ कहना है। यह प्रश्न वैसे काफी गम्भीर है पर मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसका जवाब देने में प्रति पक्ष सक्षम साबित नहीं हुआ। कुछ अध्ययन नहीं किया है, इसलिए कुछ अध्ययन जरूर करना चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्ययन किया हुआ है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा कि टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार को जो सवाल उठाया है...

श्री अध्यक्ष : श्री राव राजेन्द्र सिंहजी खेल मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करिये।

श्री जुबेर खान : इस पत्र से ना ही किसी माननीय सदस्य का विशेषाधिकार हो रहा है और ना ही इस सदन का हुआ है। अगर यह चिट्ठी लिखी गयी है, सरकार को लिखी गयी है सदन का इस चिट्ठी के माध्यम से कोई अपमान नहीं हो रहा है, ना विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। आप कैसे कर रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जवाब देने में सक्षम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : राव राजेन्द्र सिंहजी, ध्यान आकर्षित करये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में क्रिकेट संघों द्वारा की जा रही अनियमितताएं

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम-131 के अन्तर्गत राज्य में क्रिकेट खेल में क्रिकेट संघों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं शाहपुरा स्टेडियम के निर्माण में की गयी अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में युवा एवं खेलकूद मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री यूनुस खां (युवा एवं खेदकूद मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा शाहपुरा कस्बे में स्टेडियम निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्न संख्या 469, खेल, तारांकित द्वारा राव राजेन्द्र सिंहजी के उत्तर में गत विधान सभा सत्र में यह आश्वासन दिया

(13.45 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

गया था, कि शाहपुरा स्टेडियम में आबंटित भूमि एवं परियोजना पर 9 लाख रुपये की लागत के सम्बन्ध में जांच करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा तीन सदस्यों की समिति का गठन कर इन प्रकरण की जांच करायी गयी। कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से विस्तृत जांच करवाने का निर्णय लिया गया। उक्त जांच हेतु दिनांक 16.6.2004 सार्वजनिक निर्माण मंत्री को शाहपुरा स्टेडियम हेतु आबंटित भूमि एवं परियोजना पर 9 लाख रुपये के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से जांच करावाये जाने हेतुनिवेदन किया गया लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। अत : यह जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

दूसरा, माननीय सदस्य ने राज्य में क्रिकेट खेल में बरती जा रही अनियमितताओं को दूर कर के खेल के विकास के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित प्रस्ताव रखा है। इस सम्बन्ध में तथ्यों के आधार पर यह सही नहीं है कि

(श्री युनुस खां)

राजस्थान राज्य में क्रिकेट देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। क्रिकेट में खेल में राज्य के अनेक खिलाडियों ने सीनियर, जूनियर वर्ग में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधत्व किया है। ऐसे खिलाडियों में गगन खोड़ा, विनीत सक्सेना, विवेक यादव, अंशु जैन और अनूप दवे आदि प्रमुख हैं।

इस वर्ष 17 वर्ष आयु वर्ग में राज्य टीम देश के प्रथम चार स्थानों में रही है जो कि गोरव का विषय है। राजस्थान टीम ने पिछले वर्ष अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण देश की श्रेष्ठ 12 टीमों के ग्रुप "ए" में खेली है। इससे जाहिर है कि राजस्थान अपनले अच्छे प्रदर्शन से देश की श्रेष्ठ 12 टीमों में शामिल है।

जहां तक क्रिकेट खेल में सुविधाओं का प्रश्न है, परिषद द्वारा वर्तमान में आठ जिला मुख्यालयों पर इस खेल से सम्बन्धित प्रशिक्षक लगाये हुए है, इनके द्वारा खिलाडियों को वर्ष पर्यन्त प्रशिक्षण एवं खेल सामान नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। परिषद द्वारा विगत 46 वर्षों से केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह परिषद की अत्यन्त महत्वपूर्ण गतिविधि है। क्रिकेट को इन शिविरों में सदैव शामिल किया जा कर प्रतिभावान खिलाडियों को प्रशिक्षण, भोजन एवं आवास की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जाती है एवं खिलाडियों को यात्रा भ्त्ता परिषद द्वारा दिया जाता है। इस वर्ष राज्य में क्रिकेट खेल के विकास हेतु 3,21,431 रुपये के क्रिकेट उपकरण क्रय किये जाकर जिलेवार वितरण किये गये है।

अत: यह सही नहीं है कि राज्य सरकार ने क्रिकेट के विकास के लिए समुचित बजट व अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवायी है।

राज्य में क्रिकेट खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वावधान में किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं के लिए समय-समय पर संघ नियमों और शर्तो का निर्धारण कर सम्बन्धित इकाइयों को प्रेषित उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु परिपत्र भेजता है।

विगत चार वर्षो में राजस्थान क्रिकेट संघ ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है। संघ द्वारा अपने संसाधनों से ही प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है। राजस्थान क्रिकेट संघ

(श्री युनुस खां)

द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार विभिन्न जिला क्रिकेट संघों के यचनकर्ताओं के चयन एवं प्रक्रिया मुख्य रूप से जिला संघों की साधारण सभा के सदस्यों द्वारा की जाती है जिनमें आधिकांशत: स्थानीय खिलाड़ी ही लिये जाते हैं।

राज्य क्रिकेट संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए अलग-अलग नियम समय-समय पर बनाये जाते हैं जिन्हें प्रायोगिक तौर पर उपयोग में लिया जाता है।

माननीय सदस्य द्वारा जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा प्रयोगिक तौर पर आयोजित प्रतियोगिताओं का दृष्टांत वर्णित किया गया है। इस सम्बन्ध में क्रिकेट संघ द्वारा अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय जिला स्तर पर क्रिकेट खेल के विकास की दृष्टि से एवं खेल के प्रति लगाव जागृत करने हेतु इस प्रकार की प्रायोगिक प्रतियोगिताओं का आयोजन समय-समय पर किया जाना बताया है।

खेलों में निश्चित आयु से अधिक आयु के खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा निम्नांकित प्रयास किये जाने हेतु लिखा है- अण्डर 15 की प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी को दो साल से अधिक नहीं खिलाया जाता है। अण्डर 17 एवं 19 की प्रतियोगिता में खिलाड़ी तीन साल ही खेल सकता है, तदुपरान्त नहीं। इस प्रकार पत्येक खिलाडी को यह जानकारी हो जाती है कि वह दो अथवा तीन साल के उपरान्त सम्बन्धित प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेगा परिणामत: वह सही एवं उपयुक्त आयु वर्ग ही चुनेगा। प्रत्येक आयु वर्ग की प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ी से जन्म तिथि के प्रमाण स्वरूप विद्यालय का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, नगरपालिका का प्रमाण पत्र एवं सैकण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।

तीसरा, उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो एक्सरे द्वारा खिलाड़ी के जन्म तिथि सम्बन्धित तथ्य एकत्रित किये जाते हैं चूंकि इस पद्धति से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इसलिए इसका बारबार उपयोग किया जाना संघ ने उपयुक्त नहीं माना है।

चौथा, दो अथवा तीन वर्ष तक सम्बन्धित वर्ग की प्रतियोगिताओं में खेलने के नियम को राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकृत किया गया है। वस्तु : स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों जो बातें मैंने जिसके लिए ध्यान आकर्षित किया प्रत्यक्ष में नहीं तो परोक्ष में मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर चुके हैं। राजस्थान के अन्दर क्रिकेट के जो खिलाडियों का चयन होता है वह राजस्थान क्रिकेट संघ करता है और राजस्थान क्रिकेट संघ पर राजस्थान सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है तो निष्पक्षता की जांच खेलकूद मंत्री कैसे कर पाएंगे। जोय हां की डिस्ट्रक्ट कौन्सिल्स हैं या परिषद है या राजस्थान की जो स्पोटर्स कौन्सिल है वह किसी भी तरीके से यह चयनकर्ता की जो प्रणाली है उसमें न तो हस्तक्षेप कर सकती है न हस्तक्षेप करने का इन्होंने कभी सोचा। ये यह कह रहे हैं कि जो कुछ भी प्रक्रिया इस्तेमाल होती है वह सही है। उसके नियम हैं।

हम यह पूछना चाहते हैं कि एक निजी संघ जिसका नाम हो सकता है राजस्थान क्रिकेट संघ हो, वह जब इन खिलाडियों का यचन करता है। और जब यह ले जाता है, वहां जब यह खिलाड़ी खेलते हैं तो यह कोई नहीं पूछता कि किस संघ के हैं क्या। वहां राजस्थान प्रदेश के नाम से यह खेल खेलते हैं और जिस ढंग की प्रक्रिया लागू हुई है यह सबको विदित है कि पिछले चालीस साल से एक परिवार और एक गुट विशेष राजस्थान के प्रमुख खिलाडियों का अपने मन मर्जी से अपने मापदण्डों से चयन करता है। कोई साधारण व्यक्ति अगर पहुंच नहीं रखता हो वह अपने योग्यतम बच्चे को भी क्रिकेट की उच्चतम परिषद में नहीं पहुंचा सकता या खेल में प्रतिस्पर्धा करने का मौका उसे नहीं मिलता। यह बात यह स्वीकार कर चुके।

इन्होंने यह स्वीकार किया कि संघ को राज्य सरकार अनुदान नहीं देती। उस संघ को आपके अनुदान की आवश्यकता नहीं है। जब वह संघ बी.सी.सी.आई से करोड़ों रुपए का अनुदान ले लेता है तो लाखों रुपए के अनुदान की उसको प्रदेश सरकार से क्या आवश्यकता पड़ी। हाल ही में यह संघ एक करोड़ से कुछ कम जिम बनाने के लिए सी.सी.आई. से अनुदान लेकर आया है। अब हम यह पूछना चाहेंगे राजस्थान सरकार से अनुदान तो यहां के खिलाडियों को प्रशिक्षित करने और इस खेल से जुड़े हुए जो भी व्यायाम होते हैं वह करने के लिए है1 वह न तो एस.एम.एस.स्टेडियम में लगा हुआ, न मानसरोवर स्टेडियम पर लगा हुआ है। आखिर वह जिम लगा है तो कहां लगा है। अगर आपका यही कथन है कि जो प्रक्रिया और अनुदान मिलते हैं वह सही ढंग से इस्तेमाल होते हैं। तो सिर्फ अगर आप यह कह लें और यह भी स्वीकार

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)
करते हैं कि जो कुछ भी खिलाडियों का चयन होता है, जो जिले पर यह संघ बने हुए हैं जैसे जयपुर में जयपुर क्रिकेट एसोसिएशन बना हुआ है, उनके लोग इनका चुनाव करते हैं या इन खिलाडियों का चयन करते हैं और योग्यतम खिलाड़ी सारे जिलों से आते है। उनमें से 12,15,16 या 20 जो भी हो, आप करते हैं।

अब हमें यह बता दीजिए, इसमें यह भी बात कही गयी है इनका जो चयन है या जो मैम्बर हैं इनकी एसोसिएशन के वह वहां से चुने जाते हैं। इनको यह पूछिए कि पिछले कितने वर्षो से चुनाव नहीं हुए इन संघों के। जब आपके चुनाव नहीं होते हैं, संघ के कुछ व्यक्ति वहां बैठे रहेते है और बात कर रहे हैं कि हम 12 में से एक थे साहब, आप इक्कीसवीं शताब्दी की बात कर रहे है। यहां श्रेष्ठ की बात नहीं हो रही, सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है, यहां उत्तम की बात नहीं हो रही, सर्वोत्तम की बात हो रही है। राजस्थान कौनसे फाइनल में पहुंच गया है आज तक ? हम बता दें आपको रणजी ट्राफी के इनके आपकी प्रमाणित रिपोर्ट है इस बात की, विगत दस वर्षो की बात अर्ज कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, दस वर्षो में 1994-95 से 2003-04 में जयपुर के सिर्फ 13 खिलाडी ही रणजी ट्राफी में पर्दापण करें, उसमें 1989-90 से 1993-94 में यह संख्या सिर्फ 8 थी, 2003-2004 में खाली ट्राफी में शहर के सिर्फ दो खिलाडी गये, 2002-2003 में तो कोई गया ही नहीं । और यह कह रहे हैं कि हम वरिष्ठतम सूची में है "ए" ग्रुप में खेलते है। आप खेलते तो पता नहीं कितने खेलें होंगे, लेकिन आप क्या सर्वोत्तम कसौटी पर खरे उतरते है या नहीं उतरते हैं ? इसलिए नहीं उतरेते कि जो प्रक्रिया आपने इस्तेमाल कर रखी है,जो योग्य खिलाड़ी है, जो किसी गांव में है, किसी ढ़ाणी में हैं वह अगर पहुंच नहीं रख सकता है इस गुट विशेष तक, वह चाहे कितनी ही योग्यता रखता हो, कहीं न कहीं उसके हौंसले इस प्रक्रिया के इस्तेमाल होने से पस्त हो जाते हैं और नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाकर उदर पूर्ति का कोई दूसरा साधन ढूंढ़ता है। ध्यान हमने इसलिए आकर्षित किया ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस सम्बन्ध में स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछ सकते है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : मैने प्रश्न ही पूछा है। इन्होंने जो उत्तर दिया उसी का स्पेसिफिक प्रश्न में पूछ लेता हूं। राजस्थान सरकार के अन्दर की बात नहीं है यह विधायिकी कार्य की बात है. This House is of a legisalation... (Interruption)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट राजेन्द्र सिंह जी, क्या आप यह चाहते हैं इस सलेक्शन प्रोसेसे के अन्दर, जो मैं समझ पाया हूं आपकी बात, आप तशरीफ रखें तो मैं अपनी बात कहूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ पाया हूं, बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य ऐसा सुझाव दे रहे हैं कि इस सलैक्शन प्रोसेसे के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होना चाहिए, यही बात मैं समझ पाया हूं इनकी बात से। हालांकि इतना बड़ा क्योंकि आपने प्रश्न की जगह एक तरह की डिबेट सी हो गई है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, मैं मंत्री महोदय की राय से सहमत हूं। आप अखिल भारतिय स्तर पर देख लीजिए, किसी खेल के अन्दर देख लीजिए, ना तो केन्द्र सरकार का इंटरफियरेंस है। किसी भी स्पोर्ट्स में, हाकी है, फुटबाल है, एनी गेम, सारे के सारे उनके संघ की जो चयन प्रक्रिया है उसके तहत चयन होता है। हिन्दुस्तान के अन्दर जो क्रिकेट टीम का चयन होता है वह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने हिसाब से उनकी सलैक्शन कमेटी है वह करती है। ऐसे ही यहां सलैक्शन कमेटी है। इस प्रकार के खेलों में किसी भी स्तर के ऊपर सरकार का इंटरफियरेंस नाम की कोई चीज सलैक्शन प्रोसेसे के अन्दर नहीं है। एक प्रक्रिया है तो मेरा तो आपसे से अनुरोध है, आप अखिल भारतीय स्तर के ऊपर हर प्रदेश के अन्दर जो चयन प्रक्रिया है और मुझे किसी से मतलब नहीं है कि किस गुट का कब्जा है। शौक जरूर है क्रिकेट देखने का बाकी किस गुट का कब्जा है, कौन गुट है इससे कोई लेना व देना नहीं है। इनके अन्दर भी, क्योंकि कल सरकार, मान लीजिए किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया के अन्दर आती है, तो इसके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी कि राजनीतिक आधार पर खिलाडियों का चयन किया गया है। वह और भी बुरा होगा।

इसलिए जो आपकी चयन की प्रक्रिया है खिलाडियों की तो इसको किसी भी सूरत के अन्दर सरकार के इंटरफियरेंस से दूर रखना चाहिए। यही मैं माननीय बैराठ से आने वाले सम्माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अगर आपकी इजाजत हो तो इस पर एक छोटा-सा उत्तर दे दूं। आखिर सरकार तो कहीं न कहीं आन्सरेबल है। हम यह क्यों नहीं मानते हैं कि सरकार जहां भी इन्वाल्वड होगी वहां इम्पार्शलिटी नहीं होगी। यह बुनियादी सवाल ऐसा है उसी को हम अपने जेहन से हटा दें। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहते हैं वह पूछिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : हां, वह मैं पूछ लेता हूं. Sorry for interruption. मैं सिर्फ इतना-सा पूछना चाहता हूं मंत्री जी से जो चयन की प्रक्रिया है इस चयन की प्रक्रिया का सही इस्तेमाल होता है या नहीं होता है ? उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं।

दूसरी बात है, सारे प्रश्न मैं एक साथ ही कह देता हूं फिर आप उत्तर दीजिएगा। दूसरा, जितना भी अनुदान इनको मिलता है, जब हम अख़बार पढ़ते है, जब हम पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो आखिर knowledge is not forbiddon by law.

अगर हमारे को नालेज है कि यह अनुदान आया है तो कम से कम मंत्री महोदय ज्यादा नहीं यही पूछ सकते हैं कि आखिर यह गया कहां ? कहां लगाया है जरा हम भी देखना चाहते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। We will not be interfering in the independence of that Organization.

कहां लग रहा है। आपके पास में पासिटी आफ फण्ड्स हैं। लेकिन जो फण्ड्स आ रहे हैं, कोई अगर दानदाता दे भी रहा है तो पता करें कहां लग गया।

दूसरी बात यह है कि जो स्टेडियम में प्रतियोगिताएं होती हैं। आए दिन आप डिसाइड कर रहे है खेलों को, टास पर डिसाइड कर रहे हैं आप। टास पर डिसाइड वहां जहां कहीं ऐसा हो, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हो गयी हो, आपने प्रतियोगिताएं टास पर डिसाइड कर दीं कि जो टास जीत गया वह जीत गया। इस बात पर इनक्वायरी कभी हुई ? अब यही तो प्रक्रिया है चयन करने की।

स्टेडियम के सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहूंगा। शाहपुरा के स्टेडियम में आप जांच करवा रहे हैं। जांच तो आप तब करवाएं जब वहां कुछ बना हुआ है। फोटो खिंच गयी, अखबारों में छप गया, वहां कुछ बना हुआ नहीं है तो पी.डब्ल्यू.डी. वाला जांच क्या करेगा वहां ? वो कोई जियोलोजिकल सर्वे वाला थेड़े ही है कि वहां जाकर उस मिट्टी की जांच करेगा। आप छह महीने से जांच करवा रहे हैं। कोई बिल्डिंग बनी हुई हो, कमजोर हो, ज्यादा मजबूत हो तो जांच भी कराएं, कुछ बना ही नहीं, चार पिलर बने हैं, नौ लाख रुपए उठ गए और अब तक जांच करवा रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर द दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खांन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाए हैं, सबसे पहले तो मैं एक निवेदन कर दूं इसके दो पार्ट हैं। पहला तो राजस्थान सरकार के स्तर पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जो खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए काम किया जाता है, उसके तहत हमें अब की बार 3,21,000 क्रिकेट उपकरण हेतु जो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी कस्बों में रहते हैं, उन खिलाड़ियों को दिये हैं। सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि क्रिकेट आई.सी.सी. अन्तरराष्ट्रीय स्तर, बी.सी.सी.आई. पूरे राष्ट्रीय स्तर, आर.सी.सी. अन्तरराष्ट्रीय स्तर, बी.सी.सी.आई. पूरे राष्ट्रीय स्तर, आर.सी.ए. राजस्थान स्तर और जे.डी.सी.ए. जयपुर का जो बना हुआ है, जो क्रिकेट के सम्बन्ध में फैसला लेता है और एक स्वायत्त शासी संस्था है। जो कि पूरे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर गर्वन होती है और फिर भारतीय क्रिकेट काउंसिल से गर्वन होती है और आर.सी.ए. से गर्वन होती है, उनके चुनाव की प्रक्रिया बनी हुई है, उसके तहत चुनाव होते हैं।

(14.00 बजे)

दूसरा, आपने जो चिन्ता व्यक्त की है कि इन्होंने पैसों का जो इनको ग्रांट मिली है, एक तो मैं क्लीयर कर दूं कि पिछले चार साल में राजस्थान क्रिकेट एक्सोसियेशन ने हमारे से कोई प्रकार की ग्रांट नहीं ली है। राजस्थान राज्य क्रिकेट क्रीड़ा परिषद् जो ग्रांट देता है उसी के तहत उनकी जांच वगैरह होती है और खेल के अन्दर अलग अलग खेल संघ बने हुए हैं, राजस्थान सरकार जब तक कोई शिकायत नहीं आ जाए और कोई इस तरह से लगे सरकार को कि सही तरीके से काम नहीं करती क्योंकि इनकी अपनी स्वायत्तता है। और खेल में किसी प्रकार की राजनीति न आए, इसलिए किया हुआ है लेकिन उसके पश्चात् भी कोई संघ इस तरीके का व्यवहार करता है तो सरकार निश्चित रूप से इसमें इंटरफियर करके कार्यवाही करती है। माननीय सदस्य की चिन्ता को देखते हुए मैं हमारे प्रमुख शासन सचिव और क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाकर जो पैसे आए हैं उसमें कहां तक हम जांच करा सकते हैं, जांच करा कर हम अवगत करा देंगे।

खेल उपकरण का सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, जो ग्रांट मिर्ली है उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि जो हमारे अधिकार क्षेत्र में सरकार के है वहां तक हम जांच करवा देंगें, यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं। दूसरा...

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। चर्चा समाप्त।

व्यवस्था

कटौती प्रस्तावों पर विचार करने का दलवार अवसर

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर मैं व्यवस्था देने जा रहा हूं।

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षो से अपनायी जाने वाली पद्धति की और आकर्षित करना चाहूंगा कि सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं वह यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये। और बोलने के लिये उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिये उन्हीं माननीय सदस्यों का नाम दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वत: ही यह मान लिया जाता है वह कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गये है, वह वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है।

जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वह भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिल सके, उनके लिखित में उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाए, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है।

परिवर्तित आय-व्यय अनुमान वर्ष 2004-2005.अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री गुलाब चन्द कटारिया। गृह मंत्री अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस एवं मांग संख्या 17 कारागार विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-16 पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च,2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,84,32,22,000 (आठ अरब चौरयासी करोड़ बत्तीस लाख बाईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या-17 कारागार की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 34,64,45000 (चोंतीस करोड़ चौंसठ लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि माननीय सदस्य बहुत है बोलने वाले, सत्ता पक्ष से भी और प्रतिपक्ष से भी। आप हर माननीय सदस्य को एक सीमा निर्धारित कर दें कम समय में बोलें ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य अपने विचार यहां रख सकें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका सुझाव बहुत सही है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को सीमित समय के अन्दर समाप्त करने की कोशिश करें। श्री हरिमोहन शर्मा।

मांग संख्या-16 एवं 17 पर विचार

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : यथा सम्भव जितना जल्दी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके उपाध्यक्ष बनने और प्रथम बार उपाध्यक्ष की हैसियत से इस डिमाण्ड पर आपकी अध्यक्षता करने पर आपको बधाई देता हूं।

आज गृह विभाग की डिमाण्ड पर चर्चा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल ने जनवरी माह में गंभीरता से राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार किया था और कानून और व्यवस्था के मामले में राज्यपाल महोदय को यह बताया था इन्होंने और सुझाव दिया था कि राजस्थान में गत वर्षो में राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति किस प्रकार की रही। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पैरा संख्या 8, जिसमें कानून और व्यवस्था के मामले में लिखा है, उस और आकर्षित करना चाहता हूं। पैरा नम्बर आठ में लिखा है कि, मान्यवर, पिछली सरकार के शासन में राजस्थान जुर्म और उपराध के मामलें में देश के अग्रणी राज्यों में आ गया था जिसके कारण राजस्थान के सम्मान को गहरी चोट पहुंची थी। आगामी वर्ष में राजस्थान में कानुन और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। यह महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजस्थान के वर्तमान मंत्रिमण्डल ने पूर्व की सरकार के कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण दिया था कि राजस्थान में राजस्थान की जनता का अपमान हुआ है और उनके मान-सम्मान की रक्षा पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर सकी और हम जिम्मे लेते हैं। हम सात महीने में इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि हमारा सम्मान सुरक्षित रहे।

मै इस आंकड़ों से आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि 1 जनवरी, 2003 से 30 जून, 2003 और। जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 के आंकड़ो का आप मुलायजा फरमाएं। अगर आप संतुष्ट हों कि आपने मान और सम्मान की रक्षा इन सात महीनों की है तो मैं मेरे शब्दों को वापस लेने को तैयार हूं। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं यह साबित कर रहा हूं जो सरकारी आंकड़े है। जो आपके द्वारा दिये गये है, विभाग के द्वारा दिये गये हैं, मैं इन आंकड़ो की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1 जनवरी, 2004 से

(श्री हरिमोहन शर्मा)

इन छह महीनो में 76,124 क्राइम हुए हैं। 30 जून, 2004 तक आई.पी.सी. के अन्तर्गत 76,124 क्राइम हुए है पूर्ववर्ती सरकार के समय में। जनवरी, 2003 से 30 जून, 2003 तक 73,229 आई.पी.सी. आफेंसेज कायम हुए हैं। इस प्रकार छह माह में वर्तमान सरकार ने हमारे सम्मान की इस प्रकार रक्षा की कि करीब 3,000 क्राइम इनहोंने बढ़ाए, 3,000 अपरोध बढ़ाए इन छह महीनों में। यह कानून और व्यवस्था की एक मिसाल है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आप यह जानते थे और मैं तो यह मानता था कि प्रथम बार राजस्थान को यह सौभाग्य मिला कि महिला हमारी मुख्य मंत्री बनी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मेनडेट दिया। जनता और जनता के मेनडेट के बाद महिला मुख्य मंत्री होने के साथ-साथ हमारे राजस्थान की महिला वित्त मंत्री बनीं तो मैं उम्मीद करता था कि कम से कम वह हमारे सम्मान की रक्षा और लोगों की नहीं कर पाये हों तो भी जहां तक महिलाओं से संबधित जो आंकड़े हैं वह तो ऐसे आंकड़े होंगे कि राजस्थान की मुख्य मंत्री यह गर्व से कह सकें कि हमने राजस्थान में शासन संभालने के बाद में महिलाओं के लिए जो-जो काम किये हैं, जो अत्याचार होते थे, जो हत्याएं होती थी, जो बलात्कार होते थे, जो दहेज प्रकरण के कांड होते थे, जो परिजनों के द्वारा उनको प्रताडित करने के अपराध थे, उनमें कमी आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, महका भारत एक अख़बार है। उसके आडिटोरियल को आप देखें, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष में हम कहां से कहां पहुंचे हैं, हमारी क्या स्थिति बनी है, महिलाओं के अत्याचार के मामले में क्या किया है इस सरकार ने, मैं थेड़ा सा उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। मान्यवर, इस पूरे देश में 16075 बलात्कार के अपराध हुए और उसमें राजस्थान का हिस्सा है 1049 जहां तक बलात्कार का सवाल है। महिला अपहरण के मामले हैं। 14645, ये पूरे हिन्दुस्तान में हुए उसमें राजस्थान में 2165 महिला अपहरण के मामले आपके सामने आये। दहेज हत्या के मामले 6851 पूरे देश में हुए और इस पूरे प्रदेश में 376 इस प्रकार के दहेज हत्या के राजस्थान में हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपको सोचना चाहिए था, आपको विचार करना चाहिए था, आपको मंथन करना चाहिए था।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जब आपने रिकार्ड उठाकर देखा तो आपको याद होगा कि सन् 2002 में राजस्थान में जो अपराध का आंकड़ा था वह राजस्थान में साढ़े तीन प्रतिशत गिरकर सन् 2003 में कम हुआ है। उसी कमी होने के बाद आपके मंत्रिमंडल ने यह कहा और राज्यपाल महोदय को गुमराह करके यह भाषण दिलवाया। यह असत्य कथन कहलाया कि हमारे इस देश में राजस्थान में हमारे मान और सम्मान को इतना आघात पहुंचा है कि हम चेहरा दिखाने लायक नहीं है। और अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके दूबारा मंत्रिमण्डल की बैठक बुलवायें और कहिये कि जनवरी, 2004 में राज्यपाल महोदय जो हमने आपसे कहा था कि हमारे सम्मान की रक्षा नहीं हो रही थी। हमारा अपमान हो रहा था। देश में हम अपराधों की श्रेणी में आगे की ओर जा रहे थे। अब आप क्षमा याचना कीजिये। मंत्रिमंडल की तत्काल बैठक बुलवायें, राज्यपाल महोदय से अनुरोध कीजिये, कि हे, राज्यपाल महोदय, हम इन छः महीनों में राजस्थान के सम्मान की रक्षा नहीं कर सके। राजस्थान को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। यह वे बातें हैं जिन बातों के लिए आप राजस्थान के जो राज्यपाल महोदय हैं, उनसे क्षमा याचना करें। अपनी गलती का एहसास करें कि जहां क्राइम कम हो रहा था, वहां आपने उसे राजस्थान का अपमान बताया। अब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मदन दिलावर : सी.डी. के भी अपराध हुए हैं, उन मंत्रियों ने नोटों की थैलियां ली वह भी अपराध है वह भी गिनती में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय विराजें...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप ठहरें, आप ठहरें तो सही माननीय सदस्य, मैं कर लूंगा सब बात...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : कांग्रेस के राज में क्या हुआ वह सबको पता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें।

श्री हीरालाल (निवाई) : सौ चूंहे खाकर के बिल्ली हज जा रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कांग्रेस के राज में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में टोका-टोकी नहीं करे।

श्री हिरमोहन शर्मा : अभी माननीय मंत्रिमण्डल के सदस्य ने जिन पर कई अपराधिक मुकदमें विचाराधीन हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि सी.डी. प्रकरण में क्या हुआ। आपकी सरकार है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसे मुकदमों की मुझे चिन्ता नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब आप इनको रोकिये ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसे अपराध के प्रकरण जो मेरे पर दर्ज हुए हैं तो मैं घबराता नहीं हूं। मैंने चक्का जाम कर दिया, रास्ता रोक लिया, कलक्टर के आफिस में चला गया, चला गया, मेरा दायित्व है मैं जाऊंगा। जनता का काम करवाऊंगा और आप जैसे +++ ने मेरे ऊपर मुकदमें बनाये हैं, उसकी चिंता नहीं करता हूं, 17 बनें, 18 बनें, 20 बनें, 100 बनें, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है।

श्री सी.डी. देवल : चक्का जाम करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपने तो अल्पसंख्यकों की +++ की थी अल्पसंख्यकों की, कोटा में अल्पसंख्यकों की +++ की थी आपने...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++

श्री उपाध्यक्ष : छोड़े आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे कानून हाथ में लें, अपराध करें और इस पर अहम के साथ, गंभीरता के साथ यह कहें कि यह अपराध करना हमारा नैतिक अधिकार है। उनहोंने माननीय गृह मंत्री जी...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह अगर उपराध है तो करता रहूंगा... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय गृह मंत्री जी इन सब मुकदमों को राजनैतिक दृष्टिकोण से दागी मंत्रियों को बचाने के लिए, उन मुकदमों को वापस लेने की आप साजिश कर रहे हैं। इसकी जानकारी हमको है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सी.डी.प्रकरण में, जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय राठौड़ साहब इनसे कह दें उनको समझा दें। आप संसदीय मंत्री है, आप समझा दें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस प्रकरण को नहीं... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, +++ भरा पड़ा है केन्द्र में और यह किस मुंह से बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान मत डालें। टोका-टोकी नहीं होनी चाहिए। सदस्य को कहने दीजिये अपनी बात।

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सी.डी.प्रकरण अभी बीच में आया, सी.डी. प्रकार में आपकी सरकार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, छोड़ों उस बात को । उस बात को छोड़ें। आप अपनी बात पर आ जायें।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, मैं वही बात कर रहा हूं। जो अभी प्रकरण आया, चाहे वह आपके लिए हो, चाहे मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिए हो, चाहे हमारे लिये हो, किससे याचना कर रहे हो, सरकार आपकी है, मुख्य मंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके, गृह सचिव आपके, डी.जी.आपके, सारी सरकार पर आपका नियंत्रण और आप मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि आपने यह किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सी.डी. प्रकरण तो आपके हाथ में है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां तो दहाड़ रहे हैं और बाहर जा करके रिरियातें हैं कि बचाओं। अब इसका क्या मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो उनके आपस में...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आपसे कितनी बार कहा, मुख्य सचेतक जी आप बतायें कि आपसे कितनी बार कहा कि बताइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने मुझे कहा, जब आपने ज्योति नगर की जमीन पर अतिक्रमण किया था और उसको ध्वस्त किया था उस समय आपने कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा : किसने, किसने ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसने भंवरलाल जी शर्मा ने, सरदारशहर वालों ने।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा है असत्य बात है। महावीर प्रसाद जी जैन, यह +++ त्यागपत्र देना चाहिए। यह बात साबित हो जाये तो त्यागपत्र दे दूं, +++ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि विधायक नगर की जमीन पर आपने कब्जा नहीं किया हो और वह ध्वस्त नहीं हुई हो और आपने मुझे नहीं कहा हो तो मैं कहे जो करने को तैयार हूं। आप कहें जो करने को तैयार हूं... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय +++ है...(व्यवधान) आपके बाप-दादों ने नहीं देखी होगी...(व्यवधान) +++ आनी चाहिए। क्या बोल रहे हों ? आरोप कैसे लगा दिया...(व्यवधान) कभी ज्योति नगर का मामला आया हो तो मैं त्यागपत्र देता हूं या इनको त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तैयार हैं, तैयार हैं, बात कर लें...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : देकर देखें दुबारा ... (व्यवधान) +++ 13 दिन नहीं खा सकते...(व्यवधान) खा गये होंगे, किस वहम में हो +++ नहीं आती, या बोल रहे हो...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सख्त एतराज है सोच समझकर बोलना चाहिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाये हैं माननीय सदस्य पर इन्हें साबित किया जाय...(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : इसे साबित किया जाये ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे काम नहीं...(व्यवधान) आप बिना नोटिस दिये आ रहे हो...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : कैसे कह दिया...(व्यवधान) +++(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक्सपंज किया जाये...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : उन्होंने कहा कि वह +++ (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने छेड़ा है ? मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उन सबके लिए मैं तैयार हूं। आप किसी से भी जांच करवा लें और मैंने अगर असत्य कहा हो तो उसकी जांच करवा लें। सदन इसकेलिए स्वतंत्र है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह क्या बात है ? क्या आरोप लगा रहे हो ?... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो सदस्य यहां पर उपस्थित है...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी सी.डी. मेरे पास उपलब्ध है...(व्यवधान) यह +++ है। (व्यवधान) यह या +++ ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो जवाब देने के लिए ही यहां उपस्थित हैं। उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है श्रीमान...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : +++ बोलिये क्या बोलते हो, +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बीच में किसी भी प्रकार की टोका-टोकी नहीं करें...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महावीर प्रसाद जी काल्यों सूं घिर गये ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो उन्होंने किया है... (व्यवधान) मैंने नहीं किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने बहुत देखें हैं आप जैसे सचेतक...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई घी बांटने का नहीं है...(व्यवधान) यह पैसे का खेल नहीं है...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा है पैसे भी मैंने आपको बहुत दिये हैं।... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसने दिये है ? +++ इस जमीन पर... (व्यवधान) जो मुझे पैसा दे...(व्यवधान) ऐसा +++ जो इस धरती पर मुझे पैसे दे दें...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : और बोलूं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसका मतलब आप स्वयं ने ही स्वीकार किया है कि पैसे से इन्होंने किया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य पर जो आरोप लगाये मुख्य सचेतक महोदय, ज्योति नगर की जमीन...(व्यवधान) उसको निकाला जाये। बगैर तथ्यों के आरोप लगाना...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह गम्भीर आरोप है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कुछ आग बुझाने वाले हो और आप बिगाड़ने वाले हो।

श्री भंवरलाल शर्मा :यह क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शर्मा जी आप बैठें ...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आरोप लगाया है, आपने यह तो आप लोगों का था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। बीच में टोका-टोकी नहीं करें। माननीय शर्मा जी आप कंटीन्यू रखें।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामलें में जो भी कोई असंसदीय शब्द आये हों। उनको आप एक्सपंज कर दें। आज पहली डिमाण्ड है और आज ही इस तरह से आरोप-प्रत्यारोपण लगाने शुरू कर देंगे, एक-दूसरे माननीय सदस्य के खिलाफ, यह परम्परा ठीक नहीं है इसलिए कोई भी ऐसी बात किसी माननीय सदस्य के लिए हो, उसको आप कार्यवाही से एक्सपंज करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस बारे में कह दिया है, मैं इसको देख लूंगा। वैसे अभी अपशब्द तो इस्तेमाल नहीं किया गया, मैं फिर भी देख लूंगा।

श्री जुबेर खान : ठीक है।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास जो भी प्रकरण विचाराधीन है, चाहे वह किसी भी पक्ष और किसी भी व्यक्ति से सम्बिन्धित प्रकरण हो विचाराधीन, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण आदमी हो, आप अपने स्तर पर कार्यवाही करें और अपने स्तर पर कार्यवाही करने के बाद में जिन प्रकरणों की बात करते हों, यहां तो आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कितने ही बदले की भावना से, अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने-अपने तरीके से इन्वेस्टीगेशन को इधर-उधर मोड़ने का प्रयास करके एक अपराधी नहीं होते हुए भी आप अपराधी साबित कर सकते हो लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो दुर्गति हुई है और जो पूरे विश्व में जिस प्रकार से उन सी.डीज की जांच कराकर उनको मंगवाया हैं, उसके मामले में तो माननीय मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं है ना ? (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप लोग तो जेल में जाएंगे, हथकडियां पड़ेगी, आप लोग जेल जाएंगे, हथकडियां पड़ेगी, माननीय हरिमोहन जी, तब पता चलेगा आप लोगों को। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय गृह मंत्रीजी, आपको खुली छूट है, इस पक्ष में बैठे रहने वाले आदमियों...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अब तो जनता ने बहुमत दे दिया, जेल भेजो न ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आप भले ही मंत्री बन गए पर +++

श्री हरिमोहन शर्मा : आप किस अपराध की बात करते हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिए +++ आरोप लगाया है, प्रूव करें। मैंने किसकी हत्या की है, बताएं नाम, मैंने किसकी +++ है, नाम बताएं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर आरोप है, यह माफी मांगें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी की +++ है ? कौनसा मुकदमा दर्ज है, कौनसी धारा में मुकदमा दर्ज है ? वह व्यक्ति कौन है जिसकी +++ मैंने की है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर आरोप है। यह असहनीय है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह असहनीय आरोप है। (व्यवधान) +++ मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाएं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मदन दिलावर : सारी जनता का +++ यह और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) किसकी हत्या की है मैंने ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह आरोप सिद्ध करें। (व्यवस्था)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : उपाध्यक्ष महोदय, इस +++(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भुल गए ? +++ दूसरों की +++ की बात करते हों, +++ चाहिए। (व्यवधान) +++ जिसने राष्ट्र को आजाद करवाया, उसने हिन्दुस्तान को क्या नहीं दिया और माननीय मंत्रीजी खुद कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थानं ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं +++ के (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं। हम राष्ट्रपिता मानते हैं। आर.एस.एस. के बारे में इस तरह का आरोप लगाना (व्यवधान) अब कोर्ट ने कह दिया है कि आर.एस.एस. का महात्मा गांधी की हत्या से कोई लेना देना नहीं है (व्यवधान) सारा देश इस बारे में जानता है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : यह दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका अपराध बोध और आपके अपने मन का बोध आपको मजबूर कर रहा है कि आप कस्तूरबा गांधी के नाम पर स्कूल खोल रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरो पर । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय लोढ़ाजी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको बीच में यह टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब सी.डी. की वजह से हुआ है। उनहोंने भंवरलालजी शर्मा पर आरोप लगाया। (वयवधान) वह अनर्गल था । अनर्गल आरोप लगाया था तो नोटिस देकर लगाना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री) : +++ शब्द सहन नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मंत्री के विरुद्ध इस प्रकार की भाषा यूज नहीं करनी चाहिए थी। (व्यवधान), ये शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जबान पर है एफ.आई.आर की कोपी, उस पर इनका नाम है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप लाइए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था देदी है कि यह अंकित नहीं होंगे। माननीय सदस्यों के आरोप। माननीयय सदस्य, बीच में व्यवधान न डालें, सदन शांतिपूर्वक चलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि मैं +++ हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री सी.डी. देवल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको रोका जाना चाहिए। मेरी आप सुनिए। इनहोंने आरोप लगाया और समाज कल्याण मंत्रीजी कहते हैं, मैंने कोटा में यह तोड़ दिया, यह फोड़ दिया, यह सदन के बीच में स्टेटमेंट देते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या तोड़ दिया, क्या फोड़ दिया ? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। (व्यवधान) इन शब्दों को एक्सपेज कीजिए, उसके बाद कोई कार्यवाही करिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह सब हो जाएगा।

श्री मदन दिलावर : हर दुष्ट को तोड़ूंगा, फोड़ूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में टोका-टोकी करने से...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : यह जनता के भले के लिए सदन है, आरोप-प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं है। एक मिनट पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। इस तरह से इस सदन का हमेशा समय बरबाद किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य शर्माजी, आप कंटीन्यू कीजिए।

श्री रामप्रताप कासनिया : (व्यवधान) मुझे पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बिना किसी कारण के बीच में न टोकें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस प्रकरण की और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति इन छह महीनों में कहां से कहां पहुंची है।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कह दें।

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दें। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। मेरा एक अक्षर इधर-उधर नहीं है, एक अक्षर भी मेरा इधर से उधर नहीं है। मुझे महत्वपूर्ण तथ्य सदन के सामने लाना है। अगर कोई समय सीमा भी है तो मेरा दल आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे दिलाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कीजिए ।

श्री हरिमोहन शर्मा : मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अपराधों के सिलसिले में हम चर्चा कर रहे थे, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने अब तक जो आंकड़े दिए वह जनवरी से लेकर 30 जून तक के दिए हैं। उसमें जयपुर शहर में मई और जून में जहां पूरी राजस्थान सरकार निवास करती है, माननीय मुख्य मंत्री महोदया, निवास करती है, गृह मंत्रीजी निवास करते हैं, शासन है। यह अलग सवाल है कि कौन कितनी सुनता है और नहीं सुनता है। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन जहां पर आपका शासन है और जहां आप और हम सब लोग जिम्मेदार आदमी रहते हैं, उस जगह पर भी 2 माह में 3557, मई और जून में, ओनली मई और जून में, जनवरी से अप्रैल तक का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, 3557 आई पी सी के केसेज हुए हैं। एक चिन्ता का विषय है और कोटा सम्भाग में पिछले दिसम्बर से, जब से आपसे सत्ता सम्भाली है, 13 बलात्कार, 10 हत्या, 13 लूटपाट, यह केवल कोटा सम्भाग में दिसम्बर के महीने से, इस वर्तमान सरकार ने हमको भेंट थी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा समाचार प्रकाशित हुआ, माननीय गृह मंत्रीजी, आपने भी देखा होगा और वह यह है कि राजस्थान में पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं, कितने ही अधिकारी काम्पीटेंट हैं, राष्ट्रपति पदक प्राप्त हैं, काम करने की क्षमता और प्रशासन की ठीक से चला सकते हैं लेकिन इस बात पर आपको विचार करना पड़ेगा कि बलात्कार, हत्या और आई पी सी के ओफेंसेज में इस एक वर्ष में करीब 1400 पुलिसकर्मी पाए गए हैं। इस संदर्भ में आपको विचार करना पड़ेगा कि कानून और व्यवस्था का पालन कराने वाले कहां जा रहे हैं। इस गम्भीर स्थिति में माननीय गृह मंत्री जी आपको विचार करना पडेगा। अख़बार में एक कथन है, कथन है एडीशनल डी जी पी, रामजीवन जी मलीणा ने अख़बार वालों को बताया, उन्होंने इन अपराधों में पुलिस कर्मी जिस किस्म के हैं, उन मामलों में उन्होंने जो भावना व्यक्त की है कि अधिकारियों के निर्देश पर स्याह-सफेद काम करने वाले अधिकारी खुद ही गलत काम करने की और बढ़ जाते है। तो यह सही है कि ऊपर उच्चस्तरीय स्तर पर भी चाहे वह मंत्रिमण्डल से सम्बन्धित हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, प्रशासन के उच्च अधिकारियों से सम्बन्धित हों, कुछ निचले

(श्री हरिमोहन शर्मा)

स्तर के अधिकारियों से जब वो गलत काम करवाते हैं तो वो निम्न स्तर के अधिकारी भी उस गलत काम की और अपनी मर्जी से, स्वविवेक से उसकी और आगे बढ़ जाते हैं। यह मेरा कथन नहीं है, यह एडिशनल डी.जी. का कथन है जिस पर राजस्थान की सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कैसी राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी। आप जिम्मेदान नहीं ? आप जिम्मेदार हैं। आपके मंत्रिमण्डल का विस्तार हुआ। मंत्रिमण्डल के विस्तार के बाद राजस्थान में जो स्थितियां पैदा हुई, कहीं पुतले जलाये जा रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन किये जा रहे हैं, कहीं मनोहरथाना, इटावा, झालावाड़ बंद किये जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह विद्रोह किया जा रहा है और पूरा प्रशासनिक अमला वह बेचारा क्या करे ? आप लोगों के द्वारा किये जा रहे मंत्रिमण्डल के विस्तार से उपजी स्थिति को प्रशासन सम्भाले या इन आई.पी.सी. के ऑफसेंस में मुलजिमान को वो पकड़े ? सारी की सारी ताकत आपके मंत्रिमण्डल विस्तार के बाद इन अधिकारियों को उस और मोड़नी पड़ी। कभी 100 पुलिसवाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं तो कभी मनोहरथाना बंद होता है तो वहां होते हैं। मै निवेदन करना चाहता हूं कि शालीनता आपको रखनी पड़ेगी, एक बड़ा मन रखना पड़ेगा, एक-एक दिन में जिन-जिन विधायकों ने, आपके लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया है, एक-एक थाने में जो पहले से काम करते चले आ रहे हैं आज भी कर रहे हैं, वही काम जिनका जो धन्धा है, एक-एक दिन में आप ही के लोगों के, आप ही की पार्टी के विधायकों के खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ 20-20, 25-25 मुकदमें चल रहे हैं, 20-20, 25-25 मुकदमें कायम किये जा रहे हैं। इस प्रकार बदले की भावना से शासन नहीं करना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इसी सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं, डंके की चोट पर सही बात कहता हूं कि आपका इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट राजस्थान का है, चाहे वह कोटा का हो, चाहे पूरे राजस्थान का हो, मैं आपकी तो नहीं कहता मंत्रिमण्डल के सदस्यों के बारे में कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसा उनका आचरण है, क्या उनके धंधे है, क्या उनके परिजन काम कर रहे है इस बात की जांच हो रही है या नहीं हो रही है लेकिन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपका इंटेलीजेंस विभाग हर विधायक के मामले में इस बात की जानकारी कर रहा है कि वह किस प्रकार के काम करता है, क्या उसका व्यवसाय है, क्या उसके लड़के करते हैं, क्या इसकी जानकारी है, क्या-क्या उसमें कमजोरियां हैं, उसका नोट बनाकर के इंटेलीजेंसी के अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है। क्या आप इसको न्याय संगत मानते है ?(व्यवधान) क्या आप इसको तर्कसंगत मानते हैं ? क्या इसको उचित मानते हैं ? यह सारी की सारी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं यह आपको विचार करने के लिए बाध्य करती है। माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप शालीनता से अपना काम करते हैं, बहुत गम्भीरता से अपनी बात करते हैं, आपके कथन में, आपके बात करने की तरीके से ऐसा आभास नहीं होने देते कि कहीं आप पक्षपात कर रहें है लेकिन आप बड़े होशियारी के साथ, मै अलवर का प्रकरण आपके सामने लाना चाहता हूं, 18 चोटें आई, चार चोटें आई, 452 नहीं लगा, तैयारी करके आये, मुलजिमानों को मारने के लिए तैयारी करके आपके कार्यालय से उतर करके आये, यह आपने खुद ने माना है, आपने अपने स्टेटमेंट में दिया है फिर 307 क्यों नहीं आपने लगाया ? बहुत तरीकीब से और बहुत अक्ल के साथ उन लोगों के 451 लगाकर 307 नहीं लगाकर इस तरकीब से मदद कर दी कि वहां कानून और व्यवस्था की खराब हालत हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने वादा किया था हमसे कि 307 बनेगा, 307 की परिस्थतियां हैं, 18-18 चोटें एक एक आदमी के आई हैं, 4-4 चोटें...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आपका आधा घंटा हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी तो मेरा आधा ही नहीं हुआ। हमारा दल रिक्वैस्ट कर देगा आपसे, हमारा एक कम बुला लेना। आप हमारा एक कम बुला लेना। यह जो सारी परिसथतियां हैं वो आपके सामने हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों पर आपको गम्भीरता से विचार करना है। मैं चाहता हूं कि चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे कितने ही विभाग हों लेकिन कम से कम राजनीतिकरण में हमको पुलिस विभाग जरूर बचाना चाहिए और जगह राजनीति कर लें, अध्यापकों में बैल्ट लगाने वालों को आपके

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जंचे जहां लगा दें, दूसरे महकमों में कर दें, कहीं भी कर दें लेकिन माननीय कटारिया साहब, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर पुलिस का राजनीतिकरण हो गया, पुलिस में हम राजनीतिक रूप से काम करने वालों के हिसाब से एस.एच.ओ. और एडिशलन एस.पी. डीवाई. एस.पी., आई.जी. और डी.जी. लगाने लग गये तो आगे आने वाला समय जिस मान और सम्मान की रक्षा की आप बात कर रहे थे कि जो आपका मान और सम्मान वकौल आपके हमारी सरकार ने गिरा दिया था, आप उसको रसातल में पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे। इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधों में कई किस्म हो गई। आज ऐसे अपराधी हैं जो बड़े इंटेलीजेंट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अपराध करने के तरीकों में अन्तर आ गया, सब बातों में अन्तर आ गया। आज हम जिस प्रकार से इंवेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे वो कहीं द्रुत गति से आगे है। साधनों के दृष्टिकोण में आगे हैं, सब बातों से वो आगे हैं। यह आप और हम सब जानते हैं इस बात को हर आदमी जानता है, हर विधायक जानता है, राजस्थान का पूरा नागरिक जानता है।

ये मेडिकल कालेजेज, इंजीनियरिंग कालेजेज, पोलोटेक्नीक कालेजेज, एम.बी.ए. और ये जो इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट हैं, मैं मानता हूं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वलों को मैनेजमेंट में कुछ खर्च करना पड़ता है, उनको कुछ देना चाहिए लेकिन आप और हम उनको लूट-खसोट करने की इजाजत दे दें, आप और हम उनको लाखों रुपये वसूल करने की इजाजत दे दें, कैपिटेशन फीस के नाम पर जनता को लूटने की इजाजत दे दें, मनमानी मर्जी से पैसा लेकर के एडमिशन देने की इजाजत दे दें और फिर इस सारी इजाजत देकर के उनको लखपति से करोड़पति और अरबपति बनवा दें और फिर उनको संरक्षण दें यह न्यायोचित नहीं है गृह विभाग के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार को इस वर्तमान परिस्थतियों में इस बात के लिए कानून बनाना चाहिए कि मेडिकल कालेजेज हैं, इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, पोलोटेक्निक कालेजेज हैं इन कालेजेज में जो कैपिटेशन फीस ली जाती है, आप नहीं जानते हैं क्या मान्यवर, आप भी जानते हैं, लाखों रुपया लेते हैं जब बच्चो को ले

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जाते हैं और जब ही वो एडमिशन देते हैं और लाखों रुपये लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं और फिर उनकी गिरफ्तारी पर हम अपमानित महसूस करें, यह राजस्थान के गृह मंत्री के लिए शोभा की बात नहीं है। राजस्थान के गृह मंत्री से हम उम्मीन नहीं कर सकते। कानून में आपको क्या अधिंकार हैं, वैसे तो मैं यह चाहता हूं और मेरी भावना है कि आपके जैसे आदमी सर्वसम्मत पूर्ण अधिकारों के साथ गृह मंत्री के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। जिस सी डी प्रकरण में, जिस कॉलेज प्रकरण में पुलिस गिरफ्तार करती है उनको ले जाती है उसमें एक और तो राजस्थान की मुख्य मंत्री जोधपुर में तारीफ करती है कि हमारे शासनकाल में इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल के सींखचों में डाल दिया और उसके ठीक विपरीत राजस्थान के गृह मंत्रीजी अपमानित महसूस करें वह कंट्रास्ट है। मुख्य मंत्री क्या कहती हैं, गृह मंत्री क्या कहते हैं, मुझे पूरी सहानुभूति है आपके साथ। आपने एडिशनल एस.पी. की लिस्ट निकाली, अच्छा होता मुख्य मंत्री जी से मिलकर के निकाल लेते, साथ बैठकर के सलाह मशविरा कर लेते। आपको अधिकार था रडिशलन एस.पी. की निकालने का एक मिनट में स्टे कर दिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह इंटरनल मामला है।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : आप तो अच्छे सुझाव दो। आप तो अच्छे सुझाव तो दो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : कुल मिलाकर के वही बात करनी चाहिए जो सत्य हो। आप गम्भीर व्यक्तित्व के व्यक्ति हो, कोई स्टे नहीं किया है। निकल नहीं गई जो स्टे कर दिया हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : निकल भी गई है, लिस्ट प्रकाशित भी हो गई है, बिरलाजी ने नहीं पढ़ा हो तो वो पढ़ लें।

श्री जालम सिंह रावलोत : आपके गृह मंत्री शक्तावतजी ने क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमने जो किया न, हमने जो किया तो हम तो यहां आ गये, आप आ जाना यहां।

श्री जालम सिंह रावलोत : अकेले बाड़मेर जिले में आपके शक्तावत साहब के राज में दलितों ने एक हजार दिन धरना दिया। अकेले बाड़मेर कलक्टर के सामने दलित समाज ने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जालम सिंह रावलोत : इस तरह 17-18 हत्याओं के मुकदमें आपके यहां एक्स एम एल ए ने कराये उसी का कारण है कि आप लोग तीन लाख वोट से आपने गढ़ में हारे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है जिस आदमी के खिलाफ कानून और व्यवस्था के माध्यम से चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी हो, मैं तो किसी को जानता भी नहीं कि कौनसा मेडिकल कॉलेज कौन चला रहा है, कौनसा डेंटल कालेज उदयपुर में कौन चला रहा है, कौनसा डेंटल कालेज यहां चल रहा है, वह मेरे सामने आ जाए तो मैं शक्ल नहीं जानता हूं लेकिन एक बात तो आपने अच्छी की कि किसी मेहता नाम के आदमी को, डेंटल कालेज वाले को पकड़ा था, पुलिस ने हास्पिटल में तरकीब निकाली कि तुम बीमार बन जाओ, आराम कर लो, आपने फोरन मेडिकल बोर्ड बिठाया और कहा कि नहीं, यह बीमार नहीं है, नाटक कर रहा है, तत्काल उसको जुडिशियल कस्टड़ी में भिजवा दिया, जेल के सींखचों में भिजवा दिया। क्या हो गया था जब स्वर्णकार जी 24 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, एक बार भी विभाग के कहने के बाद भी मेडिकल बोर्ड नहीं बना, एक बार जेल में नहीं गये, एक बार जेल के सींखचों में नहीं गये और 24 दिन तक अस्पताल में ऐश और आराम करते रहे और राजस्थान के गृह मंत्री और राजस्थान की सरकार उस दृश्य को बड़ी ईमानदारी से देखते रहे। क्या बात है ? मैं तो नहीं कहता, मैं आपकी ईमानदारी पर शंका भी नहीं करता लेकिन आज यह चर्चा है कि ये मेडिकल कॉलेजेज वाले, ये इंजीनियरिंग कालेजेज बाले, ये पोलीटेक्नीक

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कालेजेज वाले जिस प्रकार की कैपिटेशन फीस का धंधा करते हैं और पैसा लेते हैं ये राजनीतिज्ञों को चुनाव में भरपूर मदद करते हैं। इसलिए उनका भी कर्तव्य है गिरफ्तारी होते ही चाहे वह जयपुर के विधायक हों, आपको टेलीफोन पर बतायें कि साहब, गिरफ्तारी हो गई और आपको चिन्तित कर दें, आप टेलीफोन करें और कहें कि साहब, डी.जी. हमारा टेलीफोन काट रहा है। आपने स्टेटमेंट दिया है, आपने भास्कर के स्टेटमेंट में बताया है, आपने अपनी लाचारी बताई। मुझे अफसोस है इस बात का कि राजस्थान का गृह मंत्री, कौन सा अधिकार है आपको ? सी.आर.पी.सी. की धारा 41 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको क्या अधिकार है ? आपको कोई अधिकार नहीं है। आप चालान देने का आर्डर नहीं कर सकते, आप एफ.आर लगाने का आर्डर नहीं कर सकते, आप चालान देने से किसी अधिकारी को रोक नहीं सकते फिर भी आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि आपने इस गिरफ्तारी से पहले हमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह आयुक्त से डी.जी. को टेलीफोन करवाया कि आप इसमें गिरफ्तारी न करें और फिर भी आपकी बात नहीं मानी। अतिरक्त मुख्य सचिव की बात डी.जी. ने नहीं मानी और उसको गिरफ्तार कर लिया। और उससे आपको अहसास हुआ कि आप अपमानित महसूस करने लगे। यह क्या घटनाक्रम सही है कि आपने क्यों कहलवाया ? आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी पुलिस अधिकारी को काग्नीजेबल आर्फेसेज में गिरफ्तारी करने से पहले न राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछने की जरूरत है और न राजस्थान के गृह मंत्री से पूछने की जरूरत है, न राजस्थान के राज्य मंत्री से पूछने की जरूरत है। उसको खुद को उसमें अधिकार है, आप पत्रावली प्राप्त कर सकते हैं, आप रि-इंवेस्टीगेशन करा सकते हैं, आप जांच करवा सकते हैं लेकिन चालान आप नहीं करवा सकते, चालान करने का अधिकार एस.एच.,ओ. को है, डी.जी. को है, आपको नहीं है फिर क्यों कर आपने कानूनों का प्रावधानों का उल्लंघन कर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम कमिशनर से, डी.जी. को क्यों टेलीफोन करवाया ? आप क्या बचाना चाहते थे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : अधिकार नहीं है, सरकार को नहीं है। अगर अधिकारी गलत कर रहे है तो उसको टोक सकते हैं, अधिकारी को कहलवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुन्दर लाल।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : आपको यह मालूम नहीं है कि उसमें कांग्रेस के 4-4 नेता लिप्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री जालम सिंह (रावलोत) : क्या हो सकता है, यह तो आप बात करिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब आप इनको तो रोको, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया, कह दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपसे मुझे बहुत सहानुभूति है और लोकतंत्र में मैं भी चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, उसकी अथोरिटी कायम रहे। मुझे अफसोस है इस बात का कि एडिशलन एस.पी. के ट्रांसफर के मामले में आप अपनी अथोरिटी को कायम नहीं रख पाये, न आप किसी गिरफ्तारी के प्रकरण में अपनी अथोरिटी को कायम नहीं रख पाये, जब आप अथोरिटी को कायम नहीं रख पाते हैं तो यह अब आपके सोचने का सवाल है कि जो दायित्व राजस्थान के मुख्य मंत्री ने आपको सौंपा है उसको क्या निर्भीकता ईमानदारी, कर्मठता और मान सम्मान की रक्षा के साथ आप इसको निभा पा रहे हैं। यह फैसला आपको करना है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान का मौजूदा परिप्रेक्ष्य चल रहा है, मैं आपसे विनम्र शब्दों में प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि आपको इस सारे प्रकारण में लोगों ने रोका क्यों नहीं, जयपुर के विधायकों ने आपको क्यों टेलीफोन किया कि गिरफ्तारी कर ली गई है। यहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों चिन्ता व्यक्त की, मुख्य मंत्री मंत्रीमण्डल के अन्य सदस्यों ने क्यों चिन्ता व्यक्त गिरफ्तारी करने की साधारण प्रक्रिया है, जो अपराध करेगा वह आएगा, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही जुर्म कर लिया हो और कितनी ही बातें है, इन सारी बातों में राजनीतिक दृष्टिकोण से आप इन लोगों को बचाने का एक प्रयास करते हैं, वह आप जैसे गृह मंत्री से अपेक्षा करने लायक नहीं है।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मैं आखिर में आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं और जिस किस्म की परिस्थतियां अपराधों के मामलें में आगे से माग बढ़ रही हैं उन सारी बातों को देखने के बाद आप देखें, धौलपुर में माननीय मुख्यमंत्रीजी का निवास है। धौलपुर में एक डी.वाई.एस.पी. ने आपके सी.आई. को बुरी तरह से मारा, नीचे गिरा दिया, चश्मा टूट गया, वह सी.आई. को वहां से भगा दिया। उसने पहले एस.पी. को लिखकर दिया है कि मुझे डीवाई.एस.पी. ने इस प्रकार मारा, मेरा चश्मा तोड़ दिया, मुझे सड़क पर गिरा दिया, नीचे रगड़ कर इधर उधर फेंक दिया। नतीजा क्या हुआ? वह डीवाई.एस.पी. वहां का वहां रहा और उस सी.आई. का स्थानान्तरण हुआ जिसकी पिटाई हुई थी। यह आपकी पुलिस में एक अनुशासन का एक तरीका है और वहां का एक, जहां माननीय मुख्यमंत्रीजी निवास करती है, जहां की रहने वाली है, जहां बिराज रहे हैं, वहां डीवाई.एस.पी. सी.आई को थप्पड़ लगाकर चश्मा तोड़कर,कपड़े फाड़कर कार्यालय के नीचे गिरा रहा है और राजस्थान का जो गृह विभाग है वह सोया पड़ा है। पीटने वाले को इनाम दे रहा है और पिटने वालों को वहां से भगा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी परिस्थितियों में और सारे सन्दर्भ में...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आज आप सिपाही को पीटने की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके राज में इनके दल के विधायक पिटे और इनको चिन्ता नहीं लगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में मत खड़े होइये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : 7-7 विधायक पिटे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : 7 विधायक आपके दल के पिटे हैं आपके राज के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आज आपको बड़ी पीड़ा हो रही है कि सिपाही पिट गया, डीवाई.एस.पी. ने पीट दिया तो एम.एल.ए. पिटे थे तो आपको चिन्ता नहीं लगी। सी.पी. जोशी और बोलो न आप तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य (व्यवधान) शर्माजी, समाप्त कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान इन सब बातों के बावजूद भी आपने जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अपमानित होने की बात माननीय राज्यपाल महोदय से कहलवाई, आप खुद भी मानते हो तो अपमान तो राजस्थान की जनता का हुआ, कांग्रेस की सरकार के टाइम में हुआ था उससे घोर अधिक अपमानित आपने इस छह की अवधि में राजस्थान की जनता को कर दिया। यह रिकार्ड की बातं है। जिस आधार पर आपने उनका अभिभाषण तैयार किया था, आप इसमें आलोचना करें, गवर्ननर से आप क्षमा चायना करें कि जिस मान और सम्मान से वहां आपसे भाषा दिलवाकर इस राजस्थान में एक स्वस्थ शासन की कल्पना कर रहे थे वह कल्पना कर रहे थे वह कल्पना हमारी साकार नहीं हुई और पूर्ववर्ती सरकार से भी अधिक निकम्में और गैर जिम्मेदार साबित हुए और अपराधों की प्रवृति को रोक नहीं पाये, बहुत बढिया स्टाफ था, बहुत बढिया अफसर थे, राजस्थान के आई.जी. ले लो, डी.आई.जी. ले लो, एडिशलन अपने यहां कुल मिलाकर मैं इन आफिसरों की कोई वकालत नहीं कर रहा फिर भी जो स्टाफ है वह राजस्थान में और प्रदेशों के मुकाबले में चाहे वह बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और जगह के मुकाबले में एक कर्मठ काम करने वाला है लेकिन अगर आप इन अफसरों का राजनीतिकरण करेंगे,

(श्री हरिमोहन शर्मा)

इनको कर्तव्य वहन नहीं करने देंगे, इनके कार्य में बाधा पहुंचाएंगे, इनका मनोबल गिराऐंगे तो आगे आने वाला समय राजस्थान को आप मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश की ओर इस राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इनको वहां पहुंचा देंगे और आखिर में मेरा निवेदन है कि जयपुर जैसे शहर में आपने गम्भीर चिन्तन किया, विचार किया, मंथन किया, सोचा और यह रिपोर्ट आई कि कमिशनर की पुलिस पद्धति कायम होगी। आपके और हमारे अधिकार उसमें कम होंगे, सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकार कम होंगे लेकिन भले ही आपके और हमारे अधिकार कम हो जाएं, उसकी आप मत चिन्ता करो, राजस्थान को स्वस्थ और कुशल प्रशासन देने के दृष्टिकोण से आप मजबूती से कुछ फैसला करें।

जहां तक हम देख रहें हैं, जहां तक नफरी जो छोटे लेवल के कांस्टेबल हैं, मैंने पढ़ा है आज अख़बार में, आपने कहा कि हम इतने हजार कांस्टेबलों की भर्ती करेंगे, पूर्ववर्ती सरकार ने भी की थी वह भर्तियां, वैसी ही नहीं रह जाएं जैसा आपने कहा था कि हम सौ दिन में नान प्लान और प्लान में 21 हजार आदमियों की भर्तियां करेंगे और एक आदमी की भर्ती आप नहीं कर पाये। और जैसे-तैसे सौ दिन का कार्यकाल आपका सिफर रहा। यह वैसा वादा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस आगे आने वाले समय में आप इन सब बातों पर गौर करके सब बातों को देखकर सब बातों के साथ आप राजस्थान को ठीक से प्रशासन दें, ठीक से व्यवस्थित करें। राजस्थान की जो गरिमा कायम रही है। शुरू में चाहे वह भैरोंसिंहजी शेखावत का शासन हो उस समय राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। अभी चर्चा थी किसने क्या चिट्ठी लिखी थी क्यों किया जा रहा है, यह तो सोचा, अगर हमने अनावश्यक रूप से स्थानान्तरण किये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप विराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इनसे नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज कितने माननीय सदसय बोलने वाले हैं, इतना समय सब को देंगे तो सारी रात बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह सब मैं ध्यान रख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं आपकी परेशानी को जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : पांच मिनट में कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं एक मिनट में समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : जी, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इन सब बातों पर विचार करने के बाद माननीय गृह मंत्रीजी से मैं यह अपेक्षा करता हूं कि चाहे भैरोसिंहजी साहब यहां मुख्य मंत्री रहे हों आज उप राष्ट्रपति है गर्व की बात है राजस्थान के लिए, चाहे हरिदेवजी जोशी रहे हों, चाहे सुखाडियाजी रहे हों, चाहे अशोकजी रहे हों, सब लोगों ने जहां तक राजस्थान की कानून और व्यवस्था का सवाल है ठीक से सधे हुए कदम उठाए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं प्रथम बार आपको राज्य में गृह मंत्री का पद सुशोभित करने का अवसर मिला है तो आप अपने मान-सम्मान की रक्षा करते हुए कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत उचित आदेश देकर राजनीतिकरण करने से इस सारे पुलिस प्रशासन को बचाकर एक नया रास्ता आप देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

मैं आखिर में आपसे एक शेर निवेदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने कहा था "बिना परों के उड़ेंगे और आंधियों से टकराएगें," ऐसा-ऐसा कुछ आया था। दो लाइनें में आपको निवेदन कर दूं-

''बिन परों के उड़ना-उड़ाना है बाते ख्वाब की,

आंधियों को आंखें दिखलाने से हो क्या फायदा,

खेतियां दरियां तरसते हैं सभी बरसात को,

बनके सावन की घटा बरसो तो होगा फायदा।"

इस दृष्टिकोण से आप करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुंदरलाल।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपको उपाध्यक्ष चुना गया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज कांग्रेस वाले पुलिस की बुराई कर रहे हैं, लेकिन यह पुलिस सात महीने में तो बुरी हो गई, लेकिन पांच साल क्या कर रहे थे यह बात एक ने भी नहीं बतायी।

मेरे क्षेत्र में 1999 में डबोली खुर्द में डाका पड़ा। गोलियों से दो आदमी मारे गये जिनमें से आज तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र का घरड़ाना कलां का रामसिंह (व्यवधान) बैठ जाओं। अब देखों, मैं तो कभी भी आपके बीच में नहीं बोलता हूं जब मेरे बीच में बोलते हो तो एक को नहीं बोलने दूंगा, हाथ पकड़ लूंगा जाकर। क्या समझ रखा है ? (व्यवधान)

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में रामसिंह का एक साल पहले झुंझुंनू में कत्ल हुआ था, लेकिन एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। पीछे की बातें तो बताते नहीं और चार महीने की बात बताकर लोगों को राज़ी कर रहे हो। इसके अलावा और सुन लीजिए। घुमड़सर में खेत में सोते हुए आदमी को आज से डेढ साल पहले कत्ल किया, एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। आज चार महीने में एक्ट, धारा बता रहे हो। यह सारी नयी धारा आज लगायी है, पीछे की सब भूल गये।

इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे क्षेत्र के 104 किलोमीटर में हरियाणा लगता है, महेन्द्रगढ़, नारनौल, बाटड़ा, लुहारू। अपनी पुलिस के पास जो गाड़ी है वह एक घण्टे में 17 किलोमीटर चलती है। 17 किलोमीटर। 18 किलोमीटर एक भी गाड़ी नहीं है जो चल सकती है। हरियाणा से आने वाले बदमाशों के पास क्वालिश जैसी नयी-नयी गाडियां हैं जो 100 किलोमीटर एक घण्टे में चलती है। अब पुलिस पीछे-पीछे। कहती है हमने प्रयास किया, लेकिन पकड़ा नहीं गया। पकड़ेंगे क्या, एक घण्टे में आप 17 किलोमीटर चलें और वे 100 किलोमीटर चलते हैं, आपके हाथ कौन आएगा। अगर 104 किलोमीटर हरियाणा नहीं लगता है तो पता लगा लो जाकर। चार एम.एल.ए. क्षेत्र लगते हैं महेन्द्रगढ़, नारनौल, बाटड़ा और लुहारू।

(श्री सुन्दर लाल)

उसके बाद हरियाणा में एक बार दारू बंद हो गई। उसके बाद में तस्करी बढ़ गई। अब वहां भी दारू चालू हो गई। उन आदमियों को काम नहीं था, सारे मेरे क्षेत्र में ही बर्बादी करते हैं। पुलिस बाले लग रहे हैं। पांच साल में तो कोई कार्यवाही नहीं की और अब कह रहे हैं अपराध क्यों हो रहे हैं। (व्यवधान)

इसके अलावा गृह मंत्रीजी पुलिस के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन सबको नयी गाड़ी दें। हर थाने में नई गाड़ी होनी चाहिए ताकि चोरों को पकड़ सकें। रात को 10 बजे चोरी हो और चार बजे वायरलैस करें कि नाकाबंदी करो। किसको पकड़ेंगे नाकाबंदी करके, वो तो लुहारू से आगे चला गया। चोरी रात को 11 बजे होती है और नाके बंदी तड़के करते हैं। फिर नाकेबंदी का वायरलैस कर दिया, दो ड्रम रखे और एक पुरानी सी बंदूक लेकर खड़े हो जाते है। उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो तो कहते हैं कि नाकाबंदी कर रहे हैं। काहे की नाकाबंदी कर रहे हो, आपसे भागा जाता नहीं, चला जाता नहीं, पेंट ऊपर करते हैं और फिर नीचे चली जाती है, यह तो इनकी हालत हो रही है। ये नाकेबंदी करेंगे ?

इसके अलावा 5-5, 8-8 साल से सिपाही एक थाने में रहता है। यह तय कर लो एक साल के बाद में वह सिपाही उस थाने में नहीं रहेगा। किसी की सिफारिश आ जाए और फिर वहां आकर गृह मंत्री को कहें कि सिपाही बदलो। वे कहते हैं सिपाही को कैसे बदलें ? फिर आप सिपाही बदलों नहीं तो वे तो वहीं रहेंगे। यह काम आपको देखना पड़ेगा, यह पांच सात का बिगड़ा हुआ काम है यह आपको सुधारना पडेगा, नहीं तो ये हरिमोहनजी अगली साल इससे भी खराब बोलेंगे, यह बात आप देख लेना। यह बात आपको देखनी पड़ेगी। मैं लम्बा-चौड़ा भाषण इस पर नहीं दूंगा। दो-चार कत्ल हुए इन कत्लों के मुलजिम पकड़े जाने चाहिए और सब थानों में नई गाड़ी देनी चाहिए और शाम को जब जवाब दो तब इनकी कुछ तनख्वाह भी बढ़ाओं नहीं तो ये लूट-खसौट करेंगे। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयराम जाटव । (अनुपस्थित)। श्री धर्मपाल चौधरी। (अनुपस्थित)। श्री कालीचरण सर्राफ ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 पर चर्चा हो रही है। मैं इस चर्चा में अपने आपको शामिल करते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल तक राजस्थान में कांग्रेस का राज रहा और जब पिछले विधान सभा के चुनाव हुए थे 1998 में तब हमारे कांग्रेस के मित्रों ने (व्यवधान) बातचीत मत करो माहिर साहब, बातचीत मत करिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये जोर-जोर से बात कर रहे हैं। हम राजस्थान विधान सभा के परिसर में बैठे हैं माननीय मुख्य सचेतकजी माहिर साहब। आप इस तरह से बात कर रहे हैं, अपनी सीटों पर भी नहीं और इतने जोर-जोर से बोल रहे हैं तो सदन की गरिमा रखो। (व्यवधान)

श्री जुबरे खान : मैं परमिशन लेकर आया हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था 1998 में जब राजस्थान विधान सभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव के समय अपने भाषणों में यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रदेश की कानून-व्यवस्था बिलकुल चरमरा गई है, कानून-व्यवस्था एकदम खराब हो गई है, कांग्रेस को जिताइए, कांग्रेस का राज बनाइए, कांग्रेस के आने के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था का राज होगा और चारों और शांति होगी, साम्प्रदायिक सौहार्द होगा। लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के भुलावे में आकर इनको सत्ता सौंप दी, प्रचण्ड बहुमत के साथ कांग्रेस के लोग सत्ता में आ गये। पांच साल में सत्ता में आने के बाद यदि इनके अपराधों का लेखाजोखा किया जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1999 से लोकर 2003 तक इनके राज में 351 डकैती की घटनाएं हुई, 4508 लूट की घटनाएं हुई, 6830 लोगों की हत्याएं की गई, 5590 महिलाओं के साथ बलात्कार किये गये, 54729जलवे की घटनाएं हुई, 56953 नकबजनी की घटनाएं हुई और 84465 चोरी की घटनांए हुई। अन्य अपराधों में 587459 अपराध के मुकदमें दर्ज किये गये। कुल मिलाकर पांच साल में कांग्रेस का कानून-व्यवस्था के राज में 780884 अपराध दर्ज हुए। फिर वे कहते हैं हमारे राज में कानून-व्यवस्था बहुत बढिया रही, शांति व्यवस्था रही।

(15.00 बजे)

(श्री कालीचरण सर्राफ)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़े देखें तो पांच साल में कांग्रेस के राज में 30138 मामले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों के दर्ज हुए। इतना ही नहीं महिलाओं के लिए ये कहते हैं कि हम महिलाओं के बड़े खैरख्वाह हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का राज था।

उस समय महिलाओं पर दर्ज मुकदमों का प्रतिशत था, 1995 में 6.35,1996 में 6.54, 1997 में 6.78, 1998 में 7.26 और 1999 में 7.71 प्रतिशत और इनका राज आने के बाद 2000 में 8.10, 2001 में 8.03.2002 में 8.22 और 2003 में 8.36 प्रतिशत यानी इतनी महिलाओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए, उसका प्रतिशत मैं बात रहा हूं जबकि राष्ट्रीय प्रतिशत क्या है ? राष्ट्रीय प्रतिशत लगभग छह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक साम्प्रदायिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया तो अल्पसंख्यकों के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में गत पांच वर्षो में 70 से अधिक साम्प्रदायिक घटनाएं इस प्रदेश में घटित हुई और जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, वसुन्धरा राजेजी राजस्थान की मुख्य मंत्री बनी हैं, आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि एक भी साम्प्रदायिक घटना इस राजस्थान प्रदेश की धरती पर नहीं हुई और इतना ही नहीं... विराजिये, विराजिये।

श्री नवरतन राजोरिया : साम्प्रदायिक दंगे तो कांग्रेस के राज में ही होती हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में कभी नहीं हुए।

श्री श्रवण कुमार : करने वाले तो आप ही थे।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : और केन्द्र के अन्दर अब तक 18,000 साम्प्रदायिक दंगे कांग्रेस ने कराये हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : और इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्व मण्डल अजमेर के सदस्य

(श्री कालीचरण सर्राफ)

रविशंकर श्रीवास्तव, आई.ए.एस. अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाये गये तो बिना किसी हिचकिचाहट के रविशंकर श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के आदेश मुख्य मंत्रीजी के द्वारा दिये गये और उनके साथ पांच ऐसे प्रभावशाली लोग जो कांग्रेस के राज में मंत्रियों के साथ में गलबइयां करते थे मंत्रियों के साथ बैठकर भ्रष्टाचार के तरीके ढूंढते थे, उनका भी आज मंत्रियों की कोठियों में स्थान नहीं है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा वसुन्धरा राजेजी को कि आज वे जेल के अन्दर सींखचों के पीछे बन्द हैं।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहूंगा, एक लाइन में है। उस फार्म हाउस के मालिक का नाम क्या है और उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, कैसे बचाया गया, माननीय गृह मंत्रीजी वह तो अहम मसला है... अपराधियों को पकड़ लिया लेकिन वह फार्म मालिक कौन है, जिसके करोड़ों के फार्म हैं और बैठकर सारे नाटक हुए और जो उसमें शामिल हैं, उसको इस सरकार ने...

श्री कालीचरण सर्राफ : आप बता देना ना, आपका नम्बर आये तब आप बोल लेना ना कि उस फार्म का मालिक कौन है, फार्म मालिक कोई भी हो, उस फार्म में जो सी.डी. बनाई गई है, उसमें आपके पूर्व गृह मंत्रीजी, आपके पूर्व मंत्री +++ और +++ रिश्वत लेते हुए और बीडियो फिल्म में आये हैं और सी.डी. बनी हुई है। सी.डी. बनी है उनकी...

श्री रामनारायण मीणा : आप +++ बोल रहे हैं... (व्यवधान) अगर आप में हिम्मत हो तो कार्यवाही करो, इसीलिए तो फार्म मालिक को बचाया जा रहा है।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह किस फार्म हाउस में वह सी.डी. बनी और किस फार्म हाउस में नहीं बनी, यह कहकर आप उन भ्रष्ट लोगों को बचा नहीं सकते। रंगे हाथों जिनको सी.डी. में रिवश्वत लेते हुए, बताया गया है। अब आप यह पूछ रहे हैं कि फार्म हाउस कौन सा था ?

श्री हीरालाल (निवाई) : यह तो उन्हीं मंत्रियों से पूछना चाहिए था, वे बता देंगे कहां थे ?

श्री कालीचरण सर्राफ : नहीं, जहां वह रिश्वत ली गई, उसका दरवाजा किधर खुलता था, यह भी

श्री रामनारायण मीणा : उस फार्म हाउस के मालिक की देखरेख में... (व्यवधान) गृह मंत्रीजी, अपना जवाब दें तो इसका जवाब भी दें अपने जवाब में। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप यह तो मानिये कि वे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनको निश्चित रूप से सज़ा होगी। (व्यवधान)

यह मैं कहना चाहता हूं कि आपका नहीं था।

एक माननीय सदस्य : फार्म हाउस तो आपका नहीं था ?

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : भ्रष्टाचार पर तो हाईकोर्ट का डिसीजन है, यह पढ़ लो आप, हाईकोर्ट का डिसीजन है। आपने कितने भ्रष्टाचार किये हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। कभी तो वह कहते है कि आपके समय में भ्रष्टाचार हुआ है, ये किस नियम से बोल रहे है बीच में, आपकी बिना इजाजत के कोई भी व्यक्ति कोई आरोप नहीं लगा सकता, आप कार्यवाही से निकालें। कभी कोई कहता है, अमुक भ्रष्टाचार हुआ। आपमें दम हो तो... आपके पास सरकार है, आप उसकी जांच क्यों नहीं करते। ऐसे बीच में कोई भी सदस्य आरोप नहीं लगा सकता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नियमों में नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ : जांच हो रही है।

श्री देवीशंकर भूतड़ा : अभी इनके सदस्य चार्ज लगा रहे थे तो उनसे पूछना चाहिए था कि वे किस नियम से लगा रहे थे ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी लोढ़ाजी लगा रहे थे हत्या का उनके ऊपर आरोप मंत्री महोदय के ऊपर, तो वे किस नियम के तहत लगा रहे थे आरोप ? कैसे लगा रहे थे, उस समय आप नहीं बोले ? जब आपके माननीय सदस्य मंत्री महोदय के ऊपर आरोप लगा रहे थे तब आप कहां थे उस समय ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई काल्पनिक बात नहीं कही है। आपने पूछा कि किस फार्म हाउस में सी.डी. बनी तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि उस सी.डी. में +++ को रिश्वत लेतें हुए दिखाया गया है उसमें, अब यह जांच का विषय है कि सी.डी. कैसी हैं, कैसी नहीं है। इंन्होंने पूछा कि वह कहां बनी है, कहां नहीं, इससे मतलब नहीं है पर यह तो तय है कि उनको रिश्वत लेतें हुए, पैसा लेते हुए बताया गया है। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : +++ ने भी खाया था पैसा। +++ भी तो दिखाया गया है। +++ को भी बताया गया है ना...(व्यवधान) यह +++ किस पार्टी के अध्यक्ष थे, यह भी बताओं।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह तो कहो ना कि उन्होंने रिश्वत ली है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : +++ को तो रोकते आप, अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। +++ को रोकते आप। यह परम्परा तो उधर से आ रही है।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप जब आपका समय आये तो +++ के ऊपर आरोप लगा देना, अभी मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनिये आप।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : 1952 में सबसे पहले कृष्ण मेनन के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, पण्डित नेहरूजी के राज के अन्दर 1952 में पहली बार तो यह तो नींव तो आपने रखी है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाह रहा था कि हमारी मुख्य मंत्रीजी कितनी संवेदनशील हैं। एक समाचार पत्र में समाचार पढ़ा, लिखा गया कि राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर पिछले तीन सालों में करीब 17,000 मौतें हुई और 82,000 लोग घायल हुए तो कांग्रेस का राज था तो कभी भी कांग्रेस के मुख्य मंत्री को यह चिन्ता नहीं हुई कि 17,000 मौते और 82,000 लोग घायल हो गये तो इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। परन्तु जैसे ही वसुन्धराजी राजे मुख्य मंत्री बनीं, इन्होंने जब यह समाचार पढ़ा, इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने मुख्य सचिव को बुलाया और उनकी निर्देश दिये कि ट्रांसपोर्ट विभाग, पी.डब्ल्यू.डी., पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलवाइये और जो सम्बन्धित विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं, उनको बुलवाइये और एक इस प्रकार की कार्य योजना बनाइये जिससे इस प्रकार आये दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें कमी लाई जा

(श्री कालीचरण सर्राफ)

सके। यह संवेदनशील मुख्यमंत्री है कि इन्होंने इस बात की चिन्ता प्रकट की परन्तु कांग्रेस के राज में इतनी दुर्घटनाएं होने के बाद भी, इतने लोग मरने के बाद भी इन्होंने उसके ऊपर कभी कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, इसलिए राजस्थान की तो मैंने जो चर्चा की है, वह बानगी के रूप में की है, अब मैं चूंकि जयपुर शहर से चुनकर आया हूं तो जयपुर शहर के बारे में भी आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में पिछले 10-12 सालों से मेरी सूचना के अनुसार लगभग 10,000 बंग्लादेशी जयपुर शहर में रह रहे हैं। ये इस शहर की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये शहर में कोई जमीन खरीदकर नहीं रह रहे है। इन्होंने वे राकीमती जमींनों पर बलात् कब्जा करके, उन पर झोपडियां बनाकर ये रह रहे हैं। करोड़ो रुपयों को इस प्रकार की जमीन जनता कालोनी, कर्बला के पास, दिल्ली बाईपास रोड पर, मनोहरपुरा, जगतपुरा के पास, गोपालबाड़ी, अजमेर पुलिया के नीचे 10,000 से ज्यादा लोग यहां पर रह रहे हैं और इतना ही नहीं,उन्होंने राशन कार्ड भी बनवा लिये, वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया और रात को भी यदि इनकी बस्ती के पास से राहगीर गुजरता है तो उसके साथ लूट-खसोट की जाती है। इन बस्तियों में देह व्यापार भी बड़े जोर-शोर से चलता है। जयपुर शहर की कानून व्यवस्था में इनका होना एक चिन्ताजनक स्थिति की और संकेत देता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को कि केन्द्रीय सरकार से बात करें और ये इस प्रकार से बांग्लादेशी विदेशी जो हमारे जयपुर शहर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार से इनको चिह्नित करके, किसी प्रकार से उनको वापस बांग्लादेश खदेड़ा जाये, इस बात की योजना राज्य सरकार को निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार से बात करके बनानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, जयपुर शहर में महानगरीय संस्कृति जिस प्रकार से पनप रही है, जिस प्रकार से जयपुर की जनसंख्या बढ़ रही है, हजारों सरकारी कार्यालय यहां पर है` पन्द्रह-बीस कालेजेज यहां पर है। यहां पिछले पाच-सात वर्षों में जिस प्रकार से अपराधों में निरंतर तेजी आ रही है, यह चिंताजनक स्थिति है। जयपर शहर में एक सर्वे के हिसाब से हर सातवें दिन एक हत्या हो रही है, हर दसवें दिन

(श्री कालीचरण सर्राफ)
एक बलात्कार हो रहा है, हर नौवें दिन यहां लूट की घटना हो रही है, पहले डकैतियां नहीं होती थीं, अब...(व्यवधान) आप बैठते क्यों नहीं, आप बैठिये, बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा : यह वसुन्धराजी के राज का बता रहे हैं या कांग्रेस के राज का।

श्री कालीचरण सर्राफ : वसुन्धराजी का राज आये तो सात माह हुए हैं, यह सारा बखान मैं आपके राज का ही कर रहा हूं श्रीमान्। पहले डकैती नहीं होती थी परंतु कांग्रेस के राज में जयपुर में डकैतियां भी प्रारंभ हो गई। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि सीकर हाउस में एक नौकर की मिली भगत से मालकिन की हत्या कर दी गई और माल लूट कर ले गये। मालवीय नगर में एक व्यापारी को सरे आम गोली मार दी गई, सेठी कालोनी में रिवाल्वर की नोक पर डकैती डाली गई। मैं यह बातें इसलिए बता रहा हूं कि किस तेजी के साथ जयपुर शहर में अपराध बढ़ रहे है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जयपुर शहर में जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, ब्राड गेज से जयपुर शहर जुड़ गया, अपराध किया, गाड़ी में बैठा और भाग गया, शहर का क्षेत्रफल भी बढ़ गया है, पहले अठारह किलोमीटर की रेंज में जयपुर शहर था, अब पचपन किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया जयपुर शहर का। तो अपने को इस बारे में बड़ी चिंता करनी पड़ेगी और मैं सुझाव देना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू करनी चाहिए। पुलिस राष्ट्रीय आयोग ने भी सुझाव दिया हुआ है कि दस लाख के ऊपर जनसंख्या के जितने भी शहर हैं उनके लिए केन्द्र सरकार को और राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया हुआ है कि वहां पर पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू की जानी चाहिए। आज चाहे कलकत्ता हो, बम्बई हो, मद्रास हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, जितने भी दस लाख से ऊपर की जनसंख्या के शहर हैं वहां पर पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू हो। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से और गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार जब भारतीय जनता पार्टी का राज था उस समय पुलिस कमिश्नर पद्धति जयपुर शहर में लागू की जावे।, इस बात का, मेरे को जानकारी है कि निर्णय भी ले लिया गया था। परंतु मुझे पता नहीं कि क्यों और किस कारण से वह वापस निर्णय ले लिया गया और आपको मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जयपुर शहर की यदि

(श्री कालीचरण सर्राफ)

कानून-व्यवस्था में आपको सुधार लाना है, जयपुर शहर में यदि शांति का वातावरण रखना है तो हमें निश्चित रूप से जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू करनी होगी। इससे पुलिस को मजिस्ट्रेयल पावर मिल जायेंगे। धारा 107,109,151 और 110 के तहत जो छोटे-छोटे मुकदमें बनते हैं जिनका सालों फैंसला नहीं होता है, मजिस्ट्रेट और पुलिस के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं उनमें पुलिस को अधिकार मिल जायेंगे, हाथो-हाथ यदि उसके फैसले होंगे तो अपराधियों पर अंकुश लगेगा और सबसे बड़ा अधिकार जो पुलिस को मिल जायेगा, जो आदतन गुण्डा तत्व हैं उनको जिला बदर करने का भी अधिकार उनको मिल जायेगा, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस कमिश्नर पद्धति जयपुर शहर में लागू की जाये।

इसी प्रकार से जयपुर शहर के ट्रेफिक पुलिस के बारे में भी कुछ बातें कहना चाहता हूं, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1980-81 में 81267 वाहन जयपुर शहर में पंजीकृत हुए थे और 90-91 में दो लाख छियासठ हजार दो सौ चौवन वाहन पंजीकृत हुए और 99-2000 में पांच लाख सतानवे हजार छह सौ सत्तावन वाहन जयपुर में पंजीकृत हुए। और आज यदि 2004 के आंकड़े देखे जायें तो आठ लाख के ऊपर पंजीकृत वाहनों की संख्या है। और जयपुर शहर का जो क्षेत्रफल है वह अठारह किलोमीटर से पचपन किलोमीटर हो गया और जिस प्रकार से आये दिन यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय, 2001 में जयुपर शहर में सड़क दुर्घटनाओं में 274 लोग मारे गये और 1810 लोग घायल हो गये। 2002 में 312 लोग मारे गये और 1688 लोग घायल हुए और 2003 में 318 लोग मारे गये और 1826 लोग घायल हुए। आज शहर का क्षेत्रफल बढ़ गया, शहर की जनसंख्या बढ़ गई, वाहन 1987 से आज लगभग दुगुने हो गये परंतु जो यातायात पुलिस में कांस्ट्रेबल और हैड कांस्टेबल की नफरी है, आज पुलिस अधिकारी तो बढ़ गये, पहले एडिशलन एस.पी. हुआ करता था अब एस.पी. हो गया, पहले डिप्टी एक हुआ करता था, अब चार डीबाईएसपी हो गये, इंस्पेक्टर बढ़ गये परन्तु कांस्टेबल की संख्या 1997 में 600 थी और आज भी 600 है। तो मैं कहना चाहूंगा की ट्रेफिक पुलिस का मुकम्मल इंतजाम जयपुर शहर में हो। यातायात की व्यवस्था सही हो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम जो पुलिस की नफरी है ट्रेफिक पुलिस में, वह डबल की जानी चाहिए। 600 है तो उसकी जगह 1200 की जानी चाहिए। यातायात पुलिस के पास अपना कोई बजट नहीं

(श्री कालीचरण सर्राफ)

है, आज कोई भी योजना वह बनाते हैं, यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाते हैं, यातायात की शिक्षा देने के लिए जनता में कोई प्रचार-प्रसार करने के लिए, उनके पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश में जिस प्रकार यह व्यवस्था है कि यातायात पुलिस के माध्यम से जो जुर्माना वसूल किया जाता है उसका तीस प्रतिशत पैसा आंध्र प्रदेश में यातायात पुलिस को दिया जाता है। यहां पर यदि हम इस प्रकार से सिस्टम बनायेंगे, क्योंकि जयपुर शहर में लगभग ढ़ाई-तीन करोड़ रुपये प्रति वर्ष जुर्माने में वसूल होते हैं, उसका यदि हम चालीस-पचास प्रतिशत ट्रेफिक पुलिस को दे दें तो ट्रेफिक पुलिस की शानदार व्यवस्था की जा सकती है।

इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में आज जितने ट्रेफिक पुलिस के प्वाइंट्स हैं वहां पर वायरलेस की व्यवस्था नहीं है। आज जयपुर शहर में लगभग 200 प्वाइंट्स हैं और वायरलेस की व्यवस्था केवल 90 प्वाइंट्स पर है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तेजी के साथ जयपुर शहर बढ़ रहा है, हर प्वाइंट पर वायरलेस की व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो तेज गति से गाड़ियां चलाते हैं उनको मापने के लिए यातायात पुलिस के पास केवल एक वाहन है। आज जिस तरीके से क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है जयपुर शहर का, कम से कम दस वाहन यदि तेज गति से चलने वाले वाहनों के नापने के हों तो यह यातायात पुलिस के सुधार के लिए सहायक होगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा साहब, घड़ी मत देखिये आप, दो ही मिनट बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर क्योंकि राज्य की राजधानी है, पर्यटक केन्द्र है तो कई बी.आई. पी. जयपुर में आते रहते हैं, कभी फलां देश का राष्ट्राध्यक्ष, कभी वहां के उप राष्ट्रपति, कभी हमारे देश के उप राष्ट्रपति, कोई प्रधान मंत्री, कोई न कोई जयपुर में आते रहते है। और जब भी कोई वी.आई.पी. आता है और उस समय आप यदि किसी को फोन करें, इंचार्ज साहब हैं क्या, कहते हैं इंचार्ज साहब तो नहीं हैं, कहां गये, कहते हैं हवाई अड्डा, डिप्टी को फोन करो, डिप्टी कहां, कहते हैं कि हवाई अड्डा एडिशनल एस.पी. को फोन करो, हवाई अड्डा। यानि जब भी कोई वी.आई.पी. आते हैं तो आता है उसको रिसीव करने के लिए और उसको सी. आंफ करने के लिए हमारे सारे अधिकारी और पूरा पुलिस महकमा वहां लग जाता है। तो मैं आपको यह कहना चाहता

(श्री कालीचरण सर्राफ)

हूं कि जयपुर शहर की कानून-व्यवस्था बिगडे नहीं और काई थाना डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि यहां रोज आये दिन वी.आई.पी. आते हैं। तो वी.आई.पी. स्कवायड एक अलग से बना दें, जब भी कोई वी.आई.पी. आये, वहां वह व्यवस्था में लग जावे जिससे बाकी थानों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे और शहरों में यह योजना है स्मार्ट कार्ड योजना, गाड़ी की एक बार चैकिंग हो, उसके यदि कागज पूरे हैं, उसके यदि पोल्यूशन सर्टिफिकेट है तो उसके कार्ड टाइप उनके शीशे पर लगा दिया जाय, उसके बाद उनको आये दिन डिस्टर्ब नहीं किया जाय। आज स्थिति क्या है कि कोई कितनी भी जल्दी में हो, कोई भी व्हीकल लेकर के जाते हैं, कहीं पर भी पुलिस के जवान उसको रोक लेते हैं, कागज कहां है,

(15.19 बजे)

(डा.एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

रजिस्ट्रेशन कहां। यदि यह स्मार्ट कार्ड योजना चले तो इससे लोगों के टाइम की बचत भी होगी और लोगों को जलील भी नहीं होना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उसके लिए ब्रेच एनलाइजर हो इंस्टुमेंट है उसकी व्यवस्था भी हमारे यहां जयपुर शहर में नहीं है। यदि ट्रेफिक पुलिस को इस प्रकार के इस्ट्रूमेंट भी उपलब्ध करवाये जायें तो यह निश्चित रूप से यातायात को सुधारने में मदद देंगे। माननीय सभापति महोदय, यहां पर मिनी बसों का एक बड़ा माफिया चलता है। आये दिन आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि आज फलां जगह मिनी बस के माफिया ने इतने लाख रुपये मिनी बस के लोगों से लिये। क्योंकि हफ़्ता वसूली होती है इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। प्री-पेड व्यवस्था यदि मिनी बसेज की यदि हम कर दें और वहां यातायात पुलिस के जिम्मैं यह काम दे दें तो निर्धारित शुल्क देकर पांच रुपये या दस रुपये कोई भी एक शुल्क लेकर हर मिनी बस वाले से यदि व्यवस्थित रूप से मिनी बसेज को चलायेंगे तो मिनी बस माफिया से छूटकारा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जयपुर शहर एक बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र है।

श्री सभापति : कंक्लूड करिये प्लीज।

श्री कालीचरण सर्राफ : बस-बस दो ही मिनट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बड़ा पर्यटन केन्द्र है लाखों की तादाद में यहां विदेशी और देशी पर्यटक आते हैं पर आपने सूना होगा लपका गिरोह। आज फलानी महिला के साथ चीटिंग, आज फलानी महिला के साथ बलात्कार, कभी सुनने को मिलता है कि आज फलानी महिला की हत्या तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पर्यटक आते हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए अलग से पर्यटक पुलिस का निर्माण जयपुर शहर में किया जाना चाहिए। ये तो मैंने व्यवस्थाओं के बारे में बताया। अब मैं कुछ जो पुलिस के छोटे तबके के लोगों की स्थिति है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल को मैस अलाउंस 550 रुपये मिलता है प्रतिमाह। अब अपन यह विचार लगायें कि 550 रुपये में कोई व्यक्ति दोनों टाइम खाना नहीं खा सकता तो गृह मंत्री जी से मैं कहूंगा कि जब अपना रिप्लाई दे तो मैस अलाउंस में निश्चित रूप से बढोतरी करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो लांगरी है जो खाना बनाता है उसका वेतन है एक हजार रुपये प्रतिमाह उसका वेतन है। कितना बड़ा अन्याय है एक तरफ हम मिनिमम बेजेज की बात करते हैं 66 रुपये मिनिमम वोजेज और दूसरी तरफ एक हजार रुपये प्रतिमाह केवल खाना बनाने वाले को देते हैं तो इसमें भी निश्चित रूप से बढ़ोंतरी की जाए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि थाने में जो हरिजन सफाई करते हैं उनको 175 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं केवल 175 रुपये प्रतिमाह। अब पूरे थाने की सफाई करने में आधा दिन लगता है मान लीजिये 7-8 घंटे लगते हैं और उसको केवल 175 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं इसमें भी बढोतरी की जाए और एक जो सबसे बड़ी बात जो पुलिस में भ्रष्टाचार पनपाने का काम करती है वो यह है कि मुल्जिम जो पकड़ते हैं अभियुक्त जो पकडते हैं पुलिस, उनको थाने में जब रखा जाता है पुलिस कस्टडी में तो चार रुपये एक टाइम का उसको खुराक का मिलता है खाने का। चार रुपये केवल एक समय का मिलता है क्या आज कोई कितनी भी सस्ता खाना हो कोई चार रुपये में किसी को खिला सकता है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मुल्जिम को जो चार रुपये खुराक के मिलते हैं इसको भी निश्चित रूप से बढ़ाया जाए नहीं तो क्या होता है कि पुलिस वाले मुल्जिम की खुराक मान लीजिये तीन दिन वो रह गया तो उसके पैसे वो इधर उधर से वसूल करते हैं। इसी प्रकार से मुलजिम को वो न्यायालय ले जाएंगे उसके लिए कोई उनको कन्वेंस अलाउंस भी नहीं मिलता तो यह इसी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

प्रकार की छोटी-छोटी बातें हैं। यदि हमने इन पर ध्यान दिया तो हम निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकेंगे और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। आपने घंटी बजा दी इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता मैं तो इतनी ही कहना चाहूंगा कि पांच साल के कांग्रेस के कुशासन में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगडी, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया है। वसुन्धरा जी मुख्यमंत्री बन गयी हैं और गुलाबचंदजी गृह मंत्री हैं निश्चित रूप से अब राजस्थान की कानून व्यवस्था में सुधार होगा। साम्प्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बढ़ेगा इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे अजीज मित्र और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य अभी बड़े जोर-शोर से यह कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धराजी के आने के बाद और माननीय गुलाबचंदजी के गृह मंत्री बनने के बाद राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। अपराधों में कमी आएगी लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। माननीय कालीचरणजी, आज आप तैयारी करके नहीं आये और अचानक आपका नाम बोल दिया और खड़े होकर आपने अपनी औपचारिकता पूरी कर दी। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं उन आंकड़ों से स्वयं यह प्रमाणित हो जाएगा कि जब से नयी सरकार राजस्थान में आयी है माननीय वसुन्धराजी मुख्यमंत्री बनी हैं डकेती, हत्या,लूट,बलात्कार, बलवा, नकबजनी, चोरी इन सब घटनाओं में वृद्धि हुई है। ...(व्यवधान) ... अब आप जरा सुन लें। बुद्धि चाहिए मेरी बात को समझने के लिए बुद्धि चाहिए थोड़ी। सांगसिंहजी, आपका नंबर...। जरा सुनिये ।

श्री सांगसिंह भाटी : यह आइसक्रीम तो आप में ही है, हमारे में तो किसी में नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, जरा इनसे मुझे बचाइये आप।

श्री सांगसिंह भाटी : ...(व्यवधान)... आज तक बिगड़ी हुई है। यह आज तक जो पांच-पांच साल से बिगड़ी हुई है, धीरे-धीरे सुधरेगी।

श्री सभापति : प्लीज माननीय सदस्य विराजिये। आपका नंबर आये तब बोलिये। आपका नंबर आये तब बोलना। आप बोलें प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं विगत वर्षों के आंकड़े भी आपके सामने रख देता हूं। 2001 में हत्या की घटनाएं हुईं 1259,2002 में हुई 1276 और 2003 में हुई 1262 और 2004 में जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने में 1600 मुकदमें हत्या के पंजीबद्ध हुए हैं। यह रिकार्ड है। डकैती की घटना 2001 में हुई 60, 2002 में 47,2003 में हुई 36 और आपको पता है जब कितनी हो गयी 6 महीने में ही 92 हो चूकी। आपके लूट की...(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला : पिछले पांच साल में एवरेज में 6 महीने में... (व्यवधान)

श्री सभापति : please don't speak like this.

मोहम्मद माहिर आजाद : ये देखिये जरा। ये मंत्री हैं जरा। वो मंत्री है। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं और वो आंकड़े मेरे नहीं हैं वो आंकड़े आपके स्वयं के गृह मंत्रीजी ने हमारे रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में दिये वो बता रहा हूं। इस पिछली छमाही में 1 जनवरी, 2003 से जून, 2003 के और जनवरी, 2004 से जून, 2004 के आंकडे आपके सामने पेश कर रहा हूं छमाही के। कारण क्या है कि आप जो प्रगति रिपोर्ट पेश करते हैं आपने नागरिक सुरक्षा विभाग की 2003-04 की. पेश कर दी आपने कारागार विभाग की 2003-2004 की पेश कर दी लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का कलण्डर ईयर। अप्रेल से 31 मार्च नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट का कलेण्डर ईयर। जून से 31 दिसम्बर होता है इसलिए यह प्रगति रिपोर्ट जो आपने हमको पेश की है पुलिस की यह 2002-03 की है। 2004 के छमाही के आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि बलात्कार की घटनाएं 2001 में हुई 1049, 2002 में हुई 1051 और 2003 में हुई 1050 और इस छमाही में एक हजार का आंकड़ा पर कर गया आपके 6 महीने में। एक महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे जैसे लोग यह सोचने लगे थे कि इस महिला सशक्तिकरण के वर्ष में कम से कम महिलाओं के अत्याचार में तो कमी आएगी।

श्री ओम बिरला : सदन के पटल पर आंकड़े तो सही रखें माहिर आजाद जी।

मोहम्मद माहिर आजाद : सही रख रहा हूं अभी पेश कर दूंगा।

श्री ओम बिरला :...(व्यवधान)... सदन में बहस करने को तैयार हैं। सदन को गुमराह न करें। आंकड़े सही रखें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप होम मिनिस्टर हो ? होम मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे। आप तो नायब वजीर हो डिप्टी बिना विभाग के बैठे रहिये +++ ज्यादा।

श्री ओम बिरला : हां बिना विभाग के हैं आंकड़े सही रखिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, इनका जरा +++ बंद करायें।

श्री सभापति : प्लीज, बैठे-बैठे नहीं।

श्री मदन दिलवार : यह क्या हुआ +++

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बैठ जाएं मैं आसन से बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें।

श्री बंशीलाल खटीक : ... (व्यवधान) ... कृपया सदन में सदन की भाषा की तरह ही बोलें। सदन में गरिमा का पूरा ध्यान रखें और आप बहुत पुराने हो माहिर आजादजी। माहिर आजादजी, बहुत पुराने कृपया सदन की भाषा में ही बोलें। आप गलत आंकड़े पेश न करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। आप मुझे संबोधित करके बोलें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ही कर रहा हूं। ये खड़े क्यों हो रहे हैं ?

श्री सभापति : आप उधर देखकर मत बोलिये और आप कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री मदन दिलावर : ये गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप चेलैंज कर देना। आप चुनौती दे देना।

श्री बंशीलाल खटीक : आप गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह करने की आपकी पुरानी आदत रही है इस पुरानी आदत को बदलो।

श्री सभापति : एक मिनट आप बैठिये। आप मंत्री हैं आप भी हैं मंत्री महोदय। गृह मंत्री सक्षम है उत्तर देने में जब वो आंकड़े देंगे, देंगे। अब वो जो बोल रहे हैं वो आप चाहें जो बोलें यह जरूरी नहीं है और आप उधर से बोलें वो आप चाहें वो ही बोलें यह भी जरूरी नहीं है इसलिए प्लीज एक जब बोले कोई तो उसको इन्ट्रप्ट न करें और अब कोई माननीय सदस्य इन्ट्रप्ट करेगा तो तो वो ठीक नहीं होगा।

श्री बंशीलाल खटीक :सभापति महोदय, इसका मतलब गलत आंकड़े पेश करेंगे। हमें उत्तेजित करने केलिए गलत आंकड़े पेश करेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप नाम दीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री बंशीलाल खटीक : हम नहीं बोलेंगे गलत आंकड़ें देंगे।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप विराजिये देखिये मैंने अभी कहा माननीय गृह मंत्रीजी के पास आंकड़े मौजूद हैं वो कांट्राडिक्ट करेंगे वो जवाब देंगे डिबेट का। इधर से भी कई आंकड़े आ रहे हैं उधर से आंकड़े आ रहे हैं और कौन से आंकड़े...

श्री मदन दिलावर : आसन पैरों पर है और माननीय सदस्य खड़े हो गये।

श्री सभापति : बैठे-बैठे नहीं बोलें। विराजियें प्लीज। आप भी बैठिये, मैं खड़ा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : एक मिनट।

श्री सभापति : मैं खड़ा हूं। आप विराजिये। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं... आप पत्रकार भी रहे हैं मुझे मालूम है। पढे-लिखे है। मैं खड़ा हूं और आप बीच में ही खड़े हो। प्लीज, सदन की गरिमा को बनाये रखिए सब लोंग। बैठे बैठे बोलने लग जाते हैं, चाहे जब खड़े होकर कंट्राडिक्ट करने लग जाते हैं। आपके पास कोई ठोस सबूत है तो यहां व्यवस्था है नियमों के तहत नोटिस दीजिए कि इन्होंने जो आंकड़े पेश किये हैं यह गलत है या मंत्रीजी को जानकारी दीजिए वह जवाब देंगे जब बतायेंगे। आप भी इधर से बोलों तो किसी के ऊपर इंगित करके नहीं बोलें सीधे आसन से इंगित कर के बोलें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, 1 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक के आंकड़े...

श्री सभापति : आई डोंट अलाउ , रिकार्ड नहीं होगा, इनका रिकार्ड नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से पढ रहा हूं और इसमें अगर इतनी-सी भी गलती हो तो चुनौती दे दें। प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ा। जनवरी, 2003 से जून, 2003 तक प्रदेश में 73,229 अपराध पंजीबद्ध किये गये थे। लेकिन जनवरी, 2004 से जून 2004 की छमाही में 76,124 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। मैं चुनौती देता हूं, इसमें एक भी गलत हो तो और डिटेल सुन लीजिए।

श्री सभापति : बैठे बैठे नहीं बोलें प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल 76,124 अपराध दर्ज किये गये है। इनमें से हत्या के 632, हत्या के प्रयास के 968, डकैती के 32, लूट के 362, अपहरण के 1295, बलात्कार के 513, बलवा के 1528, नकबजंनी के 3070 चोरी के 5969 एवं 58,154 अन्य अपराधों में मामले दर्ज किये गये हैं जो पिछले साल की छमाही से इस साल की छमाही में 3000 अपराध ज्यादा है। इससे आप यह कह सकते हो कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है या कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हुई है, बिगड़ी है। माननीय सभापति महोदय, आप किस कानून व्यवस्था की स्थिति की बात कर रहे हैं ? पाली के विधायक माननीय ज्ञानचंदजी पारख की क्वालिस गाड़ी चोरी चली गई, अभी तक उसका अता-पता नहीं है। आप आज ही का अख़बार पढ़ लें आपके सलूम्बर के विधायक श्री अर्जुनलाल मीणा के घर से चोरी हो गई। जेवरात और नकदी चोर कर ले गये। हमारी कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद गिरिजा व्यासजी का पैट्रोल पम्प लूट लिया गया, यह आपके प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति है और आप यहां दुहाई दे रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, यह वास्तविकता से परे है।

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : एक मिनट आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए।

श्री सांगसिंह भाटी : इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आप कह रहे हैं कि गाडियां चोरी हो गई। कांग्रेस के शासन में पुलिस की गाड़ी, मजिस्ट्रेट की गाड़ी चोरी हो गई और उसको आप बरामद नहीं कर सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिए। यह सबको पता है, आप क्यों रिपीट कर रहे हैं, सबको पता है यह सब चीजें।

श्री सांगसिंह भाटी : यह सब करतूत आपके हैं।

श्री सभापति : रिकार्ड नहीं करें, रिकार्ड पर नहीं जा रहा है माननीय सदस्य, आप जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

श्री सांगसिंह भाटी : xxx

श्री अमराराम चौधरी (गृह राज्य मंत्री) : आपने जो 1600 का बताया है की पंजीबद्ध हुए हैं यह 633 मुकदमें पंजीबद्ध हुए है आपने 1000 मुकदमों को बिलकुल असत्य कहानी कही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, सुनिए जरा । राज्य सरकार का गृह राज्य मंत्री इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात करें, आप कहें तो मैं पटल पर रख दूं। प्रश्न संख्या 772 यह तारांकित प्रश्न है जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामचन्द्रजी सराधना का और इसमें सरकार ने जो जवाब दिया है उसके आंकड़े मैंने पढ़े हैं। इसमें एक भी आंकड़ा गलत नहीं है। यह आपकी सरकार ने जवाब दिया है, आप कहें तो मैं इसको टेबल कर दूं।

श्री सभापति : आप तो बोलिए, वह क्वेश्चन है वह तो रिकार्ड में आ चुका, आगे बोलो।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में ना महिला सुरक्षित है न पुरूष सुरक्षित है, न उद्योग धंधे वाले सुरक्षित है।

श्री सभापति : जल्दी कन्क्लूड कीजिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी यहां हैं नहीं, चले गये। ए.सी.डी. में कितने मामले लंबित है और कब से लंबित है ? उनका कब तक निपटारा कर दिया जायेगा। 16 सी.सी.ए. और 17 सी.सी.ए. के नोटिस दिये हुए जिनकी जांच चल रही है कितने पुलिस आफिसर ऐसे हैं जिनको आपने फील्ड पोस्टिंग दे रखी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी इन चीजों का जवाब देंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और महत्वपूर्ण चीज जो अपराधियो को पकड़ने में काम आती है आपकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो जयपुर में पुलिस की है। इसमें स्वीकृत पद हैं 244 और उनके अगेंस्ट लग रहे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हैं केवल 105 लोग यह प्रोग्रेस रिपोर्ट में है, यह सत्य है। पुलिस की जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है उनके निदेशक के ऊपर कई अनियमितताओं के आरोप चल रहे हैं। उसकी जांच चल रही है, सरकार उसकी स्वीकृति नहीं दे रही है। सभापति महोदय, करोड़ों रूपये के उपकरण ऐसे हैं आप कहें तो मैं उनके संक्षिप्त में नाम बताऊं । जैसे एक्स-रे उपकरण उसकी कीमत 50 लाख रुपये है। उससे आज तक एक्स-रे नहीं हुआ, उपयोग में नहीं आई और वह पड़ी हुई है। आपके डी.टी.ए. है जिसकी कीमत 15 लाख है, एक बार भी काम में आई हो तो मुझे बता दें। एच.पी.टी.एल.सी. जिसकी कीमत 20 लाख रुपये हैं उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। कलर फोटो उपकरण जिसकी कीमत 10 लाख रुपये हैं। जी.सी.एम.एम.एस. जिसकी कीमत 75 लाख रुपये हैं। इसी तरीके से आपके करोड़ों रुपये की खरीद की गई है। 120 दिन आग बुझाने के लिये इन्होंने उपकरण खरीदे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बार बार में क्यों खड़े होते है। माननीय सदस्य, आप बार बार खड़े नहीं होवे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात तो कम्प्लीट करने दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं करोड़ों रुपये के उपकरण मोजूद हैं उसके बावजूद कमीशन के लिये नई खरीद की जा रही है। पहले से जो मॉजूद उपकरण हैं उनका काम होना चाहिये। वहां पर जो साइंटिस्ट के पद रिक्त हैं वह भरे जाने चाहिये ताकि जल्दी रिपोर्ट आये और जल्दी उसका निपटारा हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कारागार विभाग से संबंधित भी कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। भारत सरकार ने उदयपुर और भरतपुर दोनों की जेलों के लिये चूंकि यह बार्डर स्टेट हैं, बार्डर स्टेट के ऊपर यह जिले आते हैं उनको स्ट्रेन्थन करने के लिये करोड़ों रुपये के अनुदान के रूप में सहायता राज्य सरकार को मुहैया कराई, उसका उपयोग नहीं हुआ। काम शुरू किया गया उसके बाद बंद कर दिया गया। आवास विकास संस्थान को उसकी एजेंसी बनाया गया, चीफ सेक्रेटरी के यहां मीटिंग हुई, जिसमें पी.डब्ल्यू.डी. सेक्रेटरी, ए.वी.एस. सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी सब शामिल हुए और तय किया

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गया कि इसको हम जल्द उपयोग में लेंगे । लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सलाहकार समितियां बनी हुई हैं चाहे वह पेरोल पर रिहा करने की बनी हो चाहे जेल की व्यवस्था को देखने की बनी हुई हो। उन सलाहकार समितियों की कभी मिटिंग नहीं होगी, कागजों में नहीं होती उनकी मीटिंग होनी चाहिये।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा जयपुर की सेंट्रल जेल में वह कैदी जो पढ़े लिखें हैं, किसी भी वजह से अपराध में शामिल हो गये उनको प्रशिक्षण देने के लिये एक आई.टी.आई. का केन्द्र मंजूर किया गया था। उसका काम चालू किया गया, उस पर लाखों रुपये खर्च भी हो गये लेकिन बंद पडा है। मेरा निवेदन है कि उसको सही कराया जाये। सभापति महोदय, विधान सभा की हमारी कमेटी जयपुर सेंट्रल जेल में गई थी। जेल में जो उम्र कैदी हैं उनका प्रशासन चलता है, जेलर का प्रशासन नहीं चलता है। मैंने एक कैदी से पूछा मेरी कांस्टीट्युएंसी का था। मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं। मैंने पूछा कि क्या बात है कि साहब हमको इनको पैसे देने पड़ते है। मैंने कहा क्यों...

श्री सभापति : आप कन्क्लूड कीजिए। आप आपकी कमेटी की रिपोर्ट में इन चीजों का उल्लेख कर दीजिए यहां मत बोलिए। प्लीज आप कन्क्लूड कीजिए, मैंने आपको बहुत समय दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कन्क्लूड कर रहा हूं। सभा पति महोदय मैं आपके माध्यम से एक निवेदन माननीय कटारियाजी से करना चाहता हूं।

श्री सभापति : लास्ट मिनट

मोहम्मद माहिर आजाद : आप भोले भाले आदमी हो, अध्यापक हो आपको यह कहां गृह विभाग का जंजाल मिल गया। आज तक का राजस्थान का इतिहास है कि चाहे वह दामोदरजी व्यास रहे हों, चाहे नरेन्द्रनाथ आचार्य रहे हों, चाहे मुम्भाराम आर्य, प्रो. केदारनाथ, बाबू सम्पतरामजी, दिग्विजय सिंहजी, कैलाश मेघवालजी, गुलाब चंदजी शक्तावत, जो भी होम मिनिस्टर बना...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : यह जिम्मेदारी आपकी नहीं है यह तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कौनसा विभाग किसको दें। आपको किसने जिम्मेदारी दी है, यह सरकार की जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय किसको दे किसको नहीं, आपका क्या लेना देना है ?

श्री सभापति : आप बैठिए। उनको खतम करने दीजिए, कन्क्लूड कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : कटारियाजी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको निवेदन कर रहा हूं कि पिछली बार गहलोत साहब ने प्रद्युम्न सिंहजी को होम मिनिस्टर बनाया था तो उन्होंने देखा गड़बड़ नहीं हो जाए। तो उन्होंने चेंज कराके गुलाबसिंजी को दे दिया तो प्रद्युम्नसिंहजी तो आ गये वह रह गये। इसलिये आप तो शिक्षा विभाग में ही बढिया, काहे में फंस गये। मैं अन्त में आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि जब से गुलाबचन्दजी कटारिया को राजस्थान का गृह मंत्री बनाया है आर.एस.एस. की गतिविधियां राजस्थान में बढ़ गयी हैं। खुले-आम शाखाएं लगायी जा रही हैं, लाठियां लेकर लोगों को प्रताडित किया जा रहा है। साम्प्रदायिक गतिविधियां...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो सन् 1925 से आन्दोलन चालू है, इसमें कहीं कोई भी साम्प्रदायिकता की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप समाप्त करिये, आप समाप्त करिये।

श्री ओम बिरला : यह सदन इस तरह के आरोप लगाने के लिये नहीं है।

श्री बद्रीलाल जाट : कुंठित विचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : आर.एस.एस. एक सामाजिक संस्था है।

श्री ओम बिरला : देशद्रोहियों के विनाश केलिये आर.एस.एस. का होना जरूरी है। (व्यवधान) देशद्रोहियों के विनाश के लिये आर.एस.एस. का होना आवश्यक है।

श्री मदन दिलावर : आर.एस.एस. के लोग देशभक्त हैं।

श्री ओम बिरला : हिन्दुस्तान में आर.एस.एस है तो हिन्दुस्तान है।

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. के विषय में आप कुछ नहीं जानते हैं। इसलिये आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। (व्यवधान) मैं पैरों पर खड़ा हूं, बैठ जाइये। (व्यवधान) मैं पैरों पर खड़ा हूं।

श्री मदन दिलावर : इस प्रकार से बोलते हुए +++ नहीं आती इनको... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : कार्यवाही से निकाला जाए...(व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज आप बैठ जाएं...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. पर सीधा-सीधा आरोप लगाया है। वह कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए, कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे राष्ट्रवादी संगठन के लिये ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग करना...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. के ऊपर सीधा-सीधा आरोप लगाया, गया है, वह कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, बैठिये।

एक माननीय सदस्य : हमें उत्तेजित करने की कोशिश न करें, सभापति महोदय।

श्री सभापति : बैठिये, आप विराजियें, एक मिनट, मैं खड़ा हूं यहां। मुझे मालूम है, विराजिये। (व्यवधान) विराजिये। माननीय सदस्य, मैं आपसे

(श्री सभापति)

अनुरोध करना चाहूंगा (व्यवधान) एक मिनट, मैं बोल रहा हूं, फिर बीच में। मैने आपको बहुत समय, जितना दिया जाना चाहिए था उससे ज्यादा समय दे दिया। (व्यवधान) अब एक मिनट,प्लीज नो कमेण्ट्स...(व्यवधान) आप ऐसी बात मत बोलिये जिससे सदन में उत्तेजना फैले।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो उनको राज़ी करूं क्या ?

श्री सभापति : एक मिनट, सुनिये। आप सुनिये ना। एक मिनट, मैं बोल रहा हूं, क्या है उसमें...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह शब्द निकाला जाए, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या शब्द निकालें इसमें ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कैसे निकाला जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : हुआ क्या है, क्या आरोप लगाया ? आप प्लीज, आधे मिनट में कनक्लूड करिये, अदरवाइज आप कुछ भी बोलेंगे ऐसी कोई बात, तो मुझे कार्यवाही से निकालना पड़ेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया आन्ध्र प्रदेश में, और उसके खिलाफ आन्दोलन राजस्थान में किया जा रहा है। यह साम्प्रदायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है ? यह बजरंग दल, शिवसेना और आर.एस.एस. विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान) इसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री सभापति : विराजिये, आसन पैरों पर। श्रीमती राजकुमारी शर्मा। क्या बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : राजस्थान की भूमि पर ... (व्यवधान) विश्व हिन्दू परिषद भी बढ़ेगा, बजरंग दल भी बढ़ेगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी प्रगति करेगा। ये नहीं रोक सकते हैं इसको। (व्यवयधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, विराजिये, बैठिये।

श्री बंशीलाल खटीक : यह आर.एस.एस. विश्व हिन्दू परिषद, यह तो जब तक देश, हिन्दुस्तान है तब तक चलते रहेंगे। (व्यवधान) हिन्दुस्तान से कुछ भी नहीं निकल सकते हैं। (व्यवधान) यह तो चलेगा। +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, कण्ट्रोल करिये माननीय सदस्य को। (व्यवधान) Otherwise, I will have to take action. यह क्या है ? (व्यवधान) मंत्रीजी, विराजिये, विराजिये।

I am on my legs, please.

श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्री मदन दिलावर : बजरंग दल का काम नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। विश्व हिन्दू परिषद का काम नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद : रोकेंगे।

श्री सभापति : फिर खड़े हो गये, मुख्य सचेतकजी, कण्ट्रोल कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप विराजिये, तो मैं जाऊं।

श्री कालीचरण सर्राफ : आर.एस.एस. का नाम लेकर ये कांग्रेस के लोग राजस्थान का साम्प्रदायिक सोहार्द ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं

श्री सभापति : आप उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, आपने ही सदस्य को .. (व्यवधान) आप बैठिये, मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं, उनको बोलने दीजिए।

एक माननीय सदस्य : इनको कह दें आप गरिमा में रहें। अपनी गरिमा में रहकर सदन की... (व्यवधान) सदन की गरिमा का ध्यान रखें, इनको हिदायत दी जाए।

श्री सभापति : आप बैठिये। किसी का अंकित नहीं किया जाए, श्रीमती राजकुमारी के अलावा। श्रीमती राजकुमारी के अलावा कोई भी नोटिंग नहीं

होगी।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : सभापति महोदय, पुलिस की मांग संख्या 16, कारागार की मांग संख्या 17 पर चर्चा हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र...

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, विराजिये, आप विराजिये, सदस्या बोल रही हैं, आप बाद में जवाब दीजिएगा।...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री बद्रीलाल जाट : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कार्यवाही में नहीं जाएगा, माननीय सदस्य, यह क्या कोई स्प्रिंग लगी हुई है क्या, What is this

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री आशेक बैरवा (खण्डार) : xxx

श्री सभापति : आप विराजिये, प्लीज। मैंने श्रीमती राजकुमारी शर्मा को अलाऊ कर दिया है। अब कोई भी माननीय सदस्य बीच में दखल नहीं देगा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र सीकर है। मैं पुलिस के बारे में बोल रही हूं लेकिन आज जिस तरह का सदन में हो रहा है मेरा सभापति महोदय से निवेदन है कि आर.एस.एस. पर कोई छींटाकशी करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह हमारा दावा है। हम भी

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)
फिर उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आर.एस.एस. एक राष्ट्र भक्त है और उसके बल पर हमारा हिन्दुस्तान चलता है। हम उसके विरूद्ध एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आर.एस.एस. पर कोई भी माननीय सदस्य बोलेगा तो हम महिला आन्दोलन कर देंगी और हमारी इतनी महिलाएं है, हमारी मुख्य मंत्री महिला हैं, हम इनको सबक सिखा देंगे कि आर.एस.एस. क्या चीज होता है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : राजेन्द्र राठौड़जी भी नहीं जाते शाखा में, मुख्य मंत्रीजी भी शाखा में नहीं जाती है। अब आप किसकी लड़ाई लड रही हैं ?

श्री सभापति : प्लीज नो कमेंट्स। नो- कमेंट्स। पलीज सिट-डाउन।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : हम तो जाते है, शाखा में हम तो जाते है शाखा मै और हमने बहुत लगायी है शाखा

श्री अशौक बैरवा (खण्डार) : मुख्य मंत्रीजी नहीं जाती है। मैं दावा करता हू कि मुख्य मंत्रीजी नहीं जाती है। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : हमने बहुत सारे शिविर लगाये हैं। हमारे धोद से आये हुए माननीय सदस्य जानते हैं कि मैंने सीकर में बहुत सारे शिविर लगाये हैं। मैंने शाखा लगायी है।

श्री सभापति : आप आपस में नहीं करें। आप मुझे देखकर बोलिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : मैं आपको चुनौती देती हूं कि मैंने सीकर में शाखा लगायी है और मैं राष्ट्रीय सेवाकार समिति की नौ साल तक नगर (व्यवधान) रहीं हूं।

श्री सभापति : मेरी तरफ देखकर बोलिये इधर ।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : हां।

श्री सभापति : जो भी बोल रहे हैं, इधर देखकर बोलिये।

श्री श्रवण कुमार : आपने सीकर में श्याम भक्ति के गाने गाये हैं। फिर कहां शिविर लगाये थे ? आप तो गाना गाती थीं श्याम भक्ति के। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : गाना नहीं गाती थी भजन गाती थी, भजन।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप किस बात पर खड़े हैं ?

श्री श्रवण कुमार : कहां शिविर लगाते थे ? कब से लगाने लग गये शिविर ?

श्री सभापति : आप बैठिये, आप बैठिये। आप क्यों बोल रहे हो ? पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं... (व्यवधान)...

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आप इनको बैठा दीजिए या सदन से बाहर कर दीजिए।

श्री सभापति : I am not allowing you. I have not allowed you. Please sit down.

श्री श्रवण कुमार : कहां शाखा लगाती थी ? (व्यवधान)

श्री सभापति : हम इनको रोक नहीं सकते कि आप क्या बोलेंगी। आप बोलिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय सभापति महोदय, इनको बैठा दीजिए या इनको सदन से बाहर कर दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, यह राज आर.एस.एस. का नहीं है यह राज ईस्ट इण्डिया कम्पनी का है और वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी चला रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : वह इनको बाहर कर देगा।

श्री संयम लोढ़ा : यह आर.एस.एस. का नहीं है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अभी तो हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री हैं, राजस्थान की मुख्य मंत्री हैं वह चला रही हैं राज (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, यदि किसी महिला पर और कोई किसी प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया तो आसन इनकी व्यवस्था करें। नहीं तो हमें कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। (व्यवधानन)

श्री सभापति : मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : सभापति महोदय, इनको बैठाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, कार्यवाही से नहीं। यह नहीं कि सब अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किये जाएं और हम...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा : आप क्या व्यवस्था करेंगे ? आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो भी करना होगा, वह हम करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप सीधी तरह से यह स्पष्ट करना चाहते हैं (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या करेंगे ?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : हम व्यवस्था करेंगे आपको सदन से बाहर करने की। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि कोई भी आपत्तिजनक और किसी के बारे में किया गया तो सब अधिकार है हमको। +++ और क्या करेंगे ?

श्री सभापति : आप विराजिये। मुख्य सचेतकजी।

श्री रामनारायण मीणा : आप निवाई में चलिये वहां तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : सभापति महोदरय, यह तो जैसे उल्का पिंड खड़े होते हैं वैसे ही खड़े हो जाते हैं, आप इनको मना नहीं कर सकते?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बारबार खड़े हो जाते हैं। यह अव्यवस्था कैसे फैला रहे हैं...(व्यवधान) पैदा कर रहे हैं।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : यह पुच्छल तारे खडे होने हैं वैसे खडे होते ही जा रहे हैं। (व्यवधान) मना नहीं कर सकते हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, एक मिनट विराजिये राजकुमारीजी।

माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्या पहली बार सदन में चुनकर आयी हैं।...

श्री महावीर प्रसाद जैन : महिला है।

श्री सभापति : प्लीज, सिट डाउन। आप सब लोगों से अपील है कि उनको बोलने दीजिए। उनको विघ्न मत डालिये। मडन स्पीच है, पहली बार चुनकर आयी हैं इसलिए दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि उनको इण्टरप्ट नहीं करें। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र सीकर है, उसकी प्रमुख समस्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सीकर शहर की आबादी चार लाख के आस-पास है जिसमें दो लाख से अधिक महिलाएं हैं। महिलाओं पर उत्पीड़न के और अत्याचार के मामले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं और मैं राज्य सरकार से एक मांग करती हूं कि मेरे यहां पर एक पृथक से महिला थाना स्थापित किया जाए। पहला।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

दूसरा, बढ़ती हुई मुकदमों की संख्या और कानून व व्यवस्था को बनाये रखने हेतु देवीपुरा में एक नया थाना पुलिस का स्थापित किया जाए। मेरा जो मारू स्कूल है लड़कियों का वहां पर आये दिन वारदातें होती रहती हैं। ऐसे तत्व हैं जो लड़कियों से छेड़-छाड़ करते रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है और मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को बताना चाहती हूं कि वहां पर पुलिस की व्यवस्था कर दी जाए। साथ ही वहां पर जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनको दूसरी जगह पर स्थानांतरित करके वहां पर जो टैक्सी वगैरह का स्टैण्ड बनाया हुआ है, वह स्कूल के आस-पास नहीं रहे और बच्चियों के लिए पूरी व्यवस्था रहे। बच्चियों का आना-जाना बहुत रहता है। मारू विद्यालय, जो हमारे सीकार का हार्ट है और उसमें केवल बच्चियां ही पढ़ती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि वहां पर पुलिस की समुचित व्यवस्था की जाए। मेरे सुभाष चौक में अभी 15 दिन पहले ही एक बच्चे का खून हो गया था, पुलिस व्यवस्था के लिए अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, आपके इसमें बढ़ी है पर यह पुलिस और उसके जो अधिकारी है वे अभी उसी सरकार के हैं। गृह मंत्रीजी, बदले नहीं गये हैं। इसलिए हमारे यहां एक यह वारदातें होती रहती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उस पुलिस व्यवस्था को और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनको तुरन्त निलम्बित करके दूर भेज दीजिए कहीं भी और उन पर आप एक्शन लीजिए क्योंकि पांच साल उनका राज रहा है और बहुत सारी वारदातें इस तरह की हुई हैं। मेरे यहां फेर-बदल तो करना ही पड़ेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्यजी, आप भी आर.एस.एस. का नाम ले रहे हैं। हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं हैं और न बोल रहे हैं। आप सीनियर हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप तो पुराने हैं और हमको बोलते है कि उस ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : बोलते जाइये। आप ध्यान मत दीजिए। आप बोलते जाइये। आप जवाब मत दीजिए। आप तो बोलते जाइये। आप अपने सब्जैक्ट पर बोलिये। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी को बताना चाहती हूं कि सीकर स्थित कारागार में कैदियों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, कैदी जो किन्हीं कारणवश जेलों में हैं उनको ऐसी व्यवस्था हो रही है। मैं खुद वहां पर जाकर और देखकर आयी थी। उनको समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की आप कृपा करें। महिलाओं पर जो

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)
अत्याचार होते हैं, मेरी पुरजोर मांग है कि एक महिला थाना वहां पर जरूर होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करती हूं, कि जो मेरी बच्चियों की स्कूल है वहां पर पुलिस का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। जो हमारे मंदिर और देवालय हैं। देवीपुरा में हमारे एक बहुत बड़ा बालाजी का मंदिर है। मंगलवार को ही नहीं बल्कि प्रतिदिन महिलाएं वहां पर जाती हैं, वहां पर कुछ न कुछ छोटी-मोटी घटनाएं घटित होती रहती ही हैं। आपसे निवेदन है, कि वहां पर तो आपकी कृपा होगी, पुलिस की संख्या बढ़ा दीजिए, आपसे मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : आदरणीय सभापति महोदय, एनजेक्टली टाइम आप बता दीजिए कि कितना टाइम है, 10 मिनट, 5 मिनट ?

श्री सभापति : 10 मिनट।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : थैंक्यू आदरणीय सभापति महोदय, अगर इस देश की सुरक्षा के लिए इस संविधान ने सेना को कार्य सौंपा है तो इस देश की आन्तरिक व्यवस्था के लिए और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जैसा विभाग संविधान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किसी भी प्रदेश या किसी भी देश की व्यवस्था तब तक सुचारू रूप से लागू नहीं हो सकती जब तक कि वहां की आन्तरिक व्यवस्था और कानून व व्यवस्था एक चुस्त और दुरुस्त विभाग द्वारा पूर्णतया कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, संविधान के मायने को ध्यान में रखते हुए और उसकी स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष भावना से लागू न की जाए। प्रदेश की कानून व व्यवस्था का जिम्मा गृह विभाग के अधीनस्थ पुलिस विभाग का है और इस पुलिस विभाग में अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो तीन श्रेणी के व्यक्ति हैं जो अपना-अपना काम करते हैं। एक श्रेणी में हम आई.पी.एस. अधिकारी के नाम या आई.पी.एस. कैडर के नाम से कहते हैं, एक श्रेणी बीच की श्रेणी होती है जिसको हम आर.पी.एस. कैडर का नाम देते हैं और एक वह श्रेणी है जिसको हम कांस्टेबल, एस.एच. ओज या इंस्पैक्टर्स कहते हैं। इस नीचे की श्रेणी और सर्वोत्तम आई.पी.एस. श्रेणी के बीच का जो जोड़ है, उसे हम आर.पी.एस. कहते हैं। और यह कहा जाए कि वास्तविक प्रदेश के अन्दर कहीं कानून व व्यवस्था की आवश्यकता होती है और जो सीधी जानकारी अगर मिल सकती है

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तो वह इस श्रेणी के अधिकारी से मिल सकती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस श्रेणी के अधिकारियों का कुछ समय से या तो विभाग की तरफ से या जब-जब जो-जो सरकार रही हो, किसी एक सरकार की या किसी शासन के प्रति अंकित करना उचित नहीं रहेगा इनके मनोबल में कमी आयी है। उनके मनोबल में कमी आयी है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके प्रमोशन की प्रक्रिया के अन्दर कहीं न कहीं भेदभाव बरता गया है। 1999 के विभिन्न अदालतों और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से इनकी एक सीनियोरिटी की स्केल और सीनियोरिटी की एक लिस्ट बनी थी और उस लिस्ट के आधार पर यह निश्चित किया गया था कि 1997 के हिसाब से इनकी यह वरिष्ठता सूची है जोकि डिपार्टमेंट की तरफ से जो कुछ भी उसमें आपत्तियां मांगी गई थी, उसको मांगकर 24.5.2000 को यह सूची लागू कर दी गयी। अब फिर शायद कुछ रहा होगा। इस सूची में संशोधन करके एक सूची उस साल 19.7.2000 को लागू कर दी गयी। जहां तक दस्तावेजों का सवाल है और जहां तक विभिन्न न्यायालयों में जब भी पेश हुआ 19.7.2000 की जो सूची है वह अधिकृत सीनियोरिटी की सूची मानी गयी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ 2003 के दसवें महीने में एक प्रमोशन की सूची निकाली जिसमें उन अफसरों का प्रमोशन कर दिया गया जो इस 2000 की सूची में और रजिस्ट्रार सूची में कहां भी नहीं है। 26 आदमियों की सूची है। पांच ही ऐसे आदमी है जो इस वरिष्ठता सूची के अंदर कहीं अंकित हैं। बाकी जितने आदमी हैं वह सूची कहां से बनी, किन नियमों के तहत बनी, किसने बनाई और क्यों 2003 के दसवें महीने में लागू की गयी ? इसका क्या अर्थ है और इसके कारण क्या रहे होंगे यह मैं सदन को और सदन के माननीय सदस्यों पर छोड़ देता हूं और आदरणीय गृह मंत्री पर छोड़ देता हूं। जब यह सूची बनी और इस सूची को प्रकाशित किया और इसके तहत जो आफिसर को प्रमोशन दिया तो कुछ अफसरों ने जाकर सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल में अपील की। सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से जब यह बात देखी और पूरी चीज का निस्तारण किया तो मई, 2004 में उनका निर्णय आया कि जो सूची 2003 में प्रकाशित की गयी थी वही वास्तव में वरियता सूची है और उसीके आधार पर प्रमोशन दिया जाना चाहिये था। अगर इस तरह की अनियमितताएं बरती जाएंगी। इस तरह का इतना अहम् महकमा जिनके अधिकारी इस कानून व्यवस्था में अपना दायित्व निभाते हैं, अगर उनके मनोबलों को इस तरह गिराया जाएगा कि किसी को कोई चुनाव जीतना है किसी पार्टी विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के प्रति लगाव है तो आखिर हम कैसे अपेक्षा करते हैं कि यह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कानून-व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान करेंगे। जो व्यवस्था बनाता है अगर उसी के साथ भेदभाव हुआ तो वह किस निष्पक्षता से व्यवस्था इस जनता को दे पायेगा। यह एक अहम् काम है। इसके अंदर कितने बिन्दु हैं उसके बाद कैट के लिये कहा कि जो निर्णय आया उसके विरुद्ध अपील कर दी गयी। और अपील करने के बाद में उसका निर्णय आया कि आप डी.पी.सी. कर लीजिये। लेकिन बात यह है कि इस दरम्यान 2000 में डी.पी.सी. हुई, पांच अधिकारियों की डी.पी.सी. हुई। उस डी.पी.सी. का क्या निर्णय हुआ, उसका क्या हुआ आज तक नहीं खोला गया। 2000 से 2004 आ गया। न आप डी.पी.सी. करते हैं, न प्रमोशन करते हैं। अगर आप प्रमोशन भी करते हैं तो अपने मन के और अपने मापदण्डों से आप कोई लिस्ट बना देते हैं। आखिर यह देश और प्रदेश संविधान द्वारा दिये हुए नियमों के आधार पर चलता है। कानून व्यवस्था उन नियमों के आधार पर होती है और जो व्यवस्था करने वाले स्वयं नियम की पालना नहीं करता है तो फिर व्यवस्था देने वालों से हम क्या उम्मीद करते हैं । यह एक बहुत गंभीर विषय है। मैं आशा करता हूं कि सम्माननीय गृह मंत्रीजी अपने विवेक से और संविधान के आधार पर और जो सत्यता है उस पर गौर करके इस पर ध्यान देंगे।

दूसरा विषय जो सर्वाधिक है और शायद यह बात कई लोगों को नागवारा गुजरे। एक तरफ तो हमारी आर्मी देख लीजिये। आर्मी के जवान को देखने से हमारे ने स्फूर्ति आती है और एक हमारे पुलिस के सिपाही को देख लीजिये। अगर को स्फूर्ति भी है तो वह डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अंग्रेजी में शब्द है "बाडी लेंग्वेज"। एक आर्मी के जवान का बाडी लेंग्वेज देख लीजिये और एक एक सिपाही का बॉडी लेंग्वेज देख लीजिये। कहीं न कहीं इस व्यवस्था को भी सुधारना पड़ेगा। इनका काम कानून व व्यवस्था को कायम रखना है। इनका काम याहं की आन्तरिक सुरक्षा का है। इनका काम हार्ड कोर क्रिमिनल्स को पकड़ना है। सौ मीटर में जो हाफने लग जाये वह कौनसे क्रिमिनल्स को पकडेगा ? अभी सम्माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह फरमा रहे थे कि इनको गाड़ी की जरूरत है क्योंकि यह भाग तो सकते ही नहीं। इनका कोई ट्रेनिंग कोर्स ही नहीं है। जितनी भी अर्जियां आती हैं हम यह चाहते हैं थानों में लग जायें। लाइन में कोई नहीं रहना चाहता क्योंकि लाइन में रोज सुबह एक्सरसाइज होती है। सारे थानों में जाना चाहते हैं और थानों में जाकर क्या होता है वह मेरे ख्याल से मेरा जैसा व्यक्ति उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति यहां बैठे हैं उनको ज्यादा मालूम है।

श्रवण कुमार : +++

श्री सभापति : नो, प्लीज सिट डाउन। यह कार्यवाही से निकाला जाये। जो इन्होंने कहा है।

श्री श्रवण कुमार : क्यों ?

श्री सभापति : No, This is wrong.

श्री श्रवण कुमार : वाजिब बात है यह तो। मतलब +++

श्री सभापति : This is objectionable.

प्लीज आपका कहना, यह बोलेंगे यह कार्यवाही में नहीं रखा जाये।

श्री श्रवण कुमार : नहीं, कार्यवाही में मत रखो।

श्री सभापति : I wouldn't allow you like this, This is defamatory.

यह जो बोल रहे हैं, क्या बोला माननीय लीडर आफ आपोजिशन आप समझ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह सच्चाई है माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : I wouldn't allow to go on record such type of things.

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव है...

श्री सभापति : बहुत अच्छी तरह से अपना पक्ष रख रहे है। आपको सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। हां, वह बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं।

Please go ahead.

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, बहुत आवश्यकता है कि इस प्रदेश की पुलिस फोर्स को मै यह नहीं कहता किसी के प्रति कोई अपमानजनक बात नहीं कहना चाहता। लेकिन अधिकारी वर्ग भी यह महसूस करते होंगे कि पुलिस का जवान, पुलिस का एस.एच.ओ., पुलिस का इंसपेक्टर फिजिकली फिट हो और कम से कम उन सारी चीजों पर तो पाबन्दी लगा देनी चाहिये जिससे फिजिकल फिटनैस पर एडवर्स इफेक्ट करे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इस दरम्यान एक बात और मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हमारी सोच में त्रुटि है। यह पहली बार मेरे ख्याल से इस प्रदेश का उदाहरण रहा होगा कि तीन-तीन वर्ष तक आर.पी.एस. से आई.पी.एस. में प्रमोशन हो गया और उसके बाद रिवर्ट हो गया। यह इसलिए हुआ कि कहीं न कहीं जब निर्णय लिया गया उसमें त्रुटि थी, पक्षपात था। सैंट्रल एड मिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की भी यह फाइंडिंग्स है कि जिस ढंग से आप लोग निर्णय लेते हैं वह निष्पक्ष निर्णय नहीं है तो कम से कम इन अधिकारियों के भविष्य के साथ जब निर्णय लिया जाये तो निष्पक्ष लिया जाये। राजनीति से ऊपर उठकर लिया जाये। संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखें और प्रजातंत्र के सौहार्द को भी ध्यान में रखें।

अब कुछ सौभाग्यवश जनता और इस विभाग में ऐसे भी अफसर हैं और अधिकारी हैं जो मुस्तैदी से काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मूर्ति प्रकरण ले लीजिये जिसके अंदर मुस्तैदी से राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी आई.पी.एस. जो भी उसमें इन्वाल्व थे, उन्होंने काम किया और उस अपराधी को पकड़ लिया। अब गृह विभाग का यह काम था कि इतने बड़े तस्कर को या जो भी अपराधी है उसको पकड़ा तो कांस्टेबल से लगाकर जो भी अधिकारी थे, सबने पूरा योगदान दिया। पकड़ लिया, शहादत हो गयी। सब कुछ हो गया। कांस्टेबल को तो हैड कांस्टेबल बना दिया गया। हैड कांस्टेबल को हो सकता है ए.एस.आई बना दिया गया हो लेकिन सर्किल इंसपेक्टर को डी.एस.पी. बनाने के अंदर एक साल लग गया कोई अधिकारी उस फाइल को लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ यह टिप्पणी नहीं करते कि आखिर यह इस योग्य है या नहीं, जबकि पूरे तरीके से शहादत हो गयी कि इस योग्य ही नहीं, वह पूरा कर्णधार था इसका। आप आज तक लेकर बैठे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अगर यह मापदण्ड रखे जाएंगे, अगर यह तरीके हों फिर पुलिस से हम उम्मीद करें कि वह कानून व्यवस्था में सहयोग करे। डकैतियां कम हो, अपराध कम हों। जब अपराध करने वाले साथ अपराध हो रहा है तो अपराध कैसे कम करेगा। बात इसकी है। क्योंकि दस मिनट का समय पूरा हो गया

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और मैं आपकी घण्टी को बार-बार सुनना नहीं चाहता। इसलिए हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि इस देश और प्रदेश की भलाई इसी में है कि यह पुलिस निष्पक्षता से काम करे, और सदन का कर्तव्य बनता है कि ऐसा वातावरण पैदा करे और ऐसे नियम पैदा करे कि निष्पक्षता से इनको काम करने का पूरा अवसर मिले। यह देश की और प्रदेश की सेवा कर सकें और खास कर इस प्रदेश की जनतंत्र की सेवा कर सकें। धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री सुभाष चन्द्र।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : सभापति महोदय, मांग संख्या 16, पुलिस पर ग्राह्य कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, मैं इसमें अपने को शामिल करते हुए कुछ तथ्य आपके माध्यम से रखना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी निश्चित ही इस पर विचार करेंगे और हमारे प्रदेश की पुलिस को चुस्त-दूरूस्त बनाने में अपनी एक भागीदारी निभायेंगे। हम जिस प्रकार से पुलिस से उम्मीद करते हैं, अभी पक्ष और विपक्ष पर एक-दूसरे की तरफ से जिस प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप आ रहे थे मेरा उसमें निवेदन है कि सरकार बदलती है लेकिन प्रशासन वही है, सिर्फ काम करने वालों की मंशा पर निर्भर करता है कि वह उस से किस तरह से काम लेता है। अगर आपकी मंशा सही है, काम का तरीका सही है, अगर आपकी भवना सही है तो आपकी सरकार की मंशा को देखते हुए आपका प्रशासन आपको उसका काम देगा। और अगर आपकी भावना बदल गयी है या सामने वाली की भावना के विपरीत आप उससे काम लेना चाहते हैं तो निश्चित है आपको कहीं न कहीं विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस जैसे संस्था है, हमारा प्रशासन है उसको हम चुस्त-दुरुस्त बनायें, बढिया उससे काम लें, बढिया हमारे प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था बनी रहे उसके लिए हम किस तरीके से काम ले सकते हैं उसके लिए जरूरी है सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। पिछली सरकार ने क्या किया, उन बातों से सबक लेकर हमें आगे बढ़ कर काम करना चाहिए इसलिए पिछली गलतियों को नहीं दोहरा कर के और प्रशासन का ज्यादा इस्तेमाल कर सकें।

कुछ बातें जिस प्रकार से मेरी दिमाग में है, वह निवेदन करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा जब तक पुलिस प्रशासन को

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

सुविधाएं और उनके संसाधन उपलब्ध नहीं करायेंगे तो हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते। दूसरा, पुलिस पर अत्यधिक कार्य का बोझ है। एक आदमी से आप 48-48 घंटे काम लेते रहेंगे, वह सोयेगा नहीं, खायेगा नहीं, घर वालों से मिलेगा नहीं, छुट्टी उसको मिलेगी नहीं, कब तक उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, उसकी मानसिकता कुंठित होगी। आप हिन्दुस्तान में कई जगह देखिये, महाराष्ट्र में और आन्ध्र में भी इस प्रकार की वारदातें हुई हैं, उन्होंने बड़े अधिकारियों पर वारदात कर दी इसके बदले में। जब तक हम इन बातों को नहीं देखेंगे कि जिस से हम काम ले रहे हैं उसको अपन कितनी छुट्टी दे रहे हैं, उसको कितनी रिलैक्सेशन दे रहे है इस पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित ही उसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा।

थानों में जब तक नफरी नहीं बढ़ेगी, एक आदमी से पांच आदमियों का काम लेंगे तो निश्चित ही हम जितने काम की अपेक्षा करते हैं वह उतने काम पर खरा नहीं उतर सकता। अगर एक आदमी 24 घंटे भागेगा फिर सोयेगा नहीं, फिर 48 घंटे भागेगा, फिर 72 घंटे भागेगा और फिर छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर कहीं परिवार पीडित है तो उसको सहयोग नहीं मिलेगा तो निश्चित है उसके विरोध की और कुंठा की भावना बनवती होगी और उससे रिएक्शन होगा, चाहे वह भ्रष्टाचार की तरफ बढ़े, चाहे वह अपराधियों को प्रश्रय देने की स्थिति की तरफ बढे, चाहे उसके कारण उसकी नेग्लिजेंसी हो जाए। यह एक व्यवस्था है, उसको सुधारने की जरूरत है।

जब तक हम पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लैस नहीं करेंगे तब तक हम पुलिस परफोर्मेंस की उम्मीद करते हैं वह नहीं होगी। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, सही बात है कि एक घंटे में जो गाड़ी 17,18,20,30 किलोमीटर चलेगी वह क्या करेगी। आज अपराधियों की संख्या, अपराधों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उसके साथ ही उपराधों के तरीके भी बढ़ रहे हैं। अपराधी आज आधुनिक संसोधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी गाडियां, बड़े-बड़े संसाधन, बड़े-बड़े आयुध उनके पास हैं और ऐसी-ऐसी चीजें हैं इलैक्ट्रोनिक्स की चीजें सब कुछ हैं जिनके माध्यम से वे अपराध करते हैं और बच कर लिकल जाते हैं। हमारी पुलिस लाचार होकर देखती रहती है। जब तक हम संसाधनों से लैस पुलिस को नहीं करेंगे हम पुलिस से जितनी उम्मीद करते हैं उतना लाभ नहीं ले पायेंगे उनसे।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

मेरा एक विशेष निवेदन यह है कि तथ्यों से परे जाकर जांच रिपोर्ट देने वाले कोई भी अधिकारी हों, अगर वह इस प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट देता है तो असके ऊपर निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यवाही करने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे न्याय सुलभ हो सके। एक अधिकारी जांच कर के रिपोर्ट दे रहा है, कोई दूसरा आया उसने जांच रिपोर्ट जस्ट बदल दी, तीसरा आया उसने तीसरी जांच रिपोर्ट दे दी। सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तीनों अधिकारियों ने जांच गलत दी अथवा तीनों की सही थी ? जब तक इस प्रकार तथ्यों को कोई न कोई आधार नहीं बनाया जायेगा और किसी इन्वेस्टिगेशन अफसर की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जायेगी तब तक न्याय आसानी से सुलभ नहीं हो सकता।

इसके अलावा एक सुझाव मेरा यह है कि राजस्थान परिवहन की बसों में पुलिस के सिपाही और अधिकारी, सब उसमें सफर करतें हैं, किराया नहीं दिया जाता, कई बार झगड़े होते हैं, कई बार इस तरह की परेशानी आती है। एक बार इस तरह का सुझाव आया था, कुछ एक भत्ता या कुछ इस तरह का उनकी तनकख्वाह से काट लिया जाए और राजस्थान पुलिस को परमिशन दी जाए। मेरा इसमें सुझाव है कि प्रति पुलिस, कर्मचारी या अधिकारी 50 रुपये महीने अगर उसकी तनख्वाह से काट कर के जमा कर लिये जाएं और राजस्थान परिवहन की बसों में सभी पुलिस वालों को परिवहन की छूट दे दी जाए, सफर की छूट दे दी जाए तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा न्यायसंगत मामला होगा। गृह मंत्रीजी, आपको राजस्व अर्जित होगा क्योंकि पुलिस वाले आपके सफर कर रहे हैं राजस्थान परिवहन में, राजस्थान परिवहन निगम में कोई किराया नहीं देना चाहता और कोई नहीं देता है। उसको 50 रुपये देने के बाद यह अधिकार मिल जायेगा, चाहे वह कैदी को ले जाए, चाहे खुद के सफर में निकले, चाहे अपनी ड्यूटी पर निकले। मैं समझता हूं यह 50 रुपये की कटौती उसकी तनख्वाह से करेंगे और हर पुलिस वाला देने को तैयार है। आप अपने विभाग से बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ सकारात्मक सहयोग मिलेगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा संगीन अपराधों में त्वरित गति से अनुसंधान की आवश्यकता है। हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराध जितने

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

भी हैं उसमें जब तक त्वरित गति से अनुसंधान नहीं होगा तो अपने क्राइम को रोक नहीं सकते। आप एक हत्या के मुकदमें में चार-चार साल तक निर्णय नहीं करेंगे तो आप बढ़ते हुए क्राइम को नहीं रोक सकते।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक आदमी शाहपुरा थाना क्षेत्र के अन्दर एक नदी में ट्रोला से बजरी ले जा रहा था, उसको नदी में ले जाकर गला काट कर हत्या कर दी और उसका ट्रैक्टर लेकर चले गये। वह मामला आज केवल पुलिस से लेकर सी.आई.डी. को दिया गया और वह मामला लम्बित पड़ा हुआ है। पूरे ढाई साल के अन्दर आज तक उस मामले में कोई प्रगति नहीं हो पायी। इसी प्रकार से एक घटना है, पढ़ने वाला लड़का जो आर.पी.एस.सी. की परीक्षा देने जा रहा था, शाहपुरा से उसका अपहरण हुआ और आमेर की पहाड़ियों में लो जाकर के उसकी हत्या कर दी गयी, पुलिस ने उसको केवल एक सुसाइड का केस बना कर उसे मामले को बंद कर दिया। उस पीडित का परिवार आज तक भी दुःखी है, जांच की जगह-जगह मांग कर रहा है। लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा इसमें निवेदन है कि संगीन अपराधों में अगर लिप्तता कहीं पर हो, चाहे अधिकारी की हो, चाहे किसी अन्य की हो अगर लिप्तता पायी जाती है या जांच में वह उसकी जानकारी में सही तरह से तथ्य पेश नहीं कर रहा है या जांच को छिपा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। तब आप न्याय सुलभ करवा सकते हैं नहीं तो राजस्थान में आप न्याय नहीं दिलवा पायेंगे और इससे दूसरे अपराधियों का मनोबल गिरेगा अगर आप तुरन्त न्याय देंगे तो। नहीं तो अपराध बढ़ते रहेंगे।

इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि बी.आई.पीज. के आने-जाने में अलग से पुलिस प्रशासन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत समय लग जाता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र दिल्ली और जयपुर के बीच में पड़ता है, आये दिन दिल्ली से जयपुर के लिए और जयपुर से दिल्ली के लिए बी.आई.पीज. आते जाते रहते है। कुढे लगता है जितनी बार भी हम बात करते हैं, जितनी बार भी हम जानकारी रखतें है वह या तो रोड साइड एक्सीडेंट देखने में या बी.आई.पी. को सम्भालनें में पूरा पुलिस थाना, प्रशासन ढेढ शाहजहांपुर चौकी से लेकर आमेर तक जयपुर तक आ जायेगा। सारा पुलिस प्रशासन बी.आई पी. की जांच में,

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

उनकी सुरक्षा में, उनकी चौकसी में या एक्सीडेंट को उठाने में लगा रहता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का कोई सैल राजस्थान पुलिस में गठित करिये कि जो नेशलन हाई-वे पर चलने वाले या किसी भी रोड पर चलने वाले वी.आई.पी. हैं उनको अलग से सुरक्षा प्रदान कर के अन्य थानों से कोआर्डिनेशन बनाये और अपने थानों से उसको, कोआर्डिनेशन बना कर वी.आई.पी. को सुरक्षा प्रदान करे जिससे रोजाना की पुलिस व्यवस्था है, रोजाना थानों का जो कार्यक्रम है, रोजाना का जो जांच अनुसंधान है उसके ऊपर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो और आम आदमी को लाभ मिले।

इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सदन में बैठ कर एक-दूसरे पर लांछन और आरोपित हम कर सकते हैं, हो सकता है यह अपना-अपना धर्म समझ रखा हो। हम जब नये-नये सदन में प्रवेश कर रहे थे तो हम यह महसूस कर रहे थे कि हमारे जो पुराने माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, जो कई बार चुन कर आये हुए है, उनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा औरा कुछ ऐसी बातें हैं जो नता के बीच में हम भी लेकर के आते हैं लेकिन उन बातों को यहां पर सुनने के बजाय, और उन बातों का लाभ जनता तक पहुंचने के बजाए हम केवल आरोप-प्रत्यारोप में चलते रहते हैं। सदन का समय जाया करने के अलावा कुछ नहीं है।

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : इसलिए माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल मैं आपकी बात का आदर करते हुए आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैंने सुझाव दिए हैं इन सुझावों पर अगर आप निश्चित रूप से गौर फरमाएंगे तो राजस्थान पुलिस की परफारमैंस को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर के आप इसमें ले सकते हैं, कई गुना ज्यादा। जितना आप इन पर विश्वास करेंगे, विश्वास भी रखिए। लेकिन काम के प्रति आप उनकी जानकारी और उनके कान का वैल्यूऐशन भी रखिए। अगर काम का वेल्यूएशन होगा तो यही प्रशासन आपको खूब काम दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : आदरणी उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति : सभापति महोदय बोलिए।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : माफ करना। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय से एक बात और कहना चाहता हूं कि अक्सर प्रश्नकाल में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। हम हाथ उठाकर के खड़े रह जाते हैं पर हमें मौका नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से उन तक यह खबर पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। हम लोग इस सदन के ऐसे सदस्य है कि जो कि हो-हल्ला नहीं मचाते, बात बात पर टोका टोकी नहीं करते। हम आसन की पूरी इज्जत करते हैं, उनके आदेश की पालना करते हैं तो ऐसे सदस्यों को पूरी तरजीह दी जानी चाहिए मैं आपके माध्यम से...

श्री सभापति : इसीलिए आपका नाम पुकारा है ना, बोलिए ना, आसन के प्रति कुघ मत बोलिए।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : +++माफ करिएगा।

श्री सभापति : प्लीज माननीय सदस्य, आसन के ऊपर कभी आक्षेप नहीं किया करते है। आप अपने सब्जैक्ट पर बोलें। आपका समय जा रहा है (व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : टी.वी. पर अध्यक्ष महोदय सुन रही होंगी तो हो सकता है वहां पर मेरी बात पहुंच गयी हो।

श्री सभापति : आप आसन पर कोई आक्षेप नहीं लगाएं। आपका समय दो मिनट आपने इसमें समाप्त कर दिया है। मैं ठीक इस मिनट बाद घंटी बजा दूंगा। सब्जैक्ट पर बोलिए।

आसन पर कोई आक्षेप हो तो कार्यवाही से निकाल दें।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : सभापति महोदय, पुलिस डिमांड के ऊपर चर्चा हो रही है। मेरा हमेशा से रुख सकारात्मक रहा है। मै रचनात्मक बात कहता हूं, आलोचना नहीं करता। मेरा यह सोच है कि पुलिस विभाग प्रशासन का एक बहुत अहम अंग होता है। प्रशासन से यदि पुलिस विभाग को निकाल

(श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल)

दो तो मैं सोचता हूं कि सब प्रशासन ठप्प पड़ जाएगा, होचपौच हो जाएगा। मैं तो यह कहता हूं विधान सभा भी चल नहीं सकेगी। यहां पर भी आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी घुस जाएंगे और इस विधान सभा को नहीं चलने देंगे। यह तो हमारे पुलिस वाले ही हैं जो उनको बाहर रखते हैं और इस प्रशासन को चलाते हैं।

मेरा निवेदन है कि अक्सर यह सोचा जाता है कि आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से पुलिस सक्रिय नहीं है। मेरा सोच उसी प्रकार का है जिस प्रकार की शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमारे कोठपूतली के माननीय सदस्य ने कहा। कुछ बातें यह कहने से रह गए उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

आदरणीय, मेरा ऐसा सोच है कि पुलिस प्रशासन से यदि भ्रष्टाचार को निकाल दिया जाए तो पुलिस बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकती है।

पुलिस में एक कमी यह है कि इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। पुलिस के कार्यालय में या थाने पर जब फरियादी पहुंचता है तो उससे कोई समारात्मक बात नहीं करता। अक्सर यह सोचा जाता है कि यह किस तरह की रिपोर्ट लेकर आया है अगर गंभीर प्रकृति की रिपोर्ट है तो उसको तो लिखा ही नहीं जाता। अक्सर उसको कहा जाता है चल भाग जा यहों से। बकवास करता है। और मामूली मारकुटाई की बात हो तो लिख भी लेते हैं और वह इसलिए लिखते हैं कि जाकर के ऐसे झगड़ों में पैसे बनाएंगे।

तो मेरा निवेदन है कि एक चीज तो यह है कि प्रशासन से किस प्रकार भ्रष्टाचार को खतम किया जाए। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि यदि पुलिस प्रशासन में इस तरह की सुविधाएं दे दी जाएं तो मैं सोचता हूं पुलिस वाले अपने आपको सुधारेंगे और भ्रष्टाचार से दूर होंगे।

मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग में जो भी अधिकारी या कर्मचारी जब नौकरी में लिया जाए तो उसकी पूरी पहले तो इनक्वायरी होनी चाहिए कि उसके परिवार वाले, उसके घरवाले किस प्रकार के आदमी हैं, कभी भ्रष्टाचारी

(श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल)

तो नहीं रहे है, कभी आतंककारी तो नहीं रहे हैं, कभी असामाजिक तत्व तो नहीं रहे है। पहली जांच तो यह होनी चाहिए। मैं सोचता हूं यह बातें होती होंगी यह मेरी जानकारी में नहीं है पर मैं एक नागरिक की हैसियत से यह सोचता हूं, वह बता रहा हूं। दूसरी चीज पुलिस में रहने वाले, पुलिस में कार्यरत चाहे वह बड़ा अधिकारी हो चाहे वह पुलिस का सिपाही ही क्यों न हो, उसे पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसकी तनख्वाह इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि वह अपने बच्चों का पालन बहुत अच्छे ढंग से कर सके, उन्हें पढ़ा सके, उनके शादी ब्याह कर के और दूसरी जो आवश्यक जरूरतें होती हैं उनकी पूर्ति कर सके।

मैं तो यह मानकर चलता हूं कि पुलिस की सर्विस को उसी प्रकार तरजीह दी जानी चाहिए जिस प्रकार की आई.ए.एस. और आई.पी.एस. सर्विसेज को हिन्दुस्तान में दी जाती है। मैं तो पुलिस के एक छोटे से छोटे कर्मचारी को भी पूरी से पूरी सुविधाएं देने का हामी हूं। सरकार की तरफ से उसके बच्चों को पूरी परवरिश मिलनी चाहिए। अगर उसकी किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो कम से कम एक पुलिस के सिपाही को पांच लाख रुपया अनुदान मिलना चाहिए और बड़े अधिकारी को उसी के पद के अनुसार पच्चीस लाख रुपये तक अनुदान मिलना चाहिए।

इस प्रकार की यदि सब सुविधाएं उसकी पढ़ाई की, उसके मकान की, उसके बच्चों की शादियों की और उसके मरने के उपरान्त उसकी पेंशन की, यह सब सुविधाएं अगर उसको मिल जाती हैं तो आदमी को एक डर रहता है कि सर्विस के बाद मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर उसको सब सुविधाएं अगर उसको मिल जाती हैं तो मैं सोचता हूं कि वह ईमानदारी से काम करेगा। अगर फिर भी वह ईमानदारी से काम नहीं करता है तो मैं यह कहता हूं कि सात दिन के अन्दर अन्दर उसकी इनक्वायरी होनी चाहिए और इनक्वायरी उसके बड़े अधिकारी से नहीं होकर के जूडिशियल इनक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने यह महसूस किया है, मैंने एक शिकायत की थी एक एम.एल.ए. की हैसियत से, माफ करना मैं नाम नहीं लेना चाहता, पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी से शिकायत की थी और राजस्थान के उच्चाधिकारी से बात की थी। मैंने जब उनसे शिकायत की तो उन्होंने जांच करवाई, जांच

(श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल)

किससे करवाई एक एडिशलन एस.पी. से जो कि उससे माहवारी लेता था। बाद में वह जांच जैसे ही आई लीपा पोती हो गई और वह आदमी वहीं का वहीं पर है।

माननीय गृह मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप पुलिस की जांच पुलिस के उच्च अधिकारी से न करवाकर...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करके बोलें।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : आदरणीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच किसी जूडिशियल मजिस्ट्रेट से करवाई जानी चाहिए।

श्री श्रवण कुमार : +++

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : वह बात छोडिएगा। कम से कम यह तो उम्मीद की जा सकती है कि वह जांच निष्पक्ष होगी परन्तु अक्सर जो जांचें होती है, पुलिस अधिकारी जो करते हैं वह लीपा पोती करते हैं और पक्ष लेते है। अगर उसके बावजूद भी, इन सब सुविधाओं के उपरान्त भी यदि पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसको कम से कम सजा छह साल की मिलनी चाहिए।

श्री श्रवण कुमार : सभापति जी, एक मिनट इन्होंने कहा पुलिस अधिकारी पर रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं। इस बात की तो यह कह रहे है कि जज से करवा ली जाए लेकिन+++

श्री सभापति : विराज जाएं।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : आप अपनी बात कह दीजिएगा।

श्री सभापति : आपका नम्बर आए तब बोलिएगा।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : आप कांग्रेस पक्ष के आदमी बोल रहे हो मेरे खिलाफ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : नहीं, नहीं सपोर्ट मत करिए। इसका कोई आल्टरनेट ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि पुलिस को अपनी कार्यविधि कुछ पलटनी चाहिए। मै बड़ा आश्चर्य करता हूं कि...

श्री सभापति : यह कार्यवाही से निकाल दीजिए माननीय सदस्य ने जो कहा।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : पुलिस को शिकायत होती है तो पुलिस वाले अपनी जीप में सायरब बजाते हुए, हौंचू हौंचू करते हुए, स्पाट पर पहुंचते हैं। तो क्या यह बताना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम लोग जो मुलजिम हो, भाग जाओ ? यह क्या परिपाटी है ? इसको बदलना चाहिए। जब पुलिस वाले गश्त लगाते हैं शाम के वक्त रात के 12 बजे डंडा फटकारते हुए, सीटी बजाते हुए, जागते रहो, क्या मतलब, उनका मतलब यह कहने से है कि हम आ रहे हैं तुम भाग जाओ या छुप जाओ। यह कार्य विधि बदलनी चाहिए। मैं रोड्स पर देखता हूं अक्सर बेरीकेड्स लगा देते हैं और थाने के आगे लगाते हैं। वहां ट्रक वालों से पैसे मांगते हैं, वहां से चौथ वसूली होती है। मैने तो कई बार रोक कर पूछा कि कितने चोर पकड़े गये ? मुस्करा दिये, जाओ। चोर न पकड़ने के लिये वह बेरीकेड्स होते हैं, वह तो चौथ वसूली के लिये होते है...

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

मेरे दस मिनट हो गये क्या इतनी जल्दी।

श्री सभापति : 11 मिनट हो गये। आपको मालूम नहीं चला...

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : मुझे तो बहुत कुछ कहना था। हमें तो कभी कभी मौका मिलता है...

श्री सभापति : जरा जल्दी, इसलिए मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट पर बोलिये। जल्दी खतम, जल्दी समाप्त करिये। कनक्लूड प्लीज। जल्दी बोलिये।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : आदरणीय, मेरा एक निवेदन और है। पुलिस जो सी.बी.आई. होती है, सी.आई.डी. होती है, यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है यदि यह चुस्त और दुरूस्त कर दिया जाए तो मेरा यह सोचना है कि जो गुनाह होते हैं, होने से पहले ही गुनगार पकड़ा जाएगा।

(16.31 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरे यहां सी.आई.डी. का इंसपेक्टर था। वह सिविल ड्रेस में रहता था पर बच्चा बच्चा उसे जानता था कि पुलिस का आदमी है और बड़ी शान से मजमा लगाकर कहता था में सी.आई.डी. का आदमी हूं ? ऐसा सी.आई.डी. का आदमी क्या ए़ी.आई.डी. करेगा ? मेरा निवेदन है कि सी.आई.डी. का आदमी तो ऐसा होना चाहिये कि उसका पता ही न हो कि वह कौन आदमी है। बल्कि उसे आप दुकान खोला कर बैठाइये, उसको ऐसी हिदायत दें कि आम जनता के बीच में बैठे। जुंआ, सट्टा जहां खेल रहे हैं वहां जाकर पहुंचे और देखे कि कौन सट्टा खिलवा रहा है, कितना रुपया माहवार ले रहा है, कौन व्यक्ति ले रहा है। गंगापुन में तो मैं चिल्ला चिल्लाकर मर गया कि यह जुआं, सट्टा हो रहा है। एडिशलन एस.पी. से कहता हूं तो मैं अभी कार्यवाही करता हूं। सी.आई. से पूछते हैं तो मैं अभी भेजता हूं, नीचे के अधिकारी पुलिस वाले से पूछते हैं तो दस हजार रुपये महीना लेते हैं यह तो, कैसे बंद करेंगे। दस हजार रुपया महीना वह अकेला सी.आई.नहीं लेता, एडिशलन एस.पी. तक ऊपर तक पहुंचता है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि पैसे लेते हैं वह लोग। जहां सट्टा खेलते हैं वहां जाकर मैंने पूछा तो कहा क्यों बड़बड करते हो, पन्द्रह हजार रुपये देकर आया हूं अभी पिछले महीने के। महोदय, यह सट्टेबाजी और जुएबाजी तभी खतम हो सकती है जबकि अप सी.आई. कन्संर्ड को जिम्मेदार बनाएं और कहें कि अगर सट्टा, जुआं इस एरिये में खेला गया तो आपको ससपेंड कर देंगे। वैश्यावृत्ति होती है, उनकी स्वीकृति से होती है...

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते 12 मिनट हो गये हैं। आप कृपया अब अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : मैडम आप आ गयी हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा तो ख्याल रखें।

श्री अध्यक्ष : आप चाहे हाथ जोड़कर कहें, चाहे ना कहें, समय तो सबको बराबर ही मिलेगा। समय तो सबको बराबर ही मिलेगा।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : मैं तो बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। वैसे तो मै होचपोच हो गया, आपके आने से मैं और भी घबरा जाता हूं।

मेरी आपसे अर्ज है कि यह एक ऐसा अहम् मसला है, हमारे पूरे पत्रकार भी सुन रहे है। एक बात हमें बड़े आश्चर्य की लगती है दो दो स्टेट की पुलिस लगी हुई है कर्नाटक की, एक वीरप्पन है जिसने सौ आदमियों का कत्ल करा और पुलिस के एस.पी. से लेकर साधारण पुलिस वाले को कत्ल किया... (व्यवधान) पुलिस ही तो है पूरे राजस्थान की, देश की है, राजस्थान की भी वही है...

श्री अध्यक्ष : लम्बी चौडी सूची है बोलने वालों की। लम्बी चौड़ी सूची है। आपकी पार्टी के भी बारह सदस्यों के नाम हैं, वह लोग भी बोल सकें कृपया इसलिये मेहरबानी करके अपना भाषण कनक्लूड करें।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : तो मेरा मतलब यह है कि पुलिस की एक वीरप्पन...(व्यवधान)

मैडम, ठीक है, आपके आदेश की पालना करूंगा, बैठते जा रहा हूं।

पुलिस को अपनी सी.आई.डी. विभाग को चुस्त दुरूस्त करना चाहिये और सी.आई.डी. का आदमी इतना गुप्त होना चाहिये कि आम जनता को पता ही नहीं होना चाहिये कि वह कौन आदमी है। अगर पुलिस अपने रवैय्ये में और भ्रष्टाचार को यदि खतम करती है तो मैं सोचता हूं कि इस देश में रामराज आ जाएगा, कोई भी आदमी दूखी नहीं होगा, सभी शांति से रहेंगे, कोई चोरी, डकैती नहीं होगी और सब आदमी कानून की पालना करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा...(व्यवधान) तोगडियाजी की बात कह रहे हैं। तोकडियाजी ने तो वहां पर जाकर आग लगाने की कोशिश की, साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की और यह कहा...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : तोगडिंयाजी को जम्मू +++ कश्मीर के बारे में भी बोलो क्या हुआ। उसमें रोज कितनी लाशें आ रही है वहां से, तोगडियाजी को याद करते रहोगे। तोगडिया, तोगडिया, तोगडियाजी ने कर दिया... (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : नरेन्द्र मोदीजी गये और मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कराने गये। नरेन्द्र मोदी मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार करने गये और मुझे वहां पर दुर्वासा कहा, रजा खां कहा। मुझे तो उस वक्त बड़ी खुशी हुई कि मुझे दुर्वासा कहा और हिन्दुओं ने कहा दुर्वासा। इसलिये मैं तो साम्प्रदायिक सदभाव का वहां पर आदर्श मुद्दा बना। तो मैं यही कहूंगा...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अब नरेन्द्र मोदी से पहले ... (व्यवधान)

श्री बद्री लाल जाट : सम्माननीय सदस्य को अपनी वाणी पर संयम रखते हुए, गरिमामय रहते हुए अपनी बात कहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद। नमस्कार।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आडवाणीजी, अटल बिहारीजी को नहीं बख्शा तोगड़िया जी ने तो... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वोटों के लिये मत बोलो। जम्मू कश्मीर में भी जब लोग मरते हैं उनके बारे में भी बोलो। अख़बार पढ़ो आज का। खाली एक तोगडिया ही याद रह गया। रोज आ रही हैं वहां से लाशें..

श्री महीपाल सिंह यादव : आज का अख़बार पढो, अटल बिहारी, आडवाणी...

श्री महावीर प्रसाद जैन : गांधीजी ने यह कहा था कि कांग्रेस समाप्त कर दो। माननीय गांधीजी ने कहा...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : राजस्थान तो महा प्रदेश है...(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : +++ यह सही कहा क्या तोगडियाजी ने ? +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर। आसन पैरों पर...(व्यवधान) मिस्टर यादव, आसन पांवों पर है...(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : यह अच्छा कहा क्या, आज के आखबार में आया है...

व्यवस्था

प्रशासनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण विषयक

श्री अध्यक्ष : मैंने चार बजे टोडारायसिंह ने आने वाले माननीय सदस्य ने जो पांइट आफ आर्डर रेज किया था, उस पर अपनी व्यवस्था देने के बारे में सदन में घोषणा की थी।

मैं व्यवस्था दे रही हूं कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पांइंट आफ आर्डर रेज किया था मैं उसे आउट...(व्यवधान) खैर, कोई भी हो लेकिन व्यवस्था तो दी जाएगी। वह हों चाहे न हों।

व्यवस्था यह है कि पाइंट आफ आर्डर जो है मै उसे स्वीकार नहीं करती। इसलिये स्वीकार नहीं कर रही हूं कि यह पाइंट आफ आर्डर "should, therefore, relate to the interpretation of enforcement of the Rules of procedure and conduct of Business in the House or conventions or such Articles of the Constitution has regulate the business of the House and must raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

वह चूंकि मेरे काग्नीजेंस में नहीं था इसलिये भी मैं स्वीकार नहीं कर सकती थी।

इसके अलावा "the point of order when raised has the effect of suspending the proceedings before the House.It can be raised only in relation to the business before the House at the moment.

(श्री अध्यक्ष)

जो कोई हाउस के अन्दर बिजनस चल रहा हो उसी के रिलेशन में वह पाइंट आफ आर्डर होना चाहिये।

रहा सवाल इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी और डायरेक्शन दिया उस बारे में भी कांस्टीट्यूशन की आपको पढ़कर सुना देना चाहूंगी सदन की जानकारी के लिये

"The executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with in the laws made by parliament and any ex existing laws which apply in that state...

अब आगे आपके ध्यान देने की बात है... "and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose."

इसलिये लेकिन राज्य सरकार कोई बाध्य नहीं है इसे माने चाहे न माने, वह राज्य सरकार की मर्जी पर है लेकिन वह दे सकती है इसलिये मैं इस पाइंट आफ आर्डर को निरस्त करती हूं।

श्री विष्णु मोदी : आपकी व्यवस्था है, वह सिर माथे पर लेकिन प्रश्न यह है कि कांग्रेस...(व्यवधान) इस बात पर डिटरमाइन रहे...

They want to destroy the federal structure of this country.

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। अगर यह बोलेंगे तो फिर हम बोलेंगे। कोई प्रश्न नहीं हो सकता...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : स्पीकर महोदय ने जब इस पर अपनी व्यवस्था दे दी तो अब क्या है ? (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : They are determined to destroy the federal structure of this country. Either it is Ravi, Vyas or Satluz either it is the Chief Minister of pubjab Amrinder Singh or it is the prime Minister of this country. They are determined to destroy the federal structure of this country.

डा. सी.पी.जोशी : नो, नो... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है आर्टिकल 256 में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पानी मांगने तो प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, सहायता मांगने प्रधानमंत्री के पास चले जाओ और प्रधानमंत्री कोई चिट्ठी लिख दे तो कहो यह क्यों लिख दी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Chair is on the legs.

आसन पांवों पर है। मैं व्यवस्था दे रही हूं, आप खामखाह बीच में खड़े हो रहे हैं।

मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य मैं जानना चाहती हूं कि क्या आप आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे है ?

श्री विष्णु मोदी : मैंने यह कहा कि आपने जो व्यवस्था दी है वह बिलकुल स्वीकार्य है। आपने जो व्यवस्था दी है उसके ऊपर कहीं कोई बात नहीं की है। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि आपने जो फैसला किया वह बिलकुल ठीक किया...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : व्यवस्था स्वीकार्य है, फिर किस पाइंट पर बोल रहे हैं यह, बीच में नहीं बोलना चाहिए...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : But the congress is determined to spoil the federal structure of this country. Either it is the Chief Minister of punjab ar the prime Minister of this country. They want to play with the federal structure of this country.

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने संविधान के आर्टिकल 256 को कोट करते हुए जो व्यवस्था दी है वह ठीक दी है... (व्यवधान) इनको बताया गया था कि जो सदन में विषय स्वीकार्य नहीं हैं उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते है।

श्री विष्णु मोदी : यह फैडरल आफ इंडिया है... (व्यवधान) यह राज्यों से मिलकर फिर केन्द्र बना है। यह नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वह कुछ भी चिट्ठा लिख देगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर पर मैं व्यवस्था दे चुकी हूं... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : फिर प्रधानमंत्री के पास सहायता लेने क्यों जाते हो ?

श्री विष्णु मोदी : Pradhan Mantari is bound to give...प्रधानमंत्री कोई अहसान नहीं कर रहे हैं... (व्यवधान) Pradhan Mantari is bound to that.

डा. बुलाकीदास कल्ला : फैडरल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री चिट्ठी क्या नहीं लिख सकता ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : राज्य पहले बने है फिर केन्द्र बना है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या बात कर रहे हैं आप ?

श्री विष्णु मोदी : आप किस हवा मैं है, आप इस हवा में है कि आपको मेनडेट मिला है...(व्यवधान) 'It was a no mandate' with you.

डा. एन. एस. गुर्जर : प्रधानमंत्री जी कोई भीख नहीं देते है... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : कोई मेहरबानी नहीं करते प्रधानमंत्री जी... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : फैडरल गर्वनमेंट के हैड होने के नाते दे सकते हैं।

श्री राकेश मेघवाल : प्रधानमंत्री जी कोई मेहरबानी नहीं करते... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : क्या दे सकते है ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : डायरेक्शन दे सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : फैडरल स्ट्रक्चर को डैस्ट्राय नहीं करत सकते हैं उस कंट्री का।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कौन कर रहा है फैडरल स्ट्रक्चर को... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई नहीं कर रहा है।

श्री विष्णु मोदी : बिलकुल कर रहे हैं। आप रोकिये उस अमरेन्द्र सिंह को, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, रोकिये आपके प्रधानमंत्री को...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसके बारे में आप बोल रहे हैं हमें तो बड़ा अफसोस है।

डा. एन.एस. गुर्जर : हमारा राइट है।

श्री राकेश मेघवाल : आप जब राज में थे, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो आपको चिट्ठी नहीं लिखी ...(व्यवधान) आपने तबादलों का पैकेज खोल दिया था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप खामखाहं में बोल रहे हैं, दो विद्वान अपनी बात कह रहे थे, आप खामरवां में बोल रहे हैं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : वहां से बाराबर चिट्ठी आती थी...(व्यवधान)

डा. एन.एस.गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी। हमें स्वीकार्य है। हम उसे स्वीकार करते हैं। बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा हमारा इरादा कोई ऐसा नहीं था कि हम संवेधानिक प्रोविजन के खिलाफ बोल रहे हों।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी व्यवस्था के बाद में कोई नहीं सुनेगा, यह गलत परम्परा है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनिये तो सही...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं कर रही हूं, अंकित नहीं हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक पीड़ा का विषय है।

श्री धर्मपाल चौधरी : क्या पीड़ा हो गयी ?

श्री श्रवण कुमार : बहुत ही बड़ी पीड़ा है।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या पीड़ा हो गयी अब ?

श्री श्रवण कुमार : बहुत ही बड़ी पीड़ा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : कितनी बड़ी पीड़ा आ गयी है अब आपके पास।

श्री श्रवण कुमार : हमारे जिले में...।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : बैठें,बैठें।

श्री श्रवण कुमार : आप देखें, बहुत बड़ी परेशानी है। हमारे चिड़ावा में दस दिन से पानी नहीं है। पुलिस ने मुकदमें दर्ज कर दिये है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैंने नाम पुकार लिया। आप चाहे जिस प्रश्न पर चाहे जैसा खड़े हो जाते हैं। कौनसे नियम में खड़े हैं आप, आप मुझे नियम बतायें।

श्री श्रवण कुमार : आपको पीड़ा का प्रश्न बताया है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे नियम बतायें कि कौनसे नियम में खड़े हैं।

श्री श्रवण कुमार : पीड़ा से बड़ा कोई नियम नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : छोड़ो पीड़ा, बाद में बता देना आपकी पीड़ा, बैठो,बैठो।

श्री अध्यक्ष : कौनसे नियमों में खड़े हैं, बतायें तो सही ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : बता तो रहा हूं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पीड़ा है तो हास्पिटल में चले जायें।

श्री महावीर प्रसाद : डा. दिगम्बर सिंह को बुलवायें, दिगम्बर सिंह से मिल लें।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

मांग संख्या 16 एवं 17 पर अग्रेतर विचार

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 और 17 पुलिस और कारागार पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में जिस तरह से सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है बढ़ते हुए अपराधों से, यद्यपि यह बड़ी शोचनीय स्थिति है लेकिन इसके पीछे कारण हैं हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी और आजकल जो पाश्चात्य संस्कृति पैदा हो गयी जिसके कारण से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इन अपराधों को रोकने में आखिर है कौन ? अगर कोई भी बड़े अधिकारी से, चाहे मुख्य मंत्री जी से, चाहे गृहमंत्री जी से या डी.जी.पी. के यहां से कोई भी आदेश जाता है तो उसकी पालना करने वाला एक व्यक्ति वह कांस्टेबल है। सब कुछ सिपाही के ऊपर है और सिपाही को मिलता क्या है ? आज 3500 रुपये उसको तनख्वाह है, रहने को मकान नहीं और भत्ता 500 रुपये मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी राव साहब कह रहे थे, विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप फिट चाहते हो उनकी मिलिट्री की तरह, 24 घंटे की ड्यूटी लगाना चाहते हो, वह नींद में उंघता हुआ जाता है और कोई उसका समय नहीं, छुट्टी उसको मिलती नहीं। गृह मंत्री जी के यहां से आदेश हो गये कि वह अपनी होम तहसील में भी नहीं लगेगा। 3500 रुपये जिसको तनख्वाह देते हो, उससे सब कुछ कराना चाहते हो। मैस भत्ता उसको

(श्री धर्मपाल चौधरी)

500 रुपये, 20 रुपये रोज नहीं मिलता। दो टाइम की रोटी खायेगा, चाय-नाश्ता उसी में, वर्दी धुलाई का क्या दे रहे हो ?उसको सुविधा जब तक नहीं देंगे, आज केवल एक ही बात चलती है कि पुलिस भ्रष्ट है। पुलिस तो क्या और और डिपार्टमेंट जो है वह भी भ्रष्ट है। यह तो कम से कम ड्यूटी करके भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन और जितने डिपार्टमेंट हैं, जो माल खाते हैं उनका कोई जिक्र ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आबकारी वाला।

श्री अध्यक्ष : डिस्टर्ब नहीं करें, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिये। मेरे क्या करते हैं, नहीं करते हैं, यह सफेद वर्दी और खाकी वर्दी की जो फिल्म देखी थी खाकी वह आपके हमारे जैसे लोगों के लिए रखी थी और आप जो बैठे-बैठे बोलते हो न, कभी आप रेल में बैठकर देखें, सफेद वर्दी और खाकी वर्दी के प्रति लोगों की क्या भावना है। आप क्या करते हो ? आपने क्या किया। यहां जो बोलते हो न, उसका परिणाम बाहर जाकर के देखें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग बीच में क्यों बोलते हो ?

श्री धर्मपाल चौधरी : गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपके यहां तो हमने जाकर के देख रखा हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो पीड़ा है, आज सबसे बड़ी पीड़ा सिपाही की है। हम बात कर रहे हैं उस गरीब आदमी की जिसको कुछ मिलना चाहिए। उस बात को गोलमाल करके यहां सब कहना चाहते हैं। दूसरे प्रदेशों में सुविधाएं मिलती है। रोड़वेज में पास की, हम पिछले पांच साल से कहने लग रहे हैं कि सिपाही को जिस तरह हरियाणा में और दूसरे स्टेट में सौ रुपये लेकर के उनके पास बना देते है तो उससे रोडवेज में बैठने की उसको सुविधा मिल जाती है।

अध्यक्ष महोदय, आज रहने की जो जगह है, जो सिपाही की सुविधा के लिये, वहां पर जो लांगरी है, नाई, धोबी है, वह काम करते हैं बड़े-बड़े अफसरों के यहां, उसके बाथरूम को जाकर के देखें। जहां वह रहता है उस बैरिक को देखें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपके अपराध को रोक

(श्री धर्मपाल चौधरी)

रहा है। जो आपके लिये 24 घंटे कहीं भी सीटी बजा रहा है, रात को ड्यूटी लगा दी, बच्चे परीक्षा दे रहे है तो सिपाही, शादी हो तो सिपाही, मंत्री जी जायें तो सिपाही और रोड पर एक्सीडेंट हो तो सिपाही।

अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी को आपके माध्यम से यही कहना है कि जो गरीब सिपाही है, उस पर ध्यान देना चाहिए, अब रहा सवाल भ्रष्टाचार का तो भ्रष्टाचार तो है। लेकिन भ्रष्टाचार के रोकथाम से पहले सबसे पहली जरूरत है थानों में वह व्यवहार नहीं है, व्यवहार होना चाहिए। जब कभी भी आदमी अपनी समस्या को लेकर वहां जाता है, एफ.आई.आर. दर्ज कराने जाते हैं, उसके साथ जो व्यवहार होता है वह वह व्यवहार प्रतिकूल होता है। एक तरु तो वह अफसर जो सख्त है...(व्यवधान) हमें जो मेन बात यहां पर करनी चाहिए, आप और हम सब मिलकर के चाहे सत्ता पक्ष में बैठें हों, चाहे विपख में बैठें। जब किसी मांग के बारे में बात होती है, जब हम आपकी तरह उधर बैठते तो आप वाले रोल हम भी अदा करते थे और अब हम इधर बैठते हैं सत्ता पक्ष में तो जो रोल आप उस समय अदा करते थे वह हम करने लग रहे है। इसलिए इस राजस्थान में भ्रष्टाचार खतम हो और सभी विभागों में खतम हो, उसकी चिंता आपको भी है और हमको भी है। वह गंगापुर सिटी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस बैरियर लगाकर ट्रक की चैकिंग करती है तो पैसे लेती है। यह सबको पता है। कहां-कहां भ्रष्टाचार है और कहां-कहां आप और हम कौन-कौनसे थानेदार को और एडीशलन एस.पी. को, डी.एस.पी. को लगाना चाहते है। यह आपको और हमको सबको पता है। इसलिऐ हमारा इसमें मेन उद्देश्य कहने का यह था कि भ्रष्टाचार के बारे में सबने चिंता कर दी कि एडीशलन एस.पी.भी लेते हैं, थाने में जुआं, सट्टे के भी पैसे लेते हैं। वह कहां-कहां तक जाता है, यह सबको पता है। आप और हम वहीं रहते है। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए।

श्री हेमराज मीणा : भ्रष्टाचार को समाप्त करो। समाप्त होना चाहिए। यह कड़ाई से कहो।

श्री धर्मपाल चौधरी : समाप्त होना चाहिए, कौन नहीं चाहता है।

श्री हेमराज मीणा : कड़ाई से कहें तो सही।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : लीपापोती कब तक चलेगी।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है कि योजना बनते-बनते, 1947 में देश आजाद हुआ और 1952 से वोट की राजनीति चालू हुई तो उस दिन से चिंता करने लगे और आज तक चिंता बढ़ती गयी और आजतक जितने आयोग बने वह चिंता में ही बन गये चाहे कितने ही बड़े-बड़े घोटाले हों गये, आज तक उन आयोगों का कोई खुलासा नहीं हुआ है जो बने, चिंता आपकी भी हैं और आप और हम जब बैठते हैं तो सफेद वर्दी और खाकी वर्दी दो ही बदनाम हैं। खाने वाले सब हैं, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। आज आपके बारे में और हमारे बारे में...(व्यवधान) सफेद वर्दी और खाकी वर्दी के बारे में लोगों की धारणा क्या है, उस धारणा को ठीक करें। आप दूसरो को सुधारना चाहते हो तो खुद भी सुधर लो और खुद सुधर जाओगे तो सारा वातावरण सुधर जायेगा। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए इसके तरीके होने चाहिए और सभी विभागों में खत्म होना चाहिए इस बारे में सबको चिंता है। मेरा एक तो सिपाही के बारे में सुझाव था, गृह मंत्रीजी को मैं कहना चाहूंगा कि इन सिपाहियों के ऊपर ध्यान दें। यही बात में सदन में कहना चाहता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय दो घण्टे के लिए और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृति)

सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (अनुपस्थिति)

श्रीमीती सूर्यकान्ता व्यास ।

मांग संख्या-16 व 17 पर विचार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16 और 17 में भागीदारी निभाने के लिए राज्य सरकार से निवेदन करती हूं जोधपुर शहर में स्थित पुलिस थानों की व्यवस्था के बारे में। हमारे सामने विराजमान और इधर वाले, दोनों के छींटाकशी की है, कई व्यवस्थाएं दी हैं, कई बातें की हैं लेकिन मैं उन बातों में बिलकुल भी नहीं जाना चाहती। मैं मांग कर रही हूं कि पुलिस थानों के अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यह चाहूंगी कि जोधपुर शहर में स्थित पुलिस थाने और चौकियों के जो भवन हैं उनकी स्थिति अत्यंत ही शोचनीय है। जब हम कानून की रक्षा करने वालों की ही रक्षा नहीं करेंगे तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते है ? इनके बारे में मैं चिंता व्यक्त कर रही हूं और मांग करती हूं कि राज्य सरकार इस बारे में अपने दायित्व पर पूरा ध्यान दे। इसके लिए आवश्यक धनराशि आबंटित करे। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि शहर के थानों और चौकियों की मरम्मत होना अत्यंत आवश्यक है।

दूसरी मेरी मांग है कि थानों के अंदर नफरी बढ़ाई जाए। जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि उसके हिसाब से थानों के अंदर नफरी नहीं है। जब कभी फोन करते हैं तो यही जवाब मिलता है कि सी आई साहब उधर गए हैं, हैड कांस्टेबल उधर गया है। मुझे पुलिस विभाग के बारे में ज्यादा जानकारी यूं है कि मैं स्वयं एक पुलिस ऑफिसर की लड़की हूं, इसलिए पुलिस के ऊपर मेरा बहुत ही यह रहता है कि किसी भी तरीके से पुलिस में वही पहले वाली बात आनी चाहिए जिससे पुलिस के अंदर सुधार हो। क्योंकि अभी सबने कह दिया कि पुलिस चोर है, वह है, वह है। मगर मैं इस बात से बिलकुल, कतई सहमत नहीं हूं क्योंकि पुलिस विभाग के कर्मचारी जितनी ड्यूटी करते है, मेरे ख्याल से कोई भी विभाग उतनी ड्यूटी नहीं करता होगा। इनको सण्डे तक की भी छुट्टी नहीं मिलती है, इस बारे में यह सोचने की बात है। सरकार इस बारे में सोचे कि इनके लिए क्या करना चाहिए।

इसके अलावा मैं नफरी के बारे में गृह मंत्रीजी से मांग करती हूं कि थानों की नफरी में वृद्धि कर उनके स्तर को सुधारा जाए। आज थानों और चौकियों की स्थिति को देखें तो मैं बताना चाहूंगी कि इतनी जर्जर स्थिति में है

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कि मैं आपको क्या बताऊ, थानों और चौकियों के अंदर जाकर मैंने स्वयं ने देखा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इससे पूर्व पाँच साल कांग्रेस की सरकार रही, पांच साल तक इनका बजट कहां गया ? जोधपुर शहर में स्थित पुलिस थानों व चौकियों के भवनों की स्थिति अत्यंत ही शोचनीय है जब तक हम कानून की रक्षा करने वालों की स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे, हम उनसे यह उम्मीद कैसे करेंगे कि वे बिना किसी चिंता के कानून की रक्षा करें। अत: राज्य सरकार का यह दायित्व है कि इस बारे में पूरा ध्यान देकर आवश्यक धनराशि का आबंटन करे। मेरा यह आग्रह है कि जोधपुर शहरी क्षेत्र में थानों व चौकियों में उस भूमि पर जिस पर मालिकाना है पुलिस विभाग के स्वयं का है उस पर भवनों की मरम्मत एवं भवन हेतु 36 वित्तीय विस्तार वर्ष पूंजीगत व्यय के खाते से एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया जाये। थानों के अंदर लेट्रिन-बाथरूम तक ठीक यह नहीं करवा सके, मेरे लिए इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती है ? हमारे आने के छह महीने बाद आप अपनी सारी मांगें मनवाना चाहते हैं और बड़ी-बड़ी बात करना चाहते है, पांच साल तक इन्होंने पुलिस के बारे में किया कुछ नहीं है। फलौदी के अंदर मर्डर हुआ था, सारे मर्डर की स्थिति देते हैं, चोरियों की स्थिति देते है, बलात्कार की देते हैं, हम भी दे सकते हैं, आपने दी उससे ज्यादा दे सकते हैं मगर मैं उस बात में नहीं जाना चाहती हूं। फलौदी के अंदर जब मुरलीधर बोहरा को हत्या हुई थी, आज तक भी क्या उसका पता लगाया ? पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंजी शेखावत, जो आज उप राष्ट्रपति हैं, उन्होंने स्वयं ने कहा, मगर तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कभी जाकर इधर झांका नहीं और उनके खुद के एरिये का था, मुझे इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है कि पुलिस वालों के ऊपर बातें कहनी तो बहुत दूर की रही पर करना कुछ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे कुछ और बात कहना चाहती हूं। एक तो मैं यह चाह रही हूं कि पुलिस थानों की नफरी बढ़े। दूसरा, मैं चाहती हूं मैस के बारे में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, इनके खाने के बारे में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि जो कैदी होते हैं वह भी तो एक इन्सान ही होते है मगर उनके खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, उनके खाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, नफरी बढ़नी चाहिए। कांस्टेबल की राशि में कुछ बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, यह मेरी मांग है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

थानों और चौकियों के बारे में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर शहर के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं, जहां चौकी होना अति आवश्यक है। जैसे की भाईजी महाराज का आश्रम, कई मंदिर और आश्रम हैं, एक का मैंने अदाहरण दिया है। मैं चाहती हूं कि शहर में कम से कम चार चौकियां और खुले, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन कर रही हूं कि वे मेरी इस बात को मोंनेंगे और इस बात पर विचार करेंगे।

मैं मांग संख्या-17 पर कहना चाहती हूं कि जेल के राज्य कर्मचारियों का वेतन देश भर में सबसे कम है। कारागार में खूंखार आतंकवादी यहां रह रहे हैं, जेल का बजट बहुत कम है इसलिए आबंटन बढ़ाया जाए। जोधपुर में डी आई जी की पोस्ट को अपग्रेड करनी चाहिए, राज्य में पिछले 50 वर्ष में एक भी पोस्ट जेल विभाग में डी आई जी की अपग्रेड नहीं हुई है। डीवाई एस पी सी बाकी है, वह डी पी सी शीघ्र कराई जाए, यह मेरी मांग है।

दूसरी मेरी मांग है कि जेलों के अंदर कुछ महिलाओं को भी भेजा जाता है, मैं चाहती हूं कि जेलों में में उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था हो ताकि वह सुचारू रूप से बैठ सके। थानों के अंदर जो जेलें हैं, उनके अंदर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, मैं यह चाहती हूं कि यह व्यवस्था अच्छी हो ताकि किसी को असुविधा न हो।

थानों के अंदर जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो इनके पास पेपर तक नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि इनको पेपर वगैरह सुविधाओं में जो भी कमी हो, वह इनको बजट में उपलब्ध कराई जाए ताकि कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाए तो उसको यह नहीं कहे कि थोड़े पन्ने लेकर आना, यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मेरी आपसे यह मांग है।

एक बहुत पुरानी बात है, मगर मैं अपको बताना चाहती हूं कि जोधपुर शहर के अंदर खाण्डा फलसे के अंदर पहले एक पुलिस थाना था, उस थाने को ले गए नव चौकियां जहां चिडियानाथजी का आश्रम है। जब से उस थाने को ले गए तब से जोधपुर के अंदर पानी का अकाल पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान था और वहां कचहरी लगती थी।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह मांग करती हूं कि उस थाने को नवचौकियां से हटाकर वापस खाण्डाफलसे में किया जाए, नवचौकियां के अंदर जो अस्पताल है उसे वहां शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि वह एक धार्मिक स्थान है, वहां पर थाने के अंदर जो कुघ भी होता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं होता है तो मैं यह चाहती हूं कि थाने को खाण्डाफलसे में किया जाए।

मैंने दो-तीन चौकियों की मांग की है, नफरी बढ़ाने की मांग की है, थानों और चौकियों की मरम्मत के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि आबंटित करने की गृह मंत्रीजी से मांग की है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल शर्मा।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस विभाग और जेल विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। किसी ने आक्षेप लगाए हैं कि कांग्रेस के शासन में अपराध ज्यादा होते थे। आज हमारे यहां कम है।

(17.00 बजे)

कांग्रेस वालों ने आक्षेप लगाया है कि आज के शासन में अपराध ज्यादा हो रहे हैं, यह तो रिकार्ड के आधार पर आप देखें। यह बात सही है, अपराध कभी रुक नहीं सकते हैं लेकिन अपराधों पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए इसकी और हमको आपको और सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार अख़बार में हम सुबह पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं चाहे वो पेट्रोल पम्प की लूट हो, चाहे दुकानदारों की लूट हो, चाहे डकैती हो, बस में लूट हो, चाहे आगजनी हो, कहीं भी कोई भी अपराध हो रहे हैं यह हम और आप देखते हैं तो उससे हमको और आपको सदन के सभी माननीय सदस्यों को चिन्ता है। और क्योंकि इसका संबंध पुलिस विभाग से है इसलिए पुलिस के प्रति असंतोष पैदा होता जा रहा है। इसमें हमको और आपको यह सोचने की जरूरत है कि आखिर इन अपराधों

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

में किस प्रकार से कमी लायी जाए, आक्षेप लगाने से कोई लाभ नहीं है और हमको गंभीरतापूर्वक यह देखना चाहिए कि इन अपराधों पर किस प्रकार से कमी लायी जा सकती है उस पर हमको अपने विचार रखने चाहिए। मेरा मानना है कि कुछ अपराधों में अगर पुलिस का व्यवहार अच्छा रहे और पुलिस संयमता से काम ले तो हो सकता है उन अपराधों में कमी लायी जा सकती है और पुलिस के प्रति जो असंतोष बढ़ रहा है उसमें कमी लायी जा सकती है। जैसे माननीय सदस्य अभी बता रहे थे कोई आदमी अपनी रिपोर्ट कराने गया और वहां पर रिपोर्ट लेने में पता नहीं उस कुर्सी में कुछ करंट लगा हुआ है या पता नहीं क्या है, कुर्सी पर बैठकर इस प्रकार की उनकी सोच होती है कि हम समाज से कुछ ऊपर के व्यक्ति है। उनका व्यवहार इस प्रकार का रहता है, लोगों के मन में पुलिस विभाग के प्रति असंतोष पैदा होता है। ऐसी स्थिति में जैसा इन्होंने कहा आज पुलिस प्रशासन यह नहीं देखता है जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से क्राइम्स बढ़ रहे है, लोगों की रिपोर्ट करने वालों की संख्या ज्यादा आ रही है क्या उस अनुपात में हम थानों को स्टेशनरी का बजट देते हैं। वहां जाते हैं तो कहते है कि एक कागज का दस्ता ले जाओ, पेंसिल ले आइए, कार्बन ले आइए, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की इसमें बदनामी होती है तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि इस पर हमको, आपको सोचना चाहिए। माननीय गृहमंत्री को सोचना चाहिए, इसमें हमको इस प्रकार का बजट देना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग संतुष्ट हो सकें और लोगों में असंतोष पैदा न हो।

हालांकि पुलिस प्रशासन के लिए पहले कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए बहुत कम काम थे, लेकिन आज मुश्किल यह हो गई है, आज खेल के मैदान में जाते हैं तो वहां पर भी पुलिस को लगाना पड़ता है, आज शोभायात्रा निकल रही है वहां भी पुलिस को लगाना पड़ रहा है, आज कहीं कोई प्रदर्शन हो रहा है, घेराव हो रहा है वहां पर पुलिस को लगाना पड़ता है। तो मेरा यह निवेदन है कि पुलिस प्रशासन को जिस हिसाब से उनकी ड्यूटीज ज्यादा लगाई गई हैं उस हिसाब से आज उनके पास में पुलिस स्ट्रेंथ नहीं है। आज पुलिस स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो आज टाप की पोस्ट तो ज्यादा बढ़ रही है और नीचे लेवल के कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल की पोस्टें जिनका डाइरेक्ट इन क्राइम्स पर कंट्रोल करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने में सक्षम होते हैं उनमें संख्या कम होती जा रही है। तो मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें और प्रयास करें कि किस प्रकार से अपराध रुकें।

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

मैं धौलपुर जिले से आता हूं और मेरा खासतौर से गृह मंत्रीजी से निवेदन है, इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धौलपुर जिले में कानून की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि वहां पर पुलिस प्रशासन जैसी कोई चीज नहीं है। आज मुश्किल यह आ रही है कि जो पुलिस कर्मी है वहां पर कोई पुलिस विभाग में जाता है तो उसकी एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं की जाती है। वहां के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको ऐसे आदेश दे दिये जो कानून में नहीं हैं कि जब तक वहां से तहरीर नहीं आ जाए तब तक उसकी मेडिकल जांच नहीं की जाए। मेरे ख्याल से यह कहीं भी कानून में नहीं है किसी आदमी के कहीं कोई चोट है, मारपीट हुई है और मेडिकल कराने जाए तो वहां पर उसको मुआयना नहीं किया जाए। लेकिन वहां पर धौलपुर के पुलिस अधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जो डाक्टर इसकी जांच करता है उनको ऐसे आदेश दे रखे हैं कि जब तक तहरीर नहीं जाए तो मेडिकल मुआयना नहीं किया जाए। यह गलत है इसको रोका जाए।

दूसरा मेरा धौलपूर के बारे में निवेदन है कि शहर में आजकल चौरियों का बहुत ज्यादा तांता लगा हुआ है। आज लगातार चोरियां बढ़ रही है। पता नहीं क्या कारण है कि चोरियों का क्यों इतना तांता लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे है कि उन चोरियों पर काबू पाया जा सके। ऐसी स्थिति में मेरा खासतौर से यह निवेदन है कि जो झूठी शिकायतें की जाती हैं, आज जैसा अभी बता रहे थे कि इतने अपराध हो गये, इतने पंजीकृत हुए हैं इनमें से मेरे खयाल से आधे से ज्यादा अपराधों में तो झूठा शिकायत होती है। आज पुलिस प्रशासन उन झूठी शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लेता, 182 की कोई कार्यवाही नहीं करता। अगर 182 की कार्यवाही करे तो निश्चित तौर पर उन पर अंकुश लगाया जा सकता है और जो केसेज के नम्बर बढ़ते जा रहे हैं वे शायद नहीं बढ़े।

मैं निवेदन करना चाहता हूं धौलपूर में, अभी माननीय गृह मंत्रीजी नहीं हैं आज पुलिस प्रशासन (व्यवधान) राज्य मंत्री हैं तो राज्य मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं धौलपूर में अभी एक घटना घटी मनिया थाने में। वहां पर एक घटना घटी। वहां मीरा नाम की लड़की है, जो नाबालिग है, उम्र 14 साल है उसको कुछ लोग भगाकर ले गये और जब उसके

परिवार वाले, उसके माता-पिता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो उनकी रिपोर्ट नहीं ली गई। एक तारीख को गये रिपोर्ट करने के लिए, 3 तारीख को पुलिस थाने मनिया पर गये वहां पर रिपोर्ट नहीं ली गई। 18-2 को गये वहां पर रिपोर्ट नहीं ली गयी एस.पी. साहब से चार तारीख को मिले तब उन्होंने कहा कि मनिया जाइए वहीं पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। 27 तारीख को गये लेकिन रिपोर्ट नहीं ली गई। अंत में परेशान होने के बाद उन्होंने एम.जे.एम. के यहां इस्तगासा किया और फिर वहां से 25.3.04 को मुकदमा दर्ज किया गया। तो आप अंदाज लगाएं पुलिस का यह व्यवहार है। उसके बाद में जब 6 महीने के बाद में अपने आप वो लड़की आयी किसी तरीके से छुपकर, जो भगाकर लेकर गये थे उनसे छुपकर आकर स्वत: ही हाजिर हो गई तो उसने 164 में बयान दिया और 164 में बयान देने के बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उसको करीब एक महीने से ज्यादा हो गए उन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि उन पर राजैनतिक संरक्षण हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है मेहरबानी करके ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया गया, अगर बलात्कार किया है, उसे 164 के बयान में साफ बयान दिया है कि मेरे साथ में इन-इन लोगों ने बलात्कार किया है, इन-इन लोगों ने मेरे साथ में गलत काम दिया है ऐसे बयान देने के बाद उन लोगों को नहीं पकड़ा गया है यह बहुत गलत बात है।

अभी बता रहे थे, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, यह बात सही है कि धौलपुर में आज पता नहीं क्या बात है पुलिस पर आक्रमण ज्यादा होते जा रहे हैं, पुलिस के प्रति असंतोष ज्यादा है और आज उन पर कई जगह हमले हो रहे हैं। और कारण यही है, पुलिस पर हमले का कारण यही है कि...

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह क्लीयर कर दूं, आपने कहा पुलिस में गये, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई, पहले तो गुमशुदा की रिपोर्ट दूसरे महीने में ही दर्ज हो गई, तीसरे महीने में जाकर आपने 56 (3) क्लाज के तहत में इस्तगासा पेश करके, आपको मालूम भी पड़ा होगा कि उसने किससे शादी की है, तब आपने यह दर्ज किया है। और वह मुकदमा बाद में दर्ज हुआ, पहले आपने कहा मेरी बच्ची गायब हो गई है, गुमशुदा है उसके बारे में तलाश करें वह आपकी रिपोर्ट है, जालम सिंह उसकी जांच कर रहा था। तो आपका यह कहना कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की, रिपोर्ट दर्ज नहीं की, आप थोड़ा इस बात को क्लीयर कर लें।

श्री बनवारी लाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, यह बता दें कि इन्होंने गुमनामी की रिपोर्ट की थी तो वह मुकदमा कौनसी तारीख में दर्ज किया गया, वह आप बता दें। 31 जनवरी की रात को उस लड़की को भगाया गया है और मुकदमा 25.3 में दर्ज हुआ है 95/04 तो फिर आप यह कैसे कह रहे है।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, आप जवाब में कह देना, आपको जवाब देना है।

श्री अमराराम चौधरी : वह आएगा, लेकिन मैं अभी आपको क्लीयर कर दूं...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जब जवाब देंगे तब कह देंगे।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1.2.04 थाना मनिया पर अपनी बेटी मीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी जिसकी जांच श्री जालम सिंह, सहायक उप निरीक्षक द्वारा की जा रही थी। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल शर्मा : कौनसे नम्बर का मुकदमा दर्ज हुआ था ? किडनेपिंग का क्यों नहीं दर्ज हुआ, यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : किडनेपिंग का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया ? गुमशुदा में क्यों डाल दिया ? उसको भगाकर ले जाने की सही है तो किडनेपिंग का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आपने उसको गुमशुदा में क्यों डाला ?

श्री बनवारी लाल शर्मा : भगाकर ले गये तो क्यों नहीं किया ऐसा ?

श्री अध्यक्ष : हरिमोहन जी, यह अच्छा नहीं है आप बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं। उनका जवाब वे दे रहे हैं आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री अमराराम चौधरी : 25.3 को आपने अदालत में इस्तगासा करके 56(3) में भेजा है (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल शर्मा : आपको यह जानकारी दी गई माननीय मंत्री महोदय, यह गलत जानकारी दी है। तीन महीने उसके बाप को घूमने-फिरने के बाद में आखिर उसको अदालत का सहारा लेना पड़ा है और तब कहीं मुकदमा दर्ज हुआ है और आज आप यह बताएं जब लड़की स्वत: हाजिर हो गई, उसने 164 में बयान दे दिये, साफ-साफ कहा है कि इन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

किया है फिर क्या कारण है कि एक महीने बाद भी उन मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया है ?

आखिर इसमें मालूम पड़ रहा है कि पुलिस की मिली भगत है, पुलिस ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो कि खुले आम नाम लेते हैं उनको फिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। इस पर आपको गौर करना चाहिए। मुश्किल तो यह है कि अन्य अपराधियों को क्या पकर्डेगें, जो पुलिस के कोतवाल हैं अपने खिलाफ में वहां पर लोक सभा चुनाव के दौरान में उन पर खुद पर हमले हुए थे, नाम दर्ज रिपोर्ट की थी, पुलमवा गांव में। वहां पर बाबूलाल कोतवाल है सदन थाने का उसने रिपोर्ट दर्ज की। उन्ही मुल्जिमों को आपने नहीं पकड़ा है तो अन्य अपराधियों को आप क्या पकड़ेंगे। आज आप अपराध देख रहे हैं पुलिस के ऊपर वहां पर यह है कि कितने अपराध हो गये हैं। बाबूलाल थानेदार थे वहां पर तत्कालीन एस.एच.ओ. है उसकी जीप तोड़ी। वहां पर हमला किया गया उस पर। आखिर कारण क्या है, गुल्लू का एस.एच. ओ. पर पुलमवा गांव में हमला किया गया था और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, गुनपुर में डीवाई.एस.पी. और पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई है परन्तु मुश्किल यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर में सबसे बड़ी मुश्किल ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम के लिए आज वहां रेते की समस्या है। और रेता चूंकि वहां पर हाई कोर्ट ने बन्द कर दिया है, चम्बल का सैंड है और चम्बल का सैंड लोग निकाल कर लाते है। जो बरसात में नदी आती है ऊपर चढ़ती है और पानी उतर जाता है, सफेदा छोड़ जाती है जिसमें हजारों लोगों का धंधा है कि वह लेकर अपने खेतों में से लाकर बेच देते है। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा यह ऐसा साधन मिल गया है धंधे का कि जिसको चाहते है उसको पकड़ लेते हैं, जिसको चाहते है नहीं पकड़ते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस इस चौथ वसूली के बहाने से उन लोगों के ट्रकों, उन लोगों के ट्रेक्टरों वालों से धंधा करने की दृष्टि से रोकती है और फिर ला एण्ड आर्डर की दृष्टि से वहां प्राब्लम होती है। मेरा तो आपसे निवेदन है, गृह मंत्री जी से, कि इस समस्या के समाधान के लिए गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहते है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब ला एण्ड आर्डर की समस्या आ रही है वहां पर कानून व्यवस्था की समस्या आ रही है तो क्यों नहीं उसको सुलझाने के लिए वहां पर जाकर करते हैं, यह किसी तरह से करें। अभी माननीय हिण्डोली से आने वाले...

श्री अध्यक्ष : आपको 11 मिनट हो गये है, अब एक मिनट में, आप अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम बोलता हूं। मै आपको बता रहा हूं । अभी हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने पुलिस की मांग पर बताया था कि एक वृत्त अधिकारी ने अपने थानेदार के खिलाफ ही कार्यवाही की थी और मारपीट की थी, थाने में पिटाई की थी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो जहां आपस में पुलिस वाले ही पुलिस वाले पर अत्याचार कर रहे है, आज पुलिस वाले पिट रहे हैं उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आखिर कारण क्या है कि मनोबल गिर रहा है इसके लिए आपको और हमको सब को चिन्तित होना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है। क्यों नहीं इस पर काबू किया जा रहा है ?

जब समय समाप्ति की आप कह रहे हैं तो संक्षेप में मैं जेल के ऊपर भी कुछ कहना चाहूंगा। आखिर जेल से कैदियों के भागने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है। चाहे निम्बाहेड़ा की जेल से भागे हों चाहे डीग की जेल से भागे हों, चाहे धौलपुर की जेल से भागे हों, अलवर की जेल से भागे हो, आखिर यह प्रवृति बढ़ती जा रही है। कारण क्या है ? धौलपुर की जेल से 4-5 मर्तबा कैदी भाग चुके है। स्टेट टाइम की वह जेल बनी हुई है और अण्डमान निकोबार के पैटर्न पर वह जेल बनी हुई है, दो दो दीवार हैं, करंट के तार प्रवाहित हो गये, इस पर भी ऐसी स्थिति में वहां से कैदी भाग जाते हैं, आखिर कारण क्या है ? आप देखिये, पांच कैदी भागे हैं। एक कैदी कप्तान जो आजीवन कारावास भुगत रहा था वह भागा, तीन कैदी तीन वर्ष में सलीम भैये और राजवीर सिंह भागे हैं, प्रबल प्रताप सिंह हत्याकाण्ड के दो कैदी भागे, जो आज तक गिरफ्तारी नहीं हुए हैं। आखिर क्या कारण है ? या तो स्टाफ की कमी है जो कि उनको पूर्ण रूप से नहीं दे रहे हैं और इसमें आज तक जांच नहीं हो पा रही है। आखिर कारण क्या है ? जब इतनी दो दो दीवार हैं ऊपर बिजली का करंट है उसके बावजूद भी कैदी भाग रहे है और 4-4, 5-5 घटनाएं हो गई हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है। इसमें आपको, हमको सब को सोचना पड़ेगा और यह निश्चित सही है कि इसमें कहीं न कहीं मिलीभगत उन कर्मचारियों की है और जब तक उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद, जयहिन्द ।

श्री अध्यक्ष : बहुत बढिया। श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की डिमाण्ड संख्या 16 पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो वक्ताओं न कहां कि पुलिस के द्वारा जो एफ.आई.आर. नहीं की जाती है, चाहे किसी भी थाने में आज शुरू से लेकर अब तक जिस भी थाने में जाओ तो पहले तो 10-12 गालियां निकालेगा एफ.आई.आर. दर्ज करवाने वाले को, वह डर के मारे पहले ही भाग जाएगा। तो मैं कह रहा था, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में मंत्री रहते हुए गृह मंत्री महोदय ने शिक्षा विभाग में जगह जगह मीटिंग लेकर उनको सुधारने की कोशिश की थी, निश्चित रूप से इनकी जो शालीनता के द्वारा वहां लिखा होता है कि आम जनता को उस तरीके से हम उनसे मिलजुल कर पब्लिक से रहें और उनको प्रेम से बिठाएं और पानी पिलाएं और उनकी एफ.आई.आर.दर्ज करें। उसके बावजूद भी डर के मारे जाता है और डर के मारे कई लोगों को लेकर साथ में जाता है तब जाकर एफ.आई.आर. लाज होती है फिर भी नहीं होती है। आप इसका जीता जागता उदाहरण अब से करीब 3 साल पहले टोंक जिले के अन्दर जो मिलीट्री मैन को पुलिस वाले मात्र एक इतनी सी कि पुलिस चौकी के हैड पम्प के नीचे मात्र बाल्टी रखी हुई थी और बाल्टी को उठाकर मिलीट्री मैन जो छुट्टी पर आया हुआ था वह उठाकर एक तरफ रख देता है। और एक तरफ रखने के ऊपर उनको इतना दु:ख हुआ, इतनी परेशानी हुई कि हमारी बाल्टी को, पुलिस की बाल्टी को हाथ कौन लगा ले, बाल्टी को हटाकर उसने पानी पी लिया। खाली इतना ही काम किया और इतना करने के बाद में जब उसने उसको गाली निकाली कि+++ हमारी बाल्टी को उठाया। उन्होंने जब इस बात को कहा तो उसने भी, मिलीट्री मैन था, गाली निकाली। पुलिस वाले उसको ले जाते है। ले जाकर मारते है। और मारते मारते इस तरीके से मारते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है।तो पुलिस वाले तो वास्तव में यह बात सही है कि इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं निश्चित रूप से, अभी वर्तमान में दैनिक भास्कर में आया था कि रक्षक ही भक्षक, पुलिस अपराध शाखा के हिसाब से करीब 14 सौ केस सिपाही से लेकर ऊपर के उप अधीक्षक लेवल के सारे कर्मचारियों के केस लगे हुए है। 14 सौ केस लगे हुए हैं एक साल में। पिछले एक साल के अन्दर 14 सौ केस उनके लगे हुए हैं जिनमे लूट के हत्या के, बलात्कार आदि छेड़छाड़ के अनेक केस हैं जो उनके ऊपर लगे हुए है। आज उनके अन्दर जो लगे हुए हैं उनकी जो जांच हो रही है उस जांच में भी कोई अब तक कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ नहीं हुई है।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

साथ ही में यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो उच्च अधिकारी है, चाहे आई.पी.एस. हैं, चाहे डी.आई.जी. रैंक के हों, बड़ा अधिकारी कोई भी हो, वह भी ऐसे अछूते नहीं है। मधुकर टंडन जैसे बहुत सारे लोग हैं, अनेक लोग ऐसे हैं जो भू माफियाओं के साथ में लगकर वहां पर कब्जा कर रखा है। कई भूमियों पर तो ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं उनको सबक सिखाना चाहिए। इन लोगों की जांच किसी आयोग को बैठाकर की जानी चाहिए। इन लोगों की जांच आपस में एक दूसरे अधिकारी करते है, वह उनके केस करते हैं वह उनकी आपस में लीपालोती करके साफ कर देते हैं। किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई केस नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, गृह मंत्री जी से आप ऐसे मामले में जो भी व्यक्ति और जो छोटे पुलिस वाले होते हैं, कई बार उनको प्रताडित भी किया जाता है। अभी कई जो सस्पैंड हो गये और जिनको आज की तारीख में जो हिस्ट्रीशीटर है उन लोगों के ऊपर भी एस.पी. लेवल के लोगों का वर्चस्व होने के कारण वह लोग कई बार कई जगह मर्डर कर दिये। उसके बावजूद भी आज तक नहीं पकड़े गये, लूट की है, डकैतियां डाली है, पुलिस वालों को परेशान किया है। अनेक जगह तो पुलिस वाले इतने परेशान हो गये कि उन्होंने बड़े अधिकारियों के कई जगह जैसे एक तो रामगंज के अन्दर हुआ था जो रामगंज में हुलासाराम एस.एच.ओ. था उसको गोली मार दी और वह खतम हो गया।

इसी प्रकार से तिवाड़ी जी को कोतवाली जयपुर के अन्दर गोली मारी सिपाही ने और उसकी डेथ हो गई। इसी प्रकार से करौली के अन्दर भी गोलियां चली। तो इसी प्रकार सें आये दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है। इसका कारण होता है कई बार उच्चाधिकारी भी उनको हर तरह से तंग करते रहते हैं और उनके डर के मारे वह अपनी आत्म हत्या कर लेते हैं। जिस प्रकार से आत्म हत्या करने वालों में राधाकृष्ण जाजू जो भरतपुर एडिशलन एस.पी. थे, इसी प्रकार से डूंगरपुर में श्री गोपाल नारायण मीणा जो एडिशलन एस.पी. था उसने आत्म हत्या की। कैलाश चन्द्र मीणा जो हनुमानगढ़ में सी.आई. था उसने आत्महत्या की। पवन सोनवाल ने अजमेर पुलिस लाइन में आत्म हत्या की। इसी प्रकार से आज भी बहुत सारे केस हैं जिस प्रकार से बड़े अधिकारियों की प्रताड़ना के कारण ये केसेज है जो याद करते हैं। बड़े अधिकारी चाहते है कि इसकी जांच को आप ज्यादा खेलों मत, इसको दबाए रखो लेकिन वह दबाना नहीं चाहता फिर भी उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। इसी

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

प्रकार परेशान होकर आत्म हत्या कर लेते हैं। (व्यवधान) पहले की कांग्रेस के टाइम में। (व्यवधान) इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के पास में बगराना नाम के गांव में आगरा रोड पर प्रतिपक्ष जो पहले सत्ता पक्ष में था तो उसने बांग्लादेशियों को पता नहीं कहां से लाकर के वहां पर बिठा दिया, उनके सड़क भी पहुंचा दी, लाइट भी हो गई और आज वो चरस का धंधा कर रहे हैं। आज भारी अफीम मिलाकर पता नहीं वो कहां से लेकर आते हैं कहां से नहीं लाते और वहां पर अड़ौस-पड़ौस के गांव के लोगों में अफीम की आदत डाल रहे है। वहां के लोगों में इसकी आदत डाल दी गई है। पुलिस वाले भी अगर वहां आते हैं तो औरतें पुलिस वालों का भी घेराव कर लेती हैं। मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन बांग्लादेशियों को ऐसी जगह भेजें जहां आस-पास कोई गांव नहीं हो। वो आये दिन चोरी, डकैती डालते रहते है। कानोता के इन्दर इससे बड़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।

साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में तूंगा के अन्दर आज से दो साल पहले चतुर्भुज जी के मंदिर की अष्टधातु की मूर्ति जो करीब एक करोड़ के मूल्य की थी, वह चली गई उसके बाद में आज तक नहीं आई है। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में ही एक सावरिया गांव है उसमें सांवरिया जी की एक अष्टधातु की मूर्ति थी, लगभग दो करोड़ की कीमती मूर्ति थी, उसका आज तक पता नहीं लगा कि कहां पर गई है, वापस नहीं आई है। इसी प्रकार से जैन मंदिरों से भी मूर्तियां चोरी हुई है। जैन मंदिर बाड़ा पदमपुरा में, मेरे क्षेत्र में काशीपुरा है, रूपाडी कला है, यहां पर जैन मंदिरों की भी मूर्तियां चोरी हुई हैं जिनका आज तक किसी मूर्ति का पता नहीं लग पाया है।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कानोता थाना जो है उसको सी.आई. के अंदर क्रमोन्नत किया जाए। तूंगा चौकी, बहुत सारे गांव उसके अंडर में आते हैं उसको क्रमोन्न्त किया जाए। साथ ही कोटखावदा चौकी को भी क्रमोन्नत किया जाए। बस मैं इतना ही कहते हुए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरा राम धोद ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए। एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बीच में बोल रहे हो, आपको समय मिला था न।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास . अध्यक्ष महोदय, एक मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगी आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्ष : आपको समय मिला था।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : साहब, उस समय मेरे दिमाग से यह बात उतर गई थी।

श्री अध्यक्ष : यह नियमों के विपरीत है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एक सैकण्ड, बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष : कितना भी महत्वपूर्ण हो, अब नहीं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप खुद भी कहेंगे कि अच्छा किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप तो उदारमना हो, एक महिला की बात, महिला की पीड़ा एक महिला ही समझ सकती है।

श्री अध्यक्ष : आसन नियमों से बंधा हुआ है, आसन नियमों से बंधा हुआ है। यह सदन भी नियमों से बंधा हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : आसन महिलाओं से नहीं नियमों से बंधा हुआ है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप इजाजत दे दें एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगी और जानकारी भी चाहूंगी कि 11 जुलाई को चौपासनी क्षेत्र में सूंथला गांव के मुख्य बाजार के व्यस्ततम स्थान पर दिन दहाडे शराब तस्करों द्वारा प्रहलाद सिंह पुत्र जबर सिंह की निर्मल हत्या कर दी थी। सारे बाजार के अन्दर उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। मगर मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी, गृह मंत्री से निवेदन करूंगी कि हत्या के शिकार हुए प्रलाद सिंह के परिजनों को एक लाख रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप मंत्री जी देंगे, मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अमराराम चौधरी (गृह राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्या ने जो बात कही है दो मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है और दूसरे प्रयास जारी है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 और 17 पर विचार चल रहा है, मैं भी इसमें आपकी अनुमति से शामिल हो रहा हूं। जहां तक सरकारें आती है और जाती हैं लेकिन राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और विशेष तौर से यह सरकार आने के बाद तो पिछले 7 महीने में जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि जिस तरह की घटना संगठित गिरोह कर रहा है। झगड़े फसाद होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह अपहरण करके लोगों के साथ मारपीट करने की घटना पिछले 7 महीने में बहुत तेजी से बढ़ी है। अकेले सीकर में ही पिछले 25 दिन में तीन घटनाएं हुई हैं जहां अपहरण करके लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। उसमें एक घटना तो सीकर की जो एस.के.कालेज है जहां इनके एडिशलन एस.पी. एग्जाम दे रहे हैं वहीं एक लड़का एलएल बी की एग्जाम रामदेव सिंह खोखर भी दे रहा है। वह एडिशलन एस.पी. कालेज के गेट से अन्दर प्रवेश कर जाता है और रामदेव सिंह बाहर होता है और वहां फायर करके दो जीपों से 15-20 लोग इकट्ठे होकर उसको किडनैप करके ले जाते हैं। जहां से पुलिस लाइन मात्र 70-80 गज की दूरी पर है, पुलिस का कंट्रोल रूम मात्र 50 गज की दूरी पर है, पूरा सिविल लाइन है और वहां से ले जाते है। इसी तरह से बाकी घटना भी सीकर के व्यस्ततम बाजार सालासर स्टैण्ड से दिनदहाडे किडनैप कर लिया जाए और 4-4 दिन के बाद में भी अपरणकर्ता, अपराधी पकड़े नहीं जाए यह दु:खद है। अपराधियों के हौसले तो इतने बुलंद हैं कि पुलिस के थानों में पुलिस के अफसरों के पास जाने में एक अपहरणकर्ता और अपराधियो को कोई झिझक नहीं है। वहां आम आदमी पुलिस थाने में जाते हुए झिझकता है। हमारी मुख्य मंत्री भी कह रही हैं कि इनकी वर्दी उतार करके एक ऐसा सैंटर बनाया जाएगा कि जहां विदाउट वर्दी में होंगे और उनकी भावनाएं सुनेंगे।

(श्री अमराराम)

सवाल कोई सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आज जितने भी अपराधी हैं चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वह हवाला माफिया हो, चाहे वो भू-माफिया हो और चाहे शिक्षा माफिया हो वह तमाम माफिया पुलिस पर इस तरह से हावी है कि जिस तरह से पुलिस का काम कानून व्यवस्था और कानून को तोड़ने वालों को कानून के हवाले करना नहीं होकर के उनकी नौकरी करने का काम करते हों। आज अपराधियों को राजस्थान में पुलिस के पास जाने में कहीं हिचक नहीं है। आम आदमी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अकेला आज भी अकेना नहीं जा सकता। 90 प्रतिशत किसी न किसी राजनेता की, किसी ने किसी गांव के 5 लोगों को साथ लेकर के पुलिस थाने में एफ.आई.आर दर्ज कराने के लिए जाएगा जबकि जितने भी अपराधी हैं चाहे वो शराब माफिया हो चाहे और माफिया हो, हवाला माफिया हो उनको पुलिस थाने में जाने में, पुलिस के अफसरों के पास जाने में कहीं हिचक नहीं है क्योंकि उनके साथ लेन-देन चलता है। आज क्या हालत है उसका सबको पता है। किसको पता नहीं है .? तमाम जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, सबसे बड़ा तो जो शराब माफिया है, आज जिनका एक ही मकसद हो गया शराब के माफिया के साथ साथ वो जमीनों को हड़पना, जो भी डिसपुटेड लैण्ड होती है, थोड़ा बहुत आपस में विवाद होता है उस जमीन को खरीदने का काम करते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उनका सामना करने की हिम्मत रखता हो। आज तक नहीं पकड़े जाएं, 4-4 दिन हो गये, हमारी पुलिस आ रही है, पता लगा रही है पर अभी पता नहीं लगा। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटनाएं होती है। निश्चित रूप से पुलिस में भी ऐसे बहुत से अफसर हैं, मैं नहीं कहता कि सब के सब अफसर एक जैसे हैं लेकिन जिस तरह के गलत कारनामें करने के लिए जो कोई भी पुलिस का छोटा कर्मचारी या बड़ा अधिकारी उनका जो विरोध करता है उसको प्रताडित करने का काम पुलिस विभाग में होता है। उसकी घटनाएं हुई भी हैं उसमें चाहे वह अजमेर की पुलिस लाइन हो, चाहे उदयपुर की हो। एक एक जगह पुलिस का ईमानदार कर्मचारी चाहे वह छोटे से छोटा हो, चाहे अधिकारी हो वह कानून के अनुसार इनकी गलत कार्यवाहियों में शामिल नहीं होना चाहे तो उसको किस तरह से प्रताडित करते हैं और प्रताड़ना की स्थिति यह आ जाती है कि वो आत्म हत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। यह घटना कोई अकेले अजमेर या उदयपुर की नहीं है, एक-एक घटना चरम सीमा तक पहुंच रही है

(श्री अमराराम)

कि जो कानून के अनुसार अपनी ड्यूटी पूर्ण करना चाहे, उनके गलत कारनामों में शामिल नहीं होना चाहे उसको इस तरह प्रताडित करने की कोशिश वे अधिकारी एक नहीं तमाम मिल कर करेंगे कि उसको इस हालत में पहुंचा दे कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए या नौकरी छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर हो जाए। तो इस स्थिति को रोकना आवश्यकता है

अभी दुसरे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि छोटे जो कर्मचारी हैं उनकी निश्चित रूप से कुछ दुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा पुलिस में जो राजनैतिक हस्तक्षेप है, आज पुलिस में कैपेसिटी के आधार पर पोस्टिंग नहीं होगी, राजनैतिक आधार पर होगी कि कौन राजनेता किस पुलिस अफसर की सिफारिश करता है उस आधार पर पदौन्नति या उसकी पोस्टिंग होगी और जब तक राजनैतिक दखल होगा और हम यहां चर्चा करें कि कानून और व्यवस्था ठीक होगी, तो मैं समझता हूं कि कभी नहीं हो सकती। जब तक पुलिस के अधिकारियों की एफिशियेंसी के आधार पर पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं होंगे, केवल राजनेताओं की इच्छा पूर्ति करने का काम पुलिस के माध्यम से किया जाएगा, मैं समझता हूं कि ला एण्ड आर्डर कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकता। यह लगातार प्रेक्टिस है कि पुलिस के अधिकारी, पुलिस में राजनैतिक दखलंदाजी जिस तरह से है वह कानून के अनुसार काम करने में स्वच्छन्द नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनैतिक इंटरफेरेंस पुलिस में बंद हो। पोस्टिंग में, ट्रांसफर में एक निश्चित समय हो और उसकी ड्यूटी हो, कोई भी अपराध हो, उनको रोकने का, बढ़ाने की बजाय आधार क्या हो। थाना जब खोलेंगे जहां क्राइम और केसेज बढेगे...

एक माननीय सदस्य : फिर राजनेता क्या करेंगे ?

श्री अमराराम (धोद) : राजनेता नीति तय करें, राजनीति करें, लोगों को सही करने का काम करें, हम राजनैतिक आधार पर कर रहे हैं। कोई नहीं करता, उस पर कार्यवाही नहीं होती है। जो इमिजिएट एक्शन कर देता है, जयपुर में किस तरह से मेडिकल और डेंटल कालेज में विद्यार्थियों से जिस तरह से उनके परिवारजनो से लूट की, यहां के आई.जी. ने काम किया क्योंकि उसको इसलिए प्रताडित होना पड़ा क्योंकि उन्होंने तोगडियाजी को गिरफ्तार

(श्री अमराराम)

कर लिया। दर्द इतना ही है कि उनहोंने कार्यवाही कर दी। जब नियमानुसार कार्यवाही कर दी तो उसको प्रताड़ना भोगनी पड़ी। चाहे वह कोई भी सक्षम अधिकारी हो, उसको निश्चित रूप से प्रताड़ना भोगनी पड़ी। जब तक इस बात को हम नहीं लेंगे, आज जिस तरह से पुलिस को उपभोग हो रहा है कि आम आदमी की बजाय कुछ लोगों के लिए पुलिस होती है। आज थानों की हालत क्या है। थानों में संख्या बल बहुत कम है लेकिन कुछ लोगों की स्वार्थ पूर्ति के लिए किस प्रकार से पुलिस का उपयोग हो रहा है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आप भी उधर से गुजरते हैं, सीकर में एक बाई पास है जहां एक एक थाने में पुलिस कांस्टेबलों की कितनी बड़ी कमी है और मंत्रीजी उधर से गुजरते हैं, अकेली एक बाई पास की कम्पनीको फायदा पहुंचाने के लिए तीन जगह पुलिस की चौकिंयां बना रखी है। जयपुर रोड पर बना रखी है, सांवली पर बना रखी है और आगे जाकर बढाढ़र के पास बना रखी है। एक बाई पास की कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए, पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार ने भी सात महीने तक तीन पुलिस चौकियां केवल एक प्राइवेट बी.ओ.टी. कम्पनी को बेनेफिट पहुंचाने के लिए कि ट्रक इधर बाई पास से ही गुजरना चाहिए। थानों में सम्मन देने के लिए और अन्य कामों के लिए सिपाही नहीं है लेकिन मैनजमेंट कम्पनी के लिए 15 सिपाही है। बहुत से ऐसे सिपाही जिनकी ड्यूटी किस तरह से ली जा रही है, मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह से हम हस्तक्षेत करेंगे, व्यक्तिगत किसी को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस का उपयोग करेंगे। राजनैतिक स्वार्थो की पूर्ति करने के लिए हम पुलिस का उपयोग करेंगे और क्षमता के आधार पर, उसके मापदण्ड के आधार पर हम उसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी पोस्टिंग करेंगे, निश्चित रूप से हम पोस्टिंग करें, उससे काम लें। उस क्षेत्र में अपराध होते हैं उनको रोकने का काम करें।

आज क्या हालत है अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बहुत से लोग अरब कंट्री में रहते है। उनका जितना पैसा है, आज मैं समझता हूं, 90 प्रतिशत पैसा हवाले के माध्यम से राजस्थान में आ रहा है। कौन ला रहा है ? सरकार को, पुलिस को पता नहीं है ? सी.आई.डी. क्या काम करती है ?सबको पता है, मिलीभगत से आता है। 90 प्रतिशत पैसा आये, अध्यक्ष महोदय, आज जो खाडी देशों में हमारे लोग वहां अपना जीविको-पार्जन करने के लिए रहते है,

(श्री अमराराम)

उनका 90 प्रतिशत पैसा राजस्थान में दूसरे रास्ते से आ रहा है। प्रदेश और देश को, दोनों को नुकसान पहुंच रहा है और हमारा पुलिस विभाग एक क्षण के लिए भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या पुलिस की बगैर मिलीभगत के, देश से दुनिया से आने वाला पैसा हवाले के माध्यम से जा सकता है ? हमारी नाक के नीचे जिस तरह से होटलों में अवैध जिस्म फरोशी का धन्धा हो रहा है, क्या पुलिस की मिलीभगत के बगैर हो सकता है ? चाहे हवाले का हो, दूसरा सट्टे का हो, जिस तरह से शराब का अवैध रूप से काम है, सबसे बड़ा क्राइम बढ़ाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह शराब है जहां एक जिले में 100 शराब की दुकानें हैं, पुलिस विभाग को कहीं दिखाई नहीं देता। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा, 40,000 गांवों में से, किसी गांव वालों ने बन्द कर दिया तो मैं नहीं कह सकता, वरना एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां अवैध रूप से शराब के ठेकेदारों के द्वारा शराब का ठेका नहीं चलता हो ? पुलिस को कहीं नजर नहीं आता और बाकी कोई एक गरीब आदमी निकालकर एक बोतल पीता हुआ मिल जाये और ठेकेदार पकड़ कर आबकारी विभाग के पास में मुकदमा बना दे। यह खुद आज तो कानून व्यवस्था, मैं समझता हूं, जिस तरह से माफियाओं के हाथों में दे रखी है, चाहे वह शराब माफिया हो चाहे वह हवाला माफिया हो चाहे वह सट्टा माफिया हो और कानून में भी क्या कर रखा है। आज सट्टे करने वालों को, चुनाव का सट्टा हो, क्रिकेट का सट्टा हो, दूसरे भी सट्टे हैं, सट्टा जनता को बरबाद करने और मरने और आत्म हत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसकी पुलिस काबिल जमानत बना रखी है। हजारों लोगों को बेवजह सट्टे के माध्यम से जीवन से खिलवाड़ करने वाले लोग पुलिस में काबिल जमानत है। वह इधर पुलिस ले जाएगी और 10 मिनट के बाद में जमानत कराके छोड़ देगी तो क्या हम इस बात के लिए चिंतित हैं तो निश्चित रूप से पुलिस का बहुत बड़ा अमला है, निश्चित रूप से संख्या बढ़नी चाहिए, उनकी सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उपयोग है और मैं समझता हूं कि राजनीति नहीं करके, राजनीति इस बात के लिए करें कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था स्थिति बेहतरीन हो, लोग निर्भीक होकर अपना जीवन यापन कर सकें। साथ में कोई इस तरह की कानून विरोधी कार्यवाही हो तो पुलिस में जाते हुए वह झिझक नहीं खाये। और वे लोग झिझक खायें, पुलिस से वे लोग डरें जो कानून को अपने हाथ में लेकर, अपना घर भरने का और समाज को प्रताडित करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भय होना चाहिए।

(श्री अमराराम)

आम आदमी के अन्दर भय समाप्त हो और उन अपराधियों में पुलिस का भय हो, यह काम करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से पुलिस विभाग में भी और राजस्थान की जनता को भी हम एक अच्छा रास्ता दिखा पायेंगे। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। बाबूलाल नागर। कटमोशन में इधर-उधर क्या है ? कटमोशन में प्राथमिकता के आधार पर आता है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य अमरारामजी ने बताया कि जब से नई सरकार राजस्थान में आई है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। मैं इस पर चर्चा करूं, उससे पहले पिछले तीन-चार महीनों में इस तरह की घटनाएं घटित हुई, अजमेर में पवन सोनवाल ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। पिछले दिनों किशनपोल में सिंडीकेट बैंक में जयपुर गार्ड के पुलिस के दो कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल ने आपस में मर्डर कर दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पुलिस कांस्टेबल सांवली गांव का है, वह उसमें मारा गया। ऐसे ही अलवर में एक सिपाही ने एस.एच.ओ. पर गोली मार दी तो मैं समझता हूं, अराजपत्रित कर्मचारियों में जिस तरह से हताशा पैदा हुई है, निराशा पैदा हुई है, फ्रस्टेशन आया है, आत्मविश्वास में कमी आई है तो निश्चित रूप से सबसे पहले पुलिस विभाग को चाहिए कि छोटे स्तर के पुलिस कर्मचारी हैं, उनमें मनोबल पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें। ये तीन-चार घटनाएं जो हुई हैं अध्यक्ष महोदय, इन सबको, किसी न किसी का सम्बन्ध छुट्टी से लगाया है, ड्यूटी से लगाया है। मैं चाहूंगा कि इस पुलिस विभाग में इन छोटे लेवल के कर्मचारियों के ड्यूटी आवर फिक्स कर देना चाहिए। आज बैंक में जो सिपाही मरा और 48 घंटे तक एक ही कांस्टेबल ने जो यह गार्ड बना, लगातार उन्होंने 48 घंटे तक, 2-3 दिन तक ड्यूटी दी और इस तरह ड्यूटी में कहीं पक्षपात का मामला भी आता है, कहीं यह भी आता है कि भाई-भतीजावाद भी इसमें है और इन सबमें जड़ है, ड्यूटी आवर फिक्स करना। अगर यह कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हर बड़े पुलिस के कर्मचारी को जो आवश्यक उसके काम हैं, उनके लिए समय मिलेगा, अपने पहरवार को भी संभालेगा। अध्यक्ष महोदय, जो भी पुलिस अधिकारी है, अधिकतर देखा जाता है, सारा समय प्रोटोकाल में, कानून व्यवस्था में लगाना पड़ता है और उसी पुलिस अधिकारी को अनुसंधान करना

(श्री बाबूलाल नागर)

होता है तो पुलिस को चाहिए कि कानून व्यवस्था में अलग अधिकारी लगाने चाहिए जिनका काम खाली प्रोटोकोल और कानून व्यवस्था का ही हो और अनुसंधान. में अलग अधिकारी लगाने चाहिए, जिनका काम अपराधों की जांच करके त्वरित गति से कार्यवाही करने का हो। इस संबंध में कई सुधार कमेटियां बैठीं पुलिस विभाग में, इसी तरह एक मालीमत कमेटी की रिपोर्ट है। मैं समझता हूं बार-बार हम कमेटियां बैठाते हैं पुलिस विभाग की तरफ से और उनको लागू नहीं करते हैं, वह जो सुझाव हैं उन सुझावों को लागू करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र नेशलन हाइवे पर है, आये दिन दुर्घटनाएं तो होती ही है, साथ-साथ दूसरे राज्यों के अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी उधर से गुजरते हैं। थानों में पुलिस की जो गाडियां हैं मैं समझता हूं जो बड़े थाने हैं, नेशनल हाईवे पर जो थाने हैं, हर थाने में दो-दो गाड़ी तो होनी ही चाहिए। पिछले दिनों एक जयपुर अजमेर रोड पर पैट्रोल पम्प पर फायरिंग कर दी, भागकर नरैना साइड से मुलजिम आगे निकल गये। अब नरैना के पुसिल स्टेशन के पास जो गाड़ी है अध्यक्ष महोदय, उसको पांच-छह आदमी धक्का देकर उसको शुरू करते है और आधा-एक किलोमीटर वह गश्त घूमे और वह गाड़ी बंद हो गई, वह बेचारे जीप ढूंढते रहे और वह मुलजिम भाग गये। तो कम से कम एक गाड़ी भी हो, लेकिन जो थाने नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं उनमें कम से कम गाड़ी की स्थिति तो अच्छी होनी चाहिए। आप किस तरह से नाकाबंदी करेंगे जब आपके पास साधन ही नहीं है।

तीसरे, अध्यक्ष महोदय, एम्बुलेंस है लेकिन बगरू में और भी कई थाने हैं, आये दिन एक्सीडेंट होते रहेते है, एम्बुलेंस की व्यवस्था हर थाने परे होनी चाहिए। इसी तरह पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बेलफेयर भत्ते दिये जाते हैं जो बहुत कम हैं, मैं चाहूंगा उसमें आत्मविश्वास पैदा हो, बच्चों की तरफ से निश्चित हो, अच्छी पढ़ाई करायें इसके लिए उनके वेलफेयर भत्ते बढ़ाये जाने चाहिए।

एक अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग में अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों की जो पदोन्नति है इसमें सिर्फ सेवावधि का ध्यान रखा गया है, इसमें योग्यता की कोई कद्र नहीं है। अभी मैं समझता हूं पुलिस में एक-छह के अनुसार, एक पद रिक्त के अगेंस्ट में छह लोगों को काल किया जाता है चाहे

(श्री बाबूलाल नागर)
वह करप्ट हो, बेइमान हो, चाहे वह कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन उन छह को काल करना ही पड़ेगा और जो एक पढा़-लिखा योग्य व्यक्ति है जिसने अच्छा काम किया हो उसका नम्बर तब तक नहीं आयेगा जब तक छह लोगों की श्रेणी में नहीं आता। तो मैं समझता हूं कि सीनियरिटी का ध्यान तो रखना चाहिए लेकिन साथ-साथ योग्यता का भी इसमें होना चाहिए। 1989 से पहले यह नियम था पदोन्नति में कि जो ग्रेजुएट होगा उसको तीन साल में उस टेस्ट में बिठाया जायेगा। एक मैं चाहता हूं जैसा सुभाषजी ने चर्चा की कि इन पुलिस कर्मचारियों को बस में रोडवेज की सुविधा जरूर होनी चाहिए। हरियाणा और पंजाब में इस तरह की व्यवस्था है, राजस्थान में भी इस तरह की सुविधा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : वह तो वैसे ही राठौड़ी से बैठते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : सम्माननीय अमरा रामजी ने कहा कि जब से यह सरकार आई है, कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई, दलितों पर अत्याचार हो गये। आये दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जब किसी दलित दूल्हे को घोड़ी से नहीं उतारा जाता, ऐसा कोई दिन नहीं जब किसी दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने से रोका नहीं गया हो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब सरेआम किसी दलित महिला के साथ बलात्कार नहीं किया गया। आये दिन दलितों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, गृह मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, बहुत काबिल मंत्री हैं और बहुत शरीफ और अच्छे नेक मंत्री हैं, पर गृह मंत्रीजी, यह आपके तथ्य और रिकार्ड बताते हैं कि पिछले जब से राजस्थान में यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका एक मिनट बाकी है, एक मिनट।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर नहीं बोला, न मैं किसी और बात पर बोला। मै मुश्किल से पहली बार...

श्री अध्यक्ष : इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कब बोले और कब नहीं बोले।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं

कि जब से यह सरकार बनी है, आप देखिये, सवाई माधोपुर में सबसे पहले 9 दिसम्बर को एक दलित महिला पर केरोसिन पटक कर जला दिया गया, दलितों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। नाथद्वारा, अध्यक्ष महोदय, जो सबका पवित्र स्थान है जहां हर व्यक्ति को अधिकार है पूजा करने का, प्रवेश करने का, राष्ट्रीय दलित सर्वाधिकार रैली एक वहां आयोजित हुई जनवरी 2004 में और उन दलितो को उस नाथद्वारा मंदिर में नहीं जाने दिया। पुलिस ने जानबूझ कर इस तरह की व्यवस्था करी कि वहां व्यवस्था डगमगा गई, भीड़ इकट्ठी हो गई और वह दलित उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सके। कोटा, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का जिला है, झालावाड़ के खानपुर में दे दिया गांव में एक बजरंग लाल मेघवाल को सिर्फ इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी कि इंदिरा आवास का उसका बकाया भुगतान नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास में उन लोगों का चयन होता है जो गरीबी से नीचे चयनित होते हैं, उन लोगों को इंदिरा आवास दिये जाते है और एक किश्त दस हजार रुपये दिये गये, और उसके बाद दस हजार रुपये के लिए बार-बार उसने विकास अधिकारी से सम्पर्क किया, जिला परिषद के सी.ई.ओ. से सम्पर्क किया, उस बजरंग लाल...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं करता हूं संक्षिप्त में। उस बजरंगलाल मेघवाल को आत्महत्या करनी पड़ी। निवाई में अध्यक्ष महोदय...

श्री श्रवण कुमार : दस हजार रुपये के लिए आत्महत्या करी, मुआवजा दिलाओ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, एक रवि रैगर, निवाई में रवि रैगर बेचारा एक टेलीफोन का बिल जमा कराने जा रहा था, पीछे से एक मोटर साइकिल से पुलिस के दो कर्मचारी आ रहे थे, वह तेजी से निकलना चाहते थे, उस रवि रैगर ने कहा कि आगे ट्रेफिक ज्यादा है, उसको इतना बुरा मारा, अफसोस और शर्म की बात तो तब है अध्यक्ष महोदय, इसी जगह इसी गांव में कुछ दिन पहले एक इसी तरह का फिर एक दलित को घोड़ी पर बैठने पर, निकासी निकालने पर निवाई में बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, पूरे राजस्थान में

(श्री बाबूलाल नागर)

दलितों में इस बात का आक्रोश हुआ, राज्य के दलित वहां गये...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर : और दोबारा अध्यक्ष महोदय, उसी जगह, बड़े अफसोस की बात है कि चंद समय के अंतर में दोबारा वहीं यह घटित हो जाय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री नवरतन राजोरिया।

श्री बाबूलाल नागर : इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, दलित दूल्हे को भरतपुर में घोड़ी से उतार दिया, उदयपुर में दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, टोंक में बीबलू थाना में बैरवा परिवार के...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्री नवरतन राजोरिया : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री नवरतन राजोरिया : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री हीरालाल (निवाई) : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो चुका है और मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री नवरतन राजोरिया : xxx

श्री अध्यक्ष : सदन के नियम आप पर भी लागू होते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री हीरालाल (निवाई) : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें। अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये। अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मै माननीय...(व्यवधान) नियम आप पर भी लागू होते है

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : नवरतन राजोरिया। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें। अब प्लीज, आप स्थान ग्रहण करें, प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको...(व्यवधान) मैं फिर निवेदन कर रही हूं...

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि इस प्रकार से सदन में बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री बीरू सिंह राठौड़ : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया दूसरा।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 पर चर्चा हो रही है...।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलते-बोलते 15 मिनट हो गये हैं। कब तक बोलेंगे आप ?

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : हां करेंगे न कार्यवाही । माननीय मंत्री जी कार्यवाहीं कीजिये जो कुछ इन्होंने कहा। अब बोलने दीजिये इनको।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री नवरतन राजोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार पर चर्चा हो रही है मैं भी इन मांगों पर समर्थन करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की और से बार-बार यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अपराध बढ़े हैं। मैं इसको पुरजोर शब्दों में असत्य, निराधार और तथ्य से परे बताता हूं। अपराध तो आपके शासनकाल में आपके ही शासन के लोग थे जिन्होंने अपराध किये।

श्री बाबूलाल नागर : आप तो ये बता दें कि जूनसिया प्रकरण में क्या हुआ ? और पुलिस ने क्या किया ?

श्री रवरतन राजोरिया : हां बता रहा हूं मैं बता रहा हूं। मैं आ रहा हूं उसी बात पर।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर, आप संयमित रहें।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलता ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : अप विराजें रहें।

श्री नवरतन राजोरिया : निश्चित रूप से अपराधों की संख्या सरकार आने के बाद बढ़ने के बजाय घंटी है। ये तथ्य से आंकड़ों से बताया जा सकता है। जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी गुलाब जी कटारिया जो एक जिनकी साख ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की है उनके गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस थानों में जो पीडित पक्ष जाता है जिसके बारे में कहा जा रहा है प्रतिपक्ष द्वारा कि थानों में जाने से घबराते हैं उनकी सुनी नहीं जाती, उनकी एफ.आई.आर. लाज नहीं होती है पहली बार उनको पुलिस के दायरे में पीडित पक्ष को सुनने के लिए कहा गया है। निर्देश दिये गये हैं उसी के कारण आपको लग रहा होगा कि उसकी एफ.आई.आर. लाज हो रही है उनकी सुनी जा रही है और कार्यवाही हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार की घटनाएं हुई और जिस प्रकार के पुलिस प्रशासन में अधिकारी लगे हुए थे उन्होंने अपराधों पर नियंत्रण करने की बजाय उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय कोई कार्यवाही नहीं की। मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि चालीस हजार से अधिक जिनके पुलिस में डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार ऐसे गंभीर अपराध हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही होने के बाद में जमानत पर छूट जाते हैं और वो चालीस हजार पुलिस की नाक के नीचे पुसिल अधिकारियों की नाक के नीचे खुले घूमते रहते हैं जिसके कारण अपराधों की जो रोकथाम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। आज वह अपराधी जिसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए वह नहीं हुई है उसी के कारण ये अपराध बढ़ते जाते हैं।

आपका एक दूसरी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से जयपुर शहर और जयपुर शहर के आस-पास और पूरे राजस्थान में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं तीन साल के आंकड़े मेरे पास में हैं। 1999 में 5167 दुर्घटनाएं हुई हैं। 2001 में 9999 दुर्घटनाएं हुई हैं उन दुर्घटनाओं में 5187 लोग मारे गये हैं और 25994 घायल हुए हैं। 2002 में जैसा कि 2001 में 9999 घटनाएं हुई थी 2002 में 20571 दुर्घटनाएं हुई हैं और मृतको की संख्या 5535 उन दुर्घटनाओं में

(श्री नवरतन राजोरिया)

मारे गए हैं, 27119 घायल हुए हैं। 2003 में 21933 दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें 6025 लोग मृत्यु के ग्रास हो गये हैं और 29079 लोग घायल हुए है। ये आंकड़े बताते है जिस समय कांग्रेस का शासन था उन्होंने दुर्घटनाएं रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की और दुर्घटनाएं रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की और दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता गया है। मैं समझता हूं कि ये सब बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते वाहनों के कारण भी दुर्घटनाएं हो रही है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही हैं वाहन बढ़ रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से, आज पुलिस अमले पर सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। संख्या बल बहुत कम है। थानों में जितने अधिकारी और सिपाही होने चाहिए वे बहुत कम संख्या में होते हैं जिसके कारण वहां की व्यवस्थाएं दुर्घटनाएं रोकने में, अपराध रोकने में सक्षम नहीं होती है। मैं चाहूंगा और आपसे अनुरोध भी करना चाहूंगा कि पुलिस थानों में जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। और जनसंख्या के अनुपात में वाहनों के अनुपात में और अपराधियों की जो संख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में अधिकारी और कर्मचारी पुलिस बल बढ़ायें। इसका मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आज एक और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दुर्घटना का कारण अवैध जीपें और मिनी बसें हैं। आज कोई उनके ऊपर नियंत्रण नहीं है। एक जीप में 7-7, 8-8 सवारी जो होनी चाहिए उसकी जगह 25-25 सवारियां उस पर ओवरलोडिंग होकर मिनी बसों में आवरलोडिंग होकर छतों पर बैठ कर लोग आते हैं। यह दुर्घटनाएं होने का एक बड़ा कारण है। आज एक प्रकार से माफिया मिनी बसों का माफिया हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1755 मिनी बसों की परमिट दिये गये हैं और 1500 मिनी बसें सड़कों पर चल रही हैं। उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होते हैं। दुर्घटनाओं के आंकड़े देखें तो मिनी बसों से सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। मैं मेरे क्षेत्र की एक लोमहर्षक घटना जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हुं बताना चाहता हूं, 7 जनवरी की दुर्घटना है। रोजी-रोटी कमाने के लिए जो मेरे क्षेत्र से लोग जयपुर आते हैं वे बैठ कर आ रहे थे और मिनी बस धड़धड़ाती हुई जा रही थी। आमने-सामने की टक्कर हुई 14 लोग एट द स्पोट मारे गये और एक साथ उनकी चिंताएं जलीं। आज उनमें किसी मां का बेटा, किसी बहन का भाई और किसी सुहागन का

(श्री नवरतन राजोरिया)

सुहाग चला गया। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मिनी बसों पर, अवैध वाहनों पर चैक लगाया जाना चाहिए उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने जिस प्रकार से कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं, मैं आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूं कि अपराध हमारे शासन में नहीं आपका जो पांच साल का कार्यकाल रहा उसमें बढ़े हैं और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा यह अख़बार में एक सर्वे रिपोर्ट आई है...

(18.00 बजे)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, सच बात हो यह है कि आज अखबार में सुबह सुबह जब 61 हजार भर्ती की पढ़ रहे थे तो बच्चे रोड़ पर मिठाई बांट रहे थे। हमने कहा कि किस बात की मिठाई बांट रहे हो, बोले 31 हजार पुलिस के कर्मचारी लगेंगे। क्या यह तथ्य सही है ?

श्री अध्यक्ष : आप कौनसे नियम में बोलने के लिये खड़े हो जाते हो। (व्यवधान) मुझे नियम का हवाला तो दो। (व्यवधान) यह सदन नियमों से चलता है, कोई नियम तो बताइए।

श्री श्रवण कुमार : 31 हजार आदमी पुलिस के, यह कह रहे हैं ना।

श्री अध्यक्ष : उनको बोलने दीजिए, माननीय सदस्य आप उन्हें बोलने दें आपका जब मौका आयेगा तो बोल देना।

श्री श्रवण कुमार : मुझे इस बात की खुशी है कि 31 हजार आदमी लेंगे क्या।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका नाम पुकारूं जब बोल लेना। प्लीज स्थान ग्रहण कर लीजिए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

श्री श्रवण कुमार : आज अख़बार में रिपोर्ट आई है 31 हजार आदमियों की।

श्री अध्यक्ष : आप कौनसे नियम में बोल रहे हैं पहले मुझे बताएं। बोलिए आप, आपका समय भी समाप्त होने जा रहा है एक मिनट में बात समाप्त कीजिए।

श्री नवरतन राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल नया सदस्य हूं पहली बार बोल रहा हूं और संक्षिप्त में 2-3 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बोलिए।

श्री नवरतन राजोरिया : अभी माननीय सदस्य भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है और अपराधियों में और अधिकारियों में सांठ-गांठ है। उनको पता रहता है कि कौनसा अपराधी क्या करने जा रहा है, क्या कर सकता है, कहां है, कहां हैं। उसके बावजूद भी गिरफ्तार नहीं होते। उस पर नियन्त्रण करने के लिये मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि जिस अधिकारी और कर्मचारी पर, जिस सिपाही पर, जिस पुलिस अधिकारी पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप है वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है या चार्ज शीटेड किया जाता है तो उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं की जानी चाहिये। जिस प्रकार से आपने आजकल अखबारों में पढ़ा होगा न्याय पालिका में भी भ्रष्टाचार फैला उसके प्रभावी नियन्त्रण के लिये न्यायिक अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी नियन्त्रण करने के लिये अनिवार्य सेवा निवृत्ति कर दी जाये तो काफी अंकुश लगाया जा सकता है। मैं मेरे क्षेत्र की बात रखकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हुआ, समाप्त करें।

श्री नवरतन राजोरिया : मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में चार नगर पालिकाओं में थाने खुले हुए हैं। वह 15-20 साल पूर्व खोल गये थे। जनसंख्या का अनुपात बढ़ चुका है और अनेक अपराध भी बढ़े है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि एक नया थाना फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में खोला जाये। इसी प्रकार बधाल करनसर, पचगौडिया में तीन नई चौकियां स्थापित की जाये। साथ ही आज जिस प्रकार से अपराधी आधुनिक तकनीक अपनाते हैं, आधुनिक संचार व्यवस्था के माध्यम से चाहे मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, चाहे कम्प्यूटर के माध्यम से या तेज गति के

(श्री नवरतन राजोरिया)

वाहनों के द्वारा अपराध में लिप्त होकर फरार हो जाते हैं मैं चाहूंगा कि पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये उनको समुचित साधन, आधुनिक तकनीक से लैस, आधुनिक तेज गति की जीप उपलब्ध करायी जानी चाहिये। आज थानों में देखने को मिलाता है 8-8, 10-10 साल पुरानी खटारा जीपे रहती हैं उनको आधुनिक किया जाये और सिपाहियों के लिये वेतन वृद्धि करने की भी मांग करता हूं, स्टाफ बढ़ाया जाये यह निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस एवं कारागार पर आज के इस कटौती प्रस्ताव में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग मुख्य रूप से पीडित पक्ष को न्याय दिलाने के लिये, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कार्य करता रहा है और कार्य कर रहा है। लेकिन आज के हालात में यह देखा जा रहा है कि पुलिस विभाग के अधिकारी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं के इशारों के ऊपर जिस प्रकार से अपनी कार्यशैली को बदलते है उससे आम आदमी पीडित होता है। और वास्तविक रूप से वह पीडित व्यक्ति जो न्याय की आशा में थानों में और पुलिस अधिकारियों के पास जाता है वह महत पीड़ा के और अपने धन को गंवाने के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वही चंद अधिकारी हर सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ थानों में बदल बदल कर, स्थान बदल बदल कर वही पदों पर बैठे रहते है और राजनीतिक दल बदलने के साथ उनके प्रति जो एक तरीके से उनकी निष्ठा है, उस निष्ठा को उनके प्रति जाहिर करने लगते है। आज अगर पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसा कोई रोस्टर सिस्टम नहीं बनाया गया कि जिसके द्वारा अधिकारियों को सभी पुलिस महकमों में, सभी पुलिस विभागों में उनको 2-2, 3-3 वर्ष के लिये जब तक नियुक्त करने का प्रावधान नहीं किया जायेगा तब तक इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक और वो चंद पुलिस अधिकारी है जो केवल सिविल पुलिस में अच्छे पुलिस थानों में, अच्छे शहरों में पद स्थापित रहते है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो महज प्रताडित का जीवन जी रहे हैं।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

वह कहीं सी.आइ.डी. एस.बी. में बैठे हैं या सी.आई.डी.सी.बी. में बैठे हैं या आर्म्ड फोर्स में बैठे है। अध्यक्ष महोदय, जब तक ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा तब तक आम पुलिस अधिकारी में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के प्रति सोच नहीं बढ़ेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात भी सत्य है कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत कठोर नियम होते हैं अपना जीवन उनको बहुत कठोरता से निभाना होता है। इस हेतु उनको जितनी ज्यादा हो सके उतनी सुविधाएं दी जानी चाहिये। चाहे वह प्रमोशन से जुड़ी हुई हो, चाहे वह निचले स्तर के कर्मचारी हो, कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल उनकी चाहे वर्दी से जुड़ी हो, चाहे उनके प्रमोशन के नाम पर अभी आय सीमा छुट की बात हो, चाहे उनको अपनी ड्यूटी पर जाने के लिये यात्रा भत्ते की बात हो। इन सब में हम जितनी सुविधाएं उनको दे सकते हैं उन्हें दी जानी चाहिये। लेकिन बदले में उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह जिस महकमे से जुड़े हुए हैं वह महकमा न्याय प्रदान करने के लिये है न कि चंद व्यक्तियों के इशारो पर चलकर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का।

मेरा विधान सभा क्षेत्र जो कि बहुत बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और सीमांत क्षेत्र है इसलिए उसकी अलग महत्ता है। इसके साथ साथ वहां पर थानों की संख्या भी अन्य विधान सभा क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है। पुलिस अधिकारी भी वहां पर अन्य ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। लगभग तीन डी.एस.पी., दो इंस्पेक्टर और पांच सब इंस्पेक्टर हैं। माननीय सदस्य तकदीर का बखान कर रहे थे। आज के राज में वहां पर चुन चुन कर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और न सिर्फ छोटे मोटे मुकदमे बल्कि हत्या जैसे मुकदमों में निर्दोष को जेल में और दोषी खुले आम फिर रहा है, यह है तकदीर। लोगों को सट्टे और जुंए जैसे आरोपों में घेर कर उन पर मुकदमें बनाये जा रहे हैं। खेत का मालिक अपने पारिवारिक विवाद को अपने खेत या घर तक सुलटाने का प्रयास करते हैं लेकिन उन विवादों को थानों तक लाकर और अगर उनका कोई हमदर्द बीच में आता है तो उस हमदर्द को भी तुरन्त थाने में बंद किया जा रहा है। जबरन दुकानों में जाकर किन्हीं और का माल उठाया जा रहा है। बदले में उनके द्वारा अगर मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो उस मुकदमें में एफ.आर. लगाकर उल्टे उन पर कार्यवाही की जा रही है। यह स्थिति पुलिस प्रशासन की वर्तमान समय में

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

चल रही है

इससे अलग हटकर ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं हैं, अध्यक्ष महोदय, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि सुदूर क्षेत्र में जो लोग बैठे हैं उनके पास कोई आवागमन के साधन नहीं होते हैं। उनके वहां स्थानीय साधन हैं, उस साधन से ही वह अपने नजदीक कस्बे या मण्डी तक आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बसों की व्यवस्था नहीं है। आज यह जानकर कि इस क्षेत्र विशेष के, इस गांव विशेष के व्यक्तियों ने पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान किया है इसलिये वहां के लोगों को प्रताडित किया जाए, उनके उन छोटे-मोटे साधनों को भी पकड़ा जाता है, उनको बंद किया जाता है, जलील किया जाता है। वहीं दूसरी और खुले आम सड़कों के ऊपर चोरी का अवैध खनन करके माल भरकर ट्रक चलाते है, उन ट्रकों से माहवारी वसूली जाती है और उनके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। न सिर्फ इतना, बल्कि इससे ऊपर उठकर व्यक्तियों को आइडेंटीफाई करके और वहां के जो जन-प्रतिनिधि है, न सिर्फ उनके है बल्कि उनके पूर्वजों के नाम तक लेकर उनको अपमानित किया जाता है। यह वर्तमान में कार्यशैली चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कम शब्दों में यही निवेदन करना चाहता हूं कि थाना लूणकरणसर में 4 जनवरी को एक एफ.आई.आर. दर्ज होती है, मुकदमा संख्या-4, एक किसान ने अपना धन इकट्ठा करके जमीन खरीदी। उस जमीन की उसने रजिस्ट्री करवायी, उसने उस खेत को काश्त करना शुरू किया। उसके कई दिनों बाद, कई वर्ष बाद खेत का अचानक एक मालिक निकलकर आता है। वह कहता है खेत का मालिक मैं था। अध्यक्ष महोदय, उस रजिस्ट्री पर फोटो लगी हुई है बेचने वाले की। लेकिन बेचने वाले लो पकड़ने के बजाय खरीददार को जेल में बन्द कर दिया जाता है। यह कार्य शैली है। जबकि न्याय यह कहता है कि कौन वास्तव में फर्जीवाड़े के अन्दर है उसकी जांच की जाए। उसकी कोई जांच नहीं की जाती है, न फोटो की कोई तस्दीक की जाती है। इसी तरह से एक मुकदमा दर्ज होता है एफ.आई.आर. संख्या 44, थाना लूणकरणसर, दिनांक 10.2.2004। एक व्यक्ति की गांव वालों में चन्द लोगों से आपस में नाराजगी होती है। उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको यातनाएं दी जाती हैं और यातनाओं में उसकी आंखे तक फोड़ दी जाती है। उसके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया जाता है लेकिन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सांठगांठ करके हत्यारे बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष जेल के अन्दर बैठा है। एक हत्या जैसे संगीन अपराध के अन्दर इतनी मानवता भी उपज कर आती है कि कम से कम हत्यारे तो छूट जाएं लेकिन निर्दोष तो जेल में न जाए। इसी तरह से एफ.आई.आर. संख्या-78, थाना लूणकरणसर, दिनांक 2 अप्रैल, 2004, एक चना चोरी का मामला दर्ज किया जाता है। जो व्यक्ति इसक अन्दर यह बताने के लिये जाता है कि यह चोरी का मामला नहीं है उस व्यक्ति को धारा 120 बी के अन्दर पकड़कर अन्दर कर दिया जाता है। एक व्यापारी के यहां पर वही चना मौके पर उस थाने से लगभग सवा-सौ किलोमीटर, दूर बरामद करने के लिये पुलिस रेड डालती है, वह व्यापारी यह बताता है कि मैंने यह चना इस व्यक्ति से खरीदा था। उस व्यक्ति की गिरदावरी रिपोर्ट में दर्ज होता है कि उसके यहां चने की उपज हुई, उसने बेचा। लेकिन एक नहीं सुनी जाती है, उसका चना जब्त कर लिया जाता है। मुकदमा वह जब दर्ज कराता है, मुकदमा दर्ज नहीं होता। इस्तगासे के मार्फत उसके मुकदमें को दर्ज कराया जाता है तो 4 दिन में एफ.आर. लगा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह विभाग न्याय दिलाने के लिये है। आज हम जब तक इसके अन्दर इस तरह का कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाएंगे कि चन्द व्यक्ति थानों में बैठे रहते है जब तक उनका रोस्टर सिस्टम लागू नहीं किया जाएगा तब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा।

श्री अध्यक्ष : कृपाया समाप्त करें, अब। आपको 10 मिनट हो गये हैं बोलते हुए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, अन्तिम एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

इसके साथ, चूंकि सीमान्त क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अल्पसंख्यक समुदाय भी वहां पर निवास करता है। समय-समय पर उनको चाहे उनका रिश्तेदार आता है, या कुछ भी है, पूछताछ के बहाने से नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है जो कि साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला होता है । मैं इस मौके पर यही निवेदन करूंगा कि पार्टीवाजी से ऊपर उठकर जब तक यह पुलिस प्रशासन काम नहीं करेगा तब तक आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। इनको न्याय दिलाने के लिये इसके अन्दर कोई व्यवस्था करवायी जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द ।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-16 और 17 पर, आपके माध्यम से हमारे माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण विभाग पर अपने सुझाव रखे हैं, मैं भी अपनी बात को शामिल करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लिये हुए विभाग है। जिस क्षेत्र में शान्ति होगी, जिस इलाके में कानून-व्यवस्था ठीक होगी हर तरीके का मामला सुव्यवस्थित चलता है। मैं कहना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यो ने पुलिस प्रशासन पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और निश्चित रूप से पुलिस कांस्टेबल से लगाकर इंस्पेक्टर तक जिन 24 घण्टों का उपयोग लिया जाता है निश्चित रूप से उनको व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में, परिवहन व्यवस्था हो, चाहे मैस भत्ता हो, आदि बातों पर निश्चित रूप से सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से पुलिस विभाग में सभी कर्मचारी और सभी अधिकारीगण हम एक जैसा नहीं कह सकते है। क्योंकि पुलिस के महकर्मे में ट्रेनिंग के समय काफी उनको प्रशिक्षित किया जाता है। कानून व्यवस्था के बारे में किस तरीके से संवेदनशील रहना, कर्तव्यों के बारे में किस तरीके से आगे सारे विभाग को बढ़ाना, इन महत्वपूर्ण जवाबदारी के साथ में पुलिस की जितनी जिम्मेदारियां जो आज हम देख रहे हैं जो जितना भी वातावरण, जितना भी अच्छा हम समझें, यह कहीं न कहीं पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी वजह से भाईचारा, सदभावना और शांति का माहौल व्याप्त है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस इलाके की और से हमारे गृह राज्य मंत्रीजी बैठे हुए है, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि हमारा बांसवाड़ा जिला राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र जो गुजरात और मध्य प्रदेश से लागता हुआ क्षेत्र है, यह बीहड़ जंगलों से लगता हुआ क्षेत्र है। आज से महीना भर पहले बांसवाड़ा जिले का जो सरवन का जो कस्बा है, रात को 10 बजे सौ लोगों ने मिलकर एक दुकानदार के ऊपर हमला किया, सौ लोग इतने हथियार-बंद थे। गांव के आस-पड़ौस में हल्ला हुआ और वहां पर लोग दौड़कर आये लेकिन दूर से अतनी फायरिंग हुई और किसी की हिम्मत नहीं हुई। आधा-घंटे तक सारा व्यापारी के यहां पर डाका डाला गया। जितना भी उस व्यापारी के पास माल था वह सारा का सारा ले उड़े।

(श्री जीतमल खांट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे सीमावर्ती गुजरात और मध्यप्रदेश का इलाका है, वहां पर स्थाई चौकियां जब तक आप कायम नहीं करेंगे, क्योंकि मध्यप्रदेश का इलाका जो पहाडियों से बिलकुल सटा हुआ है और अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी है कि यहां पर दिन में भी आदमी चाहे हथियार से हो या चाहे बिना हथियार के, उस इलाके में घुस नहीं सकता है। (व्यवधान) अरावली पर्वत श्रृंखला कही जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गुजरात और राजस्थान की जो सीमा है, जो सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पर तीन स्थाई चौकियां कायम की जाए ताकि जो आये दिन कभी परिवहन की बसों को लूटा जाता है, कभी हमारे इलाके से लगती हुई, किसी छोटे कस्बे पर धावा बोला जाता है, आये दिन की इन घटनाओं को रोकने के लिए आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका बहुत ज्यादा गुजरात से भी सटा हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस जैसा महकमा कितनी गम्भीर है और वह अगर पुलिस जैसा महकमा गम्भीर नहीं रहा तो निश्चित रूप से सभ्य समाज के लिए, कानून व व्यवस्था के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक माना जाएगा। मैं चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा है जो गुजरात की सीमा से सटा हुआ है, वहां पर पुलिस थाना आनन्द पुरी और पुलिस थाना सरलोपाट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा पुलिस थाना आनन्दपुरी और पुलिस थाना सरलोपाट में कुछ ऐसे कांस्टेबल और हैड-कांस्टेबल हैं जो शराब यहां पर एक बोतल दस रुपये में मिलती है तो वह बोलत गुजरात के अन्दर चली जाती है तो 25 रुपये में उसको मिलती है। तो वहां पर कुछ इस तरह के लोग हैं जो पुलिस महकमे में लगे हुए हैं। वे लोग दिनभर अपनी ड्यूटी बजाते हैं और शाम को उन्होंने अपने पास में जीपें ले रखी हैं। सीधे वर्दी उतारकर अपनी सिविल ड्रेस में गुजरात जाकर शराब बेचकर वापस आते हैं। इस तरीके की घटनाएं बांसवाड़ा के एक क्षेत्र में है। वहां के जो हालात है, थाना सरलोपाट और थाना आनन्दपुरी में इस तरह के हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इतना ही नहीं पिछली बार गुजरात के अन्दर कच्छ और भुज के अन्दर भूकम्प आया थ। सारे देशभर के लोगों ने, कई स्वयं सेवी संस्थाओं ने ट्रकों बंद वहां पर राहत पेकेट भेजे।

(श्री जीतमल खांट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक दिन का समय था कि वहां पर पुलिस के सुपरिटेंडेंट साहब उस इलाके का मौका मुआयना करने पहुंच गये। उस भूकम्प पीडितों के लिए ट्रकों में जो बंद राहत सामग्री जा रही थी, वह इस शंका के घेरे में आकर पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब ने एक ट्रक की जांच कर ली। उस ट्रक के आगे लिखा हुआ था भूकम्प पीडितों को राहत सामग्री और अन्दर खोलकर देखा तो सारा ट्रक बोतलों से भरा हुआ था।

श्री अध्यक्ष : काहे से भरा हुआ था ?

श्री जीतमल खांट : सारी शराब की बोतलें भरी हुई थीं। दारु की बोतलों से। तो यह बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष : अब आपका एक मिनट का समय बचा है।

श्री जीतमल खांट : मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। इतना ही नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के यह जो गुजरात की सीमा से सटे हुए थाने हैं, अध्यक्ष महोदय, यदि फरियाद करने के लिए कोई व्यक्ति आता है। जब तक पुलिस कांस्टेबल या वहां पर ए.एस.आई. या सी.आई. जब तक पैसा वसूल नहीं करता है जब तक उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे राज्य मंत्री श्री भवानी जोशी वहां पर मौके पर गये थे अभाव अभियोग सुनने के लिए तो वहां के पुलिस के यह सारे काले कारनामें हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री भावानी जोशी के सामने भी रखे थे। मैं चाहूंगा कि जो हमारे यह सीमावर्ती थाने हैं, उन थानों में कांस्टेबल से लेकर सी.आई.तक वह दर्द लेकर आता है, उससे कम पैसा वसूल नहीं किया जाता है बल्कि वहां पर बैठे दो कांस्टेबल उसको इस तरीके से उलझाते हैं कि कम से कम पांच हजार रुपये जब तक वह नहीं देता है, तब तक उसकी एफ.आई.आर. लाज नहीं होती है। और इतना ही नहीं वहां पर दो कांस्टेबल ऐसे तैयार बैठते हैं कि सामने वाले को, जिन लोगों पर मुकदमा बनाया है, उन लोगों को पेन-केन तरीके से बुलाकर क्रास मुकदमा इसके ऊपर फांद दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति इतनी खराब है कि कानून व व्यवस्था के नाम पर मैं सारे अधिकारियों और पुलिस महकमे के ऊपर कोई प्रश्नवाचक नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन बांसवाड़ा के उस ग्रामीण इलाके के अन्दर आदिवासियों की बड़ी दुर्गति के साथ उनको लूटा जा रहा है। आज मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के सात महीने हुए हैं लेकिन आज ऐसा लगता है कि ग्रामीण इलाकों में जाओं तो पुलिस तंत्र को कोई सम्भालने वाला, कोइं देखने वाला, कोई धणी-धौरी नहीं है, इस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि हमारा जो बांसवाड़ा सम्पूर्ण रूप से ट्राइबल बेल्ट है। वहां पर सारे आदिवासी लोग रहते हैं और सरे आम वहां के अधिकारी इन गरीबों की जेबों को काटने में लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि गृह राज्य मंत्रीजी, उस इलाके का आप दौरा करें और कटारियाजी इस क्षेत्र के रहने वाले हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वे ज्यादा गम्भीर हैं। अगर गम्भीर होते तो बांसवाड़ा के अन्दर तैनात एक उप निरीक्षक है, जिसने प्रेस कान्फरेंस बुलाकर उच्च पदों का दुरूपयोग करना, हत्या और अपहरण जैसे संगीन मामलों में फंसाने की साजिश रचकर गम्भीर आरोप लगाया था और यह बड़े-बड़े अखबारों में छपा है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट : तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्री हमारे उदयपुर सम्भाग के रहने वाले हो और वे उस पुलिस सब इंस्पैक्टर ने उदयपुर डी.आई.जी. पर इस तरीके के गम्भीर आरोप लगाये और कई दिनों तक यह पूरा का पूरा मामला अखबारों की सुर्खियों में रहा लेकिन इसके बावजूद भी गृह राज्य मंत्रीजी ने और गृह मंत्रीजी ने क्या एक्शन लिया, वह मुझे मालूम नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि उदयपुर सम्भाग हमारा आदिवासी बेल्ट है। वहां पर पुलिस महकमे के माध्यम से गरीबों को लूटा जा रहा है। उस पर

(श्री जीतमल खांट)

सरकार ध्यान दे और गरीब की सहायता करे क्योंकि गरीब के लिए सरकार का नारा है कि अशक्तों को, निर्बल को सबल किया जाएगा और आज हमारी जेब काटी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट : मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जहां भी भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके से लगे हुए हैं उनको तत्काल हटाया जाए और गरीबों की सहायता देने वाले लोगों को लाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद ।श्री पुष्पेन्द्र सिंह ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य ने कहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत माला जो बांसवाड़ा में, गुजरात का हिस्सा है, वह अरावली पर्वत माला नहीं है।

श्री जीतमल खांट : क्या है बताइये ?

श्री विष्णु मोदी : अरावली नहीं है, वह डैकन ट्रेक है और अभी अरावली के बारे में जब हाई कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में अरावली की डेफिनेशन हो गयी।

श्री जीतमल खांट : ये अदयपुर संभाग सारा अरावली पर्वत शृंखला से जुड़ा हुआ है माननीय सदस्य।

(18.29 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

श्री श्रवण कुमार : मोदीजी, आदिवासियों का कितना गंभीर मामला है।

श्री सभापति : पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16 और 17 पर मैं आपको पुलिस और कारागार के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। लगभग पिछले 6 महीनों में मैनें यह देखा है कि पुलिस की जो कार्यवाही है और जो उसके अपराधी है उनको पकड़ने में, उनके खिलाफ एक्शन करने में, जिस तरीके से वह काम कर रहे हैं, यह मैंने पिछले पांच साल में कभी पाया नहीं। हमारे क्षेत्र में कई लम्बित प्रकरण थे जिनको तत्कालीन सरकार सुलझा नहीं सकी और इन 6 महीनों में ऐसे कई प्रकरणों में अपराधियों को पकड़ा गया है। देसी घी का मामला, जो जोधपुर संभाग में था, मैं कह सकता हूं कि हर छोटे-मोटे कस्बों में इसका व्यापार चल रहा था। पिछले पांच साल में किसी ने इसकी तरफ कभी इसको देखा नहीं और छह महीनों में जितने केसेज पूरे जोधपुर संभाग में देसी घी में मिलावट के पकड़े गये और इनके ऊपर केस किये गये। यह राजस्थान के लिये एक इतिहास है। मोटरसाइकिल वाहन चोरी, ऐसे कई प्रकरण हमारे इस क्षेत्र में जो पिछले कई समय से लंबित थे, वह गिरोह पकड़ा नहीं गया था, आज दिन तक उसका कोई मालूम नहीं था। इन पिछले 6 महीनों में इतने गिरोह पकड़े गये, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और आगे लोगों की कितनी मोटर साइकिलें बरामद हुई हैं, कितनी गाडियां बरामद हुई हैं। यह छह महीने में इस सरकार के आने पर ही सभी व्यवस्था हमने पायी है।

मेरे क्षेत्र में जब कांग्रेस सरकार राज कर रही थी तो विरमपुरा काण्ड में दो हत्याएं हुई थीं। मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिन लोगों ने उसकी हत्या की अगर उस पूरे मामले की जांच करें तो तत्कालीन सरकार के कई वरिष्ठ राजनेता उस गांव के खिलाफ चल रहे थे और इन व्यक्तियों के खिलाफ बीस असत्य मुकदमे दायर किये गये। ऊपर से उन पर दबाव था और उस दबाव के कारण 20-25 मुकदमें उन लोगों के खिलाफ, गांवों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये। उन गांवों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। अगर कोई झूठा मामला होता तो उसमें उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होती और उनके खिलाफ चालान पेश हुए। इस स्थिति को बढ़ते हुए एक पुलिस कांस्टेबल ने एक महिला के साथ, उसी गांव की महिला के साथ कोई छेड़छाड़ की। उसने जब अपनी कम्पलेन्ट लिखाई कि मेरे घर पर आने से, तो उन्होंने खाली रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद उस महिला के साथ जो

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मारपीट की पुलिस ने, उसके बाद में यह हत्याकाण्ड हुआ बीरमपुरा में। आज यह हाल है कि सरकार ने तुरन्त प्रभाव से जो भी चौकियों और थानों पर काम करने वाले कांस्टेबल थे, उनको तुरन्त प्रभाव से हटा दिया उनको जो लोग इसमे जुड़े हुए थे। मेरा यही कहने का मतलब है कि राजनेताओं को पुलिस से दूर रहना चाहिये। वह जब कार्यवाही करते हैं तो उनको मालूम है कि वह कार्यवाही सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे है। उस पर नजर रखें, पर बार-बार हस्ताक्षर करने, उस पर दबाव डालने तथा झूठी एफ.आई.आर.दर्ज करके उसके खिलाफ चालान पेश करने से उसका यह हश्र हुआ।

बेड़ा गांव में बस स्टेण्ड पर मोटर वाहन के पीछे दो जनों के आपस में लड़ाई हुई। उस लड़ाई को देखते हुए दूसरे दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक व्यक्ति को पीटा गया और पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पूरा गांव इकट्ठा होकर जब पुलिस चौकी पर जाने लगा तो उस चीज को सरकार ने एक साम्प्रदायिक दंगा घोषित करके चार ऐसे मुकदमें जिनकी संख्या 214/2002, 242, 243, 244/2002 दर्ज करके ऐसे आदमियों को झूंठा फंसाया है। मैं चाहता हूं सरकार इस बारे में थोड़ा ध्यान दे और अगर यह झूठा प्रकरण है तो उनके चालान जो हो गये हैं उनके खिलाफ कुछ सुनवाई हो।

इसी प्रकार मेरा यही कहना है कि पुलिस प्रशासन को अगर हम कानून-व्यवस्था को सही रखना चाहते हैं तो सबसे पहले सिपाही को और मजबूत बनाना होगा। आज उसकी तनख्वाह मात्र 3500 रुपये है। उसकी तनख्वाह सात-आठ-नौ हजार रुपये बढ़ाई जाये। उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जाये तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि सिपाही अपनी ईमानदारी से काम करेगा।

मुझे आज भी मालूम है ऐसे कई इंसपेक्टर्स हैं जो आज ईमानदारी से काम करते हैं। एस.पी. भी उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसी प्रकार सिपाहियों को अगर अच्छा भत्ता, अच्छी सेलेरी मिल जाये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी सर्किल इंसपेक्टर या सब-इंसपेक्टर अगर वह

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)
जो काम कर रहा है उसमें कभी भी बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धीरे-धीरे पुलिस का ईमानदारी से काम करना स्टार्ट होगा।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र से मैं बताऊं एक बेड़ा और नाना दो चौकियां हैं। मैं गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन थाने में दो चौकियां हैं, 15-15 गांव इन दोनों चौकियों के नीचे आते हैं। अगर कोठार पर एक और चौकी बन जाये क्योंकि वहां मात्र पांच कांस्टेबल है। एक हैड मुंशी है और 13-14 गांव एक चौकी के नीचे होने से वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। वहां काफी चोरियां हो रही हैं। चोरियां लगातार बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में अगर अकाल पड़ गया तो मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूं चोरियां और बढ़ेगी। मंदिरों में ज्यादा चोरियां हो रही हैं। कई ऐसे लम्बित प्रकरण है जिसमें हम आज भी चोर को पकड़ नहीं पाये हैं। इनकी संख्या बढ़ेगी इसलिए कोठार या मांडलू में एक नई चौकी का मैं प्रस्ताव करता हूं और एक और निवेदन करता हूं तत्कालीन सरकार ने सभी सिपाहियों को सी.ओ.सर्किल के बाहर पोस्टिंग करने के लिये एक कानून बनाया था। मेरा एक निवेदन है कि अगर इस कानून को बदला जाये और उनको एक थाने के अलावा सी.ओ.सर्किल के अंदर अगर उनकी पोस्टिंग करने के लिये एक कानून बनाया था। मेरा एक निवेदन है कि अगर इस कानून को बदला जाये और उनको एक थाने के अलावा सी.ओ. सर्किल के अंदर उनकी पोस्टिंग हो जाये तो उन सिपाहियों को, जिनको मात्र 3500 रुपये देते हो और हमेशा 24 घण्टे आपकी सेवा में तैयार रहते हैं। वह किसी कैसे पर भी प्रभावित नहीं होता और थाने में अगर उस थाने को छोड़कर दूसरे थाने में अगर उसकी नौकरी रहेगी तो निश्चित रूप से वह अच्छा काम करेगा। अपनी घर की तरफ जाने की थोड़ी कम इच्छा रहेगी। हम उसको प्रोत्साहन देंगे अच्छा काम करने के लिये। आपने मुझे बोलने के लिये टाइम दिया उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित) श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस महकमे की मांग पर मैं अपने विचार रखना चाह रहा हूं। पुलिस की कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। कुछ मेरा तरफ से सुझाव देने

(श्री रामचन्द्र सराधना)

की कोशिश करूंगा। मान्यवर, इस महकमे पर जो बहस हो रही है। सबसे पहले तो मैं उन माननीय सदसयों की तरफ कहना चाहूंगा जिनको यह भ्रम हो जाता है कि सरकार बदलने से अपराध बढ़ जाते हैं और सरकार बदलने से अपराध घट जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं जो विपक्ष में बैठते थे ऐसी बौछार किया करते थे कि पुलिस महकमा बहुत खराब है और हमारे उधर बैठने वाले उनका प्रोटक्शन किया करते थे। लेकिन आज उधर से जो बोला करते थे उधर प्रोटक्शन देने की बात करते हैं। मैंने किसी माननीय सदस्य को ऐसा नहीं देखा या किसी मंत्री महोदय को भी नहीं देखा जो कह दे कि मेरे महकमे की गलती है, मैं इसको ठीक करूंगा। गलती होते हुए भी उस पर चादर डालने की कोशिश करता है। पुलिस महकमे के अधिकारी बैठे-बैठे देखते रहते हैं कि यह अपने आप उलझे रहें, हमारे तक आनी ही नहीं यह बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हकीकत को स्वीकार करना चाहिए, चाहे पक्ष में हों चाहे विपक्ष में हों।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। महकमा वो का वो है। किसी माननीय सदस्य ने कहा भी था कि यह कांग्रेस के ही तो सारे आदमी हैं। यह ने कांग्रेस के हैं न यह बी.जे.पी. के हैं, यह तो नियंत्रण करने वाले हैं, मानीटरिंग करने वाले हैं उनको देख कर अपने आप रुख बदल लेते हैं कि यह क्या चाहते हैं और वैसा ही काम करने लग जाते हैं। अपराधों में कमी जरूर आती है, बढ़ोत्तरी जरूर होती है। असर यही होता है आदमी का या प्रशासन का या उस पार्टी का या उस सत्तारूढ़ पार्टी का, गृह मंत्री का या मुख्य मंत्री का कि उनके रूख को पहचान कर होता है।

राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं अभी 5-6 महीने में हुई है, खास तौर से 2-3 महीने में हुई है कि जिनके भाई, पिताजी, जिनके चाचा राजनीति में आये, विधायक बने, मंत्री बने, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों और उनके परिजनों ने भी अपराध किये। पुलिस पर तो कई तरह के आरोप भी लगाते हैं लेकिन पुलिस की भी बड़ी मजबूरी है। जिन लोगों को पुलिस देखा करती थी, मैदान में ढूंढ़ा करती थी कि कहां मिलेंगे जब वो सत्ता में आकर बैठ जाते है उनकी मजबूरी है। हो जाती है कि अब इसका क्या करें। सत्ता में

(श्री रामचन्द्र सराधना)

आने वाले इन्सान को सही मायने में वह जब लोक सेवा में आता है। तो उसको भी समझ लेना चाहिए कि मेरा कोई परिजन यदि गलती से कहीं गलत कर देता है या कोई अपराध करता तो सबसे पहले पुलिस को जाकर पकड़ा देना चाहिए लेकिन यह परेशानियां हैं। अब बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जिन लागों के पीछे-पीछे पुलिस पकड़ने के लिए घूमा करती थी जब वे संसद में और विधान सभा में पहुंच जाते हैं तो पुलिस भी हाथ उंचे कर के खड़ी हो जाती है। इसलिए राजस्थान में यह भावना नहीं पनपने पाये इसके लिए पक्ष और विपक्ष के सभी राजनीति करने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की सही मायने में जाकर मदद करेंगे तो अपराध घटेंगे।

पुलिस की वहां परेशानी हो जाती है जहां हमारा हस्तक्षेप शुरू हो जाता है और हस्तक्षेप इस कदर शुरू हो जाता है कि राजनीति करने वाला आदमी अड़ कर बैठ जाता है। पुलिस महकमे के अधिकारीयों को भी मैं इस बात के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह भी अपनी आत्मा को मारे नहीं, आत्मा को कमजोर नहीं पड़ने दे। इधर से उधर हो सकते हैं श्याम नगर से राम नगर जा सकते हो, आपने कोई घटा-बढ़ा नहीं सकता, इधर-उधर नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा के मजबूत होकर के निर्णय किया करें, इन नेताओं के केवल टेलीफोन से आप निर्णय बदल लेते हैं तो जनता के साथ बड़ा अन्याय होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्याम नगर से क्या मतलब है ?

श्री रामचन्द्र सराधना : श्याम नगर का मतलब घनश्यामजी से नहीं है। मान्यवर, मैंने तो एक निवेदन किया है।

कई बार जो व्यक्ति पुलिस की शरण में जाता है वह पुलिस की मदद लेने के लिए जाता है, वह भी इतना मायूस हो कर जाता है, इतना परेशान होकर जाता है कि या तो पुलिस उसकी मदद करेगी या ईश्वर उसकी मदद करेगा। पुलिस में जाकर भी उसको मदद नहीं मिले तो उसकी हालत इस तरह की हो जाती है जैसे कई बार हमारे माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और आसन की तरफ से ऐसी टल्लम-टल्ली मार दी जाती है +++ हम भी असहाय हो

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जाते है। इस तरह से कई लोग थानों में जाकर भी असहाय हो जाते हैं। इसलिए थाने वालों से या पुलिस महकमें के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वे मजबूरी से अपना निर्णय दें और मजबूती से अपना अन्वेषण करें जिसके कारण लोगों को लाभ मिले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आसन के बारे में कहे गये शब्द हटा दिये जाएं।

श्री रामचन्द्र सराधना : इस प्रक्रिया में सुन्नता है, शून्यता नहीं। सुन्नता की बात कह रहा हूं। सुन्नता इस बात की है कि यह जानते हुए कि वाकई अपराध हुआ है, और इस आदमी के साथ अन्याय हुआ है उसको लाभ नहीं दे पाते।

एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। एक दिसम्बर को चुनाव का दिन था, मेरे इलाके में कोई घटना नहीं हुई, कोई झगड़ा हुआ नहीं और पुलिस महकमे के किसी एक अधिकारी ने, किसी से वह एफिलिएटेड था, अपनी रूचि लेकर झूठा मुकदमा बना कर और 8 आदमियों को उसमें फंसा दिया। वह फाइल 6 बार आई.जी. तक चली गयी, ए.डी.जी. तक चली गयी और पुलिस वालों ने एक नया तरीका अपना लिया स्कूटनिंग के नाम से और काम कर दिया, उसमें अन्वेषण करने का काम बंद कर दिया। स्कूटनिंग के नाम से फाइल आती और चली जाती है, तीसरे दिन वापस लौटा दी जाती है। मैं अधिकारियों से भी गृह मंत्रीजी के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास में कोई फरियाद लेकर आता है तो दुःखी मन से आता है, कोई सच्चाई जानने के लिए आता है, न्याय लेने के लिए आता है। यह लेने के लिए नहीं आता कि आप मेरे साथ अन्याय करेंगे या फाइल को लौटा देंगे। 6-6 महीने तक फाइल लौट कर चली जाती है, उस पर निर्णय नहीं हो पाता। एक तो फाइल चंदबाजी थाने की थी, एफ.आई.आर. नम्बर 281 है, उस पर निर्णय नहीं हुआ और फाइल इधर से उधर डोलती फिरी, 8 आदमी, जिनमें तीन आदमी गांव में नहीं थे, उन पर मुकदमें बन गये। पुलिस में यह जो सुन्नता आ रही है, पुलिस में जानते हुए सुनते हुए भी अनसुनी करने का एक दौर चल पड़ा है यह बड़ा नुकसानदायक है।

मैं चंदबाजी की एक बात बता रहा था कि दो जुलाई को रात 11 बजे एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ और टेलीफोन के खम्भों को तोड़ा और एक खम्भे की

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जगह चार खम्भे एक साथ टूट गये, सात दिन तक टेलीफोन लाइन बंद रही। सवेरे टेलीफोन महकमे के लोग आकर कहते हैं कि हमारा खम्भा तोड़ गया, कोई ट्रक आया था। पुलिस वालों ने कहा हमें तो मालूम ही नही जबकि पुलिस वालों ने क्रेन मंगवायी है, पुलिस वालों ने उसको उठाया है, रात की रात फीलगुड कर के उसको पार कर दिया। आज तक उसकी अफ.आई.आर. लाज नहीं हुई। उस महकमे के जो अधिकारी वहां मौजूद थे, जिनके सामने सारा कामकाज हुआ, रात की रात उस गाड़ी को दूसरी बदल कर भेज दिया। एफ.आई.आर. लाज करने के लिए तैयार नहीं, सारा इलाका सात दिन तक टेलीफोन की व्यवस्था से पीड़ित रहा।

एक निवेदन यह कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले चंदबाजी थाने का मामला है, चिताणु गांव का रहने वाला एस.टी. का लड़का था, उस पर जबरदस्ती का नाम लगा दिया चोरी करने का। उसको मालूम ही नहीं था। तीन दिन बाद गांव में आया तो लोगों ने कहा कि तेरे खिलाफ चोरी करने का मुकदमा बना दिया। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वाले डरा रहे थे, धमका रहे थे और कह रहे थे तुझे मारेंगे नहीं तो पैसा दे। गरीब आदमी था, पैसा नहीं था उसके पास और पोइजन खाकर मर गया। उसका मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ। हालात खराब है पर सभी जगह नहीं है पर जहां हालत खराब है वहां ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां गलती हुई है उसको स्वीकार भी करना चाहिए।

सभापति महोदय, परिवहन चैकिंग की बात करते हैं। कई बार देखते हैं कि पुलिस जब पीछा करती है तो गाडियां उलट-पुलट हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है, यहां तक कि मृत्यु हो जाती है। चैकिंग का भी कोई ऐसा तीरका अपनाया जाए। उस तरीके में जहां से गाड़ी भरती है वहां चैकिंग नहीं होती, जहां गाड़ी खाली होती है वहां चैकिंग नहीं होती। जब गाड़ी भरकर रवाना हो जाती है बीच में जाकर पुलिस वाले चैकिंग करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि या तो सवारियों को परेशान होना पड़ता है या वह कच्चे रास्ते से घूम कर गाडियां जाती है या उनको दंडित करने की कोशिश की जाती है। क्यों नहीं आपकी एक चौकी वहां लगा दी जाए जहां पर गाड़ी भरती है, अवैध वाहन चलते हैं। वहां सवारियां नहीं बैठेगी। पहले तो

(श्री रामचन्द्र सराधना)

भरते हैं, उससे हां करते है और फिर बीच में जाकर अपना कामकाज शुरू करते हैं।

मान्यवर, पुलिस महकमे पर बहुत आशा टीकी हुई है। कानून और व्यवस्था की जब बात आती है यह परिकल्पना की जा सकती है अपने द्वारा कि जब पुलिस महकमा नहीं हो तो हमारे समाज की क्या स्थिति हो ? निश्चित रूप से स्थिति बिगड़ जाए। पुलिस महकमे का हौसला बढ़ाया जाना चाहिए। पुलिस महकमे की मांगों पर जिस तरह से गाडियों की बात थी, कई थनों में गाड़ी नहीं है, कई थानों में टेलीफोन नहीं है और आज के इस आधुनिक युग में यदि यह व्यवस्थाएं थानों में नहीं होगी तो फिर कब होगी ? इसलिए मेरा निवेदन गृह मंत्रीजी से है कि थानों की सुविधाएं, जो भी आवश्यकताएं हैं इनको बढ़ाएं। कई थानों में तो नफरी बहुत ज्यादा है। पुलिस के अधिकारी औरकर्मचारियों की और कई जगह बहुत कम है, इसको भी संतुलित किया जाए। लेकिन जहां पर बहुत जरूरत है वहां पर निश्चित रूप से लगाया जाना चाहिए।

पुलिस महकमे के अधिकारी भी यहां बैठे हैं, इनकी भी व्यक्तिगत रूप से कई समस्याएं हैं जिन पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है और पुलिस के जो छोटे अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। 24 घंटे तक थाने में रहते हैं, अपने बाल-बच्चों को ढंग से संभाल नहीं पाते हैं। कई तरह से उनके भी काम्प्लैक्स पैदा हो जाते हैं। वह भी समाज के ही आदमी हैं इसलिए उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए, उनकी तनख्वाह पर भी ध्यान रखा जाए। अभी बाहर निकला तो लोग कर रहे थे, गृह मंत्रीजी कुछ हमारी तनख्वाह बढ़ाने की बात, कुछ मैस का भत्ता बढ़ाने की बात करेंगे क्या ? मैंने उनसे कहा तो है गृह मंत्रीजी बड़े दयालु हैं, बड़े समझदार हैं। शायद कुछ कर पायेंगे। लेकिन कर जब ही पायेंगे जब इनकी वित्तीय स्थिति ठीक होगी। लेकिन वित्तीय स्थिति तो खराब होने का कोई मायना ही नहीं रखता जब सारा नोन टैक्स अपना बजट आया है और सारा बढिया-बढिया काम चल रहा है। तो इस पुलिस महकमे के कर्मचारियों पर भी थोड़ा गौर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय जगसी राम कोली।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर) : सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रेबदर में आज से तीन साल पहले बिजली की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने एक सम्मेलन किया। उसमें पूर्व की सरकार द्वारा किसानों पर लाठियां और गोली चलायी। और किसानोंके जूते और पगडियां पूरे शहर में इधर उधर गांवों में किसानों को तितर-बितर कर दिया और पुलिस ने किसानों की बुरी तरह से पिटाई की और किसान दो दिन तक गांव में जंगलों में छिपे हुए बैठे रहे। किसान इतने पीडित थे कि बिजली का कोई समय निर्धारित नहीं था उस मांग को लेकर वहां आए थे।

मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि किसानों के साथ जो गलत व्यवहार किया उसके लिए पुलिस विभाग पर क्यों नहीं कार्यवाही की जाए और किसानों के जो मुकदमें चल रहे हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16 में कुछ निवेदन है। पिछले छह महीने से जिस दिन से वसुन्धरा जी ने...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस और कारागार की जो मांग संख्या-16 और 17 है, इसमें माननीय मंत्री महोदय का उत्तर और मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-16 पारित हो जब तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग संख्या-16 व 17 पर विचार

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : आदरणीय सभापति माहोदय, जिस दिन से वसुन्धरा जी ने राजस्थान का राज संभाला, हकीकत तो यह है कि चाहे वह दलितों पर अत्याचार हो चाहे वह महिलाओं पर अत्याचार हो, इस तरह की वारदातें बहुत अपने आप में कम हुई हैं। पुलिस विभाग अपने आप में अलर्ट हुआ है। इसके कई प्रकार के उदाहरण हमें मिले हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। मेरे प्रतिपक्ष के बंधु भी इस बात को ध्यान रखेंगे।

पिछले पांच वर्षो से गुजरात की बोर्डर से गाड़ी चोरियों का व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहा था। राजस्थान से ले जाकर गुजरात बेचते थे और वहां बोर्डर से लाकर यहां पर नम्बर बदलवा कर बेचते थे। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे पिदले पांच सालों से जो एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था, उस गिरोह का सरदार जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति था, परसों छह चोरी की गयी कारों को बेचने के संबंध में रंगे हाथों पकड़ा गया। वह था आहौर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष और वह पकड़ा गया। इस बात को सुनकर आप समझ लें कि पिछले पांच सालों से आपके राज में आपकी शह से वह काले धंधे कर रहा था। यह हमारी पुलिस ने निर्णय करके बताया है।

दूसरा उदाहरण, शांतिलाल भीमराज जी मूथा, सांचौर की गाड़ी एक गुण्डे बदमाश के द्वारा दिन दहाड़े तोड़ दी गयी और वह तोड़ने वाला व्यक्ति सभापति महोदय, जिस व्यक्ति पर पांच साल के अन्तराल में 39 केस चल रहे थे और चालीसवां केस अभी यह हुआ है और ऐसा व्यक्ति दिन दहाड़े घूम रहा है। पुलिस पीछे पड़ी है लेकिन वह अभी राजस्थान की सीमा पार हो गया है।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य पुलिस पर बोल रहे हैं या कांग्रेस के सदस्यों पर बोल रहे हैं, इनसे पहले यह पूछिए आप।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : नहीं, नहीं, मैंने कांग्रेस के सदस्य नहीं बोला है, मैंने यह कहा है कि जो आरोपी पकड़ा गया वह आज भी युवक कांग्रेस के ऊपर नहीं बोल रहा हूं। वह अपराधी है (व्यवधान) आपका स्वागत है, आपकी बातों का स्वागत है।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री महोदय को एक निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है, पुलिस विभाग पर टीका टिप्पणी बहुत चलती है। लेकिन पुलिस भी एक मनुष्य है। जो अधिकार पूरे समाज को मिलते हैं वह अधिकार पुलिस विभाग को भी मिलने चाहिए। पुलिस के अधिकारी अगर अच्छा कम करते हैं तो उन्हें एप्रीशिएट भी हम करें, उन्हें धन्यवाद भी दें, उनकी पीठ भी थपथपाएं हम।

अभी एक माननीय सदस्य ने बात उठाई थी मूर्ति काण्ड की। घीया मूर्ति काण्ड विश्व के अन्तरराष्ट्रीय बाजार में लंदन के अखबारें में भी छपा था। अरबों रुपए के अन्तरराष्ट्रीय मूर्ति काण्ड को जो उजागर किया वैसे घीया मूर्ति के कारण एक बड़े अधिकारी के इगो हर्ट के कारण उनकी प्रमोशन की फाइल दबा कर रखी है। मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जिस अधिकारी ने ऐसे ईमानदार अफसरों की जिन्होंने अरबों रुपए की तस्करी को खोला है, जिन्होंने अपने परिवार की चिन्ता नहीं की, जिनके परिवार को मारने की धमकी दी गयी उस घीया मूर्ति काण्ड के अन्दर, वैसे अधिकारियों की फाइल जो अधिकारी दबाकर बैठा है उस अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए और उन ईमानदार अफसरों को पुरस्कार और सम्मान देना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटी सी नार्मल बात है। पुरानी गाडियां पुलिस स्टेशनों में पकड़ी जाती हैं चोरी की, तस्करी की, इधर उधर की। वह जब पकड़ी जाती है लाख-दो लाख की गाडियां होती है। तीन-चार-पाँच साल पड़ी पड़ी भंगार में आखिर उसको लोहे वाले को बुलाकर भंगार के भाव में बेचा जाता है। ऐसा कोई न कोई नियम बनाया जाए कि कुछ समय उस गाड़ी को रखकर उसको नीलाम कर दी जाए जिससे वह जो रेवेंयू होगी वह हमारी सरकार में जमा होगी। ऐसा कोई प्रावधान करना चाहिए नहीं तो भंगार के भाव में उसकी मशीनें खोलकर तो कोई न कोई ले जाते हैं।

तीसरी बात मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे आहोर में साकरणा और देवावास में तीन दिन के अन्तराल में आठ ताले तोड़ गए। उस पर भी जरा कार्यवाही की जाए।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

एक और निवेदन मेरा पुलिस व्यवस्था पर है। पिछली सरकार ने डी.आई.जी. और आई.जी. और एस.पी. इनके बीच में एक बहुत बड़ा गेप कर दिया था। यह आई.जी. व्यवस्था है इसे वापस डिविजनल लेवल पर डी.आई.जी. व्यवस्था की जाए। एक जिससे एस.पी. और आई.जी. के बीच में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गेप रहता है, वास्तव में मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कुछ विशेषज्ञों के द्वारा इस बात पर भी बैठकर एक अध्ययन किया जाए और यह अगर वास्तविकता है तो आई.जी. की पोस्ट को खतम करके वापस डी.आई.जी. की पोस्ट लागू की जाए।

एक बात मेरी और है। जयपुर के अन्दर, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, कमिशनर व्यवस्था हो मेरी भी यह मांग है। पच्चीस लाख से ऊपर की आबादी हो गई है वास्तव में कमिशनर व्यवस्था यहां पर करनी चाहिए। आज की तारीख में 272, जयपुर में आए दिन किसी न किसी माध्यम से जूलूस होते हैं, आन्दोलन होते हैं। आखिर पुलिस और यातायात पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ती है लेकिन जानकारी के लिये, परमीशन के लिये कलक्टर के पास जाना पड़ता है। कलक्टर वापस पुलिस विभाग को पूछता है कि परमीशन दूं या नहीं दूं, यह जो समय का गैप होता है और बड़े शहरों में आज अन्तरराष्ट्रीय हीरे, जवाहरात की मण्डी है। इस मण्डी में कभी ऐसी कोई अनहोनी नहीं हो, 144 की धारा के लिये पुलिस अधिकारी को कलक्टर के पास पूछने जाना पड़ता है, उस गैप में कहीं अनहोनी घटना नहीं हो जाए। इसलिए यह बडी सिटी हैं राजस्थान की राजधानी है। तो यहां पर कमिशनर व्यवस्था को लागू किया जाए। यह हकीकत है आज भी 107 और 151 के तीन हजार केस एक वर्ष से अभी तक पेंडिंग हैं और तीन हजार केसेज में से कलक्टर और मजिस्ट्रेट सिर्फ दो परसेंट केसेज को सुनकर उन पर कार्यवाही कर पाये हैं, बाकी सारे केसेज ऐसे के ऐसे पड़े हैं क्योंकि उनको प्रशासनिक और उनके विकास कार्यो से समय नहीं मिलता है तो इन केसेज की सुनवाई कैसे होगी। जयपुर में कमिशनर की व्यवस्था की जाए, मैं इस बात पर जोर देता हूं। यह हकीकत है जयपुर की व्यवस्था बनाने के लिये और कभी भी भगवान न करें कभी अनहोनी घटना नहीं हो, कमिशनर को पावर्स दी जाए और कमिशनर व्यवस्था की जाए, इस बात को मैं कहता हूं।

(19.00 बजे)

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

अंत में फिर मैं मेरे इलाके में शराब की तस्करी वगैरह होती है। उन तस्करों की गाडियों को पकड़ने के लिये हमारी पुलिस के पास जो जीप हैं वह कमजोर होती हैं। कुछ दौड़ने वाली गाडियां दी जाए जिससे इन तस्करों को पकड़ा जा सके, यह मेरा एक सुझाव है।

फिर से मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग में भी अपनत्व का माहौल पैदा करना चाहिये। हम कैसे कर पायें , पुलिस हमारी है, जनता और पुलिस के बीच में एक अपनत्व का व्यवहार हो। एक साधारण-सा व्यवहार बने नहीं तो दूरियां जितनी, इंस्पेक्टर आज बड़ा घूरकर देखेगा, आएगा नहीं। डाक्टर के पास मरीज जाता है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, डिस्कशन नहीं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : वैसे ही मीठेपन का व्यवहार हो। हमें पुलिस के लिये सोचना है, पुलिस के विकास के लिये, पुलिस के जीवन के विकास के लिये, उनके परिवार के विकास के लिये तो पुलिस का भी फर्ज है कि वह जनता के हितों के लिये, राज के हित के लिये भी सोचे। मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलवाना चाहूंगा, पुलिस से संबंधित मांग पर उन बातों पर ध्यान दिलवाना चाहूंगा जो किसी न किसी रूप में किसी सदस्य ने पहले नहीं रखी।

पिछले पचास साल में अगर हम राजस्थान को लें तो दो बातों पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। जब यह देश आजाद हुआ और राजस्थान की स्थापना हुई उस समय हमारी आबादी और आज की आबादी, एक करोड़ से हम कुछ ज्यादा थे उस टाइम, आज लगभग हम पांच करोड़ से ऊपर हैं। उस समय राज्य में गरीबी होगी मगर पुलिस की दृष्टि से एक बहुत बड़ी बात थी इस प्रदेश के अन्दर कि जनता व्यवस्थित थी। रजवाड़े की राजस्थान को अगर

(श्री भरत सिंह)

एक देन थी तो अनुशासित जनता थी यहां की और अनुशासित नेता थे उस टाइम में...(व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिये। बीच में दखलंदाजी मत कीजिये। पचास साल के अन्दर जनता में अनुशासन और सदन में बोलने वालों में अनुशासन का बहुत पतन हुआ है। आज पुलिस की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चुनौती है।

इस पृष्ठभूमि के अन्दर निवेदन करना चाहूंगा कि जब आबादी बढ़ी, आबादी के अनुरूप नौकरियां नहीं बढ़ी तो लोगों को अपने रोजगार के लिये, अपने परिवार को पालने के लिये जिसको हम क्राइम कहते हैं, उसका सहारा लेना पडा। आप और हम जिसे क्राइम कह रहे है जो क्राइम में सम्मिलित है वह व्यक्ति उसको रोजगार का साधन देखकर गया। हमने स्वरोजगार योजना के नाम से अनेक योजनाएं चलाने का प्रयास किया। बैंकों से लोन दिलाने की बात करी। हमारी वह योजनाएं कितनी सफल हैं, मुझे पता नहीं मगर जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने क्राइम को अपना लिया उसने अपने लिये रोजगार की एक व्यवस्था बना ली और बहुत बड़ा तबका क्राइम में सम्मिलित है। इस क्राइम से जितनी भी चाहे आपके अवैध टैक्सियां चलती हैं, चाहे आपके सट्टे चलते हों, चाहे दूसरे क्राइम हो रहे हैं, इसका सीधा परिणाम इस वजह से है कि हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गयी है।

मैं आपका ध्यान जिस संभाग से मै आता हूं, वहां जो नारकोटिक्स का क्राइम पनप रहा है, उस और ध्यान दिलाना चाहता हूं। अफीम के धंधे में कोटा संभाग में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है और यह एक काटेज इण्डस्ट्री के रूप में पनप रही है। मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था, दो दिन पहले ही मुझे उसका उत्तर मिला है। मैंने पूछा था क्या पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है और जवाब मिला कि आंशिक वृद्धि, कुछ-कुछ हद तक हुई है।

माननीय सभापतिजी, आंकड़े की ओर अगर आप अवलोकन करें तो लगभग सात सौ क्राइम नारकोटिक्स से संबंधित पूरे राजस्थान में हुए हैं और उसमें से 1/3 क्राइम कोटा संभाग में है। प्रमुख रूप से झालावाड़ और बारां उस क्षेत्र में जो मुख्यमंत्रीजी का खुद का क्षेत्र है और झालावाड़ पार्लियामेंट की पूरी कांस्टीट्वेंसी है, सबसे बड़ा धंधा अफीम का उस क्षेत्र में चल रहा है। आज ही

(श्री भरत सिंह)

हमारे यहां के जो लीडिंग न्यूज पेपर हैं पत्रिका, उसमें संयोग की बात है कि दो दिन से इसी से संबंधित लेख आ रहे है और उसमे पूरे डिटेल में दिया गया है लगभग पचास हजार काश्तकार अफीम की खेती करते हैं। पांच सौ टन अफीम की जो पैदावार होती है वह सरकार को जमा होती है लगभग साठ करोड़ रुपये राजस्व का भुगतान सरकार इन काश्तकारों को करती है मगर बहुत बड़ी मात्रा में अफीम तस्करों में माध्यम से बम्बई, कलकत्ता और अन्य जगह जा रही है और जो लोग इसके अन्दर पकड़े जाते हैं, लगभग सात सौ केस पकड़े गये हैं उनको आप सात सौ केस की दृष्टि से नहीं देखें क्योंकि जो एक भी केस अफीम का पकड़ा जाता है, वह व्यक्ति एक नहीं है जो अफीम के धंधे से जुड़ा हुआ है, यह कैरियर है। अफीम को एक जगह से दूसरा जगह उसके प्रोडक्ट को ले जा रहा है और एक केस के साथ आप मानकर चलें कि इसमें आप एक सौ केस और जोड़ लें, सात सौ केस का मतलब है सात हजार केसेज, कम से कम भी सात हजार परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं।

आंकड़े देखेंगे, चौकाने वाली बात यह है कि यह धंधा अब हाड़ौती से संबंधित नहीं है, प्रदेश के पूरे 32 जिलों में किसी न किसी रूप में कहीं कुछ फिगर्स के अन्दर सब जगह हो रहा है और जब यह हो रहा है तो इसको कैंसर के रूप में देखना चाहिये। कैंसर के अगर कुछ भी लक्षण शरीर में मिलते हैं तो वह पूरे शरीर को अस्वस्थ कर देता है। राजस्थान इस सम्बन्ध में एक प्रमुख केन्द्र बन चुका है।

माननीय गृह मंत्रीजी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पुलिस के जो उच्चतम अधिकारी हैं, उनको कम से कम इतना तो अधिकारी दें कि 32 जो एस.पी. हैं उनका चयन वह कर लें। होता यह है कि जो एस.पी. है, चाहे राज में हम हों, चाहे आप हों, हम चाहते हैं जो हमारी बात करे उसको हम एस.पी. लगवा दें। माननीय गृह मंत्रीजी मैं आपका ध्यान इस बात की और दिलाना चाहूंगा कि यह जो आंकड़े हैं, आम तौर पर तो हम यह कहते हैं कि क्राइम बढ़ गया, अभी मैं आपको बारां का उदाहरण देता हूं।

बारां में पिछले साल जो अफीम के नारकोटिक्स से संबंधित केस थे, अब के उससे दुगुने केस पकड़े गये हैं। इसका मतलब यह नहीं कि क्राइम बढ़ गया है। इसका एक मात्र कारण यह था कि वहां पर कमिटेड, डेडीकेटेड

(श्री भरत सिंह)

आई.पी.एस. आफिसर लगी हुई थी। केसेज वहीं हैं, केसेज बहुत हैं। हम जो पकड़ रहे हैं, रींछ का एक बाल हमारे हाथ में आया, रींछ तो पता नहीं कहां घूम रहा है। चालीस केस पिछले साल थे, उस अधिकारी ने उसके दुगुने अस्सी पकड़े हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अफीम के केस बढ़ गये हैं। उस मेहनती अधिकारी ने, नतीजा यह हुआ कि उस इलाके में जो धंधा कर रहे थे वे भाग छूटे।

झालावाड़ के केस ज्यादा थे, वह कम हुए। उसमें यह नहीं देखें आप कि वह अधिकारी योग्य था। वह अधिकारी अयोग्य था उसने मेहनत नहीं किया। इसलिए नहीं किया कोटा के अन्दर अभी उनकी संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब यह नहीं कि हम विरोध कर रहे है। हम देखेंगे कि अफीम के केसेज बढ़ गये। हकीकत यह है कि कोई जिम्मेदार अधिकारी अगर आप लगायेंगे कम से कम आपका जो अच्चतम अधिकारी है पुलिस डिपार्टमेंट का उनको यह छूट दीजिये कि आप कम से कम एस.पी.अपनी च्वाइस का लगा लें। वहां जो बोर्डर के थानेदार हैं, राजनीति में लोग-बाग़ इस अफीम के धंधे वाले लोग-बाग़ बहुत घुस चुके हैं इस इलाके में। पंचायतों के चुनाव होते हैं उसके अंदर भागीदारी या प्रभाव या पैसे का उपयोग होता है। गलत पैसा गलत चीज में, राजनीति में भी दखलंदाजी कर रहा है।

सभापति महोदय, जब एक बार आपने जब आप शिक्षा मंत्री थे, आपने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। उसकी मैं सराहना करता हूं और मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री के रूप में भी आप वह प्रयास करेंगे। आपने संभागीय मुख्यालय पर अपने विभाग के अधिकारियों की बैठकें ली थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वही व्यवस्था करें। संभाग में आपके जो खास तौर से बार्डर डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे मध्यप्रदेश से लगे हुए हैं, बारां, झालावाड़, चित्तोड़गढ़ हैं, उनके अंदर जहां थाने हैं, वहां जो इंटीग्रेटेड ऑफिसर्स हैं, जिनकी प्रसिद्धि है, उनको पुलिस अधीक्षक लगायें। अच्छे थानेदार लगायें, हमारे लोगों के कहने पर नहीं, अपने विभाग से अच्छे लोगों को लगाये तों निश्चित रूप से क्राइम में रोक लगेगी मगर यह जिस पैमाने पर फैला हुआ है यह एक बहुत गंभीर चुनौती है गृह मंत्रीजी के रूप में और आपके लिये और हमारे सब के लिए कि हम उस पर अंकुश करें। दो-तीन बातें और है। यह मैंने काफी विस्तार से लिया है। मुझे विश्वास है कि आप इस पर ध्यान देंगे।

(श्री भरत सिंह)

सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका जो पुलिस का सिवाही या थानेदानर है या पुलिस का कर्मचारी है, उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। कमियां निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपके सुझाव दे रहा हूं। आपके जो म्युनिसिपल टाउन्स हैं वहां पर बराबर गश्त नहीं होती है। वहां रात में होमगार्डस का उपयोग करें कम से कम जो म्युनिसपल कस्बे हैं वो शहरों की बात नहीं कर रहा हूं। आपके जो छोटे कस्बे हैं उसमें होमगार्डस का अधिक से अधिक संख्या में उपयोग करें। उसका लाभ आपको मिलेगा और उन लोगों को वहां पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

सभापति महोदय, जहां आपने नवीन थानें खोलें हैं, नवीन चौकियां खोलते हैं। वहां थाने तो खोल देते हैं मगर पुलिस की व्यवस्था चाहे वह जीप की हो, चाहे भवन की हो, चाहे फर्नीचर की हो, वह थाना खोलने के साथ नहीं होती है। इससे खुलने के बाद में अव्यवस्था रहती है। एक व्यवस्था यह की जाये।

सभापति महोदय, पुलिस विभाग में केन्द्र सरकार से सेन्ट्रल गवर्नमेंट माडर्नाइजेशन फंड के नाम से जो पैसा आता है उसको भी हमें जिस लक्ष्य के लिए दिया जाता है, उसका उपयोग वहां नहीं करते क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स नहीं होते हैं, उस फंड्स को हम हमारे यहां डाइवर्ट कर लेते हैं। जो व्हीकल्स जिस काम के लिए हाईवेज पर लगना चाहिए उसको हम थाने में लगा देते हैं। यह बात पहले आ चुकी है। नई जीपों के देने की बात पर किसी ने कहा कि ये जीप 15-15 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। वह पैसा जिस काम के लिए है उसको चेनेलाइज नहीं करें। इसके लिए अलग से व्यवस्था करें तो मेरे ख्याल से आपको इससे लाभ ही मिलेगा।

सभापति महोदय, थानों में कम्प्यूटराइजेशन की बात आयी। तहसील के रिकार्ड में तो हम बहुत आगे बढ़ गये हैं पर पुलिस थानों के कम्प्यूटराइजेशन के अंदर जितने भी रिकार्ड है, उनकी व्यवसथा की जाये। इन बातों पर ध्यान दिया जाये। आप समय-समय पर अगर डिवीजन हैडक्वार्टस पर बैठक लेंगे तो निश्चित रूप से उस व्यवस्था में सुधार होगा। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ओ.पी. महेन्द्रा।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 पुलिस पर, गृह मंत्रालय पर विचार चल रहा है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और विपक्ष के सदस्यों ने अनेक महत्वपूर्ण विचार इस विषय में सदन के समक्ष रखे हैं।

सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से आज जब चर्चा चल रही थी तो प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों ने क़ानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। अनेक माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र, पूर्व में इस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दलित समाज के ही एक सदस्य माननीय श्री हीरालालजी इंदौरा ने किया। दलित समाज की घटनाओं की जब यहां चर्चा चल रही थी तो उस समय मुझे बड़ा खेद महसूस हो रहा था। बड़े दु:ख और ग्लानि से मैं भर रहा था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो दलित समाज के इस मंत्री और उनके पुत्र जो कि युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत साधुवाला, चक 4 डी में एक गरीब हरिजन परिवार की बेशकीमती 20 बीघा जमीन थी, उस दलित परिवार की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बरगलाकर बाकी परिवार के किसी सदस्य की सहमति नहीं ली गयी। अनूपगढ़ में जी.बी. एरिये में एक बंजड़ और बेकार भूमि 25 बीघा का स्थानान्तरण षड़यंत्रपूर्वक करवाया और उसके बाद में उस दलित परिवार के बाकी जो सदस्य वहां रहते थे, उन्होंने इस कार्यवाही का विरोध किया। और माननीय युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में मई, 2003 में 250 पुलिसकर्मियों के साथ उस भूमि पर धावा बोला गया, हमला किया गया। वहां पर उस परिवार की दौ औरतें थी। जिनके बाल पकड़कर, घसीटकर उनको भूमि से अलग किया गया। उनके परिवार के तीन अन्य लोगों को बुरी तरह पीटा गया। सभी को लाकर गंगानगर में जवाहर नगर थाने में भूखा-प्यासा डाल दिया गया और उसके बाद वह परिवार जमानत कराकर जब बाहर आया तो उसने गंगानगर में धरना दिया। 15-20 दिन तक धरना चलता रहा।

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

सभापति महोदय, आज जब प्रतिपक्ष के मेरे साथी और यह भी कहना चाहता हूं कि आज दलित साथी भी जब दलित अत्याचार की बात कर रहे थे तो उस समय की घटना जिसके बारे में राजस्थान के सभी अखबारों मे प्रमुखता से लगातार 15-20 दिन तक छपा था। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि घटनाओं पर बयान देना बहुत आसान है लेकिन उन घटनाओं पर उनके द्वारा ही जब अत्याचार किया जाता है तो बहुत बड़े शर्म की बात है।

सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये और जो दलित परिवार की 20 बीघा भूमि है, जो 40 लाख रुपये की है उस पर उन्हें पुन: स्थापित करवाया जाये। यहां जब दलित अत्याचारों की बात हो रही थी तो मेरे जेहन में यह भी आया एक दलित विधायक होने के नाते कि, मैं यह भी महसूस करता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में जहां गंगानगर में एक और कोड़ा हत्याकांड हुआ, उस समय जब कोप का भाजन बने तो दलित समाज के ही पुलिस अधीक्षक बने। अमित हत्याकांड हुआ उस समय भी कोप के भाजन बने तो दलित पुलिस अधीक्षक ही बने तो यह भी हमें सूचना होगी कि जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, बिना जांच करवायें बिना सोचे-समझे पुलिस अधीक्षकों को निशाना बनाया जाता है यह बहुत बुरी बात है। आज हम सत्ता में हैं, हमें यह भी सोचना पड़ेगा, उच्च स्तरीय हो चाहे मध्यम स्तरीय व्यवस्था हो, चाहे निचली व्यवस्था हो, यह भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पूरे राजस्थान में जितने डिविजन हैं उन डिविजन्स पर कितने दलित अधिकारियों को आपने आई.जी. लगाया है, कितने सामान्य लोगों को लगाया हुआ है। यह भी देखना पड़ेगा कि पी.एच.क्यू. में प्रशासनिक पदों पर कितने दलित अधिकारियों को हमने लगाया है। यह भी हमें देखना पड़ेगा कि राजस्थान के जिलों में हमनें कितने दलित आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक और जिला कलक्टर लगाया है, कितने एडीशनल एस.पी. लगाए हैं, कितने डीवाई. एस.पी. लगाए हैं ?

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध है, गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि दलित समाज के जो अधिकारी हैं उनको उनकी योग्यतानुसार उच्च स्थानों पर लगाने की व्यवस्था करें। मैं यह नहीं कह रहा

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

हूं कि ऐसी व्यवस्था नहीं है लेकिन उस ओर भी चिंता करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से गंगानगर जिले की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या, एक बहुत ही गम्भीर समस्या के बारे में मैं गृह मंत्रीजी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले चार-पांच वर्षों में गंगानगर जिले में स्मैक की गतिविधियों में बहुत भारी वृद्धि हुई है, पिछले चार-पांच वर्षों में गंगानगर जिले में सट्टे की गतिविधियों में बहुत भारी वृद्धि हुई है। जहां स्मैक के कारण से हमारा युवा गर्त की ओर जा रहा है और स्मैक पीने के लिए, स्मैक का एक चस्का लेने के लिए 500 रुपये का जुगाड़ करने के लिए चैन की छीना-छपटी की घटनाएं आए दिन होती रहती है, समाचारपत्रों में छपती रहती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये घटनाएं आज ही हैं, ये घटनाएं पिछले चार-पांच वर्षों से बहुत भयंकर गति से बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और हमारे संवेदनशील गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की गतिविधियां जो बढ़ी ये राजनीतिज्ञों के संरक्षण के कारण से बढ़ी। पिछले कांग्रेस के शासन काल में जहां थाने नीलाम होते थे, उस समय सट्टे और स्मैक की गतिविधियों में बहुत भारी वृद्धि हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्मैक और सट्टे की गतिविधियां गंगानगर जिले को खोखला करती जा रही है, इन पर रोक लगाने की आवश्यकता है प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में कुछ ऐसा क्षेत्र है जो गंगानगर के जवाहर नगर क्षेत्र थाना अंतर्गत आता है। जवाहर नगर थाना बहुत बड़ा थाना है, उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसके साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र का साधुवाला, दो डी, तीन डी, चार डी और इसके साथ चक और ढाणियां भी आती हैं तो मेरा आपसे निवेदन हे कि इसे जवाहर नगर थाना से निकालकर सदर थाना अंतर्गत लाया जाएगा तो...

श्री सभापति : कंकलूड कीजिए।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : माननीय सभापतिजी, कंकलूड ही कर रहा हूं। इससे बहुत बड़ा उपकार होना होगा और प्रशासन को बहुत फायदा इससे होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : सभापति महोदय, मैं आज पुलिस डिपार्टमेंट की मांग पर अपनी बात खाली अपने विधान सभा क्षेत्र तिजारा के लिए रखूंगा और उसमें भी खास तौर पर जो भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एस्टेट है, उसके बारे में रखूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि वहां 1200 से ज्यादा इण्डस्ट्रिलयल यूनिट्स हैं छोटी-बड़ी मिलाकर और कम से कम कोई पचासेक हजार के करीब लोग काम करते हैं और ज्यादातद वहां जो लोग काम करते हैं, वे बाहर वाले क्षेत्रों से आए हुए हैं। हरियाणा से लोग डेली सुबह आते हैं और शाम को काम करके जाते हैं तो वहां भिवाड़ी जैसे क्षेत्र के लिए, वहां सिर्फ एक थाना है, हालांकि वहां पर डीवाई.एस.पी. और ए.एस.पी. भी पोस्टेड हैं मगर वहां पूरी तहसील के लिए पोस्टेड हैं।

कुछ साल पहले भिवाड़ी में एक इण्डस्ट्रियलिस्ट और उसके साथ में उसके एक आदमी का किडनैप हो गया था जिसका आज तक पांच-छह साल में कोई पता नही चल रहा है। वहां चोरी की वारदातें रोज होती हैं, गाडियां उठती हैं, स्कूटर-मोर साइकिल उठते हैं और वहां ट्रेक्टर उठते हैं, यह सब काम जो होते हैं वह इण्टर स्टेट गैंग बने हुए हैं जो वहां बेस्ड है हरियाणा में, वह यहां आकर डकैती करते हैं और यहां वाले जो गैंग बने हुए हैं वे हरियाणा में डकैती डालते हैं।

हमारा पूरा विधान सभा क्षेत्र तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, इसकी इस वजह से भी इंमोर्टेंस ज्यादा है कि यहां एक पुलिस थाना है, यहां दो इण्डस्ट्रियल एस्टेट, खुशकड़ा में और चौपानगी में डवलप हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से होम मिनिस्टर जी से कि वहां पर भी पुलिस थाना खोला जाए क्योंकि यह सिर्फ चैक पोस्ट से जो काण्ड हो रहे हैं इस तरह के वह कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

इसके साथ-साथ एक और उदाहरण मैं दूंगा कि खजूरीवास गांव है, भिवाड़ी के पास। वहा कुछ महीने पहले डकैती हुई। उस डकैती में एक आदमी ने अपने पड़ौस में जहां ड़कैती पड़ रही थी, उसको बचाने के लिए डकैत को पकड़ा और उसमें उसने अपनी जान गंवाई। हमने बहुत रिप्रजेंटेशन सरकार को दिए कि कम से कम वह आदमी जिसने इतना बड़ा काम करके अपनी जान वहां खोई है, उसकी बेवा को कोई नौकरी दी जाए, उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई सहारा दिया जाए। मुझे यह कहते हुए दु:ख है कि आजतक उस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब तक हम इस तरह के रिवार्डस नहीं देंगे हम पब्लिक को कोई एनकरेजमेंट नहीं देंगे तो आज कौन सामने आएगा, उन डकैतों का सामना करने के लिए ?

इसके साथ-सथ मेरा यह भी सुझाव है कि वहां नागरिक सुरक्षा समितियां भी बनाई जाए जिससे पुलिस में एडमिनिस्ट्रेशन में और पब्लिक में ज्यादा को-आपरेशन बढ़े और जो लोग-बागों में झिझक है पुलिस वालों से बातचीत करने में उसमें यह सहारा मिले।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि इतने लोग बाहर से आए हैं, उन लोगों का न तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास, न रीको के पास, न लेबर डिपार्टमेंट के पास, न इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट के पास कोई रिकार्ड है। अब कोई भी बाहर से डकैत आकर वहां बस जाए या वहां से कोई नोटोरियस करक्टर आकर बस जाए, उसका कोई रिकार्ड नहीं इस वजह से वहां इन पर कोई देखभाल नहीं हो सकती। इसलिए मेरा राज्य सरकार से सुझाव है कि वहां पर थाने बढ़ाए जाएं और वहां जो पुलिस है उसको आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाए, वहां हाई फ्रिक्वेंसी वायरलैस सैट्स भी दिए जाए जो व्हीकल्स हैं, वह भी दिए जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस की मांग पर सदन में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर इस बात की कोशिश की कि राजस्थान की शासन व्यवस्था में सुधार हो और आम जनता को बेहतर रूप से लाभान्वित होने का अवसर मिले। माननीय सभापति

(श्री संयम लोढ़ा)
महोदय, सता पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि राज्य में वसुन्धरा राजेजी का शासन आने के बाद प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ और काफी कुछ परिवर्तन उन्होंने महसूस किया।

लेकिन सभापति महोदय, आप भी इसी समाज में रहते हैं। विचार का विषय यह है कि वह कौनसा वर्ग है जिसने आठ महीनों में यह महसूस किया हो कि सामाजिक स्तर पर बेहतर सम्मान मिला, उसको समाज में बेहतर तौर पर जीने का हक मिला है या शासन व्यवस्था में या हमारी सामाजिक व्यवस्था में उसकी स्थिति में सुधार हुआ। माननीय सभापति महोदय, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जहां अखबार उठाकर देखें तो आपको समाज विरोधी अपराध की खबर नहीं मिलेगी। आज के सारे अखबार आप उठाकर देखें मुखपृष्ठ पर छपा है कि यौन दुष्कर्म और प्रयोगशाला सहायक गिरफ्तार, स्कूल की प्रधानाचार्य बीकानेर ए.पी.ओ.। आज की सुबह की शुरुआत इससे हुई। माननीय सभापति महोदय, एक महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं का प्रदेश में सम्मान किस तरीके से बढ़ा, क्या घर-परिवार में उसके प्रति लोगों की भावना में कोई तब्दीली आई है, क्या अपराधियों के हौसले कम हुए हैं, क्या उनके मन में कोई खौफ पैदा हुआ है ? माननीय सभापति महोदय, इस शासन की शुरूआत होती है भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक, इस सदन का सदस्य और उसका भाई उदयपुर ग्रामीण इलाके में एक स्कूली लड़की के साथ बलात्कार करता है। माननीय सभापती महोदय, सीकर जिले में बस से एक महिला जाती है अपने पति के साथ...

श्री बंशीलाल खटीक : नाम बताओं आप। पहले भी कई बार कह चुके हैं, यह क्या बेतुका आरोप है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सब छपा है अखबारों में। आपको सब मालूम है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक . सभापति महोदय, तथ्यों की बात न की जाए और तथ्यात्मक आंकड़े पेश करके यह भी बताया जाए किसका भाई था, क्या था, वह बताया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिए।

श्री बंशीलाल खटीक : ऐसे अनर्गल आरोप न लगाये जाएं।

श्री संयम लोढ़ा : इसी तरह से माननीय सभापति महोदय (व्यवधान) खैरवाड़ा के माननीय सदस्य के भाई ने बलात्कार किया था। यह सब अखबारों में छपा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आपके पास कोई तथ्यात्मक प्रूफ है ?

श्री सभापति : आसन पैरों पर। माननीय संयमजी, आपसे मेरा निवेदन है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती है इसलिए उसमें भाई का नाम न लें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैंने बिलकुल तथ्य आधारित बात कही है, मैंने माननीय सदस्यों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, जिस व्यक्ति ने कुकर्म किया है माननीय सभापति महोदय, मैंने उसका नाम लिया है। अब उसके बाद माननीय सभापति महोदय, सीकर जिले में एक बहन बस से अपने पति के साथ जा रही होती है, स्टैण्ड पर ड्राइवर पति को उतार देता है और पत्नी को बस में ही रखकर गाड़ी को आगे भगाकर ले जाता है। पूरी रात 5-7 लोग उस महिला से बलात्कार करते हैं और बाद में श्रीमाधोपुर स्टेशन के बाहर उसको पटककर चले जाते हैं। यह तो बस में हालत है।

माननीय सभापति महोदय, महिला ट्रेन में बैठकर जोधपुर जाती है तो ट्रेन के अंदर ट्रेन की बोगी में टी.टी. जोधपुर में महिला के साथ में बलात्कार कर देता है, यह महिला की हालत है ट्रेन के अंदर। माननीय सभापति महोदय, सर्किट हाउस, बड़े-बड़े अधिकारियों, नेताओं का विश्राम गृह, जिसको हिन्दी में विश्राम गृह कहते हैं आराम के स्थान बने हुए हैं, जोधपुर के सर्किट हाउस के अंदर एक महिला के साथ सरकारी अधिकारी बलात्कार करता है और उस महिला की मां यह आरोप लगाती है कि पीड़िता की मां श्रीमती संतोष वैष्णव ने आज यहां पत्रकारों को बताया कि करीब दो माह बीत गये हैं, लेकिन पुलिस

(श्री संयम लोढ़ा)

राजनैतिक दबाव के कारण आरोपियों को पकड़ नहीं रही है। इन्होंने कहा कि इस मामले में एक आरोपी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पूर्व जिलाध्यक्ष रहा है तथा यहां के स्थानीय राजनेता उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सर्किट हाउस में महिला की सुरक्षा की हालत है। आपने बस में देखा, आपने ट्रेन में देखा, आपने सर्किट हाउस में देखा कि किस ढंग से इस शासन के अंदर महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ायी जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, राजधानी जयपुर जहां राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री, माननीय गृह मंत्री विराजते हैं, एक महिला प्रीति जो राकड़ी, कृष्णापुरी में अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी, जिसके पति चार साल पहले निधन हो गया था और जिसके बेटे सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड पर चश्मे बेचकर घर चलाते हैं वो महिला एक राजेन्द्र सिंह नाम के 50 वर्षीय आदमी के साथ शारिरिक संबंध स्थापित करने से इंकार करती है और जब वो वापस लौट रही होती है तो रास्ते में खड़ा हुआ राजेन्द्र सिंह पेट्रोल उड़ेलकर उस महिला को सरेआम इस राजधानी जयपुर में आग लगा देता है। यह महिला की सड़क पर सुरक्षा की हालत है वसुंधरा राजे सिंधिया के राज में माननीय सभापित महोदय।

इस जयपुर शहर में दरबार स्कूल बलात्कार काण्ड । कौनसी जगह महिला की अस्मत सुरक्षित है ? बस, ट्रेन, सर्किट हाउस, सड़क, स्कूल, हर जगह चारों तरफ महिलाओं की अस्मत लूटने वाले दरिंदे खड़े हुए हैं और यह सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांधकर मौन बैठी हुई है। हमारे माननीय सदस्य, जिन्होंने आज की चर्चा की शुरुआत की, इन्होंने आपके सामने तथ्य रखें कि इन छह महीनों के अंदर...

श्री ओम बिरला : तथ्यों से परे बात रख रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : पिछली बार कांग्रेस के विधायक के यहां चकला पकड़ा गया वेश्यावृत्ति का, इसमें लिखा हुआ है। उसको आपने पार्टी में वापस ले लिया, वो तो चकला चलाता था।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, यह मेरे समय में नहीं गिना जाए जो इंटरवीन कर रहे हैं। मुझे पूरा अवसर दिया जाए।

श्री सभापति : आप संयम रखकर बोलें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलेखित की गई। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो इसका जवाब दे दें।

श्री संयम लोढ़ा : चारों तरफ हत्या, बलात्कार, डकैती छह महीने में (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सच्चाई स्वीकार करें। (व्यवधान)

श्री सभापित : माननीय सदस्य (व्यवधान) आजाद साहब बैठिए।

श्री ओम बिरला : माननीय सदस्य ने इस तरीके की टिप्पणी की है ? सदन में बहस होनी चाहिए कि सदन में किस तरीके से कोई बात कहेगा।

श्री बंशीलाल खटीक : तथ्यविहीन बात कहकर सदन को गुमराह न करें।

श्री ओम बिरला : यह ऐसे नहीं चलेगा।(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, इनको चेताया जाए तथ्यविहीन बात न की जाए।

श्री ओम बिरला : सभापति पर इसे तरह की टिप्पणी की जाएगी, सदन के अंदर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो सदन की गरिमा नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : एक कांग्रेस के सदस्य को जैसे बलात्कार करके इनको छुड़ा लिया जाता है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, हमारा समय से खा रहे हैं इस बहस के अंदर।

श्री सभापति : विराजिए आप । (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस की सरकार में उसको लाया जाता है। (व्यवधान) प्रचार-प्रसार का, कांग्रेस के इलेक्शन में उस बलात्कारी से प्रचार-प्रसार करवाते हैं और अपने आपको ये अच्छा बताते हैं।

श्री सभापति : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन है विराजिए आप।

श्री ओम बिरला : माननीय सभापति महोदय, अगर सभापति की सीट का अनादर इस तरीके से किया जाएगा, अनादर किया है। बोलने के शब्दों में कहा है सदस्य ने, नोट हे बिन्दु पर, +++ यह शब्द है, +++ यह शब्द है।

श्री रामप्रताप कासनिया : +++ यह कहा है।

श्री ओम बिरला : आपको यह मर्यादित शब्द की टिप्पणी है तो सदन किस तरीके से चलेगा ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय सभापति महोदय, यह कहा है कि +++ यह कहा है।

श्री संयम लोढ़ा : आप जैसे मर्यादा सिखाने लग गये तो फिर देश का बंटाढ़ार है।

श्री सभापति : आप कृपया बिराजिए ।

श्री बंशीलाल खटीक : तंदूर में जिंदा जला दिया जाता है, कांग्रेसी पकड़े जाते हैं और ये अपने आपको साफ बताते हैं।(व्यवधान) तंदूर कांड अभी तक जिंदा है। और तंदूर कांड में इनके कांग्रेसी पकड़े गये हैं। नैना साहनी हत्याकाण्ड।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री बंशीलाल खटीक : कई ऐसे हत्याकाण्ड इनके खोलने लग जाएंगे तो दो दिन लग जाएंगे।

श्री सभापति : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारूंगा।

श्री संयम लोढा : माननीय सभापति महोदय (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय संयम जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना भाषण कंक्लूड करें, एकतो यह बात।

श्री संयम लोढ़ा : अभी तो मैंने शुरू किया है सभापति महोदय।

श्री सभापति : मेरा दूसरा निवेदन है कि आप तथ्यों से परे जाकर कोई बात न करें। आप आंथेटिक बात बताएं। किसी मुकदमें में जैसा आपने बस में बता दिया, ट्रेन में बता दिया, लेकिन आपने कोई मुकदमा नम्बर बताया क्या ?

श्री संयम लोढ़ा : मैंने जो बातें कही है सब आपकी जानकारी में भी है। आपकी जानकारी के बाहर की नहीं है माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपने कोई मुकदमें की धारा, नं. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप कहें तो मैं एक-एक जगह का पढ़ दूं, एक-एक जगह का आप समय दीजिए। मैं एक-एक जगह का नाम, गवाहों के नाम, धारा, घटनास्थल, आप जो फरमाएं वह मैं पढ़ दूं, सब जानकारी मेरे पास है।

श्री सभापति : आप तो कंक्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने अभी शुरू किया है और मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं जयादा आपको बानगी नहीं दूंगा, ज्यादा घटनाएं पेश नहीं करूंगा। लेकिन इसी जयपुर शहर में एक मजदूर गोपाल, जिसने चार साल पहले अपनी इकलौती बेटी, 22 वर्षीय कविता की जोबनेर निवासी सुरेन्द्र के साथ शादी की थी उसको दहेज के कारण तेजाब

(श्री संयम लोढ़ा)

पिला दिया और बाद में अस्पताल ले गये तो पुलिस ने उसको इस बात का भरोसा नहीं दिया कि उसके साथ कोई न्याय होगा। और जैसा उसके ससुराल पक्ष के लोग बयान दिलाना चाहते थे वैसा बयान दिला दिया। लेकिन बाद में नतीजा क्या हुआ, माननीय सभापति महोदय, तेजाब पिलाने से उसके अंदर की आंतें गल गई और उसके मल-मूत्र जब उसकी मां साफ कर रही थी। गंभीर रूप से बीमार होने के बाद तब उसने यह बयान किया कि दहेज के कारण उसे तेजाब पिला दिया गया है और बाद में उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही हुई। वसुंधरा राजे के राज में महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की अस्मिता की, महिलाओं की इज्जत की, महिलाओं के जमीर की, महिलाओं के वजूद की माननीय सभापति महोदय, यह हालत है।

माननीय सभापति महोदय, वसुंधरा राजे के राज में समाज का वो आदमी जिसके लिए देश के संविधान की रचना की गई, अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदमी, जिसको आगे लाने के लिए हमारे महान नेताओं का सोच रहा, क्या हालत है ? वसुंधरा राजे सिंधिया जी के खुद के गृह जिले के अंदर इंदिरा आवास योजना की राशि में पंचायत समिति खानपुर के बेदिया गांव निवासी बजरंग लाल मेघवाल को इंदिरा आवास योजना के तहत मंजूर किये हुए पैसे नहीं मिले और उसने आत्मदाह किया। मुख्य मंत्री के क्षेत्र के अन्दर एक दलित समाज का आदमी सरकार के द्वारा स्वीकृत की हुई राशि को पा नहीं सके और अपनी जान को उसे दांव पर लगाना पड़े इससे ज्यादा शर्मनाक बात, माननीय सभापति महोदय, कोई नहीं हो सकती।(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आत्म हत्या की गई जो इस घटना से जोड़ा जा रहा है क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापति : होम मिनिस्टर साहब जवाब देने में सक्षम हैं, दे देंगे, आप बिराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : और माननीय सभापति महोदय, हमारे गृह मंत्रीजी जिस मेवाड़ संभाग से आते हैं, वह भी उदयपुर डिवीजन में कोटड़ा में 28 अप्रेल को बिंदोरी निकालते समय मेघवाल जाति के दूल्हे को घोड़ी से उतार कर नीचे पटक दिया गया। यह गृह मंत्रीजी के क्षेत्र में दलितों का सम्मान है।

(श्री संयम लोढ़ा)

आपके पीपलू थाना क्षेत्र के गांव मूंदिया में दलितों को मन्दिर प्रवेश नहीं करने देने का विवाद अभी सुलझा ही नहीं था कि एक बार फिर गांव में दलित दूल्हे की निकासी को लेकर पथराव कर दिया गया। यह दलितों का सम्मान है। माननीय सभापति महोदय, मैं हर संभाग की एक-एक घटना सुना रहा हूं आपको। मैं कोई पूरे राजस्थान की नहीं सुनाना चाहता।

श्री सभापति : 12 मिनट हो गये हैं आपके।

श्री संयम लोढ़ा : और अजमेर में फौजियों की यातना के शिकार हुए हरिजन समाज के जितेन्द्र ऊर्फ जीतू की शिकायत पर पुलिस ने फौजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पलटन बाजार हरिजन बस्ती के विजय कुमार, जीतू और राजेश को छावनी के भीतर 6 फौजियों ने एक अधिकारी की मौजूदगी में दो दिन तक यातनाएं दी और उनकी टांगे तोड़ दी। यह अजमेर की घटना है। माननीय सभापति महोदय और जोधपुर डिवीजन के बराडकर गांव में दलित पर ट्रेक्टर चढ़ा दिया और भरतपुर में, सभापति महोदय दौलतगढ़ निवासी राजाराम जाटव की पुत्री की बारात महावीरजी से आई, उस बारात पर पथराव कर दिया गया। ये दलितों का सम्मान है। हर संभाग की एक-एक घटना यह आपके सामने पेश की है और इस राज्य में। जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 की तुलना अगर 1 जनवरी, 2003 से 30 जून, 2003 से करें तो राजस्थान के अन्दर अपराध बढ़े हैं जो हमारे पूर्व सदस्य ने भी अभी जिक्र किया है।

श्री सभापति : थैंक यू।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं एक घटना के माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी कार्य प्रणाली किस तरह की है, किस तरह बाढ़ ही खेत को खा रही है इसका एक जीता जागता यह उदाहरण है। अजमेर में दोराई निवासी जसराज चौधरी ने 23 मार्च को दोराई गैस प्लांट से सिलैंडर से भरा हुआ ट्रक लेकर रवाना हुआ और जब थाने में मशगूल था ट्रक लोग चुराकर रफू चक्कर हो गये। चौधरी के मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने मांगलियावास थाने पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने इसमें आनाकानी की। बाद में थाना अधिकारी शब्बीर खान ने रिपोर्ट दर्ज करने

(श्री संयम लोढ़ा)
के लिए 6 सिलैंडर बतौर रिश्वत ले लिये। और ताज्जुब आपको गृह मंत्रीजी, यह जानकर होगा कि वह 6 सिलैंडर जो रिश्वत में लिये थे वह चोरी के खाते में दर्ज कर लिये वरना जो सिलैंडर चोरी हुए वह तो हुए ही यह 6 सिलैण्डर भी चोरी हुए तो इस तरीके से पुलिस का कामकाज है।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकिशोर मीणा।

श्री संयम लोढ़ा : अब, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में हमारे कई माननीय सदस्यों ने एक सी.डी. प्रकरण की बहुत चर्चा की है। माननीय सभापति महोदय, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने सी.डी. प्रकरण के बारे में एक स्टेंज लिया और पहली घटना सी.डी. प्रकरण की हुई तहलका कांड में जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष +++ तब गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने एक स्टेंड लिया कि हम इस सी.डी. की प्रमाणिकता की जांच कराएंगे और माननीय सभापति महोदय, उसकी प्रमाणिकता की जांच करने की कार्यवाही गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने की। एक मामले के अन्दर एफ.आई.आर. उसमें दर्ज नहीं हुई लेकिन राजस्थान के अन्दर पिछले साल की एक सी.डी. को आधार बनाकर सिर्फ राजनीतिक मंतव्य से कि उस समय लोक सभा के चुनाव चल रहे थे राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती थी, बिना उस सी.डी.की जांच किये, बिना उसकी प्रमाणिकता की जांच किये मुकदमा दर्ज कर दिया गया।

श्री कालीचरण सर्राफ : प्रमाणिकता की जांच हो गई है और उसमें सही पाया गया है वह (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : प्रमाणिकता हुई है, यह बता दीजिए आप।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं यह कह रहा हूं जिस सी.डी. की बात आप कर रहे हैं उसकी प्रमाणिकता की जांच हो गई और उसमें वह सही पाया गया।

श्री जुबेर खान : एफ.आई.आर. पहले दर्ज हुई या बाद में और जहां+++कांड में, तहलका कांड में पहले प्रमाणिकता हुई या एफ.आई.आर. दर्ज हुई। आप यह बता दीजिए।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में एक अलग स्टैंड लेती है और जब दिल्ली में उनकी सरकार होती है उसकी पार्टी के लोग फंसे होते है तब अलग स्टैंड लेती है और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सी.डी. के आधार पर आप पीठ थपथपा रहे हैं, पुलिस की उसमें क्या भूमिका है ? अपराधियों ने अपराध कारित करने के उद्देश्य से, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से अपने निहित स्वार्थों को पूरे करने के उद्देश्य से सी.डी. बनाई और सी.डी. के आधार पर कार्यवाही करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। मैं यह कहता हूं अगर हमारी सरकार का कोई भी मंत्री दोषी हो तो आप कार्यवाही करें, आप उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करें। हमारा कोई मंतव्य नहीं है कि इनको बचाया जाए लेकिन जिस मेडिकल मामले की सी.डी.के अन्दर पहले मुकदमा दर्ज करवा दिया मेडिकल हास्पिटल वालों ने कि हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है उसके बाद दूसरा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। कौन से कारण हैं कि जिस वजह से इस तरह कार्यवाही की गई ? क्या पूरे राजस्थान के अन्दर आप प्राइवेट इंवेस्टमेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं ? आपकी सरकार को सोच क्या है, आपकी सरकार की दृष्टि क्या है और माननीय

सभापति महोदय, उस प्रकरण में भी क्या मुकदमा दर्ज करने से पहले आपने सी.डी. जांच करवाई नहीं करवाई ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। देश के कई अखबारों में खबर छपी, इण्डियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, राजस्थान पत्रिका। मैं इण्डियन एक्सप्रेस की कुछ लाईनें कोट करता हूं। "After complaints from her Ministers, C.M. Raj. Transferred Jain to the Planning and Welfare Department even before she could find his replacement and is now busy pacifying her errant Ministers. According to the sources a number of Ministers met Raje on Friday with the allegations that Jain was using their security personnel for spying on them Apparently, one of the personal security officer enjessed to a senior Minister that he was reporting his movement to Jain every evening." और माननीय सभापति महोदय, जनसत्ता क्या लिखा है " प्रशासनिक क्षेत्र में सरकार के नजदीक माने जाने वाले जैन, मंत्रियों की जासूसी करवाने के आरोपों से घिर गये हैं" माननीय सभापति महोदय, यह किस तरीके की सरकार है, जिस सरकार के अन्दर इस सरकार के मंत्री इस

(श्री संयम लोढ़ा)

बात का संदेह करते हैं ? इस बात का आरोप लगाते हैं। कि उनकी जासूसी की जा रही है और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यह तो मुख्य मंत्री महिला है और पुरुष होता तो मैं यह कहता कि जो अधिकारी मुख्यमंत्री की मूंछ का बाल था वह कौनसे कारण हैं कि रात को तीन बजे आदेश निकालकर उसको हटाया गया और बदले में उसकी जगह कौन-सा अधिकारी लगाया जाएगा (व्यवधान) यह ढूंढा भी नहीं गया ? और रातों रात उस अधिकारी को हटा दिया गया, वह कौन से कारण है ? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमंडी) : नाम बताएंगे किस मंत्री की जासूसी करवाई जा रही है। (व्यवधान) आप नाम बताएंगे, संयमजी ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : +++

श्री प्रहलाद गुंजल : आप यह बताने का कष्ट करें कि किसने कहा कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उन्होंने रातों रात उस अधिकारी को हटाकर घर बैठा दिया। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : राजस्थान के किसी मंत्री ने कहा है क्या कि हमारी जासूसी की है ? यह प्रकरण सदन के पटल पर रखे। (व्यवधान) किसी मंत्री ने ऐसा कहा हो कि मेरी जासूसी की है तो ।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इसमें अपनी ही (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : किसने यह कहा कहा है कि हमारी जासूसी कारवाई जा रही है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। (व्यवधान) माननीय श्री राम किशोर मीणा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं उदयपुर की राजस्थान पत्रिका में कटारिया साहब का एक स्टेटमेंट आपको निवेदन करता हूं। भाजपा के कई आला नेता...

श्री सभापति : अब आप बिराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : लेट की कनक्लूड। (व्यवधान)

श्री सभापति : 20-22 मिनट हो गये।

श्री संयम लोढ़ा : भले ही हो गये हों, अभी तो मुझे खास बातें कहनी है।

श्री सभापति : समय की सीमा है। दूसरे माननीय सदस्यों को किसी को पांच मिनट से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, आपको 22 मिनट दे दिये।

श्री संयम लोढ़ा : हां, पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : ये अकेले ही माननीय सदस्य नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ा दिया, आप निश्चित रहें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिये कि राजस्थान सरकार को पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1887 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई तब उनकी आबादी क्या थी ? कलकत्ता की थी 6,56,458 मद्रास की थी 4,05,808 और बोम्बे की थीं 7,73,196 और नफरी क्या थी ? कलकत्ता की 1497, मद्रास की थी 729 और बोम्बे की 1388 और कितना एरिया था ? माननीय सभापति महोदय, 27 सक्वायर मील एरिया था कलकत्ता का बोम्बे का 22 था और मद्रास का 27 था और उसके बाद माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के कितने शहरों ने इस प्रणाली को एडाप्ट किया है ? आप जयपुर से चलिये, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, बोम्बे, ठाणे, पुणे, महाराष्ट्र के 11 शहरों में जिनमें औरंगाबाद, नागपुर इसमें सारे ही आते हैं, वहां पर है। आप कर्नाटक में चले जाइये, आंध्रा में चले जाइये

(श्री संयम लोढ़ा)

केरल जैसे में जहां की राजधानी त्रिवेन्द्रम 10 लाख का शहर है, जयपुर से कहीं छोटा है वहां पर कमिशनर प्रणाली है पर हम लोगों ने यह सोच रखा है, चाहे हम हों या आप हों, पुलिस हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करती रहे, हम पुलिस की वैसी व्यवस्था चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह बने, पुलिस जनता के प्रति समर्पित हो, पुलिस जनता के हितों की रक्षा करें, पुलिस पूरी स्वतंत्रता के साथ फरियादी को न्याय दे सके। इस तरह की व्यवस्था में हमारा यकीन नहीं है और इसलिए हम उन आई.ए.एस. अधिकारियों के दबाव में आ जाते हैं कि साहब इस व्यवस्था को बदलने से इस रूप में आपके हित प्रभावित होंगे और इस रूप में यह होगा और फैसले से हम पीछे हट जाते हैं। माननीय कालीचरणजी सर्राफ सही कह रहे थे कि महामहिम उपराष्ट्रपतिजी ने 1992 में यह मन बनाया था। उनका मन बना था कि हम पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करेंगे। लेकिन इसी तरह यह उनको सुझाव देकर कि एक नई चीज है पता नहीं क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या नहीं होगी, उनको डाइवर्ट कर दिया। आज जयपुर में 4 एस.पी. लगा रखे हैं आपने 1 एस.पी. ट्रेफिक, एस.पी; नोर्थ, एस.पी. साउथ और एस.पी. हैडक्वार्टर और उन सब के ऊपर एक आई.जी.। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने से कौनसा खर्चा बढ़ रहा है ?

श्री सभापति : माननीय रामकिशोरजी मीणा । आप बोलो न।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा सिर्फ दो मिनट। सभापति महोदय, भारतीय पुलिस एक्ट, 1861 जो अंग्रेजों ने उस समय बनाया था और इसलिए बनाया था कि अंग्रेजों की जालिम हुकूमत के हितों की पूर्ति की जा सके। इस पुलिस फोर्स को आदेश देकर उसके आदेश की पालना करवाकर जनता माने तो ठीक नहीं तो डंडे के जरिये जनता को मनवाया जा सके। भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 में कहीं भी जनता शब्द का उल्लेख नहीं है। हमारी हर संस्था, हमारा हर इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता के प्रति समर्पित है, इस गणराज्य के प्रति समर्पित है। मुझे बड़ा अफसोस है कि, मैं आपको दोष नहीं देता हूं, आपकी सरकार को भी दोष नहीं देता, 50 साल में कई हुकूमतें आई, क्यों नहीं इस तरह का फैसला किया लेकिन हमारे राजस्थान में पुलिस के आला अधिकारियों ने इस दिशा में सोचा है और जब हमारी सरकार थी तब राजस्थान पुलिस 2000 का मसौदा आपको भेजा है...

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : आपके पास वह प्रस्ताव विचाराधीन है और मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इंटेंशन पर किसी को डाउट नहीं है, पूरा समाज और पूरा राजस्थान यह मानता है कि आपको इंटेंशन ठीक है, अच्छे हैं और राजस्थान की जनता के हित के प्रति आप प्रतिबद्ध हैं...

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 ओर 17 पर आज बहुत विस्तार से विचार हो रहा है। प्रदेश में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने...

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपसे अपील करना चाहता हूं राजस्थान के तमाम लोगों की तरफ से कि आप हौसला दिखाइये और समाज को परिवर्तन की तरफ आगे ले जाने के लिए इन तमाम प्रावधानों पर कोई न कोई फैसला कीजिये। धन्यवाद । जय हिन्द।

श्री सभापति : आपको भी धन्यवाद।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था जितनी अच्छी होगी वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं बढेंगी वो राज्य एक अच्छे विकास के लिए भी बढ़ेगा। इस वातावरण के लिए जरूरी है हमारी पुलिस व्यवस्था जिसका जिम्मा यह माना जाता है कि हर आदमी सुरक्षित रहें यहां का वातावरण इस प्रकार का बने कि यहां उद्योगपति भी आये, रोजगार के साधन भी वो बढ़ाये उसके लिए जरूरी है कि प्रदेश के वातावरण में हरेक आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस करे तो निश्चित रूप से वह प्रदेश बहुत अच्छी श्रेणी में माना जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से राजस्थान इसी श्रेणी का है जहां पर अपेक्षाकृत शांति है और इसी कारण से अन्य प्रदेशों से भी लोग-बाग यहां पर अपना व्यवसाय के लिए आते रहे हैं।

यहां पर जितनी बातें कहीं हैं उनको दुबारा दोहराऊंगा नहीं और उनसे अलग कहूंगा। उसके अलावा मैं, एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो अपने वार्षिक प्रतिवेदन वगैरह जितने भी दिये हैं उनका मोटा-मोटा सार यह निकलता है कि जितनी हमारी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार हमारा जो पुलिस का बेड़ा है वह नहीं है! और उस कमी की वजह से जहां हमारी जितनी

(श्री रामकिशोर मीणा)

संख्या होनी चाहिए उस संख्या की कमी की वजह से जो वहां ड्यूटी देनी पड़ती है उसके कारण से ज्यादा समय तक हमारे कर्मचारियों को ड्यूटी देनी पड़ती है। और जब ज्यादा समय तक अपनी सीमा से ज्यादा ड्यूटी देता है तो उसमें चिड़चिड़ापन आता है। और जब चिड़चिड़ापन आता है तो उसके कारण नि:सन्देह तौर से पुलिस के बारे में यह कहा जाता है कि वह संवेदनहीन हो गई है, इस प्रकार की बातें बढ़ती है। तो इस कारण से इस प्रकार की व्यवस्था समय-समय पर की जाए। पहले हमारे पुलिस के सम्बन्धित केसेज थे उनका प्रकार दूसरा था। लेकिन ज्यों-ज्यों आज के युग में बदलाव आया है उसके कारण से अपराधों की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है और उस प्रवृत्ति के अनुसार ही हमारी पुलिस को आधुनिक तरीके से सुसज्जित किया जाता है...

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें।

श्री रामकिशोर मीणा : आज हमारा जो प्रशासन है, इस मामले में सक्षम नहीं रह पाता है कि जो अपराधी है वह आधुनिक तरीके से लैस होते हैं और अपराध करने के बाद में पुलिस उसके तरीके बारे में अनुसंधान करती है कि इस प्रकार के हमारे पास में भी साधन होते तो निश्चित तौर से हम उस अपराधी को पकड़ सकते थे। इसमें जो प्रमुख बात कही गई है उसमें हमारा जो प्रांत है वह पाकिस्तान की सीमा से भी लगा हुआ है और यहां पर विशेष प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता रहती है। यहां पर क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है और जो भू-भाग है वह बहुत लम्बा है उसमें बहुत कम स्टाफ होने की वजह से वो पूरी तरह से निगरानी नहीं कर पाते और इस कारण से बाहर के अपराधी भी आते हैं। अन्तरराष्ट्रीय तौर के भी जो अपराधी हैं वे भी आते हैं इस कारण से संख्या बल और उसके लिए साधन दोनों ही बढ़ाने की आवश्यकता है। जो वर्तमान बजट है वह इसके लिए पर्याप्त नहीं है और जितने भी आज हमारे कम से कम 6 हजार से ऊपर तो नीचे के सिपाही के पद रिक्त है और उससे लेकर के भारतीय पुलिस सेवा तक के अधिकारी जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं होने के कारण जो अच्छा पुलिस प्रशासन दे सकते हैं इसके बारे में हमेशा शंकाएं जाहिर की जाती है।

पुलिस में अपराध होने के बाद में अपराधी को पकड़नें, अपराधी को पकड़कर कोर्ट तक ले जाना और उसका निस्तारण जितना जल्दी होगा, उसके

(श्री रामकिशोर मीणा)

आधार पर उस प्रशासन के बारे में तय किया जाता है कि अच्छा प्रशासन है या नहीं है। ज्यादातर देखा जाता है कि कोर्ट में चालान होने के बाद में, पहली बात तो कोर्ट में चालान बहुत देरी से पेश किया जाता है। और पेश करने के बाद में भी इतना समय लगता है कि न्याय जो किया जाता है वह लगता नहीं है कि हमारे साथ में न्याय हो रहा है। तो इसी कारण से अपराध करने वालों की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अपराधी को समय पर सजा नहीं मिलने के कारण से जो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं तो एक तरफ अपराधी को सजा नहीं मिलती तो तो उसके कारण से उनमें भी अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसमें गृह विभाग में और पुलिस में विशेष तौर से प्रमोशन समय पर नहीं होते। आज सिपाही जो ग्रेजुएट हैं वह भर्ती होने के बाद में 15-15, 18-18 साल तक, उसके सर्विस रिकार्डस में कोइ विपरीत एंट्रियां नहीं होने के बावजूद भी उनको प्रमोशन नहीं दिये जाते। जब प्रमोशन की एवेंयू उसको नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वह बेईमानी करेगा और बेईमानी करेगा तो प्रशासन के बारे में एक तरह से दुराभाव पैदा होगा। एक क्योंकि उससे ज्यादा ड्यूटी ली जाती है और उसके जो उच्चाधिकारी हैं वो समय पर ड्यूटी पर रहते हुए लगातार ड्यूटी लेते हैं और छुट्टी नहीं देते तो उसके बारे में भी उच्चाधिकारियों के प्रति उसमें वफादारी नहीं होकर उसके बारे में थोड़ी सी विपरीत भावनाएं बनने लगती है। ऐसा कोई मौका नहीं आये इसके कारण से उसमें हम सुधार की बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं।

जेल विभाग और पुलिस विभाग की दोनों की करीब-करीब एक कार्य प्रणाली है। हमारे जेल विभाग में प्रहरियों की भर्ती हुई। इसमें हमारे जो अभ्यर्थी थे, जो इसमें पास हो गये प्रहरी के पद पर लेकिन उन्होंने क्योंकि रिकार्ड के अन्दर अपने सेवाकाल का भरा नहीं था, छोटे-मोटे कुछ उनके खिलाफ एफ.आई.आर. थी उनको भरा नहीं इसके कारण से उनके सब तरह से सलेक्ट होने के बाद में भी उनको आज सर्विस में नहीं लिया जा रहा है जबकि दो साल पहले इसी प्रकार के मामले में जो पुलिस में भर्ती हुए थे, उसमें थे, उनको ले लिया गया। इस प्रकार दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए और उनको भी सर्विस में लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में मेहन्दीपुर बालाजी में आज अन्तरराष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति भी आते

(श्री रामकिशोर मीणा)

हैं और पूरे देश का एक माना हुआ तीर्थ स्थान है वहां पर तीर्थ यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां का जो थाना मानपुर लगता है उसकी संख्या इतनी कम हे जिसके कारण से आये दिन तो वहां पर कभी हाईकोर्ट के जज आते हैं कभी कोई केन्द्रीय मंत्री आते हैं कभी यहां के जाते हैं तो ज्यादातर तो वी.आई.पी. की ड्यूटी में वहां का स्टाफ लगा रहता है तो वहां का स्टाफ बढ़ाया जाये। और कम से कम मेहंदीपुर के बालाजी जो तीर्थस्थान है, वहां सब इंस्पैक्टर लेवल का कोई न कोई अधिकारी लगाया जाये, उसकी संख्या बढाई जाए। इस प्रकार से पूरे जिले में हमारे यहां पर हर जिले में करीब-करीब महिला थाना है, दौसा जिले में नहीं है और एस.सी.एस.टी. के केस हैं और उन केसेज में सब जगह डीवाई.एस.पी. है, दौसा में नहीं है। इसी प्रकार के केसेज वहां पर काफी है, तो इस प्रकार से वहां पर नई पोस्ट का क्रिएशन किया जाये। जहां तक प्रोसीक्यूशन का मामला है, माननीय सभापति महोदय, मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जितना भी स्टाफ है, उसको यदि समय पर हम एवेन्यूज दें, उनको सुविधाएं दें, जिनकी हाई ड्यूटी है, उनको कुछ रिलेक्सेशन देकर उनका यदि मनोबल बढ़ाया जाये, हमारा जो सबसे ईमानदार निचले स्तर का कर्मचारी है, वहीं काम करता है चोरों को पकड़ने में या बड़े-बड़े अपराधियों को पकड़ने में लेकिन हमेशा एप्रोच यह देखी गई है, जो बड़े अधिकारी है, वे उसका श्रेय लेते हैं। जो भी पकड़ता है छोटे स्तर का सिपाही, लेकिन पुरस्कृत होते हैं वह एस.पी. और डीवाई.एस.पी. लेबल का अधिकारी तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने जिस कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधी को पकड़ा है, उसको हम समय पर पुरस्कृत करें, उसको आगे एवेन्यूज दें तो नि:सन्देह इन अपराधों में और पुलिस के कुशल व्यवहार में परिवर्तन आएगा, धन्यवाद, जय भारत।

(20.00 बजे)

श्री सभापति : सुरेश मीणा।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय सभापतिजी, आज सदन में मांग संख्या 16 व 17 पर जो बहस के लिए आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपको मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सुबह से हम इस बहस को सारे सदस्यों को सुनते चले आ रहे हैं। हमारे दिल और दिमाग में था कि हमें भी पांच मिनट का समय मिले तो हम भी कुछ बातें इस सदन में रखें। कुछ हमारे सदस्य बता रहे थे कि पुलिस यहां फलाना

(श्री सुरेश मीणा)
काम नहीं करती, ढिकाणा काम नहीं करती, यह भ्रष्टाचार फैला रही है लेकिन सभापति महोदय, मैं यह बात बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वह फैलता है ये राजनेता, राजनेता पूरे भ्रष्टाचार को फैलाता है। जिसका राज होता है, वह मनमानी करता है। आज जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं...

श्री सभापति : राजनेता में आप भी आते हैं।

श्री सुरेश मीणा : उनके क्षेत्र में जो भी एस.एच.ओ. लगा या कोई भी लगा, वह उसके बगैर पूछे नहीं लगता। सारे जो भी लोग हैं, सब पैसा देकर लगे हैं। यदि कोइ इन्चार्ज पेसा देकर थाने में लगेगा तो वह गरीबों का खून नहीं चूसेगा तो अपने बच्चों को थोड़े ही बेचेगा ?

माननीय सभापति महोदय, पुलिस के अधिकारी या पुलिस का सिपाही वह हमारे ही तो भाई हैं लेकिन हम देखते है कि पुलिस का कितना भी अच्छा अधिकारी हो, कितना भी सज्जन सिपाही हो लेकिन हर आदमी उसको गलत नजर से देखता है। यह इस तरह की भावना बन गई । मैं बताना चाहता हूं, आज की मेरे क्षेत्र की बात बताता हूं कि एक नई-नई घटना अभी घटी है। जिला कलक्टर को बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ज्ञापन देने जाते हैं तो कलक्टर बाहर खड़े हुए एस.एच.ओ. को निर्देश देता है कि मेरे पास पांच आदमी भेज दीजिये। एस.एच.ओ. उन लोगों में से पांच आदमी अन्दर भेज देता है। इसके बाद एक सदस्य जो बताते हैं, वह बीजेपी का कोई अध्यक्ष था। अब इन्चार्ज तो जानता नहीं था, न इसके सिर पर लिखा हुआ कि यह फलाना आदमी फलानी पार्टी का अध्यक्ष है। उस आदमी को इन्चार्ज ने रोक दिया कि भाई, देखो कलक्टर साहब ने पांच आदमियों का कहा है, पांच आदमी अन्दर जाएंगे तो, माननीय सभापति महोदय, मैं बताता हूं उस समय धक्का-मुक्की हुई, उनमें और धक्का-मुक्की में, उस चीज के बाद में उसकी जांच करवाई और जांच हुई है उस चीज की, उन लोगों ने स्याही लगा-लगाकर मेडिकल करवाया है। उस इन्चार्ज को लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर करने के बाद में एस.डी.एम. ने उसकी जांच की, वह जांच में सही पाया गया, सही पाया गया तो दुबारा उसको लाइन से फिर थाने में इन्चार्ज लगा दिया। दूसरे रोज, राज की बात है एस.डी.एम. ने जो रिपोर्ट, दी वह ताक में फेंक दी और उसको सस्पैण्ड कर दिया। यह तो राज है। कैसे अधिकारी काम कर पायेगा, मेरी समझ में नहीं आया और परसों की बात है, एक थाने में मामूली सा कार्यकर्ता जाकर थानेदार के थप्पड़ मारता है। हम तो यह मानते नहीं है कि ये थानेदार कैसे राज

(श्री सुरेश मीणा)
चलायेंगे, मुझे पता नहीं, यह करौली की बात है और फिर थानेदार ने उसके खिलाफ इस्तगासा पेश किया है, इसकी रिपोर्ट मंगाई जाये... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, आप बिराजिये प्लीज। माननीय श्रवणजी, आप बिराजिये।

श्री श्रवण कुमार : यह अन्याय है ना ? थानेदार जैसे इम्पोर्टेंट जो थाने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको थप्पड़ मार दिया, इसके साथ अन्याय है, ऐसे राज नहीं चलेगा।

श्री सुरेश मीणा : और एस.डी.एम. ने इसकी जांच की है, एस.डी.एम. की रिपोर्ट मंगाई जाये। कोई गलती नहीं पाई उस इन्चार्ज की और उस इन्चार्ज को सस्पैण्ड किया है।

श्री भागीरथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों को इन्होंने +++ बताया है। यह सदन की बहुत बड़ी गरिमा की बात है और इस तरह से ये कह रहे हैं।

श्री सुरेश मीणा : मैं तो खुद ही बता रहा हूं, खुद ही बता रहा हूं, खुद को ही बताता हूं इस चीज के लिए, कोई दूध का धुला नहीं है।

श्री सभापति : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री भागीरथ चौधरी : नहीं पहले इन्होनें कहा है। पहले इन्होनें कहा है। ट्रांसफर इसी हिसाब से हो रहे हैं।

श्री सुरेश मीणा : आप बताओ, कोई दूध का धुना हो तो ?

श्री भागीरथ चौधरी : पहले इन्होंने बोला है कि सब ट्रांसफर पैसा देकर करते हैं। पहले इन्होंने बोला है। जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं, वह पैसा देकर कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं पहली-पहली बार चुनकर आया हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये। आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है। माननीय जीतमल जी विराजिये।(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : अपनी बात को कहने का मौका दीजिये इनको, ये क्या बात कह रहे है।

श्री सभापति : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी : इन्होंने सबको ही +++ बताया है। यह गलत बात है।(व्यवधान)

श्री सभापति : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) मीणा साहब, आप कनक्लूड करें आधा मिनट में।

श्री सुरेश मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और पेश करना चाहता हूं कि मेरे ही क्षेत्र में ...

श्री श्रवण कुमार : जिस पार्टी के माननीय सदस्य हैं, मायावती के, ये साहूकार हो ही नहीं सकते। मायावती की बात है। ये मायावती की बात कर रहे है।(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह बात कर लेंगे। आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सदस्य आप कृपया अपने स्थान से बोलें।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश मीणा : मेरे क्षेत्र के दो नौजवान लड़के एक कोटा में परीक्षा देने गया था वह गायब हो गया। उसको 10 दिन हो गये। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई कोई कार्यवाही नहीं हुई और एक लड़के को एक महीना हो गया वह भी लापता हो गया है। थाने में दोनों की रिपोर्ट दर्ज है, कोई भी उनका पता नहीं।

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्री सुरेश मीणा : अब मेरे क्षेत्र के बारे में हमारे गृह मंत्रीजी को बात कहना चाहता हूं मेरा पूरा क्षेत्र डकैती एरिया है, जहां चम्बल है और डकैत वहां पर रहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं...

श्री बद्रीलाल जाट : सभापति महोदय, यह शब्द इस सदन की कार्यवाही से निकालिये क्योंकि एक एरिया का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अपने जन प्रतिनिधियों के प्रति जो भावना होनी चाहिए, उसके बजाय दुर्भावना

(श्री बद्रीलाल जाट)
लेकर यह वक्तव्य देता है कि मेरे क्षेत्र में डकैत रहते हैं। इससे बड़ा हनन इस सदन में नहीं हो सकता।

श्री सुरेश मीणा : दुर्भावना किस बात की, यह तो बताओ। डांग क्षेत्र है मेरा, आप मेरे साथ चलो, मैं बताता हूं।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री बद्रीलाल जाट : तो आप वहां डकैत कह देंगे, क्या बात कर रहे हो आप।

श्री सुरेश मीणा : मेरे साथ चलिये। (व्यवधान) लोगों के साथ में व्यवहार हो रहा है, सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं। दिन छिपने के बाद, सात बजे के बाद वहां की दलित समाज की बहिन-बेटी रात को बन्दूक लेकर आते हैं उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ... (व्यवधान) करते हैं और मैं बताऊ आपको यह जो सदस्य बोल रहे हैं, मेरे साथ चलिये। क्या बात करते हो। हमारे साथ चलिये। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है।

श्री बद्रीलाल जाट : सभापति महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। इनके शब्दों को कार्यवाही से बाहर निकालिये। (व्यवधान) ये बार-बार इस बात को कह रहे हैं।

श्री सभापति : आप विराजिये। ऐसा है, गृह मंत्रीजी अपने आप जवाब दे देंगे। आप विराजिये ना। आप क्यों उतावले हो रहे हैं।

श्री सुरेश मीणा : मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मेरे साथ चलें और मैं सारी बात आपको बताऊं.. (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी : यह कह रहे हैं +++ माननीय सभापतिजी, यह क्या कह रहे हैं यह।

श्री सभापति : प्लीज, आप विराजें। मीणा साहब।

श्री भागीरथ चौधरी : यह कह रहे हैं+++

श्री सुरेश मीणा : माननीय सभापतिजी, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मासलपुर के ऊपर वह पूरा क्षेत्र एकदम बेकवर्ड है, न वहां पर कोई सड़क है, न वहां कोई साधन जाता है, मेरा निवेदन है कि उन गांवों में...

श्री श्रवण कुमार : प्रार्थी ने सभी नेताओं को +++ कहा है, यह कार्यवाही से निकलवाओ।

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार : नेताओं को सभी +++यह कार्यवाही से निकलवाओं।

श्री सभापति : तो निकलवा दिया है मैंने।

श्री श्रवण कुमार : निकलवा दिया न।

श्री सुरेश मीणा : उन गांवों में चौकी लगाई जाय। हकीकत मैं बता रहा हूं आप चाहे उस चीज को यहां से कोई टीम भेजकर पूछ लीजिये कि वहां रात को गुण्डे आते हैं और हमारे दलित समाज की बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। यह पक्की बात है, असत्य नहीं बोल रहा हूं सदन में, आप मेरे साथ चलें, मैं बता दूंगा। इसलिए गृह मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि वहां पर जगह-जगह चौकियों की व्यवस्था कराई जाय ताकि इस दलित समाज के लोगों के साथ... (व्यवधान)

एक मानीय सदस्य : आपको क्या तकलीफ हो रही है।

श्री बद्रीलाल जाट : एक भी शब्द यह अपने आप में सही नहीं बोल रहे अभी भी।

श्री सभापति : आप विराजिये प्लीज।

श्री सुरेश मीणा : मैं एक निवेदन करता हूं गृह मंत्रीजी से कि आपके महकर्मे में...

श्री जीतमल खांट : यह दलितों की वकालत कर रहे हैं, आप बैठें।

श्री सभापति : प्लीज, मीणा साहब, विराजिये आप।

श्री सुरेश मीणा : एसटी, एससी के जो भी अधिकारी चाहे आई.पी.एस. हो चाहे एडिशनल एस.पी. हो, डिप्टी हो, चाहे वह एस.एच.ओ. हो...

श्री सभापति : माननीय सी.पी. साहब, प्लीज।

श्री सुरेश मीणा : उसको भी सही जगह पर लगाने का कष्ट करें, उनको भी एस.पी. लगाया जाय, डीवाई.एस.पी. लगाया जाय और थानों में ज्यादा से ज्यादा एस.सी., एस.टी. के लोगों को भी एस.एच.ओ. बनाया जाय.. (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : हमारा भी तो नम्बर है सभापति महोदय।

श्री सुरेश मीणा : यह मांग है हमारी आपसे, वैसे कलम तो आपके हाथ में है, करोगे तो आपके जचेगी जैसे ही। जय हिन्द। जय भारत।

श्री रामप्रताप कासनिया : सबसे अंत में ?

श्री सभापति : धन्यवाद। सी.पी. जोशी साहब आपने.. (व्यवधान) पांच मिनट में अपना भाषण पूरा करें।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, रहम करो।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, दिन भर की चर्चा के बाद में उन बिंदुओं को रिपीट नहीं करूंगा जो माननीय सदस्यों ने कहा है। मैं तो माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान दो-तीन बातों पर आकर्षित करना चाहता हूं। नम्बर एक, 73 और 74 अमेण्डमेंट के बाद भारत सरकार ने पंचायतों में 96 एक्सटेंडेड एक्ट लागू किया है जिसको राजस्थान सरकार ने भी माना है। अभी कोटड़ा की जो घटना हुई या पिण्डवाड़ा की जो घटना हुई, पंचायती राज का जो 96 एक्सटेंडेड एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ट्राइबल इलाके की जो कस्टम है, ट्रेडीशनल है उनके आधार पर हम उनको सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार देंगे। मैं नहीं जानता, अलग-अलग विभागों में हमने परिवर्तन किया लेकिन पुलिस विभाग के नियम और कानून में परिवर्तन नहीं

(डा. सी.पी. जोशी)

किया, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं विनम्र शब्दों में कि यदि हम ट्राइबल सब प्लान के इलाके के अंदर वहां की ट्रेडिशन, उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं के आधार पर जो वह अपने कानून में व्यवस्था का समाज निर्णय करता है उसको यदि हमने नियम और कानून में जगह नहीं दी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं, आपसे अपेक्षा करता हूं कि कम से कम उस एक्ट की धारा के अन्तर्गत यदि हम ट्राइबल सब इलाके के अंदर पुलिस के व्यवस्था के नियम और कानून में परिवर्तन किया, समाज के उन लोगों को उनके साथ जोड़ा तो वहां पुलिस का भ्रष्टाचार रुकेगा। आज ट्राइबल सब इलाके में सारा पुलिस का भ्रष्टाचार, आप उठा कर देख लें आंकड़े, मैं कहना नहीं चाहता, उस दिन प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, आप आंकड़े उठा कर देख लें, वहा पर पेड़ से लटक कर ही आदमी की मौत होती है। हमें पूछना पड़ेगा पचास साल में ट्राइबल इलाके में मौत का कारण केवल मात्र पेड़ से लटकने का क्यों हो रहा है। क्या कारण है वहां पर थानेदार की पोस्टिंग के लिए इतनी सिफारिश लगती है, क्या कारण है कि वहां के थानेदार की माली हालत कैसेट सुधरी है। वह समय आ गया है कटारिया साहब, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं आप एक प्रोफाइल बनाइये, आपके विभाग के अधिकारियों को प्रोफाइल बनाइये, ऐसे कौन-कौन से अधिकारी हैं जो कहां-कहां एस.एच.ओ. रहे हैं, कहां-कहां थानेदार रहे हैं, कहां-कहां डीवाई.एस.पी. रहे हैं, वह इलाके कौन-कौन से हैं, यह इलाके वह इलाके हैं माननीय सभापति महोदय, जो इलाका इन्टर स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट उठाकर देखें झालावाड़, डिस्ट्रिक्ट उठाकर देखें उदयपुर, डिस्ट्रिक्ट उठाकर और जगह देख लें यहां पर, जो इन्टर स्टेट से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर जो लोग आपके पोस्टेड हैं उन पोस्टेड लोगों के संबंध में भी, उनको पोस्टिंग के संबंध में भी हमें विभाग में एक निर्णय लेकर प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता है। यह इसलिए आवश्यक है कि आपका जो प्रमोशन होता है उसमें मेरिट के अंदर एसीआर एन्ट्री होती है, एसीआर की एन्ट्री कौन करता है, उनका बॉस करता है। यदि यह थानेदार की एन्ट्री करने वाला डीवाईएसपी ईमानदार नहीं है तो थानेदार का प्रमोशन क्या होगा। डीवाईएसपी के प्रमोशन करने वाला एडिशनल एस.पी., एस.पी. ढंग का नहीं है तो उसका क्या होगा। सारी व्यवस्थाएं माननीय सभापति महोदय, नये सिरे से आपके मन मे जो कल्पना है उसको ठीक करना है तो आपको आपके विभाग के

(डा. सी.पी. जोशी)

प्रोफाइल, जो आपके काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी प्रोफाइल को आपको ठीक ढंग से करना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस गुलाब में खुशबू है, उस गुलाब में खुशबू नहीं थी।

डा. सी.पी. जोशी : मैं सोचता हूं कि उस घनश्याम में है कि नहीं है, यह घनश्याम सारे आदमी देख रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता पर मैं गुलाबजी कटारिया की मन की इच्छा जानता हूं, कितना कर पायेंगे...

एक माननीय सदस्य : यह दोनों के दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है।

डा. सी.पी. जोशी : मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं कि पांच साल बाद मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा...

डा. किरोड़ी लाल : जोशीजी।

डा. सी.पी. जोशी : कि मैंने आपके मन में जो लगन है उनमे आपका ध्यान आकर्षित कियाहै, आपके मन में निष्ठा और लगन है तो इस पर भी आप ध्यान देकर अगले पांच साल में क्या करेंगे, इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है।

डा. किरोड़ी लाल : जोशीजी, पहले भी गुलाब थे और अब भी गुलाब हैं।

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्रीजी।

डा. सी.पी. जोशी . पहले गुलाब थे, कोई सिंह थे, कोई चन्द, क्या थे, मुझे मालूम नहीं। मैं तो खाली यह निवेदन करना चाहता हू सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, नम्बर एक, सबसे बड़ी आवश्यकता यह है आज कानून के संबंध में हमारी जो सारी फिलासापी है उसको बदलने की आवश्यकता है। कानून किस आधार पर बना हुआ था, आज

(डा. सी.पी. जोशी)

क्राइम का आधार बन गया। आज क्राइम का आधार यह बन गया माननीय सभापति महोदय, आपको स्वयं को मालूम है, कटारिया साहब को मालूम है, गुजरात के अंदर ड्राई है, सारी शराब जाती है, शराब जाती है कहां से जाती है, शराब का जाने का रास्ता कौन सा है, उदयपुर से रतनपुर से लगाकर अहमदाबाद का रास्ता कौन सा है, वहां पर कितने थानेदार हैं, वहां पर कितने डीवाई.एस.पी. हैं, कितने सर्किल हैं, कौन सी चौकी है, कौन सी गह जा रहे हैं, क्या हमें मालूम नहीं है कि वह शराब की जो डिस्ट्रिक्ट है जिन डिस्ट्रिक्ट के इन्टर-डिस्ट्रिक्ट जुड़ती है, वहां पर शराब का सबसे ज्यादा हाइएस्ट बिड होता है। जब हाइएस्ट बिड होता है वहां पर तो कम्पनसेट करने के लिए आपका शराब का दूसरा धन्धा कहा लागू होता है। आप क्राइम को आइसोलेशन करके नहीं देख सकते। राजस्थान में क्राइम को आइसोलेशन करके देखेंगे तो राज्य के क्राइम की स्थिति को ठीक नहीं कर सकेंगे। आपको क्राइम से जोड़ना पड़ेगा कि यह रेवेन्यू जो रही है उस रेवेन्यू के अन्दर हमने लोगों को छूट दे दी है। हम अपनी परफारमेंस, हमारा काम करना हमने छोड़ दिया है। पुलिस की व्यवस्था करने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम केवल मात्र यह है, यदि हमने ठेके में दे दिया शराब का, तो शराब के ठेकेदार को जितनी रेवेन्यू हो रही है, उतनी हो रही है या नहीं हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने का काम पुलिस करेगी। यदि पुलिस उसका प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, माननीय सभापति महोदय, तो जो शराब का ठेकेदार आदमी है, उसका पहला मोटिव है कि जब हाइएस्ट बिड लगाई है तो पैसा कमाने का उसका उद्देश्य होगा। वह पैसे कमाने का काम करेगा। उसमें आपके इन्टरेस्ट क्लेश करेंगे। इसलिए पहली आवश्यकता इस बात की है क्या आप इस रेवेन्यू के साथ में क्राइम को जोड़ना चाहते हैं। यदि आज जयपुर शहर के अंदर जमीन का भाव बढ़ गया है तो जमीन को खरीदने के और खाली कराने के लिए जिन लोगों के बेस्टेड इन्टरेस्ट हैं उनका सीधा संबंध पुलिस से जुड़ा हुआ है। क्या हमारे पास प्रोफाइल है, कौन लोग भू-माफिया हैं, कौन लोग जमीन के साथ धन्धा करते हैं, कौन से रेवेन्यू ऐजेंसी से जुड़े हुए हैं, कितनी जमीन की किस्म क्या थी, कैसे जमीन बदली, यू.डी.एच. में कामर्शियल जमीन कैसे होती है, कैसे दूसरी जमीन को लोग उपयोग कर रहे हैं। क्या हमारे पास जानकारी है, क्या मल्टी स्टोरी बनाने के संबंध में हम परमिशन दे रहे हैं तो मल्टी स्टोरी के नियम क्या हैं, कानून क्यों हैं क्या हमने उसके नीचे के ग्राउंड का जो

(डा. सी.पी. जोशी)

हमको दे रहे हैं उसमें पार्किंग की जगह देखते हैं। आप जाकर देखिये, बड़ी-बड़ी सड़क के अंदर आज जहां पर हमने कमर्शियल काम्पलेक्स दे दिये, कामर्शियल काम्पलेक्सेज में पचास गाडियां, सौ गाडियां कहां खड़ी रहेगी। वहां आने-जाने वालों को ट्रेन की तकलीफ होगी। हमने क्या व्यवस्था कर रखी है, हमे यह भी सोचना पड़ेगा कि यदि किसी आदमी का मोटिव पैसे कमाना जमीन के आधार पर है, किसी आदमी का मोटिव शराब के धंधे से है, किसी आदमी का मोटिवज माइन्स के धन्धे पर है, तो उनके नियम और कानून के साथ हमारे इन्टरेस्ट क्लेश कर रहे हैं, उन नियम और कानून के संबंध में हमको सोचना पड़ेगा।

(20.18 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान आपने स्वयं ने देखा है। आज राजस्थान में अफीम की सबसे बड़ी खेती होती है, तस्करी होती है अफीम की। अफीम का सबसे बड़ा मार्केट है। अफीम कहां से जाती है, क्राइम प्रतापगढ से ही क्यों होता है, क्राइम झालावाड़ से ही क्यों होता है, हमें समझने की आवश्यकता है कि ओपियम यदि होती है तो ओपियम का इन्टरनेशनल मार्केट कहां है, इन्टरनेशनल मार्केट के आधार पर वह अफीम कहां से जाती है। हमारी बोर्डर पाकिस्तान से भी लगती है, पाकिस्तान का बोर्डर अफगानिस्तान से भी लगता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान से मिलकर यदि बम्बई के अंदर कोई तस्करी का सामान जायेगा, तो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स कर रखें है कि घटना हो जाय उसके बाद पुलिस पिक्चर में आये, यह राजस्थान में अब आवश्यकता नहीं है। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। क्या हमारे पास क्राइम का रोड मेप है, क्या हमें मालूम है कि क्राइम कहां-कहां कमिट हो रहा है उसका रोड मेप कहां है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की पुलिस के पास क्राइम का रोड मेप नहीं है। क्राइम कमिट होने के बाद हम यह सोचते हैं कि अब हमारा जो यह डेस्टिनेशन है वह बदल गया है, पहले चित्तौड़ से जा रहा था, अब उदयपुर से जा रहा है, फिर झालावाड़ से जा रहा है। यह हम क्राइम होने के बाद में सोचते हैं हम यह एंटिसिपेट ही नहीं करते हैं कि हमारे क्राइम के अंदर कौन

(डा. सी.पी. जोशी)

सा रूट है जिस रूट के आधार पर यह काम कर सकें। मैं चाहता हूं कि आज जमाना बदल गया है, जमाना बदलने के बाद जिसने इलेक्ट्रोनिक गेजेट आये हैं, जितनी चीजें नई आई हैं, सभापति महोदय, उनका सबसे ज्यादा लाभ क्राइम करने वाले आदमी ले रहे हैं। विभाग के पास गाड़ी की क्या स्थिति है, सुन्दरलालजी ने बताया। पांच किलोमीटर, चार किलोमीटर गाड़ी नहीं चल सकती। क्राइम करने वालों के पास लेटेस्ट चीजें हैं, उसके पास मोबाइल फोन हैं, उसके पास लेटेस्ट चीजें हैं, क्यों आपके विभाग के पास, मुझे बताइये कटारिया साहब, क्या विभाग ने आज दिन तक एक प्रिवेंटिव क्राइम को रोकने के लिए कोई सी.डी. बनाई है। बनानी चाहिए विभाग को। विभाग के पास होनी चाहिए कि यह सी.डी. है जिस सी.डी. में हम यह पता लगाते हैं कि क्राइम ऐसे कमिट होता है, उसको रोकने के लिए नियम और कानून को बदलें, अभी तो क्राइम करने वाला सी.डी. बनाकर हमको देता है कि बी.सी.डी. है, आप मेहरबानी करके काम करिये। इसका मतलब जो क्राइम करने वाला आदमी है वह विभाग और सरकार की व्यवस्था से ज्यादा अच्छा सुदृढ़ है। यदि विभाग को हमें मजबूत करना है, क्राइम को रोकना है, प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं तो हमें आधुनिक तरीके से हमारे विभाग को ताकत लगानी पड़ेगी। अभी फोरेन्सिक लैब जैसा आपने बताया माहिर आजाद जी ने कि कितनी उसकी मैन पावर है, कितनी अच्छी व्यवसथा है, कौनसी वहां पर एक्स रे मशीनें हैं, कैसी व्यवस्था कर रखी है, उसका क्या उपयोग हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमने अनसाइंटीफिक तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक ट्रडिशनल वे में, जो अंग्रेजों के राज में था उसी को हमने इन्वेस्टिगेशन का तरीका बना रखा है। आधुनिक तरीकों में इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें हमें परिवर्तन करनी है उसका किसी न किसी को इनिशियेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि ये इनिशियेटिव का काम आप भी करें।

आपको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कटारिया साहब, आज जहां गांव में ये गरीब आदमी जो अपना जीवन चलाने के लिए पैसा लेता है, ब्याज पर पैसा लेता है। पचास हजार रुपये, एक लाख रुपये लेता है वो पैसा लेता है 25%, 20% और 40% पर। किस तरह एक-एक गांव में जाकर कहानी है उठा कर देखिये कटारिया साहब, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं ऐसा कोई गांव क़िसी विधान सभा क्षेत्र का नहीं बचा होगा जहां गांव के गरीब

(डा. सी.पी. जोशी)

आदमी को अपनी जिन्दगी चलाने के लिए एक लाख रुपये कोई आदमी दे रहा है तो वो पहले 25% पैस काटता है, जो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है उसके मकान पर कब्जा कर लेता है, उन आदमियों को आत्महत्या करनी पड़ती है। क्या पुलिस ने आज दिन तक उन आदमियों को रोकने के लिए कोई नियम और कानून बनाया। गांव के गरीब आदमी के विकास की हम कल्पना करें और गांव के विकास की कल्पना के आधार पर यदि उस गरीब आदमी के शोषण को रोकने के लिए हम इस तरह नान वेलेबल आफेंस नहीं बनायेंगे तो गांवों में जो ऐसे आदमी हैं जो ब्याज का धन्धा करते हैं उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि किसी की पत्नी किसी को गिरवी रखनी पड़ती है, किसी को किसी का मकान गिरवी रखना पड़ता है, क्या स्थिति बनी हुई है। मैं समझता हूं कि आज दिन तक हमने क्राइम के संबंध में इस पर चर्चा नहीं की और जितना गरीब इलाका है, माननीय कटारिया साहब, उस गरीब इलाके में सबसे ज्यादा शोषण उस छोटे आदमी का पैसे की व्यवस्था का काम करने के लिए हो रहा है। क्या पुलिस विभाग कोपरेटिव बैंक के साथ बात करेगा कि उनकी डोमेस्टिक नीड कोपूरा करने के लिए हम बिना ब्याज पैसा देंगे। जिससे उस आदमी को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, उसकी पत्नी को गिरवी न रखना पड़े, उसके सामान को नहीं बेचना पड़े, उसके खेत को गिरवी नहीं रखना पड़े, यह भी काम किसी न किसी को करना पड़ेगा माननीय कटारिया साहब, और मैं आपसे आशा करता हूं कि यह काम आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने समय तो दो मिनट का मांगा था। आपको दस मिनट हो गये है।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाता हूं। आप तो खुद सार्वजनिक जीवन में रही हैं दो शब्द बोलते हैं नेता लोग तो दो शब्द कितने होते हैं मुझे बता दो।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें, मैं यह कह रही हूं।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं तो आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं कोई तकलीफ नहीं है मुझे। मुझे कोई जरूरी नहीं है I don't want to speak.

श्री अध्यक्ष : नहीं, कासनियाजी भी हैं अभी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बोलने दो न इन्हें इसमें क्या दिक्कत है, अभी मैं बोलता तो मैं आधा पौन घंटा बोलता कि नहीं बोलता ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रतापजी कासनिया भी हैं लेकिन आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बोलो-बोलो आप।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं I am not fond of speaking आप समझते हैं कि बिन्दु चर्चा नहीं किया जाना चाहिए तो नहीं किया जाना चाहिए, मुझे धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद कटारिया साहब, को धन्यवाद आपको भी आप इसी तरह से डिबेट करना चाहें तो अध्यक्ष महोदय, I am sorry. You have to protect our interests. I am not talking anything which is irrelevant. I am not saying anything which is repetitive.

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा अब आप समाप्त करें।

डा. सी.पी. जोशी : आज दिन भर की मीटिंग में कोई आदमी बोला तो मुझे बता दें। मैंने कोई रिपीट नहीं किया। मैंने कोई चार्ज भी नहीं लगाया। आप नहीं सुनना चाहें तो आपको धन्यवाद। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इनको कंक्लूड करने दो।

श्री अध्यक्ष : मैंने ना कब किया ? मैंने है कब कहा कि बन्द करें ? मैंने कहा कि आप... मैंने आपसे यह कहा कि कंक्लूड करें। मैंने कहा कि अब आप कंक्लूड करें।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं कल वित्त मंत्रीजी ने भाषण दिया तो आपने क्वेश्चन अलाऊ नहीं किया। आप अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हाउस चलाना चाहें तो नहीं चलेगा हाउस। हम नहीं बोलेंगे। आप अपनी मर्जी से चलाइये हाउस को। उस दिन वित्त मंत्रीजी ने जवाब दिया तब आपने हमें पूछने का अलाऊ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कंक्लूड करने को कहा है।

डा. सी.पी.जोशी : आज हम बोलना चाहें तो नहीं बोलने दे रहे हैं। मत बोलने दीजिये कोई तकलीफ नहीं हैं हमें।

श्री अध्यक्ष : इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है मैंने आपको समाप्त करने के लिए नहीं कहा कंक्लूड करने के लिए कहा है। मैंने कंक्लूड करने के लिए कहा है।

डा. सी.पी. जोशी : कोई तकलीफ नहीं है हमें अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था देख लीजिये उठा कर देख लीजिये आपको एन्क्रेज करना चाहिए। You should encourage. You are senior member of the House. You are very senior member.आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्डी डिबेट एन्क्रेज करें। If you don't want to encourage, perfectly all right. Nothing wrong.

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलना चाहें तो कंक्लूड कर दीजिये नहीं कंक्लूड करना चाहें तो मर्जी आपकी। आप कंक्लूड करना चाहें तो कर दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल भाषणों से थोड़ा सुधरेगा, कुछ करके बताते। कासनिया जी, बोलिये।

डा. सी.पी. जोशी : I am not fond of speaking. मैं अध्यापक हूं तनख्वाह् मिलती है वो काम नहीं करता हूं मैं कोई जरूरी थोड़े ही है तनख्वाह. पर काम करूं। मैं तो ध्यान आकर्षित करता हूं कटारिया साहब... (व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद :.. (व्यवधान)...सारी अव्यवस्था फैलाते हो। ये अच्छा भला बोल रहे थे। कांक्रेन्ट सजेशन दे रहे थे मगर आपके परेशानी होती है, पता नहीं क्या होता है आपके।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे काहे की परेशानी होती है। आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : बोल रहे हैं ना... (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसके अलावा भाषणों से कोई नहीं ठीक होता है आप कुछ करके बताते अगर यह कहते कि हमने यह किया, उस समय तो भूल गये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : डंडे से होगा क्या ? डंडे से होगा क्या ? भाषण से नहीं वो डंडे से होगा क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस समय समय मिला था उस समय तो कुछ किया नहीं और अब आज भाषण दे रहे हैं। अब आप कर रहे हैं अपनी तस्वीर तो देखों। आप सुझाव दे रहे थे, बहुत लंबे समय तक आपको समय मिला कुछ करके बताते।

डा. सी.पी. जोशी : आपका भाषण सुनने से हो जाएगा ? सुन लेते हैं आपके भाषण से हो जाएगा तो सुन लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये आप।

श्री संयम लोढ़ा : आपने बहुत करके बता दिया इसलिए तो देश का राज चला गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, विराजिये अब आप। आप कंक्लूड करना चाहें तो कर दीजिये अपना। कंक्लूड नहीं करना चाहें तो मर्जी आपकी।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, I am very sorry. आप हमसे बहुत वरिष्ठ हैं मैं तो खाली यह बात कह रहा था कि नये सिरे से माननीय कटारिया साहब, मैंने एक एग्जाम्पिल और दिया, हमें क्राइम करने वाले कौन आदमी हैं उनको आईडेंटीफाई करना पड़ेगा। आज स्कूल ड्रोप आउट्स की हमारे पास लिस्ट है कि स्कूल ड्रोप आउट्स कौन हैं। हमारे पास लिस्ट है डोमेस्टिक सर्वेंट कौन है। हमारे पास लिस्ट है कि कितने ओल्ड एज के आदमी हैं जिनके बच्चे नहीं रहते साथ में उनके सर्वेंट काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल क्या है। यदि हमने ठीक ढंग से इन ओल्ड एज के आदमियों के काम करने

(डा. सी.पी. जोशी)

वाले सर्वेंट्स का प्रोफाइल नहीं बनाया तो क्राइम आज दिल्ली में हो रहा है वो पांच साल बाद हमारे जयपुर में शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जोधपुर में शुरु हो जाएगा। आज नये सिरे से हमें इन चीजों के संबंध में पुलिस के काम में एन्रोल करना पड़ेगा। हमने ट्रेड यूनियन की हड़ताल करने के लिए, स्टूडेंट्स के इलेक्शन करने के लिए, स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन करवाने। के लिए, वी.आई.पी. विजिट करने के लिए पुलिस का काम कर दिया। किया जाना चाहिए। पर समाज में यही व्यवस्था करने के लिए कि जो पोटेंशियल क्राइम करने वाले आदमी हैं उनका भी हमें क्राइम मैप बनाना पड़ेगा कि वो कहां से निकल कर आ रहे हैं। उनकी जानकारी क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है उनकी यदि हमने आईडेंटिफाई नहीं किया तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विनम्र शब्दों में सरकार ने अपने काम को विदड्रा करना शुरू कर दिया है। आज टोल टैक्स के माध्यम से सैल्स टैक्स वसूल कर रहे हैं और वाहवाही कर रहे हैं कि सैल्स टैक्स हमने बहुत वसूल कर लिया। एक्साइज के अन्दर हम ठेके पर दे दें। एक्साइज के अन्दर हमने बहुत वाहवाही ले ली। एक्साइज इतना कलेक्ट कर लिया। आप तो अवेयर हैं अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में एक्साइज कलेक्शन करने के लिए शराब के धन्धे में काम करने के लिए टोल टैक्स में काम करने के लिए माननीय कटारिया साहब मैं फिगर दे रहा हूं चालीस हजार नौजवान आदमी, फिर रिपीट कर रहा हूं, फोर्टी थाउजेण्ड नौजवान आदमी कोई टोल टैक्स में काम कर रहा है, कोई एक्साइज की दुकान पर काम कर रहा है, कोई दूसरी जगह काम कर रहा है, वो नौजवान आदमी अंडर पेड है। दो हजार रुपये मिलते हैं डेढ़ हजार रुपये मिलते हैं। वो ही नौजवान आदमी नौकरी से निकल करके क्राइम कमिट करता है। हमें जानकारी है कि वो क्राइम करने वाला कौन आदमी है ? हमारा तो काम पूरा है कि हमने हमारा विभाग, सैल्स टैक्स का विभाग कलेक्शन नहीं कर सकता इसलिए ठेके पर दे दिया एक्साइज का हम लोग काम नहीं कर सकते, इसलिए ठेके पर दे दिया। टोल टैक्स कलेक्शन नहीं करते, ठेके पर दे दिया। यह काम हमने कर लिया। हमने उस स्पेस को विदड्रा कर लिया और पूरा का पूरा स्पेस हम देना चाहते हैं अंडर पेड लोगों के लिए और वो लोग जब क्राइम क्रियेट करेंगे तो अध्यक्ष महोदय, उस क्राइम को रोकने के लिए कटारिया साहब जिम्मेदार होंगे या डी.जी. साहब जिम्मेदार होंगे ? एन्टायर हाउस और समाज जिम्मेदार होगा। हमने ऐसी व्यवस्था पैदा की जिस व्यवस्था में यह काम हो रहा है।

(डा. सी.पी. जोशी)

इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं कंक्लूड करना चाहता हूं] यदि हमें राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारनी है तो जैसे-जैसे गवर्नमेंट के फंक्शन बदल रहे हैं जैसे-जैसे गवर्नमेंट की व्यवस्था बदलने लगी है कि डिस्इन्वेस्टमेंट का काम करें दूसरा काम करें। आने वाले समय में गवर्नमेंट का वन आफ दी फंक्शन एंड ओनली फंक्शन जो होगा 3-4 फंक्शन उसमें एक फंक्शन होगा कि क्या सरकार चुनी हुई सरकार कानून-व्यवस्था ठीक ढंग से कर सकेगी या क्या चुनी हुई सरकार सामान्य आदमी की रक्षा का काम कर सकेगी कि नहीं कर रही है। क्या उनकी सोसायटी में क्रिमीनल आदमी से भयमुक्त होकर वो जीवन निकल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। यह एक यार्डस्टिक होगी सरकार की सफलता की। हम तो कामना करते हैं कि कटारियाजी सफल गृह मंत्री हों, यह सरकार सफलता के उत्कृष्ट को छुए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, उसको प्राप्त करें लेकिन आपके क्राइम को जो मापदंड है जिसमें हम कहें 2003 में इतनी हत्या हुई, इतने बलात्कार हुए, यह मापदंड नहीं हो सकता कटारिया साहब इसलिए मेहरबानी करके आपसे आशा है, आपके मन में कमिटमेंट है, आपके कमिटमेंट को मैंने देखा है प्रतिपक्ष में रहते हुए भी, आज भगवान ने आपको मौका दिया है गृह मंत्री बनने का। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसा यार्डस्टिक बनायें जिस यार्डस्टिक में समाज के रूप में हम कह सकें कि हमें समाज में काम करने का अवसर मिला, उसमें उस समाज के काम में क्राइम रोकने में भी आपने एक अहम भूमिका निभायी। यह हम आपसे आशा करते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बिन्दुओं के संबंध में चर्चा करेंगे और आने वाले समय में आपकी जो सरकार की जो सफलता है उनके मापदंड यह हो कि इन गरीब तबके के लोगों के साथ न्याय हो सके। नाते में क्या हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कह कर खतम करूंगा। आज नाते की व्यवस्था समाज में है ओ.बी.सी. के अन्दर। उस नाते की व्यवस्था का फैसला कौन कर रहा है ? वो थानेदार फैसला कर रहा है, नाता कैसे होगा इसका फैसला कौन करेगा। समाज की यह व्यवस्था है, इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, कानून क्या होना चाहिए। आप तो एक नया सिस्टम शुरू करने की इसमें घोषणा करवाइये माननीय मुख्यमंत्रीजी से कि हम कम्युनिटी लाइजन का काम करेंगे इस कम्युनिटी लाइजन का काम आप काम करिये कि नाते की व्यवस्था के अन्दर कैसेट समाज को हम इन्वोल्व करें कि जिससे पुलिस के

(डा. सी.पी. जोशी)

लोग पैसा लेकर लोगों के साथ अन्याय न कर सकें। इस बारे में भी सोचने का समय आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार और हमारे गृह मंत्री इन बिन्दुओं के साथ में भी चर्चा करेंगे और उसके आधार पर राजस्थान की कानून-व्यवस्था को ठीक करने का काम कर सकेंगे ऐसी हम उनसे आशा करते हैं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामप्रताप कासनिया। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, इतनी जल्दी तो मैं बोल नहीं सकता, रुक-रुक कर तो बोलूंगा अनपढ़ आदमी हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर सुबह से बहस हो रही है 1-2 बजे से लगातार आरोप-प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, इससे कोई जनता का भी भला होने वाला नहीं है। भला इस बात में है कि पुलिस में सुधार कैसे किया जाए। पुलिस को क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यहां बात हो रही है ट्रेन में बलात्कार हो गया, बस में बलात्कार हो गया, माननीय वसुन्धराजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये हो गया। यह कोई वसुन्धराजी और पुलिस ने उन बलात्कारियों को ट्रेन में और बस में थोड़े ही भेजा है। किस तरह के आरोप हम लोग एक-दूसरे पर लगा देते हैं बिना सोचे-समझे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि पुलिस आज से 20 वर्ष पूर्व जो अनुसंधान करती थी उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का इतना ही कर्तव्य नहीं है एफ.आई.आर. वाला जो कह दे, वह जो बयान दे दे उसके मुताबिक ही तफ्तीश कर के पीछा छुड़ा ले, यह उचित नहीं है। यह प्रवृत्ति मैं सही नहीं मानता। जो व्यक्ति दोषी नहीं हो उसके खिलाफ चाहे कितनी भी एवीडेंस हो अगर जांचकर्ता अधिकारी प्रयास करेगा तो निर्दोष के पक्ष में एवीडेंस मिलेगी। वाकये के टाइम वह कहां था, किस आदमी के पास बैठा था, सारी की सारी बातें जांच में मेहनत करने पर आगे आ सकती है, निर्दोष बच सकता है। पर हमारी तो यह परम्परा हो गई है पंजाब और

(श्री रामप्रताप कासनिया)
हरियाणा के पेटर्न पर भी हमारी पुलिस थोड़े थोड़े चलने लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्दोष के लिये जांचकर्ता को मेहनत करनी चाहिये। उसके पक्ष में जो सबूत है वह जुटाने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एस.सी. और एस.टी. के जो मुकदमें दर्ज हो रहे हैं उसमें 70 प्रतिशत मुकदमे बिलकुल गलत दर्ज करवाये जाते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है, यह पूरे समाज पर एक लांछन लगा रहे हैं। इसको कार्यवाही से बाहर करों।

श्री अध्यक्ष : आप अध्यक्ष और बोलने वाले वक्ता के बीच में ना बोले। आप अध्यक्ष के और वक्ता के बीच में आ रहे हैं यह नियमों के विपरीत है। प्लीज स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण करें। आप थोड़े नियमों की जानकारी लीजिए माननीय सदस्य। मिस्टर बाबूलाल नागर, थोड़े नियमों की जानकारी लें (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह पूरे दलित समाज पर आरोप लगा रहे हैं इसको कार्यवाही से निकालना चाहिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, वक्ता के और आसन के बीच में आना नियमों के विपरीत हैं और आपको मैं इस बारे में पहले भी टोक चुकी हूं। आपको यदि कोई बात कहनी थी, कोई एजिटेशन किसी बात पर हुआ तो आप बाद में कह सकते थे लेकिन इस तरीके से बीच में आप वक्ता के और अध्यक्ष के बीच में आते हैं यह नियमों के विपरीत है। इसका भविष्य में आप ध्यान रखेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई समाज पर आरोप नहीं ला रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह मुकदमें दर्ज कराने में भी सफेदपोशों के हाथ होते हैं। स्वर्ण जाति के लोग उनका ब्लैक मेल करते हैं। मुकदमें दर्ज कराने का काम एस.सी., एस.टी. के व्यक्ति का नहीं है, स्वर्ण जाति के लोग

(श्री रामप्रताप कासनिया)

उनको हथियार के रूप में यूज करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव आपके माध्यम से सरकार से, पक्ष से, विपक्ष से है कि हमें इस तरह की बातों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि हमारे पता नहीं मानवाधिकार आयोग, तरह-तरह के आयोग और तरह-तरह के अंकुश पुलिस पर लगा दिये और पुलिस को यह कहा जाता है कि पिटाई नहीं होनी चाहिए। मैं खैर इसके पक्ष में नहीं हूं पर हमारे पास ऐसे यंत्र भी नहीं है जिससे हम चोरी कबूल करवा सके। अगर चोर को हम कहेंगे मेरे बाप चोरी बता दे तो वह चोरी थोड़े ही बतायेगा। चोरी हाथ जोड़ने से नहीं बताई जाती। चोरी उगलवाने के लिये तो कुछ न कुछ हमें या तो हमारे पास कोई ऐसा यंत्र हो जिसके माध्यम से हम पता लगा सकें और नहीं तो अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा है, सबने देखा है आन मिलो सजना के सिवाय कोई चारा नहीं है। पट्टे के ऊपर लिखा हुआ होता है। चोर के खिलाफ पुलिस थोड़ी बहुत भी कोई सख्त कार्यवाही कर दे तो हम विधान सभा में यहां खड़े होकर अधिकारी के खिलाफ चार्ज लगाते हैं। तो क्या हम उन अधिकारियों से यह इच्छा रख सकते हैं कि वह चोरों को पकड़ लेंगे। या न्याय दिलवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय, सन् 1975 का एक किस्सा मुझे याद आ गया। तफ्तीश करने में कितना अंतर आ गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। सन् 1975 की बात है, मर्डर का केस था। उसमें सरकार की तरफ से दबाव गया कि एफ.आई.आर. में मुल्जिम गलत लिखवा दिये पर इनका चालान करना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस अधिकारी को कि गृह मंत्री और सारे के सारे बड़े अधिकारियों ने कहा इसमें आपको चालान करना पड़ेगा। तो फाइल लेकर वह डी.जी. कार्यालय में आकर उसने वर्दी उतार कर कह दिया 302 में फांसी तक की सजा है, मैं किसी बेगुनाह का चालान नहीं करूंगा, यह पड़ी आपकी वर्दी। तब डी.जी. ने मजबूर होकर...

श्री अध्यक्ष : आप तो बटन बंद रखो अपने।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, डी.जी. कार्यालय में आखिर में डी.जी को मजबूर होकर कहना पड़ा कि एडिशनल साहब कोई रास्ता निकालों और आज वह अधिकारी पद पर नहीं है। गर्ग नाम के एडिशनल एस.पी. थे। अध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी की ईमानदारी देखों उसने कहा

(श्री रामप्रताप कासनिया)

डी.जी. साहब आप कहते हो तो मैं आपकी बात भी रख दूंगा। आपके कहने से पहले पुलिस अधिकारियों ने गलत मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया तो उस अधिकारी ने अपनी तफ्तीश में आखिर में जो नतीजा दिया उसमें यह लिखा कि फलां-फलां आदमी मेरी तफ्तीश में मुल्जिम नहीं पाये जाते हैं परन्तु इसका निर्णय अदालत के द्वारा ही बेहतर होगा। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में दो-चार महीने उनको गलत जेल में रहना पड़ा पर आखिर में उस अधिकारी की इतनी सी कलम लिखने से 302 में बेगुनाह फंसने से वह लोग बच गये। मेरे कहने का भावार्थ है कि जांच करने में, मैंने कई बार फाइल देखी है कि मुल्जिम ने पानी कहां पीया, रोटी खाई तो क्या खाया, सब्जी क्या थी, इस तरह के बयान जब एक दूसरे से जोड़ते हैं तो सारी सच्चाई सामने आती है। पर आजकल तो एक परम्परा बन गई गवाहों ने जो कह दिया, एफ.आई.आर. में जो आ गया, वह सब सत्य है।

अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाना बड़ा आसान है। आरोप लगाने से हम कोई जनता का भला नहीं कर सकते। आरोप लगाना बहुत आसान बात है। आज कब्जों के मामले में पुलिस के प्रोटेक्शन में चाहे वह आबादी भूमि हो, चाहे खेती की भूमि हो, सब जगह कब्जे मिलीभगत से होते हैं। यहां भ्रष्टाचार की बात हो रही थी कि सारे राजनेता भ्रष्ट हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सब नेता भ्रष्ट नहीं है, उचित नहीं है यह बात और यह कह देना कि नेता ही चोर है, अच्छी बात नहीं है। जितनी पर्सन्टेज में चोर है ऊपर से लेकर नीचे तक जनता के लोग भी पैसे देकर और अपना गलत काम करवाने के लिये, सुविधा प्राप्त करवाने के लिये बड़े से बड़े आदमी का भी ईमान डिगा देते हैं, ऐसे-ऐसे महारथी जनता में भी बैठे हैं। खाली यह कह देना कि राजनेता चोर है, यह सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे हाउस के माननीय सदस्यों पर जो चार्ज लगाया है वह शब्द कार्यवाही से निकाले जाये। बाबोजी आप सल्डा मारे लोगा न प्रमोद सिखावे। छोटा मुंह और बड़ी बात, पहली बात तो भ्रष्टाचार में छोटे से छोटा उदाहरण देना चाहूंगा और आप पर ही लेना चाहता हूं बुरा मत मानना। चुनाव के टाइम में हम जो चंदा लेते हैं वह भी एक भ्रष्टाचार ही मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब कोई आदमी हमें चंदा देगा वह बदले में मेरा कान पकड़कर, एक तरफ 5 हजार रुपये देने वाला हो और एक तरफ सौ

(श्री रामप्रताप कासनिया)

आदमी खड़े हों, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। वह 5 हजार रुपये वाला आदमी दिखता है जिसने चुनाव में मुझे 5 हजार रुपये दिये थे। वे सौ आदमी चाहे कितने ही साथी हों, हम उस तरफ नहीं देख सकते। यह मेरी मजबूरी है। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट कोई आदमी नहीं होना चाहिए, चाहे वह कोई अधिकारी हो, चाहे कोई राजनेता हो। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं तो आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि पुलिस के अन्दर आधुनिक व्यवस्था, यंत्र उपलब्ध करवाओं और आधुनिक यंत्र जितने नये होंगे, अच्छा होगा। सारे सदन से हाथ जोड़कर निवेदन है, चोरी बरामद नहीं हो रही है राजस्थान में, सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही है कि पुलिस वाले को कहते हैं कि चारी बरामद करो तो कहते हैं नेता कानून ही ऐसे बनाते हैं कि चोरी करने वालों से हम पूछ तो सकते नहीं हैं, यह उत्तर मिलता है। तो सारे सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो मामले हैं, उस पर चाहे सत्तापक्ष है,चाहे प्रतिपक्ष है, कोई अधिकारी अगर ईमारदारी से जांच करे, थोड़ा बहुत कोई...

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें तो ठीक रहेगा।,

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, कारागार मंत्रीजी जवाब दे दें। यह परम्परा रही है क्योंकि डिमाण्ड कारागार की भी थी। कारागार मंत्रीजी हैं तो पहले गृह मंत्रीजी से पहले वे रिप्लायी दे दें।(व्यवधान) कारागार डिमाण्ड थी, हमने बोला भी है। अगर आप ही जवाब दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है हमको।

श्री अध्यक्ष : कारागार का भी वही दे देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है1

श्री अमराराम चौधरी : आपके नगर की कारागार नहीं बनेगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : देखिये, अध्यक्ष महोदय, यह हाल है। ये कह रह हैं आपने ऐसा कहा, आपके नगर में कारागार नहीं बनेगी। (व्यवधान) नहीं बने तो आप जवाब दे देना, ऐसे क्यों धमका रहे हो।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने गलत सुना, उन्होंने कहा कारागार बनेगी, यह कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, ठीक है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आज मांग संख्या 16 और 17 पर माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिये... (व्यवधान) उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने पिछले 7 महीनों में कुछ अपराधों को गिनाकर इस बात का प्रयास किया कि इस 7 महीने की अवधि में अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं, अधिक हुए हैं। जो आंकड़े हैं उसे न तो मैं बदल सकता हूं, न आप बदल सकते हैं। लेकिन अपराध को घटित होने से चाहे मैं यहां हूं, चाहे आप यहां हों, कोई इस बात की गारण्टी नहीं दे सकते कि मेरे आने के बाद अपराध बंद हो जाएंगे या अब अपराध होंगे ही नहीं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी और पुलिस की जिम्मेदारी यह है कि अपराध घटित होने के बाद अपराधी को उचित दण्ड देना उसका कर्तव्य है। उसमें वह कहां तक सफल होता है और कहां तक असफल होता है यह उसके थर्मामीटर से नापना चाहिए कि काम में कमी है या उससे अधिक है। कमियां गिनाना निरन्तर की एक प्रक्रिया सी हो गयी। लेकिन कभी हमारे मुंह से कुछ अच्छे काम हुए हैं उसके बारे में भी अगर कह दें तो कम से कम पुलिस का जो मोरल है वह बढ़ेगा। लेकिन दुर्भागय से हमारा एक रुटीन सा वे हो गया है कि हम वे आंकड़े ढूंढते हैं जिन आंकड़ों से सरकार पर कैसे प्रहार किया जाए। यह सामाजिक बुराई है। मैंने थोड़े ही कहा होगा, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कि आप सब जाकर वहां-वहां बलात्कार कर लो। पर आपके बोलने का टोन ऐसा था कि जैसे मैंने कोई इन बलात्कारियों को ही तैयार करके भेजा होगा कि तुम बस में करना, तुम ट्रेन में करना। अगर इस तरह का स्तर है तो आप भले कितने ही खुश हो जाओ, राजस्थान की 5 करोड़ की जनता इस बात को देख रही है कि हमारे जन प्रतिनिधियों का स्तर कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी भी समाज के ऐसे कंटक ने इस प्रकार का अपराध किया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसे निश्चित रूप से सजा मिले। जितने केस आपने गिनाये, क्या उन सबमें कार्यवाही नहीं हुई, क्या अपराधी नहीं पकड़ा गया। क्या चीज हुई, अपराध होना था, हो गया लेकिन केवल उसे, मैं तो माननीय सदस्य, आपने जो कट-मोशन मुझे दिये हैं, मैं अध्यक्षजी से भी प्रार्थना करता हूं क्योंकि हमारी सारी तैयारी निर्भर करती है वह इन कट मोशन के आधार पर होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने एक परिपाटी कायम कर ली कि इन सबको तो हम मूव हुआ मानते हैं लेकिन होना यह चाहिए कि जिस व्यक्ति ने जिस स्थान की, जिस घटना को उठाया जिसके लिये उसने हमारा ध्यान आकर्षित किया, मेरा और विभाग का यह दायित्व बनता है कि उसमें हमने क्या-क्या किया, नहीं किया, कहां कमी है, वह निश्चित रूप से सदन में ठीक प्रकार से आये तब तो हम सीमा में बंधकर चलेंगे। नहीं तो हमें तो आपने कट मोशन क्या दिया और भाषण कहां, कौनसी दिशा में जा रहा है। अगर हम इतनी तैयारी से आते तो इन सब विषयों को हम पहले अपने कट मोशन में दें, एक-एक घटना को दें ताकि उसका ठीक प्रकार से जवाब विभाग बनाकर के आपको सुपुर्द कर सके। इसमें आपको भी संतोष मिलेगा और हमें भी संतोष मिलेगा।

मैंने इन सारे कटौती प्रस्ताव, जो मांग संख्या 16 में आये हैं, यह 89 है, 32 माननीय सदस्यों ने इन कट मोशंस को दिया है। इनको मैंने अलग-अलग श्रेणी में बांटा है। इसमें पहला, यहां पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो इसमें 3 माननीय सदस्यों का, पुलिस आधुनिकीकरण पर एक। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा ध्यान कितना ठीक दिशा की ओर है। पूरा पुलिस आधुनिकीकरण जिससे हमारा आगे का भविष्य निर्भर करेगा उसमें एक माननीय सदस्य, अमरारामजी धोद ने इस एक सवाल को खड़ा किया। इसके बाद यह कानून व्यवस्था के जो कुछ भी उदाहरण हैं उसमें 10 माननीय सदस्यों ने, पदोन्नति, स्थानान्तरण नीति पर 2 माननीय सदस्यों ने। इसके बाद भ्रष्टचार के ऊपर 6 माननीय सदस्यों ने। मैंने इन सबको अलग श्रेणियों में बांटकर के मैंने कोशिश की है कि इन सब बातों को जितना सम्भव हो सके, आपको अभी अपनी बात से और नहीं तो इनमें से प्रत्येक का जो कुछ विभाग ने किया, आपके तक निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा। और उसमें कोई कमी -खामी आपको लगे तो आपका अधिकार होगा कि मेरी और मेरे विभाग की जो भी कमजोरी आपको लगे, आप मुझे जानकारी दें, मैं आपको विश्वास दिलाता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हूं कि जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं करने का जरूर प्रयास करूंगा, इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं।

अभी जो हमने बजट में अपनी जो कुछ भी राशि इसमें रखी है, कुछ हमारे प्रदेश का सौभाग्य या दुर्भाग्य है कि जितना हम अलोकेशन करते हैं वह भी हम पूरी नहीं कर पाते हैं। चाहे वह प्लान हो, नान प्लान हो, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में मिलने वाली राशि हो, यानि इसको, हम हमेशा बी.ई.में जाते हैं तो कुछ और फिगर होता है, जब हम आर.ई. में जाते हैं तो कुछ फिगर बढ़ता-घटता है और एक्चुअल खर्चे का जब हिसाब आता है तो निश्चित रूप से हर साल में कुछ पैसा बच जाता है। हम लगातार 2001 से देख रहे हैं तो 2001-02, 03 और 04 हर-एक में पैसे की बचत हुई है। 2001 में 38 करोड़ रुपया बचा, 2001-02 में 57 करोड़ रुपया बचा, 2002-03 में 51 करोड़ रुपया बचा। और जो बजट है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वसुन्धराजी के मुख्य मंत्री बनने के बाद यह जो पुलिस विभाग का बजट है और इसमें जो पैसे का अलोकेशन हुआ है, यह अपने आप में कीर्तिमान है मगर इसको किसी ने छूने की कोशिश नहीं की कि किस मेहनत से इस विभाग की जो भी कमियां है, जो आपके मन की इच्छा हो उसको हम कैसे पूरा कर सकें। इसमें पैसे का अलोकेशन किया है। मैं आपसे जो 2001 में आपका सारा बजट था, जिसमें तीनो, प्लान, नान प्लान.. वह सारा मिलकर 721 करोड़ का खर्चा हुआ, 760 कुल था। इसी तरह से 2002 में 798 फिर 2003 में 835 और उसके बाद पिछली बार जो हमने बजट पेश किया था उस समय जो बजट था वह 481 करोड़ था और आज केवल इतने से समय में बदलने के बाद जो बजट में अलोकशन कर चुके, आज की तारीख में राजस्थान का जो तीनों प्लान, नान प्लान और केन्द्रीय प्रवर्तित योजना का, 938 करोड़ रुपये है। यह इसी मंशा से रखा कि इस विभाग की जो कमियां हैं, उन कमियों को हम किस तरह से जितनी हमारी क्षमता है और जैसी राज्य की आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार इसको ठीक करने का प्रयास करें।

मैं चाहूं तो आंकड़ों द्वारा भी जो अपराध बढ़े हैं, आपने उसमें कहा तो मैं उसको स्वीकार करने में नहीं, अपराध कुछ क्षेत्र में बढ़े हैं और वो भी मैंने माने हैं किन्तु इसलिए कि क्योंकि जब आप इतना हमला ही कर रहे हैं तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैंने भी कोशिश की कि आपके भी पुराने सारे निकालूं तो मैंने भी 2000, एक जनवरी से लेकर 31 तारीख तक, 30 जून तक के आंकड़े, यानि जो आंकड़े आपके समय में रहे उनको भी मैंने रखा है। इसका मतलब मेरा यह नहीं है कि आपने अपराध किया इसलिए हम कर रहे हैं। जैसा मैं इस पक्ष का कभी नहीं हूं। कहीं पर यदि अपराध पहले ज्यादा थे तो हम उसके कारण से अपराध करने के लिए और अपराधों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें कोई अधिकार नहीं मिलता है। मैं इस बात को मानता हूं कि अपराध घट-बढ़ सकते हैं लेकिन मैं इसलिए केवल जिस प्रकार से हरिमोहनजी, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को बहुत तवज्जोह दी कि जैसे सारे अपराध हम अपने साथ लेकर आये हैं। जब आये थे तब यह सोचकर आये थे कि हम तो अपराध करने के लिए ही वहां जा रहे हैं और इसी इच्छा से हमने शायद यह काम किया होगा इसलिए मैं इन आंकड़ों को देना चाहता हूं आपको।

हत्या के मामले में मैंने 2000 से निकाला है। इसी समय में यही एक जनवरी से लेकर केवल एक नमूना है, इसमें सारे के सारे आंकड़े हैं पर मैं इसमे ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहता। मैं इसलिए चाहता हूं, हत्याएं 743, 2000 में। फिर 638, 2001 में। फिर 606, 623 और इस बार 633 है। पिछले साल से निश्चित रूप से 10 हत्याएं बढ़ी है। अब इसका तो कोई मापदण्ड नहीं हो सकता है कि कहां हत्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, कब हो जाएगी। अब इसको कोई आंकड़ों के आधारपर तय करना चाहे कि तीन हत्याएं बढ़ गयीं, इसका मतलब राज्य बेकार, दो हत्याएं कम हो गयी इसलिए राज्य को शाबाशी दे दो। यह तो कोई आंकड़ों के आधार पर मैं सोचता हूं कि कोशिश करेंगे तो यह कोई ठीक नहीं रहेगा। अगर इसको माने तो बलात्कार तो पहले से भी, वह अधिक था लेकिन अब उससे कोई अर्थ निकलता नहीं है। मैं इसको ज्यादा कहना भी नहीं चाहता हूं लेकिन इतना जरूर है कि आपने जिस बात को बारबार ज़ोर से चिल्लाया है कि अनुसूचित जाति के ऊपर भयंकर अत्याचार हुआ। मेरा यह आंकड़े का पूरा चार्ट है, यह इस बात को प्रमाणित करता है कि इस सात महीने में ईश्वर की दया से या पता नहीं राजस्थान के सौभाग्य से या हमारा कुछ भाग्य तेज था इसके कारण से अपराध की संख्या कम हुई है। तो यह जो एक चार्ज लगाते हैं इसमें मैं आपको हत्या का जिस प्रकार का, मैंने यह भी 2000 से बनाया। लगभग एवरेज जो बैठता है, औसत अगर इस पांच साल का लगाये तो 19.8 का एवरेज बैठता है। पिछली साल, इससे पहले वाले साल में हत्याएं 14 थीं, अबकी 20 हैं जो बढ़ी हैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन इसके पहले के साल में 21 थीं, 20 थीं, 24 थीं अब इसका कोई ऐसा मापदण्ड नहीं है। गम्भीर चोट के मामले में हमारे माइनस 19 है पिछले साल से भी और उसके बाद बलात्कार का तो जहां तक सवाल है, पिछली बार इस अनुसूचित जाति के ऊपर बलात्कार 84 थे, अब इस बार 60 हैं लेकिन इसके कारण से मेरा कोई शाबाशी लेने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैं इस बात को जरूर इंगित करना चाहता हूं कि केवल बार बार इन आंकड़ों के आधार पर हम क्या करें ? कोई हमारी पुलिस में कमी-खामी है, उसको हम कैसे मिल बैठकर सुधारें और जो पुलिस अच्छा काम करती है, उसको शाबाशी देने का भी प्रयास करें तब तो मन बनेगा और काम करने की इच्छा होगी। अब गम्भीर क्षति वाले हैं, उसमें भी यही था। पिछली साल 28 था और इस बार 13 है। यानि मैं यह सोचता हूं कि किसी में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी तरह से आप जनजाति के ऊपर लेंगे तो इसमें जनजाति के आंकड़े लगभग ऐसे ही हैं। मेरे पास एक-एक सारे आंकड़े तैयार हैं और मैं यह कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जैसे विशेषकर यह जो अपना एस.सी.., एस.टी. एक्ट है, इसमें पिछले साल 29 प्रकरण दर्ज हुए थे, इस बार मात्र 3 प्रकरण हुए हैं। यह एक नमूना है। इसी प्रकार से सारे के सारके कैसेज के बारे में है। महिला अत्याचार के बारे में भी लेंगे तो मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि महिला अत्याचार जितना था, कुछ में पर्टिकूलर किसी प्रकार का अपराध जरूर संख्या बढ़ी है लेकिन ऐसा नहीं है, दहेज मृत्यु जो पिछली बार आपके समय में 191 थी, इस बार 185 है। दहेज उत्पीड़न में इस बार बढ़ा है पहले 38 था और अब 46 है।

इसी तरह से बलात्कार पिछली बार 556 था और इस बार 511 है। मैंने उसका एवरेज भी निकाला था, पांच साल का पांच साल का एवरेज अगर ले तो 543 है, विशेषकर महिलाओं का बलात्कार। अब पता नहीं कि आपने कहा-कहां से आंकड़े निकाले और जितनी संख्या दिखानी हो उतनी संख्या दिखा गये। अब कोई आधार तो हो, कहां है यह ? किसमें से है ? इसी तरह से आपका छेड़-छाड़ के प्रकर में भी पिछली साल से भी कम है। 1370 था, 1361 है और एवरेज जो बैठता है पांच साल का वह 1408 है। यह सारा मिलाकर महिला अत्याचार की दृष्टि से भी जहां तक मैं समझता हूं इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और अगर कुछ भगवान की मेहरबानी रही कि साम्प्रदायिक किसी भी प्रकार का कोई दंगा-फसाद इन सात महीनों में और यह सारे चुनाव हो जाने के बाद भी, लोक सभा के चुनाव होने के बाद भी एक भी ऐसा प्रकरण दर्ज नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हुआ। इसका मतलब यह नहीं है कि घटनाएं पैदा नहीं हुई। घटनाएं पैदा हुई। 18 घटनाएं ऐसी पैदा हुई जो साम्प्रदायिक तनाव के रूप में जा सकती थीं। दंगे के रूप में परिवर्तित हो सकती थी, इसके लिए वहां के अधिकारियों को आप और हम सबकी तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस सख्ती और जिस होशियारी से उस काम को किया कि वे सारे के सारे प्रकरण जो दंगे में परिवर्तित होने वाले थे उनको उसने चैक किया। उसमें जयपुर में तीन प्रकरण है, जोधपुर में दो है, कोटा में दो हैं, झालावाड़ में दो है, भीलवाड़ा, झुंझुनू, टोंक, चूरू, धौलपुर में एक-एक साम्प्रदायिक तनाव की ऐसी घटनाएं हुई तो यदि अगर थोड़ी-सी भी चूक जाते तो एक साम्प्रदायिक उन्माद के रूप में आ जाता। तो मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से भी एक अच्छी उपलब्धि मैं कह सकता हूं।

जहां तक अन्तराष्ट्रीय सीमा है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोई उपलब्धि नहीं की। पुलिस ने काम किया। मेरे पास में इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको वे घटनाएं भी जिन घटनाओं से पुलिस को इस बात के लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहिए, उनका एक तरह से मन का हौसला बढ़ाना चाहिए कि उन्होंने इस-इस प्रकार के अपराधों को ढूंढ कर निकाला है। इन सात महीनों में अन्तराष्ट्रीय सीमा जो हमारी 1040 किलोमीटर है, इसमें पड़ौसी देश पाकिस्तान से लगती है, इसमें गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. द्वारा राष्ट्र में आतंकवाद और अशांति फैलाने की कुटिल योजना के बावजूद राज्य की पुलिस की सर्तकता और सजगता के कारण से आतंकवाद, यह जो है 2002-2003 में 37 व्यक्तियों को इसमें उन्होंने पकड़ा जो आतंकवादी थे। यह 37 कोई सामान्य संख्या नहीं थी और इसी तरह से आपने देखा होगा कि इसमें 15 भारतीय थे और 10 पाक नागरिक थे और 12 बांग्लादेशी थे। यही नहीं है 29 ऐसे व्यक्तियों को जो जासूसी कर रहे थे उनको भी पकड़ने में सफल हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कीर्तिमान है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कोई कीर्तिमान नहीं कह रहा हूं। मैं तो केवल इसलिए कि जो कुछ भी उन्होंने किया, उसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं सोचता हूं कि इस पिछले एक साल में कुछ घटनाएं पुलिस ने, जिस प्रकार की थी उसमें जरूर उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहिए। जैसे डकैती के मामले में आपने देखा होगा कि जो वारदातें हुई,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विशेषकर स्वरूपगंज में जो बैंक से पैसे लेकर थैला लेकर निकला और उसके बाद डकैतों ने उदयपुर का रास्ता पकड़ा और गोगुन्दा के पास उदयपुर में गांव के लोगों ने और पुलिस ने मिलकर फायरिंग के बीच से उन पांचों के पांचों लोगों को दबोच दिया और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसी तरह से आपने देखा होगा कि यह जो चन्दवाजी के पास, यहां जयपुर वाला जो प्रकरण था वह था। बीच में तो लगभग पूरी की पूरी गैंग यानि डीग के डीवाई.एस.पी. ने पूरी गैंग पकड़ी 25 लोगों की और उसके कारण से कई मुकदमें उसमें खुले हैं तो यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो बहुत दो-दो साल पुराने केस थे, उस केस में भी उसने पकड़ने की कोशिश की।

आपने देखा होगा कि यहां एक जौहरी के यहां जो डकैती पड़ी थी। उस डकैती को भी बरामद करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि यहां मूर्ति चोरों का एक इतना बड़ा गिरोह, यानि जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा थी, उस गिरोह को भी उन्होंने पकड़कर जो कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इस दृष्टि से एक नामी व्यक्ति माना जाता था। प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था, उसको भी उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। मैं सोचता हूं कि ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, जिन घटनाओं से अभी आपने देखा होगा कि हमारी छोटी श्रवण में डकैती पड़ी। कोई अनुमान नहीं लग रहा था कि कभी छोटी श्रवण की डकैती खुलेगी लेकिन छोटी श्रवण की डकैती खुली। आपने देखा होगा कि यहां का एक दवा विक्रेता उसका अपहरण हुआ और ठेठ फतेहपुर सीकरी जाकर पता लगा। उसको रात को ही पुलिस जिन्दा लौटकर, उसको लेकर आयी। यह उसकी सफलता है। यानि जितनी भी यह जो मोटरसाइकल, स्कूटर, इसके जितने भी गिरोह हैं, उनको उदयपुर में भी पकड़ा यहां भी पकड़ा और कई स्थानों पर उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की। आपको यह भी पता होगा कि हमारे उदयपुर से जब ये देलवाड़ा थाने के बीच में जाने वाली ट्रकों से रोज सामान चोरी होता था, लगातार और इस लगातार चोरी को रोकने के लिए हमारी राजसमन्द पुलिस ने जो बहादुरी का काम किया। गोधरा के वह सारे नामी लोग जो इस प्रकार से देश में प्रसिद्ध हैं जिनके नाम से पैसों की घोषणाएं हैं लाखों रुपये की, ऐसे अभियुक्तों को गोधरा में जाकर पकड़कर लाकर और उस सारे काण्ड को खोलने का काम किया। काम किया है, कहीं कमी-खामी भी रह सकती है। अगर आदमी की मंशा ही खराब हो, अपराधी को बचाने की तो उसके लिये तो आप जितने भी उलाहना देंगे उसके लिए हम गुनहगार हैं। उसमें हम अपने आपको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। पर मन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से इस बात की जरूर कोशिश करेंगे कि अपराधी बचना नहीं चाहिये और सज्जन फंसना नहीं चाहिये। यह हमारे मन की कल्पना है। इसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सफलता कितनी मिलेगी यह ईश्वर के भरोसे जरूर छोड़ेंगे। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं अगर गलती से भी कोई फंस रहा है या फंसाया जा रहा है तो मैं आपकी सेवा में हर समय तैयार हूं, हाजिर हूं। आपको पूरा अधिकार है और राजस्थान की जनता को अधिकार है कि गरीब से गरीब व्यक्ति आकर भी मुझे अपनी बात को कहे। मैं निश्चित रूप से अगर वह सच्चा है तो उसको बचाने के लिये हर प्रयास करूंगा, उसकी मदद करूंगा। इतना मैं भरोसा दिला सकता हूं।

(21.00 बजे)

आधुनिकीकरण की दृष्टि से राजस्थान को "बी" श्रेणी के राज्य में लिया है और इसके कारण से पहले हमको 50-50, अपनी तरफ 50 और केन्द्र से 50 सहायता मिलती थी। अब हमको 60 प्रतिशत केन्द्र देगा, 40 प्रतिशत राज्य की तरफ से मिलाना पड़ेगा। इसमें से हमको 138 करोड़ रुपये पहले मिला, उसमें हमने कुछ काम किये है। अगले साल भी हमको इसी तरह से अपने साधन, 138 करोड़ रुपये 2003-04 में मिला और इस बार भी हमको 60 प्रतिशत के हिसाब से और मिलेगा।

यही नहीं हमने इसके साथ ही 11 वें वित्त आयोग की दृष्टि से हम लोगों को और काफी अच्छी सुविधाएं हैं। इसमें 42 करोड़ रुपये हमको 11 वें वित्त आयोग के तहत मिला और उसमें भी हमने 100 नये पुलिस थाने इसमें बनाये, 96 बनकर तैयार हो गये हैं और केन्द्र से जो सहायता मिलती है हमको आधुनिकीकरण में हथियार सारा वह खरीदकर लेते हैं, व्हिकल सारा वह खरीदकर देते हैं और बाकी काम के लिये हमको मदद करते हैं। इस दृष्टि से भी राजस्थान को मैं चाहूं तो 2001 में कितना मिला, 2002 में कितना मिला, यह सारा का सारा है।

यही नहीं, हमनें हुडको से भी लोन लेकर पुलिस थानों व चौकियों की मरम्मत की। इसके लिये भी कोशिश की और हमने 136 करोड़ रुपया हुडको से लोन लेकर हमने 4,237 रेजीडेंशियल, आवासीय घर बनाने का प्रयास किया जिसमें से 4,178 बनकर तैयार हो गये, बाकी बनकर तैयार हो रहें हैं। इसी तरह से यह जो पुलिस थाने हैं उसमें 96 बनकर तैयार हो गये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं समझता हूं इस पुलिस का सबसे बड़ा मुझे मन को सुखद लगा वह है पुलिस कल्याण कार्यक्रम। मैंने जब इसके फीगर देखे तो मैं सोचता हूं पुलिस अपने बूते पर भी अगर अपने कर्मचारी की, उसके परिवार की मदद का काम कर सकती है तो निश्चित रूपं से सरकार का भी एक धर्म बनता है कि वह इस काम में सहयोग करें ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी और उनके परिवार को जो कुछ भी उनको अभाव हुआ है उस अभाव में उनकी मदद हो।

पुलिस सहायता निधि में 223 लोगों की सेवारत रहते हुए मृत्यु हुई। उसमें 35 लाख रुपये इस फण्ड से उन परिवारों को दिया गया।

बच्चों की छात्रवृत्ति के लिये 60 लाख रुपये, मैं समझता हूं मेरे दिमाग में ही नहीं था कि इतना बड़ा फीगर बच्चों की पढ़ाई के लिये इस फण्ड में से दिया जा सकता है। 60 लाख रुपये दिये हैं।

पुलिस कल्9याण निधि से बीमारों के लिये जो भी पुलिस का कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से बीमार होता है उसको 26 लाख रुपये पिछली बार दिया है।

सामूहिक बीमा योजना के तहत एक करोड़ रुपये सारे पुलिसकर्मियों को सामूहिक बीमा योजना के तहत मिला।

पुलिस कल्याण न्यास की तरफ से 181 मृतक कर्मचारियों को 30 लाख रुपये मिले और 180 पुलिसकर्मी, जिनकी मृत्यु हो गयी, उनकी जगह उनके परिवार के किसी व्यक्ति को अनुकम्पा के आधार पर उनको नौकरी दी गयी। मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से एक उत्कृष्ट कार्य उन्होंने किया।

यह नहीं पुलिस में अच्छे काम करने वाले लोग हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि समाज की बुराई को आपको मिटाना है तो अच्छे काम करने वालों को आप थोड़ा प्रश्रय देकर आगे बढ़ाओ। अपने आप जो बुराई है वह धीरे-धीरे छोटी होती जाएगी। लेकिन हमारा स्वभाव यह रहता है कि नुक्स निकालने के अलावा हमारे पास कुछ और बचता नहीं है । लेकिन पुलिस श्रेष्ठ काम भी करती है इसलिए 32 पुलिसकर्मियों को आपने देखा होगा पदोन्नति दी गयी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उनके अच्छे काम के लिये। 946 को उत्तम सेवा चिन्ह् दिया गया। 348 लोगों को अति उत्तम सेवा चिन्ह् दिया गया। 8 को सर्वोच्च सेवा चिन्ह् से पुरस्कृत किया गया और 29 अधिकारियों को पुलिस पदक दिये गये। यहां तक राष्ट्रपति पदक भी हमारे यहां के पुलिसकर्मियों को मिला है।

नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से होम गार्ड हमारा काम करता है वह वास्तव में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। लेकिन जितनी होम गार्ड की समस्याएं है उनको अभी हम सुलझाने में सफल नहीं हुए। मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि मैं निश्चित रूप से जो हाम गार्ड हमारे यहां काम कर रहे है उनको और बेहतर क्या सुविधाएं हो सकती है, उनको देने का प्रयास करूंगा। यही नहीं आपने देखा होगा कि 14 वीं लोक सभा के चुनाव में होम गार्ड ने जिस प्रकार की मदद की, आये दिन मेलों में, रैलियों में, सबमें इन लोगों की जो सेवाएं हैं मैं समझता हूं कुछ न कुछ इनको जरूर मिलना चाहिये।

जहां तक भ्रष्टाचार ब्यूरो का सवाल है मैं सोचता हूं इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद निश्चित रूप से मन को संतोष होता है कि निश्चित रूप से उन्होंने उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जो राजकीय सेवा में रहकर भी इस प्रकार का काम करते हैं। उनके सारे केसेज, एक-एक मेरे पास हैं। मैं इस बात को जो आपने इसको बार-बार उठाया कि उदयपुर में आंचलिया ने कोई बयान दिया, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ? मैं सोचता हूं कि उन सब लोगों की जांच होकर सारे के सारे जिसमें आपके डी.आई.जी. से लेकर एडिशनल एस.पी. से लेकर, थानेदार से लेकर जो भी व्यक्ति उसमें थे, सबको अपने रेंज से बाहर किया और पांच साल की फील्ड पोस्टिंग नहीं मिले, इस बात का भी दण्ड दिया। यानि एक को भी उसमें नहीं छोड़ा। लेकिन बागीदारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा क्या हुआ ? मैं सोचता हूं कि हमारे यहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

मैं यह जरूर चाहूंगा और मैं इस बात की विधान सभा में भी घोषणा कर रहा हूं कि जिस थाना क्षेत्र में जुआ या वेश्यावृत्ति पाइ जाएगी और अगर दूसरा कोई अधिकारी जाकर उस पर छापा मारकर पकड़ेगा तो वहा का थानेदार तो निश्चित रूप से निलम्बित होगा क्योंकि यह उसका बीट क्षेत्र है। अगर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसके बीट क्षेत्र में भी उसको यह पता नहीं कि वेश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है, जुआ का अड्डा चल रहा है और अगर वह अन्जान है तो फिर उस क्षेत्र में रहने लायक नहीं है। कोई अचानक घटना हो जाये, समझ में आ सकता है। यह ऐसे अपराध हैं जो नियमित रूप से और ठीक प्रकार से होते हैं। मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि जिले में कम से कम एक थाना किसी न किसी एन.जी.ओ. के साथ मिलाकर कई झगड़े ऐसे हैं जिनको बैठकर सुलझाया जा सकता है। बिना बात के उनको लिटिगेशन में डालकर छोटे-छोटे मुकदमों में बेलेबल आर्फेंस है। छोटी-मोटी लड़ाई, तकरार हो गया तो उनको आपस में बैठकर किसी तरह से सुलह से हो। ऐसे प्रत्येक जिले में एक थाना कम से कम इस प्रकार से विशेष थाने के रूप में लेकर प्रयास करेंगे। देखते हैं इसमें कितनी सफलता मिलती है।

मुझे इस बात का भी बहुत दुःख था जब से मैं आया हूं कांस्टेबल भर्ती होता है। आज कल जो कांस्टेबल भर्ती होते हैं बी.ए., एम.ए. पास हैं। कई लड़के बहुत टेलेन्टेड हैं पर नोकरी का जब कोई आधार नहीं मिलता है, सोचता है ओवरऐज हो जाऊंगा, जैसे ही नौकरी मिलती है उस नौकरी में जाने का प्रयास करता है और जिस हिसाब से पदोन्नति का अभी हमारा क्रम बना है तो वह तो अपनी जिन्दगी में कभी पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सकेगा क्योंकि उन्होंने अपना जो कंसीडरेशन जोन बना रखा है वह एक गुणा छह रखा है। मैं इसको एक गुणा दस देने के लिये प्रयास करूंगा और इसके लिये जो भी नियमों में बदलाव करना पड़ेगा वह निश्चित रूप से उसमें बदलाव करेंगे।

मैं आदरणीय शिवचरणजी माथुर ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ सुझाव दिये हैं, मैं उसमें से मेरे से जितना संभव होगा उनको जरूर अपने विभाग में लागू करने का प्रयास करूंगा ताकि हमारे सारे ढांचे में सुधार हो।

जहां तक जेल का सवाल है 10 माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और उन कटौती प्रस्तावों में अलग-अलग इसमें विषय हैं और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो माडर्नाइजेशन का जो पैसा मुझे मिला है हरीशजी ने कहा कि परबतसर कस्बे में उप कारागृह निर्माण के लिये कहा। 2002-2007 तक हमको माडर्नाइजेशन का एक टार्गेट मिला है। हर साल हमको 13करोड हैं, पांच साल के हमको 63 करोड फेल के लिये मिला है मैं उनको यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
विश्वास दिलाता हूं कि 2005-06 में परबतसर के लिये दो करोड़ 29 लाख रूपये स्वीकृति के लिये हमने भेजा है। मेरा विश्वास है कि यह उनको स्वीकृति मिलेगी। इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान के केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर परिसर के लिये उन्होंने कहा महिलाओं की सुविधाओं के लिये क्या किया ? बंदी कारागृह में एक करोड़ 93 लाख रूपये की स्वीकृति जो हमने भेजी है, उसमें हमको स्वीकृति मिलेगी। इसी तरह से माननीय सदस्य, हरिमोहन जी ने अपने एक कटौती प्रस्ताव में कहा था कि बूंदी में नवीन जिला कारागार भवन निर्माण के कार्य कराये जाने में जेल सुधार योजना के अन्तगर्त 3 करोड़ 11 लाख रूपये 2004-05 में प्राप्त होगा और यह जो बूंदी की जेल है इसका... (व्यवधान) माननीय सदस्य, बनवारीलालजी शर्मा ने अपने कटौती प्रस्ताव में धौलपुर कारागार में भवन, स्टाफ की कमी के बारे में था इसमें भी

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बनवारीलालजी और हरिमोहनजी को जेल में ज्यादा प्रेम है, दोनों ने इसी की मांग की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल मरम्मत और इस भवन के लिए एक करोड़ सात लाख रुपया 2004-05 में इसका स्वीकृत है। माहिर आजादजी के कटौती प्रस्ताव थे, 10 और 11 नम्बर कटौती प्रस्ताव में, इसमें आपने पूछा था फरारी का। डा.सी.पी. जोशीजी का भी था गंगारामजी चौधरी का भी था फरारी हुई है। यह सच बात है, निरन्तर हमारे यहां राजस्थान में जेल से फरारी का यह दौर बराबर चल रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद भी क्योंकि एक तो हमारी नफरी इतनी कम है कि हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं है, इसके कारण से भी हम को दिक्कत आती है लेकिन फिर भी इसमें से आपने देखा होगा कि सात महीने के अन्दर लगभग 23 की फरारी हुई थी, 14 लोगों को हमने उसी समय पकड़ लिया था, दो बंदी पुलिस मुठभेड़ में मारे, एक की सर्प के खाने के कारण मौत हुई और एक जो खुला शिविर, सांगानेर से भागा था उसकी भी हत्या हो गयी। ऐसे कर के 5 बंदी और अभी गिरफ्तार होने बाकी हैं, प्रयास कर रहे हैं।

विशेष कर के बाड़मेर का है जिस ढंग से हमारे ही कर्मचारियों ने उसको भगाया, हमने न्यायालय के अन्दर, आज वे तीनों के तीनों जेल में हैं और विभाग की इस पर कठोर कार्यवाही कर रहा है।

एक नवरतनजी राजोरिया का है, मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी है...,

मोहम्मद माहिर आजाद : नगर में उप कारागृह खोलने की मांग की थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नगर में उप कारागृह नहीं खोल सकते हैं क्योंकि आपके पास डीग में है और वह 35 किलोमीटर पर ही जेल बनी हुई है उसके कारण नहीं पर यह जरूर है कि आपका एक कटौती प्रस्ताव और था भरतपुर और उदयपुर के कारागारों के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र से प्राप्त राशि का समुचित उपयोग, हमने दो करोड़ रुपया दे रखा है और यह लगभग आवास विकास संस्थान जो खतम हो गया था उसके कारण से इसमें काम डिले हुआ, हमारा आवासन मण्डल इस काम को उन्होंने पूरा कर लिया है और यह काम बहुत जल्दी पूरा होकर के उनको सुपुर्द हो जायेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : जयपुर की सेन्ट्रल जेल का एक आई.टी.आई. का भी था

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नवरतनजी राजोरिया का यह प्रश्न था कि हमारी कुल ही 2250 की तो स्ट्रैन्थ है और उसमें से भी 448 पद आज की तारीख में खाली हैं। अगर इसको संख्या की दृष्टि से देखें तो 20 प्रतिशत पद खाली हैं। जब तक इन खाली पदों को भरने के लिए नहीं करेंगे तब तक हम पुलिस वालो को भी या हमारे जेल के कर्मचारी हैं, केवल उनको दोषी बताने से ही हमारा काम नहीं चलेगा।

जुबेर खानजी का भी एक था अलवर में सुधार की आवश्यकता के लिए, मैं सोचता हूं उनको भी इसमें क्वार्टर के लिए 41 लाख रुपया इसमें से मिला है।

जो कुछ भी राज्य सरकार से संभव होगा, अपने सारे कर्मचारी भाइयों को जो कुछ हम से मदद होगी वह घोषणा मैं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से यह सारी की सारी घोषणाएं लगभग 4 करोड़ 21 लाख रुपये है। मैस भत्ता 550 रुपये मिलता था उसकी जगह 575,25 रुपये उसमें बढ़ोतरी की है। ड्रिल इंस्पैक्टर जो ट्रेनिंग में रहते हैं उनको जो 200 रुपया मिलता था उसकी जगह 300 रुपया महीना। हैड कांस्टेबल को 150 रुपया मिलता था उसकी जगह 250 रुपये और कांस्टेबल को जो 100 रुपया मिलता था उसकी जगह 200 रुपये मिलेंगे। अंशकालीन रसोइये थे, सवेरे हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
विषय को उठाया भी था, वास्तव में उनके लिए 1000 रुपये जो दे रहे थे काफी कम था, 1000 की जगह अब 1250 रुपये उनको मिलेंगे। इसके साथ 120 रसोइयों के और पद देकर इसकी पूर्ति करने का प्रयास है। राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में, पिछली साल, हर साल देते हैं हम, इस बार भी हम 25 लाख रुपये पुलिस कल्याण में देंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ : गृह मंत्रीजी, मैस भत्ता 575 की 600 ही करिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, ऐसा नहीं। 15 लाख रुपया राजस्थान पुलिस...

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय गृह मंत्रीजी, 1998 के बाद जेल सिपाही और पुलिस सिपाही की वेतन में विसंगति कायम हुई है, उसे भी दूर किया जाना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके बारे में अभी हम बैठ कर के विचार कर रहे हैं। यह बात सही है कि पहले कभी पुलिस और जेल के कांस्टेबल की एक ग्रेड थी लेकिन बीच में उसकी ग्रेड में बहुत बड़ा अन्तर हो गया। मैं इसको अधिकारियों के साथ बैठकर विचार करूंगा और कितना हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, हम अपने साधनों को देखते हुए इस बात के लिए जरूर प्रयास करेंगे कि उनको इसका मिले।

इसी तरह से राजस्थान पुलिस फोर्स फंड के लिए 10 लाख रुपया और राजस्थान पुलिस उत्सव फंड के लिए 10 लाख रुपया। पुलिस लाइनों के रख रखाव, वाटर लाइन, पाइप लाइन इनको चैंज करने के लिए 50 लाख रुपया। होम गार्ड, गृह रक्षा उसके लिए पहले घर से आने का दो रुपया देते थे, उसकी जगह चार रुपया। बिगुल बजाने वालों को कुछ भी नहीं देते थे, अब पहली बार 50 रुपया पर माह उनको एक्स्ट्रा देंगे। बैंड वालों को पहले एक भी पैसा नहीं मिलता था, 100 रुपये प्रति माह उनको देने की बात है। यह जो वाहन चलाते हैं, इनको भी पहले केवल 100 रुपया मिलता था ऐसे ही भत्ते के रूप में अब 130 रुपया, वैलफेयर फंड में 5 लाख रुपया।

इसी तरह से जो जेल के हैं, उनको भी मैस भत्ता तो उतना ही मिलेगा। बंदी कल्याण कोष के लिए पांच लाख रुपया। कर्मचारी कल्याण के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
लिए पांच लाख रुपया। छत के पंखे के लिए पांच लाख रुपया। दंडित बंदियों के लिए गर्म जर्सी के लिए 10 लाख रुपया। यह पहली बार है। जो बंदी सजा पा रहा है, उसके पहनने के लिए कभी भी कोई गर्म कपड़ा नहीं था, पहली बार हम 10 लाख रुपया देकर जो केस भुगत रहे हैं, उन लोगों के लिए किया है।

मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट इतना लम्बा-चौड़ा है। जिस प्रकार के अपराध क्रिएट हो रहे हैं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हम सब इस बात के लिए चिंतित हैं कि हम इस सारे सिस्टम को देखें क्योंकि जिस प्रकार के अपराध की प्रवृत्ति जिस ढंग से और अलग-अलग तरीके से जिस प्रकार से बढ़ रही है, इसको निश्चित रूप से कंट्रोल करने के लिए हमें भी अपने सारे सिस्टम को वापस रीओर्गेनाइज करना पड़ेगा और विशेष कर के जो ट्रेनिंग साइड है उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में तो जिस को भी भेजते हैं वह सोचता है कि मुझे बर्फ में डालने के लिए भेज रहे हैं तो वहां जो भी ट्रेनिंग में रहता है उसे बाकी से कुछ ज्यादा लाभ मिले। इस प्रकार का कोई प्रयास करेंगे कि उन लोगों का आकर्षण बढ़े और सभी लोग किसी न किसी तरह से वहां पर जा कर ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकें। इस बात की भी व्यवस्था करेंगे।

मैं आप सब का बहुत आभारी हूं और मैं आगे भी आभारी रहूंगा पर इस प्रार्थना के साथ केवल पत्थर फैंकना है, इसमें पत्थर फैंकने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप, मैं और राजस्थान की जनता सब मिलकर के अपराधियों को अपराधी की तरह से अगर उनको समझ कर के और अगर हम अपराधी को पकड़ कर उसको सजा दिला सकें तो निश्चित रूप से हम अपराधों को कम कर सकेंगे, पुलिस का भी मोरल बढ़ेगा। इसी प्रार्थना के साथ ही मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि आज की मांग संख्या 16 और 17, दोनों को आपकी स्वीकृति मिले।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रहरियों का मामला है, उसमें पुलिस की भर्ती में और उसमें बिलकुल समानता है और उसके मामले जो छुटपुट रेकार्ड में लिखने से रह गये थे केवल उनके कारण से उनको कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया है, एक पुलिस में कमी भी है जेल प्रहरियों में, उन पर सरकार का क्या कहना है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका मानवीय आधार तो ठीक है लेकिन अगर पुलिस की नौकरी में किसी ने एक बार गलती कर दी, अगर पुलिस की भर्ती में भी अपने पर लगे हुए केस को छिपा कर जानकारी ना दे, फार्म भरे और वह आकर के सलैक्ट हो, मैं इसको व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं समझता हूं। पुलिस भी चूंकि चार आदमी की भर्ती हो गयी इसलिए अब बाकी लोगों को भी भर्ती कर दिया जाए, अभी मेरा मानस कम से कम इस बात के लिए तैयार नहीं है।

श्री रामकिशोर मीणा : मंत्री महोदय, उसमें एक यह है कि आगे के जो फार्म भर रहे हैं उसमें यह क्लाज को ही हटा रहे हैं।

मांगों का पारण

मांग संख्या-16-पुलिस

श्री अध्यक्ष : "प्रश्न यह है कि मांग संख्या-16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,84,32,22,000/- (आठ अरब चौरासी करोड़ बत्तीस लाख बाइस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-17 कारागार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,64,45,000/- (चौंतीस करोड़ चौंसठ लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2004 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.21 बजे दिनांक 20 जुलाई, 2004 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके शेष तारांकित पश्नोत्तर

कोटा, बूंदी तथा बांरा जिलों के विकास हेतु स्वीकृत राशि

159. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा, बूंदी तथा बांरा के शहरी क्षेत्रों के लिये एशियन डवलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा किस-किस योजना के लिये कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या कोटा संभाग को उक्त योजनान्तर्गत जो राशि उपलब्ध कराई गई में से कुछ राशि बीसलपुर योजना के लिये उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं ?

उत्तर

(1) एशियन डवलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (R.U.I.D.P) में कोटा शहर में आधारभूत ढांचा विकसित करने की योजना बनाई गई थी। बूंदी एवं बांरा जिले इस परियोजना में सम्मिलित नहीं थे।

कोटा शहर की योजना में 155.12 करोड़ रुपये के कार्य जिसमें जलप्रदाय योजनाओं के पुनर्वासन एवं क्षमताओं में अभिवृद्धि हेतु 45.50 करोड़ रुपये सीवरेज प्रबन्धन हेतु 35.00 करोड़ रुपये ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु 6.00 करोड़ रुपये जल निस्तारण हेतु 19.00 करोड़ रुपये अग्नि शमन सेवाओं हेतु 2.00 करोड़ रुपये ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण हेतु 7.72 करोड़ रुपये कच्ची बस्ती विकास हेतु 8.00 करोड़ रुपये सड़को हेतु 12.61 करोड़ रुपये पुल हेतु 8.00 करोड़ रुपये सामुदायिक जागरूकता व भागीदारी कार्यक्रम हेतु 2.11 करोड़ रुपये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु 9.18 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये थे। इसके अतिरिक्त 48.67 करोड़ रुपये की कन्टिन्जेन्सी व 28.07 करोड़ रुपये के प्रशासनिक एवं निर्माणाधीन अवधि में ब्याज आदि पर व्यय प्रस्तावित किया गया था।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) आर.यू.आई.डी.पी. प्रोजेक्ट के तहत कोटा शहर में जून 2004 तक 40.93 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों का शहरी क्षेत्र में पदस्थापन

160. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव व चिकित्सकों के रिक्त पदों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र से चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को उच्च अधिकारी स्वयं शहरी क्षेत्र में लगा देते हैं ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र दीगोद के ग्रामों से शहर में लगाये गये चिकित्सा कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में जिला स्तर पर हुई स्वास्थ्य संबंधित बैठकों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।जिला मुख्यालय पर मौसमी बीमारियों का नियंत्रण मलेरिया उन्मूलन, परिवार कल्याण तथा अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विति में आवश्यकतानुसर कभी-कभी सीमित समयावधि के लिए कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लगाया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में आवश्यकता नहीं होने पर कोटा शहर में 2 वाहन चालक एवं 1 वार्ड ब्वाय कार्यरत है का विवरण इस प्रकार है।

1. श्री किशोर कुमार	वाहन चालक	प्रा.स्वा.केन्द्र मण्डावरा से
2. श्री गिर्राज सोनी	वाहन चालक	प्रा.स्वा.केन्द्र आवां से
3. श्री छोटू सिंह	वार्ड ब्वाय	प्रा.स्वा.केन्द्र.बडोद से

(3) जी हां। उक्त बैठक में प्राप्त शिकायत एवं उस पर की गई कार्यवाही इस प्रकार है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार दौसा की प्रसाविका को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) में प्रति नियुक्ति का बिन्दु चर्चा में आया था जबकि उक्त प्रसाविका प्रति नियुक्ति पर नहीं थी। इसी प्रकार कलक्टर कोटा के रामगंज मण्डी की बैठक में दिये निर्देशानुसार महिला स्वास्थ्य दर्शिका कुम्भकोट जिसका मुख्यालय जुल्गी किया गया था, को उक्त बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुसार पुन: कुम्भकोट लगा दिया गया है। उक्त दोनों प्रकरणों के जवाब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा जिला परिषद् कोटा को पत्र क्रमांक 3382 दिनांक 27.6.04 से दिया जा चुका है।

राज्य में ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के प्रयास

161. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन के मुकाबले खपत का प्रतिशत अधिक है ? यदि हां, तो विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार विद्युत खपत के मुकाबले विद्युत उत्पादन की कमी को कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों तथा शत प्रतिशत विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन के मुकाबले खपत अधिक है। वर्ष 2002-03 में 1357.12 लाख यूनिट एवं 2003-04 में 1283.85 लाख यूनिट की खपत उपलब्धता के सापेक्ष अधिक रही है।

राज्य में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन केन्द्रों की निजी क्षेत्र में स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रोत्सहित कर पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। इनका विवरण परिशिष्ट- "अ" पर उपलब्ध है जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य में जल व कोयले की सीमित उपलब्धता के कारण केन्द्रीय सरकार व अन्य राज्यों की विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत खपत के मुकाबले विद्युत उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में लगातार निर्भर रहना पड़ सकता है।

(3) जी. हां। राज्य में मार्च 1991 की जनगणनानुसार कुल 39810 ग्राम हैं, जिनमें से 38622 ग्राम माह मार्च 2004 तक विद्युतीकृत किये जाकर कुल 97.02 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

राज्य में ग्रामों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण 2007 तक किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

Details of Upcoming Generating Projects

S.No.	Name of Generating Station	Proposed installed capicity (MW)	Proposed Raj. Share (MW)	Tentative Comm. Shedule
1	2	3	4	5
	In Remaning Tenth Plan (2002-2007)			
	1 STATE OWNED/WITHIN STATE			
	A.RVUN			
1.	Giral Stage-1	125	125	2006-07
2.	Dholpur Gas Thermal Power Prices phase-1	330	330	X-Plan
	B OTHERS			
1.	Wind Farm (RREC & RSMML)	19	19	2004-5
2.	Mathania ISCC	140	140	2005-6
3.	JAKHAM	5	5	X-Plan
	C. IPP's/Bio Mass			
1.	WIND FORM (IPP's)	130	130	2004-5
2.	M/S KALPUTARU POWER Tr. Ltd.	14	14	X-Plan
3.	M/S AMRIT ENVIORNMENTAL	7.5	7.5	X-Plan
	2. CENTRAL SECTOR			
	A. NTPC			
1.	RIHAND st.II	1000	95	8/05,6/06
2.	BARSINGSAR (NLC) (Unit-1)	125	125	3/07
	B. NHPC & OTHERS			

1	2	3	4	5
1.	TEHRI STAGE-1	1000	60	2004-05
2.	DHAULI GANGA	280	28	3/05
3.	KOTESHWAR	400	26	4/05
In Eleventh Plan (2008-2012)				
	RVUN			
1.	Giral Stage-11	125	125	2007-08
2.	Hadla	125	125	2007-08
3.	Jalipa & Kapurdil	250	250	XI-Plan
4.	Dholpur Gas Thermal Power Project Phase-II	330	330	XI-Plan
	2. CENTRAL SECTOR			
	NTPC			
1.	NORTH KARNPURA	1980	166	XI-Plan
2.	KAHAL GAON STAGE-11	1000	67	XI-Plan
3.	BARH	1980	186	XI-Plan
4.	UNCHAHAR STATE-111	210	19	XI-Plan
5.	DADRI STAGE-11	490	44	2007-08
6.	NABINAGAR	1980	250	XI-Plan
7.	KOL DAM (Hydro)	800	70	2008-09
8.	BARSINGSAR (NLC) (Unit-2)	125	125	3/08
	B. NPC			
1.	RAPP-UNIT 5&6	440	88	2007-08
2.	RAPP-UNIT 7&8	1320	264	2011-12
	NHPC & OTHER			
1.	CHAMERA-111	231	20	2010-11

1	2	3	4	5
2.	PARBATI STATE-11	800	76	2009-10
3.	URI STAGE-11	280	100	3/09
4.	SEWA STAGE-11	120	50	3/08
5.	PAKAL DUL	1000	200	3/11
6.	SAWAL KOTE PHASE-1	600	150	2010-11
7.	BURSAR	1020	102	2010-11
8.	BAGLIHAR PHASE-11	450	112	2008-09
9.	PARBATI STAGE-111	520	52	XI-Plan
	NER/NHPC			
10.	SUBANSIRI LOWER H.E.P.	2000	200	2010-11
11.	KAMENG H.E.P. (NEEPCO)	600	100	2010-11
12.	SIANG MEEDLE (SIYOM) H.E.P. (NHPC)	1000	100	2010-11
13.	TEHRI PSP (NHPC)	1000	60	2009-10

महिला उत्थान हेतु कार्य-योजना

162. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सरकार की क्या नीति है ?

(2) सरकार महिलाओं को किस-किस क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए क्या-क्या रियायतें देने का विचार रखती है ?

(3) सरकार द्वारा राज्य में कितनी महिलाओं को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया ?

(श्री संयम लोढ़ा)

(4) क्या सरकार नई महिला नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में महिलाओं की दशा सुधारने के लिये राज्य महिला नीति लागू की गयी है। राज्य में बालिकाओं तथा महिलाओं के स्तर एवं स्थिति में सुधार करने तथा शोषण एवं शोषणवादी कुरीतियों को समाप्त करने के लिये प्रक्रियाओं, पद्धतियों व तन्त्र को गतिशील बनाना व राज्य में महिलाओं के समग्र विकास हेतु सहायक वातावरण तैयार करना इस नीति का उद्देश्य है।

(2) सरकार द्वारा महिलाओं के समग्र विकास हेतु राज्य महिला नीति लागू की गयी है जिसमें महिलाओं को उनके सशक्तिकरण हेतु निम्न क्षेत्रों में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार कटिबद्ध है :-

1. आर्थिक सशक्तिकरण
2. सामाजिक समर्थक सेवाएं
3. स्वास्थ्य, पोषण एवं जन स्वास्थ्य, पानी सफाई
4. साक्षरता एवं शिक्षा
5. अत्याचार एवं हिंसा का निवारण
6. प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण
7. संचार माध्यम
8. राजनीतिक सहभागिता

सरकार उपरोक्त क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट एवं रियायतें देने का विचार रखती हैं।

(3) राज्य में कुल 13 महिला शासकीय अधिवक्ता नियुक्त की गई है। इन महिला शासकीय अधिवक्ता की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(4) वर्तमान में घोषित महिला नीति के अनुरूप कार्यक्रमों का कियान्वयन किया जा रहा है। इस नीति में महिलाओं के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण हेतु राज्य महिला आयोग एवं विभिन्न संगठनों/विभागों से प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर इसमें आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "क"

राज्य में शासकीय अधिवक्ता नियुक्त महिलाओं की सूची

क्र.सं.	नाम महिला	धारित पद
1.	साधना भट्ट	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक, जयपुर
2.	श्रीमती निर्मला शर्मा	अपर राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक, जयपुर
3.	श्रीमती रघुराज कंवर	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक, जोधपुर
4.	बिधा बौड़ा	सहायक राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर
5.	श्रीमती निर्मला शर्मा	अपर लोक अभियोजक, संख्या-2, अजमेर
6.	श्रीमती शांति जैन	अपर लोक अभियोजक, फास्ट ट्रेक, अजमेर
7.	सुश्री विमला त्रिवेदी	अपर लोक अभियोजक, (सिविल) उदयपुर
8.	श्रीमती हमीदाबानू रिजवी	अपर लोक अभियोजक, सं.3, उदयपुर
9.	श्रीमती स्वपना मेहरोत्रा	लोक अभियोजक, कोटा
10.	श्रीमती कला आर्य	अपर लोक अभियोजक, फास्ट ट्रेक, चित्तौड़गढ़
11.	श्रीमती निर्मला माथुर	अपर लोक अभियोजक, संख्या 3, जयपुर शहर
12.	श्रीमती रितू कौशिक	अपर लोक अभियोजक, फास्ट ट्रेक, जयपुर जिला
13.	सुश्री शान्ता ओझा	अपर लोक अभियोजक, संख्या 2, जोधपुर

विधान सभा क्षेत्र खण्डार की क्षतिग्रस्त सड़कें

163. श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डार में ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत खराब है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों की कुल कितनी लम्बाई में सड़कों की हालत खराब है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुरेडी, भूरी, पहाड़ी, डूंगरी लहसोडा, टोडरा, बहराउंडा खुर्द, खण्डार, भगवतगढ़, पावडेरा, सारसोय, महापुरा, गम्भीरा एवं शिवाड़ की सड़कों पर पिछले वित्तीय वर्ष में सड़कों के सुधार एवं नवीनीकरण का कार्य हुआ है ? यदि हां, तो कितना कार्य कितनी राशि का शेष है ?

(3) क्या ग्राम लहसोडा, शिवाड़ एवं टोडरा, बहराउंडा खुर्द एवं महापुरा में सी.सी. कार्य एवं पुलिया निर्माण एवं मरम्मत कार्य की आवश्यकता है ? यदि हां, तो कितना क्या-क्या कार्य कितनी राशि का प्रस्तावित है ?

(4) क्या उक्त गांवों में सरकार सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण एवं पुलिया निर्माण का कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सड़कें मरम्मत योग्य है जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। केवल ग्राम लहसोड़ा, टोड़रा, भगवतगढ़ एवं शिवाड़ की सड़कों पर पिछले वित्तीय वर्ष 2003-2004 में सड़कों के सुधार व नवीनीकरण का कार्य हुआ है। कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। ग्राम कुरेडी, भूरी पहाड़ी, डूंगरी, बहरांवड़ा खुर्द, खण्डार, पावडेरा सारसोप, महापुरा गम्भीरा में कोई कार्य सुधार व नवीनीकरण का नहीं हुआ है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। ग्राम लहसोड़ा, टोडरा, एवं महापुरा में 8 पुलियाओं की मरम्मत के लिये 14.50 लाख रुपये की आवश्यकता है। ग्राम बहरावण्डा खुर्द व शिवाड़ में 1.80 किलोमीटर सीमेन्ट कांक्रीट सड़क के लिये 44 लाख रुपये की आवश्यकता है। राज्य के वर्तमान सीमित संसाधनों के अनुसार ये कार्य किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है। जिसमें से ग्राम महापुरा व टोड़रा में रोड़ रिपेयर प्रोग्राम 2004-05 के अन्तर्गत तीन पुलियाओं की मरम्मत हेतु 7.5 लाख रुपये स्वीकृत है। जिनकी सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त गांवों में सरकार सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुलिया निर्माण का कार्य राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	सड़क का नाम	सड़क की वर्तमान स्थिति (कि.मी.)			
		कुल लम्बाई (किमी)	सही स्थिति	खराब स्थिति साधारण मरम्मत योग्य	खराब स्थिति विशेष मरम्मत योग्य
1	2	3	4	5	6
	विधान सभा क्षेत्र खण्डार में ग्रामीण सड़कों की स्थिति				
1.	चौथ का बरवाड़ा से पावडेरा	5.63	-	-	5.63
2.	शिवाड़ से सारसोप	3.00	-	-	3.00
3.	शिवाड से महापुरा जामडोली	10.00	4.00	3.00	3.00
4.	सारसोप से ऐचर	5.50	-	-	5.50
5.	सारसोप से टापुर	6.00	6.00	-	-
6.	चौथ का बरवाड़ा से चौथ माताजी	2.00	-	2.00	-

1	2	3	4	5	6
7.	सम्पर्क सड़क भगवतगढ़	3.00	-	-	3.00
8.	भगवतगढ़ से जोला	4.00	-	-	4.00
9.	ईसरदा से मण्डावर	3.00	-	-	3.00
10.	ईसरदा से शिवाड़ सड़क	5.00	4.00	-	1.00
11.	भगवतगढ़ से झौंपड़ा	7.00	7.00	-	-
12.	सम्पर्क सड़क रजवाना	3.50	3.50	-	-
13.	सम्पर्क सड़क भेडोला	3.50	3.50	-	-
14.	सम्पर्क सड़क बनजारी	6.50	6.50	-	-
15.	सम्पर्क सड़क बलरिया कंवरपुरा	9.50	9.50	-	-
16.	सम्पर्क सड़क शिवाड़ बरौनी सड़क	4.00	3.00	-	1.00
17.	चौरू से चौथ का बरवाड़ा	12.00	11.00	1.00	-
18.	सम्पर्क सड़क लहसोड़ा	12.00	5.00	-	7.00
19.	सूरवाल भगवतगढ़ सड़क	16.00	5.00	5.00	6.00
20.	खिजूरी से पाचोलास	4.00	-	4.00	-
21.	टोडरा फलौदी सड़क	14.00	12.00	-	2.00
22.	सम्पर्क सड़क गम्भीरा	6.00	-	6.00	-
23.	सम्पर्क सड़क डैंकवा	5.85	5.85	-	-
24.	सम्पर्क सड़क सवाईगंज	2.50	1.50	1.00	-
25.	सम्पर्क सड़क मुई	1.00	-	1.00	-
26.	सम्पर्क सड़क अजीतपुरा	2.53	1.53	1.00	-
27.	सम्पर्क सड़क जलपाखेड़ी	2.50	2.50	-	-
28.	सम्पर्क सड़क बलवन्त खुर्द	4.00	-	-	4.00
29.	श्यामपुरा भूरी पहाड़ी	6.40	6.40	-	-
30.	खण्डार रामेश्वर घाट सड़क	19.00	10.00	5.00	4.00
31.	खण्डार तलावड़ा सड़क	9.00	0.30	3.00	5.70

1	2	3	4	5	6
32.	सम्पर्क सड़क सवास माताजी	1.00	-	1.00	-
33.	मई कलां गण्डावर सड़क	7.00	4.00	1.00	2.00
34.	सम्पर्क सड़क पाली	3.00	-	3.00	-
35.	सम्पर्क सड़क धर्मपुरी	5.50	5.50	-	-
36.	सम्पर्क सड़क खण्डेवला	3.50	3.50	-	-
37.	सम्पर्क सड़क रावरा	0.30	0.30	-	-
38.	सम्पर्क सड़क बाजोली	7.00	-	-	7.00
39.	सम्पर्क सड़क मोरोज	3.00	-	-	3.00
40.	सम्पर्क सड़क वीरपुर	4.00	-	-	4.00
41.	सम्पर्क सड़क कोसरा छारेटा	5.00	-	-	5.00
42.	सम्पर्क सड़क क्यारदाकलां	2.00	2.00	-	-
43.	सम्पर्क सड़क कुरेड़ी	1.80	-	-	1.80
44.	सम्पर्क सड़क डूंगरी से भूरी पहाड़ी	4.25	-	4.25	-
45.	सम्पर्क सड़क रामेश्वर रोड़ से गोठड़ा	3.36	3.36	-	-
46.	सम्पर्क सड़क फलोदी से फलोदी क्यारी	2.00	2.00	-	-
47.	सम्पर्क सड़क जुवाड़	3.25	3.25	-	-
48.	सम्पर्क सड़क दुमोदा	2.50	2.50	-	-
49.	सम्पर्क सड़क धमुन खुर्द	1.40	1.40	-	-
50.	सम्पर्क सड़क डिडायच	6.00	6.00	-	-
51.	सम्पर्क सड़क खाजना डूंगर	3.00	3.00	-	-
52.	सम्पर्क सड़क आकोदा	2.70	2.70	-	-
53.	सम्पर्क सड़क क्यारदा खुर्द	2.60	2.60	-	-
54.	सम्पर्क सड़क डागरवाड़ा	1.70	1.70	-	-
	कुल लम्बाई (कि.मी.)	274.00	152.00	41.00	81.00

परिशिष्ट 'ग'

विधान सभा क्षेत्र खण्डार की ग्रामीण सड़कों पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 में सम्पादित सड़क सुधार एवम् नवीनीकरण के कार्यों का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृति का विवरण		सम्पादित कार्य		शेष कार्य	
			कि.मी.	राशि	कि.मी.	राशि	कि.मी.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कुरेडी	सम्पर्क सड़क कुरेडी	-	-	-	-	-	-
2.	भूरी पहाड़ी	श्यामपुरा से भूरी पहाड़ी	-	-	-	-	-	-
3.	डूंगरी	भूरी पहाडी से डूंगरी	-	-	-	-	-	-
4.	लहसोड़ा	सम्पर्क सड़क लहसोड़ा कि.मी. 0/0 से 5/0	5.00	12.00	5.00	13.96	-	-
5.	दोडरा	सम्पर्क सड़क टोडरा फलोदी	-	-	-	-	-	-
		किमी 0/0 से 6/0	6.00	14.70	6.00	16.30	-	-
		किमी 6/0 से 12/0	6.00	18.00	5.50	19.47	0.50	-
6.	बहरावण्डा खुर्द	टौंक-सवाईमाधोपुर-शिवपुरी सड़क एसएच-30	-	-	-	-	-	-
7.	खण्डार	बहरावण्डा खण्डार सड़क (एमडीआर-3)	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	भगवतगढ़	सूरवाल भगवतगढ़	5.00	15.00	4.20	13.59	0.80	1.41
9.	पावंडेरा	सम्पर्क सड़क पावडेरा	-	-	-	-	-	-
10.	सारसोप	सारसोप से शिवाड़	-	-	-	-	-	-
11.	महापुरा	शिवाड से जामडोली वाया महापुरा	-	-	-	-	-	-
12.	गम्भीरा	सम्पर्क सड़क गम्भीरा	-	-	-	-	-	-
13.	शिवाड़	ईसरदा से शिवाड़	4.00	10.35	4.00	11.79	-	-
		शिवाड़ बैरोनी सड़क	3.00	7.35	3.00	8.30	-	-
		कुल योग	29.00	77.40	27.70	83.41	1.30	-

परिशिष्ट 'ग'

विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्रामों में आवश्यक सी.सी. कार्य एवं पुलिया निर्माण व मरम्मत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम क्षेत्र में सड़क पर आवश्यक कार्य				विशेष विवरण
		सी.सी.रोड कार्य		पुलिया निर्माण व मरम्मत कार्य		
		लम्बाई (किमी)	अनुमानित लागत (लाखों में)	संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)	
1.	लहसोड़ा	-	-	5	7.00	5 काजवे की मरम्मत कार्य की अनुमानित लागत
2.	शिवाड़	1.00	20.00	-	-	3.75 मीटर चौड़ाई में सी.सी. रोड़ कार्य की अनुमानित लागत
3.	टोडरा	-	-	1	4.00	रोड रिपैयर प्रोग्राम 2004-05 में 4.00 लाख रुपये स्वीकृत
4.	बहरावण्डा खुर्द	0.80	24.00	-	-	5.50 मीटर चौड़ाई में सी.सी. रोड़ कार्य की अनुमानित लागत
5.	महापुरा	-	-	2	3.50	रोड़ रिपैयर प्रोग्राम 2004-05 में 3.50 लाख रुपये स्वीकृत

अलवर में जनोपयोगी सुविधाओं हेतु भू-आबंटन

164. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कुछ वर्षों पूर्व सरकार द्वारा "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों एवं अधिकारियों द्वारा विभिन्न ग्रामों के राजकीय विद्यालयों, शमशानों, कब्रिस्तानों इत्यादि के जन उपयोगी कार्यों के लिए भूमि आबंटन/नियमन के प्रस्ताव पारित किये गये थे ? यदि हां, तो जिला अलवर में इस प्रकार के प्रस्तावों की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है की उक्त प्रस्तावों के अनुसार अभी तक भी उक्त कार्यों के लिए आवशयक भूमि का आबंटन/नियमन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अब उक्त प्रस्तावों के अनुसार कब तक इन जन उपयोगी सुविधाओं के लिए भूमि का आबंटन/नियमन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलवार सूची संलग्न हैं।

(2) जी हां। कुछ प्रकरणों में प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण तथा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7-5-92 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने तथा उप नगर नियोजक (एन.सी.आर.) अलवर से राय अनापत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण विचाराधीन है।

(3) अपेक्षित पूर्ति करवाकर एवं अन्य भूमि के विकल्प प्राप्त कर तथा नगर नियोजन अलवर से राय/अनापत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद शीघ्र ही लम्बित नियमन के प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	प्रस्ताव का प्रयोजन
1	2	3
	1 तहसील अलवर	
1.	महुआ कला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महुआ कला
2.	महुआ कला	प्राथमिक शाला केन्द्र मैदान
3.	केरवाडा	रा.प्रा.वि. केरवाडा
4.	केरवावाल	राजीव गांधी पाठशाला
5.	केरवाडी	प्रा.वि.केरवाडी को स्कूल मैदान
6.	सालपुर	आबादी विस्तार हेतु
7.	मोहब्बतपुर	आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु
8.	मजीट	राजीव गांधी पाठशाला
9.	देसूला	हरिजन धर्मशाला देसूला
10.	खोडली सैयद	स्कूल मैदान खोडली सैयद
11.	बालेटा	आंगनबाडी केन्द्र बनाने हेतु
12.	मिर्जापुर	प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर
13.	चांदोली	श्मशान भूमि
14.	नंगली मुशी	खेल का मैदान
15.	हाजीपुर	खेल का मैदान
16.	कुशलपुरा	श्मशान भूमि
17.	कुशलपुरा	राजीव गांधी पाठशाला
18.	बहादरपुर पट्टी	आबादी विस्तार
19.	जोडिया	आबादी विस्तार
20.	किथूर	आबादी विस्तार
21.	किथूर	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

1	2	3
	2. तहसीलदार-कठूमर	
1.	दारोदा	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. दारोदा
2.	नूरपुर	आबादी विस्तार
3.	देथोड़ी	रा.उ.प्रा.वि. खेल मैदान
4.	चौकुठी	आबादी विस्तार
5.	चौकुठी	राजीव गांधी पाठशाला
6.	साहडी	आबादी विस्तार
7.	डहरीनदांतवड	आबादी विस्तार
8.	डहरीनदांतवाड	शाला भवन खेल मैदान
9.	भरीथल	रा.प्रा.वि. भरीथल
10.	अगराया	रा.प्रा.वि. अगराया
11.	चौहरी का बंगला	रा.प्रा.वि.चौहरी का बंगला
12.	खोंखर	रा.प्रा.वि.खोंखर
13.	खोंखर	आंगनबाडी केन्द्र
14.	दुहाटी	रा.प्रा.वि. दुहाटी
15.	नुनिया	रा.प्रा.वि. खेल मैदान
16.	लाटकी	रा.प्रा.वि.लाटकी
17.	काटवाडी	विद्यालय भवन
18.	समूची	रा.प्रा.वि. समूची
19.	शाहपुर	शमशान भूमि
20.	तिजरिया	पटवारघर
21.	नंगली भंवाना	शाला भवन खेल मैदान
22.	जाडला	पटवारघर

1	2	3
23.	बडोदाकान	डेयरी भवन
24.	नंगली भवना	आबादी विस्तार
25.	इमरती का बास	शाला भवन खेल मैदान
26.	शाहपुर	मुर्दामवेशी केन्द्र
27.	शाहपुर	खेल मैदान हेतु
28.	पीरू का बंगला	राजीव पाठशाला
29.	छोरोली	पटवारघर
30.	रामपुरा	ग्रा.सेवा.सह. भवन
	<u>तहसील कठूमर</u>	
31.	जाडला	दुग्ध उत्पादन हेतु
32.	खेडा मैदा	आबादी विस्तार हेतु
33.	जाडला	आबादी विस्तार हेतु
34.	भोजपुरा	रा.उ.प्रा.वि. भोजपुरा
35.	मसारी	डिया लुहार
	<u>2- तहसील थानागाजी</u>	
1.	द्वारापुर	रा.मा.वि. खेल का मैदान
2.	द्वारापुर	शमशान भूमि
3.	बामनवास चौगान	रा.मा.वि. के लिये भूमि
4.	पिपलाई	रा.उ.प्रा.वि.भवन
5.	समरा	आबादी विस्तार ग्राम निटाटा
6.	समरा	आबादी विस्तार ग्राम निटाटा
7.	समरा	आबादी विस्तार ग्राम कालेड
8.	समरा	आबादी विस्तार ग्राम कालेड

1	2	3
9.	अजबगढ	आबादी विस्तार
10.	अजबगढ़	आबादी विस्तार
11.	सीलीबावडी	आबादी विस्तार गु.अग्यारा
12.	सीलीबावडी	आबादी विस्तार ग सोती टिगारिया
13.	सीलीबावडी	आबादी विस्तार गु. पुखराज
14.	सीलीबावडी	आबादी विस्तार सीलीबावडी
15.	सीलीबावडी	आबादी विस्तार जैतपुर
16.	सीलीबावडी	आबादी विस्तार गु. सोनी
17.	सीलीबावडी	आबादी विस्तार बिहारीसर
18.	सीलीबावडी	आबादी विस्तार नाथूसर
	<u>तहसील-लक्ष्मणगढ़</u>	
1.	खुटियाना	राजीव गांधी पाठशाला सीतल
2.	इंटेडा	मा.वि.इटेडा क्रिडास्थल
3.	भोजपुर	रा.मा.वि. क्रिडास्थल
4.	भोजपुर	स्वास्थ्य केन्द्र
5.	भोजपुर	लायन्स क्लब
6.	मसवारी	रा.उ.प्रा.वि. क्रिडास्थल
7.	यौलिया	रा.प्रा.वि. बाटका
8.	गोविन्दगढ़	थानाभवन
9.	नांगलखानबादी	रा.प्रा.वि. खाररानकी
10.	नांगलखानजादी	रा.प्रा.वि. भूमि हेतु
11.	बेरला	रा.उ.प्रा.वि. भूमि आवंटन
12.	चिमराबलीगौड	रा. वि. कजोता

1	2	3
13.	चिमराबलीगौड	रा.उ.प्रा.वि. खेल का मैदान
14.	सायपुर पाखार	रा.प्रा.वि. जैतपुर
15.	सेहरा	रा.प्रा.वि. बसेडी
16.	सेहरा	रा.प्रा.वि. काली पहाडी
17.	सेहरा	रा. सहकारी समिति
18.	झालाटाला	रा.प्रा.वि. झालाटाला
19.	उखर	रा.प्रा.वि. खेल का मैदान
20.	झालाटाला	जी.एस.एस. विद्युतविभाग
21.	सहदका	रा.उ.प्रा.वि. सहदका
22.	जटवाडा	रा.प्रा.वि. सन्तोकपुर
23.	अडोली	राजीव गांधी पाठशाला
24.	खोल खोडा मंगलसिंह	रा.प्रा.वि.
25.	खोल खोडा मंगलसिंह	रा. संस्कृत पाठशाला भीखाहेडी
26.	खोल खोडा मंगलसिंह	रा.प्रा.वि. अमरपुर
27.	खोल खोडा मंगलसिंह	रा.प्रा.वि. पहडावती
28.	खोडा, महमूद	कब्रिस्तान हेतु
29.	दोंगडी	रा.उ.प्रा.वि. खेल मैदान
30.	दोंगडी	रा.प्रा.वि. खेल मैदान
31.	दिनार	कब्रिस्तार हेतु
32.	दीवली	राजीव गांधी पाठशाला
	<u>तहसील किशनगढवास</u>	
1.	बघेरी कलां	स्कूल खेल का मैदान अलमदीका
2.	बघेरी कलां	स्कूल खेल का मैदान बघेरी कलां

1	2	3
3.	बूसंगपुर	कब्रिसतार पडोसला हेतु
4.	बूसंगपुर	कब्रिस्तार बूसंगपुर हेतु
5.	हसैपुर	स्कूल खेल का मैदान
6.	हुसैपुर	कब्रिस्तान
7.	चामरोदा	स्कूल खेल का मैदान
8.	कांकरा	स्कूल खेल का मैदान
9.	पुम्दराका	स्कूल खेल का मैदान
	तहसील कोटकासीम	
1.	हाजनाका	ग्रा.प्रा.वि. खेल का मैदान
2.	खोहरा ठाकरान	रा.प्रा.वि. भवन
3.	महवासी	रा.प्रा.वि. खेल का मैदान
4.	जटियाना	रा.मा.वि. खेल का मैदान
5.	रा भोकर	रा.मा.वि. खेल का मैदान
6.	बघाना	आंगनबाडी केन्द्र
7.	आनाका	रा.प्रा.वि. हेतु आवंटन
	तहसील रावगढ़	
1.	भानगढ़	आबादी विस्तार
2.	गोलाकाबास	पटवार मण्डल हेतु
3.	गोलाकाबास	पुलिस चौकी हेतु
4.	थोबड़ी	आबादी विस्तार
5.	मल्लाना	रा.उ.प्रा.वि. हेतु
6.	गोलाकाबास	आबादी विस्तार

1	2	3
	तहसील बानसूर	
1.	झझारपुरा	आबादी विस्तार
	तहसील रामगढ	
1.	पिपरोली	आबादी प्रस्ताव
2.	जकोपुर	आबादी प्रस्ताव
3.	धनखोड़ा	प्रा.शाला
4.	चीडवा	आबादी प्रस्ताव
5.	मुबारिकपुर	शाला भवन
6.	साहडोली	33/11 के.वी.जी.एस.एस.
7.	अकलीमपुर	आबादी विस्तार
8.	पिपरोली	शमशान भूमि
9.	नौंगांवा	खेल का मैदान
10.	बगड राजपूत	आबादी प्रस्ताव
11.	बांथेली	आबादी प्रस्ताव
12.	अग्यारा	आबादी विस्तार
13.	नाडका	चारागाह से जोहड किस्म परिवर्तन
14.	चौमा	उ.प्रा.वि.
15.	गोलेटा	कब्रिस्तान हेतु
16.	डोली	आबादी विस्तार
17.	नंगला बंजीरका	कब्रिस्तान हेतु
18.	पडावदा	आबादी प्रस्ताव
19.	खोडी	आबादी विस्तार
20.	आलमपुर	आबादी विस्तार
21.	मस्ताबाद	आबादी विस्तार

1	2	3
	<u>तहसील मुण्डावर</u>	
1.	विरोद	आबादी विस्तार
2.	जाटमगोला	गोशाला हेतु
3.	पेहल	शमशान हेतु
4.	गादली	आबादी विस्तार
5.	गांधीनगर	आबादी हेतु
6.	सुन्दरवाडी	खेल का मैदान
	<u>तहसील बानसूर</u>	
2.	शाहपुर	गौशाला हेतु
3.	खोड़ा	शमशान भूमि हेतु
4.	झझारपुरा	रा.प्रा.वि. पुरोहितों का बास
5.	बास शेखावत	शमशान हेतु
6.	बास शेखावत	शमशान हेतु
7.	बानाबाव	शमशान हेतु
8.	रतनपुरा उर्फ कराना	रा.उ.प्रा.वि. खेल मैदान
9.	बालाबास	रा.उ.प्रा.वि. बालाबास
10.	साथलपुर	रा.प्रा.वि. खेल का मैदान
11.	" "	शमशान हेतु
12.	" "	श्याम मंदिर हेतु
13.	" "	आबादी विस्तार हेतु
14.	" "	शाहपुर शमशान हेतु
15.	" "	राजीव गांधी पाठशाला
16.	बास दयाल	शमशान हेतु

1	2	3
17.	बास करनावत	रा.उ.प्रा.वि. खेल का मैदान
18.	बास दयाल	रा.उ.प्रा.वि. शाला भवन
19.	छीड	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र भवन
20.	"	रा.आदर्श उ.प्रा.वि. छीड
21.	"	आंगनबाडी केन्द्र हेतु
22.	"	रा.प्रा.वि. दामोदरबास खेल मैदान
	<u>तहसील तिजारा</u>	
1.	बीसीपुर	प्रा.वि.हेतु भवन व खेल मैदान
2.	बनकीरपुर	शमशान हेतु
3.	ज़िवाना	कब्रिस्तान हेतु
4.	बाघौर	राजीव गांधी पाठशाला
5.	नियती	" " "
6.	मदियारनूसर	" " "
7.	बारमंदिर	शमशान हेतु
8.	नीमली	" "
9.	मालीवर गूजर	" "
10.	पालपुर	खेल का मैदान हेतु
11.	खलारपुर	शाला भवन एवं खेल मैदान
12.	कालियाबास	" " "
13.	फुलाबाड	शाला हेतु खेल मैदान
14.	दाकपुरी	प्रा.शाला भवन एवं खेल मैदान
15.	"	कब्रिस्तान
16.	"	ईदगाह
17.	उदयपुर	प्रा.शाला खेल मैदान

1	2	3
18.	सीथल	रा.उ.प्रा.वि. खेल मैदान
19.	उदयपुर	आंगनबाड़ी केन्द्र
20.	रामनगर	प्रा.शाला खेल मैदान
21.	सूराबास	प्रा.शाला खेल मैदान
22.	"	शमशान हेतु
23.	रामनगर	कब्रिस्तान
24.	इसरोदा	पटवाथर
25.	"	रा.मा.वि.खेल मैदान
26.	"	काजीहाउस
27	"	पशु चिकित्सालय
28.	"	पेय जल केन्द्र क्वाटर
29.	"	प्रा.स्ता.केन्द्र
30.	"	शमशान हेतु
31.	"	पावर हाउस विद्युत विभाग
32.	शेखपुर अहीर	शमशान भूमि एवं होलिका दहन
33.	शेखपुर अहीर	पेयजल चेम्बर एवं भवन
34.	" "	पशु चिकित्सालय हेतु
	<u>तहसील तिजारा</u>	
35.	ग्वालदा	राजीव गांधी पाठशाला
36.	"	शमशान हेतु
37.	खलीलपुरी	गौशाला हेतु
38.	हसनपुरमाफी	रा.उ.प्रा.वि; खेल मैदान
39.	"	मा.वि. खेल मैदान
40.	हिग्वाहेडा	शहीद भूपसिंह रा.मा.वि.

1	2	3
41.	मांजरी गूजर	रा.प्रा.शाला खेल मैदान
42.	असलीमपुर	आंगनबाडी केन्द्र
43.	"	रा.प्रा.वि. खेल मैदान
44.	"	रा.प्रा.वि.खेल का मैदान
45.	मिलकपुरतुर्क	रा.उ.प्रा.वि.खेल मैदान
46.	ढाकी	शमशान हेतु
47.	बेरता	रा.प्रा.वि. खेल मैदान
48.	बाई	रा.प्रा.वि. खेल मैदान
49.	मांजरा पीपली	रा.प्रा.वि. खेल मैदान
50.	ककराली	रा.उ.प्रा.वि.भवन एवं खेल मैदान
51.	अलाकपुर	रा.प्रा.वि.भवन एवं खेल मैदान
52.	ककराली	पावर हाउस विद्युत विभाग
53.	गोठडा	कन्या मा.वि. खेल मैदान
54.	गोठडा	टैगोर विकास संस्थान
55.	गोठडा	हरिजन शमशान
56.	जोडिया मैस	रा.उ.प्रा.वि. खेल मैदान
57.	बंदापुर	कब्रिस्तान
58.	लुहादेरा	खेल मैदान हेतु
59.	सलारपुर	शमशान हेतु
60;	ततारपुर	पशु चिकित्सालय भवन
61.	सरहेढा	रा.उ.मा.वि. खेल मैदान
62.	भामडाका	शमशान हेतु

चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में आवासन मण्डल द्वारा भूमि अवाप्ति

165. श्री रामलाल (चौमूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड द्वारा भूमि अवाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रक्रिया पूरी हो चुकी है ? यदि नहीं, तो अब कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

उत्तर

जी हां। चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड द्वारा भूमि अवाप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी। अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

नकली दवा आपूर्ति प्रकरण

166. डा. एन.एस. गूर्जर (टोडारायसिंह) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में सवाई माधोपुर जिले में दवाइयों के लिए गये नमूनों में से कौन-कौनसी दवाइयां नकली पाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरणों की विभाग द्वारा जांच कराई गई ? यदि हां, तो कब एव इनके क्या परिणाम रहे ? सरकार द्वारा दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नकली दवाइयों को बनाने वाली संस्था इन दवाइयों की चिकित्सा विभाग में सरकारी आपूर्ति भी कर रही थी ? यदि हां, तो उक्त दवाइयां सरकार ने कब-कब तथा कुल कितनी राशि की खरीदी ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत दो वर्षों में सवाईमाधोपुर जिले में लिए गये नमूनों में से एक दवाई टेबलेट एलथ्रोसीन 500 एम.जी. का नमूना नकली पाया गया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां, जांच में पाया गया कि जिस फर्म से उक्त औषधि का नमूना लिया गया था उसके द्वारा कोई क्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। दोषियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(3) जी नहीं,

गत दो वर्षों में चिकित्सा विभाग द्वारा टेबलेट एलथ्रोसीन 500 एम.जी. की खरीद नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कठूमर विधान सभा क्षेत्र के लम्बित विद्युत कनेक्शन प्रकरण

167. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कितने गांव/ढाणी विद्युतीकरण से वंचित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग या अन्य सरकारी मद से अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन देने का प्रावधान है ?

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कृषि घरेलू व व्यावसायिक कितने कनेक्शन दिए जाने शेष हैं ? इन कनेक्शनों को सरकार कब तक देने का विचार रखती है ? शेष रहे कनेक्शनों की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कई किसानों को वरीयता लांघकर कनेक्शन उपलबध करा दिया गया है और काफी लोगों को प्राथमिकता से भी कनेक्शन नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब उन्हें कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि 33/11 के.वी. का सब स्टेशन ग्राम बहतूकलां (कठूमर) में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ? क्या सरकार अब स्वीकृत कर यह सुविधा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर की जनगणना 1991 के सभी गांव विद्युतिकृत घोषित हैं। उक्त क्षेत्र के ग्राम रूंघ मैथना कोड नं. 5/10/88 एवं ग्राम रूंघ सोखरी कोड नं. 5/10/274 गैर आबाद ग्राम है जिनमें एक भी घर नहीं है अतः इनमें विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है। ग्राम भगवतपुरा कोड नं. 5/10/309 में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में वहां ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं है। इस ग्राम में अब कनेक्शन की मांग आई है जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार ने ढ़ाणियों को न तो पूर्णतः चिन्हित किया है न ही सूचीबद्ध किया है।

तथापि उक्त विधान सभा क्षेत्र की विद्युतीकरण से वंचित प्रमुख ढाणियों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलबध है जो सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं माडा टाडा विभाग की सहायता से गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चिन्हित अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को भी निःशुल्क एक बत्ती घरेलू कनेक्शन देने का प्रावधान है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में अब तक 973 कृषि श्रेणी व 323 घरेलू श्रेणी एवं 3 व्यावसायिक श्रेणी के आवेदन पत्र लम्बित हैं। उक्त कृषि श्रेणी के आवेदकों में से दिनांक 31.03.2003 तक के प्राप्त 934 कृषि आवेदनों के आवेदकों को क्रमशः अगले तीन वर्षों में कनेक्शन देने का लक्ष्य है। शेष को माह मार्च, 2007 के उपरान्त कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी तथा घरेलू एवं व्यवसायिक श्रेणी के आवेदकों को इसी वर्ष में कनेक्शन देने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष रहे कनेक्शनों की वर्षवार सूची परिशिष्ट-"स" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। किसानों को परिशिष्ट-"ब" में दर्शित पात्रातानुसार वरीयता के आधार पर ही कनेक्शन दिये जा रहे हैं तथा वरीयता को लांघकर कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। सरकार सभी कनेक्शन चाहने वाले कृषकों को कट आफ डेट के अनुसार कनेक्शन देने के लिये प्रतिबद्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(5) जी हां। तकनीकी रूप से साध्य एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाये जाने पर ग्राम बहतूकला (कठूमर) में 33/11 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया जावेगा।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र कठूमर की विद्युतीकरण से वंचित ढ़ाणियां निम्नानुसार है

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ढ़ाणी का नाम
1.	झालाटाला	हनुमान का बास
2.	झालाटाला	पाछेला
3.	ईटोला	कुम्हार की ढ़ाणी
4.	कठूमर	मंगलापुर की ढ़ाणी
5.	मसारी	जाटव की ढ़ाणी
6.	मसारी	मीणा की ढ़ाणी
7.	खेरा सारंगपुरा	खेरा की ढ़ाणी
8.	जहाड	बैरवा की ढ़ाणी
9.	भनोकर	मीणा की ढ़ाणी
10.	भनोकर	बैरवा की ढ़ाणी
11.	सांखरी	जाटव की ढ़ाणी
12.	रामपुरा	गोविन्दपुरा की ढ़ाणी
13.	समोची	हरिजन की ढ़ाणी
14.	बादसू	मीणा कालोनी
15.	साजनपाडा	बैरवा कालोनी
16.	मुडिया	मूडिया की ढ़ाणी

कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु निम्न प्रकार से निगम द्वारा प्राथमिकताएं दी जा रही हैं।

1.	राज्य के सभी अनुसूचित जाति के सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र।	तुरंत प्राथमिकता
2.	राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र के किशनगंज एवं शहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के प्राइज़ पत्र।	तुरंत प्राथमिकता
3.	(अ) 1962, 1965 व 1971 के युद्धों में कारगिल द्रास व अन्य क्षेत्रों में, इसके पश्चात् अन्य सैन्य कार्यवाही, अन्य किसी समय देश के किसी भी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि के दौरान शहीद की विधवा या पुत्र-पुत्री के नाम भूमि नहीं हो तो उसके माता-पिता को बशर्ते मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो- (ब) उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशें में (जैसे:- पवन श्रीलंका इत्यादि) शहीद के वैधानिक उत्तरदायित्व (NEXT-KIN) बशर्ते मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो-	तुरंत प्राथमिकता
4.	परमवीर चक्र/महावीर चक्र से अलंकृत सैनिकों के नाम अथवा मृत्यु होने पर विधवा या परिवार के सदस्य (NEXT KIN) के बारे में प्रमाण पत्र संबंधित सैनिक/असैनिक संस्था से प्राप्त होने पर एक विद्युत कृषि कनेक्शन।	तुरंत प्राथमिकता
5.	कार्यरत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं (विधवा की मृत्यु होने पर या विधवा के नाम जमीन नहीं होने पर अन्य वैधानिक उत्तरधिकारी) को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिए।	3 वर्ष की प्राथमिकता

6.	राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक कर्मिकों को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों में।	3 वर्ष की प्राथमिकता
7.	शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग आवेदकों को सामान्य श्रेणी कट आफ डेट से।	3 वर्ष की प्राथमिकता
8.	निगम कर्मचारियों को वरीयता क्रम में	6 माह की प्राथमिकता
9.	सभी श्रेणी के कृषि कनेक्शन जो केवल एलटी लाइन के विस्तार द्वारा जारी किये जा सकते है, ऐसे कनेक्शनों को ट्रांसफार्मर के स्थापित होने पर जारी होने वाले कनेक्शनों पर वरियता दी जाकर कनेक्शन जारी कर दिया जावे।	

परिशिष्ट- "स"

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कृषि के 973, घरेलू 323 व्यवसायिक 3 कनैक्शन दिये जाने शेष हैं कि वर्षवार सूची निम्न हैं।

वर्ष	लम्बित कृषि कनैक्शन	लंबित घरेलू कनैक्शन	लम्बित अघरेलू कनैक्शन	
1	2	3	4	5
1988-89	175			
1989-90	112			
1990-91	88			
1991-92	99			
1992-93	83			
1993-94	162			
1994-95	110			
1995-96	36			
1996-97	3			
1997-98	5			
1998-99	37			

1	2	3	4
1999-2000	27		
2000-01	4		
2001-02	4		
2002-03	9	273	-
2003-04	19	50	3
योग:-	**973**	**323**	**3**

मार्च 1991 तक की कट आफ डेट तक के कृषि कनैक्शन कृषि नीति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं एवं बाकी कनैक्शन नियमानुसार जारी किये जावेंगे।

पंचायत समिति गोगुन्दा, कोटड़ा में नि:शुल्क ब्लास्टिंग से वंचित कृषक

168. **श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटड़ा में बिखरी आबादी माडा एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1999 से 2003 तक कितने कृषकों को नि:शुल्क ब्लास्टिंग की स्वीकृति दी गई ? काश्तकारों की सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999 से 2003 तक वर्षवार फ्री ब्लास्टिंग से मदवार कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया तथा कितने कृषक इससे वंचित रहे ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना से कृषकों के वंचित रहने के क्या कारण हैं ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटड़ा क्षेत्र में वर्ष 1999 से 2003 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 522, माडा क्षेत्र में 216 एवं बिखरी जनजाति

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्षेत्र में 55 कुल 793 जनजाति काश्तकारों को नि:शुल्क ब्लास्टिंग की स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृत काश्तकारों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	उपयोजना क्षेत्र	माडा क्षेत्र	बिखरी आबादी क्षेत्र
1	99-2000	-	216	-
2	2000-01	522	-	55
3	2001-02	-	-	-
4	2002-03	-	-	-

(2) वर्ष 1999-2003 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्वीकृत 522 में से 406, माडा क्षेत्र में स्वीकृत 216 में से 126 व बिखरी योजना में 55 में से 50 कुल 582 काश्तकारों को लाभान्वित किया गया तथा जनजाति क्षेत्र के 116, माडा क्षेत्र के 90 तथा बिखरी जनजाति क्षेत्र के 5 कुल 211 कृषक ब्लास्टिंग से वंचित रहे। लाभान्वित कृषकों की नामवार सूची परिशिष्ट-2 तथा वंचित काश्तकारों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। इनका वर्षवार निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	उपयोजना क्षेत्र	माडा क्षेत्र	बिखरी आबादी क्षेत्र
1.	1999-2000	-	126	-
2	2000-01	406	-	50
3	2001-02	-	-	-
4	2002-03	-	-	-

वंचित काश्तकारों की सूची

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	उपयोजना क्षेत्र	माडा क्षेत्र	बिखरी आबादी क्षेत्र
1	1999-2000	-	90	-
2	2000-01	116	-	5
3	2001-02	-	-	-
4	2002-03	-	-	-

(3) उपयोजना क्षेत्र के स्वीकृत ब्लास्टिंग कार्य से कृषकों के वंचित रहने का मुख्य कारण यह है कि क्षेत्र में स्वीकृतियां आवंटित लक्ष्यों से अधिक की जारी की जाती है क्योंकि कई कृषक इस कार्य हेतु आवेदन तो कर देते हैं परन्तु मलवा निकालने में उनकी क्षमता न होने से कार्य नहीं करवाते हैं साथ ही कई कूप ऐसे दुर्गम स्थल पर होते हैं कि जिस पर विस्फोटन मशीन की पहुंच सम्भव नहीं होती है। अत: स्पष्ट है कि उक्त तालिका में दर्शित जिन कृषकों के कार्य नहीं हुए हैं वह कृषक तत्समय लाभान्वित नहीं हो सके हैं परन्तु उनके पक्ष में जारी स्वीकृति विद्यमान है उत्तरोत्तर वर्षों में जब भी कृषक अपने कुएं तक पहुंच संभव कर लेगा व मजदूरी करने को सहमत होगा उन्हें योजना का लाभ प्रदत्त करवा दिया जावेगा। अत: किसी कर्मी को इस हेतु जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

उक्त कारणों को मध्य नजर रखते हुए किसी कार्मिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

169. **श्री मंगलाराम गोदारा** (श्री डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कितनी नई सड़कें कब बनी व उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) उक्त सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी व कितनी अवधि की है ?

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है।

(4) क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 20 नई सड़कें वर्ष 2002-03 से 2003-04 में निर्मित हुई। इन पर कुल 1058.86 लाख की राशि व्यय हुई। सड़कवार व्यय सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।,

(2) उक्त सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी अनुबन्धानुसार संवेदक की है जो कि कार्य समाप्ति के पश्चात् में 5 साल अवधि की है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में कुछ सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। जी नहीं, उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं हुआ।

(4) जी हां। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत अनुबन्धानुसार संवेदक से ही उसके खर्चे पर करवाई जायेगी।

परिशिष्ट 'अ'

श्री डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	सड़क बनाने का वर्ष	कार्य राशि लाखों में	रख-रखाव की अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	एन.एच.-11 सं. बीगावास रामसरा 4 किमी.	2002-03	34.66	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
2.	इन्द्रपालसर सांखलान से अमृतवासी सूरजनवासी 8.20 किलोमीटर	2002-03	69.96	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
3.	बरजांगसर से सोनियासर मिठिया 8 किलोमीटर	2002-03	66.16	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
4.	लिखमादेसर से कुन्तासर 7 किमी.	2002-03	59.38	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
5.	मोमासर से सतासर 7.600 किमी.	2002-03	71.65	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
6.	लखासर से समंदर 9.600	2002-03	77.46	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
7.	उपनी से दुसारना 9.00 किमी.	2002-03	66.16	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
8.	डूंगरगढ़ से जैसलसर 4.6 किमी.	2002-03	37.54	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
9.	गुसाईसर से बीजासर 8.00 किमी.	2002-03	54.68	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
10.	बापेउ से सोनियासर शिवदान सिंह 12 किमी.	2002-03	92.91	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
11.	पूनरासर से मानकड़ासर 8.00 किमी.	2003-04	67.96	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	

1	2	3	4	5	6
12.	इन्द्रपालसर सांखलान से इन्द्रपालसर बड़ा 1.00 किमी.	2003-04	8.00	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
13.	रिड़ी से इन्द्रपालसर गुसाईसर 5.00 किमी.	2003-04	46.43	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
14.	आइसर से लाखनसर 7.800 किमी.	2003-04	70.75	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
15.	कातर छोटी से कातर बड़ी किमी. 0/0 से 3/0	2002-03	28.87	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
16.	साजनसर से रेड़ा किमी. 0/0 से 2/500	2002-03	24.66	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
17.	तेहनदेसर से गिरवरसर किमी. 0/0 से 9/0	2002-03	89.36	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
18.	बस स्टेण्ड से कांधलसर	2003-04	8.62	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
19.	करेजड़ा से नब्बासर	2003-04	41.72	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	
20.	बीदासर से कालेरा की ढ़ाणी	2003-04	41.82	5 वर्ष ठेकेदार द्वारा	

बैराठ विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीनों को भू-आबटन

170. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : कया राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन परिवारों को कृषि भूमि आबंटित करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो संबंधित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में गत पांच वर्षों में किस-किस गांव में किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी कृषि भूमि आबंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में ऐसे परिवारों को विधान सभा क्षेत्र बैराठ में कहीं कृषि भूमि आवंटित किये जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों को भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम, 11(3)(ख) में उक्त प्रावधान है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में गत पांच वर्षों में 15 ग्रामों में 133 व्यक्तियों को 72.61 हैक्टर भूमि का आबंटन हुआ है। सूची परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

संभागीय मुख्यालयों पर सड़क निर्माण हेतु प्रावधित राशि

171. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) एवं श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 6 संभागीय मुख्यालयों की कच्ची बतिस्तयों में सड़क, नाली एवं अन्य सुधारों हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान रखा गया था ? यदि हां, तो संभागवार एवं मदवार व्यय की जाने वाली राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कच्ची बस्तियों से संबंधित ए.डी.बी. प्रोजेक्ट में रखी गई राशि अब इन बस्तियों पर खर्च नहीं की जाएगी ? यदि हां, तो उन कच्ची बस्तियों के नवनिर्माण का कार्य उस प्रोजेक्ट से बाहर क्यों किया गया तथा यह किसके आदेशों से किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विभिन्न संभागीय मुख्यालयों की सड़क के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि प्राविधित की गई थी ? यदि हां, तो संभागवार सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सड़कों के निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस संभाग की किस-किस सड़क के निर्माण को रोका गया तथा किसके आदेश से ?

(5) किस-किस शहर में अब तक कितनी-कितनी राशि के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष कार्य कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ?

(6) ए.डी.बी. परियोजना पर प्रशासनिक व्यय कितना प्रतिशत हो रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 6 संभागीय मुख्यालयों की कच्ची बस्ती में सड़क नाली व अन्य सुधारों हेतु आवश्यक धनराशि के प्रावधान का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संभागीय मुख्यालयों पर सड़क निर्माण हेतु राशि का प्रारम्भिक प्रावधान निम्नानुसार था :-

अजमेर-	12.00 करोड़ रुपये
बीकानेर-	-
जयपुर-	30.40 करोड़ रुपये
जोधपुर-	12.50 करोड़ रुपये
कोटा-	12.61 करोड़ रुपये
उदयपुर-	8.44 करोड़ रुपये

(4) जी नहीं।

(5) ए.डी.बी. प्रोजेक्टके तहत 6 संभागीय मुख्यालयों पर पूर्ण किये गये कार्यों एवं उन पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। परियोजना के शेष सभी कार्यों को लगभग जून 2005 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(6) एशियन डेवलपमेन्ट परियोजना में प्रशासनिक व्यय लगभग 5.5 प्रतिशत हो रहा है। विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के तहत 6 संभागीय मुख्यालयों की कच्ची बस्ती में सड़क, नाली व अन्य सुधारों के प्रावधान का विवरण है :-

(रुपये करोड़ में)

शहर	राशि
अजमेर -	4.22
बीकानेर -	7.57
जयपुर -	15.00
जोधपुर -	15.00
कोटा -	8.00
उदयपुर-	3.31

परिशिष्ट-ब

एडी.बी. प्रोजेक्ट के तहत छः संभागीय मुख्यालयों में पूर्ण हो चुके कार्य एवं उन पर व्यय की गई राशि का विवरण

संभागीय मुख्यालय	पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर वयय की गई राशि
		(रु. करोड़ों में)
अजमेर -	2	3.02
बीकानेर -	1	0.74
जयपुर -	8	12.38
जोधपुर -	8	15.90
कोटा -	8	12.06
उदयपुर -	1	0.73

परिशिष्ट-स

प्रशासनिक व्यय का विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

सैक्टर	राशि
प्रशासनिक अभिवृद्धि (वेतन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, सामान्य कार्यालय व्यय, कार्यालय किराया)	21.12
वाहन एवं उपकरण	4.21
अभिकल्पन, निर्माण एवं निरीक्षण सेवाएं	44.26
परियोजना प्रबंधन संवाएं	13.40
योग	**82.99**

परियोजना लागर 1528.71 करोड़ पर प्रशासनिक व्यय 5.43 प्रतिशत

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेलावन व देवरी (बारां) में चिकित्सा कर्मियों का पदस्थापन

172. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले की तहसील किशनगंज व शाहबाद में अकाल राहत के दौरान ग्राम रेलावन, देवरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए थे ? यदि हां, तो अभी भी वहां पर स्थाई स्टाफ की नियुक्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार रेलावन व देवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थाई रूप से स्टाफ की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ग्राम रेलावन (किशनगंज) एवं देवरी (शाहबाद) में अकाल राहत के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये थे। उक्त ग्रामों में चिकित्सा अशिकारी के पद अन्य चिकित्सा संस्थानों से स्थानान्तरित करवाने का निर्णय लेते हुए एक-एक चिकित्सा अधिकारी अस्थाई रूप से उक्त ग्रामों में पदस्थापित किये गये थे। वर्तमान में भी चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित हैं।

(2) जी हां, ग्राम रेलावन एवं देवरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। स्वीकृति के उपरान्त इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थाई रूप से स्टाफ लगाया जाना सम्भव हो सकेगा।

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र का प्रस्तावित ग्रिड़ सब-स्टेशन

173. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 2003-04 में कितने 33 के.की.के सब स्टेशन स्थापित किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की ग्राम पंचायत डगार में 33 के.वी. का ग्रिड सब स्टेशन खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सब-स्टेशन कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कितने गांवों को वर्ष 2004-05 में विद्युतीकरण करने की सरकार की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 2003-04 में 33/11 के.वी. के किसी भी सब-स्टेशन का निर्माण नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की ग्राम पंचायत डगार में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य नहीं पाया गया।

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 2004-05 के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 5 गांवों एवं राजस्थान रिनेवेबल एनर्जी कारपोरेशन (RREC) द्वारा तीन गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। इनका विवरण निम्नानुसार है :-

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा

1. कालीपोल
2. सरामानपुरा
3. बुडेल
4. भीमागांव
5. जयमालपुरा

राजस्थान रिनेवेबल एनर्जी कारपोरेशन द्वारा

1. अरावला
2. सती की चोरी
3. श्यामपुरा

भादरा विधान सभा क्षेत्र की सड़कें

174. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में गत चार वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की चौड़ाई क्या है ?

(2) क्या उन मार्गों की चौड़ाई निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार रास्तों की चौड़ाई व भूमि अवाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की चौड़ाई 5.0 मीटर से 7.5 मीटर है।

(2) जी नहीं। इन मार्गों की कुल चौड़ाई उपलब्ध राजस्व मार्ग की चौड़ाई के अनुरूप ही रखी गई है। निर्मित समस्त मार्गों पर कैरिज-वे (डामरीकृत सड़क) की चौड़ाई मापदण्ड के अनुसार 3.75 मीटर ही है। जी नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति का प्रावधान नहीं रखा गया है।

राजकीय भूमि पर काबिज कृषकों को काश्तकारी अधिकार

175. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लम्बे समय से काश्तकार गैर मुमकिन पहाड़ राडी नले एवं गैर मुमकिन रास्ते किस्म की भूमि पर कुए एवं बोरिंग से खेती कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पटवारी इस किस्म की भूमि की नियम 91 की कार्यवाही प्रतिवर्ष करता है इसके द्वारा काश्तकारों को रिकार्ड में बेदखल कर दिया जाता है, जबकि मौके पर किसान काश्त को करते हैं ?

(श्री कान्ती प्रसाद मीणा)

(3) क्या यह सही है कि 91 की कार्यवाही से प्रतिवर्ष वास्तविक काश्तकारों को अनावश्यक वित्तीय भार सहन करना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार इन जमीनों की किस्म परिवर्तन कर किसानों को भूमि आबंटन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अतिक्रमी के विरुद्ध नियमानुसार शास्ती आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं एवं मौके से बेदखल भी किया जाता है। परन्तु कई बार किसानों द्वारा पुन: अतिक्रमण कर काश्त कर ली जाती है।

(3) जी, नहीं। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमी के विरुद्ध ही धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है तथा नियमानुसार शास्ती आरोपित की जाती है।

(4) प्रतिबंधित किस्म की भूमियों यथा गै.मु. नाले, नाडी, आदि को छोड़कर अन्य किस्म की भूमियों की किस्म परिवर्तित कर आबंटन करने का नियमों में प्रावधान है तथा उसके अनुसार आबंटन/नियमन किया जाता है।

कोटा नगर निगम के चयनित परिवार

176. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में नये बी.पी.एल. कार्ड बनाये जाने का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो उसके लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ड विवरण का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(3) क्या कोटा नगर निगम द्वारा उक्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कार्ड वितरण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस हेतु निर्धारित आर्थिक एवं गैर आर्थिक मापदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) कार्ड वितरण का कार्य इस हेतु आयोजित होने वाली वार्ड सभाओं की तारीखें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होने के पश्चात् वार्ड सभाओं में बी.पी.एल. कार्ड सूचियों के अनुमोदन उपरान्त बी.पी.एल. कार्ड बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

(3) नगर निगम, कोटा द्वारा निगम क्षेत्र में शहरी बी.पी.एल. सर्वे वर्ष 2003 कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिया गया है। तत्पश्चात वार्ड सभा के आयोजन को स्थगित कर दिया गया। अब इन वार्ड सभाओं के आयोजन की राज्य सरकार द्वारा तिथि निर्धारित करने के बाद वार्ड सभा का आयोजन कर, कार्ड वितरण का कार्य किया जावेगा।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक चिकित्सालय में आवश्यक सुविधाएं

177. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले में कितने रेफरल व जिला चिकित्सालय हैं ? प्रत्येक चिकित्सालय में रोगियों हेतु कितने-कितने बैड की व्यवस्था है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में रेफरल चिकित्सालयों व जिला चिकित्सालयों में प्रत्येक में कितने-कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं उनमें से कितने कार्यरत हैं व कितने लम्बी छुट्टीयों पर एवं कितने पद रिक्त है ? प्रत्येक चिकित्सालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री फतेह सिंह)

(3) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के कुशलगढ़ चिकित्सालय का मुख्य भवन कब बना ? क्या सरकार उक्त भवन को पर्यावरण व स्वास्थ्य रोशनी, कोलाहल रहित वातावरण सफाई के मानक स्वरूपानुसार तथा जनसंख्या वृद्धि के अनुसार विकास के लिये उपयुक्त मानती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नया भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) कुशलगढ़ रेफरल चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन किस वर्ष में लगी थी तथ उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या वह अब कार्य योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ रेफरल चिकित्सालय में ई.सी.जी. सेक्शन इन्सीनेटर, मुर्दाघर व मोटर गेरेज का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपकरण व भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में एक जिला चिकित्सालय एवं 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं जिनके नाम एवं उनमें उपलब्ध रोगी शैय्याओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) बांसवाड़ा जिले में कार्यरत जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण चिकित्सा संस्थानवार परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। कोई भी चिकित्सक लम्बे अवकाश पर नहीं है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़ का मुख्य भवन वर्ष 1939 से बना हुआ है। वर्तमान में भवन रोशनी मानकस्वरूप नहीं है, क्योंकि सड़कें काफी ऊपर हो जाने से भवन नीचे हो गया है। उक्त भवन हेतु राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत रिनोवेशन/एडिशन एवं आल्ट्रेशन आदि कार्य के लिए वर्ष 2004-05 में राशि रुपये 47 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़ में एक्सरे मशीन वर्ष 1981 में स्थापित हुई थी। वर्तमान में मशीन कार्य योग्य है।

(5) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़ की ई.सी.जी. मशीन खराब है। जिसको ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है। सेक्शन इन्सीनेटर नाम का कोई उपकरण नहीं होता है।

राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र कुशलगढ़ में मुर्दाघर निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में राज्य योजनान्तर्गत मोटर गेराज के निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में मोटर गेराज का निर्माण करवाया जाना सम्भव नहीं होगा।

परिशिष्ट-'अ'

बांसवाड़ा जिले में स्थित जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों नाम व उनमें उपलब्ध रोगी शैय्याओं का वितरण

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	उपलब्ध रोगी शैय्याओं का विवरण
1	जिला चिकित्सालय बांसवाड़ा	300 रोगी शैय्याऐं
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आनन्दपुरी	30 रोगी शैय्याऐं
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागीदोरा	30 रोगी शैय्याऐं
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटोल	30 रोगी शैय्याऐं
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़	50 रोगी शैय्याऐं
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर	30 रोगी शैय्याऐं
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरेडी बडी	30 रोगी शैय्याऐं
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी डूंगरा	30 रोगी शैय्याऐं
9	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सरवन	30 रोगी शैय्याऐं
10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलवाड़ा	30 रोगी शैय्याऐं
11	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गनोड़ा	30 रोगी शैय्याऐं

परिशिष्ट 'ब'

बांसवाड़ा जिले के जिला चिकित्सालय व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना। चिकित्सा संस्थानवार विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	जिला चिकित्सालय बांसवाड़ा	वरिष्ठ विशेषज्ञ	7	5	2
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	12	9	3
		उप नियंत्रक	1	-	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	8	5	3
		चिकित्सा अधिकारी	27	20	7
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आनन्दपुरी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	-	2
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	-	2
		चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागीडोरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	-	2
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-	1
		चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गनोडा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	1	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-	1
		चिकित्सा अधिकारी	3	3	-

1	2	3	4	5	6
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटोल	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1	-
		चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ	3	1	2
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-	1
		चिकित्सा अधिकारी	2	2	-
		दन्त चिकित्सक	1	1	-
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	2	-
		चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरेडी बड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	2	-
		चिकित्सा अधिकारी	3	3	-
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटा डूंगरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	2	-
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
		चिकित्सा अधिकारी	3	3	-
10.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सरवन	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	-	2
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-	1
		चिकित्सा अधिकारी	3	3	-
11.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलवाडा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	1	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-	1
		चिकित्सा अधिकारी	3	2	1

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन विकास

178. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत सांभर झील, शाकंभरी माता मंदिर देवयानी, ज्वाला माता मंदिर (जोबनेर) दादू धाम (नरेना) बंधे का बालाजी ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्यटन विभाग के बजट प्रावधानों में इन स्थलों के विकास हेतु राशि प्रावधित नहीं है।

कोटा जिला में टोल-टैक्स की वसूली

179. **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा में टोल टैक्स का ठेका कितनी राशि पर किसके नाम पर कब से कब तक के लिए स्वीकृत किया गया ?

(2) क्यायह सही है कि टोल टैक्स ठेके की अनियमितताओं की सरकार को शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? शिकायतों पर सरकार द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगन्नाथ)

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा टोल टैक्स वसूली निर्धारित दरों से की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार टोल टैक्स ठेके को निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला कोटा में निम्नांकित पुलों पर टोल टेक्स का ठेका स्वीकृत किया गया है।

क्र.सं.	पुल का नाम	ठेकेदार का नाम	ठेके की राशि	ठेके की अवधि
1	पार्वती पुल (इटावा खातोली रोड)	श्री धीरेन्द्र सिंह	तोमर	16,11,000/- 31.8.03 से 31.08.04 तक
2	चम्बल पुल (कोटा बूंदी सड़क) रा.उ.मा. 12	श्री हरिशंकर	पाटीदार	701,17,860/- 31.07.03 से 31.07.04 तक

(2) पार्वती पुल पर वसूले जा रहे टोल टैक्स के सम्बन्ध में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चम्बल पुल पर टोल टैक्स वसूले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतकर्ताओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है। टोल टैक्स की निर्धारित दर से अधिक वसूली पाये जाने के कारण प्रथम बार आवासीय अभियन्ता, आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड यूनिट प्रथम कोटा के पत्र क्रमांक आर ई/कोटा/द्वितीय/961-62 दिनांक 19.1.04 के द्वारा 1 प्रतिशत शास्ती रु. 701179/- ठेकेदार के विरुद्ध आरोपित की गई, जिसकी वसूली संवेदक की 10 प्रतिशत जमा धरोहर राशि में से समायोजित करली गई।

वाहनों से पुन: टोल टैक्स की निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलना पाये जाने के कारण आवासीय अभियन्ता, आर.एस.आर.डी.सी.लि. यूनिट प्रथम कोटा के पत्र क्रमांक आर ई/केटी/1683-85 दिनांक 18.3.04 के द्वारा 2

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रतिशत शास्ती रु. 1402357/- ठेकेदार के विरुद्ध आरोपित की गई जिसकी वसूली संवेदक की जमा धरोहर राशि में से कर ली गई है। इसके पश्चात् आर.एस.आर.डी.सी.लिमिटेड, अभियन्ताओं द्वारा एवं जिला कलक्टर, कोटा द्वारा गठित जांच दल द्वारा टोल टैक्स नाके का समय-समय पर निरीक्षण किया गया जिसमें ठेकेदार द्वारा निर्धारित दरों से वाहनों से टोल टैक्स लेना पाया गया।

(3) जी हां।

(4) टोल टैक्स अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के अनुसार यदि ठेकेदार तीसरी बार अनियमितता करता हुआ पाया गया तो टोल टैक्स ठेके को निरस्त किया जा सकता है।

परिशिष्ट-'अ'

शिकायतकर्ताओं का विवरण

1-	श्री गोवर्धन पुत्र श्री बहादुर राम एफ.आई.आर. 13/04	दिनांक 12 जनवरी, 2004
2-	श्री जगन्नाथ वर्मा, विधायक क्रं. 172-174	दिनांक 04 मार्च, 2004
3-	श्री जगन्नाथ वर्मा, विधायक क्रं. 197	दिनांक 10 मार्च, 2004
4-	श्री गोविन्द पुत्र श्री कालूराम एफ.आई.आर. 81/04	दिनांक 16 मार्च, 2004
5-	श्री जगन्नाथ वर्मा, विधायक क्रं. 277	दिनांक 01 मई, 2004

कृषि भूमि आबंटन में किश्तों की अदायगी पर ब्याज दर का निर्धारण

180. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कृषि भूमि के सामान्य आबंटन, में किश्तों की अदायगी पर निर्धारित ब्याज दर क्या है ?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(2) क्या यह सही है कि सामान्य आबंटी द्वारा कृषि भूमि की किश्तों की समय पर अदायगी नहीं करने पर बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज दर के साथ राशि वसूल की जाती है ? यदि हां, तो वह ब्याज दर क्या है ?

(3) क्या सरकार कृषि भूमि की किश्तों की बकाया राशि पर बैंक दर के अनुसार ही ब्याज दर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2000 से पूर्व विशेष आबंटन के लिए गजट में प्रकाशित कृषि भूमि पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि दर से कीमत में वृद्धि की जाती रही है ? यदि हां, तो कितनी व क्यों ? क्या इसमें कभी किसी प्रकार का संशोधन किया गया ? यदि हां, तो कब व कितना ?

(5) क्या सरकार चक्रवृद्धि दर से कीमत बढ़ाना न्यायसंगत मानती है ? यदि हां, तो कैसे व नहीं तो इसमें सुधार हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान उपनिवेश (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 17 के अनुसार सामान्य आबंटन में किश्तों की निर्धारित समय अदायगी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है।

(2) जी हां। बकाया किश्तों की निर्धारित समय पर अदायगी नहीं करने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है।

(3) राज्य स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

(4) जी हां, कीमत का 15% प्रतिवर्ष की दर से । जी हां, राज्य सरकार के पत्र प. 3(46)उप/83-। दिनांक 17.11.2000 के द्वारा विशेष आबंटन के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि की कीमत प्रतिवर्ष 15% के स्थान

(राजस्व मंत्री)

पर 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि (चक्रवृद्धि रहित) करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(5) जी नहीं। वर्तमान में 10% प्रतिवर्ष वृद्धि (चक्रिवृद्धि रहित) कीमत वृद्धि का प्रावधान है।

नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिकाओं की बैठकों में व्याप्त अनियमितताएं

181. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका नवलगढ़ व मुकन्दगढ़ की माह अगस्त 2000 से मई, 2004 तक साधारण सभा एवं मण्डल की अन्य बैठकें कब-कब आयोजित की गई तथा कार्य संचालन समितियों की बैठकें कब एवं कितनी हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका मण्डल की बैठकें एवं अन्य बैठकें भी प्रत्येक माह नियमानुसार होनी चाहिए ? यदि हां, तो नगर पालिका की बैठकों में अनियमितता करने वालों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर पालिका नवलगढ़ व मुकुन्दगढ़ की माह अगस्त, 2000 से मई, 2004 तक साधारण सभा एवं मण्डल की अन्य बैठकें कब-कब आयोजित की गई, (विवरण संलग्न है।) जहां तक कार्य संचालन समितियों की बैठक आयोजन का प्रश्न है, नगर पालिका नवलगढ़ में वर्ष 2000 के पश्चात् केवल एक बैठक 31.12.03 को आयोजित हुई है तथा नगर पालिका मुकुन्दगढ़ में कार्य संचालन समितियों का गठन नहीं होने से कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(2) जी हां। नगर पालिका नवलगढ़ व मुकुन्दगढ़ में समय पर बैठकें आयोजित नहीं करने के संबंध में संबंधित अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

नगरपालिका मण्डल नवलगढ़ की माह अगस्त 2000 से मई 2004 तक आयोजित साधारण सभा एवं अन्य बैठकों का क्रमवार विवरण :

क्र.सं.	बैठक की दिनांक	क्र.सं.	बैठक की दिनांक
1	2/9/00	9	29/4/02
2	30/12/00	10	7/9/02
3	7/4/01	11	15/3/03
4	10/5/01	12	3/5/03
5	16/6/01	13	16/8/03
6	30/11/01	14	31/12/03
7	26/11/02	15	28/2/04
8	23/3/02	16	28/5/04
		17**	31/12/03

नगरपालिका
नवलगढ़

नगर पालिका मुकुन्दगढ़ की माह अगस्त, 2000 से मई, 2004 तक आयोजित साधारण सभा एवं अन्य बैठकों का क्रमवार विवरण :-

क्र.सं.	बैठक की दिनांक	क्र.सं.	बैठक का दिनांक
01.	22.08.2000	02.	24.08.2000
03.	08.09.2000	04.	18.09.2000
05.	12.12.2000	06.	11.05.2001
07.	19.06.2001	08.	15.09.2001

**कार्य संचालन समितियों की गठन की बैठक

1	2	3	4
09.	01.12.2001	10.	20.04.2002
11.	11.06.2002	12.	07.11.2002
13.	16.04.2003	14.	03.01.2004
15.	19.02.2004		

जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल की स्थापना

182. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मरीजों के अधिक दबाव को मध्य नजर रखते हुए जयपुर के अन्य स्थानों पर अलग से अस्पताल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में सेटेलाइट अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन जयपुर शहर में वर्ष 2004-05 में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण नया चिकित्सालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। जयपुर स्थित चार सेटेलाईट चिकित्सालयों से सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मरीजों का दबाव कम हो रहा है।

(2) जी नहीं वित्तीय वर्ष 2004-05 में राज्य योजनान्तर्गत सेटेलाईट चिकित्सालय खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में इस वित्तीय वर्ष में सेटेलाईट अस्पताल खोला जाना संभव नहीं है।

स्थानीय निकायों की पूर्व जांच प्रणाली का पुनर्संचालन

183. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में पूर्व जांच प्रणाली हटाये जाने के पश्चात् अपव्यय/गबन/घोटाले रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व जांच प्रणाली हटाये जाने के पश्चात् संस्थाओं के अंकेक्षण, आक्षेपों में बढ़ोतरी हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 2003-04 से पूर्व कितने अंकेक्षण आक्षेप प्रतिवर्ष होते थे तथा उक्त प्रणाली हटाये जाने के बाद कितने अंकेक्षण आक्षेप हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व जांच प्रणाली पुन: लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा 15 स्थानीय निकायों में पूर्व जांच प्रणाली आदेश दिनांक 8.11.2002 द्वारा दिनांक 1.12.2002 से समाप्त किये जाने के पश्चात अपव्यय/गबल/घोटाले रोकने के लिये स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 की धारा 4 के अन्तर्गत अन्य नगर निकायों की भांति ही आय-व्यय के लेखों का अंकेक्षण (पोस्ट आडिट) किया जा रहा है।

(2) पूर्व जांच प्रणाली दिनांक 1.12.2002 से हटायें जाने के पश्चात इन संस्थाओं के व्यय मद का अंकेक्षण करवाया गया है। इन 15 स्थानीय निकायों में से 12 स्थानीय निकायों का दिनांक 1.12.2002 से 31.3.2003 तक (4 माह) का अंकेक्षण किया जा चुका है तथा कुल 246 आक्षेपों का गठन हुआ है। आक्षेपों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। शेष 3 निकायों का 4 माह का अंकेक्षण एवं समस्त 15 निकायों के वर्ष 2003-04 के लेखों का अंकेक्षण इस वर्ष में करवाया जाना है।

(3) जी, नहीं।

ब्रिज कारपोरेशन एवं आवास विकास संस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग में विलय

184. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, ब्रिज कॉरपोरेशन एवं आवास विकास संस्थान के पृथक-पृथक अस्तित्व या कार्य से अपने आप को लाभान्वित एवं कार्य कुशल मानती है ?

(2) क्या यह सही है कि इन तीनों के अलग-अलग अस्तित्व से प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन तीनों के विलय का विचार रखती है ?

(3) ब्रिज कारपोरेशन एवं आवास विकास संस्थान की कुल देनदारियां कितनी हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ब्रिज कारपोरेशन के अलग-अलग अस्तित्व एवं कार्य से अपने आप को लाभान्वित एवं कार्यकुशल मानती है एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार आवास विकास संस्थान 31.3.1999 को बंद कर अवसायन में कर दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) ब्रिज कारपोरेशन (वर्तमान में राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम) की वर्ष 2002-03 तक के लेखों के अनुसार 30098.21 लाख रुपयों की देनदारियां है एवं वर्ष 2003-04 के लेखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आवास-विकास संस्थान पर अब तक के कार्यों के आधार पर संस्थान की 13.86 करोड़ रुपये ही देनदारियां हैं।

जैसलमेर क्षेत्र की डिग्गी एवं खालों की मरम्मत

185. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :** क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में पिछले 05 वर्षों के दौरान प्रति मुरब्बा 05 लाख रुपये की दर से जमीन आबंटित की गई थी ? यदि हां, तो कितने मुरब्बे जमीन किस-किस दर से किस-किस को आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले 05 वर्षों में जो जमीन आबंटित हुई है वहां पर सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा और पीने के पानी का भी अभाव है ?

(3) क्या उपरोक्त स्थिति के कारण कई किसान आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं ? यदि हां, तो खाले ठीक करने, डिग्गीयों की मरम्मत व समुचित सिंचाई व पानी हेतु सरकार कब तक व्यवस्था करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इ.गा.न.प. क्षेत्र में उपलब्ध भूमि की कीमत मुरब्बावार निर्धारित की जाती है जो गत पांच वर्षों में अलग-अलग रही है।

(2) पिछले पांच वर्षों में जो जमीन आबंटित हुई है, वहां प्राय: सिंचाई का पानी पहुंचा है और पीने का पानी भी पहुंचा है। पीने के पानी का कोई अभाव नहीं रहा है। सिंचाई हेतु पानी की मात्रा थोड़ी कम रही है।

(3) जी हां। सिंचाई पानी की मात्रा कम रहने के कारण परेशानी हो सकती है। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा वर्तमान में मुख्यत: खालों का निर्माण किया जाता है। खाला पूर्ण होने के पश्चात् खाले की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य काश्तकार द्वारा स्वयं किया जाता है। जल प्रबन्धन कमेटी द्वारा उपलब्ध पानी को चक्रीय प्रणाली अनुसार ही नहरों में सिंचाई एंव पीने हेतु प्रवाहित किया जाता है।

राजस्थान आवासन मण्डल का अंकेक्षण प्रतिवेदन

186. **श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 1999-2000, 2001 एवं 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भारी अनियमिततायें पाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन वर्षों में किसी विशेष प्रकरण में विशेष अंकेक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताओं के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? यदि हां तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2001-2002 तक के जो नियमित अंकेक्षण, अंकेक्षण विभाग द्वारा किये गये हैं उनमें मण्डल के वृत्तों एवं खण्डों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भारी अनियमिततायें नहीं पायी गयी हैं।

(2) जी हां। इन वर्षों में विशेष प्रकरणों में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा विशेष अंकेक्षण किया गया है। इन विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदनों के प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(प्रतिवेदन की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजपत्रित अधिकारियों को चयनित वेतनमान

221. **श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राजपत्रित अधिकारी सेवा के कौन-कौन से संवर्ग गठित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संवर्गों में कुछ सेवा के अधिकारियों को समयबद्ध पदोन्नति, चयनित वेतनमान अथवा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला का प्रावधान किया हुआ है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से संवर्ग हैं तथा उन्हें इस प्रकार की सुविधा कितने-कितने वर्षों की सेवा के पश्चात् उपलब्ध करायी जाती है ?

(3) क्या सरकार समस्त रापत्रित अधिकारियों को चयनित वेतनमान/समयबद्ध पदोन्नति अथवा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला का प्रावधान किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजपत्रित राज्य सेवा की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। संवर्ग एवं सुविधा की समयावधि की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(आतरांकित प्रश्न संख्या 221 की सूची)

परिशिष्ठ -3

राज्य सेवानियमों की सूची "अ"

क्रम संख्या	सेवा नियमों का नाम
1	2
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954
2.	राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954
3.	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954
4.	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954
5.	राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम, 1954
6.	राजस्थान अभियंता सेवा (विद्युत एवं यांत्रिक शाखा) नियम, 1954
7.	राजस्थान अभियन्ता और अनुसंधान अधिकारी (सिंचाई शाखा) सेवा नियम, 1954
8.	राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1954
9.	राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954
10.	राजस्थान श्रम और कल्याण सेवा नियम, 1958
11.	राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958
12.	राजस्थान फैक्टरी और बायलर निरीक्षक और फैक्टरी (रसायन) निरीक्षक सेवा नियम, 1958
13.	राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958
14.	राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959
15.	राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियम, 1959
16.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1960
17.	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा नियम, 1960

1	2
18.	राजस्थान खान एवं भूगर्भ सेवा नियम, 1960
19.	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960
20.	राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960
21.	राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960
22.	राजस्थान उद्यान सेवा नियम, 1962
23.	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम, 1962
24.	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962
25.	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963
26.	राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963
27.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963
28.	राजस्थान जनसंपर्क सेवा नियम, 1966
29.	राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966
30.	राजस्थान प्राच्यविद्या अनुसंधान संस्थान सेवा नियम, 1967
31.	राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा नियम, 1967
32.	राजस्थान अभियन्ता सेवा और सहबद्ध पद (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968
33.	राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969
34.	राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970
35.	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971
36.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 1973
37.	राजस्थान वास्तु (सा.नि.वि.तथा भवन एवं पथ) सेवा नियम, 1973
38.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973

1	2
39.	राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) सेवा नियम, 1974
40.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975
41.	राजस्थान पुरालेख सेवा नियम, 1975
42.	राजस्थान भेड़ एवं ऊन सेवा नियम, 1975
43.	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 1975
44.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा नियम, 1976
45.	राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976
46.	राजस्थान होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976
47.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम, 1977
48.	राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978
49.	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979
50.	राजस्थान पुलिस न्याय संबंधी विज्ञान सेवा नियम, 1979
51.	राजस्थान राज्य उपक्रम सेवा नियम, 1979
52.	राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979
53.	राजस्थान पुस्तकाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980
54.	राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980
55.	राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981
56.	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981
57.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986
58.	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986
59.	राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990

1	2
60.	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992
61.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1997
62.	राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998
63.	राजस्थान महिला एवं बाल विकास राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998
64.	राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2000
65.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001
66.	राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित स्टाफ) नियम और विनियम, 1991

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान न्यायिक सेवा :-

1.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)- कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट	(I) पांच वर्ष की संतोषजनक एवं निरन्तर सेवा पर ग्रेड -II
		(II) अन्य पांच वर्ष की संतोषजनक एवं निरन्तर सेवा पर ग्रेड-I देय है।
2.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-कम-चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अथवा एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट	(I) पांच वर्ष की संतोषजनक एवं निरन्तर सेवा पर ग्रेड-II
		(II) अन्य पांच वर्ष की संतोषजनक एवं निरन्तर सेवा पर ग्रेड-I देय है।

राजस्थान शिक्षा सेवा (सामान्य शाखा) :-

1.	व्याख्याता (स्कूल) एवं समकक्ष पद/कोच, पर्यवेक्षक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय/ अनुदेशक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय।	(I) 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान।
		(II) वरिष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान।
2.	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, सैकण्डरी स्कूल एवं समकक्ष पद।	पी.जी. डिग्री धारक को 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान।

राजस्थान महाविद्यालय शिक्षा सेवा :-

1.	व्याख्याता	<u>वरिष्ठ वेतनमान</u> पी.एच.डी. धारक को नियमित नियुक्ति से पूर्ण की गयी 4 वर्ष की सेवा पर। एम.फिल धारक को नियमित नियुक्ति से पूर्ण की गयी 5 वर्ष की सेवा पर। बिना पी.एच.डी./एम.फिल धारक को नियमित नियुक्ति से पूर्ण की गयी 6 वर्ष की सेवा पर। <u>चयनित वेतनमान</u> वरिष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर।
2.	पुस्तकालयाध्यक्ष/पीटीआई	**वरिष्ठ वेतनमान** पी.एच.डी. धारक को नियमित नियुक्ति से पूर्ण की गई 5 वर्ष की सेवा पर। एम.फिल धारक को नियमित नियुक्ति से पूर्ण की गयी 7 वर्ष की सेवा पर। बिना पी.एच.डी./एम.फिल धारक को नियमित नियुक्ति से पूर्ण की गयी 8 वर्ष की सेवा पर। <u>चयनित वेतनमान</u> वरिष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर

करौली के जिला कलक्टर कार्यालय का भवन निर्माण

222. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्ट्रेट, करौली के कार्यालय भवन का निर्माण स्कूल परिसर की जमीन पर किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण करौली शहर से बाहर अन्य स्थान पर कराने का विचार रखती है ताकि शहर का समुचित विकास हो सके ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था तथा शिक्षा विभाग की अनुमति भी प्राप्त की गई थी। स्कूल परिसर की खाली भूमि में से 5 बीघा भूमि प्राप्त की गई।

(2) जी नहीं निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

धौलपुर हाउस माउंट आबू का स्वामित्व

223. श्री संयम लोढा (सिरोही) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माउंट आबू स्थित धौलपुर हाऊस सरकार के स्वामित्व में कब व किस प्रक्रिया के अन्तर्गत आया ? अभी इस सम्पत्ति का नामन्तरण किस नाम पर दर्ज है ?

(2) धौलपुर हाऊस के अन्तर्गत कितनी भूमि एवं कितना निर्मित क्षेत्र है एवं इसका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त सम्पत्ति को बेचने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) सेटलमेंट के समय से ही उक्त धौलपुर हाऊस ग्राम सानीगांव में चिलानाम नाकाबिलकाश्त रेकार्ड में दर्ज है। वर्तमान में इस सम्पत्ति का नामान्तकरण नगरपालिका आबू पर्वत के नाम अंकित है।

(2) धौलपुर हाऊस की कुल भूमि 9831 वर्ग गज है जिसमें से 992 वर्ग गज भूमि पर निर्माण किया हुआ है एवं 8839 वर्ग गज भूमि खाली है। उक्त भूमि सर्किट हाऊस आबू पर्वत द्वारा उपयोग में ली जा रही है।

(3) विभाग में इस सम्पत्ति को बेचने बाबत कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 1971 के युद्ध में शहीदों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक सहायता

224. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1971 के युद्ध में ग्राम खेजरोली में नन्द सिंह व मदनसिंह नामक दो व्यक्ति शहीद हुए थे ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उनकी विधवाओं को पेंशन दी जा रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या सरकार द्वारा उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई ?

(3) क्या सरकार उक्त शहीदों के परिवारजन को नौकरी या आजीविका चलाने के लिए पैट्रोल-पम्प या अन्य साधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ग्राम खेजरोली तहसील चौमूं जिला जयपुर के दो व्यक्ति नन्द सिंह एवं मदन सिंह भारत पाक युद्ध 1971 में शहीद हुए थे। रक्षा मंत्रालय द्वारा श्रीमती मोहन कंवर बेवा नन्द सिंह को 4743 रुपये एवं श्रीमती प्रेम कंवर बेवा मदन सिंह को 5188 रुपये मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) 1.4.1999 से पूर्व के शहीदों के आश्रितों को नियोजन दिलाने हेतु नियमों में प्रावधान नहीं है परन्तु वर्ष 2004-05 के बजट प्रस्तावों में यह प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। जहां तक पैट्रोल पम्प आबंटन का प्रश्न है, यह केन्द्र सरकार से संबंधित है।

नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति

225. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम जयपुर द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? इसमें से कितने पद रिक्त है ? पिछले तीन वर्ष मे अध्यापकों के कितने पद भरे गये ? क्या इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है ? यदि हां, तो विज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अध्यापकों के पद बिना प्रक्रिया पूरी किये ही नियुक्ति कर दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के बजट वर्ष 2004-05 के अनुसार 6 पद स्वीकृत हैं, इनमें से एक पद रिक्त है, जिसको पद समाप्ति के लिए प्रस्तावित बजट में निगम द्वारा अभिशंसा की गई है जिस पर निर्णय लिया जाना है। पिछले तीन वर्षों में अध्यापकों के दो पर भरे गये हैं। इन पदों को भरने के लिए निगम द्वारा विज्ञप्ति जारी नहीं की गई।

(2) अध्यापकों के रिक्त पदों पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.10.1999 एवं आदेश दिनांक 25.10.2000 द्वारा शैक्षणिक व तकनीकी योग्यताओं में छूट प्रदान की जा कर जयपुर नगर निगम में अध्यापकों के दो रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति जारी किये जाने पर निगम के आदेश क्रमांक 2486 दिनांक 29.09.2000 एवं 2750 दिनांक 14.11.2000 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है। बिना विज्ञप्ति जारी किये नियुक्ति के प्रकरण की जांच करवाई जा कर प्रमाणित तथ्यों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी

226. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में कितने अधिकारी/कर्मचारी दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर किस पद पर व कब से कार्यरत हैं ?

(2) उक्त प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति प्राधिकरण में बनाये रखने का क्या औचित्य है ?

(3) सरकार के नियमानुसार किसी विभाग में एक अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम कितने वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है ? प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर ऐसे कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, जो इस अवधि से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति है क्या सरकार ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में कुल 224 अधिकारी/कर्मचारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। विवरण की सूची परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) प्राधिकरण में विभिन्न विशिष्ट सेवा के अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण कार्य को सुचारू रूप से सम्पादन कराये जाने हेतु प्रतिनियुक्ति पर बनाये रखा जाना आवश्यक है।

(3) राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम 4 वर्ष तक एक विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है। प्राधिकरण में 4 वर्ष की अवधि से अधिक प्रतिनियुक्ति अवधि वाले अधिकारी/कर्मचारीयों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

जी हां, सिद्धान्त: जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को मूल विभाग में भेजने का विचार है। जैसे-जैसे पैतृक विभाग द्वारा अन्य अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध करवा दिया जावेगा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को वापस मूल विभाग में भेजे जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

परिशिष्ट-क

प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पद	प्रतिनियुक्ति पर कार्य ग्रहण करने की दिनांक	मुल विभाग
1	2	3	4	5
1	श्री एस. एन. थानवी	आयुक्त (आई.ए. एस.)	22.01.2004	कार्मिक (क-1) विभाग
2	श्रीमती शशि मधोक	निदेशक (वित्त)	28.06.2003	वित्त विभाग
3	श्री एस.सी. महागांवकर	निदेशक (आयोजना)	07.09.2002	नगरीय विकास विभाग (टी.पी.)
4	श्री एस. पी. पाठक	निदेशक (विधि)	23.02.2004	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर
5	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (अभियांत्रिकी)	28.02.2004	नगरीय विकास विभाग
6	श्री डी.आर.मीणा	अति.आयुक्त (प्रशासन) (आर.ए.एस.)	02.07.2003	कार्मिक (क-4) विभाग
7	श्री अनिल कुमार चपलोत	अति.आयुक्त (पूर्व)पुनर्वास (आर.ए.एस.)	27.02.2004	कार्मिक (क-4) विभाग

1	2	3	4	5
8	श्री ओ.पी. यादव	अति.आयुक्त (पश्चिम) (आर.ए.एस.)	27.05.2002	कार्मिक (क-4) विभाग
9	श्री एस.सी.सोनी	अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रथम	29.11.2001	नगरीय विकास विभाग
10	श्री ओम प्रकाश शर्मा	मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) आर.पी. एस.)	28.02.2004	गृह विभाग
11	श्री पी.सी. गुप्ता	उपायुक्त (प्रशासन) (आर.ए;एस.)	05.12.2001	कार्मिक (क-4) विभाग
12	श्री नरेन्द्र गुप्ता	उपायुक्त (आर.ए.एस)	13.02.2004	कार्मिक (क-4) विभाग
13	श्री मगराज सिंह रलू	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	27.02,2004	कार्मिक (क-4) विभाग
14	श्री एस.एन.तिवाडी	उपायुक्त (आर.ए.एस)	06.08.2003	कार्मिक (क-4) विभाग
15	श्रीमती मनीशा अरोडा	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	04.08.2003	कार्मिक (क-4) विभाग
16	श्री एन.के.गुप्ता	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	14.06.2002	कार्मिक (क-4) विभाग

1	2	3	4	5
17	श्री मुकुल शर्मा	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	04.02.2004	कार्मिक (क-4) विभाग
18	श्रीमती दुर्गा जोशी	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	29.05.2000	कार्मिक (क-4) विभाग
19	श्रीमती सुषमा अरोडा	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	20.08.2001	कार्मिक (क-4) विभाग
20	श्री आर.के.वर्मा	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	04.02.2004	कार्मिक (क-4) विभाग
21	श्रीमती पुष्पा सत्यानी	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	25.09.2002	कार्मिक (क-4) विभाग
22	श्री बिजेन्द्र पाल तोमर	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	28.02.2004	कार्मिक (क-4) विभाग
23	सुश्री सीमा कुमार	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	04.06.2004	कार्मिक (क-4) विभाग
24	श्रीमती नलिनी कठोतिया	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	19.06.2003	कार्मिक (क-4) विभाग
25	श्री नरेन्द्र सिंह	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	16.08.2002	कार्मिक (क-4) विभाग
26	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	भूमि अवाप्ति अधिकारी (आर.ए.एस.)	28.02.2004	कार्मिक (क-4) विभाग

1	2	3	4	5
27	श्री इन्द्रराज सिंह	उप निदेशक (व्यय एवं बजट)	16.05.2002	वित्त विभाग
28	श्री आर.के.वशिष्ठ	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	16.05.2002	वित्त विभाग
29	एन. के. ओला	उप नियंत्रक (प्रवर्तन) (आर.पी.एस.)	14.07.2003	महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर
30	श्री विशाल कुमार शर्मा	उप नियंत्रक (प्रवर्तन) (आर.पी.एस.)	28.02.2004	महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर
31	डा. महेश चन्द शर्मा	वरिष्ठ उधान विज्ञ	06.11.2002	कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
32	श्री बी.एल. गुप्ता	सदस्य अपीलीय अधिकरण (न्यायिक सेवा)	15.01.2004	राज.उच्च न्यायालय, जोधपुर
33	श्री शिव दयाल सिंह	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम	10.06.2004	राज.उच्च न्यायालय, जोधपुर
34	श्री नरेश चुघ	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय	17.05.2003	राज.उच्च न्यायालय, जोधपुर
35	श्री उमेश कुमार धीगरा	जोनल अभियन्ता (पी.एच.ई.)	22.12.2001	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
36	श्री ओ.पी. गुप्ता	जोनल अभियन्ता (विधुत)	31.01.2004	सार्वजनिक निर्माण विभाग

1	2	3	4	5
37	श्री सत्येन्द्र कुमार टामोटिया	जोनल अभियंता	04.03.2002	नगरीय विकास विभाग
38	श्री अशोक कुमार चौधरी	जोनल अभियंता	28.04.2003	नगरीय विकास विभाग
39	श्री सतीश कुमार शर्मा	उप नगर नियोजक	26.05.2004	मुख्य नगर नियोजक विभाग
40	श्री हरकीरत सिंह	उप पंजियक (सहकारिता)	21.07.2000	सहकारिता विभाग
41	श्रीमती कोमल आगरी	वरिष्ठ लेखाधिकारी (भुगतान)	24.6.2003	वित्त (राजस्व) विभाग
42	श्री सुनील सिंघल	जोनल अभियंता (पी.एच.ई.)	01.03.2004	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
43	श्री कार्तिकेय मिश्रा	सहायक पंजियक (सहकारिता)	28.08.2002	सहकारिता विभाग
44	श्री प्रमोद अग्रवाल	सिस्टम एनालिस्ट	01.05.2003	सूचना प्रोधोगिकी एवं संचार विभाग
45	श्री दिनेश कुमार जैन	वरिष्ठ अधीक्षक उधान	01.09.2003	सा.नि.वि.
46	श्री हरिराम गुप्ता	सहायक विधि अधिकारी	15.05.2002	विधि एवं विधिक कार्य विभाग
47	श्री पीयूष पारीक	सहायक विधि अधिकारी	20.01.2003	विधि एवं विधिक कार्य विभाग

1	2	3	4	5
48	श्री कैलाश राज सैनी	सैक्टर अभियन्ता	28.07.2001	सिंचाई विभाग
49	श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा	सैक्टर अभियन्ता	01.03.2002	सिंचाई विभाग
50	श्री सलीम अहमद	सैक्टर अभियन्ता (विधुत)	02.02.2002	जयपुर विधुत वितरण निगम लि.
51	श्री अमिताभ शर्मा	सैक्टर अभियन्ता (पी.एच.ई.)	31.07.2003	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
52	श्री एस.एल. महिपाल	सैक्टर अभियन्ता	24.08.2001	सार्वजनिक निर्माण विभाग
53	श्री हरि मोहन मीणा	सैक्टर अभियन्ता	31.01.2004	सार्वजनिक निर्माण विभाग
54	श्री अनिल कुमार गुप्ता	सैक्टर अभियन्ता	02.09.2000	सार्वजनिक निर्माण विभाग
55	श्री आशीष शर्मा	सैक्टर अभियन्ता	17.07.2002	सार्वजनिक निर्माण विभाग
56	श्री आलोक गुप्ता	सैक्टर अभियन्ता	17.10.2000	सार्वजनिक निर्माण विभाग
57	श्री आशाराम सैनी	सैक्टर अभियन्ता	01.05.2001	सार्वजनिक निर्माण विभाग
58	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	सैक्टर अभियन्ता	03.10.2001	सार्वजनिक निर्माण विभाग
59	श्री मुकेश शर्मा	सैक्टर अभियन्ता	02.12.2001	सिंचाई विभाग
60	श्री कुलदीप सिंह कुल्हार	सैक्टर अभियन्ता	15.02.2002	रा.रा.विधुत प्रसारण नि.लि.

1	2	3	4	5
61	श्री संजय सेठी	सैक्टर अभियन्ता	27.12.2001	सिंचाई विभाग
62	श्री सर्वजीत सिंह	सैक्टर अभियन्ता	01.03.2002	राज.आवासन मण्डल
63	श्री सी.पी.रूहेला	सैक्टर अभियन्ता	01.03.2002	राज. आवासन मण्डल
64	श्री अनिल कुमार गोयल	सैक्टर अभियन्ता	02.03.2002	राज. आवासन मण्डल
65	श्री विनीत अग्रवाल	सैक्टर अभियन्ता	27.04.2002	राज.राज्य औधौगिकी विकास एवं विनियोजन निगम
66	श्री आनन्द प्रकाश मीणा	सैक्टर अभियन्ता	01.03.2004	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
67	श्री रोहीत सिंह	सैक्टर अभियन्ता	18.05.2002	राजस्थान आवासन मण्डल
68	श्री सोमेश राठी	सैक्टर अभियन्ता	03.06.2002	सार्वजनिक निर्माण विभाग
69	श्री वाई.के.गुप्ता	सैक्टर अभियन्ता	18.07.2002	सार्वजनिक निर्माण विभाग
70	श्री एम.एल.गुप्ता	सैक्टर अभियन्ता	01.03.2004	पी.एच.ई.डी.
71	श्री मनीष परिहार	सैक्टर अभियन्ता	01.08.2002	सिंचाई विभाग

1	2	3	4	5
72	श्री बी.एस.मीणा	सैक्टर अभियन्ता (विधुत)	23.12.2002	जयपुर विधुत वितरण निगम लि.
73	श्री धनपत सिंह	सैक्टर अभियन्ता	09.10.2002	सार्वजनिक निर्माण विभाग
74	श्री संजय शर्मा	सैक्टर अभियन्ता	09.09.2002	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
75	श्री अम्बुज त्यागी	सैक्टर अभियन्ता	18.12.2002	सिंचाई विभाग
76	श्री कृष्णलाल नैण	सैक्टर अभियन्ता	20.12.2002	सिंचाई विभाग
77	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी	07.06.2003	निदेशक, कोष एवं लेखा, राज.जयपुर
78	श्री मनोज कुमार गर्वा	सहायक लेखाधिकारी	12.06.2003	निदेशक, कोष एवं लेखा, राज.जयपुर
79	श्री आलोक कुमार सैनी	तहसीलदार	16.07.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
80	श्री आलोक चतुर्वेदी	तहसीलदार	05.09.2001	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
81	सुश्री सरोज ढाका	नायब तहसीलदार	01.02.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
82	श्री अशोक कुमार जैन	तहसीलदार	02.12.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
83	श्री अशोक गौढ	तहसीलदार	09.02.2004	राजस्व मण्डल राज. अजमेर

1	2	3	4	5
84	श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत	तहसीलदार	09.08.2000	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
85	श्रीमती संगीता मीणा	नायब तहसीलदार	01.02.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
86	श्री प्रकाश यादव	तहसीलदार	13.11.2002	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
87	श्री कैलाश चन्द शर्मा	तहसीलदार	17.10.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
88	सुश्री सरोज गुप्ता	तहसीलदार	24.01.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
89	श्री सुमेर सिंह यादव	तहसीलदार	19.12.2001	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
90	श्री शंकर लाल सैनी	तहसीलदार	30.07.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
91	सुश्री चन्द्रकान्ता अग्रवाल	तहसीलदार	05.02.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
92	श्री महेश नारायण शर्मा	तहसीलदार	08.10.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
93	श्री रामानन्द शर्मा	तहसीलदार	16.12.2002	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
94	श्री हरफूल पंकज	तहसीलदार	10.11.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
95	श्री राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी	तहसीलदार	24.10.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर

1	2	3	4	5
96	श्री राजगोपाल अग्रवाल	तहसीलदार	26.12.2001	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
97	श्री राजवीर सिंह यादव	तहसीलदार	29.10.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
98	श्री भागीरथ हवा	तहसीलदार	20.10.2003	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
99	श्री अरविन्द कुमार जाखड़	तहसीलदार	26.04.2004	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
100	श्री अशोक कुमार शर्मा	तहसीलदार	30.11.2002	राजस्व मण्डल राज. अजमेर
10 1	श्री शिव चन्द मीणा	जन सम्पर्क अधिकारी	02.05.2002	निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
102	श्री राजीव दत्ता	प्रवर्तन अधिकारी	07.01.2002	महानिदेशक पुलिस राज., जयपुर
103	श्री लादूराम मीणा	प्रवर्तन अधिकारी	02.02.2002	महानिदेशक पुलिस राज., जयपुर
104	श्री दिनेश शर्मा	प्रवर्तन अधिकारी	09.10.2003	महानिदेशक पुलिस राज., जयपुर
105	श्री ललित पारीक	प्रवर्तन अधिकारी	21.06.2003	महानिदेशक पुलिस राज., जयपुर
106	श्री राधेश्याम सैन	प्रवर्तन अधिकारी	03.03.2004	महानिदेशक पुलिस राज., जयपुर
107	श्री राजेन्द्र कुमार	प्रवर्तन अधिकारी	22.02.2003	महानिदेशक पुलिस राज.. जयपुर

1	2	3	4	5
108	श्री जसराज सिंह राजावत	सहायक लोक अभियोजक-प्रथम श्रेणी	17.07.2003	अभियोजना निदेशालय, राज., जयपुर
109	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता	सहायक लोक अभियोजनक-प्रथम श्रेणी	18.11.2002	अभियोजना निदेशालय. राज., जयपुर
110	श्री पी.के. मीणा	विशेषाधिकारी (जनसम्पर्क)	02.09.2003	निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
111	श्री संजय माथुर	"साइट" अभियन्ता	31.7.2002	ज.वि.वि.नि.लि.
112	श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता	"साइट" अभियन्ता	1/1/2003	ज.वि.वि.नि.लि.
113	श्री करण सिंह मीणा	"साइट" अभियन्ता	19/06/2002	ज.वि.वि.नि.लि.
114	श्री राजीव सिंघल	"साइट" अभियन्ता	31/07/2000	रा.रा.वि.प्र.निगम
115	श्री विनोद कुमार शर्मा	"साइट" अभियन्ता	13/07/2001	आवासन मंडल
116	श्री पवन शर्मा	"साइट" अभियन्ता	28/09/2002	पी.एच.ई.डी.
117	श्री जगन्नाथ बैनवा	"साइट" अभियन्ता	18/03/2002	स्वायत्त शा.वि.
118	श्री प्रमोद कुमार बोहरा	"साइट" अभियन्ता	11.11.2002	सा.नि.विभाग
119	श्री सूर्य नारायण सैनी	"साइट" अभियन्ता	5/2/2002	सिंचाई विभाग

1	2	3	4	5
120	श्री सुखराम विश्नोई	"साइट" अभियन्ता	2/2/2002	जविविएनएल
121	श्री वी.वी.शर्मा	"साइट" अभियन्ता	06.03.2002	सा.नि.विभाग
122	श्री दीपक श्रीवास्तव	"साइट" अभियन्ता	23.03.2002	सा.नि.विभाग
123	श्री राधेश्याम माली	"साइट" अभियन्ता	30.04.2002	सा.नि.विभाग
124	श्री नन्द लाल साहनी	"साइट" अभियन्ता	24.12.2001	न.नि.जयपुर
125	श्री राजपाल सिंह	"साइट" अभियन्ता	2.9.2002	सिंचांई विभाग
126	श्री विजेश कुमार सैनी	"साइट" अभियन्ता	22.03.2003	सिंचाई विभाग
127	श्री रामचंद्र डूडी	"साइट" अभियन्ता	4.7.2002	आवासन मंडल
128	श्री सहीराम विश्नोई	"साइट" अभियन्ता	24.2.2001	पीएचईडी
129	श्री महेन्द्र सिंह	"साइट" अभियन्ता	3/3/2004	पीएचईडी
130	श्री रविन्द्र कुमार विश्नोई	"साइट" अभियन्ता	5/3/2004	पीएचईडी
131	श्री पी.सी. मीणा	"साइट" अभियन्ता	1/8/2003	सिंचाई विभाग

1	2	3	4	5
132	श्री दिनेश कपूर	"साइट" अभियन्ता	19-1-2002	सिंचाई विभाग
133	श्री सुभाष अग्रवाल	"साइट" अभियन्ता	6/2/2002	सिंचाई विभाग
134	श्री ओमप्रकाश गोदारा	"साइट" अभियन्ता	27.7.2001	पीएचईडी
135	श्री शैलेश अवस्थी	"साइट" अभियन्ता	5.6.2004	सिंचाई विभाग
136	श्री नन्दसिंह अवस्थी	भू-मापक	17.11.2001	भू-प्रबन्ध विभाग
137	श्री श्रवणलाल	भू-मापक	10.01.2001	भू-प्रबन्ध विभाग
138	श्री प्रहलादनारायण शर्मा	भू-मापक	26.11.2001	भू-प्रबन्ध विभाग
139	श्री कल्याण चन्द शर्मा	भू-मापक	12.12.2001	भू-प्रबन्ध विभाग
140	श्री दामोदर लाल गुप्ता	भू-मापक	19.11.2001	भू-प्रबन्ध विभाग
141	श्री जगदीश प्रसाद यादव	भू-मापक	04.08.2000	भू-प्रबन्ध विभाग
142	श्री धर्मसिंह गुर्जर	भू-मापक	17.11.2001	भू-प्रबन्ध विभाग
143	श्री मोहन सिंह	भू-मापक	11.07.2000	भू-प्रबन्ध विभाग
144	श्री जगदीशनारायण शर्मा	भू-मापक	11.07.2000	भू-प्रबन्ध विभाग

1	2	3	4	5
145	श्री बंशीधर सैनी	भू-मापक	24.11.2001	भू-प्रबन्ध विभाग
146	श्री भगवान सहाय सैनी	भू-मापक	01.05.2002	भू-प्रबन्ध विभाग
147	श्री सुशील सैनी	भू-मापक	03.04.2002	भू-प्रबन्ध विभाग
148	श्री केदारनाथ सैनी	भू-मापक	06.07.2000	भू-प्रबन्ध विभाग
149	श्री बजरंग लाल मेहरा	भू-मापक	01.04.2002	भू-प्रबन्ध विभाग
150	श्री लालचन्द शर्मा	भू-मापक	10.07.2000	भू-प्रबन्ध विभाग
151	श्री रामकिशोर गुर्जर	भू-मापक	26.02.2003	भू-प्रबन्ध विभाग
152	श्री भारतभूषण गुप्ता	भू-मापक	31.01.2002	भू-प्रबन्ध विभाग
153	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	भू-मापक	12.06.2002	भू-प्रबन्ध विभाग
154	श्री रामनिवास बलारा	भू-मापक	20.11.2001	भू-प्रबन्ध विभाग
155	श्री हेमकान्त शर्मा	भू-मापक	24.04.1999	भू-प्रबन्ध विभाग
156	श्री मोहनलाल शर्मा	भू-मापक	28.08.2001	भू-प्रबन्ध विभाग
157	श्री भरतलाल मीणा	भू-मापक	20.11.2001	भू-प्रबन्ध विभाग

1	2	3	4	5
158	श्री वेदप्रकाश	भू-मापक	07.01.2000	भू-प्रबन्ध विभाग
159	श्री शिवदयाल योगी	भू-मापक	25.02.2003	भू-प्रबन्ध विभाग
160	श्री रामावतार	भू-मापक	16.06.2003	भू-प्रबन्ध विभाग
161	श्री ललित कुमार जैमन	भू-मापक	02.12.20002	भू-प्रबन्ध विभाग
162	श्री शशि झाला	निरीक्षक सहकारिता	23.03.2002	सहकारिता विभाग
163	सुश्री रजनी ब्रिजेश	निरीक्षक सहकारिता	06.07.2002	सहकारिता विभाग
164	श्री मानसिंह चौहान	विधि सहायक	20.11.2001	विधि एवं विधिक कार्य विभाग
165	श्री उगमा राम	विधि सहायक	24.11.2001	विधि एवं विधिक कार्य विभाग
166	श्री धर्मपाल जांगिड	विधि सहायक	28.06.2002	विधि एवं विधिक कार्य विभाग
167	श्रीमती अनिता श्रीवास्तव	विधि सहायक	23.11.2001	विधि एवं विधिक कार्य विभाग
168	श्रीमती सुलेखा शर्मा	मुख्य विधि सहायक	03.04.2002	विधि एवं विधिक कार्य विभाग
169	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	कनिष्ठ लेखाकार	13.08.2001	निदेशक कोष एवं लेखा

1	2	3	4	5
170	श्री सुरेश चन्द गोयल	कनिष्ठ लेखाकार	13.03.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
171	श्री जितेन्द्र पाल सिंह	कनिष्ठ लेखाकार	18.08.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
172	श्री विनय कोठारी	कनिष्ठ लेखाकार	04.03.2002	निदेशक कोष एवं लेखा
173	श्री भंवर सिंह	कनिष्ठ लेखाकार	01.08.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
174	श्री कैलाश चन्द शर्मा	कनिष्ठ लेखाकार	07.03.2002	निदेशक कोष एवं लेखा
175	श्री सर्वेश जैन	कनिष्ठ लेखाकार	23.08.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
176	श्री रतन सिंह	कनिष्ठ लेखाकार	07.07.2003	निदेशक कोष एवं लेखा
177	श्री धनेश जैन	कनिष्ठ लेखाकार	01.08.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
178	श्री प्रभू सिंह शेखावत	कनिष्ठ लेखाकार	13.07.2000	निदेशक कोष एवं लेखा
179	श्री सन्त प्रकाश सांखला	कनिष्ठ लेखाकार	03.07.2002	निदेशक कोष एवं लेखा
180	श्री महेन्द्र प्रसाद जैन	कनिष्ठ लेखाकार	07.07.2003	निदेशक कोष एवं लेखा
181	श्री सूर्यनारायण शर्मा	कनिष्ठ लेखाकार	25.06.2003	निदेशक कोष एवं लेखा
182	श्री चमन कुमार जैन	कनिष्ठ लेखाकार	25.11.2000	निदेशक कोष एवं लेखा

1	2	3	4	5
183	श्री विनायक मिश्रा	कनिष्ठ लेखाकार	25.08.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
184	श्री प्रमोद कुमार सिंघल	कनिष्ठ लेखाकार	14.07.2003	निदेशक कोष एवं लेखा
185	श्री बनवारी लाल जोशी	कनिष्ठ लेखाकार	25.07.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
186	श्री रमेश चन्द सचदेवा	कनिष्ठ लेखाकार	29.07.2000	निदेशक कोष एवं लेखा
187	श्री नरेश चन्द शर्मा	कनिष्ठ लेखाकार	28.07.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
188	श्री विनोद कुमार शर्मा	कनिष्ठ लेखाकार	28.07.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
189	श्री राजकुमार मोदी	कनिष्ठ लेखाकार	01.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
190	श्री मदन मोहन गुप्ता	कनिष्ठ लेखाकार	01.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
191	श्री रूप सिंह मीणा	कनिष्ठ लेखाकार	01.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
192	श्री रामचन्द्र तम्बोली	कनिष्ठ लेखाकार	01.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
193	श्री शम्भू दयाल बैरवा	कनिष्ठ लेखाकार	05.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
194	श्री राजेन्द्र कुमार सैनी	कनिष्ठ लेखाकार	05.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा

1	2	3	4	5
195	श्री संजय कुमार पालीवाल	कनिष्ठ लेखाकार	05.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
196	श्री राधेश्याम राजोरिया	कनिष्ठ लेखाकार	07.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
197	श्री रामजीलाल आर्य	कनिष्ठ लेखाकार	12.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
198	श्री अशोक कुमार गुप्ता	कनिष्ठ लेखाकार	12.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
199	श्री मनोज यादव	कनिष्ठ लेखाकार	14.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
200	श्री मालीराम चौधरी	कनिष्ठ लेखाकार	18.12.2001	निदेशक कोष एवं लेखा
201	श्री योगेश शर्मा	कनिष्ठ लेखाकार	05.07.2003	निदेशक कोष एवं लेखा
202	श्री जगदीश कुमार कुमावत	कनिष्ठ लेखाकार	26.11.2003	निदेशक कोष एवं लेखा
203	श्री संजय कुमार जैन	कनिष्ठ लेखाकार	01.01.2002	निदेशक कोष एवं लेखा
204	श्री राजेन्द्र प्रसाद रूँथला	कनिष्ठ लेखाकार	12.05.2003	निदेशक कोष एवं लेखा
205	श्री अरूण जैन	क. प्रारूपकार	08.04.2002	खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर
206	श्री कैलाश चन्द जैन	सर्वे सहायक	01.08.2003	नगर आयोजना विभाग

1	2	3	4	5
207	श्री रघुनन्दन शर्मा	सर्वे सहायक	23.01.2004	मुख्य नगर नियोजक
208	श्री हीरालाल गुप्ता	कनिष्ठ प्रारूपकार	01.04.2002	सार्वजनिक निर्माण विभाग
209	श्री सीताराम बालोदीया	वरिष्ठ प्रारूपकार	03.06.2001	मुख्य नगर नियोजक
210	श्री महेन्द्र सिंह	ट्रेसर	02.07.2003	सार्वजनिक निर्माण विभाग
211	श्री कृष्ण कुमार वर्मा	अन्वेषक ग्रेड-I	28.02.2003	मुख्य नगर नियोजक
212	..ी ए.एन. भार्गव	वरिष्ठ नगर नियोजक	10.06.1999	मुख्य नगर नियोजक
213	श्री मोहम्मद अयूब	सहायक नगर नियोजक	21.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
214	श्री अशोक सिंघल	साइट अभियन्ता	06.03.2000	सार्वजनिक निर्माण विभाग
215	श्री हवा सिंह चौधरी	साइट अभियन्ता	06.03.2000	सार्वजनिक निर्माण विभाग
216	श्री गोपीकृष्ण गुप्ता	साइट अभियन्ता	08.03.2000	सार्वजनिक निर्माण विभाग
217	श्री रतन लाल जांगिड़	कनिष्ठ प्रारूपकार	16.07.1999	मुख्य नगर नियोजक
218	श्री राज किशोर	वरिष्ठ प्रारूपकार	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
219	श्री ओमप्रकाश कुमावत	वरिष्ठ प्रारूपकार	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक

1	2	3	4	5
220	श्री भवानी सिंह गहलोत	अनुरेखक	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
221	श्री नवनीत अग्रवाल	कनिष्ठ प्रारूपकार	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
222	श्री दिलीप आहूजा	अनुरेखक	22.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
223	श्री बाबूलाल मालू	कनिष्ठ प्रारूपकार	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
224	श्री सूरज नारायण कुमावत	अनुरेखक	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक

परिशिष्ट 'ख'

प्राधिकरण में 4 वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पद	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत दिनांक	पैतृक विभाग
1	2	3	4	5
1	श्रीमती दुर्गा जोशी	उपायुक्त (आर.ए.एस.)	29.05.2000	कार्मिक (क-4) विभाग
2	श्री ए. एन. भार्गव	वरिष्ठ नगर नियोजक	10.06.1999	मुख्य नगर नियोजक
3	श्री मोहम्मद अयूब	सहायक नगर नियोजक	21.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
4	श्री अशोक सिंघल	साइट अभियन्ता	06.03.2000	सार्वजनिक निर्माण विभाग
5	श्री हवा सिंह चौधरी	साइट अभियन्ता	06.03.2000	सार्वजनिक निर्माण विभाग
6	श्री गोपीकृष्ण गुप्ता	साइट अभियन्ता	08.03.2000	सार्वजनिक निर्माण विभाग
7	श्री हेमकान्त शर्मा	भू-मापक	29.04.1999	भू-प्रबन्ध विभाग
8	श्री वेदप्रकाश शर्मा	भ-मापक	07.01.2000	भू-प्रबन्ध विभाग
9	श्री रतन लाल जांगीड़	कनिष्ठ प्रारूपकार	16.07.1999	मुख्य नगर नियोजक
10	श्री राज किशोर	कनिष्ठ प्रारूपकार	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक

1	2	3	4	5
11	श्री ओमप्रकाश कुमावत	वरिष्ठ प्रारूपकार	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
12	श्री भवानी सिंह गहलोत	अनुरेखक	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
13	श्री नवनीत अग्रवाल	कनिष्ठ प्रारूपकार	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
14	श्री दिलीप आहूजा	अनुरेखक	22.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
15	श्री बाबूलाल मालू	कनिष्ठ प्रारूपकार	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक
16	श्री सूरज नारायण कुमावत	अनुरेखक	16.09.1999	मुख्य नगर नियोजक

कुचामन सिटी नगरपालिका द्वारा गाडिया लुहारों को नि:शुल्क भूमि आबंटन

227. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्रांक प.3(176) नविआ/03/04/पार्ट-।। दिनांक 27 अगस्त, 1996 के अनुसार गाडिया लुहारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए 100 वर्गगज भूमि नि:शुल्क आबंटन हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के उक्त निर्णय में संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो संशोधित निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका कुचामन सिटी में गाडिया लुहारों को नि:शुल्क भूमि का आबंटन किया गया है ? यदि हां, तो कितने लोगों को व प्रत्येक को कितने वर्ग गज भूखण्ड का आबंटन किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2003 को परिपत्र जारी कर गाडिया लुहारों को नि:शुल्क भूमि आबंटन की स्वीकृति 100 वर्ग गज के स्थान पर 50 वर्ग गज की गई है यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में विभागीय शासन सचिव को माह सितम्बर, 2003 में तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिनांक 12 फरवरी, 2004 व 26 मई, 2004 को लिखे गये पत्रों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार अब सभी गाडिया लुहारों को समान रखते हुए 100 वर्गगज नि:शुल्क भूमि आबंटन के आदेश जारी करने का विचार रखती है।यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश दिनांक 27.8.1996 की प्रति संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) जी हां। आदेश दिनांक 29-4-2000 की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। नगर पालिका कुचामन सिटी द्वारा दिनांक 16.3.2000 को 20 व्यक्तियों को प्रत्येक को 100 वर्ग गज भूखण्ड का निःशुल्क आबंटन किया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार यह पत्र विभाग में आने नहीं पाये जाते।

(6) वर्तमान में राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-5

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमाक प. 3(176)नविआ/3/84 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 27.8.1996

1. सचिव,

   जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

2. सचिव,

   नगर विकास न्यास (समस्त)

3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग

   राजस्थान, जयपुर

विषय :- गाड़ियों लुहारों को 100 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आबंटन हेतु

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में निर्देशानुसार लेख है, कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.9.1984 (प्रति संलग्न) द्वारा गाडिया लुहारों के

प्रत्येक परिवार को जो एक स्थन पर स्थाई रूप से बसना चाहते हैं, उन्हें आवास हेतु 50 वर्ग गज भूमि नि: शुल्क आबंटन के निर्देश दिये गये थे।

अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, कि गाड़िया लुहारों को प्रत्येक परिवार को 50 वर्ग गज के बजाय 100 वर्ग गज भूमि आवास हेतु नि:शुल्क आबंटित की जावे।

भवदीय,

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.3(176)नविवि/3/84 जयपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2000

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर

सचिव,(समस्त)

नगर सुधार न्यास

विषय :- गाडिया लुहारों को 50 वर्गगज नि:शुल्क भूमि आबंटन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.10.1997 व 19.12.1998 के निरन्तर में गाडिया लुहारों को भूखण्ड आबंटन करने की अवधि दिनांक 31.3.2001 तक बढाई जाती है।

भवदीय,

उपशासन सचिव

अतारांकित प्रश्न संख्या 228 (स्थगित)

अशोक विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर के भू-खण्डों का नियमन

229. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड स्थित अशोक विहार के भूखण्ड संख्या सी-1 से सी-10 तक के पट्टे किस सोसायटी द्वारा किस-किस क्रेता को आबंटित किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूखण्डों पर आबंटियों द्वारा भवनों का निर्माण करवा लिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन में से कुछ भूखण्डों एवं मकानों का विक्रय मूल आबंटी द्वारा अन्य को कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सोसायटी द्वारा भूखण्डों का नियमन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया गया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ग्राम मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड पर अशोक विहार के नाम से कोई योजना नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

एस.एम.एस. कालोनी, दुर्गापुरा (जयपुर) का नियमन

230. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हथरोईगढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की स्कीम एस.एम.एस. कालोनी दुर्गापुरा जयपुर की कोई योजना

(श्री बाबूलाल नागर)

स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त स्कीम में आबंटित व्यक्तियों की सूची भूखण्ड संख्या व माप मानचित्र सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समिति की उक्त योजना का नियमन शिविर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, हथरोई गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम एस.एम.एस. कालोनी दुर्गापुरा स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) जी नहीं।

प्रेम नगर, झोटवाड़ा (जयपुर) का नियमन

231. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों को नियमित करने के संबंध में नियम/उप नियम निर्धारित हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोन-6 खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर स्थिति आवासीय कालोनी प्रेमनगर में कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन तथा डवलपमेंट चार्जेज जमा कर आबंटन पत्र जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय कालोनी के भूखण्डों के नियमन हेतु प्रेमनगर विकास समिति (रजि.) झोटवाड़ा द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में योजना का रेकार्ड पत्रावली दो भागों में मय आवश्यक दस्तावेज के क्रमांक जे.डी.सी./एफ 3418 द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2001 को एवं आर.आर. संख्या 1172 द्वारा दिनांक 23 मई, 2003 को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी का अब तक नियमन नहीं करने के क्या कारण रहे

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

है ? मास्टर प्लान की प्रति, आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय भूमि की धारा 90-बी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त आवासीय योजना का शीघ्र नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नियमों एवं मुख्य आदेश/परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। क्योंकि उक्त योजना विकास समिति द्वारा जविप्रा में दिनांक 22.10.1999 के बाद पेश की गई।

(3) जी हां। खातेदार द्वारा रेकार्ड 22.10.1999 के पश्चात तथा अपूर्ण दस्तावेज पेश किये जाने के कारण नियमन की कार्यवाही लम्बित है। इसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा विकास समिति के अध्यक्ष व खातेदार को नोटिस जारी कर दस्तावेजों की पूर्ति करने हेतु लिखा गया था। योजना के प्राप्त आवेदन पत्र के प्रति एवं जोन द्वारा की गई कार्यवाही की नोटिस की प्रति संलग्न है। जो कि क्रमश परिशिष्ट 'ब' व 'स' पर उपलब्ध है। मास्टर प्लान की प्रति परिशिष्ट 'द' सदन के पटल पर रखें जाने हेतु प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। क्योंकि विकास समिति द्वारा दिनांक 22.10.1999 के पश्चात् प्राधिकरण में रेकोर्ड पेश किया गया है एवं उक्त योजना जोन में भूखण्डधारियों द्वारा प्रस्तुत रेकोर्ड के अनुसार कृषि भूमि ख.न. 1132, 1133, 1139, 1140, 1141, 1142 ग्राम झोटवाडा पर सृजित की है जिसमें से ख.नं. 1133 व 1139 की 90बी की कार्यवाही छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना प्रेम नगर में की जा चुकी है। शेष खं.न. 1132, 1140, 1141, 1142 खातेदार के नाम से ही दर्ज है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(5) दिनांक 22.10.1999 के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर निर्णय विचाराधीन है।

(परिशिष्ट की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

अतारांकित प्रश्न संख्या-232

(स्थगित)

बस्सी विधान सभा क्षेत्र की गेर मुमकिन भूमि पर काबिज अतिक्रमी

233. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर के अधीन किन-किन गांवों की जमीन नाले के पेटे गैर मुमकिन किस-किस खसरा नम्बरों की है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गैर मुमकिन नालों पर काश्तकारों ने भूमि को समतल कर अतिक्रमण कर रखा है ? अतिक्रमियों की सूची मय नाम व पता के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा अतिक्रमियों को धारा 91 के नोटिस जारी किये गये तथा उनसे कितनी दण्डनीय राशि वसूल की गई ?

(4) क्या सरकार काश्त योग्य भूमि जो गैर मुमकिन नला इन्द्राज है उसे सिवाय चक में इन्द्राज करवाकर नियमन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

(5) तहसील बस्सी के ग्राम झर में किन-किन काश्तकारों ने किस-किस खसरा नम्बर पर कितनी-कितनी भूमि पर कब से गैर मुमकिन नालों पर अतिक्रमण कर रखा है ? क्या सरकार इन्हें नियमित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर के अधीन नाले के पेटे गै.मु. खसरा नम्बरों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां।

अतिक्रमियों की सूची मय नाम व पतावार सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) अतिक्रमियों से दण्डनीय राशि 4028/-रुपये वसूल की गई।

(4) जी नहीं। बरसात के जल संग्रहण के महत्व के मददे नजर संबंधित भूमियों यथा अंगोर, नाला आदि के आबंटन पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है।

(5) तहसील बस्सी के ग्राम झर में काश्तकारों द्वारा गै.मु. नालों पर किये गये अतिक्रमण की सूची मय नाम, खसरा नम्बर रकबे के परिशिष्ट "ग" संलग्न है। शेष बिन्दु संख्या-4 के उत्तर अनुसार।

(सूची विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

आसीन्द तहसील मुख्यालय पर एस.डी.एम. कार्यालय

234. **श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही हे कि राज्य के सभी तहसील मुख्यालयों पर एस.डी.एम. कार्यालय खोले गये हैं ? यदि हां तो तहसील आसीन्द मुख्यालय पर अब तक एस.डी.एम. कार्यालय नहीं खोले जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील आसीन्द मुख्यालय पर एस. डी. एम. कार्यालय खोलने की अनुमति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में राज्य मे नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन/ पुनर्गठन पर परिसीमन आयोग के प्रतिबन्ध के कारण प्रशासनिक इकाईयों के गठन के किसी भी प्रस्ताव पर फिलहाल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। उक्त बिन्दु। के अनुसार अभी कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

लालगढ़ जाटान ग्राम (श्रींगंगानगर) में प्रस्तावित उप तहसील कार्यालय

235. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नई उप तहसीलें स्थापित करने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या सरकार जिला श्री गंगानगर के ग्राम लालगढ़ जाटान में उप तहसील कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर परिसीमन आयोग द्वारा अगस्त, 2002 से लागू प्रतिबन्ध के कारण इस संबंध में फिलहाल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या-। के अनुसार अभी कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

डांगियों का खेड़ा लालवास ग्राम (उदयपुर) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

236. श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डांगियों का खेड़ा लालावास पंचायत पलाना खुर्द तहसील मावली, उदयपुर की करीब 100 बीघा चारागाह भूमि पर

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो अतिक्रमियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि अतिक्रमियों द्वारा पत्थर की दीवार बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या उन पत्थरों को भी नीलाम कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अतिक्रमण करने के उद्देश्य से करीब 100 बीघा पर पृथक -पृथक स्थानों पर पत्थर डाल दिये थे जिनकी संख्या 90 ट्रैक्टर थी। इसके बाद ग्राम पंचायत पलाना-खुर्द द्वारा दिनांक 25.2.2004 को कार्यवाही कर अतिक्रमण रुकवा दिया गया।

(2) जी नहीं। पत्थर डालकर किये गये अतिक्रमण को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.2.2004 को पत्थरों की नीलामी तय की गई किन्तु नीलामी नहीं होने से अब दिनांक 20.7.2004 को नीलामी रखी गयी है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-237

(स्थगित)

राजस्व मण्डल में सदस्यों के रिक्त पद

238. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राजस्व मण्डल में कितने सदस्यों की नियुक्ति/पदस्थापन किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में सभी सदस्य नियुक्त/पदस्थापित हैं यदि हां, तो नामजद सूची सदन की मेज पर रखें। यदि पद रिक्त हैं तो सरकार अब कब तक उक्त रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 4(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 15 सदस्यों की नियुक्ति/पदस्थापन किये जाने का प्रावधान है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में राजस्व मण्डल में कार्यरत सदस्यों की नामजद सूची निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	नाम सदस्य	सेवा संवर्ग
1.	श्री गिरिराज सिंह	भारतीय प्रशासनिक सेवा (सुपर टाईमस्के.)
2.	''पी.सी. बलाई	भारतीय प्रशासनिक सेवा (सुपर टाईमस्के.)
3.	"अशोक कपूर"	राज. उच्च न्यायिक सेवा
4.	"एच.सी.शर्मा"	राज.प्रशासनिक सेवा (सुपर टाईम स्केल)
5.	"एम.एल.जैन"	राज.प्रशासनिक सेवा (सुपर टाईम स्केल)
6.	"बद्री लाल मीणा"	राज.प्रशासनिक सेवा (सुपर टाईम स्केल)
7.	"अजयकुमार पुरोहित	अभिभाषक कोटे से
8.	"कमल नयन श्रीमाल	अभिभाषक कोटे से

वर्तमान में रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	सेवा संवर्ग	रिक्त पदो की संख्या
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (सुपर टाईम स्केल)	05
2.	राज. प्रशासनिक सेवा (सुपर टाईम स्केल)	01
3.	राज. उच्च न्यायिक सेवा	01
	योग :-	07

उक्त रिक्त पदों पर नियमानुसर शीघ्र नियुक्ति/पदस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाई जा रही है।

राज्य में चरागाह भूमि अतिक्रमियों से वसूली

239. श्री भरत सिंह (दिगोद) :- क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितनी चरागाह भूमि दर्ज है तथा कितनी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु कोई अभियान चलाने की योजना रखती है ?

(3) चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों से किस दर से जुर्माना वसूल किया जान है ? क्या सरकार इस राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में लगभग 15.70 लाख हैक्टेयर भूमि चरागाह दर्ज है जिसमें से 50270.291 हैक्टेयर चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है।

(2) भू-राजस्व नियमों में चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है। समय-समय पर अभियान भी चालये जाते है। अभी 27.11.2004 से ''प्रशासन आपके द्वारा '' अभियान चलाया गया जिसमें भी सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का बिन्दु भी रखा गया।

(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में राजकीय/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों से वार्षिक लगान का अधिकतम 50 गुना तक जुर्माना वसूल किये जाने का प्रावधान है। अतिक्रमण से मुक्त कराने के उपरान्त दुबारा अतिक्रमण करने पर 3 माह की सिविल कारावास का भी प्रावधान है। वर्तमान में इस राशि में कोई वृद्धि करने का विचार नहीं है।

तारानगर विधान सभा क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

240. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप-खण्ड कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(2) तहसील तारानगर जिला चूरू की आबादी भूमि राजस्व प्रकारण एवं भौगोलिक स्थिति अनुकूल होने के उपरान्त भी तारानगर में उपखण्ड कार्यालय नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

(3) सरकार अब तारानगर में उपखण्ड कार्यालय कब तक खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा कार्य भार को दृष्टिगत रखते हुए नवीन उपखण्ड कार्यालय खोलने की कार्यवाही की जाती है।

(2) राज्य में प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर परिसीमन आयोग के प्रतिबंध को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में फिलहाल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(3) उक्त प्रतिबंध हटने पर जब नये उप खण्ड स्थापित किये जाने के प्रस्तावों पर विचार होगा तब इस प्रकरण पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार कर समुचित निर्णय लिया जावेगा।

नादौती तहसील (करौली) में उपखण्ड कार्यालय

241. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :- क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली की सभी तहसीलों को उपखण्ड कार्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील नादौती को निर्धारित मानदण्डों के पूरा करने पर भी उपखण्ड कार्यालय नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार तहसील नादौती में भी उपखण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(राजस्व मंत्री)

(3) परिसीमन आयोग द्वारा राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर लागू प्रतिबन्ध को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल इस संबंध में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

तहसील कार्यालय में दर्ज जमाबन्दी के आधार पर पंजीकरण

242. **डा. सुरेश चौधरी** (भादरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में रजिस्ट्री (बेचाननामा) में जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी की अनिवार्यता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील कार्यालय में कम्प्यूटर कक्ष से प्राप्त जमाबन्दी के आधार पर बेचाननामा (रजिस्ट्री) करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां कृषि भूमि के लेख्य-पत्र के साथ नवीनतम जमाबन्दी की प्रति, भूमि सरकारी या स्थानीय निकाय की होने या नहीं होने की संतुष्टि के लिए लेना आवश्यक है। यदि पंजीयन अधिकारी तहसीलदार होने के नाते संतुष्ट हो जाते हैं कि हस्तान्तरित कृषि भूमि सरकार या स्थानीय निकाय की नहीं है तो जमाबन्दी की प्रति लेना आवश्यक नहीं है। असिंचित भूमि के हस्तान्तरण-पत्र के साथ नवीनतम खसरा गिरदावरी की प्रति लगाना आवश्यक है यदि सिंचित की दर से स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है अथवा भूमि की किस्म सिंचित है तो खसरा गिरदावरी की प्रति लेना आवश्यक नहीं है।

तहसील कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष से प्राप्त जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति को भी लेख्य-पत्र के साथ विभाग द्वारा स्वीकार किया जा रहा है।

बीकानेर के कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, का नोखा स्थानान्तरण

243. **श्री गोविन्द राम चौहान** (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर का कार्यालय बीकानेर से नोखा स्थानान्तरित करने के आदेश सरकार द्वारा वर्ष 1999 में किये गये थे। यदि हां, तो उक्त कार्यालय अभी तक स्थानान्तरित

(श्री गोविन्दराम चौहान)

नहीं होने के क्या कारण रहे ? अब सरकार इस कार्यालय को नोखा में कब तक स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार नोखा चिकित्सालय को 100 शैय्याएं का करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश दिनांक 26.04.2002 के द्वारा उपखण्ड बीकानेर (दक्षिण) के मुख्यालय को नोखा में स्थानान्तरित किया गया था। बीकानेर (दक्षिण) में संचालित उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपखण्ड के कार्यालय को नोखा में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोखा में वर्तमान में 50 शैय्याएँ हैं एवं इनका कम उपयोग होने के कारण इनमें वृद्धि करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध दवाओं का बाजार मूल्य

244. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर में दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में क्या नीति है ?

(2) क्या एक ही प्रकार की दवाई जब भिन्न-भिन्न कम्पनियों की भिन्न-भिन्न दरों पर उपलब्धता होती है तब दवाई क्रय करने का क्या आधार है ?

(3) क्या यह सही है कि जो दवाई लाइफ लाइन में ऊंची दरों पर ही बेची जाती है वही दवाई बाहर खुले बाजार में मेडिकल स्टोर्स पर कम दर पर क्रय कर कम दर पर ही बेची जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार मरीजों को आर्थिक हानि पहुंचाकर लूटने वाले चिकित्सकों/अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) निदेशालय के आदेश क्रमांक सा.सा./मेडिकेयर/96/522 दिनांक 28.6.96 के अनुसरण में ना लाभ, ना हानि की नीति के आधार पर लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर में मरीजों को सस्ती दवाईयां उपलबध होती है। (आदेश की प्रति संलग्न है)

(2) खुली निविदा के माध्यम से राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर की कम्पनियों में से सबसे न्यूनतम दर वाली फर्म से दवाइयां खरीदकर उपलब्ध कराई जाती है।

(3) लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर द्वारा जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं, दवाइयां बाजार दर से कम दर पर ही उपलब्ध कराई जाती है।

(4) शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सेवा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : सा.स./मेडिकेयर/96/522 दिनांक 26.8.1996

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय।

विषय:- जिला चिकित्सालयों में फ्लूड स्टोर की स्थापना के क्रम मे।

प्रशासनिक विभाग ने प्रमुख शासन सचिव, की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जिला चिकित्सालयों में लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर की स्थापना की जानी है।

इस प्रकार के फ्लूड स्टोर की स्थापना राजस्थान मेडिकेयर सोसायटी सवाई मानसिंह होस्पिटल द्वारा आरम्भ कर दी गई है उसमें जो निर्णय किये गये हैं उनके प्रमुख अंश इस पत्र में अंकित है, उसी के अनुरूप आप अपने जिले में स्थानीय व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं को देखते हुए इस तरह के स्टोर की स्थापना दिनांक 21.9.1996 तक पूर्ण करने का श्रम करें।

1. जिला मेडिकेयर सोसायटी नो लाभ नो हानि के आधार पर मरीजों की सुविधाऐं तथा उनको उचित मूल्य पर फ्लूड, मी-कैथ, ड्रिप सैट आदि उपलब्ध कराने की दृष्टि से अस्पताल में एक फ्लूड बिक्रि केन्द्र संचालित करेंगी जिसका नाम लाइफ लाइन फ्लूड रखा जावें।

2. इसका संचालन मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा समुचित व्यवस्थाएं और प्रबंध के साथ किया जावे।

3. बिक्रि हेतु फ्लूड की खरीद खुली निविदाओं के माध्यम से राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर की कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित करते हुये की जावे।

4. फ्लूड स्टोर के कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने तथा बिक्रि केन्द्र को संचालित करने के लिए चिकित्सालय के मेडिकल स्टोर से एक फार्मासिस्ट कम्पाउंडर को जिम्मेदारी सौंपी जावे।

5. बिक्रि केन्द्र को संचालित करने की व्यवस्था संविदा के आधार पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा फर्म को दे दी जावे जिस व्यक्ति फर्म के साथ व्यवस्था का अनुबंध किया जावे उससे ये गारंटी ली जावे कि बिक्रि केन्द्र 24 घण्टे खुला रहेगा और मरीजों को फ्लूड आदि उपलबध कराने में रुकावट नहीं आवेगी। संविदाकार फर्म/व्यक्ति को अनुबंध से पूर्व एक लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

6. फ्लूड स्टोर की सारी व्यवस्था की देख रेख के लिए चिकित्सालय में नियुक्त किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के रूप में उत्तरदायित्व दिया जावें। जो ये सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक मरीजों को ये सामग्री निरन्तर उपलब्ध होती है

7. इस बिक्रि केन्द्र की प्रबंध व्यवस्था एवं संचालन का पूर्ण दायित्व एक संचालन समिति द्वारा किया जावेगा जिसके अध्यक्ष मेडिकेयर सचिव होंगे एवं संचालन के लिए चार अधिकारियों की एक समिति होगी।

8. व्यवस्थापक द्वारा प्रतिदिन एकत्र हुई बिक्रि की राशि यथासम्भव उसी दिन अथवा दूसरे दिन सोसायटी के खाता में जो विशेष रूप से फ्लूड स्टोर के लिए खोली जावे में जमा करायेंगे।

9. फ्लूड स्टोर चलाने के लिए राजस्थान बिक्रि अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण की कार्यवाही अविलम्ब की जावे तथा आर.एस.टी./ सी.एस.टी. संख्या प्राप्त की जावे।

10. फ्लूड स्टोर संबंधी व्यय प्रभारी अधिकारी की सिफारिश पर व्यवस्था समिति के अध्यक्ष की स्वीकृति से किये जावेंगे।

स्टोर स्थापना के बाद निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का श्रम करें।

ह/.
(एन.एम.सिंघवी)
निदेशक (एड्स)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

पूर्व विधायकों को प्रदत्त चिकित्सा सुविधाएं

245. डा. चन्द्रशेखर वैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पूर्व माननीय विधायकों के इंडोर एवं आउटडोर चिकित्सा उपचार हेतु क्या-क्या सुविधाएं एवं रियायतें दी जा रही है ? प्रदत्त सुविधाओं एवं रियायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पूर्व माननीय विधायकों को अस्पतालों में कोटेज वार्ड, कमरे आदि आबंटन के लिए प्राथमिकता एवं किराये में रियायत देने के संबंध में क्या प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पूर्व माननीय विधायकों को इंडोर एवं आउटडोर में उपचार हेतु चिकित्सालयों में उपलबध समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। पूर्व विधायक चिकित्सा उपचार हेतु दो हजार चार सौ रुपये प्रति वर्ष से अनधिक की राशि की प्रतिपूर्ति का तथा दो हजार चार सौ रुपये से अधिक उपगत किसी ऐसे व्यय की, जो राज्य के किसी भी राजकीय अस्पताल में अन्तरंग रोगी के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

रूप में इलाज के लिए उपगत किया गया हो, हकदार होते हैं राजस्थान विधान सभा से जारी परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 18 (24)/चिस्वा/ग्रुप-1/96/ग्रुप-2/दिनांक 16.2.2001 की पालना में पूर्व विधायकों को काटेज/क्यूबिकल वार्डों की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(परिपत्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बनीपार्क विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाएं

246. **प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में कौन-कौनसी राजकीय चिकित्सा ईकाइयां कहां-कहा कितने स्टाफ, पृथक-पृथक उपचार विभाग के साथ कब से संचालित हैं ? क्या इन सभी चिकित्सा इकाइयों में सभी स्तर के स्वीकृत पद भरे हुए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां कौन-कौन कब से कार्यरत हैं ? चिकित्सा इकाइवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन चिकित्सा इकाइयों में आवश्यक आधुनिक जांच मशीनें/उपकरण/यंत्रादि एवं गरीब/असहाय तबकों को दी जाने वाली नि:शुल्क दवाईयां उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो कहां-कहां क्या कमी है ? सरकार इन कमियों को कब तक दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में राजकीय चिकित्सा इकाइयां एवं उनमें स्वीकृत पद एवं कार्यरत स्टाफ का वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में स्थापित चिकित्सा संस्थाओं में उन संस्थाओं के स्तर की जांच सुविधा एवं गरीब/असहाय को दी जाने वाली नि:शुल्क दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(3)

परिशिष्ट 'अ'

क्रम संख्या	नाम संस्थान	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम	संस्था में कार्यरत दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानसरोवर,सेक्टर-8 संस्था स्थापित होने का वर्ष फरवरी 1999	चिकित्सा अधिकारी	1	डॉ. मोहन तिवाडी	9/ 2002
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्रीमती मेरी रोज श्री गीतेश भारद्वाज	1/ 2003 7/ 2003
		एल.एच.वी.	1	श्रीमती लिलिम्मा ही	10/1999
		प्रसाविका	1	श्रीमती प्रमिला नायडू	8/ 2000
		लैब टैक्नीशियन	1	श्री जगदीश कुमावत	·12/1999
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	श्री जगदीश शर्मा श्री थानेश्वर माथुर श्रीमती किरण कंवर	1/1999 12/ 1998 4/ 1999
		स्वीपर	1	श्री गिन्नी देवी	1/ 1999

1	2	3	4	5	6
2	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अग्रवाल फार्म संस्था चालू होने का वर्ष जनवरी 1992	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	डा. गणपत चौधरी डा. सुधीर कट्टा (कोर्टस्टे)	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्री सतीश शर्मा श्रीमती विजय कौर	2/ 2002 10/ 1997
		एल.एच.वी.	1	श्रीमती रति जे.	9/ 2001
		प्रसाविका	1	श्रीमती विनिता उपमन्यु	7/ 2002
		लैब टैक्नीशियन	1	श्री गोपाल शर्मा	7/ 1998
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	श्रीमती ललिता	12/ 1998
		स्वीपर	1	श्रीमती सरोज देवी	3/ 2000
3	राजकीय चिकित्सालय, दूर्गापुरा संस्था चालू होने का वर्ष 3/ 79	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. वन्दना गुप्ता	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्रीमती ओमा गालव रितन	12/2000 (संविदा)
		प्रसाविका	1	श्रीमती मीना सक्सेना	7/ 2002

1	2	3	4	5	6
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	श्री श्रवणलाल श्रीमती मीरा देवी श्री मान प्रकाश	7/ 2003 7/ 2003 7/2000
		स्वीपर	1	श्रीमती पांचा देवी	8/ 2000
4	राजकीय चिकित्सालय, बरकतनगर संस्था चालू का वर्ष 82-1983	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. अशोक कुमार विग	7/ 2004
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्री शिवदत्त उपाध्याय श्री बांके बिहारी	7.7.1992 4.7.1998
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती राजकुमारी गौंड	20.7.1998
		च.श्रे.कर्मचारी	3	श्री हनुमान लाल सैनी श्री राजकुमार शर्मा श्री नाराणी देवी	3.1.1995 6.3.1997 3.10.1984
		स्वीपर	1	श्री मुकेश	1.3.2003

1	2	3	4	5	6
5	नगर परिवार कल्याण केन्द्र, बरकतनगर	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. सीमा बंसल	7/ 2004
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	श्रीमती सरिता शर्मा	17.6.1982
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	श्रीमती एलिअम्मा डी. श्रीमती संतोष शर्मा	1.4.2000 6/ 2003
6	राजकीय चिकित्सालय, सरदार पटेल संस्थां चालू का वर्ष 1995	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. राजेन्द्र सिंघवी	7/ 2004
		नर्स श्रेणी द्वितीय	3	श्री कैलाशचन्द श्री श्याम सिंह	23.8.1979 2.8.1980
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती कांता जैन	6.10.1995
		च.श्रे. कर्मचारी	2	श्री रामनारायण यादव श्री रमेश मीणा	31.3.1997 4/ 2004
		स्वीपर	1	श्री अशोक वर्मा	24.12.1997

1	2	3	4	5	6
7	राजकीय चिकित्सालय, संस्था चालू का वर्ष 1950	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. मुकेश शर्मा	3.2.2002
		नर्स श्रेणी प्रथम	2	श्रीमती थेसी श्री चंन्द्रशेखर	1.1.2003 1.4.1986
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	18.1.1996
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती तारामणी	1.8.2003
		च.श्रे. कर्मचारी	2	श्री रामस्वरूप श्री राजकिशोर	25.11.1978 7.5.1998
		स्वीपर	1	श्री नाथुराम	1.2.2001
8	राजकीय चिकित्सालय,उच्च न्यायालय संस्था लाचू का वर्ष 6/ 1995	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. अजय पुरोहित	1.7.1995
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्री चन्द्र प्रकाश पंचवानी श्री नरेन्द्र कुमार	15.7.2000 1.8.2000
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती संतोष शर्मा	21.9.1995

1	2	3	4	5	6
9	राजकीय चिकित्सालय,राजभवन संस्था चालू का वर्ष 1973-74	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. डी.के. शर्मा	15.7.2002
		चिकित्सा अधिकारी	1	डा. अल्का शर्मा	1.8.2002
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्री लक्ष्मण सिंह श्री लवनीन	1.9.1997 1.9.1998
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती गीता देवी	1.9.2003
		च.श्रे.कर्मचारी	2	श्री बालूराम श्रीमती बादामी	15.6.1982 25.6.1986
		स्वीपर	1	श्री सुरजज्ञान	18.2.1997
10	राजकीय चिकित्सालय, विधायक निवास संस्था चालू का वर्ष 3/ 1989	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. गिरिराज रावत	18.8.1999
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्री भंवरलाल वर्मा श्री जगदीश प्रसाद	1.10.1982 30.3.1990

1	2	3	4	5	6
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती बरखा जैन	1.7.2002
		च.श्रे. कर्मचारी	3	श्री श्याम लाल वर्मा श्री घासीलाल रैगर श्री मोहम्मद हुसैन	1.5.1980 10.8.1972 15.10.1978
		स्वीपर	1	श्रीमती मुन्नी देवी	27.1.1994
11	राजकीय चिकित्सालय,झोटवाडा संस्था चालू का का वर्ष 1997	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. कमल बजाज	1.7.2002
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्री के.के. कुरेशी श्रीमती सकिला बानों	6.8.1992 1.10.2002
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती बीना नरूपा	29.11.1984
		च.श्रे. कर्मचारी	3	श्री रामपाल श्रीमती धनकंवर श्री पूरणमल	10.11.1987 14.11;1998 11.8.1992
		स्वीपर	1	श्री ताराचंद	1.3.1992

1	2	3	4	5	6
12	राजकीय चिकित्सालय शान्ति नगर संस्था चालू का का वर्ष 8/ 1985	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. अजय शर्मा	7/ 2004
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्री भगवान सहाय	17.7.2003
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती चन्दारानी	17.7.2003
		च.श्रे. कर्मचारी स्वीपर	3 1	श्री भंवरलाल शर्मा श्रीमती पूनी देवी श्रीमती सुशीला	1.8.2003 12.11.1991 8.9.1993
13	राजकीय चिकित्सालय, इन्द्रा कॉलोनी संस्था चालू का का वर्ष 2/ 1964	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. नरेन्द्र सिंह चौहान	15.6.2002
		नर्स द्वितीय श्रेणी	2	श्री ओमप्रकाश शर्मा श्री मोहन लाल हरिजन	11.9.1979 1.9.1989
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती संतोष शर्मा	1.10.2003

1	2	3	4	5	6
		च.श्रे. कर्मचारी	3	श्री बाबूलाल श्रीमती ज्याना देवी श्रीमती सुशीला	1.2.2001 29.2.2001 24.7.2000
		स्वीपर	1	श्री जगमोहन	30.6.1998
14	राजकीय चिकित्सालय, वैशालीनगर संस्था चालू का का वर्ष 3/ 1996	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. रणजीत सिंह शेखावत	7/ 2004
		चिकित्सा अधिकारी	2	डा. विजय सालोदिया डा. अनिल कुमार नायर	6/ 2004 7/ 2004
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्री राजेश दिक्षित श्री जयश्री पिल्लई	30.5.2002 2.8.1986
		स्टाफ नर्स	1	श्रीमती भावना	19.5.1999
		रेडियोग्राफर	1	श्री महेश खण्डेलवाल	
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती सुनिता शेखावत	

1	2	3	4	5	6
		लैब टैक्नीशियन	1	श्री दीनदयाल गुप्ता	1.7.2000
		च.श्रे. कर्मचारी	3	श्रीमती शान्ति देवी श्री सलीम श्रीमती प्रेम देवी	1.9.1981 4.12.1987 30.9.1992
		स्वीपर	1	श्रीमती कमला	10.3.1983
15.	राजकीय चिकित्सालय, ज्योतिनगर संस्था चालू का वर्ष 1/1982	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. खुशीराम तेवानी	7/2004
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्री पूरण चन्द जोशी श्री राजेन्द्र प्रसाद	6.1.1982 3.6.1988
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती इन्द्रा मिश्रा	1.9.2008
		च.श्रे.कर्मचारी	2	श्री नरेन्द्र सिंह श्री प्रकाश सिन्धी	16.8.1997 1.8.2003
		स्वीपर	1	श्री मुकेश कुमार	5.6.1993

1	2	3	4	5	6
16.	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, बनीपार्क संस्था चालू का वर्ष 1967	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. सुषमा लेखरा	1.4.1996
		कनिष्ठ लिपिक	1	श्री सुरेन्द्र शर्मा	19.1.2001
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	श्रीमती ससेजनी सी के	1.3.2001
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	श्रीमती पुष्पा राजपूत श्रीमती लिलम्मा डेनियल	1.4.2003 1.4.2001
		च.श्रे.कर्मचारी	3	श्रीमती चुन्नी देवी श्रीमती गीता श्री रामजी लाल गुप्ता	30.11.1988 24.1.1994 1.9.1993
17.	नगर परिवार कल्याण केन्द्र बनीपार्क संस्था चालू का वर्ष 1981	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. गोरधनसिंह जेठु	17.7.2003
		वरिष्ठ लिपिक	1	श्री बाबूलाल शर्मा	25.7.2000
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	श्रीमती शमा खान	17.8.2003
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	श्रीमती लीला रघ श्रीमती लीलामणि के. आए.	26.7.2000 24.7.2001

1	2	3	4	5	6
18.	नगर परिवार कल्याण केन्द्र झोटवाडा संस्था चालू का वर्ष 1988	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. सीताराम शर्मा	1.6.2002
		वरिष्ठ लिपिक	1	श्रीमती शकुंतला सागानेरिया	1.6.2090
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	श्रीमती विलासनी एस	1.8.1999
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	श्रीमती राशि प्रभाझा श्रीमती बीना नरूका	1.8.2003
19.	राजकीय चिकित्सालय, मिनी सचिवालय संस्था चालू का वर्ष 2/1998	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. राजाचावला	1.8.2003
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्रीमती मंजुला शर्मा श्री विनोद कुमार	1.11.1996 1.4.1997
		वार्ड ब्वाय	1	श्री राजेन्द्र कुमार	2.8.1998
		स्वीपर	1	श्री सुनिल कुमार	3.6.1898

1	2	3	4	5	6
20.	राजकीय चिकित्सालय विधानसभा संस्था चालू का वर्ष 7/1994	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. संजीव माथुर	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	3	श्री नरेन्द्र मोहन शर्मा श्री श्याम सुन्दर वर्मा	
		एल.एच.वी.	1	श्रीमती एलिअम्मा	
		ए.एन.एम.	1	श्रीमती मधु	
		लैब टैक्नी.	1	श्री मणीशंकर	
		कनिष्ठ लिपिक	1	श्री जगदीश शर्मा	
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	श्री छोटूराम श्री अब्दुल रजाक	
		स्वीपर	1	श्री चौथमल	

राज्य में भ्रूण परीक्षण पर रोक

247. श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भ्रूण परीक्षण करने वाले डाक्टर्स/क्लीनिक्स के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए कानून होने के बावजूद इस कृत्य को रोक नहीं लग पायी है ?

(2) क्या सरकार इसको रोकने हेतु कोइ प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 1.1.1996 से लागू गर्भधारण पूर्व और (पी.एन.डी.टी.) प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने निम्न प्रभावी कदम उठाये हैं :-

राज्य सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र के लिए निम्न को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया है :-

सम्पूर्ण प्रदेश के लिए :-

1. निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमती कामिनी दिनेश, चेयरमैन रेडक्रास सोसायटी जोधपुर।
3. श्री कमलराज सिंघवी, संयुक्त विधि परामर्शी द्वितीय विधि विभाग, राजस्थान सरकार।

प्रत्येक जिले के लिए :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र के लिए :-

1. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण/उपखण्ड)

इन समुचित प्राधिकारियों के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए, प्रत्येक जिले के क्षेत्र के लिए तथा प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र के लिए एक-एक सलाहकार समिति का गठन किया है।

विभाग द्वारा समुचित प्राधिकारियों की सूची एवं 137 सलाहकार समिति के सदस्यों के नामों की सूची का प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया है।

प्रदेश में रक्षा सेवा चिकित्सा संस्थान के लिए उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएं (उं.नि.चि.से.) मुख्यालय 12 कार्पस सी/ओ 56 एपीओं को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया है तथा उक्त समुचित प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

विभाग द्वारा जन-जन में इस अधिनियम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विज्ञापनों, होर्डिंग्स बैनर्स पोस्टर्स, फोल्डर्स, स्टीकर्स, दूरदर्शन, सिनेमा स्लाईडों आदि के द्वारा समग्र प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

मुख्य मंत्री सहायता कोष से स्वीकृत राशि

248. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से गरीबों का मुफ्त इलाज करवाया जाता है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(2) उक्त राशि के माध्यम से किस-किस प्रकार के रोगों का ईलाज मुफ्त करवाया जाता है तथा अब तक किन-किन मरीजों का ईलाज करवाया जा चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित अस्पतालों में बी.पी.एल. तथा वरिष्ठ नागरिकों के ईलाज हेतु नि:शुल्क सुविधाएं दी जाती हैं ? यदि हां तो कौन-कौन से ईलाज की सुविधाएं दी जाती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री सहायता कोष से गरीबों का पूर्णतया मुफ्त ईलाज नहीं करवाया जाता है, बल्कि रोगोपचार पर होने वाले संभावित व्यय का 40 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 50,000/- जो भी इनमें से कम हो, स्वीकृत किया जाता है। शेष व्यय स्वयं रोगी को वहन करना होता है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मुख्य मंत्री सहायता कोष से गरीब रोगियों के उपचार हेतु सहायता स्वरूप 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2004 तक स्वीकृत की गई राशि 11,03,31,700/- रुपये है

वर्ष	व्यक्ति	राशि
1999-2000	336	87,06,000
2000-2001	621	1,52,67,500
2001-2002	1096	2,43,09,300
2002-2003	1480	2,90,48,900
2003-3004	1654	3,30,00,000
योग :-	5187	11,03,31,700

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) मुख्य मंत्री सहायता कोष से मुख्यतया "कैंसर हृदय रोग, गुर्दा प्रत्यारोपण एवं अन्य गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु सहायता स्वीकृत की जाती है। अब तक जिन मरीजों हेतु सहायता दी गई है, उनकी सूची संलग्न कर प्रेषित है।

(3) जी हां जयपुर स्थित अस्पतालों में बी.पी.एल. परिवारों तथा वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सालय में उपलब्ध सभी प्रकार की नि:शुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा बी.पी.एल. परिवारों को सभी प्रकार की बीमारियों की नि:शुल्क ईलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) में नसबंदी आपरेशन के दौरान मृतक के आश्रित को राज्य सेवा में नियुक्ति प्रकरण

249. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 24 मार्च, 1984 को गंगापुर सिटी (जिला सवाई माधोपुर) में विभाग द्वारा आयोजित नसबंदी कैम्प में नसबंदी आपरेशन के दौरान श्रीमती रुकमणी बाई पत्नी श्री जगनलाल कोली निवासी गंगापुर सिटी का स्वर्गवास हो गया था ?

(2) क्या यह सही है कि शोकाकुल परिवार द्वारा जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति सवाई माधोपुर में सहायता प्राप्त करने हेतु परिवाद लगाया गया जिसमें मृतका के पुत्र को क्षतिपूर्ति के रूप में राजकीय सेवा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कि नियुक्ति संबंधी पत्रावली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के पास लंबित है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि मृतका की मृत्यु के 18 वर्ष गुजर जाने के उपरान्त आज तक इस परिवार के आवेदक श्री नरेश कुमार कोली को नियुक्ति नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

(4) क्या सरकार नसबंदी आपरेशन में मृतका श्रीमती रुकमणी के पुत्र नरेश को नौकरी देने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त नियुक्ति में बरती गई शिथिलता हेतु पीड़ित-आश्रित को विगत वर्षों का क्षतिपूर्ति भुगतान देने का विचार अथवा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। शोकाकुल परिवार के द्वारा परिवार के आश्रित को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने हेतु जन अभाव अभियोग प्रकोष्ठ सवाई माधोपुर में परिवाद प्रस्तुत किया गया था।

जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा कि मृतक के पुत्र श्री नरेश कोली को विभाग में सहानुभूति पूर्वक विचार कर नियुक्ति दिलवाने की व्यवस्था करावें। यह प्रकरण लम्बित नहीं है।

(3) जी हाँ। पुरुष/महिला नसबंदी आपरेशन में मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को राजकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

(4) पुरुष/महिला की नसबंदी आपरेशन से मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को राजकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

(5) मृतका के आश्रित को तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि रुपये 5000/- का भुगतान तत्काल ही कर दिया गया था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खारची विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण

250. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गांवों को डब्ल्यू.बी.एम. की सड़क से जोड़ने में ही गांव को सड़क से जोड़ी हुई मान लिया जाता है, जबकि पक्की सड़क के बिना इन गांवों को सड़क का कोई फायदा नहीं होता ? क्या सरकार डामरीकृत सड़क से जोड़ने पर ही गांवों को सड़क से जोड़ा होना घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार खारची निर्वाचन क्षेत्र के गांव धामली, बीमलिया, गुढारामसिंह, गुढाकेसरसिंह, ईसाली, गुढमोकमसिंह से बाधतलाई (मारवाड़ जंक्शन) को डामर की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जो गांव डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़ता है उसे डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़ा हुआ ही माना जाता है। जब गांव डामर सड़क से जुड़ जाता है तो उसे क्रमोन्नत कर डामर सड़क से जुड़ा हुआ मान लिया जाता है। राज्य के उपलब्ध वर्तमान संसाधनों से डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़े सभी गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

(2) खारची निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम धामली भीमालिया, गुड़ारामसिंह, गुड़ा केसरसिंह, ईसाली डामर सड़क से जुड़े हुये हैं। गुड़ा मोखमसिंह से बाघतलाई को आपस में डामर सड़क से जोड़ने का इस समय कोई विचार नहीं है क्योंकि ये दोनों गांव पूर्व में ही डामर सड़कों पर स्थित हैं।

ब्यावर शहर में निम्न स्तरीय सड़क निर्माण

251. **श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

(1) क्या ब्यावर शहर में आर.यू.पी.योजनान्तर्गत सतपुलिया से श्री सीमेन्ट रोड एवं बांके बिहारी से श्री सीमेन्ट रोड का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त सड़कों के निर्माण में कितनी लागत आई व निर्माण हेतु क्या शर्तें थीं ?

(3) क्या यह सही है कि निर्माण के कुछ समय बाद उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई ? यदि हां, तो कब व किन कारणों से ?

(4) क्या उक्त सड़कों के ठेकेदारों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अजमेर ने अवगत कराया है कि ब्यावर शहर में आर.यू.पी. योजना प्रथम के अन्तर्गत संपर्क सड़क सतपुलिया से श्री सीमेन्ट रोड (बदाव मसूदा रोड) किमी. 0/0 से 3/0 लंबाई में उनके द्वारा नवीनीकरण कार्य जून, 2002 को करवाया गया है।

राजस्थान आवासन मंडल अजमेर ने अवगत कराया है कि वर्ष 2001 में मंडल द्वारा रिपेयर एवं कारपेंटिंग वर्क आफ अप्रोच रोड सूरजपोल गेट से गढी थोरियान का कार्य करवाया गया था। (जिसमें बांके बिहारी से श्रीसीमेन्ट रोड तक का भाग भी शामिल था)

(2) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अजमेर ने अवगत कराया है कि संपर्क सड़क सतपुलिया से श्रीसीमेन्ट रोड के निर्माण कार्य में रु. 12.39 लाख की लागत आई। निर्माण कार्य में कार्य पूर्ण होने की दिनांक 15.10.2002 से 2 साल तक सड़क के रखरखाव का दायित्व संवेदक का है।

राजस्थान आवासन मंडल अजमेर ने अवगत कराया है कि अप्रोच रोड सूरजपोल गेट से गढी थोरियान कार्य की लागत 7.67 लाख आई है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अजमेर ने अवगत कराया है कि संपर्क सड़क सतपुलिया से श्रीसीमेन्ट रोड (ब्यावर मसूदा रोड) किमी. 0/0 से 3/0 का निर्माण कार्य पूर्ण होने क कुछ समय बाद ही सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। सड़क पर डामरीकरण का कार्य जून-2002 में पूर्ण हो गया है। सड़क पर सतपुलियां से श्रीसीमेन्ट से लगभग 480 मीटर लंबाई में आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पानी नालियों के अभाव में सीधे ही सड़क पर रहने के कारण एवं हैण्डपंपों का पानी सीधें ही सड़क पर आने के कारण माह जुलाई -2003 में सड़क पर पैच पड़ गये।

राजस्थान आवासन मंडल अजमेर ने अवगत कराया है कि निर्माण के बाद उक्त सड़क वर्षा के पानी के कारण कहीं कहीं क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ भाग जीर्ण-शीर्ण भी हो गया है।

(4) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अजमेर द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित संवेदक को विभाग द्वारा लिखा गया एवं संवेदक ने पैच का कार्य पूरा कर दुरुस्त कर दिये हैं तथा रोड के रखरखाव का कार्य संवेदक द्वारा दिनांक 15.10.2004 तक अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाना है। वर्तमान में सड़क पर पानी की सुचारु निकासी नालियों के अभाव में नहीं होने के कारण पुन: क्षतिग्रस्त हुई, जिसके दुरुस्तीकरण हेतु अनुबंधक को लिख दिया गया तथा कार्य संवेदक से शीघ्र दुरुस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।,

राजस्थान आवासन मंडल अजमेर ने अवगत कराया है कि अभी तक ठेकेदार को अंतिम बिल एवं सुरक्षा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़के

252. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत निर्मित अनेक सड़क मार्ग टूट-फूट गये हैं या जर्जर हालत में हैं यदि हां, तो ऐसी कौन

(श्री नवरतन राजोरिया)

-कौनसी सड़क कितनी दूरी की है जिनकी मरम्मत होना आवश्यक है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य उच्च मार्ग के तहत जयपुर-दांतारामगढ़ सड़क अनेक जगह से टूट-फूट गई है व जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं ? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत इस विभाग की ग्रामीण सड़कों में से कुछ लम्बाई सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण लम्बे समय तक नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर से दातारामगढ़ हेतु 2 मार्ग हैं। एक मार्ग जयपुर से कालवाड़, जोबनेर पंचकोड़िया एवं रेनवाल होते हुए दांतारामगढ़ तक जाता है तथा दूसरा मार्ग जयपुर से चौमूं, रेनवाल होते हुए दांतारामगढ़ जाता है। उक्त दोनों सड़क मार्ग संतोषप्रद स्थिति में है। समय-समय पर पैच पड़ना सामान्य प्रक्रिया है, जिस पर मरम्मत कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किये जाते हैं।

परिशिष्ट ''अ''

विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत जर्जर हालत में पहुंची सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	गत नवीनीकरण	कुल लम्बाई (किमी.)	जर्जर हालत की लम्बाई (किमी.)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	लालपुरा हिंगोनिया हरसोली सड़क किमी. 8/500 से 10/0	1980	1992	26.00	1.50	कस्बा क्षेत्र में घरों के एवं वर्षा के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त रहती है।
2.	महलां जोबनेर सड़क (ओ.डी;आर.) किमी. 15/0 से 18/0	1955	1990	7.00	3.00	वित्तीय संसाधनों के अभाव में नवीनीकरण नहीं किया जा सका

सैन्य गतिविधियों के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कें

253. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पिछले मीलिट्री मूवमेन्ट में बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर एवं बाड़मेर जिले में कितनी सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों को पुनः ठीक करवाने पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ? सड़क वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कों के मरम्मत हेतु केन्द्र सरकार से कितनी राशि उपलब्ध हुई ?

उत्तर

(1) पिछले मिलट्री मूवमेंट में बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर एवं बाड़मेर में पूर्ण रूप से कोई भी सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई। लेकिन आंशिक रूप से बीकानेर जिले में 50, जैसलमेर में 21, गंगानगर जिले में शून्य तथा बाड़मेर जिले में 23 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों को पुनः ठीक करवाने में सरकार द्वारा 170.20 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त सड़कों के मरम्मत हेतु केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जैतसीसर-रायपुरा मिसिंग लिंक सड़क का अपूर्ण कार्य

254. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जैतसीसर-रायपुरा मिसिंग लिंक सड़क की मंजूरी दी गई है ? यदि हां तो इस सड़क की मंजूरी कब तथा कितने किलोमीटर लम्बाई की हुई थी ? उक्त सड़क निर्माण का ठेका कौनसी फर्म के नाम से छोड़ा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क मार्ग से सिरसा जयपुर तक का रास्ता जुड़ता है जिससे 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़क मार्ग में 250 मीटर का कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो उक्त कार्य को सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त मिसिंग लिंक सड़क की स्वीकृति अतिरिक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्रांक एफ.7(1) अनुभाग -2/मिसिंग लिंक 2003/डी-1153 दिनांक 4.9.2003 जारी की गयी। उक्त सड़क निर्माण का ठेका मैसर्स डूडी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी "बी" क्लास ठेकेदार, बीकानेर को आवंटित किया गया।

(2) जी हां। उक्त सड़क कार्य (300 मीटर का टुकड़ा जिस पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई को छोड़कर) शेष दिनांक 4.4.2004 को पूर्ण हो गया था।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त सड़क मार्ग से सिरसा जयपुर तक का रास्ता जुड़ता है लेकिन 100 किलोमीटर की दूरी कम नहीं होती है।

(4) जी हां। न्यायालय के स्थगन आदेश के चलते करीब 300 मीटर लम्बाई में कार्य बीच में बंद करवाना पड़ा। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश रद्द करने के पश्चात् शेष भाग 300 मीटर में कार्य सम्पादन की कार्यवाही नियमानुसार शुरू की जावेगी।

बयाना विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

255. **श्री अतरसिंह भडाना (बयाना)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में किस-किस स्तर की कौन-कौन सी सड़कें हैं ? सड़कों का विवरण दूरी सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले पांच सालों में उक्त खेत्र में किन-किन सड़कों के निर्माण/पुनर्निमाण के लिये किस-किस ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि के ठेके दिये गये और उक्त सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण में कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये व कौन-कौन से अपूर्ण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त अपूर्ण सड़कों के कार्यों को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में सड़कों की जीण शीर्ण हो रही हालत के सन्दर्भ में कोई सर्वे कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो कब और उसकी क्या रिपोर्ट रही ? यदि नही, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में सड़कों के घटिया निर्माण के लिये किसी ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में राज्य राज मार्ग मुख्य जिला सड़कें अन्य जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें हैं सड़कों का विवरण दूरी सहित परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) पिछले पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं में स्वीकृतियां प्राप्त हुई है, इन निर्माण कार्यों का योजनान्तर्गत, ठेकेदार का नाम मय ठेका राशि तथा पूर्ण होने/अपूर्ण रहने का विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) अभी तक प्राप्त समस्त स्वीकृतियां अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो चुके है तथा कुछ कार्य प्रगति पर है, इनको निर्धारित समयावधि नवम्बर 2004 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

(4) जी हां। उक्त क्षेत्र में सड़कों की जीर्णशीर्ण हो रही हालत के संदर्भ में सर्वे कार्य माह सितम्बर 2003 में कराया गया था। सर्वे रिपोट के अनुसार 174 किलोमीटर सड़कों पर पैच मरम्मत कार्य कराया जाना था, जिनको पूर्ण कर दिया गया है।

(5) जी नहीं। विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में इस क्षेत्र में जो भी सड़क निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य ठेकेदारों से कराए गये हैं वे भी गुणवत्ता के एवं विभागीय मानदण्डों अनुसार कराए गये है इसलिये किसी भी संवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधायकपुरी, जयपुर की क्षतिग्रस्त चारदीवारी

256. **श्री मंगलाराम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधायकपुरी जयपुर में फ्लेट संख्या 26 के दक्षिण साइड के चारदीवारी टूटी होने के कारण जनता ने आम रास्ता बना रखा है तथा आवारा पशु दिनभर घूमते रहते हैं।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दीवार के संबंध में विभाग के उच्चाधिकारियों को अनेकों बार अवगत करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त दीवार का निर्माण अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) फ्लेट संख्या एफ.26 के दक्षिणी "साइट" की चारदीवारी टूटी हुई नहीं है। लेकिन गुरूद्वारा (जो कि एफ-26 के पूर्वी हिस्से की तरफ बना हुआ है)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

में आने जाने के लिये विकेट गेट लगा हुआ था। विकेट गेट को गुरूद्वारा में आने जाने वाले आदमियों द्वारा हटा दिया गया। चूंकि गुरूद्वारा विधायकपुरी के आवासों हेतु उपलब्ध जमीन पर बना हुआ है, इस कारण पास की बस्ती के लोगों का विधायकपुरी में आना-जाना लगातार रहता है तथा कभी-कभी पशु भी आ जाते हैं।

(2) उक्त हटाये गये विकेट गेट के बारे में विभाग के अधिकारियों को अवगत था। उक्त रास्ते को बन्द करने पर स्थानीय निवासियों द्वारा भारी विरोध किया जाता रहा है, परन्तु अब पुन: विकेट गेट लगवा दिया गया है जिससे पशु अन्दर नहीं आ सकेंगे।

वाटिका ग्राम (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

257. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से ग्राम फतेहपुरा तक जाने वाली सड़क फतेहपुरा मोड़ से ग्राम फतेहपुरा तक जीणशीर्ण अवस्था में हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का पुन: डामरीकरण करवाकर मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से ग्राम फतेहपुरा तक जाने वाली सड़क फतेहपुरा मोड़ से ग्राम फतेहपुरा तक जीर्णशीर्ण अवस्था में नहीं है। फतेहपुरा मोड़ से ग्राम फतेहपुरा तक की सड़क पर थोड़े पैच है जिनको वर्षा ऋतु के बाद ठीक करा दिया जावेगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान वित्तीय संसाधनों के मध्यनजर पुन: डामरीकरण कराना सम्भव नहीं है।

सौ दिवसीय कार्ययोजना में निर्मित सड़कें

258. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा घोषित 100 दिन की कार्य योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया था ? यदि हां, तो कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया गया ? लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये सड़कें दिसम्बर, 2003 से पूर्व की स्वीकृत हैं ?

(3) 100 दिन कार्य योजना के बाद जून 2004 तक कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा घोषित 100 दिवसीय कार्य योजना में मिसिंग लिंक योजना के तहत माह जून 2004 तक 1200 किलोमीटर के लक्ष्य के विरुद्ध 1228.66 किलोमीटर सड़को का निर्माण कर 133-82 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 2405.50 किलोमीटर सड़कों का निर्माण व 737 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य के विरुद्ध 3056.64 किलोमीटर सड़कों निर्माण कर 986 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया तथा इसमें कुल 233.45 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

(2) जी हां।

(3) 100 दिन की कार्य योजना के बाद जून 2004 तक निर्माण कराई गई सड़कों की सूची मिसिंग लिंक के लिये परिशिष्ट "अ" पर व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये परिशिष्ठ 'ब' पर संलग्न है।

(योजना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ईन्टाली-फतेहनगर (उदयपुर) की अपूर्ण सड़कें :

259. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(1) ग्राम ईन्टाली से फतहनगर (उदयपुर) तक सड़कों का निर्माण कब एवं कितनी लागत से किस एजेन्सी के द्वारा किया गया ? उक्त सड़कों पर अब तक कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई तथा वर्तमान में उक्त सड़कों की क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम ईन्टाली से फतहनगर के बीच दो किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है ? सरकार उक्त अधूरी सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर करवाने का विचार रखती है।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम ईन्टाली से रूण्डेडा एवं फतहनगर दोनों तरफ से एक-एक किलोमीटर की दूरी में एक-एक फीट के गहरे गड्डे हो गये हैं जिससे आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

(4) क्या यह सही है ग्राम पंचायत ईन्टाली के अन्तर्गत चांयलाखेड़ा ग्राम बस स्टेण्ड से गांव के अन्दर तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम ईन्टाली के अन्दर की सड़क के दोनों तरफ गिट्टियां (पत्थर) डाल रखी है जिससे आए दिन रास्ता जाम रहने की संभावना बनी रहती है ? गिट्टियां किस एजेन्सी द्वारा डाली गई हैं और उनकी क्या स्थिति है ?

(6) क्या सरकार अब उक्त अधूरी पड़ी सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) फतेहनगर से ईण्डाली सड़क जिसकी लम्बाई 16 किमी, है में से कि.मी 0/0 (फतेहनगर) से 14/500 तक सड़क निर्माण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से श्री लालसिंह कुमावत, ठेकेदार द्वारा वर्ष 1979-80 में करवाया गया है। किमी. 14/500 से इण्टाली गांव होते हुए 20/0 (रूण्डेड़ा) तक सड़क निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न चरणों में वर्ष 1988-89 में पूर्ण करवाया गया। खर्च का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वर्तमान में यह सड़क कृषि विपणन बोर्ड के अधीन है एवं इनका रखरखाव कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ही किया जाता है बोर्ड द्वारा अवगत करवाया गया है कि सड़क अच्छी स्थिति में है।

(2) जी नहीं, ग्राम ईण्टाली से फतेहनगर के मध्य सड़क निर्माण का कोई कार्य शेष नहीं है।

(3) जी नहीं

(अ) ग्राम ईण्टाली से 1.00 किमी. में फतेहनगर सड़क पर गहरे गड्डे नहीं हुये हैं परन्तु पेच वर्क की आवश्यकता है। यह सड़क कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संधारित की जाती है।

(ब) ईण्टाली से 1.00 किमी. की दूरी में रुण्डेड़ा सड़क पर कोई खड्डे नहीं है। यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित की जाती है।

इण्टाली से रुण्डेडा एवं फतेहनगर दोनों तरफ आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ग्राम पंचायत ईण्टाली के अन्तर्गत ग्राम चायला खेड़ा आबादी 1085 (वर्ष 2001 की प्रोजेक्ट जनसंख्या अनुसार) मैटल सड़क से जुड़ा है जो कि एक पक्की सड़क है। राज्य सरकार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस सड़क पर डामरीकरण कराया जाना संभव नहीं है।

(5) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम ईण्टाली के अन्दर की सड़क के दोनों तरफ गिट्टियां ग्राम पंचायत द्वारा डलवायी गई है, तथा ये गिट्टियां सड़क पर बिछी हुई है, जिसे आये दिन रास्ता जाम रहने की स्थिति नहीं है।

(6) जी नहीं। उक्त सड़कों पर सुदृढ़िकरण व डामरीकरण का कार्य राज्य सरकार के वितीय संसाधनों को देखते हुए वर्तमान में संभव नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

ग्राम इण्टाली से फतेहनगर सड़क परकिये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	कार्यकारी एजेन्सी	व्यय (लाखों मे)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	1979-80	कृषि विपण बोर्ड	12.90	किमी.0/0 से 14/500 तक सड़क निर्माण कार्य
2.	1985-86	सा.नि.वि.	0.09	साधारण मरम्मत कार्य
3.	1987-88	सा.नि.वि.	0.43	साधारण मरम्मत कार्य
4.	1988-89	सा.नि.वि.	0.16	साधारण मरम्मत कार्य
5.	1989-90	सा.नि.वि.	0.16	साधारण मरम्मत कार्य
6.	1989-90	सा.नि.वि.	4.08	रिन्यूअल कार्य किमी 1,2,3,8,9,11,14
7.	1990-91	सा.नि.वि.	0.87	साधारण मरम्मत कार्य
8.	1988-91	सा.नि.वि.	10.00	किमी. 14/500 से 20/0 तक सड़क निर्माण कार्य
9..	1991-92	सा.नि.वि.	1.09	साधारण मरम्मत कार्य
10.	1991-92	सा.नि.वि.	1.81	रिन्यूवल कार्य किमी 5,6,7,10
11.	1992-93	सा.नि.वि.	0.33	साधारण मरम्मत कार्य
12.	1993-94	सा.नि.वि.	0.27	साधारण मरम्मत कार्य

1	2	3	4	5
13.	1994-95	सा.नि.वि.	0.09	साधारण मरम्मत कार्य
14.	1995-96	सा.नि.वि.	1.35	साधारण मरम्मत कार्य
15.	1996-97	सा.नि.वि.	1.29	साधारण मरम्मत कार्य
16.	1997-98	सा.नि.वि.	0.37	साधारण मरम्मत कार्य
17.	1998-99	सा.नि.वि.	1.37	साधारण मरम्मत कार्य
18.	1999-2000	सा.नि.वि.	0.33	साधारण मरम्मत कार्य
19.	2000-2001	सा.नि.वि.	2.61	साधारण मरम्मत कार्य
.20.	2001-2002	कृषि विपणन बोर्ड	8.63	रिन्यूअल कार्य आर.यू.पी. प्रथम किमी. 0/0 से 1/0 एवं 16/0 स 20/0
		सा.नि.वि.	0.62	साधारण मरम्मत कार्य
21.	2002-2003	सा.नि.वि.	16.88	रिन्यूअल कार्य आर.यू.पी. द्वितीय किमी 8/0 से 16/0
22.	2003-2004	सा.नि.वि.	0.35	साधारण मरम्मत कार्य
		कृषि विपणन बोर्ड	7.79	स्पेशल रिपेयर कार्य किमी. 1/0 से 5/0
23.	2004-2005 (जून तक)		शून्य	

राज्य की नजूल सम्पत्तियां

260. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन (सम्पदा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किस-किस जिले में कितनी-कितनी नजूल सम्पत्तियां है तथा सरकार द्वारा नजूल सम्पत्तियों का सर्वे कब कराया गया ? वर्तमान में कितनी सम्पदा किराये पर है एवं कितनी सम्पदा पर अतिक्रमण है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नजूल सम्पत्तियां जो किराये पर दी हुई उनसे नियमित रूप से किराया वसूल हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भविष्य के लिये ऐसी सम्पदाओं के लिए सरकार क्या कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में कुल कितनी नजूल सम्पदा कहां-कहां स्थित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) किशनगढ़ (अजमेर) में विद्यमान नजूल सम्पदाओं में से कितनी सम्पदा ऐसी है जिनकी जीण-शीर्ण अवस्था है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जीर्ण-शीर्ण सम्पदा से कोई अनहोनी घटना न हो इसके लिए सरकार अविलम्ब इन्हें खुर्द-बुर्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर्स से प्राप्त सूचना परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जिला कलक्टर्स से प्राप्त सूचना परिशिष्ट-2 संलग्न है नजूल सम्पत्तियों के शीघ्र निस्तारण हेतु विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसकी प्रति परिशिष्ट-3 संलग्न है। जिसमें समस्त जिला कलक्टर्स को दिनांक 20-10-2004 से दिनांक 31-12-2004 तक नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु निदेशित किया गया है जिसमें किराये की कुल राशि पर जो ब्याज बनता है

(सामान्य प्रशासन (सम्पदा) मंत्री)

उसमें 50 प्रतिशत की छूट तथा अतिक्रमियों से 10 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाता था, उसे माफ करने हेतु रियायत दी गई है।

(3) जिला कलक्टर, अजमेर से प्राप्त सूचना के अनुसार किशनगढ़ की 53 नजूल सम्पत्ति विभिन्न स्थानों पर स्थित है। सूचना परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) किशनगढ़ की 8 सम्पदा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिसकी सूची परिशिष्ट -5 पर संलग्न है।

(5) जीर्ण-शीर्ण नजूल सम्पदाओं को तुरन्त निस्तारण हेतु जिला कलक्टर्स को समय बद्ध कार्यक्रम के तहत निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाता रहा है।

(सूची/प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत पर व्यय

261. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में गत पांच वर्षों में सड़क मरम्मत (पेच वर्क) हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी ?

(2) क्या स्वीकृत राशि का उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में गत पांच वर्षों में स्वीकृत राशि निम्नानुसार है (पेच वर्क) हेतु :-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वर्ष	राशि (स्वीकृत/व्यय) लाखों में
1999-2000	12.92
2000-2001	10.12
2001-2002	11.99
2002-2003	8.37
2003-2004	24.18

(2) जी हां। स्वीकृत राशि का उपयोग कर लिया गया है

रामसीन ग्राम (रानीवाड़ा) में स्वीकृत ग्रिड़ सब स्टेशन

262. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम रामसीन में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या इसकी स्वीकृति दे दी गई है ? यदि नहीं तो क्यो ?

उत्तर

जी नहीं। वहां स्थापित विद्युत तंत्र की क्षमता वर्तमान में वहां की विद्युत मांग के अनुसार पर्याप्त है और वहां 132 के;वी. ग्रिड सब-स्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं है।

बैराठ विधान सभा क्षेत्र में विशेष योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

263. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सौ दिन की कार्य योजना के तहत विशेष योजना में नये विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने की क्या योजना थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में विशेष योजना के तहत नये कनेक्शन देने के क्या लक्ष्य थे ? क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत ?

(3) अब तक विशेष योजना के तहत कितने नये कनेक्शन देने से शेष रह गये हैं और सरकार द्वारा कब तक ऐसे कनेक्शन दे दिये जायेंगे ।

उत्तर

(1) जी नहीं। सौ दिन की कार्य योजना के तहत नये कनेक्शन देने के लिऐ कोई विशेष योजना नहीं थी और न ही नये विद्युत कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारित था।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) वर्तमान में बैराठ विधान सभा क्षेत्र में विशेष योजना (स्पेशल श्रेणी) के तहत 261 कनेक्शन देना शेष है, जिनको वित्तीय वर्ष 2004-05 में देने का लक्ष्य है।

परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रकरण

264. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा गत कई वर्षों से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

(2) क्या सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जानी है ? यदि हां तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति द्वारा मैरिट लिस्ट बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश खींची)

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों को पदोन्नति समिति द्वारा भरा जाना है ? यदि हां, तो कितने पदों को तथा कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 दिनांक 16.07.1998 से प्रभावी हुये हैं। नियम लागू होने के उपरांत पदोन्नति हेतु पात्रताधारी अधिकारी/कर्मचारी की योग्यता एवं अनुभव पूर्ण होने पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने का प्रावधान है। नियम लागू होने के उपरान्त पदोन्नति हेतु पात्रताधारी अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण गत वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई। अब पात्रताधारी अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध होने पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। वरिष्ठ महिला पर्यवेक्षक के पद से सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति का नियमों में प्रावधान है परन्तु वरिष्ठ महिला पर्यवेक्षक का पद सृजित नहीं होने के कारण अभी तक सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं हो सकी है। नियमों में वरिष्ठ महिला पर्यवेक्षक का पद विलोपित करने की संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है। नियमों में संशोधन के उपरांत सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। डी.पी.सी. की बैठक के समय रेकार्ड के आधार पर समिति के सदस्यों द्वारा पदोन्नति के समय मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अभी तक डी.पी.सी. नहीं होने के कारण कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई।

(4) जी हां। सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्वीकृत पदों में से वर्तमान नियमों के प्रावधानानुसार वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पद को शिडयूल में हटाये जाने पर डी.पी.सी. किया जाना संभव होगा। नियमों में संशोधन का मामला विचाराधीन है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. की जानी है। डी.पी.सी. की कार्यवाही की जा रही है।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका के रिक्त पद

265. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण आबादी में प्रति एक हजार पर एक महिला सेविका की नियुक्ति का प्रावधान है ? यदि हां तो विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रति हजार की आबादी के हिसाब से कुल कितने आंगनबाड़ी सेविका के पद विधान सभा क्षेत्र डेगाना में रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जी हां, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजना के अंतर्गत प्रति एक हजार पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एक सहायिका को मानदेय सेवा पर रखने का प्रावधान है। महिला सेविका का कोई पद विद्यमान नहीं है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अंतर्गत 199 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र डेगाना में ग्राम किला व ईन्डया में एक एक पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व ग्राम जालसूनानक, रोहिसड़ा, मोडीकला-I एवं मोडिकला -II ढालीपुरा में एक एक पद सहायिका का रिक्त है। इस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दो पद एवं सहायिका के पांच पद रिक्त हैं।

(3) जी हां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से भरे जाते हैं। अत: आगामी ग्राम सभाओं में चयन किया जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगरार विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

266. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में सरकार द्वारा कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित है ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रत्येक गांव में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों के सरकारी भवन बने हुये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? शेष ग्रामों में सरकार कब तक भवन बनाने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के अन्तर्गत तीन बाल विकास परियोजनाओं में कुल 219 आगनबाड़ी केन्द्र क्रमश: गंगरार में 75 राशमी में 110 व चित्तौड़गढ़ ग्रामीण में 34 केन्द्र संचालित हैं। सूची परिशिष्ट, 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। सभी केन्द्रों पर सरकारी भवन नहीं बने हुए है। विधान सभा क्षेत्र गंगरार स्थित 219 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 104 भवन बने हुए हैं एवं 115 नहीं बने हैं। सूची परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई है)

नाथद्वारा तहसील के आदिवासियों के विकास हेतु व्यय राशि

267. डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र में सम्मिलित तहसीलों एवं गांवों में भी आदिवासी लोग निवास करते हैं।

(2) क्या इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को भी व्यक्तिगत लाभ तथा क्षेत्रीय लाभ की योजनाओं का लाभ उसी तरह मिलता है जैसा आदिवासी

(डा. सी.पी. जोशी)

क्षेत्र ट्राईबल सब प्लान के आदिवासियों को मिलता है ? यदि नहीं, तो क्या आने वाले वर्षों में दो तरह के आदिवासी की श्रेणी बन जायेगी ?

(3) क्या कुल राशि ट्राईबल सब प्लान में से इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी तथा इस क्षेत्र से बाहर रहने वाले आदिवासियों पर व्यक्तिगत लाभ तथा क्षेत्रीय विकास पर खर्चा होता है ?

(4) नाथद्वारा तहसील में रहने वाले आदिवासियों की कुल संख्या क्या है तथा व्यक्तिगत लाभ तथा क्षेत्रीय लाभ में वांछित कौन-कौन से गांव है तथा उनकी वर्ष 2004-05 में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर एवं राजसमन्द जिलों में आदिवासी लोग निवास करते हैं। आदिवासियों की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र विशेष को ट्राईबल सब प्लान (अनुसूचित क्षेत्र) माडा क्षेत्र, माडा कलस्टर तथा बिखरी आबादी क्षेत्र में विभक्त किया हुआ है। उदयपुर जिले की झाडोल, धरियावद, सलूम्बर, खैरवाड़ा, कोटड़ा, एवं सराडा का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं गिर्वा तहसील के 81 ग्राम ट्राईबल सब प्लान (अनुसूचित क्षेत्र) में सम्मिलित है वल्लभनगर तहसील के 103 ग्राम, गोगुन्दा के 84 ग्राम तथा मावली के 4 ग्राम व गिर्वा के 36 ग्राम माडा लघुखण्ड में सम्मिलित है। उदयपुर जिले का शेष क्षेत्र बिखरी आबादी कार्यक्रम से लाभान्वित होता है। राजसमन्द जिले में ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र नहीं है। कुम्भलगढ़ तहसील के 31 गांव तथा नाथद्वारा तहसील के 21 गांव माडा लघुखण्ड में सम्मिलित हैं नाथद्वारा तहसील के 18 ग्राम माडा कलस्टर क्षेत्र में सम्मिलित हैं। राजसमन्द जिले का शेष क्षेत्र बिखरी आबादी कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाता है।

(2) जी हां। इन क्षेत्रों में माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर तथा बिखरी आबादी कार्यक्रमान्तर्गत क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप व्यक्तिगत लाभ एवं क्षेत्रीय लाभ की योजनाऐं संचालित की जाती है कुछ योजनाऐं ट्राईबल सब

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

प्लान के अनुरूप ही हैं तथा कुछ योजनाऐं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार भिन्न भी हैं जी नहीं।

(3) जी हां। माडा, माडा कलस्टर, तथा बिखरी आबादी कार्यक्रमान्तर्गत बजट प्रावधान के अनुसार आदिवासियों के व्यक्तिगत लाभ क्षेत्रीय विकास पर खर्च की जाती है।

(4) नाथद्वारा तहसील में रहने वाले आदिवासियों की जनगणना 2001 के अनुसार कुल संख्या 44053 नाथद्वारा तहसील के 21 ग्राम माडा लघुखण्ड में तथा 18 ग्राम माडा कलस्टर में सम्मिलित हैं जिनमें व्यक्तिगत लाभ या क्षेत्रीय लाभ की योजनाऐं क्षेत्र की आवश्यकता तथा बजट की उपलब्धता अनुसार क्रियान्वित की जाती है। माडा लघुखण्ड तथा कलस्टर, ग्रामों की सूची संलग्न है। बजट में आवंटन तहसीलवार नहीं किया जाता है, अपितु जिलेवार किया जाता है।

तहसील नाथद्वारा में माडा लघुखण्ड के ग्रामों की सूची

1. पीपलवास
2. पापामाल
3. भूताला
4. लोसीग
5. कुण्डा
6. उवाण
7. राया
8. घाटी का मठ
9. भूमालियों का गुढा
10. कोलर
11. बरवालिया
12. ओरेला
13. कमली का गुढा
14. काली वास
15. सियोल

16. लीलोरा
17. बरवा
18. शिकारवाड़ी
19. बेरन
20. कुण्डाल
21. दुलावतों का गुढ़ा

नाथद्वारा तहसील में माडा कलस्टर के ग्रामों की सूची

1. बासड़ा
2. खेडी वीरान
3. बियावास
4. गोपाकुडा
5. डिंगला
6. जगेला
7. कलाखेड़ी बीरान
8. जीवा खेड़ा
9. श्यामपुरा
10. बाडीनाल
11. बडलावाला
12. उगरडा की तलाई
13. उलपुरा नदीवाला
14. कोचली
15. उठरडा
16. उलपुरा मगरा पाछला
17. अडरोला
18. सरदारपुरा

थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में संचालित छात्रावास

268. **श्री कान्ती प्रसाद मीणा** (थानागाजी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004-05 में सरकार जनजाति के छात्रव छात्राओं के कितने-कितने छात्रावास खोलने का विचार रखती हैं ? इनके खोले जाने के मानदण्ड क्या हैं ?

(श्री कान्ती प्रसाद मीणा)

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में इस वर्ष छात्र व छात्रा छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि थानागाजी में छात्रा-छात्रावास में 50 स्थान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस छात्रावास में 50 से 100 स्थान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2004-05 में 50 की क्षमता के 17 नये आश्रम छात्रावास खोलने हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं (सूची संलग्न)। आश्रम छात्रावास, पंचायत समिति/तहसील मुख्यालय एवं पंचायत मुख्यालय, तत्पश्चात बड़े गांवों में खोलने का प्रयास किया जाता है। प्राथमिक तौर पर जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय हो या इसके अभाव में माध्यमिक विद्यालय हों तथा इनमें जनजाति छात्र/छात्राओं की पर्याप्त संख्या हो। इसके अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दु भी विचारणीय होते हैं। :-

अ- छात्रावास हेतु भूमि की उपलब्धता

ब- आसपास संचालित बालक/बालिका छात्रावास की दूरी, क्षमता व आवासरत विद्यार्थियों की संख्या

स- बजट की उपलब्धता।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र थानागाजी इस वर्ष छात्र व छात्राओं के लिए छात्रावास खोलने का प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि बजट उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं। यह सही है कि माडा बालिका आश्रम छात्रावास थानागाजी में छात्रा क्षमता 50 की ही है। छात्रावास की क्षमता 50 से बढा कर 100 किये जाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि क्षमता बढाये जाने से पूर्व 100 की क्षमता काभवन उपलब्ध होना आवश्यक है। वर्तमान में भवन की क्षमता 50 की ही है तथा भवन विस्तार हेतु राशि उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तावित छात्रावासों की सूची
अ-जनजाति उपयोजना क्षैत्र

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	छात्रावास का नाम	किस्म बालक/ बालिका	क्षमता	कुल प्रस्तावित राशि	राज्य अंश	केन्द्र अंश
1.	उदयपुर	झाडोल	पानरवा	बालक	50	33.37	16.685	16.685
2.	बांसवाड़ा	पीपलखूंट	दानपुर	बालिका	50	33.37	16.685	16.685
3.		तलवाड़ा	छोटी बदरेल	बालिका	50	33.37	16.685	16.685
4.		आनन्दपुरी	चान्दरवाडा	बालिका	50	33.37	16.685	16.685
5.	डूंगरपुर	सागवाडा	पादरडी बडी	बालिका	50	33.37	16.685	16.685
6.		सीमलवाडा	बोडामली	बालक	50	33.37	16.685	16.685
7.		बिच्छीवाडा	मेवाडा	बालिका	50	33.37	16.685	16.685
8.		सीलमवाडा	कुआँ	बालिका	50	33.37	16.685	16.685
9.		सागवाडा	खडगदा	बालिका	50	33.37	16.685	16.685
10.		गोगुन्दा	पिपलीखेड़ा	बालिका	50	33.37	16.685	16.685

ब-माडा/बिखरी क्षैत्र

क्र. .सं	जिला	पंचायत समिति	छात्रावास का नाम	किस्म बालक/ बालिका	क्षमता	कुल प्रस्तावित राशि	राज्य अंश	केन्द्र अंश
1.	बाड़मेर	चोहटन	बोजराड	बालक	50	33.37	16.685	16.685
2.	जोधपुर	शेरगढ़	शेरगढ़	बालिका	50	33.37	16.685	16.685
3.	सीकर	नीमका थानं	नयावास	बालक	50	33.37	16.685	16.685
4.	जालोर	जसवंतपुरा	राजपुरा	बालक	50	33.37	16.685	16.685
5.	दौसा	महुआ	सांथा	बालक	50	33.37	16.685	16.685
6.	चित्तौड़गढ़	बेंगू	काटून्दा	बालिका	50	33.37	16.685	16.685
7.	सवाई माधोपुर	बोली	बोली	बालिका	50	33.37	16.685	16.685

टौंक जिला के आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों में रिक्त पद

269. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला टोंक में कितने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व यूनानी चिकित्सालय/औषधालय कहां-कहां स्वीकृत हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों/औषधालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है।

(3) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत 5 वर्षों में उक्त प्रकार के औषधालय/चिकित्सालय कहां-कहां खोले गये और इस वर्ष कहां-कहां खोले जाने प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला टोंक में 99 आयुर्वेदिक, दो यूनानी, दो होम्योपैथिक तथा एक प्राकृतिक कुल 104 विभागीय औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं।

इनकी विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन औषधालयों/चिकित्सालयों में चिकित्सकों, नर्स/कम्पाउण्डरों व परिचारकों के स्वीकृत पदों तथा रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

नवीन नियुक्ति उपरान्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जावेंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत 5 वर्षों में कोई नवीन औषधालय आरम्भ नहीं किया गया। राज्यादेश 09-7-99 द्वारा ग्राम चिरौंज में एक नवीन आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत किया गया था, किन्तु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने से आरम्भ नहीं किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर, नवीन औषधालय खोलने पर विचार किया जावेगा। स्थानों का निर्धारण बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

जिला टौंक में संचालित विभागीय आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी औषधालयों/चिकित्सालयों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची तथा इनमें स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्थान औषधालय/ चिकित्सालय	चिकित्सा पद्धति	स्वीकृत पद: चिकित्सक	स्वीकृत पद: नर्स-कम्पा.	स्वीकृत पद: परिचारक	रिक्त पदों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मालपुरा	मालपुरा	आयुर्वेद	दो	चार	तीन	
2.		टोरडी	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
3.		लाम्बाहरिसिंह	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
4.		चॉदसैन	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
5.		कडीला	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
6.		कलमण्डा	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
7.		सौडा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
8.		चौसला	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
9.		पचेवर	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
10.		आवडा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.		मोरला	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
12.		बूढादेवल	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
13.		हाथकी	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
14.		झाडली	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
15.		आटोली	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
16.		चावण्डिया	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
17.		परली	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
18.		नगर मालपुरा	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
19.		सोडाबावड़ी	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
20.		धोला का खेड़ा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
21.		काटोली	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
22.		झिराना	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
23.		लोहरवाडा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
24.		राणोली	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
25.		चौगाई	आयुर्वेद	एक	एक	एक	

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	टौंक	अ.श्रेणी टौंक	यूनानी	दो	चार	तीन	चिकित्सा का एक पद तथा नर्स/कम्पा. के दो पद रिक्त हैं।
27.		टौंक	आयुर्वेद	एक	दो	एक	
28.		टौंक	होम्यो.	एक	एक	एक	
29.		टौंक	प्राकृतिक	एक	एक	एक	चिकित्सक का पद रिक्त है
30.		मेहन्दवास	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
31.		ताखोली	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
32.		सरडा तुर्की	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
33.		डोडवाडी	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
34.		सोनवा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
35.		सांखना	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
36.		निमोला	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
37.		बम्बोर	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
38.		सोरन	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
39.		भरनी	आयुर्वेद	एक	एक	एक	

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	निवाई	निवाई	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
41.		मण्डावर	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
42.		हतौना	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
43.		देवलीभांची	आयुर्वेद	एक	एक	स्वीकृत नहीं	
44.		जोला	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
45.		झिलाय	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
46.		करेडा बुजुर्ग	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
47.		चनानी	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
48.		दतवास	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
49.		रजवास	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	परिचारक का पद रिक्त है
50.		नटवाडा	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
51.		जामडोली	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
52.		डागरथल	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	स्वीकृत नहीं	
53.		लूहारा	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	

1	2	3	4	5	6	7	8
54.		खण्डदेवत	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
55.		सिन्दडा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
56.		सिरोही	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
57.		बहड	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
58.		ललवाडी	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
59.		भरथला	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
60.		खण्डवा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
61.		सुनारा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	परिचारक का पद रिक्त है
62.		मुण्डिया	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
63.		पहाड़ी	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
64		बड़ागॉव उफ टाटोली	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
65.		राहोली	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
66.	उनियारा	उनियारा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
67.		दूणी	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
68.		नगरफोर्ट	आयुर्वेद	एक	दो	एक	

1	2	3	4	5	6	7	8
69.		आवा	आयुर्वेद	एक	दो	एक	
70.		धाड	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
71		गुराई	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
72.		धूआ कलां	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
73.		सांवतगढ़	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
74.		सीतापुरा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
75.		सतवाडा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
76.		चन्दवाड	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
77.		कनवाडा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	चिकित्सक एवं नर्स/कम्पा. के पद रिक्त हैं।
78.		बनेठा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
79.		ककोड	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
80.		सोप	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
81.		सूथडा	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
82.		पलाय	आयुर्वेद	एक	एक	एक	

1	2	3	4	5	6	7	8
83.		कण्डेर	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
84.		गुदालिया	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
85.		ढिकोलिया	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
86.		आमली	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
87.	टोडारायसिंह	देवली	आयुर्वेद	एक	दो	एक	
88.		राजमहल	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
89.		पनवाड	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
90.		डाबरकला	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
91.		नासिरदा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
92.		धडोली	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
93.		देवली गॉव	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
94.		थावला	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
95.		वावड़ी	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
96.		दतोब	आयुर्वेद	एक	एक	एक	चिकित्सक का पद रिक्त है
97.		गनेती	आयुर्वेद	एक	एक	एक	परिचारक का पद रिक्त है

1	2	3	4	5	6	7	8
98.		भासू	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
99.		हमीरपुर	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
100.		मोर	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
101.		भावतां	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	
102.		उनियारा खुर्द	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
103.		निमेड़ा	आयुर्वेद	एक	एक	एक	
104.		पवालिया	आयुर्वेद	एक	स्वीकृत नहीं	एक	

नोट :- आयुर्वेद औषधालय कनवाडा में चिकित्सक एवं नर्स/कम्पाउण्डर दोनो के पद रिक्त होने से औषधालय आवा के कम्पाउण्डर को व्यवस्था की दृष्टि से लगाया हुआ है।

परिशिष्ट-1

जिला चिकित्सालय बाड़मेर में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ती अवधि विवरण

पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती की अवधि
वरिष्ठ विशेषज्ञ	4	1	7/2004
कनिष्ठ विशेषज्ञ	10	3	6/2000, 4/2002, 1/2004
उप नियंत्रक	1	-	-
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3	2	12/2003, 8/03
चिकित्सा अधि.	15	2	1/2004, 6/95
चिकित्सा अधि (दन्त)	1	-	-

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी :-

श्री मंगलाराम गोदारा (श्री डूंगरपुरा) :

1. थाना श्री डूंगरगढ़ में दर्ज एफ.आई.आर. सं. 135/04 में आज तक कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

2. झुन्झुनू जिले में कुछ हत्याओं से संबंधित मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

3. अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के पुलिस थानों एवं चौकियों को आधुनिक अथियार सुरक्षा यंत्र उपलबध कराने पर चर्चा के लिये।
4. अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस चौकी खुशकड़ा एवं चौपान की, को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किए जाने पर चर्चा के लिये।
5. प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिये :

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

6. विधानसभा क्षेत्र लूणकरणसर में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

7. राज्य में स्मैक, हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. ग्राम कुन्दरपुर, उप खण्ड सांगोद जिला कोटा में नवीन थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. दीगोद विधान सभा क्षेत्र के सुल्तानपुर कस्बे में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

10. मुबारिकपुर (अलवर) में नया खाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. राज्य के पुलिस कर्मियों को अधिक सुविधा मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. थाना रामगढ़ (अलवर) में निरीक्षक स्तर के थानाधिकारी का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

13. किशनगढ (अलवर) पर ए.एस.पी. का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

14. राज्य में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

15. अजरका पुलिस चौकी तहसील मुण्डावर (अलवर) को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

16. सीकर बाइपास पर तीन जगहों पर स्थापित की गई पुलिस चौकियों एवं पुलिस बल की कमी पर चर्चा के लिये।

17. पुलिस विभाग के कतिपय अधिकारियों द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मियों को यातना देने एवं झूठे अपराधिक मामलों में फंसाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

18. राज्य में पुलिस आधुनिकीकरण की राशि का उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अवैध रूप से हो रहे हवाला एवं सट्टा व्यवसाय को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. 30 जून, 2004 को एस.एफ.आई. जिला अध्यक्ष सीकर का अपहरण कर जान लेवा हमला होने पर भी पुलिस कार्यवाही में बरती जा रही शिथिलता एवं जिले में अपहरण की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

21. सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र (झुन्झुनु) में अब तक हुई डाके एवं चोरी की घटनाओं में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढा (सिरोही) :

22. राज्य में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

22- ए. चूली (सिरोही) में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

23. पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा की गई अनियमितताओं एवं बेकार पड़े उपकरणों से करोड़ो रुपये के हुए नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

24. राज्य में अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस को आधुनिक हथियार, साधन तथा सुविधाएं मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. निर्वाचन क्षेत्र नगर के गुलपाड़ा कस्बे में आर.ए.सी. की चौकी, इल्यास पुत्र स्व. बन्नू खॉ की निजी भूमि पर स्थापित करने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

26. भरतपुर जिले के नगर पुलिस थाने को इन्सपेक्टर स्तर का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. राज्य में अपराधों की संख्या में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द (नावां) :

28. पुलिस थाना कुचामन सिटी में सी.आई. का पद सृजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. कुचामन सिटी (नागौर) में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. ग्राम घाटवा विधान सभा क्षेत्र नावा में पुलिस चौकी के भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. कुचामन सिटी में रेलवे स्टेशन पर पुलिस चौकी स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. डीडवाना (नागौर) में स्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय कुचामन सिटी में स्थानान्तरित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

33. राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

34. हिन्डोली (बूंदी) में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

35. धौलपुर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. धौलपुर जिले में मवेशी चोरी की बढ़ती घटनाओं से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

37. धौलपुर जिले के ग्राम मिलगमा पुलिस थाना सदन के असामाजिक तत्वों द्वारा कोतवाल व अन्य पुलिस दल पर किये हमले का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी मुल्जिम नहीं पकड़े जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

38. धौलपुर जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा खान मालिकों से अवैध रूप से रुपये वसूल करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

39. धौलपुर शहर मे चोरी की बढ़ती घटनाओं से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

40. प्रतापगढ़ उपखण्ड में पुलिस को सटोरियों की जानकारी होने के बाद भी प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. उप खण्ड प्रतापगढ़ में टोपीदार बन्दूक एवं बारह बोर बन्दुकों के लायसेन्स प्राप्त करने के आवेदनों पर लम्बे समय से निर्णय नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में धन्नालाल मीणा अध्यापक निवासी हिंगलाट तह. अरनोद की दिनांक 16 अप्रेल, 2003 को की गई हत्या में पुलिस की लापरवाही से हत्यारों का पता नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल मीणा)

43. थाना जाखम जिला चित्तौड़गढ़ के गांव ग्यासपुर निवासी नारायण मीणा की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के प्रकरण को पुलिस द्वारा रफा -दफा करने एवं पुलिस द्वारा अभी तक कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. पुलिस द्वारा थाना प्रतापगढ़ में वर्ष 1998 से 2002 तक दर्ज अभियोगों में अभियुक्त नामजद होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) :

45. जयपुर शहर में यातायात के भारी दबाव होने के बावजूद यातायात पुलिस की अपर्याप्त संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. जयपुर शहर में पुलिस विभाग के स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. जयपुर शहर में बंगलादेशीय लोगों के बसने के कारण कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. जयपुर शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था के सुधार हेतु शहर में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू करने पर चर्चा के लिये।

49. जयपुर शहर में बढ़ती जनसंख्या और शहर के विस्तार के कारण पुलिस थानों एवं चौकियों की अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

50. बागीडोरा विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाना सल्लोपाट में कार्यरत ए.एस.आई. द्वारा भ्रष्टाचार करने व गरीबों के साथ अन्याय करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री जीतमल खांट)

51. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा की गुजरात से लगती सीमा पर स्थाई पुलिस चौकी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा के पुलिस थाना आनन्दपुरी में हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा के पुलिस थाना आनन्दपुरी में पुलिस द्वारा क्रास मुकदमें करवा कर दोनों पार्टी से राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) :

54. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादतियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

55. राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के प्रकरण में सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी अवधि निश्चित करने एवं अन्य अव्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

57. बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी कर तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. पुलिस विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) :

59. विकास अधिकारी के साथ मारपीट करने एवं गम्भीर चोटें पहुंचाने के संबंध में थाना चौहटन में दर्ज मुकदमा सं. 74/04 पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

60. थाना चाकसू जिला जयपुर को निरीक्षक स्तर का बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

61. जोधपुर शहर के थानों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. पुलिस चौकियों में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. पुलिस थानों में स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. यातायात व कानून व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

66. थाना हरमाड़ा जिला जयपुर में ब्याहता महिला के अपहरण बाबत दर्ज मुकदमा संख्या 423 दि. 6.4.2004 एवं 172/04 दिनांक 16.5.2004 पर अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. थाना बस्सी (जयपुर) के ग्राम बल्लूपुरा तहसील बस्सी में हुई डकैती का माल बरामद नहीं करने एवं डकैतों को नहीं पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. पुलिस थाना कानोता (जयपुर) में 6 माह से पुलिस निरीक्षक तैनाती के बावजूद भी थाने को क्रमोन्नत नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

69. निर्वाचन क्षेत्र बस्सी के पुलिस थाना बस्सी, कानोता, चाकसू, शिवदासपुरा क्षेत्र में गत दो वर्षों के दौरान वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. राजस्थान में वर्ष 2001 से अब तक अध्यापकों द्वारा नाबालिग छात्राओं के साथ हुए बलात्कार की घटनाओं में पुलिस द्वारा कारगर कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

71. उदयपुर जिले एवं राजसमंद जिले की कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

72. नाथद्वारा क्षेत्र के थानों में दर्ज हत्याओं के मामलों में मुलजिमों को चिन्हित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

73. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में बधाल व पचकोडिया में पुलिस थाना तथा हिंगोनिया, मण्डा, खण्डेल, लालपुरा में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न थानों में पर्याप्त पुलिस बल एवं संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरणें में समुचित कार्यवाही नहीं करने एवं पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

76. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़-रेनवाल थाने में दर्ज बलात्कार प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में बढ़ती चोरी व अन्य अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगा पाने में पुलिस की अक्षमता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द सिंह (बाली) :

78. बेड़ा चौकी पुलिस थाना नाणा जिला पाली में साम्प्रदायिक तनाव के नाम पर दर्ज झूठे मुकदमों पर चर्चा के लिये।

79. पुलिस थाना नाणा जिला पाली में दर्ज कूरका प्रकरण में निर्दोष ग्रामीणों के नामों को जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर) :

80. ग्राम मटाणा तहसील रेवदर जिला सिरोही में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. पुलिस थाना रेवदर में किसानों के विरुद्ध विद्युत आन्दोलन में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (अहोर) :

82. पुलिस विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र आहोर में बढ़ने अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. जालोर जिले के थानों में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

84. जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

85. जयपुर ग्रामीण पुलिस थाना रेनवाल में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 22/04 के सारे मुल्जिम को गिरफ्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. एफ.आई.आर. नं. 264/2000 पुलिस थाना मालाखेड़ा, अलवर के संबंध में दलित महिला के साथ हुये सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को त्वरित गति से गिरफ्तार करने वाले अन्वेषण अधिकारी को विशेष पदोन्नति देकर पुरस्कृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बाबूलाल नागर)

87. किसान गाडी (जोगाड़) को पुलिस द्वारा कृषि कार्यों में काम लेने से रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. राजस्थान में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों की रोकथाम हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट में दर्ज प्रकरणों की जांच निश्चित समय में पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

89. जालोर जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था व पुलिस का राजनैतिक दबाव में कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट -3

मांग संख्या-17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

1. जिला अलवर कारागार को केन्द्रीय कारागार में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. जिला कारागार अलवर में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. अलवर जिले के कारागारों में पनप रहे भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

4. केन्द्रीय कारागारों के बंदियों को खुली कारागार की सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. राज्य के कारागारों में बन्दियों के खाने का बजट प्रावधान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. कारागारों में सुरक्षा कर्मियों कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

7. नगर, जिला भरतपुर में उप'कारागार की स्थापना की आवश्यकता चर्चा के लिये।

8. केन्द्रीय कारागार जयपुर में शिक्षित युवा कैदियों के प्रशिक्षण हेतु बनाये जाने वाले आई.टी.आई. केन्द्र निर्माण को बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

9. प्रदेश की कारागारों में कैदियों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. कारागारों से कैदियों के भागने की घटनाओं में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. भरतपुर व उदयपुर के कारागारों के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र से प्राप्त राशि का समुचित उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) :

12. राज्य के कारागारों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. राज्य के कारागारों में मादक पदार्थों की अवैध रूप से हो रही आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. परबतसर कारागार का नया भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. राज्य के कारागारों में बन्दियों की चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में हो रही मृत्यु पर चर्चा के लिये।

16. राज्य में महिला बन्दी कारागारों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

17. बूंदी कारागार का नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1४. बूंदी कारागार की व्यवस्था सुधारने एवं कैदियों के लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

19. धौलपुर कारागार में कैदियों को खाना, वर्दी एवं अन्य सुविधाएं सुचारु रूप से उपलब्ध नहीं कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

20. राज्य के कारागारों में कैदियों के फरार होने की बढती हुई घटनाओं से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

21. धौलपुर कारागार में भवन, स्टाफ की कमी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) :

22. राज्य के कारागारों में कैदियों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) :

23. बाड़मेर जिला कारागार से माह जुलाई के आरम्भ में एक कैदी के फरार हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

24. राजस्थान के विभिन्न कारागारों में कैदियों के फरार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

25. कारागार विभाग में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कार्यवाही वृत्तान्त की सदस्य सूची
सोमवार, दिनांक 19 जुलाई, 2004

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-बयाना विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें 448

श्री अध्यक्ष

अनुदान की मांग

पारण

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 307

गृह

-पुलिस -मांग संख्या 16 307

बधाई एवं आभार

-श्री रामनारायण विश्नोई के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई 39

व्यवस्था

-प्रशासनिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक 182

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-राजस्व मण्डल में सदस्यों के रिक्त पद 413

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-संभागीय मुख्यालयों पर सड़क निर्माण हेतु प्रावधित राशि 349

सार्वजनिक निर्माण

-ब्रिज कार्पोरेशन एवं आवास विकास संस्थान का सार्वजनिक
निर्माण विभाग में विलय 369

श्री अमराराम (धोद)

अनुदान की मांग

विचार

-कारागार-मांग संख्या 17 206

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 206

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-बाड़मेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद 10

बधाई एवं आभार

-श्री रामनारायण विश्नोई के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई 38

श्री अर्जुन लाल मीणा (गंगरार)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

महिला एवं बाल विकास

-गंगरार विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन आंगनबाडी केन्द्र 462

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

उर्जा

-सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र का प्रस्तावित ग्रिड़ सब-स्टेशन 352

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उर्जा

-रामसीन ग्राम (रानीवाड़ा) में स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन 458

श्री अशोक बैरवा (खण्डार)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-पास बुक में दर्ज भूमि की किस्म व कीमत के आधार पर क्रेडिट कार्ड 31

सार्वजनिक निर्माण

-खण्डार विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़के 317

श्री उपाध्यक्ष

बधाई एवं आभार

-श्री रामनारायण विश्नोई के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई 40

व्यवस्था

-कटौती प्रस्तावों पर विचार करने का दलवार अवसर 105

श्रीमती उषा पूनिया (मूंडवा), राज्य मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

पर्यटन

-जिला पाली के पर्यटन स्थल 11

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-नकली दवा आपूर्ति प्रकरण 336

व्यवस्था का प्रश्न

-प्रशासनिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक 82

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार- मांग संख्या 17 251

गृह

-पुलिस—मांग संख्या 16 251

श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)
अनुदान की मांग
विचार
कारागार
-कारागार-मांग संख्या 17 248
गृह
-पुलिस-मांग संख्या 16 248

श्री ओम बिरला (कोटा)
तारांकित प्रश्नोत्तर
सामान्य प्रशासन
-स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति 21

श्री कनकमल कटारा (सागवाडा), मंत्री
उपाध्यक्ष का निर्वाचन
-श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन 34

तारांकित प्रश्नोत्तर
सामान्य प्रशासन
-सवतंत्रता सेनानियों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति 16

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
-लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध दवाओं का बाजार मूल्य 418
राजस्व
-बस्सी विधान सभा क्षेत्र की गैर मुमकिन भूमि पर काबिज अतिक्रमी 410

अनुदान की मांग
विचार
कारागार
-कारागार-मांग संख्या 17 202
गृह
-पुलिस-मांग संख्या 16 202

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
जनजाति क्षेत्रीय विकास
-थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में संचालित छात्रावास 465

तारांकित प्रश्नोत्तर
राजस्व
-राजकीय भूमि पर काबिज कृषकों को काश्तकारी अधिकार 354

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख
-अलवर जिले में खनन कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति पत्र 50

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
-राज्य में भ्रूण परीक्षण पर रोक 436

अनुदान की मांग
विचार
कारागार
-कारागार-मांग संख्या 17 134

गृह
-पुलिस-मांग संख्या 16 134

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-प्रेमनगर, झोटवाड़ा (जयपुर) का नियमन 408

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वित्त

-राजपत्रित अधिकारियों को चयनित वेतनमान 372

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-खारची विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण 441

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-लालगढ़ जाटान ग्राम (श्री गंगानगर) में प्रस्तावित उप तहसील कार्यालय 412

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री

अनुदान की मांग

प्रस्तुति

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 106

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 106

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 292

गृह
-पुलिस-मांग संख्या 16 292

उपाध्यक्ष का निर्वाचन
-श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पर निर्वाचन 33

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
-बीकानेर के कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नोखा स्थानान्तरण 417

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)
अतारांकित प्रश्नोतर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
-पूर्व विधायकों को प्रदत्त चिकित्सा सुविधाएं 421

राजस्व
-तारानगर विधान सभा क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय की स्थापना 415

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना)
तारांकित प्रश्नोत्तर
सार्वजनिक निर्माण
-कोटा जिले में टोल टैक्स की वसूली 361

श्री जगसीराम कोली (रेवदर)
अनुदान की मांग
विचार
कारागार
-कारागार-मांग संख्या 17 239

गृह
-पुलिस-मांग संख्या 16 239

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों की स्थिति 73

श्री जीतमल खांट (बागीडोर)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 226

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 226

बधाई एवं आभार

-श्री रामनारायण विश्नोई के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई 38

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-अलवर मं जनोपयोगी सुविधाओं हेतु भू-आबंटन 324

व्यवस्था का प्रश्न

-प्रशासनिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक 96

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-बाड़मेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद 1

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत पर व्यय 457

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-बाड़मेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद 2

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 173

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 173

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-ब्यावर शहर में निम्न स्तरीय सड़क निर्माण 441

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 188

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 188

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-वन भूमि का आवासीय में परिवर्तन 60

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-सैन्य गतिविधियों के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कें 446

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

-श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन 33

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें 443

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 217

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 217

तारांकित प्रश्नोत्तर

पर्यटन

-फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन विकास 361

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 231

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 231

तारांकित प्रश्नोत्तर

पर्यटन

-पाली जिले के पर्यटन स्थल 11

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

-श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन 33

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नगरपालिकाओं की बैठकों में व्याप्त अनियमितताएं 365

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

-राज्य में क्रिकेट संघों द्वारा की जा रही अनियमितताएं 102

व्यवस्था का प्रश्न

-प्रशासनिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक 84

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) में नसबंदी आपरेशन के दौरान मृतक के आश्रित को राज्य सेवा में नियुक्ति प्रकरण 439

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-इटावा (झालावाड़) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद 54

श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

-राजस्थन स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड का 25वां प्रतिवेदन (2002-03) 79

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-कोटा नगर निगम के चयनित परिवार 355

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-कुशलगढ़ विधान सभा के क्षेत्र के सामुदायिक चिकित्सालय में आवश्यक सुविधाएं 356

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-नादौती तहसील (करौली) में उपखण्ड कार्याला 416

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 195

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 195

याचिका

-राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय ज्योतिनगर, जयपुर में सुविधाओं विषयक 81

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-पास बुक में दर्ज भूमि की किस्म व कीमत के आधार पर क्रेडिट कार्ड 27

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-कृषि महाविद्यालयों को अनुदान राशि 49

बधाई एवं आभार

-श्री रामनारायण विश्नोई के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई 39

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-एस.एम.एस. कॉलोनी, दुर्गापुरा (जयपुर) का नियमन 407

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 211

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 211

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-दूदू विधान सभा क्षेत्र के गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी 61

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाएं 422

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-संभागीय मुख्यालयों पर सड़क निर्माण हेतु प्रावधित राशि 349

सामान्य प्रशासन

-स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति 24

बधाई एवं आभार

-श्री रामनारायण विश्नोई के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई 37

बहिर्गमन

-कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन 24

व्यवस्था का प्रश्न

-प्रशासनिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक 93

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-सौ दिवसीय कार्ययोजना में निर्मित सड़कें 451

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल की स्थापना 367

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-जैतसीसर-रायपुरा मिसिंग लिंक सड़क का अपूर्ण कार्य 446

श्री भंवरू खान (फतेहपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-वाटिका ग्राम (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण 450

श्री भरत सिंह (दीगोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-राज्य में चारागार भूमि अतिक्रमियों से वसूली 415

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 243

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 243

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों का शहरी क्षेत्र में पदस्थापन 309

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सम्पदा

-राज्य की नजूल सम्पत्तियां 456

याचिका

-किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पानी की समस्या के समाधान हेतु बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाने बाबत 80

-किशनगढ़, अजमेर स्थित सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय को अधिशाषी अभियंता कार्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत 81

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-विधायकपुरी, जयपुर की क्षतिग्रस्त चारदीवारी 449

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें 344

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-डूंगरगढ़ तहसील की सेल्स टैक्स संबंधी पत्रावलियां चूरू से बीकानेर स्थानान्तरण 60

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

-श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन 33

तारांकित प्रश्नोत्तर

सामान्य प्रशासन

-स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति 19

व्यवस्था का प्रश्न

-प्रशासनिक पदाधिकारियों के थानान्तरण विषयक 96

सदन की कार्यवाही

-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि 191

-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि 239

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास

-गोगुन्दा पंचायत समिति, कोटड़ा में नि:शुल्क ब्लास्टिंग से वंचित कृषक 342

नयिम 295 के तहत विशेष उल्लेख
-गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में सडकों को पक्का किये जाने विषयक 51

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
-मुख्य मंत्री सहायता कोष से स्वीकृत राशि 437

तारांकित प्रश्नोत्तर
नगरीय विकास एवं आवासन
-राजस्थान आवासन मण्डल का अंकेक्षण प्रतिवेदन 371

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)
अनुदान की मांग
विचार
कारागार
-कारागार-मांग संख्या 17 145

गृह
-पुलिस-मांग संख्या 16 145

उपाध्यक्ष का निर्वाचन
-श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन 34

तारांकित प्रश्नोत्तर
सामान्य प्रशासन
-स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण
हेतु गठित समिति 15

श्री युनूस खान (डीडवाना), मंत्री
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
-राज्य में क्रिकेट संघों द्वारा की जा रही अनियमितताएं 97

श्री रमेश खींची (कठूमर)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
महिला एवं बाल विकास
-परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्निति प्रकरण 459

तारांकित प्रश्नोत्तर
उर्जा
-कठूमर विधान सभा क्षेत्र के लम्बित विद्युत कनेक्शन प्रकरण 337

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)
अनुदान की मांग
विचार
कारागार
-कारागार-मांग संख्या 17 158
गृह
-पुलिस-मांग संख्या 16 158

तारांकित प्रश्नोत्तर
सार्वजनिक निर्माण
-भगोवा ग्राम (सीकर) की सम्पर्क सड़क 25

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री
उपाध्यक्ष का निर्वाचन
-श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन 33

तारांकित प्रश्नोत्तर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
-बाड़मेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद 8

सार्वजनिक निर्माण
-ग्राम भगोवा (सीकर) की सम्पर्क सड़क 25

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-अशोक विहार, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर के भूखण्डों का नियमन 407

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 266

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 266

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी 380

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 233

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 233

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व,

-पास बुक में दर्ज भूमि की किस्म व कीमत के आधार पर क्रेडिट कार्ड 27

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

तारांकित प्रश्नोत्तर

उर्जा

-राज्य में उर्जा उत्पादन में वृद्धि के प्रयास 310

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-बूंदी पंचायत मुख्यालय खटकड़ से गुजर रही सड़क की मरम्मत 55

याचिका

-बूंदी जिले के मोतीपुरा बाँध की उंचाई बढ़ाने एवं नहरों की मरम्मत करवाये जाने बाबत 80

-बूंदी जिले में स्थित झर महादेव सम्पर्क सड़क का डामरीकरण करवाये जाने बाबत 80

व्यवस्था का प्रश्न

-प्रशासनिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक 82

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 287

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 287

तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य

-पास बुक में दर्ज भूमि की किस्म व कीमत के आधार पर क्रेडिट कार्ड 31

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सैनिक कल्याण बोर्ड

-वर्ष 1971 के युद्ध में शहीदों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक सहायता 379

तारांकित प्रश्नोत्तर
नगरीय विकास एवं आवासन
-चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में आवासन मण्डल द्वारा भूमि अवाप्ति 336

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)
तारांकित प्रश्नोत्तर
उपनिवेशन
-जैसलमेर क्षेत्र की डिग्गी एवं खालों की मरम्मत 370

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
उर्जा
-बैराठ विधान सभा क्षेत्र में विशेष योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन 458

अनुदान की मांग
विचार
कारागार
-कारागार-मांग संख्या 17 164
गृह
-पुलिस-मांग संख्या 16 164
तारांकित प्रश्नोत्तर
राजस्व
-बैराठ विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीनों को भू-आबंटन 348

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
-राज्य में क्रिकेट संघों द्वारा की जा रही अनियमितताएं 97

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
महिला एवं बाल विकास
-डेगाना विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका के रिक्त पद 461

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-नागौर में सांसद विकास कोष की राशि का दुरुपयोग 52

श्रीमती लक्ष्मी बारुपाल (देसूरी)

तारांकित प्रश्नोत्तर

वित्त

-स्थानीय निकायों की पूर्व जांच प्रणाली का पुनर्संचालन 368

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्यमंत्री

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

-श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन 32

बधाई एवं आभार

-श्री रामनारायण विश्नोई के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई 36

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 222

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 222

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-कृषि भूमि आबंटन में किश्तों की अदायगी पर ब्याज दर का निर्धारण 363

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-लूणकरणसर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विषयक 68

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)
अनुदान की मांग
विचार
कारागार
-कारागार-मांग संख्या 17 — 240
गृह
-पुलिस-मांग संख्या 16 — 240

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
राजस्व
-डांगियों का खेड़ा लालवास ग्राम (उदयपुर) की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण — 412

सार्वजनिक निर्माण
-ईन्टाली-फतेहनगर (उदयपुर) की अपूर्ण सड़कें — 451

तारांकित प्रश्नोत्तर
राजस्व
-पास बुक में दर्ज भूमि की किस्म व कीमत के आधार पर क्रेडिट कार्ड — 29

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख
-पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या — 59

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
सामान्य प्रशासन
-धौलपुर हाउस माउंट आबू का स्वामित्व — 378
अनुदान की मांग
विचार
कारागार
-कारागार-मांग संख्या 17 — 252

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 252

तारांकित प्रश्नोत्तर

पर्यटन

-जिला पाली के पर्यटन स्थल 14

महिला एवं बाल विकास

-महिला उत्थान हेतु कार्य-योजना 314

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-शिवगंज के राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों की स्थिति 69

श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

-श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन 33

तारांकित प्रश्नोत्तर

पर्यटन

-जिला पाली के पर्यटन स्थल 15

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-जोधपुर शहर में पीने के पानी की समस्या 77

श्री सी.डी. देवल् (रायपुर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-पासबुक में दर्ज भूमि की किस्म व कीमत के आधार पर क्रेडिट कार्ड 31

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-दीपावास बाध (लूनी नदी) से काश्तकारों की फसल की बर्बादी 56

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास

-नाथद्वारा तहसील के आदिवासियों के विकास हेतु व्यय राशि 462

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 275

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 275

उपाध्यक्ष की निर्वाचन

-श्री रामनारायण विश्नोई का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन 34

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,

-बाड़मेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद 8

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 132

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 132

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-पास बुक में दर्ज भूमि की किस्म व कीमत के आधार पर क्रेडिट कार्ड 28

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 169

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 169

बधाई एवं आभार

-श्री रामनारायण विश्नोई के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई 38

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति 380

डा. सुरेश चौधरी (भादरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वित्त

-तहसील कार्यालय में दर्ज जमाबन्दी के आधार पर पंजीकरण 417

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-भादरा विधान सभा क्षेत्र की सड़कें 354

श्री सुरेश मीणा (करौली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सामान्य प्रशासन

-करौली के जिला कलक्टर कार्यालय का भवन निर्माण 378

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 269

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 269

बधाई एवं आभार

-श्री रामनारायण विश्नोई के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई 38

श्रीमती सूर्यकान्त व्यास (जोधपुर)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 192

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 192

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-जोधपुर शहर में पीने के पानी की समस्या 74

श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-आसीन्द तहसील मुख्यालय पर एस.डी.एम. कार्यालय 411

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

अनुदान की मांग

विचार

कारागार

-कारागार-मांग संख्या 17 107

गृह

-पुलिस-मांग संख्या 16 107

तारांकित प्रश्नोतर

नगरीय विकास एवं आवासन

-कोटा, बूंदी तथा बारां जिलों के विकास हेतु स्वीकृत राशि 308

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-जोधपुर शहर में पीने के पानी की समस्या 77

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास वं आवासन

-कुचामन सिटी नगरपालिका द्वारा गाडिया लुहारों को नि:शुल्क भूमि आबंटन 404

श्री हीरालाल (निवाई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आयुर्वेद

-टौंक जिले के आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों में रिक्त पद 469

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-प्राथमिक स्वास्थ्य केनद्र रेलावन व देवरी (बांरो) में चिकित्सा कर्मियों का पदस्थान 352

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-लोक जुम्बिश परियोजनान्तर्गत संचालित मुक्तांगन प्राथमिक विद्यालय 57

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकत्सा एवं स्वास्थ्य

-बाड़मर के चिकित्सालयों में रिक्त पद 4

व्यवस्था का प्रश्न

-प्रशासनिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक 94